चतुर्दश माला, खंड 37, अंक 8

मंगलवार, 24 फरवरी, 2009
5 फाल्गुन, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पंद्रहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. PL-025
Block 'G'
Acc. No. 3688
Dated 22 July 2010

(खंड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 37, पन्द्रहवां सत्र, 2009/1930 (शक)]

अंक 8, मंगलवार, 24 फरवरी, 2009/5 फाल्गुन, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष महोदय द्वारा बधाई	
ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर फिल्मी हस्तियों सर्वश्री ए.आर. रहमान, गुलजार और रसूल पूकुट्टी को बधाई	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101, 103, 105, 106, 108, 110 और 112	2–40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 102, 104, 107, 109, 111 और 113 से 120	40–62
अतारांकित प्रश्न संख्या 502 से 567 और 569 से 619	62–304
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	305–324
राज्य सभा से संदेश.	324–325
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
21वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	325
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
24वां और 25वां प्रतिवेदन	325
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
34वां से 36वां प्रतिवेदन	326
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
25वां प्रतिवेदन	326
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
149वां प्रतिवेदन	326
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
गत सप्ताह के दौरान किये गये कार्य	327–328
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य.	329–331
(एक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) (मांग सं. 57) के बारे में मानव संसाधन विकास संबधी स्थायी समिति के 206वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	329

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित ग्रामीण आवास योजना के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील	329–330
(तीन) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008–09) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 85वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री जयराम रमेश	330–331
सरकारी विधेयक–पुरःस्थापित	331–332
(एक) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन विधेयक, 2009	331
(दो) भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2009	331–332
(तीन) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2009	460
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) गुजरात के मेहसाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा गैस और पेट्रोलियम के अन्वेषण की पद्धति, जिसके कारण इस क्षेत्र में जलस्तर संदूषित और कम हुआ है, की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता	
श्री जीवाभाई ए. पटेल	332–333
(दो) तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	333
(तीन) गुजरात में बनासकांठा और पालनपुर के बीच स्थानीय रेल सेवा पुनः आरंभ किये जाने; गुजरात मेल का विस्तार पालनपुर तक किये जाने और माउंट आबू-अहमदाबाद-पालनपुर मार्ग पर अतिरिक्त डीईएमयू सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	333–334
(चार) पश्चिमी पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले छम्ब जोरियान के लोगों को मूलभूत अधिकार दिये जाने की आवश्यकता	
चौधरी लाल सिंह	334
(पांच) देश में नारियल और पंखिया खजूर के वृक्षों से नारियल-पाम मिल्क का हर्बल पेय बनाए जाने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	334–335
(छह) राजस्थान के बहरोड में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर छह लेन वाली सड़क और फ्लाईओवर के निर्माण के कारण जिन परिवारों की दुकानें तोड़ी जानी हैं उनकी आजीविका की रक्षा किये जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	335
(सात) मध्य प्रदेश के सागर और छत्तीसगढ़ जिलों में लौह अयस्क और अन्य खनिज आधारित फैक्टरियां स्थापित किये जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	336
(आठ) सरदार सरोवर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किये जाने की आवश्यकता	
श्री काशीराम राणा	336

विषय	कॉलम
(नौ) रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री दुष्यंत सिंह	337
(दस) गुजरात में घादुली-हाजपुर-खावड़ा-संतालपुर और खावड़ा-धोलावीरा सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन किये जाने की आवश्यकता	
श्री पी.एस. गढ़वी	337–338
(ग्यारह) केरल में अलप्पुझा में तटरक्षक स्टेशन की स्थापना किये जाने की आवश्यकता	
डा. के.एस. मनोज	338
(बारह) बांग्लादेश में चिलहाटी और पार्बतीपुर होते हुए हल्दीबाड़ी और सियालदह के बीच रेल सेवाएं पुनः आरंभ किये जाने की आवश्यकता	
श्रीमती मिनाती सेन	338
(तेरह) इलेक्ट्रो-होम्योपैथी को विधिक दर्जा देने वाला विधेयक संसद में लाए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	339
(चौदह) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों कानपुर-सागर और झांसी-मिर्जापुर खण्डों को विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार चौड़ा किये जाने और उनकी मरम्मत किये जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	339–340
(पन्द्रह) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिहार के गया में स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में एक कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री राजेश कुमार मांझी	340
(सोलह) त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को प्रोत्साहन घटक अनुदान जारी किये जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	340–341
(सत्रह) पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने तथा इसे केन्द्रीय वित्त आयोग की परिधि में लाये जाने की आवश्यकता	
प्रो. एम. रामदास	341–342
(अठारह) तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र का विस्तार करने वाले निर्णय को वापस लिये जाने की आवश्यकता	
डा. सी. कृष्णन	342–343
(उन्नीस) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के लेह जिले में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता	
श्री थुपस्तन छेवांग	343
सदस्यों द्वारा निवेदन	343–351
(एक) उड़ीसा के मलकानगिरि जिले में प्रस्तावित पोलावरम परियोजना के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं के बारे में	
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	343–345
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	345

विषय	कॉलम
(दो) डनलप इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को देयराशि का भुगतान न किये जाने और नियोक्ता द्वारा करार का तथाकथित उल्लंघन किये जाने के बारे में	
श्री रूपचंद पाल	349–350
श्री ऑस्कर फर्नांडीस	350
अंतरिम बजट (सामान्य)–2009-2010 लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)–2009-10 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)–2008-09.	351–447
श्री मोहन रावले	352–356
श्री किन्जरपु येरननायडु	356–359
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	359–362
श्री ए.के.एस. विजयन	362–365
श्री हरिकेवल प्रसाद	365–368
प्रो. चन्द्र कुमार	368–371
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	371–373
श्री काशी राम राणा	373–377
श्री फ्रांसिस फैन्थम	377–379
श्री सी. कुप्पुसामी	379–383
श्री किशन सिंह सांगवान	383–386
श्रीमती रंजीत रंजन	386–389
श्री बालासाहेब विखे पाटील	389–392
श्री पी.सी. थामस	392–394
श्री असादूद्दीन ओवेसी	394–397
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	397–400
डा. सुजान चक्रवर्ती	400–402
श्री निहाल चन्द	402–405
श्री विजय कृष्ण	405–408
श्री हरिन पाठक	408–409
श्री रायापति सांबासिवा राव	409
श्रीमती सी.एस. सुजाता	410
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	411–412
श्री हरिसिंह चावड़ा	412–413
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	413–414
श्री प्रणब मुखर्जी	414–447

विषय	कॉलम
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009.	447–449
विचार करने के लिए प्रस्ताव	447
खण्ड 2 से 4 और 1	448
पारित करने के लिए प्रस्ताव	449
विनियोग विधेयक, 2009.	449–450
विचार करने के लिए प्रस्ताव	449
खण्ड 2, 3 और 1	450
पारित करने के लिए प्रस्ताव	450
वित्त विधेयक, 2009.	450–457
विचार करने के लिए प्रस्ताव	450
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	451–454
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	454–455
श्री प्रणब मुखर्जी	455–457
खण्ड 2 और 1	457
पारित करने के लिए प्रस्ताव	457
उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007–वापस लिया गया.	457–459
धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009.	460–481
विचार करने के लिए प्रस्ताव	460
श्री पवन कुमार बंसल	461–462
श्री लक्ष्मण सिंह	462–464
श्री रूपचन्द पाल	464–465
श्री मोहन रावले	465–466
श्री आलोक कुमार मेहता	466–467
श्री भर्तृहरि महताब	467–469
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	469–470
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	470–471
खण्ड 2 से 13 और 1	480
पारित करने के लिए प्रस्ताव	481
मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009.	481–506
विचार करने के लिए प्रस्ताव	481
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	481–486
श्री जगदीश टाइटलर	486–488

विषय	कॉलम
श्री वरकला राधाकृष्णन	488–490
श्री आलोक कुमार मेहता	490–491
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	491–493
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	493–495
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	495–496
श्री संतोष गंगवार	496–498
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	498–499
श्री एस. जयपाल रेड्डी	499–506
खण्ड 2 से 17 और 1	506
पारित करने के लिए प्रस्ताव	506
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009.	507–534
विचार करने के लिए प्रस्ताव	507
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	507–509
प्रो. रासा सिंह रावत	509–513
श्री जे.एम. आरून रशीद	513–515
श्री पी. करुणाकरन	515–518
श्री राम कृपाल यादव	518–521
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	522–523
श्री चंद्रकांत खैरे	524–525
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	525–528
श्री असादूद्दीन ओवेसी	529–531
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	531–532
श्री संतोष गंगवार	533–534
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	541
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	542–544
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	545–546
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	545–546

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 24 फरवरी, 2009/5 फाल्गुन, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): श्री ए.आर. रहमान की जय हो।

अध्यक्ष महोदय: स्पीकर को थोड़ा बोलने दो।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

अध्यक्ष महोदय द्वारा बधाई

ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर फिल्मी हस्तियों— सर्वश्री ए.आर. रहमान, गुलजार और रसूल पूकुट्टी को बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, यह हमारे लिये अत्यंत गर्व की बात है कि फिल्म 'स्लमडॉग करोड़पति' ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार सहित आठ ऑस्कर पुरस्कार ज़ीते हैं। तीन भारतीयों सर्वश्री ए.आर. रहमान, गुलजार और रसूल पूकुट्टी को ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं।

सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार श्री ए.आर. रहमान और श्री गुलजार को संयुक्त रूप से दिया गया; सर्वश्रेष्ठ मौलिक (ओरिजनल) संगीत के लिए श्री ए.आर. रहमान को पुरस्कृत किया गया; और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण (साउण्ड मिक्सिंग) की श्रेणी में श्री रसूल पूकुट्टी को पुरस्कृत किया गया।

इन कलाकारों की ऐतिहासिक उपलब्धि ने हर भारतीय को अभिभूत कर दिया है। देश को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। भारतीय कलाकारों की सर्वोत्कृष्ट श्रेणी की यह उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित वृत्तचित्र 'स्माइल पिंकी' को सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्तचित्र श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिलना भी उतना ही आह्लादकारी है।

मुझे विश्वास है कि हमारी इन महान हस्तियों की उपलब्धियां हमारे देश के प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी असीमित क्षमता का अहसास कराने और विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने को प्रेरित करेंगी। मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ इन पुरस्कार विजेताओं और दोनों फिल्मों की पूरी टीमों को बधाई देगी और उनके भावी प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देंगी।

जय हो।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 101, श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

लघु चाय उत्पादकों की समस्याएं

***101. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के औद्योगिक विकास में लघु चाय उत्पादकों की क्षमता का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन उत्पादकों द्वारा किये गये चाय उत्पादन का राज्य-वार और किस्म-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु चाय उत्पादकों को घटिया कृषि प्रणाली और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी सहित उत्पादन में और अपने उत्पाद के विपणन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लघु चाय उत्पादकों को बढ़ावा देने और उनके समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या योजनाएं/स्कीमें शुरू की गयी हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। चाय के लघु उत्पादकों का योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब देश में चाय के कुल उत्पादन में उनका हिस्सा लगभग 25% है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में लघु उत्पादकों द्वारा चाय उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े मि. कि.ग्रा. में)

वर्ष	लघु उत्पादक	बड़े उत्पादक	कुल
2005	231.29	714.68	945.97
2006	249.71	732.09	981.80
2007	237.00	707.68	944.68
2008 (अ)	245.20	735.62	980.82

अ-अनुमानित एवं संशोधन के अध्यधीन

लघु उत्पादकों की बड़ी संख्या मुख्यत: तमिलनाडु, असम एवं पश्चिम बंगाल में और कुछ सीमा तक हिमाचल प्रदेश, केरल व अन्य राज्यों में पाई जाती है। उत्पादन का प्रमुख हिस्सा तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल से आता है। लघु क्षेत्र द्वारा उत्पादित चाय मुख्यत: सीटीसी किस्म की होती है। लघु उत्पादकों के योगदान का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

भारत में चाय के लघु उत्पादक	संख्या	चाय के अंतर्गत क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन '000 कि.ग्रा.
1	2	3	4
असम	50795	80445	99511
पश्चिम बंगाल	8708	11094	60532
त्रिपुरा	1509	1956	535
अरुणाचल प्रदेश	36	108	162
मणिपुर	427	1200	47
सिक्किम	3	17	–
नागालैंड	1451	1800	141
मेघालय	38	112	–
मिजोरम	269	388	–
उत्तरांचल	70	746	156
हिमाचल प्रदेश	3695	1660	397
बिहार	980	1973	1087
उड़ीसा			
कुल उत्तर भारत	67981	101499	162568
तमिलनाडु	68147	47774	84990
केरल	5402	4762	1942
कर्नाटक	14	64	214
कुल दक्षिण भारत	73563	52600	87146
अखिल भारतीय	141544	154099	249714

(ग) लघु उत्पादकों के सम्मुख प्रमुख बाधाएं निम्नानुसार हैं:

(1) लघु उत्पादक अत्यंत असंगठित हैं, क्योंकि उनकी जोतें छोटी, विखंडित और दूर-दराज के क्षेत्रों में फैली हैं।

(2) उनमें से अधिकांश के पास भूमि के स्वामित्व संबंधी हक विलेख नहीं हैं, अत: वे चाय बोर्ड एवं बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की स्थिति में भी नहीं हैं।

(3) लघु उत्पादकों की जोतें दूर-दराज के क्षेत्रों में होने के कारण उन्हें कुल मिलाकर कृषि के बेहतर तरीकों का पता नहीं होता है और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं।

(4) हरी पत्ती की मात्रा कम होने के कारण अधिकांश उत्पादक हरी पत्ती की बिक्री हेतु बिचौलियों (पत्ती एजेन्टों) पर निर्भर रहते हैं।

(5) चूंकि उत्पादकों के पास स्वयं की प्रसंस्करण सुविधा नहीं होती है, अत: तोड़ी गई हरी पत्तियों को दूर-दराज के स्थानों पर स्थित निजी क्रीत पत्ती कारखानों तक ले जाना पड़ता है। परिवहन व्यवस्था खराब होने के कारण पत्तियां रास्ते में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे निर्मित चाय की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

(घ) लघु उत्पादकों की उपर्युक्त बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं जिनका उद्देश्य फार्म उत्पादकता एवं उनके उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना और उनके द्वारा किये गये निवेश से उन्हें समुचित आय सुनिश्चित करने के लिए बाजार पहुंच उपलब्ध कराना है।

उत्पादकों को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों को समुचित पत्ती संग्रहण प्रणाली की स्थापना, परिवहन व्यवस्था तथा गुणवत्ता युक्त चाय के प्रसंस्करण कारखानों के साथ समुचित भागीदारी व्यवस्थाएं करने में सुविधा प्रदान करने

के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। प्रत्येक स्व-सहायता समूह के लिए न्यूनतम 50 लघु उत्पादकों की सदस्यता एवं चाय का वह क्षेत्र जो 50 एकड़ (20 हेक्टेयर) से कम न हो, होना अपेक्षित है। स्व-सहायता समूहों को पत्ती संग्रहण केन्द्रों, भण्डारण गोदामों की स्थापना, पत्ती तौलने के माप यंत्रों, प्लास्टिक क्रेटों/पत्ती रखने के नाइलॉन निर्मित थैलों की खरीद हेतु 100% अनुदान दिया जाता है। परिवहन वाहन, लागत के 50% पर उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रत्येक स्व-सहायता समूह को उर्वरकों, कीटनाशियों, छिड़काव यंत्रों आदि जैसी कृषि निविष्टियों की लागत की पूर्ति हेतु 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अस्थायी निधि प्रदान की जाती है। प्रत्येक स्व-सहायता समूह से चयनित दो सदस्यों को चाय की खेती के आधुनिक पहलुओं के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनसे प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद स्व-सहायता समूह के अन्य सदस्यों को प्रशिक्षण देने और स्व-सहायता समूह के अधिकार क्षेत्र में आने वाले चाय क्षेत्र के प्रबंधन का कार्य देखने की अपेक्षा की जाती है। प्रशिक्षण शुल्क तथा आवास एवं भोजन की लागत की पूर्ति के अलावा प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण पूरा होने की तारीख से अगले छह माह तक 500 रुपये प्रतिमाह की दर से वजीफा दिया जाता है।

सरकार ने हाल ही में पूर्वोत्तर के लघु उत्पादकों के विकास हेतु 8 अतिरिक्त पदों को स्वीकृत किया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे विदेशी व्यापार का संबंध है, चाय एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध वस्तु है। हमारे लघु चाय उत्पादक लगभग 250 मिलियन कि.ग्रा. चाय उत्पादन करते हैं, जो देश के कुल चाय उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत है।

लघु चाय उत्पादकों के उत्पादन क्षेत्र में आ रही आर्थिक मूल्य की संभाव्यता के आकलन तथा इसके अवरोधों को दूर करने के लिए, जो इस क्षेत्र के समक्ष आ रही हैं, प्रौद्योगिकीय और वित्तीय संदर्भों में सरकार का हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है। लेकिन सरकार लघु चाय उत्पादकों की समस्याओं की ओर यथावश्यक ध्यान नहीं दे रही है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश के 2,50,000 लघु चाय उत्पादकों की समस्याओं के निपटान और कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार कौन सी उद्देश्यपरक व्यापक नीति अपना रही है; और क्या सरकार लघु चाय उत्पादकों के उत्पाद के लिए चाय अधिनियम, 1953 के उपबंध के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: अब, उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री जयराम रमेश: महोदय, सर्वप्रथम मैं इस धारणा को स्पष्टत: नकारना चाहता हूं कि सरकार लघु चाय उत्पादकों के लिए चिंतित नहीं है।

यदि माननीय सदस्य को याद हो, पिछले तीन वर्षों में मैं स्वयं लघु चाय उत्पादकों की चिंताओं पर ध्यान देने की बात करता रहा हूं क्योंकि जहां तक चाय उत्पादन का संबंध है। वे एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक घटक है।

आज, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं हमारा 25 प्रतिशत चाय उत्पादन लघु चाय उत्पादकों से आता है—चाय उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत नीलगिरी में, लगभग 25 प्रतिशत बंगाल में और लगभग 20 प्रतिशत असम में होता है। जहां तक छोटे चाय उत्पादकों का संबंध है, एक तो हमने टी बोर्ड के भाग के रूप में अलग से एक लघु चाय उत्पादक निदेशालय आरंभ किया है। ऐसा पहली बार हुआ है। हमारे पास लगभग आठ पेशेवर कर्मी हैं, जिन्हें नियुक्त किया जा रहा है, और जो लघु चाय उत्पादकों की समस्याओं को देखेंगे। दूसरे, 50 वर्षों में पहली बार लघु चाय उत्पादकों की समस्याओं के निराकरण के लिए हमने डिब्रूगढ़, असम में और जलपाईगुड़ी, बंगाल में टी बोर्ड कार्यालय आरंभ किया है।

तीसरी बात, हम उन लघु चाय उत्पादकों को राजसहायता दे रहे हैं। जो स्व-सहायता समूहों से संबद्ध है। हम 50 प्रतिशत परिवहन राजसहायता और चायपत्ती संग्रहण केन्द्रों के लिए शत-प्रतिशत राजसहायता देते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपने लिखित उत्तर में यह जानकारी दे दी है।

श्री जयराम रमेश: और, चौथी बात हम एक प्रसंस्करण तंत्र के विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं जो लघु चाय उत्पादकों के लिए संगत हो। ऐसा पहलां लघुस्तरीय चाय प्रसंस्करण कारखाना असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट के परिसर में आरंभ किया गया है।

जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध है। मैं संभवत: इसका स्पष्ट और विस्तृत उत्तर नहीं दे पाऊंगा। भारत सरकार लगभग 24 कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। जहां तक हरी पत्ती का संबंध है तो इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग होती रही है। भारत सरकार इस मामले की जांच कर रही है। मैं इसका स्पष्ट और विस्तृत उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक टी बोर्ड का संबंध है, लघु चाय उत्पादकों के हित सर्वोपरि हैं और उनके कहने के विपरीत हमने बहुत विशिष्ट कदम उठाकर इस चिंता को दर्शाया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध है, मंत्री महोदय का उत्तर स्पष्ट नहीं है, लेकिन चाय अधिनियम, 1953 के उपबंधों के अंतर्गत, यह प्रावधान है कि सरकार, टी बोर्ड लघु चाय उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करें। मैं यह जानना चाहता हूं क्या सरकार भी चाय उद्योग की 50 प्रतिशत सामाजिक अवसंरचना लागत वहन करने पर विचार कर रही है, जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और इस प्रकार विश्व बाजार में भारतीय चाय अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगी। यदि हो, तो इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा?

श्री जयराम रमेश: दूसरा अनुपूरक प्रश्न चाय उत्पादन के व्यापक मुद्दे से संबंधित है। टी बोर्ड ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि सामाजिक अवसंरचना की 50 प्रतिशत लागत भारत सरकार द्वारा और बाकी 50 प्रतिशत चाय बागान मालिकों द्वारा वहन की जानी चाहिए। हमने यह प्रस्ताव चाय की उत्पादन लागत कम करने और भारतीय चाय की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि यदि इसे कार्यान्वित किया जाता है, तो उत्पादन लागत में प्रति किलो में लगभग 6 टन से 8 रु. तक कमी आएगी। इससे भारतीय चाय के निर्यात में भी वृद्धि होगी। यह प्रस्ताव योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मुझे विश्वास है कि यूपीए सरकार के वापस सत्ता में आते ही यह कार्यान्वित हो जाएगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: वह अभी सत्ता में नहीं है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मंत्री जी के उत्तर से, यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां छोटे चाय उत्पादक बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में भी भारी मात्रा में चाय की खेती हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से छोटे चाय उत्पादक निधियों तक आसान पहुंच, यंत्रीकरण के सरलीकरण और बागान क्रेडिट कार्ड हेतु चाय की पत्ती का न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, इसके अलावा, मैं प्रश्न मुख्य बिन्दू से हटकर कुछ कहना चाहूंगा। हमारे मंत्री चाय क्षेत्र के विकास पर जोर दे रहे हैं और हम भी इसके विकास की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर चौधरी: जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, वहां चाय के बागानों में काम करने वाले कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वे भीषण तंगी का सामना कर रहे हैं। चाय बागानों में भूखमरी की खबर भी मिली है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या किसी चाय बागान में चाय अधिनियम, 1953 के अनुच्छेद 16ई को लागू किया गया है। यदि हां, तो यह कितने चाय बागानों में लागू किया गया है और चाय अधिनियम के अनुच्छेद 16ई को लागू करने के क्या परिणाम निकले?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है और यह चर्चा का समय नहीं है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं।

श्री जयराम रमेश: माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला, जहां तक छोटे चाय उत्पादकों का संबंध है, हमारे पास 65 : 35 का फार्मूला है, अर्थात् 65 प्रतिशत मूल्य चाय उत्पादकों को और 35 प्रतिशत उन बस्तियों में खरीदने वाली फैक्टरियों को प्राप्त होगा, यह फार्मूला हम टी बोर्ड के माध्यम से लागू करेंगे। इसे दक्षिणी भारत में लागू किया गया है। परंतु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि असम और पश्चिम बंगाल में इसे उचित ढंग से लागू नहीं किया गया। हम यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि दक्षिण भारत के समान यहां भी यह फार्मूला उचित ढंग से लागू किया जाए।

महोदय, माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न नि:सन्देह एक बड़ा प्रश्न है ...*(व्यवधान)* मैं इसका उत्तर इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल, द्वारस, तेराई और दार्जिलिंग क्षेत्र में लगभग 302 चाय बागान हैं। इनमें से केवल 12 बागान बंद हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि 302 चाय बागानों में से केवल 12 बंद हैं। निश्चय ही यह चिंता का विषय है क्योंकि इसमें वहां काम करने वाले लोग शामिल हैं। इन 12 चाय बागानों में वहां काम करने वाले लगभग 17,000 मजदूरों और उनके परिवार शामिल हैं। बंद चाय बागानों को पुन: खोलने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। असम में हमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। वहां बंद दोनों चाय बागानों को पुन: खोल दिया गया है। केरल में हमने 17 में से 12 को पुन: चालू कर दिया है। दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल में हमें सफलता नहीं मिल पाई है। 14 चाय बागानों में से हम केवल 2 को ही खोल पाए हैं और बाकी 12 बंद पड़े हैं। हमने चाय अधिनियम की धारा 16(ई) को लागू किया है। सभी हठी चाय बागान मालिकों की लीज रद्द कर दी गई है। हम नए मालिकों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मुझे डर है कि पश्चिम बंगाल के चाय बागान मालिक अत्यंत उद्यमशील हैं और वह कोलकाता उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए होंगे। हम न्यायालय की कोई अवमानना नहीं करना चाहते, परंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में बंद पड़े प्रत्येक चाय बागान का मामला न्यायालय में है और जब तक न्यायालय हमें इस मामले में आगे कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देता तब तक चाय बोर्ड और भारत सरकार कुछ नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय: शायद चाय उत्पादन से अधिक उन्हें याचिका संबंधी जानकारी है।

श्री दुष्यंत सिंह। क्या राजस्थान में भी कोई चाय बागान है?

श्री दुष्यंत सिंह: महोदय, मेरे पास कोलकाता की सुनहरी यादें हैं।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हरी पत्तियों वाली चाय का मूल्य 13 रु. प्रति किलोग्राम से लेकर 14 रु. प्रति किलोग्राम तक है। जैसाकि उन्होंने अपने उत्तर में बताया जोत क्षेत्र विखंडित है। क्या सरकार उचित मूल्य का पता लगाने हेतु कोई नीति तैयार कर रही है। यदि हां, तो क्या हम श्रीलंका और अन्य स्थानों के समान हरी पत्ती वाली चाय की नीलामी करने की प्रथा आरंभ नहीं कर सकते, जिससे वीआरओएम प्रणाली को मदद मिलेगी और चाय उत्पादकों को समय पर भुगतान हो पाएगा तथा उन्हें मदद मिलेगी। आप सुबह और शाम नीलामी कर सकते हैं। क्या सरकार नीलामी करने का प्रयास कर रही है और क्या वह उचित मूल्य का पता लगाने संबंधी तंत्र के बारे में कुछ कर रही है।

श्री जयराम रमेश: महोदय, माननीय सदस्य को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि चाय की इलेक्ट्रिानिक माध्यम से नीलामी के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई है। हमने इलेक्ट्रानिक माध्यम से इलायची और तम्बाकू की नीलामी पहले ही शुरू कर दी है। इसमें उत्पादकों को बेहतर और उचित मूल्य मिला है।

हमने चाय के लिए इलेक्ट्रानिक नीलामी शुरू की है। पुरानी पद्धति से भारत में उत्पादित 980 मिलियन किलोग्राम चाय में लगभग 540 मिलियन किलोग्राम चाय की नीलामी हो पाती है। हमारा पहला उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आज परम्परागत तरीके से जितनी चाय की नीलामी की जाती है, उसे इलेक्ट्रानिक नीलामी प्रणाली द्वारा किया जाए। पिछले कुछ समय से, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जितनी भी चाय बाजार में आती है, उसका प्राथमिक विपणन इलेक्ट्रानिक नीलामी द्वारा किया जाए। श्रीलंका और केन्या भारत द्वारा शुरू की गई इस प्रणाली पर नजर गढाए बैठे हैं। यह परियोजना अभी कुछ हफ्ते पहले ही प्रारंभ की गई है। मुझे पक्का विश्वास है कि इस वर्ष के अंत तक, हमें इसके अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे और भारतीय चाय का भारी मात्रा में विपणन इलेक्ट्रानिक नीलामी द्वारा हो सकेगा, जिससे चाय उत्पादकों और उनके परिवारों को मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री एन.एन. कृष्णदास अंतिम प्रश्न पूछेंगे।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, केरल में बहुत लघु और सीमांत चाय उत्पादकों ने चाय बोर्ड की सहायता से गैर-परंपरागत क्षेत्रों में भी कृषि क्षेत्र का विस्तार कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिए और उसका उत्तर भी संक्षिप्त होना चाहिए। आप लम्बी बातचीत नहीं कर सकते।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मैं अपना प्रश्न बना रहा हूं।

उन विशेष क्षेत्रों में, आदिवासी भी चाय की खेती में लगे हुए हैं। वे चाय प्रसंस्करण इकाइयों के अभाव जैसी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चाय बोर्ड द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चाय की खेती कर रहे लघु उत्पादकों के लिए लघु चाय प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का किसी प्रकार का कोई प्रावधान है।

श्री जयराम रमेश: महोदय, मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। पहला लघु चाय प्रसंस्करण कारखाना जोरहाट में शुरू किया गया है, और मैंने वादा किया है कि दूसरा लघु चाय प्रसंस्करण कारखाना वायानाड, में स्थापित किया जाएगा। जो लघु, सीमांत और आदिवासी चाय उत्पादकों के लिए अच्छा क्षेत्र है। हमारी नीति यह सुनिश्चित करना है कि लघु चाय उत्पादकों की बोतल भरने वाले कारखानों पर निर्भरता कम हो और चाय उत्पादकों के स्वयं सहायता समूह इन लघु चाय प्रसंस्करण कारखानों के माध्यम से अपनी चाय का प्रसंस्करण कर सकें। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि इस वर्ष हम इन लघु चाय प्रसंस्करण कारखानों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय: आपके अनुसार असम अच्छा कार्य कर रहा है। अत:, मैं डा. अरुण कुमार शर्मा को एक अवसर दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके एकदम युवा और परिश्रमी सदस्य को अवसर दिया है।

...(व्यवधान)

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, वैश्विक चाय बाजार में भारत का प्रमुख स्थान है और केवल असम में लघु चाय उत्पादकों का 25% योगदान है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षिप्त प्रश्न पूछिए। भूमिका बनाने की कोई जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

डा. अरुण कुमार शर्मा: मैं केवल समस्याएं बता रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को सब पता है। अत: आप माननीय मंत्री जी से केवल प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

डा. अरुण कुमार शर्मा: मैं केवल समस्याओं पर प्रकाश डाल रहा हूं, विशेषकर, लघु चाय उत्पादकों का प्रशिक्षण। सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं। माननीय मंत्री ने काफी ध्यान दिया है और उन्होंने नीति बनाने के लिए पहल की है, लेकिन भूमि समस्या, ऋण समस्या, आदि के कारण असम में लाभार्थियों को अभी भी लाभ नहीं मिला है। वे इन मुद्दों को कैसे निपटा रहे हैं और लघु चाय उत्पादकों के इन मुद्दों को कैसे हल कर रहे हैं।

तीसरा, जहां तक स्थायी सदस्यता का संबंध है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप 'तीसरा' कैसे कह सकते हैं?

...(व्यवधान)

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, यह अंतिम प्रश्न है। लघु चाय उत्पादक समग्र चाय उत्पादक समुदाय का महत्वपूर्ण भाग है। उन्हें आवश्यकता है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

डा. अरुण कुमार शर्मा: मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। क्या वह चाय बोर्ड में स्थायी सदस्यता के बारे में विचार कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक प्रश्न पर पांच पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। मंत्री महोदय केवल पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री जयराम रमेश: महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त उत्तर दूंगा। हम असम, बंगाल और दक्षिण भारत के लघु चाय उत्पादकों के शिष्टमंडल श्रीलंका और केन्या जैसे देशों में यह देखने के लिए भेज रहे हैं कि वहां लघु चाय उत्पादक कैसे सफल रहे हैं। कुछ शिष्टमंडल पहले ही जा चुके हैं, और यह लगातार चलने वाली गतिविधि है।

दूसरा, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि पहली बार हमने डिब्रूगढ़ में एक चाय बोर्ड कार्यालय खोला है, तो जहां तक असम का संबंध है वह चाय उत्पादन का एक केन्द्र है और लघु चाय उत्पादकों का संसदीय क्षेत्र है, तथा डिब्रूगढ़ कार्यालय, लघु चाय उत्पादकों पर विशेष ध्यान देगा।

जहां तक चाय बोर्ड में प्रतिनिधित्व का संबंध है, हमने लघु चाय उत्पादक परिसंघ बनाया है और चाय बोर्ड में एक स्थायी विशेष आमंत्रिती नियुक्त किया है। यह संसद को अगले सत्र में निर्णय करना है कि क्या उन्हें चाय बोर्ड में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 102, श्री तथागत सत्पथी—उपस्थित नहीं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा—उपस्थित नहीं।

प्रश्न 103—श्री निखिल कुमार।

व्यापार नीति की समीक्षा

***103. श्री निखिल कुमार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के समक्ष किये गये वादों के मद्देनजर व्यापार नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने व्यापार नीति को परिणामोन्मुखी बनाने हेतु और कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) निरन्तर परिवर्तनशील घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से निपटने के उद्देश्य से सरकार द्वारा व्यापार नीति की समीक्षा करना एक अनवरत प्रक्रिया है। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2004-09 की घोषणा दिनांक 31 अगस्त, 2004 को की थी। विदेश व्यापार नीति में यथोचित संशोधन करने, सुधार करने और नई स्कीमों को लागू करने के उद्देश्य से इसका प्रति वर्ष अद्यतन किया जाता है।

निर्यातों के संबंध में वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान हासिल उपलब्धियां, जब निर्यात 85.53 बिलियन[1] अमरीकी डॉलर

[1] 375340 करोड़ रु. 1 अम. डॉलर = 44.93 रुपए

से बढ़कर 162.98 बिलियन[1] अमरीकी डॉलर हो गए थे, विदेश व्यापार नीति की कारगरता को प्रदर्शित करती हैं।

श्री निखिल कुमार: महोदय, मैं माननीय वाणिज्य मंत्री को बधाई देते हुए शुरू करता हूं, जो पिछले वर्ष अगस्त में जिनेवा में, विश्व व्यापार संगठन की वार्ता के अंतिम दौर में, दृढ़ता से खड़े रहे और अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुके। लेकिन इससे वार्ता में गतिरोध आ गया।

मैंने हमें दिए गए उत्तर में देखा है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि हमारी विदेश व्यापार नीति एक अनवरत प्रक्रिया है और जैसी भी स्थिति हो इसमें काट-छांट और बदलाव किया जाता रहेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री निखिल कुमार: क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर सकता हूं कि कृपया हमें बताएं कि रुकी हुई वार्ता पुन: कब शुरू होगी। मेरा मानना है कि वार्ता पिछले वर्ष अक्तूबर में शुरू हुई थी और दिसम्बर तक चली थी लेकिन उसके बाद एक बार पुन: गतिरोध आ गया है। वार्ता कब शुरू होगी? क्या इसका मतलब भारत का रवैया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 'व्यापार नीति' की समीक्षा से संबंधित है।

श्री जयराम रमेश: मेरे पास स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है ताकि मैं कह सकूं कि वार्ता पुन: कब शुरू होगी। दिसम्बर, 2008 में वार्ता/चर्चा हुई थी, लेकिन वार्ता की प्रक्रिया में केवल अमेरिका में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव होने से ही नहीं बल्कि विभिन्न कारणों से अन्तराल आ गया है। यह केवल किसी का अनुमान ही हो सकता है कि ये वार्ताएं कब प्रारंभ होंगी। लेकिन जब भी वह शुरू होती हैं, कृषि संबंधी समझौते के बारे में, भारत की स्थिति एकदम स्पष्ट है। हमारी स्थिति बार-बार बताई गई है कि भारी राजसहायता कटौती और व्यापार को प्रभावित करने वाली राजसहायता में कटौती की जानी आवश्यक है, और यह यूरोपीय संघ, जापान और अमेरिका द्वारा की जानी थी, तथा हमारे द्वारा विशेष और संवेदनशील कृषि उत्पादों को पर्याप्त संरक्षण की मांग की गई। सौदे की स्थिति में हम इससे नहीं हटेंगे।

श्री निखिल कुमार: उत्तर सुनना पुन: आश्वासन जैसा है, विशेषकर क्योंकि इसका अर्थ है कि हमारे किसानों को यथासंरक्षण दिया जाएगा। किंतु मेरे दूसरे प्रश्न का संबंध हमारे बाजार में चीन के सामान के पटने से है। मैं उस राज्य का हूं जहां ऐसे समान भरे पड़े हैं।

दूसरी बात जो हमारे ध्यान में आई है वह मलेशिया से पाम के तेल के आयात की है। क्या भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय चीन में निर्मित सामानों के भारी मात्रा में आने से हमारे उत्पादों पर पड़ रहे प्रभावों के बारे में विचार कर रहा है? वाणिज्य मंत्रालय इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहा है?

अध्यक्ष महोदय: वास्तव में यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयराम रमेश: यदि किसी देश से भारी मात्रा में सामानों का आयात होता है और इसका दुष्प्रभाव घरेलू उद्योग पर पड़ता है, तो हमें इसका मुकाबला करने हेतु हमारे पास कई तंत्र हैं। हमारे पास पाटन-रोधी शुल्क तंत्र तथा सुरक्षात्मक शुल्क तंत्र मौजूद हैं और इन दोनों तंत्रों का प्रयोग किया गया है।

विशेष रूप से चीन के मामले में माननीय सदस्य को पता है कि हाल ही में चीन से आयातित खिलौनों पर छह महीने की सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह उन बहुत सारे रसायनों के आयात पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाया गया है जिनके भारी मात्रा में चीन से आयात से घरेलू उद्योग को खतरा है।

मैं माननीय सदस्य को पुन: आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक निर्यात और उसके घरेलू उद्योग पर प्रभाव की बात है। यह किसी भी सरकार के लिए निरंतर चिंता का विषय होता है। इससे निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त तंत्र मौजूद है जिससे घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा समुचित रूप से हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय: अगला अनुपूरक प्रश्न श्री रूपचंद पाल द्वारा पूछा जाना है। कृपया विशिष्ट प्रश्न पूछें।

श्री रूपचंद पाल: जी हां, महोदय, हमारे अधिकांश परंपरागत निर्यात वाले स्थानों में अमरीका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान और अन्य सहित पश्चिम के अन्य देश शामिल हैं और लगभग इनमें से सभी वैश्विक आर्थिक मंदी से गंभीर रूप से ग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में हाल के अमरीकी प्रशासन के संरक्षणवादी आह्वान के कारण अधिक जटिलता उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि निर्यात के नए स्थानों को खोजने के लिए क्या कोई आक्रामक आर्थिक कूटनीति अपनाई जा रही है? उदाहरणार्थ क्या हम लैटिन अमरीका और कुछ एशियाई देशों के बारे में विचार कर रहे हैं जो वैश्विक आर्थिक मंदी से कम प्रभावित हैं? सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 'व्यापार नीति की समीक्षा' पर है।

[1] 655864 करोड़ रु. 1 अम. डॉलर = 40.24 रुपए

श्री जयराम रमेश: व्यापार की तलाश एक अनवरत प्रक्रिया है, चाहे यह अफ्रीका या लैटिन अमरीका हो किंतु हमें मानना पड़ेगा कि यूरोपीय बाजार या अमरीकी बाजार हमारे श्रम आधारित उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और यह उम्मीद करना काल्पनिक है कि इन बड़े बाजारों में निर्यात की कमी की पूर्ति गैर-परंपरागत बाजारों में निर्यात से होगी। हमें गैर-परंपरागत बाजारों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और हमें लैटिन अमरीका और अफ्रीका पर ध्यान देना चाहिए, जिन पर हम ध्यान दे रहे हैं लेकिन साथ ही हमें यह भी मानना होगा कि पश्चिमी यूरोप, जापान और संयुक्त राज्य अमरीका के ये बाजार हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

यह सच है कि इस वर्ष की मंदी ने पहले ही हमारे निर्यात को प्रभावित किया है। 2008-09 में हमारा कुल निर्यात 170 बिलियन डालर होने जा रहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका उल्लेख आपके उत्तर में पहले से ही है।

श्री जयराम रमेश: आरंभ में हमारा लक्ष्य लगभग 200 बिलियन डॉलर था और हम इसे प्राप्त नहीं कर पाए। इसका प्रमुख कारण उत्तरी अमरीका और पश्चिमी यूरोप में मंदी की स्थितियां हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 104, श्री सुग्रीव सिंह—उपस्थित नहीं।

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील—उपस्थित नहीं।

प्रश्न 105 श्री एकनाथ महादेव गायकवाड।

निधियों का उपयोग न करना

+

***105. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या सरकार ने पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत जारी की गयी निधियों का अधिकांश हिस्सा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अप्रयुक्त रह जाता है जैसाकि 27 जनवरी, 2009 के 'द मिंट' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। गृह मंत्रालय अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने संबंधी राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण नामक एक योजनेत्तर स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत शामिल की गई कुछ मुख्य मदों में आधुनिक हथियार, आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों का निर्माण, आवाजाही, संचार/सुरक्षा/विधि विज्ञान संबंधी उपकरण, खुफिया शाखाओं का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण ढांचा/सुविधाएं आदि हैं। राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं को सूत्रबद्ध करना होता है, जिस पर गृह मंत्रालय विचार एवं अनुमोदन करती है और इस योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियां निर्गत की जाती हैं।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को 2000-01 से 2006-07 तक निर्गत की गयी वर्षवार कुल निधि और उससे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्गत की गई निधि	राज्यों द्वारा किया गया उपयोग	उपयोग का प्रतिशत	अप्रयुक्त शेष
1	2	3	4	5	6
1.	2000-01	1000.00	1000.00	100%	0
2.	2001-02	1000.00	999.98	99.99%	0.02

1	2	3	4	5	6
3.	2002-03	695.00	695.00	100%	0
4.	2003-04	705.27	703.14	99.69%	2.13
5.	2004-05	960.00	957.80	99.77%	2.20
6.	2005-06	1025.00	1014.40	98.97%	10.60
7.	2006-07	1065.22	965.70	90.66%	99.52

2007-08 के दौरान राज्य सरकारों को 1248.70 करोड़ रुपए निर्गत किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2007-08 में निर्गत की गई निधि से संबंधित उपयोग प्रमाणपत्र 1.4.09 को देय होगा।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर में दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि निधि का उपयोग 90.66% से 100% के बीच है।

(घ) पिछले वर्ष के दौरान निर्गत की गई निधियों के सही एवं समय पर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, क्योंकि आगामी वर्षों में निधियां राज्यों से प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर निर्गत की जाती हैं। यदि पूर्व वित्तीय वर्षों में कोई अप्रयुक्त शेष है तो उसे आगामी वर्षों में निधियां निर्गत करते समय समायोजित कर लिया जाता है। उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में तथा अपेक्षित परिणाम एवं प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए, वर्तमान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही से शुरू कर तिमाही आधार पर समवर्ती लेखा-परीक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। लेखा-परीक्षण के अवलोकनों को अगली तिमाहियों में राज्यों को निधियां निर्गत करने हेतु मार्गदर्शन के रूप में काम में लाया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय ने राज्यवार एक आधुनिकीकरण की योजना बनाई है जिससे राज्य के पुलिस बल आधुनिक हो सकते हैं। उनकी मदद के लिए बनाई गई इस योजना के तहत हर राज्य को धनराशि दी गई है। महोदय, वर्ष 2006-07 में करीब 100 करोड़ रुपये का खर्च नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों ने यह धनराशि खर्च नहीं की है और उसका ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, हम उपयोग की गणना प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर करते हैं। उपयोग प्रमाणपत्र को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 18 महीने के अंदर-अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। अत: ये प्रमाणपत्र समय पर आएंगे। इसलिए मैं नहीं मानता कि हम इस स्तर पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि क्या धन का व्यय हुआ है अथवा नहीं, संभवत: व्यय किया जा रहा है। यदि आप पिछले वर्षों पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि उपयोग 99 प्रतिशत से ज्यादा है। मैं आश्वस्त हूं कि 2006-07 के लिए भी जब उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि उपयोग 95 प्रतिशत के करीब होगा।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: महोदय, महाराष्ट्र सरकार के संबंध में जो अखबार में आया है कि पिछले वर्ष 2007-08 में 49 प्रतिशत ही खर्च हुआ है, क्या यह सच है? अगर खर्च नहीं हुआ है तो क्या उनको फिर से वह राशि देने का प्रावधान आप करेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मैं अखबार की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। महाराष्ट्र को धन आवंटित किया गया है। मेरे पास महाराष्ट्र को वर्ष 2000-01 से आवंटित धन का विवरण है लेकिन उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। महोदय, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पूरे देश के लिए यह 99 प्रतिशत तक है। यदि किसी राज्य विशेष में कमी होती है तो इसका समायोजन नए आवंटन से होगा। धन बिना खर्च हुए नहीं रह सकता या इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए खर्च नहीं किया जाता है। या तो उन्हें हमें उपयोग प्रमाणपत्र देना होता है या इसका समायोजन अगले वर्ष के लिए होगा।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती निवेदिता माने—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुम्बई में हमला होने के बाद न केवल मुम्बई और महाराष्ट्र में पुलिस बल को

बल्कि पूरे देश में पुलिस बल को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में आर्मी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है और इंदौर में बीएसएफ द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, क्या उस प्रकार की ट्रेनिंग देने की आपकी कोई योजना है? महाराष्ट्र सरकार ने आपसे जो 9 एम.एम. राइफल्स मांगी थी, वे अभी तक उन्हें नहीं मिली हैं। हमला होने के इतने दिनों बाद तक वह नहीं मिलीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न निधियों के उपयोग न करने से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: मैं यूटिलाइजेशन के संबंध में ही बोलना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, माननीय सदस्य को पता है कि मैंने हाल ही में महाराष्ट्र का दौरा किया है। मैंने महाराष्ट्र में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की है। मैंने उनकी आवश्यकताओं की भी समीक्षा की है। हम उनकी प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने पर सहमत हैं। जिन हथियारों की उन्हें आवश्यकता है, उसकी सूची उन्होंने दी है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना को इसमें शामिल किया गया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे 2009-10 की आवश्यकताओं का ब्यौरा इस महीने के अंत तक दें। राज्य की सभी योजनाओं को मार्च की समाप्ति से पूर्व निपटाया जाएगा। ताकि खर्च पहली अप्रैल से शुरू हो सके। मेरे विचार से महाराष्ट्र सरकार हमारे उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट है। महाराष्ट्र में जो मैंने बैठक की थी उसमें प्रशिक्षण और हथियार दोनों मुद्दों का समाधान कर लिया गया है। इन सबको रिकार्ड कर लिया गया तथा कार्यवृत्त महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया है। जिस पर हम सहमत हुए हैं उसका क्रियान्वयन हम करेंगे।

श्री मोहन रावले: आपने हथियार नहीं भेजा है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं?

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गुजरात के कच्छ जिले में पाकिस्तान की सीमा से लगता लंबा समुद्र तट है और जमीनी सीमा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभिकरण के लोग हमारे मछुआरों की नावों को जबर्दस्ती उठा ले जाते हैं। उन्होंने भारी संख्या में मछुआरों को पकड़ा है। इसलिए गुजरात सरकार ने नए तटवर्ती थाना बनाने तथा उसके आधुनिकीकरण की मांग की है। महोदय, किंतु इस लंबे समय की मांग पर भारत सरकार का उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं रहा है। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि नए तटवर्ती थाना बनाने और उनके आधुनिकीकरण की मांग को स्वीकार किया जाएगा या नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम: तटवर्ती पुलिस योजना के अंतर्गत राज्यों को धन आवंटित किये जाते हैं जिसमें गुजरात भी शामिल है। निस्संदेह रूप से अब मुंबई हमले के बाद हमने तटवर्ती कमान बनाने का फैसला किया है जिसका तात्पर्य है कि गहरे पानी में रक्षा का कार्य नौसेना, प्रादेशिक सीमाओं की रक्षा तटरक्षक बल तथा तट की रक्षा राज्य पुलिस करेगी। तटीय कमान की अवधारणा लगभग तय है। मेरे विचार में यह अनुमोदन के अंतिम चरण में है। गुजरात की तटवर्ती पुलिस की आवश्यकता पर तटवर्तीय पुलिस योजना के अंतर्गत विचार किया जाएगा। इस मामले पर मुझे गुजरात से कोई शिकायत नहीं मिली है।

[हिन्दी]

परित्यक्त खानें

***106. श्री रामदास आठवले: क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परित्यक्त खानों को पुन: प्रयोज्य बनाने के संबंध में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी परित्यक्त खानों को पुन: प्रयोज्य बनाया गया/पुनर्वासित किया गया है;

(घ) पुन: प्रयोज्य बनाने के लिए कितने खान स्थलों की पहचान की गई है; और

(ङ) सरकार इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में, खान में आर्थिक रूप से व्यवहार्य खनन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद

वैज्ञानिक तरीके से खान बंदी प्रतिपादित की गई है। नीति में आगे खनित क्षेत्र के पुनरुद्धार तथा पेड़-पौधे लगाने के बारे में भी कहा गया है। नीति में पुराने प्रयोग में नहीं आने वाले खनन स्थलों का पुनरुद्धार करने की भी व्यवस्था है। अप्रैल, 2003 से खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली, 1988 में यह व्यवस्था है कि खनन पट्टा धारक अनुमोदित अंतिम खान बंदी योजना के अनुसार अपनी खानों को परित्यक्त अथवा बंद करेगा।

(ग) से (ङ) अप्रैल, 2003 से पूर्व परित्यक्त 297 खान स्थलों की पहचान की गई है। इनमें से कुल 106 परित्यक्त खान स्थल पुनरुद्धार के लिए छांटे गये थे। पिछले तीन वर्षों (2006-08) में इन 106 खान स्थलों में से 16 खान स्थल अब पुन: प्रचालन योग्य हैं। परित्यक्त खान स्थलों का पुनरुद्धार नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार है।

अध्यक्ष महोदय: भाषण मत दीजिएगा, प्रश्न पूछना है।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में, खान में आर्थिक रूप से व्यवहार्य खनन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वैज्ञानिक तरीके से खान बंदी प्रतिपादित की गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उत्तर मत पढ़िए।

[हिन्दी]

उत्तर तो इसमें दिया गया है।

[अनुवाद]

पूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अप्रैल, 2003 से पूर्व परित्यक्त 297 खान स्थलों की पहचान की गई है, उसमें से महाराष्ट्र की कितनी हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आपको जानकारी है? वह आपको जानकारी दे देंगे।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला: महोदय, मेरे पास आज की सूची में महाराष्ट्र में कोई खान बंद होने के बारे में आईबीएम ने कोई इत्तला नहीं दी है, अन्य राज्यों के बारे में दी है। माननीय सदस्य यदि चाहेंगे तो मैं उन्हें जानकारी मंगवाकर भिजवा दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह महाराष्ट्र के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री आठवले जी, क्या आपको कोई और पूरक प्रश्न पूछना है? मुझे ऐसा नहीं लगता।

श्री रामदास आठवले: नहीं महोदय।

श्री डी.पी. यादव जी।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, राजस्थान की डीग और कौमा तहसील में पांच हजार वर्षों से ब्रजमण्डल का पर्वत स्थित है। लेकिन वहां इल लीगल माइनिंग चल रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: 5000 वर्षों से।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, यह पांच हजार वर्ष पुराना धार्मिक कृष्ण लीला स्थल है। यहां लगातार चोरी छिपे डाइनामाइट के माध्यम से इलिगल माइनिंग हो रही है। सरकार ऐसी जगहों पर जहां के लिए पट्टा भी नहीं दिया गया है अथवा वहां माइनिंग की इजाजत भी नहीं दी गई है, वहां इलिगल माइनिंग को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

श्री शीश राम ओला: अध्यक्ष महोदय, यह दायित्व राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार उस पर नियंत्रण रखती है। इस पर भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने इस प्रश्न से हटकर बात पूछी है तो मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि राज्य सरकार से जानकारी लेकर आपको दे दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगले चुनाव से पहले।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 107, श्री पी.सी. थॉमस—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 108, श्री आनंदराव विठोबा अडसूल।

माध्यमिक विद्यालय स्तर पर प्रवेश दर में वृद्धि करना

***108. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों में विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा सुलभ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किये जाने की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा पूरे देश में माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने वालों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) प्रासंगिक वर्षों हेतु चुनिंदा शैक्षिक आंकड़े में शामिल आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 हेतु कक्षा-8 से 9 में प्रवेश लेने की दर क्रमश: 88.5%, 88.5% तथा 86.4% थी। कक्षा-8 से 9 में प्रवेश लेने के राज्यवार आंकड़े संलग्न अनुबंध में दिये गये हैं।

(ग) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने जनवरी, 2009 में अनुमोदित कर दिया है।

(घ) देश भर में स्थित माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश दर में वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किये गये उपायों में कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

(1) माध्यमिक शिक्षा हेतु 10वीं योजनावधि के दौरान 4325 करोड़ रु. के आवंटन में वृद्धि करके इसे 11वीं योजनावधि के दौरान 53550 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(2) "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत नए माध्यमिक विद्यालय खोलने, मौजूदा माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण और अतिरिक्त नामांकन की आवश्यकता को पूरा करने का प्रावधान है।

(3) वर्ष 2008-09 के दौरान देश के प्रत्येक ब्लॉक में उत्कृष्टता संभाव्य विद्यालयों के रूप में एक-एक उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल विद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनार्थ एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारंभ की गई है।

(4) वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग 3500 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका छात्रावास स्थापित करने हेतु एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारंभ की गई है।

(5) कक्षा-9 के विद्यार्थियों को 6000 रु. प्रति वर्ष की दर से एक लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु वर्ष 2008-09 के दौरान एक राष्ट्रीय योग्यता-व-साधन छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है।

(6) कक्षा-9 में प्रवेश लेने वाली विशेषत: अनु.जा. तथा अनु.ज.जा. बालिकाओं हेतु एक कालिक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वर्ष 2008-09 के दौरान "माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना" प्रारंभ की गई है।

(7) "विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा" नामक योजना के तहत विकलांग बच्चों को नियमित विद्यालयों में शामिल करके उन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

(8) "विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का आशय देश में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी आधारभूत सुविधाएं तथा संसाधन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था करना है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके।

अनुबंध

कक्षा 8 से कक्षा 9 में प्रवेश लेने की दर

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	94.20	95.10	93.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	79.90	92.10	92.60
3.	असम	100.90	88.30	89.60
4.	बिहार	81.00	85.40	78.90
5.	छत्तीसगढ़	61.80	62.70	52.60
6.	गोवा	82.80	85.70	83.60
7.	गुजरात	83.40	89.40	83.90
8.	हरियाणा	69.90	70.30	66.70
9.	हिमाचल प्रदेश	75.60	124.20	123.30
10.	जम्मू-कश्मीर	67.20	82.10	83.10
11.	झारखण्ड	88.50	74.90	75.70
12.	कर्नाटक	85.40	93.60	86.40
13.	केरल	97.70	97.90	98.80
14.	मध्य प्रदेश	65.30	67.60	63.10
15.	महाराष्ट्र	88.70	91.30	89.80
16.	मणिपुर	92.50	91.70	91.60
17.	मेघालय	72.90	88.40	75.10
18.	मिजोरम	85.60	88.90	82.70
19.	नागालैण्ड	73.80	66.80	71.10
20.	उड़ीसा	99.00	100.00	98.70
21.	पंजाब	86.90	89.50	86.40
22.	राजस्थान	82.30	78.30	73.20
23.	सिक्किम	64.70	76.50	76.20
24.	तमिलनाडु	92.60	96.30	91.50
25.	त्रिपुरा	112.10	104.50	109.20

1	2	3	4	5
26.	उत्तर प्रदेश	101.80	98.00	98.10
27.	उत्तराखण्ड	96.70	93.70	99.80
28.	पश्चिम बंगाल	94.00	76.50	84.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	96.90	101.80	97.50
30.	चंडीगढ़	92.90	97.40	105.90
31.	दादरा और नगर हवेली	76.20	89.10	77.40
32.	दमन और दीव	81.40	93.30	81.40
33.	दिल्ली	94.80	94.50	105.70
34.	लक्षद्वीप	92.80	96.50	94.90
35.	पुडुचेरी	98.40	101.00	103.00
	भारत	88.50	88.50	86.40

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केन्द्रीय विधान के बावजूद भारत में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और उस तक पहुंच के मूल प्रश्न का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। माध्यमिक शिक्षा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश बच्चों और युवाओं की पहुंच से अभी भी बाहर है और अ.जा./अ.ज.जा. की 10 प्रतिशत से भी कम बालिकाएं बारहवीं कक्षा तक पहुंच पाती हैं। हमेशा यह कहा जाता है कि 'शिक्षा' राज्य का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब तक राज्यों और केन्द्र के बीच समन्वय नहीं होगा हम कैसे कोई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए, कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों, विशेषकर इन जातियों की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा मिल सके, क्या कदम उठाए हैं? जब उन्हें माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, इसका कोई लाभ नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, कई मेजर्स उठाये जा रहे हैं, आने वाले दिनों में सेकेंड्री एजुकेशन में काफी बच्चे क्लासों में जा पाएंगे। उसमें सबसे बड़ा कदम उठाने का भारत सरकार ने जो फैसला किया है, वह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। जिसके तहत तकरीबन राज्यों में 44 हजार एगजिस्टिंग स्कूल्स हैं, उनमें जो भी मदद है, वह दी जाएगी। उसके अलावा 11,188 नये सैकेंड्री स्कूल खोले जाएंगे, जिसके अंदर तकरीबन 1.7 लाख एडिशनल टीचर्स एपाइंट किये जाएंगे और 88,500 एडिशनल क्लास रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा हमारी जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लड़कियां होंगी, उनके लिए नेशनल स्कीम फोर इंसेटिव प्रोग्राम्स, सैकेंट्री एजुकेशन का इंतजाम किया गया है। आपने जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कहा, सन् 2005-06 में नौवीं से दसवीं क्लास के अंदर, उस एज ग्रुप के बच्चों की जो इनवाल्वमेंट है, वह 52.26 परसेंट है, जहां शेड्यूल्ड कास्ट 48.11 परसेंट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज 38.95 परसेंट हैं। इसके साथ ही जो एससी, एसटी की लड़कियां हैं, जब वे क्लास नौ में जाएंगी तो उनके एकाउंट में 3000 रुपये डाले जाएंगे और जब वे 18 साल की होंगी तो वह पैसा उन्हें मिल जाएगा। यह रुपया एससी, एसटी के लिए खास तौर से रखा गया है। अब जो स्कूल खुलेंगे, आपको जो 11,800 स्कूलों के बारे में बताया है, उसके अंदर खास ध्यान रखा जाएगा कि जो एससी, एसटी और माइनोरिटीस के इलाके हैं, जहां उनकी आबादी ज्यादा है और उनके बीच में स्कूल नहीं है, उनके लिए कोशिश की जाएगी कि उनके बीच में स्कूल खोले जाएं ताकि वे बच्चे स्कूल तक जा सकें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि सरकार ने कई अच्छे कदम उठाए हैं पर अभी तक यह मुद्दा सामने है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की 10 प्रतिशत से भी कम बालिकाएं ही माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। आज आप जो भी प्रोत्साहन दे रहे हैं उनसे भविष्य में इन समस्याओं का समाधान होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने, विशेषरूप से महाराष्ट्र में कक्षा 8 और कक्षा 12 में सामान्य दाखिला अनुपात प्राप्त करने और लिंग, सामाजिक आर्थिक और अपंगता संबंधी भेदभावों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, अभी जो पूरे देश के अंदर 56.26 परसेंट इन्वाल्वमेंट है, जिस एज ग्रुप में बच्चों को स्कूल जाना है, हमारा जो टारगेट है कि इसे बढ़ा कर पांच साल के अंदर 75 परसेंट तक ले जाएं, यह सन् 2017 तक सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सल एक्सेस हो जाएगा। सन् 2020 तक सभी बच्चे स्कूलों के अंदर रिटेन हों, इसका पूरा पुख्ता इंतजाम हम लोग करेंगे।

महोदय, इसमें आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मे एनाउंस किया है कि हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल खोला जाएगा, जिसमें बच्चों को क्वालिटी एजूकेशन मिल पाएगी। इसके अलावा और भी कई स्कूल्स हैं, जिनके तहत हम लोग सैकेंड्री एजूकेशन को मजबूत करेंगे और उसमें महाराष्ट्र स्टेट हो या कोई भी राज्य हो, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, उसकी मदद की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव—उपस्थित नहीं।

श्री चरणजीत सिंह अटवाल: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस क्वैश्चन पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस प्रश्न के बारे में मिनिस्टर साहब का जो जवाब आया है, मैंने उसे पढ़ा है। उसमें यूनीवर्सलाइजेशन ऑफ सैकेंड्री एजूकेशन की बात कही गई है। उन्होंने हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने का ऐलान किया है। मैं उनसे आपके जरिये जानना चाहूंगा कि क्या उसमें, उन गांवों के सरकारी स्कूलों के बच्चे, जहां न टीचर हैं, न बिल्डिंगें हैं और न कोई और चीज है, उन्हें भर्ती किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहां पंजाबी में एक कहावत है–"भीगी तब जब सांस न आया"। जब हमारे गांवों के स्कूलों के बच्चे प्राइमरी भी नहीं करेंगे, तो कैसे भर्ती होंगे? आप मॉडल स्कूल खोल रहे हैं, उनमें कंपीटीशन होता है और कंपीटीशन से ही दाखिल करते हैं। गांवों के स्कूलों के बच्चों को मॉडल स्कूलों में दाखिल करने के लिए आप कौन-सा तरीका अपनाएंगे?

महोदय, इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल यह है कि देश में एक तो स्टेट एजूकेशन बोर्ड है, दूसरा सी.बी.एस.ई. बोर्ड है। इन दोनों के सिलेबस में अन्तर है। इस प्रकार देखें, तो देश में जितने एजूकेशन बोर्ड हैं, चाहे स्टेट एजूकेशन बोर्ड, चाहे सी.बी.एस.ई. है या जो अन्य हैं, उनके सिलेबस अलग-अलग हैं। क्या आप इन एजूकेशन बोर्डों का सिलेबस एक किए बग़ैर, उन बच्चों को, जो स्टेट एजूकेशन बोर्ड से आते हैं, उन्हें दाखिल करेंगे, क्योंकि उनकी ड्रॉप आउट रेट बहुत होती है। कई स्टेट ऐसी हैं। हमारी स्टेट में तो 50 परसेंट ड्राप आउट रेट है और किसी-किसी स्टेट में तो 89 परसेंट तक ड्रॉप आउट रेट चला गया है। क्या आप वहां एक सिलेबस कर सकेंगे, ताकि गरीब लोगों के बच्चे भी उन मॉडल स्कूलों में भी दाखिल हो सकें?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजूकेशन का सवाल है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: स्टेट सब्जैक्ट है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: नहीं सर। सर्वशिक्षा अभियान इस चीज को बहुत ही मजबूती से देख रहा है और पूरे हिन्दुस्तान के अंदर यह बहुत कामयाबी से चलाया जा रहा है।

श्री चरणजीत सिंह अटवाल: महोदय, मैंने गरीब बच्चों की एजूकेशन के बारे में पूछा है। मेरी शंका सिर्फ इतनी है कि यदि मॉडल स्कूलों में भी कंपीटीशन से बच्चों को दाखिल करेंगे, तो अमीर लोगों के बच्चे तो कंपीटीशन में आ जाएंगे, लेकिन गरीब लोगों के बच्चे कंपीटीशन में कैसे आएंगे?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, मैंने बताया कि बच्चे फ्री पढ़ेंगे और वह भी वन किलोमीटर के अंदर के स्कूल होंगे।

सर, जो बच्चे सर्वशिक्षा अभियान के जरिये स्कूलों में जाते हैं, उसमें उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता और हम लोग 100 परसेंट आबादी में विदिन वन किलोमीटर प्राइमरी स्कूल उपलब्ध करा देंगे। दो परसेंट एरिया अभी ऐसा बचा है, जहां पर ये स्कूल नहीं हैं और दो किलोमीटर की दूरी पर अपर प्राइमरी स्कूल उपलब्ध कराया जाएगा।

महोदय, मॉडल स्कूलों में जो बच्चे जाएंगे, उसके लिए ब्लॉक लेवल पर कंपीटीशन होगा और उस कंपीटीशन में उसी गांव के बच्चे बैठेंगे, जो उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनका वहां सिलैक्शन होगा। इस प्रकार जो गरीब बच्चे होंगे, वे वहां जा सकेंगे। 6000 ब्लॉक्स के अंदर ये स्कूल खोले जा रहे हैं, कोई एक-दो स्कूल नहीं खुल रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक मॉडल स्कूल खोला जाएगा।

महोदय, जहां तक सवाल पैदा होता है सी.बी.एस.ई. बोर्ड का, यह हम लोगों के अधीन आता है और जो स्टेट हैं, उनके अपने बोड्र्स हैं। अगर वे सी.बी.एस.ई. बोर्ड के बराबर चलना चाहते हैं या सी.बी.एस.ई. बोर्ड से मदद लेना चाहते हैं, तो वे लोग ऐसा कर सकते हैं। हम उन्हें पूरी मदद देने को तैयार हैं। स्टेट्स अपने बोर्ड चलाने के लिए इंडिपेंडेंट हैं।

महोदय, जहां तक सवाल नेशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क का है, उसके अंदर ही इन बोड्र्स को काम करना है और चलना है। इसलिए यदि कोई एजूकेशन बोर्ड अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहे, तो हमसे मदद लें, हम लोग हमेशा तैयार हैं, लेकिन हम लोग इंटरवीन नहीं कर सकते कि आप अपना बोर्ड बन्द कर दो और सी.बी.एस.ई. को वहां चलाओ।

डा. वल्लभभाई कथीरिया: अध्यक्ष महोदय, सर्वशिक्षा अभियान का जो हमारा ऐम है कि 100 परसेंट एनरोलमेंट हो और जीरो परसेंट ड्राप आउट हो, लेकिन जो माइग्रेट कम्युनिटी हमारे पूरे देश में पड़ी हुई है, कहीं न कहीं सीजन में वे लीवलीहुड के लिए बाहर जाते हैं। उनके बच्चों के लिए इन्नोवेटिव प्रोग्राम हैं, लेकिन गुजरात में नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार ने इन्नोवेटिव प्रोग्राम को आगे बढ़ाकर वहां, जहां-जहां वे माइग्रेंट कम्युनिटी जाती है, वहां उन्होंने फुल टाइम स्कूल बना दिये हैं और वहां टीचर्स को वेजिज भी ज्यादा देते हैं, टीचर्स भी क्वालीफाइड हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको तथ्य नहीं देने चाहिए, आपको प्रश्न पूछना चाहिए।

[अनुवाद]

आप सूचना दे रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया: मैं इसीलिए पूछता हूं कि यह स्कीम पूरे देश में लागू करने के लिए मैं बोल रहा हूं, एक तो फुल टाइम टीचर्स रखे हैं, क्वालीफाइड टीचर्स रखे हैं, उनको अच्छे वेजेज भी दिये जा रहे हैं, ताकि वे बच्चे उस स्कूल में पढ़ें। दूसरा एक सप्लीमेंटरी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सॉरी, मैं एलाऊ नहीं करूंगा।

डा. वल्लभभाई कथीरिया: दूसरा सीजनल हॉस्टल होते हैं, यह इन्नोवेटिव आइडिया है।

अध्यक्ष महोदय: आइडिया के लिए यहां डिस्कशन नहीं है।

डा. वल्लभभाई कथीरिया: सर, सीजनल हॉस्टल का कन्सैप्ट है, जो माइग्रेंट पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं तो बच्चे वहीं गांव में रहकर ही एक रूम में सीजनल हॉस्टल के रूप में रहें, उनके रहने, खाने-पीने का इन्तजाम हो, जब तक कि उनके फादर मदर वापस न आ जायें। सरकार उनके खाने-पीने और रहने का खर्च देती है तो यह कंसैप्ट बजट में लेकर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं यह पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया: ओ.के., सर। बजट में इसका प्रावधान करके पूरे देश में यह स्कीम लागू करेंगे या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके पूरक प्रश्न को अस्वीकार कर रहा हूं। मंत्री महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिए।

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया: आप इसे कब लागू करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अनावश्यक रूप से अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कर रहे हैं। आपको मालूम है मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं।

डा. वल्लभभाई कथीरिया: महोदय, मुझे खेद है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आज आप एकदम जिद कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही बहुत आलोचना झेल चुका हूं। ठीक है बोलिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर्वशिक्षा अभियान के अन्दर आल्टरनेटिव इन्नोवेटिव एजुकेशन में स्टेट को इजाजत है कि वे इस तरह के कार्यक्रम चला सकते हैं। जो भी इस तरह के बच्चे हैं, जैसे बिहार में भी यह कार्यक्रम चलाया गया था कि जो बच्चे जानवरों को चराने के लिए जाते हैं, उनके लिए वहीं इन्तजाम लालू जी के दौर में हुआ था, जो अब भी चल रहा है और इस तरह के जो भी कदम स्टेट गवर्नमेंट उठा सकती है, उसको भारत सरकार सर्वशिक्षा अभियान के जरिये मदद करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप चार से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते। मुझे आज आखिरी दिन कुछ और प्रश्न शामिल करने का अवसर दीजिए।

प्रो. बसुदेव बर्मन: महोदय, कक्षा आठ से कक्षा नौ में प्रवेश लेने का शिक्षा पद्धति में बहुत महत्व है और यहां जो दर दी गई है वह बहुत प्रभावशाली है। परन्तु मुझे खेद यह जानकर होता है कि संगत वर्षों के दौरान ये कुछ चुने हुए शैक्षिक आंकड़े दिये गये हैं। मेरा यह विनम्र सुझाव है कि इस संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण होना चाहिए न कि ऐसा जिसमें आपके पास केवल कुछ चयनित शैक्षिक आंकड़े ही हों।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पूरे भारत में कक्षा आठ से कक्षा नौ में होने वाले दाखिलों की दर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं क्योंकि मुझे जानकारी है कि यह दर इतनी अधिक नहीं है और कभी-कभी यह दर 60 अथवा 50 प्रतिशत से भी कम होती है।

अध्यक्ष महोदय: वह इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: इसमें बहुत सारे और भी कदम उठाये गये हैं, जैसे एक स्कालरशिप क्लास नौ के बच्चों को दी जाएगी, जो मैरिट-कम-न्यू स्कालरशिप होगी, जो 6000 रुपये पर ईयर के हिसाब से दी जायेगी। इसके लिए पूरे हिन्दुस्तान के लेविल पर कम्पीटीशन होगी, उसके अलावा जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए भी हम करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: जो शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हमारे बच्चे हैं, जहां पर उनकी आबादी ज्यादा है, वहां नये 20 नवोदय विद्यालयों को हम लोगों ने ऑलरेडी सैंक्शन किया है। इस तरह से बहुत सारे कदम उठाये जा रहे हैं, जिसमें सैकेंड्री एजुकेशन में आगे लोगों को आसानी हो और रिमोट एरियाज में भी बच्चे स्कूल में जा सकें, इसलिए हम सैकेंड्री स्कूल पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि दसवीं योजना में जहां एक तरफ 4,325 करोड़ रुपये इसके लिए हमारा एलोकेशन था, अब ग्यारहवीं योजना में उसे बढ़ाकर 53,550 करोड़ रुपये किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोग ग्यारहवीं योजना के अंदर कितने गुना ज्यादा राशि सैकेंड्री एजुकेशन पर खर्च करने वाले हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कितने बच्चे इस सिस्टम में जाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से बढ़ेगी। जब हमारे पास इतनी राशि है, इतना पैसा है, तो हम श्योर हैं कि लड़के का इन्वाल्वमेंट भी बढ़ेगा, क्वालिटी आफ एजुकेशन भी बढ़ेगी और लड़के आउट आफ स्कूल नहीं हो पाएंगे, रिटेन रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: लड़का-लड़की दोनों।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: हां, लड़का-लड़की दोनों।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 109: श्री राम सिंह कस्वां—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 110—श्री कीरेन रिजीजू

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय।

[हिन्दी]

सीमापार से घुसपैठ

***110. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या सरकार को अन्य देशों से लगातार बड़े पैमाने पर हो रही घुसपैठ की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों का सीमा-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार भारत-बांग्लादेश एवं भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर सीमापार से घुसपैठ की समस्या से अवगत हैं। अन्य सीमाओं पर घुसपैठ की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है।

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान भारत-बांग्लादेश एवं भारत-पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा की गई अवरोध/गिरफ्तारी निम्नानुसार है:

वर्ष	भारत-बांग्लादेश सीमा	भारत-पाकिस्तान सीमा
2006	5130	128
2007	4206	128
2008	2559	131
2009 (जनवरी तक)	199	7

सरकार ने सीमापार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहु-आयामी नीति अपनाई है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमाओं पर चौबीसों घंटे निगरानी एवं गश्त लगाना तथा अवलोकन चौकियों की स्थापना करना; सीमा पर बाड़ लगाना तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करना; आधुनिक एवं उच्च तकनीक के निरीक्षण उपकरण को काम में लाना; खुफिया तंत्र को उन्नत बनाना और राज्य सरकारों तथा संबंधित खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना शामिल है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, जिस बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कही गयी है और अन्य देशों से घुसपैठ की बात कही गयी है, माननीय मंत्री महोदय ने उनके आंकड़े दिये हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और दिल्ली हाइकोर्ट ने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। उसने ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि इन विदेशियों या घुसपैठियों को किस तरह से बाहर निकाला जाए, यहां से बाहर भेजा जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मल्टीपरपज नेशनल आइडेंटिटीकार्ड जारी करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये सभी कार्य कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अत: इस संबंध में निर्देश नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: सर्वोच्च न्यायालय का सरकार को आदेश है, उसी के बारे में मैंने ध्यान दिलाया है कि उसके बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है? यह बतायें कि अब तक हमारे यहां से कितने घुसपैठिए बाहर भेजे गए, जिन्होंने अवैध रूप से हमारे यहां प्रवेश किया था?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर राष्ट्रीय जनगणना 2010-11 पर आधारित होगा। हमने वर्ष 2009-10 के लिए भारत के तटीय गांवों हेतु प्रक्रिया आरंभ कर दी है। यह प्रायोगिक परियोजना फरवरी में आरंभ हो चुकी है। जनसंख्या रजिस्टर तैयार होने पर बहुद्देशीय कार्ड जारी किये जाएंगे। जैसाकि आपको जानकारी है योजना आयोग की निगरानी में एक यूआईडी की स्थापना की गई है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि विशिष्ट पहचान वाले पहचान पत्र जारी किये जाएं। मुझे आशा है कि वर्ष 2010-11 में एमएनआईसी जारी कर दिये जायेंगे।

इस बीच, नि:संदेह रूप से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है और विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 32(ग) के अंतर्गत विदेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस भेजने का अधिकार राज्य सरकारों को है। जहां तक बांग्लादेशी नागरिकों का प्रश्न है, मौजूदा नीति यह है कि 25.3.71 के बाद आए किसी भी व्यक्ति को अवैध घुसपैठिया माना जाएगा और सीमाओं पर ही उन्हें पकड़कर वापस उनके देश भेज दिया जाता है। जो लोग सीमा पार करके भारत में प्रवेश करने में सफल हो गए हैं। उनकी पहचान करके भेज दिया जाता है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर कई कदम उठाये गये हैं इनमें सीमा पार बाड़ लगाना, सी.सु.ब. द्वारा निगरानी रखा जाना, 1185 सीमा चौकियों

की स्थापना किया जाना जिनमें से 802 चौकियों की स्थापना की जा चुकी है। अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों का उपयोग आरंभ किया जाना और आसूचना मशीनरी का उन्नयन किया जाना आदि शामिल है। मैं आंकड़े दे सकता हूं पर संभवत: यह आवश्यक नहीं है। हम घुसपैठ का प्रयास करने वालों को वापस खदेड़ रहे हैं और जहां कहीं वे सीमा पार करके भारत की सीमाओं में प्रवेश करने में सफल रहे हैं, तो हम उनकी पहचान करके उन्हें वापस भेज रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बाड़ लगाने, अन्य उपायों और घुसपैठियों को बाहर भेजने के बारे में कहा है, लेकिन जिस प्रकार घुसपैठियों ने हमारे यहां का संतुलन बिगाड़ा है, जिस प्रकार वे नागरिक तक बन गए हैं और जनप्रतिनिधि तक बन गए हैं, यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। अभी जैसे आपने बाड़ लगाने की बात बताई, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि अभी भी लगभग 900 किलोमीटर लम्बी बाड़ को बदले जाने और ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार आपने फ्लड लाइट्स की बात कही है। अभी भी पर्याप्त संख्या में फ्लड लाइट्स नहीं हैं। उन्हें भी बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, आपने चौकियों के बारे में बात कही है। वहां जवान नहीं हैं, नई चौकियां स्थापित की जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में सरकार का क्या कहना है? सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदम क्या हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मुझे जानकारी नहीं है कि माननीय सदस्य इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि वहां कोई सैनिक नहीं है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर सी.सु.ब. तैनात है। मैंने केवल यह कहा है कि 802 सीमा चौकियों की स्थापना की गई है और शेष चौकियों की स्थापना की जा रही है। वस्तुत: सी.सु.ब. सीमाओं की चौकसी कर रहा है। इस सीमा को पार करना आसान कार्य नहीं है। भारत-बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। यह पूरा क्षेत्र मैदानों, तटीय और वन क्षेत्रों से युक्त है और इसलिए, उस सीमा क्षेत्र की चौकसी रखना इतना आसान नहीं है। परन्तु, उस क्षेत्र की चौकसी रखने और घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए गत कई वर्षों में बहुत से प्रयास किये गये हैं। वहां घुसपैठ होती है मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं, मैंने आप को आंकड़े दिये हैं। वहां घुसपैठ होती है और पहचान किये जाने पर हम उन लोगों को वापस खदेड़ने का प्रयास करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 111—श्री किसनभाई वी. पटेल—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 112—श्री अबु अयीश मंडल।

लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि दर

***112. श्री अबु अयीश मंडल:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों और उनकी सेवाओं के विपणन में उनकी सहायता करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योगों में कितनी वृद्धि हुई है?

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन में सहायता करने के लिए विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना, विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) तथा क्रेता-विक्रेता मिलन जैसी अनेक योजनाएं कार्यान्वित करती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) अपनी विपणन सहायता योजना के माध्यम से देश में लघु और मध्यम उद्यमों को उनके उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए सहायता प्रदान करता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एमएसई क्षेत्र में वृद्धि दर निम्न प्रकार है:

वर्ष	2001-02 मूल्यों पर एमएसई क्षेत्र में प्राप्त की गई % वृद्धि दर
2005-06	12.32
2006-07	12.60
2007-08	13.00 (अनंतिम)

श्री अबु अयीश मंडल: महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिये गये प्रश्न के उत्तर से यह जानकारी मिली है कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विभिन्न प्रकार से विपणन सहायता देती है और वृद्धि दर बढ़ रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपेक्षित वित्तीय सहायता के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को इस्पात, एल्युमिनियम और तांबा जैसे कच्चे माल का क्रय करके और आपूर्ति करके समर्थन देती है, यदि हां, वर्ष 2008-09 के दौरान, खरीदे गए और उन्हें आपूर्ति किये गये कच्चे माल की मात्रा कितनी है?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के बारे में पूछा है। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम माइक्रो स्माल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज में वृद्धि दर, बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उपाय कर रहे हैं। उसमें बाजार सहायता एमडीए को लागू किया गया है। दूसरा, हम निर्यात के लिए पैकेज और प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चला रहे हैं। हम राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में भी कार्य कर रहे हैं ताकि हमारे लघु उद्योग विदेशों में भी प्रचारित हों।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह कच्चे माल के बारे में पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: रॉ मैटीरियल्स के विषय में बताना चाहता हूं कि हमारी एनएसआईसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा लोहा, पीतल, एल्युमिनियम आदि कच्चे माल की व्यवस्था सरकार करा रही है।

[अनुवाद]

श्री अबु अयीश मंडल: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लगु उद्योग नामक संगठन है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या एनएसआईसी की कोई स्कीम है?

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा यह सैक्टर बराबर बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि पूरे देश में हमारी एक करोड़ 30 लाख यूनिट्स हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

हम इसमें 4 करोड़ 20 लाख के लगभग रोजगार देते हैं। इसलिए एनएसआईसी में विभिन्न कार्यक्रम 12 बढ़ाकर हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम उद्योग जगत को कम्पीटिशन में मदद देने के लिए 40 प्रतिशत निर्यात विदेशों में करते रहे हैं। इस 40 प्रतिशत के साथ-साथ 45 प्रतिशत प्रोडक्शन में हमारा सैक्टर काम कर रहा है। अर्थात् मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा सैक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन

***102. श्री तथागत सत्पथी:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य सरकारों के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में धनराशि की कमी के कारण बाधा आती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इस योजना के अंतर्गत और अधिक धनराशि की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) 31.12.2008 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 276903 नए स्कूल खोले गए हैं। 172531 स्कूल भवनों का और 740289

अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण किया गया है, साथ ही 9.68 लाख शिक्षक नियुक्त किये गये हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को अपनी अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और बजट के अनुसार कार्यान्वित करते हैं, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में क्रमश: 7561.49 करोड़ रुपये, 10884.43 करोड़ रुपये और 11477.39 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे। वर्ष 2008-09 के सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रीय बजट में 13100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव

***104. श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ग्रोथ लिंकेज तथा देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों/टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर) को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के ग्रोथ लिंकेज पर अध्ययन का कार्य सौंपा है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एफडीआई के प्रभाव पर बल दिया गया है। अध्ययन हेतु विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं। अध्ययन संबंधी अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है, रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इस विषय पर विचार करेगी तथा देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एफडीआई के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।

विवरण

सं. 2(1)/2007-एफसी

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
एफसी अनुभाग

नई दिल्ली

दिनांक: 3 जुलाई, 2007

सेवा में,

डा. राजेश चड्ढा
वरिष्ठ सदस्य तथा वरिष्ठ परामर्शदाता (आपरेशन्स) एवं सचिव
राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद्
परिसिला भवन, 11, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट
नई दिल्ली-110002

विषय: भारत में एफ.डी.आई. संबंधी अध्ययन तथा इसके विकास संबंधों के संबंध में।

मुझे भारत में एफ.डी.आई. के विकास संबंध पर राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को सौंपे जाने वाले अध्ययन के लिए भारत सरकार की मंजूरी की सूचना देने का निदेश हुआ है। इस अध्ययन के उद्देश्य तथा विचारणीय विषय निम्नानुसार हैं:

क. उद्देश्य/विचारणीय विषय

1. स्थानिक प्रसार: पिछले पांच वर्ष (2001-2006 तक) के दौरान भारत में एफ.डी.आई. समर्थित उत्पादन सुविधाओं के स्थानिक प्रसार की जांच करना। अध्ययन की जाने वाली उत्पादन सुविधाओं में विनिर्माण संयंत्रों के साथ-साथ सेवा प्रदान करने वाली सुविधाएं शामिल हैं क्योंकि इन्हें मेट्रोज और टायर 1 तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरों में स्थापित या तो ग्रीनफील्ड के रूप में या एम एंड ए प्रक्रियाओं के रूप में विकसित किया गया है।

2. क्षेत्रीय समूह (सेक्टरल क्लस्टरिंग): उत्पादन सुविधाओं की किस्म का पता लगाने के उद्देश्य से राज्यों तथा उपराज्य क्षेत्रों (शहरों, कस्बों तथा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों) में क्षेत्रीय समूहों को विकसित करना है जिन्होंने संभवत: नगरीय सीमाओं के बाहर छोटे कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया है।

3. मूल्य संवर्धन की गहराई: एफ.डी.आई. संबंधित उत्पादन सुविधाओं पर इसकी भूमिका की मूल्य संवर्धन विशेषताओं तथा रोजगार अवसरों की व्यापक समझ में सक्षम होना।

4. एफ.डी.आई. अन्तर्वाहों का विश्लेषण तथा रोजगार सृजन करने के प्रभावों पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण कार्यकलापों पर उनका प्रभाव: विभिन्न ग्रामीण कार्यकलापों, विशेषकर कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में एफ.डी.आई. के प्रभाव का विश्लेषण करना तथा एफ.डी.आई. सक्षम उत्पादन सुविधाओं के माध्यम से रोजगार पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव का पता लगाना।

5. श्रम तथा पूंजी सघनता: विभिन्न एफ.डी.आई. समर्थित क्षेत्रों का उनकी दक्षता, पैमाना, पूंजी तथा श्रम जरूरतों के स्तर द्वारा पता लगाना और उसी प्रकार के उत्पाद तथा सेवा का उत्पादन करके घरेलू रूप से निवेशित उत्पादन के साथ इन विशेषताओं की तुलना करना तथा एफ.डी.आई. समर्थित उत्पादन सुविधाओं की उनकी श्रम तथा पूंजी प्रगाढ़ता द्वारा व्यापक प्रलेखन प्रदान करना।

6. तुलनात्मक कार्य निष्पादन: भारत के बाहर संचालित उनकी मूल कंपनियों के अंतर्गत फर्मों सहित भारत में स्थापित संबद्ध एमएनसी और उनके लाभ स्तरों की दक्षता संबंधी तुलना करना। एक क्षेत्र में घरेलू रूप से निवेशित उत्पादन सुविधाओं के साथ उसी क्षेत्र में एफ.डी.आई. समर्थित उत्पादन सुविधाओं के बीच उसी तरह का व्यापक विश्लेषण करना।

7. फोरेक्स उलझाव: निहित लाभों तथा पुन: निवेशित बनाम भारत में प्राप्त लाभों के प्रत्यावर्तन के उलझावों को समझना।

8. अग्र तथा पश्च संबंध: भारत के लिए नवीनतम उपलब्ध इनपुट आउटपुट तालिकाओं संबंधी इनके मेपिंग के जरिये इन क्षेत्रों के अग्र तथा पश्च संबंधों का अनुमान लगाना।

9. सेवा क्षेत्रों में एफ.डी.आई.: ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सेवा क्षेत्रों में एफ.डी.आई. के प्रभाव का अनुमान लगाना।

10. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड्स): एसईजेड्स में उत्पादन सुविधाओं के संकेन्द्रण का अध्ययन करना तथा एसई जेड्स के अन्दर तथा बाहर ऐसे संयंत्रों का सापेक्ष कार्य निष्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का ऐसे उत्पादन पर प्रभाव का विश्लेषण करना।

11. निर्यात संभावना: भारत से श्रम सघन वस्तुओं के अनटेप्ड निर्यात की संभाव्यता को मापने के लिए उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में एफ.डी.आई. चाहने वाले निर्यात के अंश का पता लगाना।

12. ग्रीन फील्ड एफ.डी.आई. बनाम विलय तथा अधिग्रहण के जरिये एफ.डी.आई.: इन दो मार्गों के जरिये एफ.डी.आई. के क्षेत्रीय वितरण का दस्तावेज बनाना तथा इन दो मार्गों के ग्रामीण और उपनगरीय (संबर्बन) संबंधों की तुलना व अन्तर करना।

13. एफ.डी.आई. का देशवार तथा क्षेत्र-वार विश्लेषण।

14. आरबीआई द्वारा रिपोर्टिंग/क्षेत्रीय वर्गीकरण: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी तकनीकी मानीटरिंग ग्रुप के सतत कार्य के साथ एक स्वर में क्षेत्रीय वर्गीकरण तथा डाटा रिपोर्टिंग के मामलों का पता लगाना जिनकी प्रथम कार्य रिपोर्ट जून, 2003 में थी।

ख. एनसीएईआर द्वारा पालन किया जाने वाला प्रणाली विज्ञान

एनसीएईआर द्वारा अध्ययन में निम्नलिखित शामिल होंगे:

* वर्तमान अध्ययनों का साहित्य सर्वेक्षण।

* निम्नलिखित सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों का संग्रहण और मिलान:

  - औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के एसआईए आंकड़ा आधार;

  - भारतीय रिजर्व बैंक;

  - 10,000 बड़ी और मध्यम सूचीबद्ध भारतीय फर्मों का सीएमआईई प्रोवेस (कौशल) आंकड़ा आधार; और

  - 300 उद्योगों से अधिक के तहत संगठित 13,000 सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध भारतीय कम्पनियों का कैपिटलाइन आंकड़ा आधार।

* विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त उत्पादन इकाइयों के एक चुनिन्दा नमूने का प्राथमिक सर्वेक्षण ताकि उनकी उत्पादन इकाइयों के वास्तविक स्थान के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सके। उत्पादन इकाइयों का चयन निरुद्देश्य के साथ-साथ सोद्देश्य नमूना चयन तकनीक पर आधारित होगा जिससे ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों से उनकी वास्तविक निकटता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रों के विधिक समूहों को शामिल किया जाए।

* अध्ययन की प्रक्रिया के दौरान चिह्नित की जाने वाली विभिन्न परिकल्पनाओं की जांच करने के लिए अर्थमितीय साधनों का प्रयोग।

ग. लागत अनुमान

अध्ययन की कुल लागत 50 लाख रुपये होगी। इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण पर कार्य के साथ-साथ मसौदा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के समय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन शामिल होगा।

घ. समय सीमा और भुगतान अनुसूची

मसौदा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण-पहली किश्त जारी होने की तिथि से 9 महीने के भीतर/अंतिम रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण-मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद 2 महीने के भीतर।

क्र.सं.	कार्यकलाप	समय सीमा	किश्तें
1.	टीओआर का अनुमोदन और अध्ययन की स्वीकृति	जुलाई, 2007	60 प्रतिशत
2.	मसौदा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण	मार्च, 2008 (अर्थात् अध्ययन की स्वीकृति और पहली किश्त के भुगतान के बाद 9 महीने के भीतर)	30 प्रतिशत
3.	अंतिम रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण	मई, 2008	10 प्रतिशत

2. इसे एकीकृत वित्त स्कन्ध के यू.ओ. डायरी सं. 794/ए एस एंड एफ ए/औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के दिनांक 20 जून, 2007 द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

भवदीया

हस्ता./-
(प्रमिला राधवेन्द्रन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स: 23062327

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

***107. श्री पी.सी. थामस:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश से पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की प्राकृतिक रबड़ का निर्यात किया गया;

(ख) क्या किसानों ने प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमतों में आई गिरावट के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु इसके निर्यात को सुकर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन/सहायता का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में देश से निर्यातित प्राकृतिक रबड़ (एनआर) की मात्रा तथा मूल्य का देश-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

देश	2005-06		2006-07 अ		2007-08 अ	
	मात्रा (टन)	मूल्य (रु. '000)	मात्रा (टन)	मूल्य (रु. '000)	मात्रा (टन)	मूल्य (रु. '000)
1	2	3	4	5	6	7
चीन	26521	1691729	16592	1654157	20222	1807846
श्रीलंका	7556	496359	4760	418513	2789	227446

1	2	3	4	5	6	7
मलेशिया	6363	481289	10412	1097676	12092	1117024
जर्मनी	5680	258628	2658	179704	2480	157526
बेल्जियम	2501	194920	2324	148944	2873	182442
तुर्की	2355	127893	1751	103398	1178	85213
वियतनाम	2271	163609	2641	268050	208	16215
यूके	2098	121510	1238	79527	1177	71048
यूएसए	1954	97795	1567	125413	4888	307633
स्पेन	1634	91101	1204	95540	1052	65774
दक्षिण कोरिया	1360	83006	608	66451	776	77131
नेपाल	1201	91819	656	67489	685	60570
अन्य	12336	683254	10134	832515	9933	767211
कुल	73830	4582912	56545	5137377	60353	4943079

अ-अनंतिम

दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 11 फरवरी, 2009 के दौरान कुल 42,128 टन प्राकृतिक रबड़ का निर्यात हुआ था जिसका मूल्य 4206.40 मिलियन रुपए था। वर्ष 2008-09 के लिए निर्यातित प्राकृतिक रबड़ के मूल्य सहित देश-वार आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) केरल राज्य सहकारी रबड़ विपणन परिसंघ लि. (रबड़ मार्क) ने प्राकृतिक रबड़ के तत्काल निर्यात हेतु एकबारगी निर्यात सब्सिडी स्कीम शुरू करने का अनुरोध किया था। घरेलू प्राकृतिक रबड़ बाजार में आधिक्य की ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसके कारण एकबारगी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ का तत्काल निर्यात करना आवश्यक हो। जनवरी, 2009 के अंत में प्राकृतिक रबड़ का स्टॉक जनवरी 2008 के अंत में उपलब्ध 2,25,340 टन की तुलना में 2,41,096 टन है।

[हिन्दी]

फर्जी विदेशी विश्वविद्यालयों का संचालन

***109. श्री राम सिंह कस्वां:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक फर्जी विदेशी विश्वविद्यालय देश में छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गयी; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध जनता को सावधान करने संबंधी नोटिस जारी करने सहित क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) विदेशी शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले तथा संचालन को निगमित करने की किसी व्यवस्था के न होने के कारण देश में कार्यरत विदेशी विश्वविद्यालयों की संख्या के बारे में सरकार के पास कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थाओं में दाखिले तथा संचालन के लिए विनियम बनाए हैं। भारत में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले तथा संचालन को निगमित करने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 17 जून, 2008 को प्रिंट मीडिया में एक सार्वजनिक अपील जारी की थी जिसमें अभिभावकों/संरक्षकों तथा छात्रों को आगाह किया गया था कि उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में दाखिला लेने के संबंध में वे यह सुनिश्चित कर लें कि जिन संस्थाओं में दाखिला लिया जा रहा है वे संगत नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं तथा गुणवत्तामूलक एवं लब्धप्रतिष्ठ संस्थाएं हैं। मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के मामले में, अभिभावकों तथा छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस बात से आश्वस्त हों कि उस पाठ्यक्रम जिसके लिए दाखिला प्रदान/विज्ञापित किया जा रहा है, पूर्णतया मान्यता प्राप्त हैं तथा जिन परिसरों में दाखिले प्रदान किये जा रहे हैं, वे भी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के मान्यता प्राप्त परिसर हैं। किसी भी तरह की आशंका होने की स्थिति में, उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे सांविधिक निकायों से सीधे तौर पर सूचना प्राप्त करें। इन सांविधिक निकायों को भी निदेश दिया जाता है कि वे गैर-मान्यता प्राप्त तथा अनधिकृत संस्थाओं के खिलाफ प्रभावी अभियान शुरू करें तथा कानून के तहत दांडिक कार्रवाई करें। मीडिया से अपील भी की गई है कि वह भ्रामक विज्ञापनों का प्रकाशन न करें यद्यपि इससे उन्हें विज्ञापन राजस्व का नुकसान होगा।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अनधिकृत संस्थाओं की एक सूची तथा सार्वजनिक अपील अपनी वेबसाइट पर डाली है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुसार उनके द्वारा जारी किये गये सार्वजनिक नोटिस अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदन के बिना तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे गैर-अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थाओं के संबंध में छात्रों, अभिभावकों तथा आम जनता को आगाह करते हैं। ऐसे गैर-अनुमोदित संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं कि वे या तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करें तथा गैर-अनुमोदित कार्यक्रम बंद कर दें। गैर-अनुमोदित संस्थाओं की सूची संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को उचित दांडिक कार्रवाई करने हेतु भेजी गई है।

[अनुवाद]

व्यापार समझौते

***111. श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते/वरीयता आधारित व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी देश-वार, तारीख-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन समझौतों का घरेलू उद्योगों और किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारत ने निम्नलिखित व्यापार करारों/अधिमानी व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किये हैं:

क्र.सं.	करार का नाम	करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख	करार के कार्यान्वयन की तारीख
1.	भारत सिंगापुर आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)	29 जून, 2005	1 अगस्त, 2005
2.	एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए)	जुलाई, 1975 (संशोधित करार पर 2 नवम्बर, 2005 को हस्ताक्षर किए गए)	1 नवम्बर, 1976 वार्ताओं का चौथा दौर शुरू हुआ
3.	भारत-चिली अधिमानी व्यापार करार	8 मार्च, 2006	सितम्बर, 2007
4.	भारत-भूटान व्यापार, वाणिज्य एवं पारगमन करार	29 जुलाई, 2006 से नवीकृत	यह करार दिनांक 29 जुलाई, 2006 से दस वर्ष के लिए वैध है।
5.	भारत-नेपाल व्यापार संधि	6 मार्च, 2007	यह करार दिनांक 6 मार्च, 2007 से पांच वर्ष के लिए वैध है।

(ग) और (घ) अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ वार्ताएं शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारों के घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव सहित उनकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने के उद्देश्य से आंतरिक रूप से एवं संयुक्त अध्ययन दलों के माध्यम से उनका अध्ययन किया जाता है। शीर्षस्थ वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, उद्योग एसोसिएशनों सहित घरेलू हितबद्ध पक्षकारों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों एवं विभागों के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता है। घरेलू उद्योग के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से इन करारों में मदों की संवेदनशील/नकारात्मक सूचियां रखने का प्रावधान किया जाता है, जिन पर एफटीए के अंतर्गत सीमित अथवा कोई टैरिफ रियायतें नहीं दी जातीं। इसके अलावा आयातों में भारी वृद्धि होने एवं घरेलू उद्योग को क्षति होने की स्थिति में किसी देश को पाटनरोधी एवं रक्षोपाय जैसे उपाय करने की अनुमति भी होती है।

राष्ट्रीय पुलिस मिशन

*113. **श्री के.एस. राव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) राष्ट्रीय पुलिस मिशन के उद्देश्य, उसकी कार्यात्मक जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या है;

(ख) क्या इस मिशन द्वारा उभरते सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर पुलिस बल के स्वरूप में बदलाव लाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) राष्ट्रीय पुलिस मिशन (एनपीएम) का उद्देश्य देश के पुलिस बलों को आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने और उन्हें आवश्यक सामग्री, बौद्धिक और संगठनात्मक संसाधनों से सज्जित करके अगली शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावी तंत्र के रूप में परिवर्तित करना है। इस प्रकार यह मिशन पुलिस के लिए नया दृष्टिकोण सृजित करने के दायित्व से युक्त है। एनपीएम का कार्य पूरा करने के उद्देश्य से गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त स्टीयरिंग ग्रुप (ईएसजी) तथा गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अधिशासी समिति (ईसी) नामक दो टायर प्रणाली स्थापित की गई है। इसके आधारभूत नीति दिशानिर्देश और दृष्टिकोण ईएसजी द्वारा निर्धारित किये जायेंगे जबकि ईसी इस तरह स्थापित उपलब्धियों का अनुसरण करेगी। वास्तविक कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयन के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में एक अधिकारियोन्मुख मिशन निदेशालय स्थापित किया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पुलिस मिशन के अधीन निम्नलिखित छह माइक्रो मिशन स्थापित किये गये हैं:

एम एम : 01	मानव संसाधन विकास
एम एम : 02	समुदाय पुलिस व्यवस्था
एम एम : 03	संचार एवं प्रौद्योगिकी
एम एम : 04	अवस्थापना
एम एम : 05	नई प्रक्रियायें (प्रक्रिया अभियांत्रिकी)
एम एम : 06	सकारात्मक पुलिस व्यवस्था तथा भविष्य की चुनौतियों का पता लगाना।

प्रत्येक माइक्रो मिशन को मुख्य डिलीवरेबल्स की पहचान करने तथा अपने कार्य क्षेत्र में अन्य संबंधित मुद्दों एवं समय-सीमा निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। माइक्रो मिशनों को सौंपे गए तथा निर्धारित क्षेत्र इस तरह डिजायन किये गये हैं कि उनकी परिधि में पुलिस व्यवस्था के यथासम्भव सभी दायित्वों को शामिल किया जा सके। अपने निर्धारित 4 महीनों की समय सीमा के कार्यकरण में 6 एम एम ने राष्ट्रीय पुलिस मिशन में शामिल करने के लिए 12 परियोजनाओं की संस्तुति की है।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास

*114. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में औद्योगिक विकास दर कितनी रही है;

(ख) उन औद्योगिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें कम/नकारात्मक विकास दर दर्ज हो रही है इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपर्युक्त क्षेत्रों में विकास दर बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं तथा इनके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) 2005-06 से 2007-08 के दौरान तथा 2008-09 (अप्रैल-दिसम्बर) में, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की दृष्टि से मापी गई औद्योगिक वृद्धि नीचे दी गई है:

क्षेत्र/उद्योग	भारिता (प्रतिशत में)	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अप्रैल-दिसम्बर)
खनन और उत्खनन	10.5	1.0	5.4	5.1	3.0
विद्युत	10.2	5.2	7.2	6.4	2.7
विनिर्माण	79.4	9.1	12.5	9.0	3.3
कुल	100	8.2	11.6	8.5	3.2

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मंदी ने भारत में मुख्यत: विनिर्माण क्षेत्र के कुछ निर्यातोन्मुख उद्योगों को प्रभावित किया है, जैसे कि वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़ा, रत्न और आभूषण आदि। आटोमोबाइल और इसके सहायक उद्योगों, सीमेंट, स्टील, आवास क्षेत्र, आदि जैसे उद्योगों की मांग में भी कमी देखी गई है।

वैश्विक मंदी के प्रभाव का समाधान करने के उद्देश्य से उद्योगों में मांग को प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं। दिसम्बर, 2008 और जनवरी, 2009 में सरकार ने दो पैकेजों की घोषणा की। इन दो प्रोत्साहन पैकेजों में अन्य बातों के साथ-साथ शुरू किये गये उपाय हैं:

* सेनवैट/उत्पाद शुल्क में कमी: अतिरिक्त खर्च की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के तत्काल उपाय के तौर पर पेट्रोलियम को छोड़कर मूल्य के अनुसार सेनवेट दर में सभी चीजों पर 4 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की गई।

* निर्यात सहायता उपाय: निर्यात में सहायता के लिए अनेक उपाय किये गये हैं, जैसेकि:

- वस्त्र, हैंडलूम, हस्तशिल्प, चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र जैसे श्रम गहन उद्योगों के लिए शिपमेंट पूर्व एवं पश्चात् निर्यात ऋण हेतु ब्याज में 2 प्रतिशत की आर्थिक सहायता।

- टर्मिनल उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर का पूरा रिफंड सुनिश्चित करने के लिए 1100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि।

- निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन।

- निर्यात ऋण गारंटी कार्पोरेशन (ईसीजीसी) को 350 करोड़ रुपये तक की सरकारी समर्थन गारंटी, ताकि वह कठिन बाजारों/उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटी प्रदान कर सके।

- निर्यातकों को निर्यातों के फ्रेट ऑन बोर्ड (एफओबी) मान पर 10 प्रतिशत तक के विदेशी एजेंट कमीशन पर सेवा कर की वापसी।

- बुने हुए कपड़ों, साइकिलों, कृषि हस्त औजारों और धागों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों सहित कुछ विशेष मदों पर शुल्क वापसी लाभ में वृद्धि।

- निर्यात-आयात (एग्जिम) बैंक द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर भारतीय निर्यातकों को रुपये या डालर में शिपमेंट-पूर्व ऋण।

* आवास:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 4000 करोड़ रुपये की पुन: वित्तपोषण सुविधा।

- आवास क्षेत्र के लिए निधियों की सुलभता में सहायता के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के पात्र अंतिम उपयोग के तौर पर एकीकृत टाउनशिप के विकास की अनुमति दी गई है।

* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की सहायता हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 7000 करोड़ रुपये की पुन: वित्तपोषण सुविधा।

- ऋण गारंटी योजना के तहत ऋण सीमा का बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना।

- मौजूदा निधि आधारित सीमाओं के 20 प्रतिशत तक आवश्यकता आधारित तदर्थ कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना।

- ऋण हेतु ब्याज दरों में सूक्ष्म उद्यमों के लिए 1 प्रतिशत की कमी तथा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 0.5 प्रतिशत की कमी करना।

* वस्त्र:

- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) योजना में सम्पूर्ण पिछला बकाया निपटाने के लिए 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।

- हस्तशिल्प की सभी मदों को विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना में शामिल किया गया है।

* सीमेंट: घरेलू सीमेंट उद्योग को बचाने व बढ़ावा देने के लिए सीमेंट पर फिर से काउंटरवेलिंग शुल्क लगाना।

* इस्पात:

- दीर्घावधि इस्पात उत्पादों और कच्चे लोहे से निर्यात शुल्क हटाना, ताकि घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके।

- कच्चे लोहे, अर्द्ध-तैयार चपटे और लंबे इस्पात उत्पादों पर पुन: आयात शुल्क लगाना, ताकि घरेलू इस्पात उद्योग को बचाया जा सके।

* आटोमोबाइल:

- वाणिज्यिक वाहनों के लिए 50 प्रतिशत का तीव्र मूल्यह्रास।

- शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत राज्यों को सहायता।

* बिजली: बिजली क्षेत्र में उपयोग के लिए नेप्था से आयात शुल्क हटाना।

* खनन:

- बारीक लौह खनिज से निर्यात शुल्क हटाना।

- लौह खनिज पिंडों पर निर्यात शुल्क में कमी।

* अन्य: वर्तमान मितव्ययिता निर्देशों में छूट देते हुए, सरकारी विभागों को अनुमेय बजट के भीतर सरकारी वाहन बदलने की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर, स्टेच्युटरी लिक्विडिटी अनुपात (एसएलआर), कैश रिजर्व अनुपात (सीआरआर) को घटाकर ऋण लागतों को कम करने एवं उद्योगों के लिए तरलता में सुधार करने के उद्देश्य से हाल ही में अनेक कदम उठाये हैं।

ब्याज दरों में कमी तथा सेनवेट दरों में सभी चीजों के लिए 4 प्रतिशत की कमी के जरिये लागतें घटाने से उद्योगों में मांग को प्रेरित करने में मदद मिली है।

[अनुवाद]

कयर उद्योग के समक्ष बाधाएं

*115. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कयर उद्योग आयात करने वाले देशों द्वारा उत्पन्न की जा रही विनियामक और मनमानी बाधाओं सहित अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) कयर उद्योग एक पारंपरिक श्रम गहन उद्योग है और दूसरे अन्य पारंपरिक उद्योगों की तरह कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है जैसे आधुनिक उत्पादन एवं विनिर्माण प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा तथा उन्नत विपणन सुविधा। कयर बोर्ड, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत संसद के एक अधिनियम के द्वारा गठित संगठन है जो देश में कयर उद्योग के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जानकारी में ऐसी कोई विशेष समस्या सामने नहीं आई है जो कयर आयातित देशों द्वारा उत्पन्न की गई हो। तथापि, कयर के निर्यात पर भी व्याप्त वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा है। सरकार कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन प्रदान कर रही है जिससे विगत वर्षों में निर्यात बढ़ा है। विगत तीन वर्षों के दौरान किये गये निर्यात की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्यात की मात्रा (मीट्रिक टन)
2005-06	136027
2006-07	168755
2007-08	187566

विवरण

(1) महिला कातिनों का प्रशिक्षण तथा महिला कयर योजना के अंतर्गत रट्टों की खरीद के लिए लागत मूल्य का 75 प्रतिशत सब्सिडी दिया जाना।

(2) उत्पादन अवसंरचना के विकास एवं नये कयर इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता मशीनरी लागत का 25 प्रतिशत की दर से, बशर्ते कि 1.5 लाख रुपये से अधिक न हो, दी जाती है।

(3) उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ताकि क्रमशः उद्यमों का संवर्धन हो सके और उनमें गुणवत्ता जागरुकता आ सके।

(4) कयर फाइबर के निस्तारण एवं प्रोसेसिंग, मशीनरी का विकास, उत्पादों में विविधता लाने, नए उत्पादों का निर्माण, नई प्रौद्योगिकी लाने हेतु अनुसंधान और विकास हेतु प्रयासों को तेज करना।

(5) प्रचार माध्यमों, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों को विपणन विकास सहायता प्रदान करना, व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना, मानकीकृत दामों में गुणवत्तायुक्त उत्पादों की आपूर्ति हेतु कयर बोर्ड के शोरूम एवं बिक्री केन्द्रों का अनुरक्षण आदि के माध्यम से कयर उत्पादों को घरेलू बाजारों में संवर्धन के लिए प्रयास करना।

(6) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों, उत्पाद संवर्धन कार्यक्रमों, 'कैटलॉग शो' आदि में भाग लेने हेतु निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(7) कयर उद्योग का पुनरुज्जीवन, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम का आरंभ मार्च, 2008 में प्रायोगिक आधार पर किया गया है जिसका कार्यान्वयन 11वीं योजना अवधि के दौरान किया जाएगा। स्कीम में कुल 243 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसमें 99 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान, 12 करोड़ रुपये का लाभार्थी अंशदान और बैंकों से 132 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण शामिल है। इस स्कीम के तहत दो वर्गों के लाभार्थी यानि कतिन और अतिलघु घरेलू उत्पादक शामिल हैं। स्कीम का उद्देश्य लाभार्थियों की उत्पादकता और क्षमता को बढ़ाने के लिए पुराने चरखों और करघों को बदलना तथा 'वर्कशेड' प्रदान करना है।

भारत-म्यांमार व्यापार

***116. डा. टोकचोम मैन्याः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और म्यांमार के बीच कितना व्यापार हुआ;

(ख) क्या हाल ही में म्यांमार के साथ अनाधिकारिक व्यापार किये जाने के मामले सामने आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत-म्यांमार द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए उपलब्ध तंत्र क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत एवं म्यांमार के बीच व्यापार की मात्रा निम्नानुसार रही है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2005-06	2,32,862.78	49,009.53
2006-07	3,54,094.53	63,374.59
2007-08	3,25,928.14	74,619.38
कुल	9,12,885.45	1,87,003.50

(ख) और (ग) अब तक अनाधिकारिक व्यापार का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(घ) भारत एवं म्यांमार के बीच एक सीमा व्यापार करार पर दिनांक 21 जनवरी, 1994 को हस्ताक्षर किये गये थे, जिसे 12 अप्रैल, 1995 को लागू किया गया था। बाद में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर गौर करने हेतु एक संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के गठन के लिए दोनों देशों के बीच 14 जुलाई, 2003 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये थे। तद्नुसार, अब तक जेटीसी की तीन मंत्रिस्तरीय बैठकें, 15 जुलाई, 2003; 12 मई, 2006 और 14 एवं 15 अक्तूबर, 2008 को आयोजित की जा चुकी हैं।

दालों का आयात

***117. श्री नन्द कुमार सायः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की दालों का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार घरेलू मांग को पूरा करने हेतु दालों के आयात को बढ़ावा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित दालों की मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार है:

दालों का आयात

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2005-06	16.96	2477.13
2006-07	22.71	3891.91
2007-08	28.35	5374.94
2008-09 (अप्रैल, 08-अक्तू. 08) -अनंतिम	12.22	3095.85

दालों के आयात के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी; खंड 2 (आयात), वार्षिक अंक" में दिए गए हैं, जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

घरेलू मांग की तुलना में घरेलू उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए शून्य प्रतिशत सीमाशुल्क पर दालों का मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति है।

फलों का निर्यात

***118. श्री एल. राजगोपाल:**
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व में फलों के उत्पादन और व्यापार में आम सहित भारतीय फलों की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से देश-वार और मद-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के विभिन्न फलों का आयात और निर्यात किया गया;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा भारतीय आम पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) भारत, चीन के बाद विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और वैश्विक उत्पादन में इसका हिस्सा 12% है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न देशों से आयातित और उन्हें निर्यातित विभिन्न फलों की मात्रा व मूल्य का देश-वार तथा मद-वार ब्यौरा वाणिज्य विभाग की वेबसाइट commerce@gov.in के निर्यात आयात डाटा बैंक में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय आम को दिनांक 26 अप्रैल, 2007 से बाजार पहुंच प्रदान की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फलों की मक्खियों के निवारण हेतु इर्रेडिएशन प्रक्रिया के उपरांत भारतीय आम के आयात की अनुमति दी है। यूएसए को निर्यात हेतु आम के इर्रेडिएशन के लिए विकिरण एवं समस्थानिक प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी) की लासलगांव स्थित कृषि उत्पादन संरक्षण केन्द्र (कृषक) सुविधा एक अनुमोदित सुविधा है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से इसकी निम्नलिखित छह योजना स्कीमों के अंतर्गत निर्यातकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकारों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:

(1) अवसंरचना विकास स्कीम (2) गुणवत्ता विकास स्कीम (3) बाजार विकास स्कीम (4) अनुसंधान एवं विकास स्कीम (5) परिवहन सहायता स्कीम (6) विपणन विकास सहायता।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनेक देशों में ताजे फलों व सब्जियों हेतु बाजार पहुंच प्राप्त करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। अंगूर, तोरी एवं आम के लिए बाजार पहुंच हेतु चीन जनवादी गणराज्य के गुणवत्ता, पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं संगरोध संबंधी सामान्य प्रशासन के साथ प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं। देश के 11 राज्यों में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करते हुए अभिज्ञात उत्पादों की आपूर्ति एवं मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास हेतु 21 कृषि निर्यात जोन भी स्थापित किये गये हैं। एपीडा भारतीय फलों और सब्जियों को लोकप्रिय बनाने एवं उन्हें प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भी भाग लेता है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की स्थिति

*119. **श्री सुभाष महरिया:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता के मामले में विश्व में भारत की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता के मामले में भारत की स्थिति गिरती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में देश की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) स्कोपस इंटरनेशनल डाटाबेस के अनुसार प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता के मामले में विश्व में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और यह वर्ष 2001 में 12वें स्थान के बजाय वर्ष 2006 में 10वें स्थान पर आ गया है। 1996 से 2006 की अवधि के दौरान, प्रकाशित शोध पत्रों की वृद्धि दर 7.0% है जो 4.1% के विश्व औसत से अधिक है। इसके अलावा, ज्ञान डाटाबेस के आईएसआई वेब के अनुसार भारतीय प्रकाशनों का प्रति पत्र उद्धरण 3.95 (1996-2006 के दौरान) से बढ़कर 4.40 (1998-2008 के दौरान) हो गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संवर्धन एवं विकास के लिए कई कदम उठाये हैं। इन उपायों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए योजना दर योजना आबंटन में वृद्धि, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना, अकादमिक एवं राष्ट्रीय संस्थाओं में उभरते तथा अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केन्द्रों और सुविधाओं का सृजन, इन्सपायर जैसी नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरूआत, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी) हेतु अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक-निजी आर एण्ड डी भागीदारियों को बढ़ावा देना, उत्कृष्ट आर एण्ड डी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आदि शामिल हैं। तदनुसार, सरकार ने वैज्ञानिक विभागों के लिए 11वीं योजना आवंटन को 10वीं योजना के दौरान 25,301.35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75,304.00 करोड़ रुपये कर दिया है।

खाद्य तेल का आयात

*120. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य तेल की कमी और इसकी बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसेक आयात में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्य तेल की कमी को देखते हुए इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) खाद्य तेलों के मुक्त आयात की अनुमति है। भारत में खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुछ खाद्य तेलों पर सीमाशुल्क में कटौती भी की है और कुछ पर सीमा-शुल्क समाप्त कर दिया है।

(ग) और (घ) बाजार में खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तथापि 5 कि.ग्रा. के छोटे उपभोक्ता पैक में खाद्य तेल के निर्यात की अनुमति है जो दिनांक 31.10.2009 तक अगले एक वर्ष के दौरान केवल 10,000 मी. टन की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है। तथापि कोच्ची पत्तन के जरिये नारियल तेल के निर्यात की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चों का दाखिला

502. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी और निजी विद्यालयों को अपने विद्यालयों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के विद्यार्थियों में से कम से कम 20 प्रतिशत विद्यार्थियों को दाखिला देने और उन्हें मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का कोई निर्देश/आदेश जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन विद्यार्थियों का शैक्षणिक व्यय उठाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकारी तथा निजी विद्यालयों ने निर्देशों का कितना अनुपालन किया है; और

(च) इस संबंध में चूककर्ता विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने हेतु बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2008 राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी प्रावधान है कि उचित सरकार अथवा स्थानीय निकाय से अपने व्ययों के लिए किसी प्रकार की सहायता अथवा अनुदान प्राप्त न करने वाले गैर-सहायता प्राप्त स्कूल कक्षा 1 की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत तक स्थानों में पड़ोस के क्षेत्र के कमजोर वर्गों और लाभवंचित समूहों के बच्चों को दाखिला देंगे और उन्हें मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे। इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि ऐसे स्कूलों को, राज्य द्वारा प्रति छात्र के लिए किये गये व्यय अथवा छात्र से ली गई वास्तविक राशि, दोनों में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

नामांकन दर के संबंध में एनयूईपीए रिपोर्ट

503. श्री अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए) द्वारा हाल में जारी जिला स्तरीय रिपोर्ट से वर्ष 2007-08 के दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में हुई उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी का पता चलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान हुई प्रगति की अन्य मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक स्तर पर नामांकन में व्यापक बढ़ोत्तरी हुई है। प्राथमिक स्तर पर यह नामांकन वर्ष 2005-06 में 12,46,15,546 था जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 13,41,32,183 हो गया तथा अपर प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2005-06 में 4,36,67,786 था जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 5,09,11,110 हो गया।

(ग) वर्ष 2007-08 के आंकड़े से यह भी स्पष्ट होता है कि 37:1 के छात्र एवं कक्षा का अनुपात 84.18 प्रतिशत तक प्राथमिक स्कूलों को पेयजल की सुविधा, प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 34:1 तथा प्राथमिक स्तर पर स्त्री-पुरुष समानता सूचकांक 0.93 तक करके व्यापक सुधार किये गये हैं।

राजस्थान में सीमा पारगामी सुरंग

504. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ के नीचे सीमा पारगामी सुरंग का पता चला है जिसके माध्यम से भारतीय सीमा में मादक पदार्थों और जाली मुद्रा की तस्करी की जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) जी नहीं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा की गई जांच के अनुसार राजस्थान में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ के नीचे पारगामी किसी भी सुरंग का पता नहीं चल सका है। सीमापार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बीएसएफ द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है।

[हिन्दी]

लघु भेषज इकाइयों में उन्नत उपकरण

505. श्री उदय सिंह: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए लघु भेषज इकाइयों को उन्नत उपकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लघु भेषज इकाइयों के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में छह महीने से अधिक समय से खराब पड़े उपकरणों का मूल्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) "औषधि और भेषज अनुसंधान कार्यक्रम (डीपीआरपी)" योजना स्कीम के अंतर्गत देश में दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए लघु भेषज इकाइयों सहित भेषज उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और शैक्षिक संस्थानों में भेषज क्षेत्र से संबंधित अद्यतन उन्नत उपकरणों से युक्त राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना करने में सहायता प्रदान करता रहा है। जैव उपलब्धता, विष-विज्ञान, सुरक्षा औषध-विज्ञान, जैव समसंयोजकता, तंत्रिका-विषाक्तता, औषध-सतर्कता विज्ञान, संयोजकीय प्राकृतिक उत्पाद, वनस्पति-धात्विक सम्पाक, पूर्व नैदानिक विष-विज्ञान के लिए पशु गृह, जैव-सुरक्षा स्तर 3 और 4 आदि जैसे क्षेत्रों में वर्ष 2007-08 तक ऐसी 35 राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना की गई है। इनके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान लघु भेषज इकाइयों सहित उद्योगों के साथ संयुक्त भागीदारी वाली 82 अनुसंधान परियोजनाएं भी मंजूर की गई हैं। इन परियोजनाओं से संस्थान अनेक उन्नत उपकरण प्राप्त करने में भी सक्षम हो गये हैं।

(ख) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/शैक्षिक संस्थानों को उद्योग के साथ 14 संयुक्त सहयोगी परियोजनाएं मंजूर की गईं जिनमें 794.00 लाख रुपये लागत की 6 परियोजनाएं लघु भेषज इकाइयों से संबंधित थीं।

(ग) और (घ) विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में लगाए गए उपकरणों की स्थिति के संबंध में केन्द्रीय तौर पर कोई आंकड़ा-आधार उपलब्ध नहीं है। तथापि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के उपकरण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ऐसे उपकरणों के अनुरक्षण और इनकी मरम्मत करने के लिए केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़; राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली; अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली आदि जैसे विशिष्ट संस्थानों के माध्यम से वैज्ञानिक उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव विषय पर तकनीकीविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

[अनुवाद]

जनसंख्या वृद्धि

506. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत की आबादी 1971 में 54.82 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2001 में 102.87 करोड़ हो गयी जैसाकि संलग्न विवरण-1 में दिया है। तथापि, 1971-81 के दशक में प्रतिशत के रूप में दशकीय आबादी वृद्धि दर में कमी आई है जैसाकि संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। यह 1971-81 में 24.7 प्रतिशत से घटकर 1981-91 में 23.9 प्रतिशत तथा फिर 1991-2001 में घटकर 21.5 प्रतिशत रह गई है।

वर्ष 1981-91 की तुलना में वर्ष 1991-2001 में प्रतिशत के रूप में आबादी में दशकीय वृद्धि दर में यह गिरावट हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैण्ड, गुजरात, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आई है।

विवरण I

वर्ष 1971-2001 में भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल आबादी

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आबादी			
		1971	1981	1991	2001
1	2	3	4	5	6
	भारत[1,2]	548,159,652	683,329,097	846,421,039	1,028,737,436
1.	जम्मू और कश्मीर[2]	4,616,632	5,987,389	7,837,051	10,143,700
2.	हिमाचल प्रदेश	3,460,434	4,280,818	5,170,877	6,077,900

1	2	3	4	5	6
3.	पंजाब	13,551,060	16,788,915	20,281,969	24,358,999
4.	चंडीगढ़	257,251	451,610	642,015	900,635
5.	उत्तरांचल[3]	4,492,724	5,725,972	7,050,634	8,489,349
6.	हरियाणा	10,036,431	12,922,119	16,463,648	21,144,564
7.	दिल्ली	4,065,698	6,220,406	9,420,644	13,850,507
8.	राजस्थान	25,765,806	34,261,862	44,055,990	56,507,188
9.	उत्तर प्रदेश	83,848,797	105,136,540	132,061,653	166,197,921
10.	बिहार	42,126,236	52,302,665	64,530,554	82,998,509
11.	सिक्किम	209,843	316,385	406,457	540,851
12.	अरुणाचल प्रदेश	467,511	631,839	864,558	1,097,968
13.	नागालैंड	516,449	774,930	1,209,546	1,990,036
14.	मणिपुर[1]	1,072,753	1,420,953	1,837,149	2,293,896
15.	मिजोरम	332,390	493,757	689,756	888,573
16.	त्रिपुरा	1,556,342	2,053,058	2,757,205	3,199,203
17.	मेघालय	1,011,699	1,335,819	1,774,778	2,318,822
18.	असम[2]	14,625,152	18,041,248	22,414,322	26,655,528
19.	पश्चिम बंगाल	44,312,011	54,580,647	68,077,965	80,176,197
20.	झारखंड[3]	14,227,133	17,612,069	21,843,911	26,945,829
21.	उड़ीसा	21,944,615	26,370,271	31,659,736	36,804,660
22.	छत्तीसगढ़[3]	11,637,494	14,010,337	17,614,928	20,833,803
23.	मध्य प्रदेश	30,016,625	38,168,507	48,566,242	60,348,023
24.	गुजरात	26,697,475	34,085,799	41,309,582	50,671,017
25.	दमन और दीव	62,651	78,981	101,586	158,204
26.	दादरा और नगर हवेली	74,170	103,676	138,477	220,490
27.	महाराष्ट्र	50,412,235	62,782,818	78,937,187	96,878,627
28.	आंध्र प्रदेश	43,502,708	53,551,026	66,508,008	76,210,007
29.	कर्नाटक	29,299,014	37,135,714	44,977,201	52,850,562
30.	गोवा	795,120	1,007,749	1,169,793	1,347,668

1	2	3	4	5	6
31.	लक्षद्वीप	31,810	40,249	51,707	60,650
32.	केरल	21,347,375	25,453,680	29,098,518	31,841,374
33.	तमिलनाडु	41,199,168	48,408,077	55,858,946	62,405,679
34.	पांडिचेरी	471,707	604,471	807,785	974,345
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	115,133	188,741	280,661	356,152

नोट:

1. इसमें वर्ष 2001 के लिए मणिपुर के सेनापति जिले में माओ माराम, याओमाटा और पुरुल उप-संभागों की अनुमानित आबादी शामिल है।
2. इसमें वर्ष 1991 में जम्मू और कश्मीर तथा 1981 में असम की अनुमानित आबादी शामिल है क्योंकि इन राज्यों में जनगणना नहीं की जा सकी थी।
3. उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को 2001 क्षेत्राधिकार के आधार पर पुनः सृजित किया गया है।

विवरण II

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की दशकीय वृद्धि दर: 1971-1981 से 1991-2001

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आबादी		
		1971-1981	1981-1991	1991-2001
1	2	3	4	5
	भारत[1,2]	24.7	23.9	21.5
1.	जम्मू और कश्मीर[2]	29.7	30.9	29.4
2.	हिमाचल प्रदेश	23.7	20.8	17.5
3.	पंजाब	23.9	20.8	20.1
4.	चंडीगढ़	75.6	42.2	40.3
5.	उत्तरांचल[3]	27.4	23.1	20.4
6.	हरियाणा	28.8	27.4	28.4
7.	दिल्ली	53.0	51.4	47.0
8.	राजस्थान	33.0	28.4	28.4
9.	उत्तर प्रदेश	25.4	25.6	25.8
10.	बिहार	24.2	23.4	28.6
11.	सिक्किम	50.8	28.5	33.1

1	2	3	4	5
12.	अरुणाचल प्रदेश	35.1	36.8	27.0
13.	नागालैंड	50.0	56.1	64.5
14.	मणिपुर[1]	32.5	29.3	24.9
15.	मिजोरम	48.5	39.7	28.8
16.	त्रिपुरा	31.9	34.3	16.0
17.	मेघालय	32.0	32.9	30.7
18.	असम[2]	23.4	24.2	18.9
19.	पश्चिम बंगाल	23.2	24.7	17.8
20.	झारखंड[3]	23.8	24.0	23.4
21.	उड़ीसा	20.2	20.1	16.3
22.	छत्तीसगढ़[3]	20.4	25.7	18.3
23.	मध्य प्रदेश	27.2	27.2	24.3
24.	गुजरात	27.7	21.2	22.7
25.	दमन और दीव	26.1	28.6	55.7
26.	दादरा और नगर हवेली	39.8	33.6	59.2
27.	महाराष्ट्र	24.5	25.7	22.7
28.	आंध्र प्रदेश	23.1	24.2	14.6
29.	कर्नाटक	26.7	21.1	17.5
30.	गोवा	26.7	16.1	15.2
31.	लक्षद्वीप	26.5	28.5	17.3
32.	केरल	19.2	14.3	9.4
33.	तमिलनाडु	17.5	15.4	11.7
34.	पांडिचेरी	28.1	33.6	20.6
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	63.9	48.7	26.9

नोट:

1. इसमें वर्ष 2001 के लिए मणिपुर के सेनापति जिले में माओ मारम, याओमाटा और पुरुल उप-संभागों की अनुमानित आबादी शामिल है।
2. इसमें वर्ष 1991 में जम्मू और कश्मीर तथा 1981 में असम की अनुमानित आबादी शामिल है क्योंकि इन राज्यों में जनगणना नहीं की जा सकी थी।
3. उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को 2001 क्षेत्राधिकार के आधार पर पुनः सृजित किया गया है।

खनिज क्षेत्र के लिए तंत्र

507. श्री छितेन बर्मन: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज क्षेत्र में भावी निवेशकों तथा सरकार के बीच बातचीत के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) देश में खनिज क्षेत्र में सरकार और संभावित निवेशकों के बीच सक्रिय बातचीत के लिए खान मंत्रालय ने खान मंत्री की अध्यक्षता में खनिज सलाहकार परिषद् तथा सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में ग्रेनाइट विकास परिषद् और संगमरमर विकास संबंधी समूह का गठन किया है। इन मंचों में संभावित निवेशकों सहित संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और उद्योग का प्रतिनिधित्व रहता है। इन मंचों की समय-समय पर बैठकें की जाती हैं और उन बैठकों में उठाये गये मुद्दों पर विचार किया जाता है तथा इन्हें संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, के साथ भी उठाया जाता है।

आईआईटी में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण

508. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने संबंधी नीति को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तथा केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त अन्य व्यावसायिक संस्थानों में व्याख्याता पद पर नियुक्ति में लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं;

(ग) क्या सरकार का उक्त नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) वर्तमान नीति में संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थाओं के अलावा, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक निधियों से सहायता प्राप्त कर रहे सम-विश्वविद्यालय संस्थानों के सभी शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों पर व्याख्याता के स्तर तक प्रवेश स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शिक्षणेत्तर पदों पर भर्ती के लिए सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करते हैं। संस्थानों से यह अनुरोध किया गया है कि वे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विषयों में सहायक प्रोफेसरों तथा व्याख्याताओं के पदों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अलावा सभी संकाय पदों पर भर्ती के लिए इस नीति का अनुपालन करें।

[हिन्दी]

आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति

509. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आतंकवादियों/अतिवादियों के आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास हेतु योजना का कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन राज्यों में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों/अतिवादियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) आतंकवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास संबंधी नीतियों को जम्मू व कश्मीर राज्य तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस नीति के अंतर्गत, आत्मसमर्पण करने के बाद तीन वर्षों की अवधि के लिए समर्पणकारियों को 2000 रुपये प्रतिमाह का मासिक भत्ता दिया जाता है और 1.50 लाख रुपये का एक तत्काल अनुदान समर्पणकारी के नाम से एक बैंक में सावधि जमा रसीदों के रूप में रखा जाता है, जिसे अच्छे व्यवहार के साथ तीन वर्षों के बीत जाने पर उनके द्वारा निकाला जा सकता है। हथियारों के समर्पण के लिए भी निर्धारित दरों पर प्रोत्साहन दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जो प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उन्हें स्वरोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इस संबंध में राज्यों द्वारा किये गये व्यय को भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जाती है।

कुछ नक्सल प्रभावित राज्यों में भी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलवादियों के लिए उनके राज्य में ही राज्य विशिष्ट आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति है। नक्सल प्रभावित राज्यों को विभिन्न मदों के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिसमें एस आर ई स्कीम के अंतर्गत नियमित हथियार रखने वाले एक समर्पणकारी के लिए 20,000 रुपये और बिना हथियार वाले के लिए 10,000 रुपये तक व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है।

(ग) वर्ष 2006, 2007 एवं 2008 के दौरान जम्मू व कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सल प्रभावित राज्यों में आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों एवं नक्सलवादियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य/वर्ष	2006	2007	2008	2009 (फरवरी, 2009 तक)
जम्मू और कश्मीर	190	122	38	0
पूर्वोत्तर राज्य				
अरुणाचल प्रदेश	02	11	08	0
असम	385	229	724	83
मणिपुर	20	07	37	0
मेघालय	41	40	14	1
मिजोरम	847	13	0	0
नागालैंड	07	04	04	0
त्रिपुरा	128	220	325	154
नक्सल प्रभावित राज्य (2009, आंकड़े, 31 जनवरी तक)				
आंध्र प्रदेश	282	162	197	10
बिहार	15	21	28	0
छत्तीसगढ़	901	167	8	0
झारखंड	10	02	6	0
मध्य प्रदेश	01	–	1	0
महाराष्ट्र	67	35	150	6
उड़ीसा	03	03	06	0
उत्तर प्रदेश	02	0	4	0

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को की गई प्रतिपूर्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	जम्मू और कश्मीर	पूर्वोत्तर राज्य
2005-06	0.49 करोड़ रुपये	3.85 करोड़ रुपये
2006-07	0.31 करोड़ रुपये	6.54 करोड़ रुपये
2007-08	0.66 करोड़ रुपये	5.32 करोड़ रुपये
2008-09 (फरवरी 2009 तक)	0.71 करोड़ रुपए	8.93 करोड़ रुपए

नक्सल प्रभावित राज्यों में विशिष्ट राज्य आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत किये गये व्यय का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का निर्यात

510. श्री पुष्प जैन: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को निर्यात संवर्धन परिषद् का दर्जा प्रदान करते हुए गांवों में निर्मित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप महिलाओं और ग्रामीणों के लिए और अधिक रोजगार के सृजन होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्पादों के निर्यात को सुप्रवाही बनाने और बढ़ाने के लिए सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में) ने दिसम्बर 2006 में खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को निर्यात संवर्धन परिषद् (ईपीसी) का प्रतिष्ठित दर्जा देते हुए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन दिया था। केवीआई उत्पादों का केवीआईसी-ईपीसी के आवरण के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में सरकार द्वारा कार्यान्वित विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना के माध्यम से संवर्धन किया जाता है। जनवरी, 2009 तक 763 इकाइयां/संस्थान केवीआईसी-ईपीसी के सदस्य बन गए हैं। निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करके खादी संस्थानों/ग्रामोद्योग इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी में मदद देने के लिए केवीआईसी द्वारा कार्ययोजना तैयार की गई है:

(1) सामान्य श्रेणी की प्रत्येक भागीदार इकाइयों के एक प्रतिनिधि को इकॉनिमी श्रेणी द्वारा यात्रा के हवाई किराये अथवा रेल किराये, जैसा भी मामला हो, का 75 प्रतिशत, जबकि महिला उद्यमियों, एससी/एसटी उद्यमियों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के भागीदार उद्यमियों के एक प्रतिनिधि को ऐसे हवाई किराए का 100 प्रतिशत प्रदान किया जाना।

(2) वास्तविक तौर पर भुगतान किये गये स्थल किराये के 50 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जाती है। महिला उद्यमियों, एससी/एसटी उद्यमियों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों के मामले में स्थल किराये की प्रतिपूर्ति 100 प्रतिशत है;

(3) प्रत्येक सहभागी उद्यमी/इकाई के लिए स्थल किराये तथा यात्रा व्यय की सहायता 1.25 लाख रुपये तक सीमित होगी; और

(4) सभी निर्यातक इकाइयां/संस्थान उनके द्वारा सीधे निर्यात की गई मदों के 'फ्री-ऑन-बोर्ड' (एफओबी) मूल्य पर 5 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन पाने के हकदार हैं।

(ग) और (घ) चूंकि केवीआईसी-ईपीसी प्रचालन के अपने प्रारंभिक दौर में है, विशेष रूप से केवीआईसी की प्रतिष्ठित ईपीसी स्थिति के परिणामस्वरूप महिलाओं और ग्रामीण लोगों के लिए नौकरियों/रोजगार अवसरों के संभावित सृजन को निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है। तथापि विशेषत: इस स्थिति के केवीआई क्षेत्र में रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है चूंकि सभी केवीआई उत्पादों के निर्यात ने वर्ष 2006-07 में 53.73 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2009-08 में 91.93 करोड़ रु. तक बढ़त की प्रवृत्ति दर्शायी है।

[अनुवाद]

शिक्षा विकास सूचकांक

511. श्री मिलिन्द देवरा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007-08 के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तैयार शैक्षिक विकास सूचकांक (ईडीआई) के अनुसार पुडुचेरी ने देश में बुनियादी शिक्षा में केरल से पहला स्थान हथिया लिया है;

(ख) यदि हां, तो केरल के प्रथम स्थान से हटने के क्या कारण हैं; और

(ग) ईडीआई में रैंक का निर्णय करते समय किन कारकों पर विचार किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) शैक्षिक विकास सूचकांक के परिकलन में राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में पहुंच, बुनियादी सुविधाओं, अध्यापकों तथा निष्कर्षों के संबंध में संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक विकास सूचकांक रैंकिंग तुलनात्मक प्रवृत्ति की है। पुडुचेरी के मामले में प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच तथा प्राथमिक शिक्षा के परिणामों में अच्छे परिणामों के कारण पुडुचेरी का रैंक केरल से ऊपर है।

अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

512. श्री एम. अप्पादुरई: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों तथा संस्थानों से अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार इन संस्थानों को कितनी राशि संस्वीकृत की गई है; और

(घ) सरकार के पास लंबित अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत योजना के दोनों घटकों (मदरसा आधुनिकीकरण तथा क्षेत्र गहन) के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रस्ताव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं। इन घटकों के अंतर्गत जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पहले से वित्तपोषित मदरसों के नवीकरण हेतु उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और केरल राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07	2007-08	2008-09 (20.2.2009 तक)
1	2	3	4	5
मदरसा आधुनिकीकरण घटक				
1.	आंध्र प्रदेश	48.60	48.60	0.00
2.	असम	–	–	360.00
3.	बिहार	–	79.92	–
4.	जम्मू और कश्मीर	12.60	–	–
5.	उड़ीसा	189.84	104.40	104.40
6.	मध्य प्रदेश	287.69	75.10	746.16
7.	महाराष्ट्र	–	–	2.87
8.	केरल	338.91	–	–
9.	त्रिपुरा	45.72	45.72	45.72
10.	उत्तर प्रदेश	2481.96	3010.54	3552.66
11.	छत्तीसगढ़	242.92	–	112.92
12.	चंडीगढ़	0.72	–	–
13.	कर्नाटक	77.41	–	–
14.	उत्तराखंड	109.03	–	–
	कुल (मदरसा आधुनिकीकरण)	3835.40	3364.28	4924.72

1	2	3	4	5
क्षेत्र गहन घटक				
1.	आंध्र प्रदेश	664.25	–	–
2.	बिहार	–	76.25	–
3.	उत्तर प्रदेश	–	1054.19	25.00
	कुल (क्षेत्र गहन)	664.25	1130.44	25.00

शरणार्थियों को सुविधाएं

513. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में तिब्बती तथा नेपाली भारत में शरणार्थी के रूप में रहने आये हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में रह रहे उक्त शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इनके जान-माल को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कराने के लिए इन्हें पहचान पत्र जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी हां। अत्यधिक संख्या में तिब्बती भारत में रहने के लिए आए हुए हैं। पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के अनुसार, किसी भी नेपाली नागरिक को नेपाल सीमा से भूमि से अथवा हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करने हेतु किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी नेपाली नागरिक को विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939 के अनुसार विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी/विदेशियों विषयक पंजीकरण अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना अपेक्षित नहीं होता, वह भारत में बिना पासपोर्ट/वीजा के भारत में प्रवेश कर सकता है।

(ग) से (ङ) तिब्बतियों को पहचान पत्र जारी किये जाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

गायों की तस्करी

514. श्री अवतार सिंह भड़ाना:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
श्री राकेश सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से बांग्लादेश में गायों की तस्करी के माध्यम से सृजित होने वाली हवाला धनराशि का उपयोग भारत में हथियारों तथा गोला-बारूद की तस्करी के वित्तपोषण में किया जा रहा है जैसाकि दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में गाय की तस्करी के कुल मामलों की संख्या सहित प्रकाशित प्रत्येक ऐसे मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) इस संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

भारत सरकार अपनी सुरक्षा रणनीति के एक भाग के रूप में तस्करी और अन्य सीमा पारीय क्रियाकलापों एवं अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:

(1) सीमा सड़क, सीमा पर बाड़ बनाना तथा तेज रोशनी करना।

(2) सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमाओं की चौबीसों घण्टों निगरानी, जिसे भारत-बंगलादेश सीमा पर तैनात किया गया है और जो सीमा पर भूमि एवं नदी तटीय दोनों भागों की निगरानी करती है।

(3) भारत-बंगलादेश सीमा पर 1185 आउटपोस्ट स्थापित करना जिसमें से 802 सीमा आउटपोस्ट पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं।

(4) नाइट विजन डिवाइसेस सहित आधुनिक निगरानी उपकरण लगाना।

(5) आसूचना तंत्र का उन्नयन करना।

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान बीएसएफ द्वारा जब्त किये गये पशुओं की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	जब्त पशुओं की संख्या
2006	1,29,313
2007	1,33,173
2008	1,19,832
2009 (31.1.2009 तक)	12,381

[हिन्दी]

स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का निर्यात

515. श्री अधीर चौधरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का निर्यात घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी देश-वार तथा मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वदेश में निर्मित वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के विनिर्मित वस्तुओं (पीओएल को छोड़कर) के निर्यात में अमेरिकी डॉलर के रूप में औसतन 19.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वैश्विक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव के परिणामस्वरूप 2008-09 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि घटकर 12.9 प्रतिशत हो गई है। चालू वर्ष के दौरान निर्यात में कम वृद्धि मुख्य रूप से निर्यातों, विशेष रूप से रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, कालीन जैसे श्रम गहन निर्यातों में गिरावट तथा चर्म एवं विनिर्मितियों, वस्त्र आदि के निर्यातों में कम वृद्धि के कारण है। भारत के निर्यात के ब्यौरे वाणिज्य विभाग की अधिकारिक वेबसाइट (http://commerce.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

(ग) भारत के निर्यातों का संवर्धन सरकार का सतत प्रयास रहा है। निर्यात संवर्धन हेतु प्रभाव कार्यनीतियों में प्रक्रियाओं का सरलीकरण, परिवहन लागत में कमी, सभी उपकरों/निर्यात हेतु प्रयुक्त निविष्टियों पर शुल्कों का शून्यीकरण तथा कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण, चर्म, फुटवियर आदि जैसे विशेष फोकस क्षेत्रों पर बल शामिल हैं। चालू वर्ष के दौरान सरकार ने वैश्विक मंदी के कारण भारत के निर्यातों की वृद्धि में आई गिरावट को रोकने के लिए कई उपायों की घोषणा भी की है। इन उपायों में अन्य के साथ-साथ श्रम गहन निर्यातों हेतु लदान-पूर्व एवं लदान-पश्चात् निर्यात ऋण में ब्याज छूट का प्रावधान, टर्मिनल उत्पाद शुल्क/सीएसटी की पूर्ण वापसी हेतु अतिरिक्त निधि का प्रावधान, समस्याग्रस्त बाजारों को/उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटियां प्रदान करने में ईसीजीसी को समर्थ बनाने के लिए सरकार की बैक अप गारंटी, निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों हेतु अतिरिक्त निधि का आवंटन आदि शामिल है।

[अनुवाद]

सामुद्रिक अपरदन

516. श्री गिरिधर गमांग: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सहित देश में भूकंप प्रवण क्षेत्रों की पहचान सहित सामुद्रिक अपरदन तथा भूस्खलन को रोकने के लिए कोई उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों को इस संबंध में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी राशि प्रदान की गई;

(घ) उड़ीसा सरकार द्वारा उपरोक्त उद्देश्य तथा इस संबंध में सुझाई गई योजनाओं और मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) आवश्यक विवरण एकत्र किया जा रहा है और उचित समय पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

धार्मिक संस्थाओं को विदेशी धनराशि

517. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की धार्मिक संस्थाओं को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन संस्थाओं द्वारा कुल कितनी राशि प्राप्त की गई;

(ग) क्या विदेशी निधियों के अंत:प्रवाह को सीमित करने के लिए अंशदानों की प्राप्ति की कोई सीमा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां। निश्चित संस्कृति, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों वाले एसोसिएशन विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि वे विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत हों अथवा पूर्वानुमति प्राप्त हों। कोई भी एसोसिएशन ऊपर उल्लिखित पांच क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक क्षेत्रों में पंजीकृत हो सकती है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन एसोसिएशनों, जिन्होंने स्वयं को अपनी गतिविधियों के एक क्षेत्र में धार्मिक एसोसिएशन के रूप में पंजीकृत करा रखा है, द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की कुल राशि निम्नलिखित है:

वर्ष	प्राप्त विदेशी अभिदाय की राशि (करोड़ रुपये में)
2005-06	3075.77
2006-07	5558.72
2007-08 (अनंतिम)	3511.07

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तटवर्ती क्षेत्रों का डूबना

518. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महासागरों के स्तर में वृद्धि के चलते देश के कुछ तटवर्ती क्षेत्र डूब गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) महासागर के स्तर में वृद्धि के चलते होने वाली धन-जन की क्षति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सुन्दरवन डेल्टा प्रणाली के भारतीय प्रदेश के दो द्वीपों, नामत: लोहचारा (आबाद) तथा सुपारीभंग (आबादी रहित) के जलमग्न होने की रिपोर्ट मिली है। 1970-2000 के बीच एक अन्य द्वीप घोरामारा का 41% क्षेत्र डूब गया है। क्षेत्रों के इस प्रकार जलमग्न होने का कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो सकता क्योंकि पिछले 40 वर्षों में भारतीय तटरेखा पर समुद्र स्तर में कोई उल्लेखनीय वृद्धि रिकॉर्ड नहीं की गई है। पूर्वी तट के साथ-साथ सामान्य डेल्टा के धंसने के कारण भी क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं।

(ख) से (घ) भारतीय वैज्ञानिकों ने विभिन्न स्थानों पर भारतीय ज्वारमापी डेल्टा से स्थानीय समुद्र स्तर में हुई वृद्धि का अध्ययन किया है, जो पिछली शताब्दी के दौरान देखी गई प्रवृत्तियों को दर्शाता है। ये इस प्रकार हैं:

(1) कोच्चि (1939-1991)=1.2 मि.मी./वर्ष

(2) विशाखापट्टनम (1937-1991)=0.9 मि.मी./वर्ष

(3) मुम्बई (1870-1990)=0.8 मि.मी./वर्ष

(4) सुन्दरवन (1985-2000)=3.14 मि.मी./वर्ष

भारत की तटरेखा पर स्थित प्रदेशों के पहले के ज्वारमापी रिकॉर्डों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 40 वर्षों में समुद्र स्तर में अनुमानत: औसतन 1.29 मि.मी. प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है।

चूंकि सभी संभावित कारकों और तटीय क्षेत्र की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर क्षेत्र के जलमग्न होने के बारे में व्यवस्थित रूप से कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए अभी तक निश्चित तौर पर ऐसे द्वीपों की पहचान करना संभव नहीं है, जिनके जलमग्न होने का खतरा हो।

(ङ) तूफान होमर्मियों और ज्वार भाटा की परिवर्तनीयता जैसी अधिक आकस्मिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में समुद्र स्तर में वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया है। इसी कारण से दुष्प्रभावों, उदाहरणत: तटीय कटाव को कम करने और तटीय क्षेत्र (भूमि और अनन्य आर्थिक क्षेत्र सहित) प्रबंधन को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों में इन पहलुओं को उच्चतर प्राथमिकता दी है।

[हिन्दी]

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों हेतु धनराशि

519. श्री गणेश सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(घ) किन-किन राज्यों में उपर्युक्त विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी, हां। 11वीं और 12वीं योजनावधि के दौरान सरकार का प्रस्ताव विश्वस्तरीय मानकों वाले 14 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना है। इस प्रयोजन के लिए 11वीं योजना में 4500 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया है। इन विश्वविद्यालयों की अवस्थिति के लिए अभिनिर्धारित शहरों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

11वीं तथा 12वीं योजनावधि के दौरान स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की अवस्थिति के लिए अभिनिर्धारित शहरों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम
2.	असम	गुवाहाटी
3.	बिहार	पटना
4.	गुजरात	गांधी नगर
5.	कर्नाटक	मैसूर
6.	केरल	कोच्चि
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल
8.	महाराष्ट्र	पुणे
9.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
10.	पंजाब	अमृतसर
11.	राजस्थान	जयपुर
12.	तमिलनाडु	कोयम्बतूर
13.	उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोएडा
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

[अनुवाद]

विद्यालयों में किशोर बालिकाओं हेतु पोषण

520. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विद्यालयों में किशोर बालिकाओं को पोषण प्रदान करने के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं के नामांकन का अनुपात क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे सामान्यतया मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है संचालित कर रही है जिसके तहत सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के तहत चलाए

जा रहे स्थानीय निकाय के स्कूलों एवं केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ रहे बच्चों जिनमें बालिकाएं भी शामिल हैं, को प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन युक्त तथा अपर प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन से युक्त मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2006-07 तक, मध्याह्न भोजन योजना केवल प्राथमिक स्कूलों में ही कार्यान्वित की जा रही थी। परंतु 1.10.2007 से इस योजना को शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लाकों के अपर प्राथमिक स्कूलों में भी विस्तारित कर दिया गया। 1.4.2008 से देश के सभी पात्र अपर प्राथमिक स्कूलों में इसे कार्यान्वित किया गया है। अपर प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के विस्तार से किशोरी बालिकाएं भी इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। पिछले तीन वर्ष अर्थात् 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 तथा वर्तमान वर्ष 2008-09 (15.2.2009 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्तर पर पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान बलिकाओं के नामांकन का प्रतिशत ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

मध्याह्न भोजन योजना के तहत वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (15.2.2009 तक की स्थिति के अनुसार अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	212.01	368.85	467.42	105.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.02	28.41	12.17	13.40
3.	असम	108.85	297.29	146.90	253.87
4.	बिहार	367.83	478.30	487.24	413.39
5.	छत्तीसगढ़	96.76	155.33	171.47	252.20
6.	गोवा	1.77	2.78	3.07	6.04
7.	गुजरात	105.27	176.41	143.05	226.74
8.	हरियाणा	40.50	59.27	63.69	74.41
9.	हिमाचल प्रदेश	21.97	44.00	31.08	112.39
10.	जम्मू और कश्मीर	15.43	58.77	37.41	57.40
11.	झारखंड	131.63	154.29	217.52	184.22
12.	कर्नाटक	147.26	247.46	338.51	285.91
13.	केरल	44.76	62.32	74.20	151.12
14.	मध्य प्रदेश	261.97	497.18	635.83	593.70
15.	महाराष्ट्र	135.64	453.28	337.03	729.55
16.	मणिपुर	9.15	14.15	9.87	15.29
17.	मेघालय	16.01	26.51	37.44	25.23

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	2.91	6.22	4.85	15.49
19.	नागालैण्ड	5.50	16.93	11.95	11.42
20.	उड़ीसा	73.05	279.81	382.94	304.46
21.	पंजाब	17.74	62.25	81.00	177.02
22.	राजस्थान	174.11	275.62	483.31	357.71
23.	सिक्किम	4.64	7.89	4.19	4.87
24.	तमिलनाडु	136.47	144.84	180.31	286.46
25.	त्रिपुरा	16.88	27.62	24.49	35.06
26.	उत्तर प्रदेश	512.78	826.64	946.90	782.93
27.	उत्तरांचल	29.62	49.48	45.45	70.18
28.	पश्चिम बंगाल	454.65	396.44	415.45	561.20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.40	0.47	1.26	3.94
30.	चंडीगढ़	1.73	0.17	3.62	3.69
31.	दादरा और नगर हवेली	0.89	0.26	1.81	1.81
32.	दमन और दीव	0.51	0.25	0.54	0.88
33.	दिल्ली	30.94	9.44	29.14	63.93
34.	लक्षद्वीप	0.20	0.01	0.00	0.20
35.	पांडिचेरी	1.28	2.02	2.44	5.18
	कुल	3185.13	5230.93	5833.55	6186.34

विवरण II

नामांकन में बालिकाओं का अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*बालिका नामांकन प्रतिशत					
		कक्षा 1-4			कक्षा 6-8		
		2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	49.12	49.08	48.76	46.94	47.58	47.50
2.	आंध्र प्रदेश	49.37	49.29	49.26	47.78	48.20	48.57

*माध्यम-जिला स्कूल शिक्षा सूचना।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	47.41	47.66	47.91	46.72	47.15	47.20
4.	असम	49.28	49.27	49.35	48.82	49.40	50.14
5.	बिहार	44.36	45.89	46.56	38.87	41.66	43.04
6.	चंडीगढ़	45.48	44.58	44.72	46.38	45.19	44.63
7.	छत्तीसगढ़	48.61	48.88	48.88	46.09	47.29	47.99
8.	दादरा और नगर हवेली	46.96	47.65	47.68	40.73	41.62	43.03
9.	दमन और दीव	46.30	47.88	46.73	46.13	47.68	44.23
10.	दिल्ली	47.05	46.73	46.92	46.80	46.82	46.08
11.	गोवा	47.36	48.01	48.46	46.95	46.66	46.00
12.	गुजरात	46.97	46.81	46.70	44.16	44.68	45.31
13.	हरियाणा	47.36	47.31	46.06	48.14	48.18	46.63
14.	हिमाचल प्रदेश	47.62	47.29	47.30	47.38	47.16	47.24
15.	जम्मू और कश्मीर	45.95	46.15	46.47	44.71	44.81	45.02
16.	झारखंड	47.50	48.59	49.02	44.08	45.24	46.39
17.	कर्नाटक	48.61	48.40	48.44	48.11	47.96	48.28
18.	केरल	49.40	49.46	49.62	48.25	48.25	48.93
19.	लक्षद्वीप	47.75	47.94	49.27	42.41	49.92	46.73
20.	मध्य प्रदेश	48.85	48.75	48.91	44.22	45.03	45.71
21.	महाराष्ट्र	47.48	47.31	47.13	46.80	47.07	46.81
22.	मणिपुर	49.65	49.84	49.69	49.19	49.33	49.00
23.	मेघालय	50.44	50.35	50.18	52.03	52.44	52.37
24.	मिजोरम	48.51	48.22	48.62	48.98	48.83	49.09
25.	नागालैण्ड	49.00	49.07	48.78	49.47	48.78	48.91
26.	उड़ीसा	48.17	47.64	48.83	46.17	46.39	47.58
27.	पुडुचेरी	51.60	48.42	51.03	51.21	47.83	49.14
28.	पंजाब	46.34	45.87	45.97	46.72	46.05	46.27
29.	राजस्थान	46.79	46.78	46.66	38.20	39.88	40.84

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	सिक्किम	46.69	49.64	49.45	53.11	53.10	54.07
31.	तमिलनाडु	48.28	48.39	48.43	48.05	48.14	48.07
32.	त्रिपुरा	47.67	47.85	48.33	48.74	48.78	49.05
33.	उत्तर प्रदेश	47.77	48.86	49.21	45.31	47.29	48.52
34.	उत्तराखंड	49.49	48.84	48.79	48.76	48.56	48.83
35.	पश्चिम बंगाल	49.55	49.30	49.09	48.97	49.56	49.62
	सभी राज्य	47.79	48.09	48.22	45.80	46.51	46.99

[हिन्दी]

आपदा राहत की मांग

521. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से आपदा राहत हेतु 1,000 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) प्राकृतिक आपदा आने पर आपदा राहत निधि स्कीम (सीआरएफ) के अनुरूप वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत निधियों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत निधि सृजित की गई है जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 72:25 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। गम्भीर प्रकृति की आपदा आने पर, जब सीआरएफ खाते में उपलब्ध निधि अपर्याप्त होती है तो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

राज्य को 2008-09 के दौरान सीआरएफ में 109.87 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जिसमें 82.40 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंशदान के रूप में तथा 27.47 करोड़ रुपये राज्य का अंशदान है। केन्द्रीय हिस्से की 41.20 करोड़ रुपये की पहली किस्त राज्य को 3 जून 2008 को रिलीज की गई थी। राज्य सरकार के अनुरोध पर इस मंत्रालय ने सीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से की 41.20 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त अग्रिम रूप में 22 दिसम्बर, 2008 को जारी की जिसे अन्यथा हिमाचल प्रदेश सरकार को 2008 में रिलीज किया जाता है जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट लम्बित है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में बाढ़/भूस्खलन से हुई क्षति के मद्देनजर भारत सरकार ने अग्रिम के रूप में 50.00 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। (वर्ष 2009-10 के लिए सीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से की 21.2275 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त तथा एनसीसीएफ से खाता गत आधार पर 28.7725 करोड़ रुपये)

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2008 के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए एनसीसीएफ से 1616.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की जरूरत की प्रत्याशा की थी। राज्य सरकार के इस अनुरोध पर उच्च स्तरीय समिति ने 5.2.2009 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया था और इसने जापान, केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट, अन्तर-मंत्रालयी दल की सिफारिशों, सीआरएफ/एनसीसीएफ से व्यय के मानदण्डों एवं दिशानिर्देशों पर विचार करने के पश्चात् (1) तत्काल आपदाओं के लिए सीआरएफ खाते में उपलब्ध बकायों के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनसीसीएफ से 93.42 करोड़ रुपये तथा (2) संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के विशेष घटक से 6.00 करोड़ रुपये की सहायता का अनुमोदन किया।

[अनुवाद]

कोंकण के लिए पृथक् सांविधिक विकास बोर्ड

522. श्री प्रतीक पी. पाटील:
श्री मोहन रावले:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में विद्यमान तीन विकास बोर्डों का मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मूल्यांकन के क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार उपर्युक्त विकास बोर्डों के नाम में परिवर्तन करने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र हेतु पृथक् सांविधिक विकास बोर्ड के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा कब तक इसे पूरा किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) योजना आयोग ने कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन संभाग ने विस्तृत अध्ययन किया था और अपनी अंतिम रिपोर्ट 3.9.2003 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में पाया गया कि मौजूदा तीनों बोर्ड उन्हें सौंपे गए कार्य एवं दायित्वों का अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहे हैं तथा उन्होंने संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार को महाराष्ट्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा 20 फरवरी, 2005 को पारित एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य के कोंकण क्षेत्र हेतु पृथक् विकास बोर्ड स्थापित करने की संस्तुति की गई है। योजना आयोग, जिससे इस मामले पर फरवरी, 2006 में परामर्श किया गया था, का विचार है (मई 2006) कि पृथक् कोंकण क्षेत्र विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए संवैधानिक संशोधन हेतु पिछड़ापन कोई एक कारण नहीं है क्योंकि विकासात्मक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पास अन्य साधन भी उपलब्ध है। इस मामले को महाराष्ट्र सरकार की मौजूदा मांग के मद्देनजर उस पर पुन: विचार करने के लिए 2007 में योजना आयोग को पुन: भेजा गया था। तथापि, उन्होंने अपने पूर्व दृष्टिकोण को ही फिर दोहराया। इस संबंध में, कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

शिक्षकों का प्रशिक्षण

523. श्री सुनील खां: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सहित राज्य सरकारों से तीन चरणों में एक वर्ष हेतु प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए एक वर्षीय सेतु पाठ्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी है जिन्होंने पश्चिम बंगाल के अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में एक वर्ष का प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित 2 वर्ष के प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ समानता लाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10+2 की बुनियादी अर्हता रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में इस प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में सहमति प्रदान कर दी है।

सी.एस.आई.आर. में वेतनमान

524. श्री राजू राणा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.एस.आई.आर. ने अनुभाग अधिकारियों को 8000-13500 में गैर-कार्यात्मक वेतनमान प्रदान करने की योजना को अपनाने की तिथि में सरकार द्वारा किये गये संशोधनों तथा स्पष्टीकरणों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सी.एस.आई.आर. द्वारा योजना के क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना को सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सी.एस.आई.आर. द्वारा योजना का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस योजना के धीमे क्रियान्वयन और सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति की भावना के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं, क्योंकि कार्मिक एव प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार यह योजना केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अनुभाग अधिकारियों के लिए थी, अत: वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने इसके विस्तारण हेतु सहमति प्रदान नहीं की थी।

(ख) सीएसआईआर की शासी निकाय द्वारा दिनांक 16.2.2006 को सम्पन्न अपनी 166वीं बैठक में दिये गये अनुमोदन तथा दिनांक 17.5.2007 के निर्णय के आधार पर अनुभाग अधिकारियों के संबध में रुपये 8000-13500 के नॉन-फंक्शनल वेतनमान को दिनांक 3.10.2003 से क्रियान्वित किया गया था।

(ग) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने सीएसआईआर को नॉन-फंक्शनल वेतनमान प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान नहीं की थी क्योंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह योजना विशेष रूप से केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अनुभाग अधिकारियों के लिए तैयार की गई थी।

(घ) अनुभाग अधिकारियों को नॉन-फंक्शनल वेतनमान प्रदान करने संबंधी मामले को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के साथ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से उठाया गया था और सरकार द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

(ङ) और (च) जी हां। रुपये 8000-13500 के नॉन-फंक्शनल वेतनमान को दिनांक 1.1.1996 से काल्पनिक रूप से तथा दिनांक 3.10.2003 से वास्तविक लाभ सहित क्रियान्वित करने के लिए कर्मचारियों से अभ्यावेदन तथा केन्द्रीय औषध एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप), लखनऊ के निदेशक और माननीय संसद सदस्यों से संदर्भ प्राप्त हुए थे। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के प्रेक्षणों के मद्देनजर रुपये 8000-13500 के नॉन-फंक्शनल वेतनमान को दिनांक 1.1.1996 से काल्पनिक रूप से प्रदान नहीं किया जा सका।

विवरण

दिनांक 3.10.2003 से वित्तीय लाभों सहित दिनांक 1.1.1996 से काल्पनिक रूप से नॉन-फंक्शनल वेतनमान प्रदान करने हेतु सीएसआईआर के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की सूची

क्र.सं.	नाम	पदनाम	प्रयोगशाला/संस्थान	उत्तरित
1.	के. पुरूषोत्तमन	प्रशासन अधिकारी	एनएएल, बेंगलौर	सीएसआईआर के दिनांक 26.11.2008 के पत्रांक 3-33(113)/2004-ई-1 द्वारा उत्तरित
2.	जे. जगदीश राव	अनुभाग अधिकारी (सा.)	एनएएल, बेंगलौर	
3.	श्रीमती चन्द्रा एन. प्रसाद	अनुभाग अधिकारी (सा.)	एनएएल, बेंगलौर	
4.	श्रीमती जया वेंकटेश	अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)	एनएएल, बेंगलौर	
5.	पी. वेंकट राव	अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)	एनएएल, बेंगलौर	
6.	ए. चिदम्बरम	अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)	एनएएल, बेंगलौर	सीएसआईआर के दिनांक 26.11.2008 के पत्रांक 3-33(113)/2004-ई-1 द्वारा उत्तरित
7.	जय प्रकाश	वित्त एवं लेखाधिकारी	आईएमटी, चण्डीगढ़	
8.	ब्रजेश कुमार	वित्त एवं लेखाधिकारी	आईएमटी, चण्डीगढ़	
9.	छेरिंग तोबदन	प्रशासन अधिकारी	आईएमटी, चण्डीगढ़	
10.	पराग सक्सेना	अनुभाग अधिकारी (सा.)	आईएमटी, चण्डीगढ़	
11.	बी.के. सिंह	प्रशासन अधिकारी	आईएचबीटी, पालमपुर	सीएसआईआर के दिनांक 26.11.2008 के पत्रांक 3-33(113)/2004-ई-1 द्वारा उत्तरित

दिनांक 3.10.2003 से वित्तीय लाभों सहित दिनांक 1.1.1996 से काल्पनिक रूप से नॉन-फंक्शनल वेतनमान के क्रियान्वयन हेतु निदेशक से प्राप्त संदर्भ

क्र.सं.	नाम	संदर्भ संख्या एवं तारीख	उत्तरित
1.	डा. पी.एस. आहूजा, निदेशक, सीमैप, लखनऊ	दिनांक 1.12.2008 का अर्ध शा. पत्र सं. डीआईआर/1/2008	दिनांक 18.12.2008 के पत्रांक 5-1 (3) 2008-पीडी द्वारा उत्तर भेजा गया।

दिनांक 3.10.2003 से वित्तीय लाभों सहित दिनांक 1.1.1996 से काल्पनिक रूप से नॉन-फंक्शनल वेतनमान के क्रियान्वयन हेतु माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त संदर्भ

क्र.सं.	नाम	संदर्भ संख्या एवं तारीख	उत्तरित
1.	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा संसद सदस्य (लोक सभा) ध्यानाकर्षण नोटिस	लोक सभा सचिवालय का दिनांक 5.3.2008 का यू.ओ.सं. 9/1/XIII/2008/टी	सीएसआईआर के दिनांक 14.3.2008 के का.ज्ञा. सं. 26-1-(7)/2008-पीयू द्वारा तथ्यात्मक विवरण भेजा गया
2.	श्री राम स्वरूप प्रसाद संसद सदस्य (लोक सभा) अतारांकित प्रश्न डायरी सं. 11997	लोक सभा सचिवालय का दिनांक 11.4.2008 का डी.ओ. सं. 11997/22.04/2008-क्यू	सीएसआईआर के दिनांक 16.4.2008 के का.ज्ञा. सं. 26-1(11)/2008-पीयू द्वारा तथ्य भेजे गए
3.	श्री राजू राणा संसद सदस्य (लोक सभा) अतारांकित प्रश्न डायरी सं. 171	लोक सभा सचिवालय का दिनांक 4.2.2009 का डी.ओ. सं. 171/17.2/2009-क्यू	सीएसआईआर के दिनांक 16.2.2009 के का.ज्ञा. सं. 26-1(1)/2009-पीयू द्वारा तथ्य भेजे गए

[हिन्दी]

जाली वीजा और पासपोर्ट

525. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जाली वीजा तथा पासपोर्ट के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मामलों में ट्रेवल एजेंटों की संलिप्तता के मामले प्रकाश में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता तथा अमृतसर नामक पांच बड़े अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जानकारी में आए जाली वीजाओं एवं पासपोर्टों के मामलों की संख्या निम्न तालिका में दी गयी है:

क्र.सं.	वर्ष	सूचित किये गये मामलों की संख्या
1.	2006	1492
2.	2007	1251
3.	2008	865

जब भी और जैसे ही जाली/नकली वीजाओं एवं पासपोर्ट के ऐसे मामलों की जानकारी मिलती है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। ऐसे जाली/नकली दस्तावेजों को तैयार करने में शामिल एजेन्टों को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उनके खिलाफ कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

जाली/नकली दस्तावेजों के साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। इन कदमों में शामिल हैं:

(1) यात्रा दस्तावेजों की विशेषताओं की जांच करने के लिए समस्त अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पराबैंगनी लैम्पों तथा मैनीफाईंग ग्लास का प्रयोग करना;

(2) उन्नत सुरक्षा अवयवों के साथ मशीन द्वारा पठनीय पासपोर्टों को जारी करना;

(3) पासपोर्टों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए पासपोर्ट रीडिंग मशीनों को स्थापित करना;

(4) यात्रा दस्तावेजों में छिपी जटिल जालीपन का पता लगाने के लिए क्वेशचनेबल डॉक्यूमेंट एक्जामिनर को स्थापित करना;

(5) पररूप धारण को रोकने के लिए यात्रियों के पासपोर्ट ब्यौरों का सत्यापन करने हेतु ईमीग्रेशन कंट्रोल सिस्टम को स्थापित करना; इसके अतिरिक्त

(6) जाली/नकली यात्रा दस्तावेजों का पता लगाने के लिए नियमित आधार पर हवाई अड्डों पर आप्रवासन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

जाली/नकली दस्तावेजों के साथ व्यक्तियों का उत्प्रवास कराने वाले भर्ती एजेन्टों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम भी उठाये गये हैं; जिसमें (1) भर्ती एजेन्टों को उत्प्रवासन स्वीकृति हासिल करने के लिए समस्त मूल रोजगार दस्तावेजों को जमा करना होता है; और (2) ईमीग्रेशन एक्ट के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत निहित नियमों के बारे में भावी उत्प्रवासकों को अवगत कराने के लिए प्रचार अभियान चलाये गये हैं।

मूल्य-सूचकांकों की गणना

526. **श्री रामजीलाल सुमन:**
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) की गणना में शामिल वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक वस्तु की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है;

(ख) गत छह माह के दौरान डब्ल्यू.पी.आई. तथा सी.पी.आई. की दर के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिसम्बर, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान सी.पी.आई. के अंतर्गत कृषि तथा छोटे श्रमिकों हेतु 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डब्ल्यू.पी.आई. में संशोधन हेतु कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) [आधार 1993-94=100] में वस्तुओं तथा उनके भार में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

विवरण		भाग (प्रतिशत)
सभी वस्तुएं		100.00
1.	प्राथमिक मदें	22.02
	खाद्य मदें	15.40
	गैर-खाद्य मदें	6.14
	खनिज	0.48
2.	ईंधन, विद्युत, लाइट तथा लुब्रिकेंट	14.23
	कोकिंग कोयला	1.75
	खनिज आयल	6.99
	बिजली	5.48
3.	विनिर्मित उत्पाद	63.75
	खाद्य उत्पाद	11.54
	बिवरेज, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद	1.34
	वस्त्र	9.80
	काष्ठ तथा काष्ट उत्पाद	0.70
	कागज तथा कागज उत्पाद	2.04
	चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	1.02
	रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	2.39
	रसायन तथा रसायन उत्पाद	11.93
	गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	2.52
	मूल धातु, मिश्रण तथा धातु उत्पाद	8.34
	मशीनरी तथा मशीन औजार	8.36
	परिवहन, उपकरण तथा पुर्जे	4.29

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) [आधार: 2001=100] में वस्तुओं तथा उनके भार के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

विवरण		भार (प्रतिशत)
सभी वस्तुएं		100.00
1.	खाद्य	46.20
	अनाज तथा उत्पाद	13.48
	दालें तथा उत्पाद	2.91
	तेल तथा वसा	3.23
	मांस, मछली तथा अण्डे	3.97
	दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद	7.31
	कोंडीमेंटस तथा मसाले	2.57
	वनस्पति तथा फल	6.05
	अन्य खाद्य	6.68
2.	पान, सुपारी, तम्बाकू तथा मादक द्रव्य	2.27
3.	फ्यूल तथा लाइट	6.43
4.	आवास	15.27
5.	क्लॉथिंग, बेडिंग तथा फुटवियर	6.57
6.	विविध	23.26
	चिकित्सा देखभाल	4.56
	शिक्षा, मनोरंजन तथा मनोविनोद	6.18
	परिवहन तथा संप्रेषण	4.87
	वैयक्तिक देखभाल तथा प्रभाव	4.22
	अन्य विविध	3.43

(ख) जुलाई, 2008 से दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान मासिक डब्ल्यूपीआई [आधार 1993-94=100] तथा सीपीआई (आईडब्ल्यू) [आधार: 2001=100] पर आधारित मुद्रास्फीति की दरें निम्नानुसार हैं:-

माह	निम्न पर आधारित मुद्रास्फीति की दर	
	डब्ल्यूपीआई [आधार 1993-94]	सीपीआई (आईडब्ल्यू) [आधार: 2001=100]
जुलाई 2008	12.36	8.33
अगस्त 2008	12.82	9.02
सितम्बर 2008	12.27	9.77
अक्तूबर 2008	11.06	10.45
नवम्बर 2008	8.48	10.45
दिसम्बर 2008	6.47*	9.70

*अनंतिम

(ग) और (घ) जी, हां। दिसम्बर, 2008 माह के लिए आधार 1986-87=100 के साथ कृषि श्रमिकों (सीपीआई-एएल) के लिए अखिल भारत सीपीआई संख्या पर आधारित बिन्दुवार मुद्रास्फीति दर 11-14 प्रतिशत थी। जुलाई, 2008 से दिसम्बर, 2008 तक अखिल भारत सीपीआई-एएल तथा बिंदुवार मुद्रास्फीति दर के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

माह	अखिल भारत सीपीआई-एएल	अखिल भारत सीपीआई-एएल पर आधारित बिन्दुवार मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत में)
जुलाई 2008	442	9.41
अगस्त 2008	450	10.29
सितम्बर 2008	455	10.98
अक्तूबर 2008	459	11.14
नवम्बर 2008	460	11.11
दिसम्बर 2008	459	11.14

(ङ) प्रो. अभिजीत सेन, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित डब्ल्यूपीआई संख्याओं के संशोधन के लिए कार्यशील समूह ने मई, 2008 में अपनी तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्राप्त किये गये मूल्य आंकड़ों की जांच तथा वैधता वर्तमान में प्रगति पर है। डब्ल्यूपीआई की नई शृंखला को जारी करने के लिए अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

भारत में निवेश

527. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम), आशय पत्र (एलओआई) तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के माध्यम से प्राप्त/प्रस्तावित निवेशों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन निवेश की उपयोगिता के संबंध में दर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे निवेश के माध्यम से सृजित रोजगार के संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम), आशय पत्र (एलओआई) तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के जरिये प्रस्तावित निवेश के राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) आईईएम के भाग ख में उद्यमियों द्वारा भरी गई सूचना तथा आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने की सूचना के अनुरूप कार्यान्वयन के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में तथा वर्ष 2005-06 से 2008-09 (सितम्बर, 2008 तक) तक एफडीआई अंतर्वाह के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) उक्त अवधि के दौरान आईईएम एवं एलओआई संबंधी निवेश के जरिये 62,06,119 लोगों को रोजगार देने का प्रस्ताव किया गया है। एफडीआई के जरिये रोजगार सृजन के आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण I

दायर किये गये आईईएम, स्वीकृत एलओआई एवं एफडीआई के संदर्भ में प्रस्तावित निवेश के राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरे (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-2006			2006-2007			2007-2008			2008-2009 (दिसंबर तक)		
		आईईएम	एलओआई	एफडीआई	आईईएम	एलओआई	एफडीआई	आईईएम	एलओआई	एफडीआई	आईईएम	एलओआई	एफडीआई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	17311	14	371.82	47828	0	501.03	65628	0	4273.94	114818	0	914.56
3.	अरुणाचल प्रदेश	41	0	0	111	0	0	37	0	0	147	0	0
4.	असम	807	2	0.51	2044	0	0	1333	0	35	7185	0	0
5.	बिहार	3913	0	0	4850	0	0	6564	0	0	9194	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	234	0	0	40	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	39901	0	0	118737	0	1650	222510	0	0	145244	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	2373	1	0	2794	0	0	3024	0	0	1458	0	0
9.	दमन और दीव	779	1	0	1559	0	0	2176	0	0	213	0	0
10.	दिल्ली	20	0	740.99	218	0	3318.32	93	0	507.94	48	0	2206.63
11.	गोवा	296	0	39.41	316	0	0	745	0	0.05	625	0	30
12.	गुजरात	82793	35	153.05	72093	0	65.79	118800	2	365.15	78252	0	150.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	हरियाणा	5577	0	57.54	16095	0	5.64	6340	7	126.63	5409	0	2.45
14.	हिमाचल प्रदेश	1763	11	9	1906	0	0	3596	0	0	1425	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	2058	0	0	2306	0	0	1897	0	0	576	0	0
16.	झारखंड	54089	0	0	35257	0	0	165482	0	0	31241	0	0.42
17.	कर्नाटक	15066	0	917.02	71844	1	4750.09	167649	0	196.78	29746	0	318.12
18.	केरल	600	10	76.77	1141	28	0.09	263	0	0	104	0	57.59
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	18778	0	6	12530	0	0	30385	0	0	187068	0	0
21.	महाराष्ट्र	24480	0	3961.85	60864	40	12916.78	77570	0	5551.92	69198	30	1712.11
22.	मणिपुर	7	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	632	2	0	1280	0	0	4384	0	0	1107	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	38255	0	0.35	96869	0	192.5	220529	0	0	111084	0	0
27.	पांडिचेरी	411	0	0	753	0	5	911	0	0	977	0	0
28.	पंजाब	6340	1	19.11	9507	0	1.75	8989	0	3506	3033	0	19
29.	राजस्थान	5077	0	0.2	10034	6	0	16277	23	258.37	16390	0	16
30.	सिक्किम	548	0	0	882	0	0	808	0	0	506	0	0
31.	तमिलनाडु	11365	93	261.63	19850	25	805.14	32710	5	1394.82	13971	0	28.03
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	151	0	0	68	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	31702	7	82.48	33739	6	5.13	12979	0	106.05	11305	8	3.38
34.	उत्तरांचल	5703	3	28.63	14883	0	0	8132	0	0	3970	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	12028	4	113.66	51830	0	17.22	45678	0	223.97	75303	0	3444
36.	एक से अधिक राज्य में स्थापना स्थल	0	0	1750.98	0	0	2801	0	0	858.81	0	0	757.08
	महायोग	382743	184	8591	692364	106	27035.48	1225761	37	17405.43	919788	38	9660.28

*आंकड़े सितम्बर, 2008 तक।

विवरण II

वर्ष 2005-06 से प्रस्तावित निवेश के राज्य-वार एवं वर्ष-वार कार्यान्वयन के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009	
		दायर आईईएम	एलओआई आईएल में परिवर्तित	दायर आईईएम	एलओआई आईएल में परिवर्तित	दायर आईईएम	एलओआई आईएल में परिवर्तित	दायर आईईएम	एलओआई आईएल में परिवर्तित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	49	0	96	0	846	0	1592	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	18	0	4	0	3	0	0	0
5.	बिहार	0	0	35	0	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	2	0	0	0	305	0	10	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	198	0	39	0
9.	दमन और दीव	0	0	8	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	0	0	0	0	11	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	16954	0	1332	0	3630	0	1250	2
13.	हरियाणा	3	0	171	0	17	0	48	0
14.	हिमाचल प्रदेश	43	0	64	0	5	0	58	0
15.	जम्मू और कश्मीर	304	0	333	0	0	0	0	0
16.	झारखंड	9	0	113	0	101	0	0	0
17.	कर्नाटक	0	0	208	0	41	0	338	0
18.	केरल	3	0	0	0	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	14	0	100	0	474	0	255	0
21.	महाराष्ट्र	83	0	314	0	662	37	1571	0
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	मेघालय	2	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	0	0	0	0	4	0	0	0
27.	पांडिचेरी	0	0	0	0	5	0	1	0
28.	पंजाब	2	0	9	0	61	18	266	0
29.	राजस्थान	138	0	1209	0	143	0	194	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	4	0	7	21	1568	5	1340	0
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	332	0	1771	6	2325	0	446	8
34.	उत्तरांचल	17	0	369	0	578	0	707	0
35.	पश्चिम बंगाल	7	0	56	0	180	0	155	0
36.	एक से अधिक राज्य में स्थापना स्थल	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग	17984	0	6199	27	11157	60	8270	10

विवरण III

राज्य-वार और वर्ष-वार एफडीआई अंतर्वाह के ब्यौरे (रुपये मिलियन में)

क्र.सं.	भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय	राज्यों में शामिल	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009 (सितम्बर तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	10567.84	26955.96	39528.78	42997.99
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा	0	0	110	1764.66

1	2	3	4	5	6	7
3.	पटना	बिहार, झारखण्ड	0	6	0	0
4.	अहमदाबाद	गुजरात	6663.55	16828.12	72152.02	108720.53
5.	बैंगलूरू	कर्नाटक	18180.49	32098.11	64859.36	47785.25
6.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	578.99	607.19	1449.11	3012.91
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	425.51	1315.57	1524.63	1036.47
8.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	42901.74	161946.19	415552.5	254514.46
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	3158.76	493.82	302.63	0
10.	जयपुर	राजस्थान	33.15	2314.32	1649.29	993.47
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	11901.02	58919.25	22641.12	47104.97
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0	576.98	139.34	0
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4078.24	2632.6	17953.46	18816.06
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	3781.62	986.25	1746.89	0
15.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश का भाग एवं हरियाणा	45649.25	110791.05	137478.52	70921.15
16.	पणजी	गोवा	337.26	3454.72	1822.03	420.76
17.	नहीं दर्शाये गये क्षेत्र	नहीं दर्शाये गये क्षेत्र	97586.31	143976.07	207511.2	133016.91
		कुल योग	245843.73	563902.2	986420.88	731105.59

जैव प्रौद्योगिकी पार्क

528. डा. के. धनराजू: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना का क्या उद्देश्य हैं तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मौजूदा और प्रस्तावित जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए किये गये आवंटन का ब्यौरा, राज्य-वार क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) देश में जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना का उद्देश्य है जैव-प्रौद्योगिकी औद्योगिकी समूह के विकास के माध्यम से उत्पाद प्रगति एवं नवोन्वेषण को सुविधामूलक बनाना और ऐसे जैव-प्रौद्योगिकीविद् तथा उद्यमी तैयार करना जो अनुसंधान एवं नवोन्वेषण में सशक्त आधार रखते हों। यह देश में उत्पाद विकास, शुरूआती कंपनियों और लघु एवं मझौले उद्यमों के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना के द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी के व्यापारिक विकास के संवर्धन में सहायक रहा है।

(ख) विगत प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों के राज्य-वार विवरण निम्न रूप में हैं:

पार्क का नाम	राज्य	वर्ष 2005-06 के दौरान निर्मुक्त निधियां (लाख रुपये में)	वर्ष 2006-07 के दौरान निर्मुक्त निधियां (लाख रुपये में)	वर्ष 2007-08 के दौरान निर्मुक्त निधियां (लाख रुपये में)	वर्ष 2008-09 के दौरान निर्मुक्त निधियां (लाख रुपये में)
शपूरजी पल्लोंजी पार्क, हैदराबाद में जैव-प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केन्द्र	आंध्र प्रदेश	447.44	490.00	314.94	–
जैव-प्रौद्योगिकी पार्क, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	191.86	58.95	244.47	425.52

स्टेनलेस स्टील उत्पादों का पाटन

529. श्री सुव्रत बोस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में स्टेनलेस स्टील और हॉट रोल्ड स्टील उत्पादों का पाटन किये जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क भूतलक्षी प्रभाव से लगाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) घरेलू उद्योग ने कुछेक देशों से (1) स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों एवं (2) हॉट रोल्ड इस्पात उत्पादों के पाटन का आरोप लगाते हुए पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) में अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये थे। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की विषय-वस्तु की जांच के उपरांत निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 25.11.2008 की अधिसूचना संख्या 14/6/2008-डीजीएडी एवं दिनांक 28.11.2008 की अधिसूचना सं. 14/23/2008 डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी जांच शुरू की है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त दोनों मामलों में आवेदकों ने इस आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है कि पाटन काफी पहले से किया जाता रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति होती रही है। हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। उपर्युक्त मामलों में अब तक कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया है।

[हिन्दी]

खनन क्षेत्रों के विकास हेतु नीति

530. श्री जीवाभाई ए. पटेल: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास खनन क्षेत्रों से लगे क्षेत्रों का विकास करने हेतु कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार, खनन कंपनी-वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) खनन एक आर्थिक कार्यकलाप है, जिसमें खनन क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता होती है जो आर्थिक विकास और आस-पास के क्षेत्रों के विकास में भी योगदान करते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ खनन कम्पनियां खनन क्षेत्रों के आस-पास परिधीय विकास अर्थात् आवास, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं तथा शिक्षा आदि के लिए योगदान कर रही हैं। तथापि, इन कंपनियों द्वारा परिधीय विकास के लिए किये गये योगदान के ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनियमितताएं

531. डा. चिन्ता मोहन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के खातों में अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 2004 से 2008 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा में वित्तीय अनियमितताओं में दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) अखिल भारतीय लेखा परीक्षक तथा लेखाकार परिषद, नई दिल्ली जिसने वर्ष 2004 से 2008 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय के लेखाओं की विभागीय लेखा परीक्षा की थी, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार संगठन में गहन वित्तीय अनियमितता संबंधी कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार

532. श्री एस. अजय कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों की जांच करने हेतु विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित मामलों की तीव्र जांच को सुनिश्चित करने हेतु किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय हैं और इस तरह से अपराध की रोकथाम, खोजबीन, पंजीकरण, जांच एवं अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य की है। तथापि, केन्द्र सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों की रोकथाम पर विशेष बल देते हुए अपने सीमा-क्षेत्र के भीतर अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाहकारी निर्देश जारी किये हैं। 5 मई, 2004 को जारी की गई समेकित सलाहकारी निर्देशिका, जिसमें कानून एवं व्यवस्था तंत्र की जवाबदेही को बढ़ाने हेतु तथा महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों से निपटने में लगी मशीनरी की प्रभावशीलता को सुधारने के लिए विभिन्न कदमों का वर्णन किया गया है, संलग्न विवरण में दी गई है।

एक नए पुलिस अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार ने सोराबजी समिति का गठन किया। मॉडल पुलिस एक्ट के प्रारूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, "पुलिस सेवा का गठन एवं संगठन" अध्याय के कॉलम "पुलिस स्टेशन्स" में वर्णन है, "प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक महिला एवं बाल संरक्षण डेस्क होगा, जिसमें यथासंभव महिला कर्मी होंगे, जो महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों की शिकायतों को दर्ज करेंगे तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विशेष विधानों के संचालन संबंधी कार्यों को निपटाएंगे"। मॉडल पुलिस एक्ट का प्रारूप समस्त राज्यों को विचारार्थ भेज दिया गया है क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है।

विवरण

फाइल सं. 15011/21/2004-एससी/एसटी सेल
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

सेवा में

मुख्य सचिवगण,
समस्त राज्य सरकारें एवं संघशासित क्षेत्र प्रशासनें।

विषय: महिलाओं के विरुद्ध अपराध-रोकथाम हेतु आवश्यक उपायों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार महिलाओं के संरक्षण संबंधी बेहतर उपाय करने तथा विशेष रूप से उनके विरुद्ध अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदमों को उठाने हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों को परामर्श देती रही है। महिलाओं के विरुद्ध विशेष संदर्भ में पूर्व में जारी किये गये परामर्शी पत्रों यथा अ.शा. पत्र सं. 15018/214/94 जीपीए 6 दिनांक 17.4.1995, सं. 24013/65/96 जीपीए 6 दिनांक 12.9.96, सं. 15018/214/96 जीपीए 6 दिनांक 18.3.97, सं. 24013/84/97 जीपीए 6 दिनांक 6.10.97, सं. 24013/50/98 जीपीए 6 दिनांक 8/11.9.1998 तथा सं. 24013/83/2001 जीपीए 6 दिनांक 9/26.3.2002 को इस संबंध में देखा जा सकता है। इन परामर्शी पत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पुलिस कर्मियों की लैंगिक संवेदनशीलता, महिलाओं के विरुद्ध हिरासत में हुई हिंसा के लिए दोषी पाए जाने वाले सरकारी सेवकों को तत्काल एवं कठोर दण्ड देने हेतु उपयुक्त उपाय अपनाना, महिलाओं की

हत्या, बलात्कार तथा प्रताड़ना की जांच-पड़तालों में देरी को कम करना और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाना, जहां उपलब्ध नहीं है उन जिलों में 'महिला के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ' की स्थापना करना, पीड़ित महिलाओं के लिए उपयुक्त परामर्श केन्द्रों एवं शरणस्थलियों को मुहैया कराया जाना, विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना करना, तथा पीड़ित महिलाओं के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए विकसित योजनाओं की प्रभावशीलता को सुधारना जिसमें महिलाओं को और अधिक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोपार्जन पर विशेष बल दिया गया हो, शामिल हैं।

2. उल्लिखित परामर्शी पत्रों के माध्यम से राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया था कि वे महिलाओं संबंधी समस्याओं का समाधान करते समय तंत्र की प्रभावकारिता की व्यापक जांच करें और कानून एवं व्यवस्था तंत्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करने के उद्देश्य से समुचित उपाय करें। नि:संदेह कुछ राज्यों ने इस संबंध में कुछ उपाय किये हैं। तथापि, इस मंत्रालय में उपलब्ध महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित सूचना यह इंगित करती है कि इन उपायों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि महिला वर्ग सुरक्षित महसूस करे और अपना जीवन उस हैसियत और सम्मान से जीएं जिसकी वे हकदार हैं।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा करता रहता है और महिलाओं के प्रति अपराध की गंभीर घटनाओं के कतिपय मामलों में स्वयं भी जांच करता रहता है। यह आयोग अपनी जांचों के निष्कर्ष संबंधित राज्य सरकारों और इस मंत्रालय को उपलब्ध कराता रहता है। इन विशिष्ट घटनाओं में आयोग द्वारा की गई जांचों की रिपोर्ट यह इंगित करती है कि जिस महिला के प्रति अपराध पर विचार किया जाता है उसमें संवेदनशीलता और ध्यान अपेक्षित स्तर तक नहीं रखा जाता। आयोग ने कुछ विशिष्ट मामलों में कतिपय पुलिस अधिकारियों की ओर से लापरवाही और संवेदनशीलता की कमी का उल्लेख किया है। आयोग ने यह माना है कि गंभीर मामलों में भी प्राथमिकी दर्ज किया जाना एक समस्या बना हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के प्रति अपराध की मुख्य घटनाओं में की गई जांचों के संबंध में अपनी विभिन्न रिपोर्टों में जो कुछ विवेचनात्मक टिप्पणियां और संस्तुति की है वे इसके साथ संलग्न हैं।

4. भारत सरकार इस प्रवृत्ति तथा जमीनी स्थिति के प्रति गम्भीर रूप से चिन्तित है तथा इस बात पर पुन: जोर देती है कि निम्नलिखित पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए:—

(1) अपराध पर संभावित क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के स्कूलों/कालेजों में व्यतिक्रम को मानीटर करने के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में पुलिस अवस्थापना से पूर्णतया सज्जित महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए।

(2) महिलाओं के प्रति अपराध के सभी मामलों की प्राथमिकी अविलम्ब दर्ज की जानी चाहिए।

(3) प्राथमिकी में नामदर्ज सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के सभी प्रयास किये जाने चाहिए ताकि पीड़ितों एवं उनके परिवारजनों में विश्वास की भावना सृजित हो।

(4) मामलों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और घटना होने के तीन महीने के अन्दर, जांच की गुणवत्ता से समझौता किए बिना, अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए। बलात्कार के पीड़ितों की अविलम्ब चिकित्सा जांच कराई जाए।

(5) क्राइम अगेन्स्ट वीमैन सेल के हेल्पलाइन नम्बरों को अस्पतालों/स्कूलों/कालेजों के परिसरों में दृष्टिगोचर स्थानों तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(6) जरूरत पड़ने पर थानों में महिला पुलिस सेल तथा अनन्य महिला थाने स्थापित किये जाने चाहिए।

(7) महिलाओं की सुरक्षा करने के दायित्व से युक्त पुलिस अधिकारियों को उपयुक्त रूप से संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

(8) महिलाओं पर अत्याचार से निपटने वाले विशेष कानूनों में पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसे कारगर करने के लिए प्रवर्तन पहलुओं को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(9) राज्य पुलिस बल में महिला पुलिस अधिकारियों की भर्ती की जानी चाहिए।

(10) महिलाओं के हितों को देखने वाले पुलिस एवं एनजीओ के बीच सघन समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए।

(11) स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभावित क्षेत्रों तथा विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के मोहल्लों में पैट्रोलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। डीएम एवं एसपी का आवधिक दौरा इन वर्गों के लोगों में सुरक्षा की भावना सृजित करेगी।

(12) अपराध के ट्रामा से पीड़ित तथा उसके परिवार के सदस्यों को छुटकारा दिलाने के लिए व्यावसायिक काउन्सलरों द्वारा काउन्सलिंग कराई जानी चाहिए।

(13) महिलाओं के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए विकसित स्कीमों की प्रभावकारिता में सुधार किया जाना चाहिए।

5. अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समीक्षा की जाए तथा वर्तमान स्थिति को दर्शाती हुई एक रिपोर्ट एक माह के अन्दर इस मंत्रालय को भेजी जाए।

6. इस पत्र की पावती तुरन्त भेजें।

भवदीय

ह./
ए.के. श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव
(सीएस)

[हिन्दी]

जवाहर नवोदय विद्यालयों में जनजातीय छात्र

533. श्री हेमंत खंडेलवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सहित देश के नवोदय विद्यालयों में राज्य-वार, कुल कितने जनजातीय छात्र हैं; और

(ख) उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जवाहर नवोदय विद्यालय में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या का मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है। 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के 17 प्रतिशत छात्र नामांकित हुए। सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति केन्द्रित जिलों में 10 जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।

विवरण

31.12.2009 को नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1120
2.	अरुणाचल प्रदेश	3263
3.	असम	3269
4.	बिहार	600
5.	छत्तीसगढ़	1777
6.	दिल्ली	41
7.	गोवा	73
8.	गुजरात	1015
9.	हिमाचल प्रदेश	766
10.	हरियाणा	63
11.	जम्मू व कश्मीर	1373
12.	झारखंड	2346
13.	कर्नाटक	1363
14.	केरल	284
15.	मध्य प्रदेश	4102
16.	महाराष्ट्र	1491
17.	मणिपुर	1823
18.	मेघालय	1617
19.	मिजोरम	651
20.	नागालैंड	1477
21.	उड़ीसा	2697
22.	पंजाब	15
23.	राजस्थान	2405
24.	सिक्किम	570
25.	त्रिपुरा	458
26.	उत्तर प्रदेश	551
27.	उत्तराखंड	280
28.	पश्चिम बंगाल	224
29.	केन्द्र शासित क्षेत्र	407
	कुल	35121

शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न

534. **श्रीमती करुणा शुक्ला:**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में अब तक सरकार को प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं। सरकार को ऐसे किसी रुझान की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूंजी निवेश

535. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा अर्थव्यवस्था में किये गये कुल पूंजी निवेश का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में घरेलू और विदेशी पूंजी का हिस्सा कितना है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किये गये पूंजी निवेश की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय लेखों के अनुसार सरकारी, निजी कार्पोरेट और घरेलू क्षेत्रों में पिछले चार वर्षों के दौरान सकल पूंजी निर्माण का ब्यौरा नीचे तालिका-1 में दिया गया है:

तालिका 1

(करोड़ रुपये में)

मद	2004-05	2005-06	2006-07*	2007-2008**
सरकारी क्षेत्र	2,16,962	2,71,835	3,29,679	4,29,014
निजी कार्पोरेट क्षेत्र	3,38,755	4,91,983	6,11,044	7,49,894
घरेलू क्षेत्र	3,39,328	4,43,679	5,12,076	5,96,846

स्रोत: सीएसओ *अनंतिम **त्वरित अनुमान

पिछले चार वर्षों के दौरान निजी कार्पोरेट क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा सकल पूंजी निर्माण नीचे तालिका 2 में दिया गया है:

तालिका 2

(करोड़ रुपये में)

मद	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
निजी कार्पोरेट क्षेत्र	3,38,755	4,91,983	6,11,044	7,49,894
एफडीआई	17,138	24,613	70,630	98,664

केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

वैश्विक मंदी का प्रभाव

536. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्री एस. अजय कुमार:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू उद्योग में मंदी के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे तथा इसके परिणामस्वरूप बंद होने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ऐसे उद्योगों को संकट से उबारने के लिए किसी पैकेज पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु तैयार की जा रही अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) औद्योगिक विकास केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के जरिये मानीटर किया जाता है। अप्रैल-दिसम्बर, 2008-09 के लिए आईआईपी के संदर्भ में औद्योगिक विकास 3.2 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए 9 प्रतिशत था।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी ने भारत के कुछ निर्यातोन्मुख उद्योगों को प्रभावित किया है, जैसे कि वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़ा तथा रत्न और आभूषण। आटोमोबाइल और इसके सहायक उद्योगों, सीमेंट, स्टील, आवास क्षेत्र, आदि की मांग में भी कमी देखी गई है।

(ग) से (ङ) वैश्विक मंदी से उद्योगों को बचाने के लिए 7 दिसम्बर, 2008 और 2 जनवरी, 2009 में सरकार ने दो प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है। इन दो बेल आउट पैकेजों में अन्य बातों के साथ-साथ शुरू किये गये उपाय हैं:

* सेनवैट/उत्पाद शुल्क में कमी: अतिरिक्त खर्च की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के तत्काल उपाय के तौर पर पेट्रोलियम को छोड़कर मूल्य के अनुसार सेनवेट दर में सभी चीजों पर 4 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की गई।

* निर्यात सहायता उपाय: निर्यात में सहायता के लिए अनेक उपाय किये गये हैं, जैसे कि:

  - वस्त्र, हैंडलूम, हस्तशिल्प, चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र जैसे श्रम गहन उद्योगों के लिए शिपमेंट पूर्व एवं पश्चात् निर्यात ऋण हेतु ब्याज में 2 प्रतिशत की आर्थिक सहायता।

  - टर्मिनल उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर का पूरा रिफंड सुनिश्चित करने के लिए 1100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि।

  - निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन।

  - निर्यात ऋण गारंटी कार्पोरेशन (ईसीजीसी) को 350 करोड़ रुपये तक की सरकारी समर्थन गारंटी, ताकि वह कठिन बाजारों/उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटी प्रदान कर सके।

  - निर्यातकों को निर्यातों के फ्रेट ऑन बोर्ड (एफओबी) मान पर 10 प्रतिशत तक के विदेशी एजेंट कमीशन पर सेवा कर की वापसी।

  - बुने हुए कपड़ों, साइकिलों, कृषि हस्त औजारों और धागों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों सहित कुछ विशेष मदों पर शुल्क वापसी में वृद्धि।

  - निर्यात-आयात (एग्जिम) बैंक द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर भारतीय निर्यातकों को रुपये या डालर में शिपमेंट-पूर्व ऋण।

* आवास

  - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 4000 करोड़ रुपये की पुन: वित्तपोषण सुविधा।

  - आवास क्षेत्र के लिए निधियों की सुलभता में सहायता के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के पात्र अंतिम उपयोग के तौर पर एकीकृत टाउनशिप के विकास की अनुमति दी गई है।

* सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र:

  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एनएसएमई) की सहायता हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 7000 करोड़ रुपये की पुन: वित्तपोषण सुविधा।

  - ऋण गारंटी योजना के तहत ऋण सीमा का बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना।

  - मौजूदा निधि आधारित सीमाओं के 20 प्रतिशत तक आवश्यकता आधारित तदर्थ कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना।

  - ऋण हेतु ब्याज दरों में सूक्ष्म उद्यमों के लिए 1 प्रतिशत की कमी तथा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 0.5 प्रतिशत की कमी करना।

* वस्त्र: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) योजना में सम्पूर्ण पिछला बकाया निपटाने के लिए 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।

  - विशेष कृषि तथा ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत सम्मिलित हस्तशिल्प की सभी मदें।

* सीमेंट: घरेलू सीमेंट उद्योग को बचाने व बढ़ावा देने के लिए सीमेंट पर फिर से काउंटरवेलिंग शुल्क लगाना।

* आटोमोबाइल:

  - वाणिज्यिक वाहनों के लिए 50 प्रतिशत का तीव्र मूल्यह्रास।

  - शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत राज्यों को सहायता।

* विद्युत: विद्युत क्षेत्र में प्रयोग के लिए, नेप्था पर आयात शुल्क हटाना।

* खनन: बारीक लौह खनिज से निर्यात शुल्क हटाना लौह खनिज पिंडकों पर निर्यात शुल्क में कमी करना।

* अन्य: (क) वर्तमान मितव्ययिता निर्देशों में छूट देते हुए, सरकारी विभागों को अनुमेय बजट के भीतर सरकारी वाहन बदलने की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर, स्टेच्युटरी लिक्विडिटी अनुपात (एसएलआर), कैश रिजर्व अनुपात (सीआरआर) को घटाकर ऋण लागतों को कम करने एवं उद्योगों के लिए तरलता में सुधार करने के उद्देश्य से हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं।

ब्याज दरों में कमी तथा सेनवेट दरों में सभी चीजों के लिए 4 प्रतिशत की कमी के जरिये लागतें घटाने से उद्योगों के लिए मांग और निवेश तथा रोजगार के सृजन में प्रोत्साहन देने में सहायता मिली है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या

537. श्री मोहन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सीपीएमएफ) में सुरक्षा कार्मिकों की कुल संख्या, प्रत्येक बल-वार, महिला पुरुष-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में आतंकवादियों और नक्सलियों का सामना करने के लिए सीआरपीएफ सहित सीपीएमएफ की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) विवरण निम्नलिखित है:

बल	स्वीकृत नफरी	तैनात नफरी		
		पुरुष	महिला	कुल
सीआरपीएफ	263598	246861	4151	241012
बीएसएफ	210301	203333	1126	204459
सीआईएसएफ	112516	93910	4064	97974
असम राईफल्स	65185	63423	521	63944
आईटीबीपी	57475	45055	380	45435
एसएसबी	55351	46668	1130	47798
एनएसजी	8395	7247	40	7287

(ख) और (ग) देश में सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा के आधार पर बलों की नफरी में संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

एमएमटीसी द्वारा लौह अयस्क की न्यून बिक्री

538. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा जापान और दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों को खनिजों विशेषकर लौह अयस्क की न्यून बिक्री की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी देश-वार, मात्रा-वार, मूल्य-वार और खनिज-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमएमटीसी उन प्रथाओं का अनुकरण करता है जैसाकि वैश्विक स्तर पर हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) न्यून बिक्री से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एमएमटीसी द्वारा दीर्घावधि संविदाएं/वार्षिक करार संबंधी ज्ञापन निष्पादित करके जापानी इस्पात मिलों, पॉस्को, दक्षिण कोरिया तथा चीन के क्रेताओं को लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है। जापानी इस्पात मिलों और पॉस्को, दक्षिण कोरिया के साथ मात्रा एवं कीमतों को प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। ऐसी बैंचमार्क कीमतों को लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/गिरावट के अनुरूप अंतिम रूप प्रदान किया जाता है और ये कीमतें पूरे वर्ष के लिए लागू होती हैं। चालू वर्ष 2008-09 के लिए ऑस्ट्रेलियाई आपूर्तिकर्त्ताओं ने पिछले वर्ष के कीमत स्तरों की तुलना में लौह अयस्क लम्प्स की बैंचमार्क कीमत में 96.50 प्रतिशत और लौह अयस्क फाइन्स की कीमत में 79.88 प्रतिशत की वृद्धि को अंतिम रूप दिया था। एमएमटीसी द्वारा भी ऐसा ही किया गया और जापानी इस्पात मिलों तथा पॉस्को, दक्षिण कोरिया के साथ कीमतों में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।

चीन के संबंध में वार्षिक मात्रा को प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। तथापि, इन क्रेताओं के साथ कीमतों को बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सौदा-दर-सौदा आधार पर मौके पर अंतिम रूप प्रदान किया जाता है।

क्रोम अयस्क तथा सांद्र की कीमतों का निर्धारण क्रोम के उत्पादकों द्वारा आमतौर पर तिमाही आधार पर किया जाता है जिसके लिए एमएमटीसी में क्रोम उत्पादकों की बैठक आयोजित की जाती है। ये कीमतें बाजार की स्थिति, घरेलू परिदृश्य, प्रतिस्पर्धियों के कार्यकलाप और विचाराधीन अवधि में कीमतों की धारणीयता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं।

मैंगनीज अयस्क की कीमतों का निर्धारण आपूर्तिकर्त्ताओं तथा विदेशी क्रेताओं के साथ परस्पर व्यापार के आधार पर किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन इकाइयां

539. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के कुल निर्यात में निर्यात संवर्धक इकाइयों द्वारा किये गये निर्यात का प्रतिशत-वार हिस्सा कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों को दी गई छूट और अन्य सुविधाओं का मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन कतिपय इकाइयों द्वारा कर छूट और अन्य सुविधाओं के दुरुपयोग के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) देश के कुल निर्यातों में निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) का हिस्सा वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान क्रमश: लगभग 10.84%, 12.24%, 24.58% (अनंतिम), तथा 21.52% (अनंतिम) रहा है।

(ख) निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ईओयू) वित्तीय रियायतों की पात्र है जिनमें शुल्क मुक्त आयात/घरेलू खरीद एवं पूंजीगत वस्तुओं उनके उत्पादन संबंधी कार्यकलापों के लिए कच्ची सामग्री, खपत योग्य वस्तुओं पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति तथा निर्निर्दिष्ट अवधि तक निर्यात आय पर कंपनी कर की छूट शामिल है।

(ग) और (घ) दुरुपयोग इत्यादि की घटनाओं का जब भी पता चलता है, उनका निपटान संबंधित विकास आयुक्तों/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क प्राधिकारियों आदि द्वारा कानून के संगत प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क/राजस्व आसूचना निदेशालय इत्यादि एवं संबंधित विकास आयुक्त के बीच समुचित समन्वय हेतु उपाय किये गये हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों की स्थापना

540. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित बोडोलैण्ड टेरीटेरियल एरिया डिस्ट्रिक (बीटीएडी) में केन्द्रीय तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा दोनों क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों सहित केन्द्रीय/प्रीमियर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा इस संबंध में अब तक संस्थान-वार और स्थान-वार कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन संस्थानों को कब तक स्थापित एवं कार्यशील बनाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जहां तक बोडोलैंड क्षेत्र का संबंध है, चार जिलों में से उदालगिरी, चिरांग और बस्का नामक तीन जिलों को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान नए पॉलीटेक्नीकों की स्थापना के लिए प्रत्येक को 12.3 करोड़ रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। कोकराझार जिले में, केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नामक केन्द्र द्वारा वित्तपोषित डिप्लोमा स्तर संस्थान की स्थापना की गई है और यह कार्य कर रहा है। वर्तमान में बोडोलैंड क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि असम राज्य में तेजपुर विश्वविद्यालय और असम विश्वविद्यालय, सिलचर नामक दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय पहले से ही हैं।

[हिन्दी]

इंटरनेट पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का दर्शाया जाना

541. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या www.wikimapia.org सहित इंटरनेट वेबसाइटों पर देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को दर्शाया जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ महत्वपूर्ण अवस्थापनाओं/क्षेत्रों की छवि www.wikimapia.org सहित कुछ वेबसाइटों पर उपलब्ध है और वेबसाइट पर इस प्रकार की छवि डालने जाने के मामले के संदर्भ में आवश्यक कदम भी उठाये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यापकों के लिए अकादमी की स्थापना

542. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अध्यापकों के लिए एक अकादमी की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शस्त्र लाइसेंस की वैधता का विस्तार

543. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:
श्री रशीद मसूद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में शस्त्र लाइसेंसों की वैधता के विस्तार के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कतिपय दिशा-निर्देशों के बारे में संसद सदस्यों से आपत्ति प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि दिनांक 11.10.1995 को गृह मंत्रालय के पत्र सं. 5-11026/106/94-शस्त्र के तहत कुछ दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

(ग) और (घ) माननीय दो सांसदों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा शस्त्र लाइसेंस की वैधता के दायरे में विस्तार न किये जाने के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं। दोनों माननीय सदस्यों की टिप्पणियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

[अनुवाद]

पुलिस अधिकारियों की बैठक

544. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद का सामना करने के लिए तैयारी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जनवरी, 2009 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था जैसाकि दिनांक 2 फरवरी, 2009 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विचार-विमर्श किये गये मुद्दों एवं इसके निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जनवरी, 2009 में एनपीए, हैदराबाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। तथापि नियमित प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में पुलिस महानिरीक्षक तथा उससे ऊपर के रैंक के आईपीएस अधिकारियों के लिए पुलिस व्यवस्था पर रणनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम (स्तर-3) 12-17 जनवरी, 2009 के दौरान आयोजित किया गया था।

(ख) भागीदारों ने आसूचना संग्रहण, रणनीतिक कार्ययोजना, अन्तर-विभागीय सहयोग आदि जैसे मुद्दों के विशेष संदर्भ में "शहरी आतंकवाद" मुख्य विषय पर चर्चा की।

(ग) इन कार्यक्रमों से भागीदारों के क्षमता निर्माण तथा पेशेवर विकास में योगदान मिलता है।

मेगासिटी पुलिस व्यवस्था के लिए निधि

545. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री जसुभाई धाभाई बारड़:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत अनुदानों के संवितरण के लिए मेगासिटी पुलिस व्यवस्था तथा मरुस्थल क्षेत्र पुलिस व्यवस्था संघटकों का विलय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास आतंकवाद के खतरे के दृष्टिगत मेगासिटी पुलिस व्यवस्था तथा मरुस्थल क्षेत्र पुलिस व्यवस्था के लिए यथेष्ट राशि जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) आन्तरिक सुरक्षा के लिए विशेषकर आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के रूप में उभरने वाली चुनौतियों से निपटने हेतु अपने पुलिस बलों को आधुनिकतम बनाने संबंधी राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ) संबंधी एक योजनेत्तर स्कीम को गृह मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है। महानगर पुलिस व्यवस्था और मरुस्थल पुलिस व्यवस्था एमपीएफ स्कीम का हिस्सा है और उन्हें वर्ष 2005-2006 में शुरू किया गया था। महानगर पुलिस व्यवस्था में मुम्बई, बंगलूरू, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद शहर शामिल हैं तथा मरुस्थल पुलिस व्यवस्था में गुजरात और राजस्थान राज्य शामिल हैं। महानगर पुलिस व्यवस्था तथा मरुस्थल पुलिस व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत दी जाती है। वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान

एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत महानगर पुलिस व्यवस्था एवं मरुस्थल पुलिस व्यवस्था हेतु गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत की गयी धनराशि निम्नानुसार है:

घटक	2005-06	2006-07	2007-08
महानगर पुलिस व्यवस्था	22.00	96.43	69.82
मरुस्थल पुलिस व्यवस्था	5.00	14.00	10.50

एनसीटी दिल्ली हेतु निधियां संघ शासित प्रदेश के लिए एक पृथक् आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई जाती हैं।

बी.एड. कालेज

546. श्री के. विरूपाक्षप्पा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.एड. कालेजों की स्थापना के लिए सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्वीकृत बी.एड. कालेजों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एड. कालेजों में सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन कालेजों का ब्यौरा क्या है जिनमें बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एड. कालेजों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु किसी संस्था को मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड एवं प्रक्रिया) विनियम, 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद देता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) मान्यता देने से पहले भौतिक अवसंरचनात्मक और निर्देशात्मक सुविधाओं की जांच एक दौरा दल द्वारा की जाती है जिसमें विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। इस प्रकार मान्यता देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्था अपेक्षाओं को पूरी करती हो तथा विनियमों में निर्धारित सभी सुविधाओं से सम्पन्न हो।

(ङ) और (च) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी आधार पर कोई विशिष्ट स्कीम या प्रावधान नहीं है। विभिन्न स्थानों पर स्थित संस्थाओं से प्राप्त आवेदनपत्रों पर, मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	अनुमोदित किये गये बी.एड. पाठ्यक्रमों की संख्या		
		2005-2006	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	19	01	243
3.	अरुणाचल प्रदेश	01	0	0
4.	असम	11	02	01
5.	बिहार	07	01	11
6.	चंडीगढ़	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	27	15	10
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–

1	2	3	4	5
9.	दमन और दीव	–	01	–
10.	दिल्ली	01	04	05
11.	गोवा	01	–	–
12.	गुजरात	70	75	101
13.	हरियाणा	05	57	24
14.	हिमाचल प्रदेश	03	16	25
15.	झारखंड	22	01	03
16.	कर्नाटक	110	07	52
17.	केरल	20	01	24
18.	लक्षद्वीप	–	01	–
19.	मध्य प्रदेश	184	50	53
20.	महाराष्ट्र	110	63	60
21.	मणिपुर	0	0	01
22.	मेघालय	0	0	0
23.	मिजोरम	0	0	02
24.	नागालैण्ड	0	0	0
25.	उड़ीसा	0	0	01
26.	पुदुचेरी	23	02	03
27.	पंजाब	68	36	03
28.	राजस्थान	78	186	107
29.	सिक्किम	0	0	0
30.	तमिलनाडु	167	147	183
31.	त्रिपुरा	02	0	0
32.	उत्तरप्रदेश	125	65	51
33.	उत्तराखंड	32	15	07
34.	पश्चिम बंगाल	12	11	29
	कुल	1098	757	999

भारतीय दंड संहिता में संशोधन

547. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लापरवाही से अथवा नशे की हालत में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर दंड देने के लिए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा में संशोधन करने पर विचार कर रही है जिसके परिणामस्वरूप लोगों की जान जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2007 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 15 मई, 2007 को राज्य सभा में पेश किया गया था। उक्त विधेयक की जांच परिवहन, पर्यटन और संस्कृति की संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई है। समिति ने विधेयक के खंड 9 के संबंध में संस्तुति की है कि कानून (नामत आईपीसी) में प्रावधान बनाया जाना चाहिए कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से हुई मौतों को हत्या न मानकर आपराधिक मानव वध मानना चाहिए तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने से हुई दुर्घटना को केवल लापरवाही नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे पूर्वनियोजित अपराध समझा जाना चाहिए और ड्राईवर को आईपीसी के संगत प्रावधानों के तहत दंड दिया जाना चाहिए। समिति की उक्त सिफारिशों पर गृह मंत्रालय के विचार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग को भेज दिए गए हैं। इस समय मामला, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विचाराधीन है।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना

548. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत पात्रता मानदंड शिथिल करके गोवा मुक्ति आंदोलन के द्वितीय-चरण (1945-55) के भागीदारों को केन्द्रीय पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों को कोई निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये आदेश केरल सहित शेष राज्य सरकारों के लिए प्रयोज्य नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के पात्रता मानदण्ड में छूट देकर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा गोवा राज्यों के गोवा लिबरेशन मूवमेंट (1954-55) के चरण-2 के लगभग 3500 प्रतिभागियों को केन्द्रीय पेंशन देने का 4.2.2003 को निर्णय लिया है। उपरोक्त निर्णय लेते समय यह जानकारी उपलब्ध नहीं थी/प्रदान नहीं की गई थी कि केरल तथा अन्य राज्यों के कुछ स्वतंत्रता सैनिकों ने भी गोवा लिबरेशन मूवमेंट के चरण-2 में हिस्सा लिया और राज्य सरकारों ने उन्हें पेंशन प्रदान की थी। अत: पेंशन का लाभ ऐसे स्वतंत्रता सैनिकों को नहीं दिया जा सका।

जी.एस.आई. द्वारा सर्वेक्षण

549. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) देश में खनिज संसाधनों के बारे में सर्वेक्षण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में ऐसे सर्वेक्षणों का राज्य-वार एवं खनिज-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों में धातु एवं खनिज सर्वेक्षणों में कितनी मात्रा होने का अनुमान है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक सर्वेक्षण पर जीएसआई द्वारा राज्य-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ङ) ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए जीएसआई द्वारा पहचान किये गये नए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) देश में खनिज संसाधनों के लिए क्षेत्रीय पैमाने के सर्वेक्षण कर रहा है। गत तीन वर्षों (चालू वर्ष सहित) के दौरान ऐसे सर्वेक्षणों का राज्य-वार एवं खनिज-वार ब्यौरा निम्नवत है:

खनिज	2006-07	2007-08	2008-09
कोयला/लिग्नाइट	पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
आधार धातु	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मेघालय	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मेघालय	पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मेघालय
सोना	पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, उत्तराखंड
हीरा एवं रत्न	उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा	उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश	उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश
प्लेटीनॉयड समूह के तत्व (पीजीई)	उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, मेघालय	महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मेघालय	महाराष्ट्र, तमिलनाडु
लौह अयस्क	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु	उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु	उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु
मैग्नीज	झारखंड	उड़ीसा	उड़ीसा
बॉक्साइट	उड़ीसा	-	-

(ग) जीएसआई क्षेत्रीय सर्वेक्षण पैमाने से खनिजों के संसाधनों का अनुमान लगाता है। विस्तृत सर्वेक्षण, वेधन आदि का कार्य करने के बाद और निक्षेपों की आर्थिक व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखते हुए अन्य एजेंसियों द्वारा भंडारों का अनुमान लगाया जाता है।

(घ) जीएसआई सर्वेक्षण-वार और राज्य-वार नहीं रखता है। तथापि, क्षेत्र-वार प्रचालनात्मक व्यय (वेतन और अतिरिक्त खर्चों को छोड़कर) नीचे दिया गया है:

(आंकड़े लाख में)

क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09 (जनवरी, 09 तक)
पूर्वी क्षेत्र (ईआर)	110.48	96.42	72.10
कोयला विंग (सीडब्ल्यू)	473.39	460.42	467.01
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)	25.35	17.08	11.08
उत्तरी क्षेत्र (एनआर)	83.04	84.64	109.95
मध्य क्षेत्र (सीआर)	105.80	82.06	46.23
पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर)	156.07	131.80	108.50
दक्षिण क्षेत्र (एसआर)	190.68	171.17	147.30

नोट: ईआर - अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार, उड़ीसा
एनईआर - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा
एनआर - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर; सीआर - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
डब्ल्यूआर - राजस्थान, गुजरात; एसआर - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल

(ङ) जीएसआई ने नए सर्वेक्षण करने के लिए निम्नलिखित नए क्षेत्रों की पहचान की है:

खनिज	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)	राज्य
कोयला/लिग्नाइट	60,935	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात
आधार धातु	1,82,000	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सिक्किम, महाराष्ट्र
सोना	1,12,000	कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान
हीरा और कीमती पत्थर	3,00,000	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल
प्लेटिनॉयड समूह के तत्व (पीजीई)	8,000	उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
लौह अयस्क	5,000	कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा
मैग्नीज	4,600	कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा
बॉक्साइट	30,000	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा
क्रोमाइट	2,500	कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु

नर्सरी स्कूल

550. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को नर्सरी नामांकनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बेहतर सुविधाओं वाले सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं शुरू करने के लिए निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि आरक्षित की गई है;

(घ) इन कक्षाओं को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ किन-किन राज्यों का चयन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी सरकारी सर्वोदय विद्यालयों जहां कक्षा-1 मौजूद है, में अगले तीन वर्षों के भीतर एक वर्षीय पूर्व-प्राथमिक कक्षा प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। किसी शैक्षिक वर्ष के 31 मार्च तक निकटवर्ती क्षेत्रों के 4 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे इन पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने के पात्र हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी. (सी) 12490/2006 के मामले में दिनांक 26.9.2007 के अपने आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के इस निर्णय को नोट किया था। उच्च न्यायालय के आदेश में शिक्षा विभाग, दिल्ली द्वारा संचालित विद्यालयों हेतु लगभग 15 करोड़ रु. के व्यय का अनुमान दर्शाया गया है। यह राशि नगर निगम विद्यालयों में अतिरिक्त आवश्यकता के अलावा है।

एम.एस.एम.ई. कामगारों के लिए बीमा कवर

551. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्यम एवं लघु उद्योगों में नियोजित कामगारों के लिए बीमा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में नियोजित कामगारों के लिए बीमा कवर में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव के कारण उक्त उद्योगों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत गठित कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना 10/20 से अधिक कर्मचारियों/कामगारों वाली सभी फैक्टरियों/प्रतिष्ठानों (विद्युत के साथ/बिना) पर लागू होता है। इस योजना में 10,000 रुपये तक मासिक मजदूरी प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारी/कामगार शामिल हैं, जिनमें, अन्य के साथ-साथ, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में नियुक्त कामगार शामिल हैं। 1.4.2005 से, ईएसआई के तहत लाभों को बढ़ाने के लिए, सरकार ने एमएसएमई के कर्मचारियों सहित बीमित कर्मचारियों/कामगारों को अन्य चिकित्सा व बीमा लाभों के साथ बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए 'राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना' शुरू की।

इसके अतिरिक्त, सरकार के पास निम्नलिखित क्षेत्र/व्यापार या व्यवसाय विशिष्ट स्वास्थ्य/जीवन बीमा योजनाएं हैं जिसमें उन क्षेत्रों में कार्यरत एमएसएमई के पात्र कामगारों सहित सभी कर्मचारी शामिल हैं:

(1) हथकरघा बुनकर विस्तृत कल्याण योजना;

(2) हस्तशिल्प कारीगर विस्तृत कल्याण योजना;

(3) असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे के कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना;

(4) 43 अधिसूचित व्यवसायों में संलग्न गरीबी रेखा के नीचे के कामगारों के लिए जनश्री बीमा योजना;

(5) खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) जहां 2006-07 से खादी कारीगरों को बढ़ा हुआ जोखिम कवर प्रदान किया जाता है; और

(6) कॅयर बोर्ड कॅयर कर्मचारी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें कॅयर उद्योग में लगे हर कॅयर कर्मचारी के लिए जोखिम कवर 1.4.2005 से दोगुना कर दिया गया है।

(घ) एमएसएमई पर आर्थिक मंदी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमएसएमई की सुरक्षा एवं उन्हें प्रेरित करने के लिए कई उपाय किये हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ (1) क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण सीमा को 50 प्रतिशत के गारंटी कवर के साथ 50 लाख रु. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. करना; (2) क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी कवर को 5 लाख रु. तक की क्रेडिट सुविधा के लिए 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना; (3) एमएसएमई के बिलों का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक परामर्शी; (4) लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र को 31.3.2009 तक प्री और पोस्ट शिपमेंट निर्यात क्रेडिट में 2 प्रतिशत की ब्याज कटौती; (5) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को बढ़ती हुई ऑन-लेंडिंग के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 7,000 करोड़ रु. की पुनर्वित्त सीमा; (6) मौजूदा फंड आधारित सीमा के 20 प्रतिशत तक आवश्यकता आधारित अस्थायी कार्यशील पूंजी की मांग संबंधी ऋण; (7) सूक्ष्म उद्यमों द्वारा उधार लेने के लिए ब्याज दरों में 1 प्रतिशत तथा एसएमई के संदर्भ में 0.5 प्रतिशत की कटौती।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

552. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कुल कितनी राशि जारी की गई;

(ख) क्या आवंटित राशि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्तमान वर्ष के दौरान यह कार्यक्रम केवल उड़ीसा राज्य में संचालित किया जा रहा है और अभी तक इस बाबत कोई राशि जारी नहीं की गई है क्योंकि उक्त राज्य के पास व्यय न की गई राशि शेष है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना के तहत जारी की गई निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-2006	2006-07	2007-08	2008-09
1.	उत्तर प्रदेश	178.42	पीसी	–	–
2.	उत्तराखण्ड	56.51	पीसी	–	–
3.	बिहार	60.00	पीसी	–	–
4.	झारखण्ड	62.51	पीसी	–	–
5.	आंध्र प्रदेश	10.00	पीसी	–	–
6.	पश्चिम बंगाल	37.90	पीसी	–	–
7.	गुजरात	7.95	पीसी	–	–
8.	राजस्थान	125.52	31.90	58.22	पीसी
9.	उड़ीसा	27.06	66.01	35.96	–

पीसी - परियोजना समाप्त

[हिन्दी]

रिटेल क्षेत्र

553. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने कतिपय घरेलू एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर खुदरा क्षेत्र में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और उनके कारोबार प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) लघु घरेलू रिटेलरों के हित की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) यद्यपि सिंगल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार के अलावा खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं है, तथापि देश में खुदरा भंडारों को स्थापित करने के लिए घरेलू खुदरा व्यापारियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर भी, केरल राज्य ने राज्यों में खुदरा क्षेत्र में घरेलू कंपनियों के प्रवेश का सैद्धांतिक तौर पर विरोध किया है।

(ग) और (घ) सरकार को खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति देने के विरोध में उद्योग एसोसिएशनों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मौजूदा नीति एकल ब्रांड के खुदरा व्यापार के अलावा, जहां सरकार के पूर्व अनुमोदन से 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति नहीं देती है। एफडीआई के साथ एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पाद ब्रांड जागरूकता, युवा, मध्यम वर्गीय ग्राहकों की जरूरतें पूरी करते हैं जिनकी स्थिति छोटे व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली सेवा की तुलना में अलग होती है। इसलिए एकल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार में एफडीआई द्वारा मौजूद लघु व्यापारियों को प्रभावित किये जाने की उम्मीद नहीं है। सरकार ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) के जरिये असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन कराया था। आईसीआरआईईआर अध्ययन के निष्कर्ष/सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। सरकार लघु घरेलू खुदरा व्यापारियों की

चिन्ताओं के प्रति पूर्णत: जागरूक है और खुदरा व्यवसाय में लगे सभी पणधारकों के न्याय संगत हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहती है।

विवरण

आईसीआरआईईआर के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

अगले पांच वर्षों में वास्तविक जीडीपी में प्रतिवर्ष 8-10 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। परिणामस्वरूप, 90,000 रुपये से अधिक वार्षिक घरेलू आय वाले उपभोक्ता वर्ग के, वर्ष 2006-07 में लगभग 370 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 620 मिलियन हो जाने की संभावना है। अत:, भारत में खुदरा व्यवसाय वर्ष 2006-07 में 322 बिलियन अमरीकी डालर से 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर के साथ बढ़कर वर्ष 2011-12 में 590 बिलियन अमरीकी डालर होने की संभावना है। अध्ययन दर्शाता है कि:

* असंगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र में लगभग 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि की संभावना है, वर्ष 2006-07 में 309 बिलियन अमरीकी डालर की बिक्री वर्ष 2011-12 में बढ़कर 496 बिलियन अमरीकी डालर होने की संभावना है।

* असंगठित खुदरा व्यापारियों की अपेक्षाकृत कमजोर वित्तीय स्थिति तथा उनकी विस्तार संभावना में भौतिक स्थान संबंधी बाधाओं के कारण, यह क्षेत्र अकेले खुदरा व्यापार की बढ़ती हुई मांगों को पूरा नहीं कर पाएगा।

* अत: संगठित खुदरा व्यापार में जो कुल खुदरा व्यापार का मात्र 4 प्रतिशत है, तीव्र गति से 45 से 50 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है एवं वर्ष 2011-12 में कुल खुदरा व्यापार में इसका हिस्सा चौगुना अर्थात् 16 प्रतिशत होने की संभावना है।

* यह एक सकारात्मक तथ्य है जिसमें असंगठित एवं संगठित क्षेत्र दोनों, न केवल एक साथ अस्तित्व में रहेंगे अपितु उनके आकार में भी वृद्धि होगी।

* इस अध्ययन में जिन असंगठित खुदरा व्यापारियों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से अधिकांश ने इस व्यवसाय को छोड़ने के बजाय इसमें बने रहने तथा प्रतिस्पर्धा करने की बात कही है।

आनुभविक आधार

इस अध्ययन में अर्थव्यवस्था के उन सभी घटकों का सर्वेक्षण शामिल है, जो खुदरा व्यवसाय में बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के प्रवेश से प्रभावित हो सकते हैं। यह निष्कर्ष 10 मुख्य शहरों में 2020 असंगठित छोटे खुदरा व्यापारियों; संगठित एवं असंगठित खुदरा दुकानों दोनों में 1318 उपभोक्ता दुकानों; 100 मध्यवर्ती व्यापारियों; तथा 197 किसानों के सर्वेक्षण पर आधारित है। इसके अलावा, चार मेट्रो शहरों में ऐसे 805 असंगठित खुदरा व्यापारियों का "नियंत्रित नमूना" सर्वेक्षण भी किया गया जो संगठित खुदरा दुकानों के आस-पास नहीं थे।

12 बड़े विनिर्माताओं, 20 छोटे विनिर्माताओं एवं 6 स्थापित आधुनिक खुदरा व्यापारियों का विस्तार से साक्षात्कार भी किया गया।

इस अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार अनुभव, विशेषकर मुख्य उभरती हुए बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव की विस्तृत समीक्षा शामिल है।

मुख्य निष्कर्ष

असंगठित खुदरा व्यापारियों पर प्रभाव

* बड़े असंगठित खुदरा व्यापारियों के प्रवेश के बाद प्रारंभिक वर्षों में, असंगठित खुदरा व्यापारियों, जो संगठित खुदरा व्यापारियों के आस-पास थे, के व्यापार एवं लाभ की मात्रा में कमी आई।

* बिक्री एवं लाभ पर विपरीत प्रभाव समय के साथ-साथ कम होता गया।

* संगठित खुदरा व्यापारियों के प्रवेश के परिणामस्वरूप असंगठित क्षेत्र में समग्र रोजगार में कमी के कोई प्रमाण नहीं थे।

* उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्रों में रोजगार में कुछ कमी आई, इसका प्रभाव समय के साथ-साथ कम होता गया।

* समग्र रूप से असंगठित खुदरा दुकानों के बंद होने की दर 42 प्रतिशत प्रतिवर्ष पाई गई है जोकि छोटे व्यवसायों के बंद होने की अंतर्राष्ट्रीय दर से काफी कम है।

* संगठित खुदरा क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा के कारण बंद होने की दर भी कम है तथा 1.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

* सुधरी हुई कारोबार रीतियों तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिये परंपरागत खुदरा विक्रेताओं से भी प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया मिल रही है।

* असंगठित क्षेत्र के अधिकांश खुदरा विक्रेता कारोबार में बने रहना और प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं और यह भी

चाहते हैं कि अगली पीढ़ी भी इसी तरह काम जारी रखे।

* छोटे खुदरा विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित करने एवं बनाए रखने में अधिक भरोसेमंद रहे हैं।

* तथापि केवल 12 प्रतिशत असंगठित खुदरा विक्रेताओं की संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच है एवं 37 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंक ऋण तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता महसूस करते हैं।

* अधिकांश असंगठित खुदरा विक्रेता स्वतंत्र बने रहने के लिए वचनबद्ध हैं और मात्र 10 प्रतिशत ने संगठित खुदरा विक्रेताओं का फैंजाइनी बनना पसंद किया।

उपभोक्ता पर प्रभाव

* उपभोक्ताओं ने निश्चित रूप से संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र का बहुत अधिक लाभ उठाया है।

* संगठित खुदरा क्षेत्र के प्रवेश के साथ ही समग्र उपभोक्ता खर्च बढ़ा है।

* हालांकि सभी आय वर्गों ने संगठित खुदरा खरीदारी से बचत की, लेकिन सर्वेक्षण ने खुलासा किया है कि कम आय वर्ग के उपभोक्ताओं ने कहीं ज्यादा बचत की। इस प्रकार, संगठित खुदरा क्षेत्र कम समृद्ध वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाभदायक है।

* असंगठित आउटलेट का सबसे बड़ा तुलनात्मक व्यय समीप होना है।

* असंगठित खुदरा विक्रेताओं के पास काफी प्रतिस्पर्धी शक्तियां हैं जिनमें उपभोक्ता की ख्याति, उधार पर बिक्री, सौदेबाजी की संभावनाएं, खुले सामानों (लूज आईटम) की बिक्री करवाना, सुविधाजनक समय और घर पर सुपुर्दगी शामिल है।

मध्यस्थों पर प्रभाव

* अध्ययन में मध्यस्थों पर संगठित खुदरा क्षेत्र के किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है।

* तथापि फल, सब्जियों और परिधान जैसे उत्पादों के लिए काम कर रहे मध्यस्थों के टर्नओवर तथा लाभ पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

* दो तिहाई से ज्यादा मध्यस्थ, खुदरा क्षेत्र के विस्तार से कारोबार के बढ़े अवसरों के परिणामस्वरूप, अपने कारोबारों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

* केवल 22 प्रतिशत नहीं चाहते कि अगली पीढ़ी इस कारोबार में आए।

किसानों पर प्रभाव

* संगठित खुदरा विक्रेताओं को सीधे बिक्री के विकल्प से किसानों को काफी लाभ हुआ है।

* संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र को फूलगोभी सीधे बिक्री करने वाले किसानों के लिए औसत मूल्य वसूली सरकार द्वारा नियंत्रित मंडी में उनके लाभ बिक्री की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक रहा है।

* संगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र को सीधे बिक्री करने वाले किसानों की लाभ मंडी में बिक्री से प्राप्त राशि में करीब 60 प्रतिशत ज्यादा रहा।

* यदि मंडी में कमीशन एजेंट द्वारा ली जाने वाली राशि (जो प्राय: बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत होती है) को भी ध्यान में रखा जाए, तो अंतर और भी ज्यादा है।

विनिर्माताओं पर प्रभाव

* बड़े विनिर्माताओं ने मूल्य और भुगतान संबंधी दबावों के जरिये संगठित खुदरा क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया है।

* विनिर्माताओं ने अपनी ब्रांड क्षमता का सृजन तथा सुदृढ़ीकरण करके, अपनी खुदरा मौजूदगी बढ़ाकर, छोटे खुदरा विक्रेताओं को 'अपनाकर' और आधुनिक खुदरा विक्रेताओं के साथ कारोबार हेतु समर्पित दलों की स्थापना करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

* संगठित खुदरा क्षेत्र के प्रवेश से संभार-तंत्र (लॉजीस्टिक्स) उद्योग बदल रहा है। यह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सकारात्मक बहिर्मुखता पैदा करेगा।

* छोटे विनिर्माताओं पर संगठित व्यापार क्षेत्र का किसी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखा।

नीतिगत सिफारिशें

सर्वेक्षण के परिणामों और अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार क्षेत्र के अनुभवों की समीक्षा के आधार पर, अध्ययन में निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की गई हैं:

1. निजी-सरकारी सहभागिता के जरिये वैटमार्केटों का आधुनिकीकरण।

2. जैसा कि चीन में है, असंगठित खुदरा क्षेत्र को बिक्री और किसानों से खरीद के लिए मैट्रो जैसे कैश एंड कैरी आउटलेटों की सुविधा प्रदान करना।

3. आपूर्तिकर्त्ताओं और किसानों से सीधी खरीद के लिए असंगठित खुदरा विक्रेताओं के कोपरेटिव्स और एसोसिएशनों को प्रोत्साहन देना।

4. नवीन सुधारों वाले बैंकिंग समाधानों के जरिये बैंकों और छोटे ऋण संस्थानों से असंगठित खुदरा विक्रेताओं को बेहतर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

5. संगठित खुदरा विक्रेताओं को सीधे बिक्री के लिए किसानों की कोपरेटिव्स के गठन की सुविधा प्रदान करना।

6. छोटे आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ व्यापार के लिए संगठित खुदरा क्षेत्र द्वारा "निजी आचार संहिता" के गठन को प्रोत्साहन देना। बाद में इन्हें लागू करने योग्य कानून में समाविष्ट किया जा सकता है।

7. संगठित क्षेत्र के लिए लाइसेंसिंग तथा परमिट व्यवस्था का सरलीकरण और आधुनिक खुदरा क्षेत्र मुहैया कराने हेतु राज्यों में एक समान राष्ट्रव्यापी लाइसेसिंग व्यवस्था को और बढ़ाना।

8. सांठगांठ तथा लूटखसोट वाले मूल्य निर्धारण के खिलाफ नियम लागू करने हेतु प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका को सुदृढ़ करना।

9. एपीएमसी बाजारों को आधुनिकीकरण जैसाकि बंगलौर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) सफल मार्केट बनाया गया है।

आईसीआरआईईआर रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई

* आईसीआरआईईआर रिपोर्ट राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को टिप्पणियों के लिए अग्रेषित कर दी गई है।

औद्योगिक पार्क

554. श्री पुष्प जैन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत प्रत्येक तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में स्थापित किये गये औद्योगिक पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में ऐसे और अधिक पार्क स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या औद्योगिक पार्क विशेषकर औद्योगिक विकास के लिए अन्य योजनाएं शुरू करने के बाद अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सक्षम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) औद्योगिक पार्क योजना के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अनुसार 1.4.2005 से आज की तारीख तक की अवधि में भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 80 आईए के तहत कर छूट का दावा करने हेतु एक सौ तेहत्तर औद्योगिक पार्कों को अनुमोदन प्रदान किया है। इन पार्कों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा स्वयं औद्योगिक पार्कों की स्थापना नहीं की जाती। इसके बजाय, सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 आईए की उप धारा (4) के खंड (3) के तहत उन उद्यमियों को दस वर्ष के करावकाश का लाभ प्रदान करती है, जो औद्योगिक पार्कों की स्थापना करते हैं। कुछ औद्योगिक पार्क राज्य सरकारों के उपक्रमों द्वारा स्थापित किये गये हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। औद्योगिक पार्कों ने अपने उद्देश्यों को हासिल किया है। औद्योगिक पार्कों के लिए 232 अद्यतन (लाइव) अनुमोदन प्रदान किये गये हैं (1.4.1999 से आज की तारीख तक), जिनमें 16,924 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 17,200 औद्योगिक इकाइयां सम्मिलित हैं। 198 औद्योगिक पार्कों ने अपने परिचालन शुरू कर दिये हैं।

(च) औद्योगिक पार्कों की स्थापना में सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार (राजस्व विभाग) ने जनवरी, 2008 में संशोधित औद्योगिक पार्क योजना, 2008 आरंभ की है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष (1.4.2005 से 31.3.2009) के दौरान, औद्योगिक पार्क योजना के तहत दिये गये अनुमोदनों का राज्य-वार ब्यौरा

क. वर्ष (1.4.2005 से 31.3.2009) के दौरान स्थापित किये गये औद्योगिक पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	उपक्रम का नाम और पार्क का स्थान	अनुमोदन की तिथि
1	2	3	4
		आंध्र प्रदेश	
1.	53/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 17.12.04	मैं. जेवीपी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	12.4.05
2.	21/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 21.2.05	मैं नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड, हैदराबाद	12.4.05
3.	46/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 4.5.05	मै. रामकी फार्मा सिटी (इंडिया) लिमिटेड, परवाडा गांव, परवाडा मंडल, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	30.6.05
		गुजरात	
4.	48/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 11.5.05	मै. श्री रंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	1.6.05
5.	4/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 27.1.05	मै. श्री लक्ष्मीनारायण इंड कोआपरेटिव सर्विस सोसाइटी लि., सूरत	21.6.05
		कर्नाटक	
6.	13/एसआईए/आईपी/2003 दिनांक 4.4.2003 34/एसआईए/आईपी/दिनांक 7.3.05 के अंतर्गत प्राप्त संशोधन के लिए अनुरोध	मै. आरजीए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्रा.लि., बंगलौर	5.6.2003 11.4.05 को संशोधित
7.	29/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 29.9.04	मैं चाथुर रिअलटोर्स प्रा.लि., एट दिव्याश्री टेकनो पोल्स, बेल्लानडुर, अमानिकाने गांव, वरथूर होबली, का. एयरपोर्ट रोड, बंगलौर	11.4.05
8.	18/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.2.05	मै. कोरटेक रियल्टी प्रा.लि., प्लाट नं. 1 क्रम सं. 143, 212, 213, 214 और 214, ईपीआईपी इंडस्ट्रियल एरिया, हूदी गांव, के.आर. पुरम हुबली, बंगलौर	11.4.05
9.	35/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 11.3.05	मै. आरजीए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्रा.लि., प्लाट नं. 3 क्रम सं. 20 और 22, 1 फेस, इलेक्ट्रानिक सिटी, होसुर रोड, बंगलौर	3.5.05
10.	6/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 31.1.05	मै. बीआईपी डेवलपर्स प्रा.लि., प्लाट नं. 3, ईपीआईपी, व्हाइटफील्ड, बंगलौर	13.5.05

1	2	3	4
11.	36/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 11.3.05	मै. आरजीए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्रा.लि., बंगलौर	8.12.05
12.	63/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.6.05	मै. एसजेआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., बंगलौर	8.12.05
13.	81/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 17.8.05	मै. सलारपुरिया प्रोपर्टीज प्रा.लि., हालॅमार्क, बंगलौर, टीआर, टू मै. एसपीपीएल प्रो. एमजीटी प्रा.लि. (2.8.06)	8.12.05
14.	82/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 17.8.05	मै. क्यूड्रो इन्फो. टेक्नोलॉजिज प्रा.लि., बंगलौर स्थानांतरण आईपी से मै. एसपीपीएल प्रोपर्टी एमजीटी (प्रा.) लि.	12.12.05
15.	90/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 24.8.05	मै. जी.के. वेन्चर्स प्रा.लि., बंगलौर	12.12.05
		महाराष्ट्र	
16.	33/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 2.11.04 19/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.2.05 के माध्यम से संशोधन	मै. एनएस सॉफ्टवेयर, नई दिल्ली (मुम्बई में इंडस्ट्रियल पार्क)	5.11.04 12.4.05 को संशोधित
17.	41/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 24.3.05	मै. वाधवा एंड एसोसिएट्स रिलटोर्स प्रा.लि., मुम्बई	4.4.05
18.	39/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 2.12.04	मै. वनसुम इंडसट्रीज, पुणे	11.4.05
19.	31/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 2.3.05	मै. एमएल इनफोवे प्रोजेक्ट्स लि., मुम्बई	11.4.05
20.	83/एसआईए/आईपी/05 18.8.05	मै. नामेन बीकेसी प्रोपर्टीज प्रा.लि., अंधेरी, मुम्बई	30.9.05
21.	84/एसआईए/आईपी/05 18.8.05	मै. नामेन बीकेसी प्रोपर्टीज प्रा.लि., अंधेरी, मुम्बई	30.9.05
22.	38/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 21.3.05	मै. हिन्दुमल बालमुकुन्द इनवेस्टमेन्ट कं. प्रा.लि., (पुणे में इंडस्ट्रियल पार्क)	6.12.05
23.	43/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 15.4.05	मै. अक्रुति निर्माण लि., मुम्बई नाम बदला गया मै. अक्रुति सिटी लि. दिनांक 20.2.08 को रिकार्ड में लिए गए	9.12.05
24.	59/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 1.6.05	मै. साई कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., पुणे	9.12.05
25.	67/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.6.05	मै. एस. बलान शंमुगम बालकृष्ण चेत्तियार, साई ट्रिनीटी, पुणे	9.12.05

1	2	3	4
26.	68/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.6.05	मै. इन्द्राणी बालकृष्ण चेत्तियार, साई हीरा, पुणे	9.12.05
27.	152/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 5.9.05	मै. सिटी पार्क्स, तालुका-हवेली, पुणे	9.12.05
28.	54/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 17.5.05	मै. इंडिया लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रा.लि., पुणे	12.12.05
		राजस्थान	
29.	86/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 18.8.05	मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.	19.9.05
30.	85/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 18.8.05	मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. आईआईडी सेंटर, कलादवास, जिला उदयपुर, राजस्थान	27.9.05
31.	88/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 18.8.05	मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. बलोतरा, 3 फेज एक्सटेंशन, जिला बाड़मेर, राजस्थान	27.9.05
32.	89/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 18.8.05	मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. बलोतरा, 3 फेज एक्सटेंशन, जिला बाड़मेर, राजस्थान	27.9.05
33.	87/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 18.8.05	मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. इंडस्ट्रीयल एरिया भीमशाह, कलादवास, उदयपुर, राजस्थान	6.10.05
34.	101//एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. रिको लि., इंडस्ट्रीयल एरिया जादरी फालना (आीआईडी सेन्टर), पाली, राजस्थान	24.10.05
35.	108/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. पार्क एट सिंघारा, जिला झुंझनू, राजस्थान	3.11.05
36.	111/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. पार्क एट इंडस्ट्रीयल एरिया सिलोरा, जिला अजमेर, राजस्थान	3.11.05
37.	118/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. रिको लि., आईआईडी सेंटर, बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान	17.1.105
38.	132/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेक्लपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. पार्क एट आईआईडी सेंटर, इंडस्ट्रीयल एरिया खुसहेरा, भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान	22.11.05
39.	136/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 8.12.05	मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. इंडस्ट्रियल एरिया चंदेरिया (एक्स.), जिला चित्तौरगढ़, राजस्थान	8.12.05
40.	115/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेक्लपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. इंडस्ट्रीयल एरिया स्टोन पार्क, मंदोर, जोधपुर, राजस्थान	13.12.05
41.	145/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. इंडस्ट्रीयल एरिया रायसिंह नगर, रिको लि. श्रीगंगानगर, राजस्थान	8.12.05

1	2	3	4
		उत्तराखण्ड	
42.	32/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 3.10.05	मै. स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ उत्तरांचल, नजदीक रानीपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	3.10.05
43.	33/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 7.3.05	मै. स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ उत्तरांचल, पंतनगर इंड इस्टेट, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड	10.10.05
44.	3/एसआईए/आईपी/06 दिनांक 2.1.06	मै. स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ उत्तरांचल, देहरादून में पार्क, उत्तराखण्ड	23.2.06
45.	5/एसआईए/आईपी/06 दिनांक 2.1.06	मै. स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ उत्तरांचल, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून	17.3.06
		पश्चिम बंगाल	
46.	13/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 3.6.04 एसआईए रजिस्ट्रेशन सं. 26/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 25.2.05 के अंतर्गत अनुरोध किया संशोधन	मै. डीएलएफ इन्फो. सिटी डेवलपर्स (कोलकाता) लि., गुड़गांव इंडस्ट्रीयल पार्क एट जिला 24 परगना	9.7.04 13.5.05 को संशोधित
47.	5/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 31.1.05	मै. बंगाल इंटेलिजेन्ट पार्क प्रा.लि., प्लॉट नं. ए 2, एम 2 और एन 2, ब्लॉक नं. ईपी और जीपी, सेक्टर 4, साल्टलेक इलेक्ट्रानिक्स कॉम्पलेक्स, कोलकाता	13.5.05

ख. वर्ष (1.4.2006 से 31.3.2007) के दौरान स्थापित किया गया औद्योगिक पार्क—राज्य-वार

		आंध्र प्रदेश	
1.	40/एसआईए/आईपी/04 3.12.04 71/एसआईए/आईपी/06	मै. जयाभेरी प्रोपर्टीज प्रा.लि., हैदराबाद स्थानांतरण मै. जेएसटी रियल्टी प्रा.लि. से 20.12.06 से रिकार्ड में लिया गया	13.12.04 5.12.06 को संशोधित
2.	150/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 1.9.05	मै. आरएमजेड को. होल्डिंग प्रा.लि. हैदराबाद जिला आरआर, एपी स्थानांतरण मै. पालीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. से 19.6.07 से रिकार्ड में लिया गया	13.4.06
3.	157/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 23.9.05	मै. जनप्रिया इंजीनियर्स सिंडिकेट, हैदराबाद (पार्क एट हैदराबाद)	25.9.06
4.	158/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 23.9.05	मै. अन्नपूर्णा बिल्डर्स, हैदराबाद (पार्क एट हैदराबाद)	25.9.06
5.	159/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 23.9.05	मै. श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्क एट हैदराबाद)	25.9.0

1	2	3	4
6.	164/एसआईए/आईपी/05	मै. जी अमरेन्दर रेड्डी, हैदराबाद	5.12.06
7.	167/एसआईए/आईपी/05	मै. जी. लक्ष्मी देवी, हैदराबाद	5.12.06
8.	171/एसआईए/आईपी/05	मै. गावा इस्टेट प्रा.लि., पार्क एट सिकन्दराबाद	5.12.06
9.	172/एसआईए/आईपी/05	मै. डायनेमिक कंस्ट्रक्शन्स प्रा.लि., पार्क एट सिकन्दराबाद	5.12.06
		हरियाणा	
10.	29/एसआईए/आईपी/06	मै. फाइनेस्ट प्रोमोटर्स प्रा.लि. पार्क एट गुड़गांव	5.12.06
		कर्नाटक	
11.	3/एसआईए/आईपी/2000 दिनांक 15.2.2000 16/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.2.05 के अंतर्गत प्राप्त संशोधन के लिए अनुरोध पुन: एसआईए रजिस्ट्रेशन सं. 74/एसआईए/आईपी/05 के अंतर्गत संशोधित	मै. श्यामराजु एंड कं. (इंडिया) प्रा.लि., बंगलौर	29.3.2000 29.4.05 को संशोधित 21.4.05 5.12.06 और आगे संशोधित
12.	9/एसआईए/आईपी/2001 दिनांक 21.8.2001 एसआईए रजिस्ट्रेशन सं. 55/एसआईए/ आईपी/04 दिनांक 21.12.04 के अंतर्गत संशोधित	मैं सुब्रमण्या कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी लि., बंगलौर	19.12.2001 13.4.06 को संशोधित
13.	1/एसआईए/आईपी/2003 दिनांक 15.1.2003 एसआईए रजिस्ट्रेशन सं. 61/एसआईए/आईपी/05 के अंतर्गत संशोधित	मै. अभिनाश सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, बंगलौर	8.8.2003 13.4.06 को संशोधित
14.	21/एसआईए/आईपी/2003 दिनांक 3.9.2003 17/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.2.05 89/एसआईए/आईपी/06 दिनांक 22.8.06 के अंतर्गत प्राप्त संशोधन के लिए अनुरोध	मै. श्यामराजु एंड कं. (इंडिया) प्रा.लि., बंगलौर स्थानांतरण आईपी से मै. दिव्याश्री टारबस बिल्डर्स प्रा.लि. दिनांक 1 मार्च, 2007 से रिकार्ड में लिया गया	6.10.2003 11.4.05 को संशोधित और 25.9.06 को
15.	3/एसआईए/आईपी/2004 दिनांक 3.2.2004 179/एसआईए/आईपी/2005	मै. गोल्फ लिंक्स सॉफ्टवेयर पार्क प्रा.लि., बंगलौर	2.4.2004 25.7.06 को संशोधित

1	2	3	4
16.	18/एसआईए/आईपी/03 दिनांक 26.6.03 62/एसआईए/आईपी/05 के अंतर्गत संशोधित	मै. प्रसाद टेक्नोलॉजी पार्क प्रा.लि., पार्क एट बंगलौर	13.9.04 13.4.06 को संशोधित
17.	20/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 11.8.04 177/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 24.10.05	मै. मगरथ प्रोपर्टीज प्रा.लि., बंगलौर	1.11.04 25.7.06 को संशोधित
18.	35/एसआईए/आईपी/04 10.11.04 155/एसआईए/आईपी/05	मै. वेलांकनी इंफार्मेशन सिस्टम प्रा.लि., बंगलौर	3.12.04 को संशोधित और 5.12.06 को संशोधित
19.	28/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 2.3.05 14/एसआईए/आईपी/06 दिनांक 18.1.06	मै. सफीना टावर्स प्रा.लि., बंगलौर	14.3.05 26.7.06 को संशोधित
20.	24//एसआईए/आईपी/05 दिनांक 21.2.05 1/एसआईए/आईपी/06	मै. ओजोन मनय टेक पार्क (साफ्टवेयर पार्क ऑफ) ओजोन प्रोपर्टीज प्रा.लि.ट. ओजोन मनय टेक पार्क, 56/18, होंगसान्द्रा गांव, बोम्मानहल्ली, सीएमसी, बंगलौर दक्षिण, कर्नाटक	4.4.05 को संसोधित और 6.12.06 को संशोधित
21.	80/एसआईए/आईपी/ दिनांक 11.8.05	मै. श्रीट्रोनिक्स इंटरप्राइजेज, 26-ए, इलेक्ट्रानिक सिटी, होसुर रोड, बंगलौर	25.7.06
22.	22/एसआईए/आईपी/ दिनांक 20.2.06	मै. सोमू प्रोपर्टीज प्रा.लि., 100 मनी टेरेस, केएच रोड, बंगलौर	25.7.06
23.	23/एसआईए/आईपी/ दिनांक 20.2.06	मै. सलारपुरिया सॉफ्टजोन, 100 मनी टेरेस, केएच रोड, बंगलौर	25.7.06
24.	154/एसआईए/आईपी/ दिनांक 12.9.05	मै. किरलोस्कर सिस्टम्स लि., बंगलौर	19.4.06
25.	206/एसआईए/आईपी/05	मै. परिमल प्रोपर्टीज लि., बंगलौर	5.12.06
26.	73/एसआईए/आईपी/06	मै. पालीवाल ओवरसीज प्रा.लि., पार्क एट बंगलौर	5.12.06
27.	10/एसआईए/आईपी/06	मै. कन्याकुमारी बिल्डर्स प्रा.लि., पार्क एट हूडी, हुबली, बंगलौर	5.12.06

1	2	3	4
		महाराष्ट्र	
28.	29/एसआईए/आईपी/2003 दिनांक 2.12.2003 एसआईए रजिस्ट्रेशन सं. 51/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 17.5.05 के अंतर्गत संशोधित	मै. आईसीसी रियल्टी प्रा.लि., पुणे	9.1.2004 21.4.06 को संशोधित
29.	30/एसआईए/आईपी/2003 दिनांक 2.12.2003 एसआईए रजिस्ट्रेशन सं. 53/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 17.5.05 के अंतर्गत संशोधित	मै. आईसीसी रियल्टी प्रा.लि., पुणे	9.1.2004 13.4.06 को संशोधित
30.	24/एसआईए/आईपी/2003 दिनांक 22.9.2003 एसआईए रजिस्ट्रेशन सं. 49/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 16.5.05 के द्वारा संशोधित	मै. अवाकाडो प्रोपर्टीज एंड ट्रेडिंग (इंडिया) प्रा.लि., मुम्बई	22.4.2004 13.4.06 को संशोधित
31.	2/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 21.1.04 29/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 2.3.05	मै. पालथियोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., पार्क इन मुम्बई	जून 28, 2004, को संशोधित 10.12.04 26.7.06 को संशोधित
32.	57/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 22.12.04 और 185/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 31.10.05	मै. हैमलेट कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्रा.लि., मुम्बई	5.1.05 25.7.06 को संशोधित
33.	47/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 6.12.04 एसआईए रजिस्ट्रेशन सं. 50/एसआईए/आईपी/05 के अंतर्गत संशोधित	मै. आश्रय प्रेमिसेस प्रा.लि. (पंचशील टेक पार्क), पुणे स्थानांतरण ऑफ आईसे मै. वेराइटीज बिल्डर्स एंड ट्रस्टिज प्रा.लि. (मै. गोल्डक्रेस्ट रियल्टी ट्रस्ट से प्राधिकृत ट्रस्टी) पत्र सं. दिनांक 11.12.06 से रिकार्ड में लिया गया	7.1.05 और 13.4.06 को संशोधित (नॉन ऑटो)
34.	20/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.2.05 21/एसआईए/आईपी/06 दिनांक 15.2.06	मै. मुरली रिलेटोर्स प्रा.लि., पुणे	12.4.05 और 25.9.06 को संशोधित

1	2	3	4
35.	151/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 5.9.05 28/एसआईए/आईपी/06 के अंतर्गत संशोधित	मै. इंडियाबुल्स प्रोपर्टीज प्रा.लि., सीए नं. 841, लोवर पटेल डिवीजन, मुम्बई	17.11.05 और 21.4.06 को संशोधित
36.	207/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 21.11.05	मै. वर्षा रितु कंस्ट्रक्शन्स प्रा.लि., बांद्रा (पश्चिम), मुम्बई	26.7.06
37.	9/एसआईए/आईपी/06 दिनांक 5.1.06	मै. सिल्वर लैंड डेवलपर्स प्रा.लि., घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई	24.7.06
38.	20/एसआईए/आईपी/06 दिनांक 21.4.06	मै. इंडियाबुल्स रियल इस्टेट प्रा.लि., मुम्बई	21.4.06
39.	215/एसआईए/आईपी/05	मै. सुमा शिल्पा लि., पार्क एट पुणे	5.12.06
		पुडुचेरी	
40.	45/एसआईए/आईपी/06 दिनांक 4.4.06	मै. पांडिचेरी इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि., पार्क एट पुडुचेरी	30.3.2007
		तमिलनाडु	
41.	49/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 14.12.04, 23.2.06 और 66/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 24.6.05	मै. आर.के. इनवेस्टमेंट, चेन्नई	14.12.04 31.1.05 और 26.7.06 को संशोधित
42.	12/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.2.05	मै. खिवराज टेक पार्क प्रा.लि., 617, अन्ना सलाई, चेन्नई	25.7.06
43.	76/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 8.8.05 और 7/एसआईए/आईपी/07 दिनांक 12.1.07	मै. एसआईपीसीओटी लि., चेन्नई	3.8.06 और 24.1.07 को संशोधित
44.	77/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 8.8.05 और 6/एसआईए/आईपी/07 दिनांक 12.1.07	मै. एसआईपीसीओटी लि., चेन्नई	3.8.06 और 24/31.1.07 को संशोधित
45.	79/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 8.8.05 और 9/एसआईए/आईपी/07 दिनांक 12.1.07	मै. एलआईपीसीओटी लि., चेन्नई	3.8.06 और 24/31.1.07 को संशोधित

1	2	3	4
46.	9/एसआईए/आईपी/05	मै. मिलेनिया रियलेट्र्स प्रा.लि., पार्क एट कांचीपुरम	5.12.06
		राजस्थान	
47.	188/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.11.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया बासी एक्स., बासी, जिला जयपुर	24.4.06
48.	190/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.11.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया हीरावाला एक्स., जयपुर	24.4.06
49.	191/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.11.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया झुंझुनु, फेज-2, जिला झुंझुनु	24.4.06
50.	192/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.11.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया सीतापुर, फेज-3, जयपुर	24.4.06
51.	197/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.11.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया सोतानाला, जिला अलवर	24.4.06
52.	201/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.11.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया नीमराना, फेज-1, जिला अलवर	24.4.06
53.	202/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.11.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया हनुमानगढ़, फेज-3, हनुमानगढ़	24.4.06
54.	203/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.11.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., एक्सपोर्ट प्रोमोशन इंड पार्क सीतापुर, जयपुर	24.4.06
55.	211/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 19.12.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंड ग्रोथ सेन्टर खारा, जिला बीकानेर	24.4.06
56.	212/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 19.12.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., एस.जी.सी. कर्नी, जिला बीकानेर	24.4.06
57.	204/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.11.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., मतस्या इंडस्ट्रीयल एरिया एक्स. (उत्तर तथा दक्षिण), अलवर	25.4.06
58.	91/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.11.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया जोहतवाड़ा, एक्स. 1, सरनादुंगर, जयपुर	4.5.06
59.	92/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया एवीकिया (एक्स.), गांव बधारना, तहसील-अलवर, जयपुर	4.5.06
60.	93/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया जोहतवाड़ा एक्स. 1, सरनादुंगर, जयपुर	4.5.06
61.	94/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., आईआईडी सेन्टर, वनस्थली रोड, नेवाई, जिला टोंक	4.5.06

1	2	3	4
62.	95/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया रामपुर, मुंदाना, भिवाड़ी, अलवर	4.5.06
63.	96/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., श्री खाटुश्यामजी इंडस्ट्रीयल काम्पलेक्स, रिंगस, सीकर	4.5.06
64.	97/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., अजीतगढ़, सीकर	9.5.06
65.	98/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., नीम का थाना, सीकर	9.5.06
66.	99/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., ग्रोथ सेन्टर पलसाना, सीकर	9.5.06
67.	102/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया मामा भान्जा, फेज 3, झालावाड	11.5.06
68.	103/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया भवानी मंडी, झालावाड	11.5.06
69.	104/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया बासी एक्स., बासी, जिला जयपुर	11.5.06
70.	189/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.11.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया बासी एक्स., बासी, जिला जयपुर	26.7.06
71.	196/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.11.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया चन्द्रावती ग्रोथ सेन्टर, झालावाड	26.7.06
72.	133/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर	8.8.06
73.	134/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर	8.8.06
74.	137/एसआईए/आईपी/05 आईपी एंड आईडी	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., जयपुर (इंडस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा फेज-4 में पार्क)	5.9.06
75.	138/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर	22.9.06
76.	119/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर	22.9.06
77.	120/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर	25.9.06
78.	124/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., जयपुर (इंडस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा फेज-4 में पार्क)	20.10.06

1	2	3	4
79.	125/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., जयपुर (इंडस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा फेज-4 में पार्क)	20.10.06
80.	127/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., जयपुर (इंडस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा फेज-4 में पार्क)	20.10.06
81.	135/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., जयपुर (इंडस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा फेज-4 में पार्क)	20.10.06
82.	146/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., जयपुर (इंडस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा फेज-4 में पार्क)	20.10.06
83.	123/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., जयपुर (इंडस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा फेज-4 में पार्क)	23.10.06
84.	130/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., जयपुर (इंडस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा फेज-4 में पार्क)	23.10.06
85.	143/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., जयपुर (इंडस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा फेज-4 में पार्क)	23.10.06
86.	144/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., जयपुर (इंडस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा फेज-4 में पार्क)	23.10.06
87.	148/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., जयपुर (इंडस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा फेज-4 में पार्क)	23.10.06
88.	126/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.8.05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर	23.10.06
89.	107/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर	6.12.06
90.	109/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर	6.12.06
91.	121/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर	6.12.06
92.	122/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर	6.12.06
93.	139/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर	6.12.06
94.	149/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर	6.12.06
95.	106/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर-अलवर में पार्क	18.12.06

1	2	3	4
96.	112/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर-अजमेर में पार्क	19.12.06
97.	113/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर-अजमेर में पार्क	19.12.06
98.	114/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर-अजमेर में पार्क	19.12.06
99.	116/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर-अजमेर में पार्क	19.12.06
100.	128/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर-बूंदी में पार्क	19.12.06
101.	131/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर-कोटा में पार्क	19.12.06
102.	198/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर-पाली में पार्क	19.12.06
103.	199/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर-पाली में पार्क	19.12.06
104.	193/एसआईए/आईपी/05	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., इंडस्ट्रीयल एरिया तिलक मार्ग, जयपुर-जयपुर में पार्क	4/5.1.07
		उत्तराखण्ड	
105.	24/एसआईए/आईपी/06 दिनांक 22.2.06	मै. दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि., नई दिल्ली, हरिद्वार में पार्क, उत्तराखण्ड	10.8.06 और 25.8.06
		पश्चिम बंगाल	
106.	6/एसआईए/आईपी/2002 दिनांक 9.5.2002 एवं 90/एसआईए/आईपी/96	मै. इन्फिनिटी इन्फोटेक पार्क लि., कोलकाता (नार्थ 24 परगना में औद्योगिक पार्क)	3.6.2002 21.1.2003 और 25.9.06 को संशोधित
107.	156/एसआईए/आईपी/2002 दिनांक 22.9.05	मै. फोनिक्स सॉफ्टवेयर लि., नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल नाम बदलना-मै. फॉर्म प्रोजेक्ट होल्डिंग प्रा.लि. 24.3.2008 को रिकॉर्ड पर लिया गया	13.4.06

ग. वर्ष (1.4.2007 से 31.3.2008 तक) स्थापित औद्योगिक पार्क—राज्य-वार

		आंध्र प्रदेश	
1.	24/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 3.9.04 13/एसआईए/आईपी/06	मै. एसडीई इंजीनियर्स लि. हैदराबाद। रंगारेड्डी जिले में औद्योगिक पार्क	22.9.04 10.4.07 को संशोधित

1	2	3	4
2.	13/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 10.2.05 12/एसआईए/आईपी/06	मै. मीनाक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (औद्योगिक पार्क को मै. विजय इन्फोटेक वेन्चर को हस्तान्तरण दिनांक 9 अगस्त, 2006 और 3.8.07 को रिकार्ड पर लिया)	17.2.05 10.4.07 को संशोधित
3.	91/एसआईए/आईपी/06	मै. वीआईटीपी प्राइवेट लि.-रंगारेड्डी जिले में पार्क	10.4.07
4.	116/एसआईए/आईपी/06	मै. एल एण्ड टी इन्फोसिटी लि.-रंगारेड्डी जिले में पार्क	11.4.07
5.	112/एसआईए/आईपी/06	मै. वीआईटीपी प्राइवेट लि.-रंगारेड्डी जिले में पार्क	10.4.07
		कर्नाटक	
6.	26/एसआईए/आईपी/2003 दिनांक 6.10.2003 104/एसआईए/आईपी/06	मै. साइबर पार्क डेवलपमेंट एंड कन्सट्रक्शन लि. बंगलौर	15.3.2004, 31.12.04 और 11.4.07 को संशोधित
7.	69/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 29.6.05 126/एसआईए/आईपी/06	मै. दिव्यश्री वालडेल वेन्चर, दिव्यश्री टावर्स, बंगलौर आईपी को दिनांक 19 अक्तूबर, 2006 के पत्र के द्वारा मै. दिव्यश्री वालडेल वेन्चर को हस्तांतरण करना रिकार्ड पर लिया	8.12.05 10.4.07 को संशोधित
8.	136/एसआईए/आईपी/06	मै. प्रीमल प्रोजेक्ट प्रा.लि.-बंगलौर में पार्क आईपी को दिनांक 27.6.2006 के पत्र के द्वारा मै. प्रीटेक पार्क ट्रस्ट को हस्तांतरण करना रिकार्ड पर लिया	10.4.07
		महाराष्ट्र	
9.	48/एसआईए/आईपी/04 दिनांक 6.12.04 एसआईए रजिस्ट्रेशन नं. 52/एसआईए/आईपी/05 के अंतर्गत संशोधित	मै. पंचशील टेक पार्क प्रा.लि.	7.1.05 13.4.06 को संशोधित (गैर आटो) तथा 5.12.06 और 10.4.07
10.	58/एसआईए/आईपी/06	मै. हीरा नन्दनी बिल्डर्स, मुंबई में पार्क	10.4.07
		राजस्थान	
11.	110/एसआईए/आईपी/05	मै. रिको लि.-अजमेर में पार्क	10.4.07
12.	141/एसआईए/आईपी/05	मै. रिको लि.-सिरोही में पार्क	10.4.07
13.	142/एसआईए/आईपी/05	मै. रिको लि.-सिरोही में पार्क	10.4.07
14.	147/एसआईए/आईपी/05	मै. रिको लि.-श्री गंगानगर में पार्क	10.4.07
15.	194/एसआईए/आईपी/05	मै. रिको लि.-जयपुर में पार्क	10.4.07

1	2	3	4
		उत्तर प्रदेश	
16.	161/एसआईए/आईपी/05 दिनांक 28.9.05	मै. इंडियन एक्सप्रेस मल्टीमीडिया लि. (नोएडा में पार्क) नाम को मै. ईटीटी लिमिटेड में बदलने को 23.7.07 को रिकार्ड पर लिया	26.9.06 और शुद्धिपत्र 12.6.07 को जारी
		उत्तराखण्ड	
17.	47/एसआईए/आईपी/07	मै. सारा इंडस्ट्रीयल इस्टेट लि., देहरादून में पार्क	30.8.07

घ. वर्तमान वर्ष (1.4.2008 से आज तक) स्थापित औद्योगिक पार्क—राज्य-वार

		कर्नाटक	
1.	4/एसआईए/आईपी/2002 दिनांक 12.4.2002	मै. बेगमाने डेवलपर्स प्रा.लि. बंगलौर	11.7.2002 21.1.2003 और 11.02.2009 को संशोधित
		राजस्थान	
2.	117/एसआईए/आईपी/05	मै. रिको लि.-अजमेर में पार्क	22.8.08

अनुमोदनों का वर्ष-वार ब्यौरा

2005-2006	=	47
2006-2007	=	107
2007-2008	=	17
2008-2009	=	2
कुल अनुमोदन	=	173

[अनुवाद]

गिरफ्तारियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश

555. श्री एल. राजगोपाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारियों के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों की पुलिस ने इन दिशा-निर्देशों में परिवर्तन किए जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) उच्चतम न्यायालय ने डी के वसु बनाम पश्चिम बंगाल (रिट याचिका आपराधिक संख्या 1986 की 539) में गिरफ्तारी/नजरबंदी के मामले में पालन किये जाने वाले दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

(ख) गिरफ्तारी के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:

(1) गिरफ्तारी करने वाले तथा गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कार्मिक को समुचित, दृष्टिगोचर एवं स्पष्ट अभिज्ञान तथा अपने पदनाम सहित नाम का टैग पहनना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कार्मिक का विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

(2) गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी गिरफ्तारी करने के समय गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करेगा और इस ज्ञापन को कम से कम एक गवाह द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा जो या तो गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस स्थान का, जहां से गिरफ्तारी की गई है, सम्मानित व्यक्ति हो। इसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और इसमें गिरफ्तारी का समय तथा तारीख लिखी होगी।

(3) वह व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया गया है और पुलिस थाने या पूछताछ केन्द्र या अन्य लाक-अप में अभिरक्षा में रखा जा रहा है, को हक है कि उसके किसी जानने वाले या उसके किसी मित्र या रिश्तेदार या उसके किसी शुभचिन्तक को, यथा व्यवहार्य समय पर यह सूचना दी जाए कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और वह अमुक स्थान पर नजरबंद है, जब तक कि गिरफ्तारी के ज्ञापन को साक्ष्यांकित करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति का मित्र या संबंधी न हो।

(4) यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नजदीकी मित्र या रिश्तेदार जिला या नगर के बाहर रहता है तो पुलिस जिले में विधि सहायता संगठन के जरिये उसकी गिरफ्तारी के समय एवं स्थान तथा हिरासत के स्थान को अधिसूचित करेगी और संबंधित क्षेत्र का थाना गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटों की अवधि के अन्दर टेलीग्राफ द्वारा उन्हें सूचित करेगा।

(5) गिरफ्तार व्यक्ति को इस अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए कि उसे गिरफ्तार या नजरबंद किये जाते ही उसकी गिरफ्तारी तथा नजरबंदी की जानकारी किसी न किसी को दे दी गई है।

(6) गिरप्तार किये गये व्यक्ति के संबंध में नजरबंदी के स्थान पर एक डायरी में प्रविष्टि की जाएगी जिसमें गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के उस नजदीकी मित्र के नाम का उल्लेख होगा जिसे उसकी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई तथा उस पुलिस अधिकारी का विवरण भी होगा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जिसकी हिरासत में है।

(7) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अनुरोध करता है तो गिरफ्तारी के समय उसकी जांच भी की जानी चाहिए तथा उसके शरीर में मौजूद छोटी बड़ी चोटों को, यदि कोई हो तो, उस समय रिकार्ड किया जाना चाहिए। इस निरीक्षण ज्ञापन पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति तथा गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और इसकी एक प्रति गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

(8) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की हिरासत में उसकी नजरबंदी के प्रत्येक 48 घण्टे में एक प्रशिक्षित डाक्टर द्वारा चिकित्सा जांच संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा अनुमोदित डाक्टरों के पैनल पर एक डाक्टर द्वारा की जाएगी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को सभी तहसीलों और जिलों के लिए पैनल बनाना चाहिए।

(9) ऊपर उल्लिखित गिरफ्तारी के ज्ञापन सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां रिकार्ड हेतु इलाका मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी।

(10) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति होगी, हालांकि सारी पूछताछ के दौरान नहीं।

(11) सभी जिला एवं राज्य मुख्यालयों पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष मुहैया कराया जाएगा, जिसे गिरफ्तारी के 12 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की हिरासत के स्थान और उसकी गिरप्तारी के संबंध में सूचना दी जाएगी तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष में इसे ध्यानाकर्षी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(ग) और (घ) पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने गिरफ्तारी पर, खासकर आतंकवादी/गैंगस्टर/दुर्दान्त अपराधी आदि की गिरफ्तारी होने पर उनके शाखा-प्रशाखा पर, जारी कुछ दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय सर्वोच्च होते हैं जब तक कि उच्चतम न्यायालय की किसी बड़ी बैन्च द्वारा या समुचित विधायन करके, उच्चतर अधिकार का प्रयोग करके उसे रद्द नहीं कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

पुलिस महानिदेशकों तथा मुख्य सचिवों की बैठक

556. श्री सुभाष महरिया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राज्य के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने विशेष सुरक्षा जोन स्थापित करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यमान सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करने तथा हाल की आतंकवादी घटनाओं, नक्सलवादी हिंसा, आदि पर विचार करने के लिए समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों/गृह सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों का एक-दिवसीय सम्मेलन 8.8.2008 को हुआ था। इस परिचर्चा में पुलिस अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, सामने आने वाले खतरों से निपटने के लिए आवश्यक जवाबी क्षमताओं को सुधारने, शहरी क्षेत्रों में निगरानी को बढ़ाने, विस्फोटकों संबंधी विनियमों को सख्ती से लागू करने, जाली भारतीय मुद्राओं के संकट से निपटने, साईबर कैफे एवं सिम कार्डों के खुदरा विक्रेताओं आदि के विनियमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें समस्त पणधारियों की भागीदारी शामिल हो, इस कार्य के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया हो, आतंकवादी तत्वों द्वारा उत्पन्न खतरों से निपटने में समुदाय को शामिल किया गया हो और जागरूकता का सृजन किया गया हो। इस चर्चा में प्रशिक्षण, कौशल विकास, राज्यों की विशेष शाखाओं के प्रोत्साहन के माध्यम से क्षमता निर्माण पर जोर देने पर व्यापक सहमति थी और अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क वाले मामलों की प्रभावी जांच तथा सक्षम अभियोजन की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

(ग) और (घ) मॉडल पुलिस एक्ट, अन्य बातों के साथ-साथ, विशेष सुरक्षा जोनों की स्थापना से संबंधित है जहां सुरक्षा की परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस के पास वृहतर अधिकार होंगे। यह राज्यों पर निर्भर है कि वे इस सुझाव पर विचार करें।

कॉपरेटिव मनी लैंडिंग एक्ट, 2008

557. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से "कॉपरेटिव मनी लैंडिंग एक्ट, 2008" के संबंध में सरकार से अनुमोदन हेतु एक विधेयक प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त विधेयक को अनुमोदन दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इम विधेयक का कब तक अनुमोदन किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) इस मंत्रालय में दिनांक 3.9.2008 को महाराष्ट्र मनी लैंडिंग (रेगुलेशन) अध्यादेश, 2008, इसके प्रख्यापन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुदेश हासिल किये जाने के लिए प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार का विचार है कि मुम्बई मनी-लेंडर्स अधिनियम, 1946 कर्जदार किसानों को मनी लेंडर्स के उत्पीड़न से बचाने हेतु अपर्याप्त पाया गया है। इसलिए राज्य सरकार ने राज्य में मनी लैंडिंग के लेन देन को नियंत्रित करने हेतु बेहतर प्रावधानों वाला एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) उक्त अध्यादेश की जांच संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्श करके की जा रही है। राज्य विधायनों की जांच तीन दृष्टिकोणों से की जाती है। अर्थात् (क) केन्द्रीय कानूनों से प्रतिकूलता (ख) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से भिन्नता और (ग) संविधानिक वैधता। इस मामले में कतिपय नीतिगत मुद्दे हैं जिनका समाधान संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके दिया जाता है। अत: इस संबंध में कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

आईआईटी तथा आईआईएस के छात्रों द्वारा शोध

558. श्री हितेन बर्मन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थानों के कितने छात्रों ने संस्थान-वार विदेशों में अनपी पीएचडी तथा अन्य अनुसंधान दस्तावेज सौंपे हैं;

(ख) क्या ऐसे छात्रों को वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो छात्रों का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थान के छात्रों को अपनी पी.एच.डी. थीसिस विदेशों में संस्थाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। तथापि, वे विदेशों में अपने शोधपत्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, संगोष्ठियों आदि में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके लिए संबंधित संस्थानों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद्, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में बी.एस.सी. पाठ्यक्रम

559. श्री मिलिन्द देवरा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने तीन राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्ष का बी.एस.सी. पाठ्यक्रम शुरू करने के सुझाव पर समुचित विचार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के पीछे क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव कब तक लागू हो जाने की संभावना है तथा इससे क्या उद्देश्य पूरा होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, इसकी अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय बीएससी पाठ्यक्रम शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

560. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत प्रत्येक तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए मद-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा कितनी सफलता हासिल की गई है;

(ख) समुद्री उत्पादों के विकास की दर क्या है; और

(ग) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने और निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:

(1) जलकृषि की पद्धतियों और जलकृषि उत्पादन एवं निर्यात की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं कर्नाटक के उपजकर्त्ताओं को विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए काकीनाड़ा में राष्ट्रीय संपोषणीय जलकृषि केन्द्र (एनएसीएसए) नामक एक परिपूर्ण संगठन की स्थापना की गई है। एनएसीएसए, बेहतर प्रबंधन पद्धतियों तथा सुरक्षित उत्पाद पद्धतियों अर्थात् 'अवशिष्ट रहित श्रिम्प' को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से उपजकर्त्ताओं के समूहों में संगठन का संवर्धन कर रहा है।

(2) उत्पादों की पूर्ण प्राप्यता को सुनिश्चित करने के लिए एक उपग्रह आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से एक व्यापक फार्म स्तरीय डाटाबेस सृजित किया जा रहा है।

(3) जलकृषि का विस्तार करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में एक मिशन पद्धति कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(4) समुद्री उत्पादों में भारत के निर्यात बास्केट को विविधतापूर्ण बनाने के उद्देश्य से और भारतीय समुद्री निर्यातों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एम्पीडा विशिष्ट पैथोजन मुक्त ब्रूडस्टॉक के विकास जैसी जलकृषि की नई प्रौद्योगिकियों के विकास और श्रिम्प का देश में ही पालन करने को लक्षित कर रहा है। ग्यारहवीं योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ 97.96 करोड़ रुपये का परिव्यय कराया गया है।

(5) एल वान्नामेई ब्रूडस्टॉक का आयात करते समय उपयोग में आने वाली जलीय संगरोधन सुविधा की स्थापना राजीव गांधी जलकृषि केन्द्र में की जा रही है।

(6) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) ने स्विस इंपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम (एसआईपीपीओ) की तकनीकी सहायता से भारतीय जैविक जलकृषि परियोजना शुरू की है। हाल ही में विश्व में पहली बार केरल में जैविक ताजे पानी के झींगों का पालन और खेती की गई। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है।

(7) एम्पीडा, देश में फिन फिश के पिंजड़ों में पालन को विकसित करने के लिए नार्वेजियन सरकार के साथ कार्य कर रहा है। इस परियोजना के वर्ष 2009 में प्रारंभ होने की संभावना है।

(8) एम्पीडा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में जागरूक रहने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु समय-समय पर बेहतर निर्यात नीतियां तैयार करने के लिए भी समुद्री उत्पादों के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों/संगोष्ठियों/प्रशिक्षणों में भाग ले रहा है।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	निर्यात लक्ष्य (मिलियन अम. डालर)
2005-06	1450
2006-07	1625
2007-08	1825
2008-09	2100

मद-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। मद-वार निर्यात निम्नानुसार हैं:

समुद्री उत्पादों के मद-वार निर्यात

(मा: मात्रा मी. टन में, मू: मूल्य करोड़ रुपये में, डा: मिलियन अम.डा. में)

मद		अप्रैल-दिसम्बर 2008-09*	2007-08	2006-07	2005-06
1		2	3	4	5
प्रशीतित श्रिम्प	मा:	94672	136223	137397	145180
	मू:	2824.13	3941.62	4506.08	4271.51
	डा:	641.32	980.62	997.64	970.43
प्रशीतित फिन फिश	मा:	172095	220200	270751	182344
	मू:	1242.66	1303.41	1452.88	998.7
	डा:	275.35	326.29	321.95	225.94
प्रशीतित स्क्विड	मा:	42592	34172	47252	52352
	मू:	491.3	408.42	568.32	575.52
	डा:	113.62	101.29	126.25	130.49
प्रशीतित कटलफिश	मा:	38990	45955	55701	49651
	मू:	599	744.13	797.37	549.15
	डा:	134.71	185.66	175.75	124.48
सूखी मदें	मा:	20219	22414	24293	14167
	मू:	280.85	258.88	183.16	132.56
	डा:	63.67	64.72	40.75	30.03
जीवित मदें	मा:	2165	2498	2478	2568
	मू:	65.27	69.07	64.06	61.71
	डा:	14.84	17.21	14.22	13.99

1		2	3	4	5
शीतित मदें	मा:	13735	6541	7200	5060
	मू:	132.01	118.11	117.3	81.56
	डा:	30.7	29.62	26.63	18.4
अन्य	मा:	54301	73698	67571	60841
	मू:	756.69	777.29	674.35	574.58
	डा:	174.98	193.68	149.72	130.46
कुल	मा:	438768	541701	612641	512164
	मू:	6391.9	7620.92	8363.53	7245.3
	डा:	1449.2	1899.09	1852.93	1644.21

(*)अनंतिम

(ख) समुद्री उत्पादों की वृद्धि दर निम्नानुसार है:

(मा: मात्रा मी. टन में, मू: मूल्य करोड़ रुपये में, डा: मिलियन अम.डा. में)

वर्ष		निर्यात	वृद्धि	%
2005-06	मा:	512164	50835	11.02
	मू:	7245.3	598.61	9.01
	डा:	1644.21	165.74	11.21
2006-07	मा:	612641	100478	19.62
	मू:	8363.53	1118.23	15.43
	डा:	1852.93	208.72	12.69
2007-08	मा:	541701	-70941	-11.58
	मू:	7620.92	-742.61	-8.88
	डा:	1899.09	46.16	2.49

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन दर

561. श्री रामदास आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007-08 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में विद्यालयों में प्रवेश दिये गये छात्रों की संख्या कम रही है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को आवंटित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विद्यालयों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्य नामांकन दर तथा उन्हें गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने में अभी भी बहुत पिछड़ रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके राज्य-वार कारण क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 में कक्षा 1-8 (6-14 वर्ष), कक्षा-9-10 (14-16 वर्ष) और कक्षा 11-12 (16-18 वर्ष) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अद्यतन सकल नामांकन अनुपात को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक कक्षावार सकल नामांकन अनुपात की पृथक् रूप से गणना नहीं की गई है।

(ग) वर्ष 2006-07 से 2008-09 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय और वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए मध्याह्न योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान योजनागत स्कीम के तहत माध्यमिक शिक्षा के लिए आवंटित निधियां क्रमश: 895 करोड़ रु., 1087 करोड़ रु. और 3164 करोड़ रु. थी। केन्द्रीय क्षेत्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से नवोदय विद्यालय योजना मुखयत: ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करता है जिसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 1910 करोड़ रु. (योजनागत) का बजट प्रावधान किया गया था।

(घ) से (छ) मध्याह्न भोजन योजना, जिसमें सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना और एआईई केन्द्रों के सभी बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करने की व्यवस्था है, को अपर प्राथमिक स्तर तक बढ़ा दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा में नामांकन और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों का नि:शुल्क वितरण, स्कूल भवनों का निर्माण, अतिरिक्त क्लासरूम, छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, ब्लॉक संसाधन केन्द्रों और कलस्टर संसाधन केन्द्रों के माध्यम से नियमित शैक्षिक सहायता और छात्रों का नियमित मूल्यांकन शामिल है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008-09 में देश में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अनुमोदित की है। इसे "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" कहा जाता है। इसके अलावा, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 2500 ब्लॉकों में मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए यह योजना वर्तमान वित्त वर्ष 2008-09 में शुरू की गई है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2005-06 के दौरान सकल नामांकन अनुपात		
		कक्षा 1-8 (6-14 वर्ष)	कक्षा 9-10 (14-16 वर्ष)	कक्षा 11-12 (16-18 वर्ष)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	86.63	56.72	41.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	114.39	55.01	29.06
3.	असम	94.18	49.36	14.30
4.	बिहार	67.84	22.67	8.92
5.	छत्तीसगढ़	102.56	38.94	23.78
6.	गोवा	103.58	75.09	40.23
7.	गुजरात	102.29	53.49	25.51
8.	हरियाणा	77.79	52.43	32.04
9.	हिमाचल प्रदेश	108.48	134.89	128.20
10.	जम्मू और कश्मीर	85.94	43.49	28.11
11.	झारखण्ड	83.09	27.39	3.20
12.	कर्नाटक	97.87	57.11	33.45
13.	केरल	95.39	93.30	36.67
14.	मध्य प्रदेश	124.35	48.01	26.91

1	2	3	4	5
15.	महाराष्ट्र	107.91	70.49	43.25
16.	मणिपुर	134.52	74.44	23.92
17.	मेघालय	134.81	45.60	25.99
18.	मिजोरम	148.83	61.14	23.99
19.	नागालैंड•	78.08	31.30	17.03
20.	उड़ीसा	97.57	53.37	32.19
21.	पंजाब	73.54	49.77	29.95
22.	राजस्थान	104.11	45.89	22.25
23.	सिक्किम	119.10	44.25	25.96
24.	तमिलनाडु	114.89	82.62	45.40
25.	त्रिपुरा	118.62	58.16	21.32
26.	उत्तर प्रदेश	88.94	48.77	22.45
27.	उत्तराखण्ड	108.35	80.44	43.67
28.	पश्चिम बंगाल	90.25	44.66	26.23
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	102.32	89.16	28.45
30.	चंडीगढ़	74.75	63.77	50.58
31.	दादरा और नगर हवेली	121.06	60.51	23.78
32.	दमन और दीव	131.48	108.40	51.35
33.	दिल्ली	107.01	62.99	42.29
34.	लक्षद्वीप	62.25	67.63	31.74
35.	पुडुचेरी	122.33	105.89	54.55
	भारत	94.85	52.19	28.47

विवरण II

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय			मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय सहायता		
		2006-07	2007-08	2008-09	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1305.25	1246.07	1197.34	212.01	368.85	467.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	119.28	124.97	181.33	4.02	28.41	12.17

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	1042.07	621.38	619.54	108.85	297.29	146.90
4.	बिहार	2414.08	3339.30	3664.16	367.83	478.30	487.24
5.	छत्तीसगढ़	821.32	784.78	900.00	96.76	155.33	171.47
6.	गोवा	20.78	16.80	16.70	1.77	2.78	3.07
7.	गुजरात	389.39	382.22	500.05	105.27	176.41	143.05
8.	हरियाणा	365.02	357.07	425.50	40.50	59.27	63.69
9.	हिमाचल प्रदेश	121.18	121.98	143.91	21.97	44.00	31.08
10.	जम्मू और कश्मीर	354.54	321.52	499.45	15.43	58.77	37.41
11.	झारखण्ड	1042.85	1321.92	1672.82	131.63	154.29	217.52
12.	कर्नाटक	742.15	697.46	960.14	147.26	247.46	338.51
13.	केरल	171.54	159.56	188.61	44.76	62.32	74.20
14.	मध्य प्रदेश	1869.88	1798.24	1843.28	261.97	497.18	635.83
15.	महाराष्ट्र	1064.60	895.23	1092.35	135.64	453.28	337.03
16.	मणिपुर	62.37	48.09	39.30	9.15	14.15	9.87
17.	मेघालय	91.54	140.07	166.13	16.01	26.51	37.44
18.	मिजोरम	46.07	48.03	67.39	2.91	6.22	4.85
19.	नागालैण्ड	62.04	51.36	57.18	5.50	16.93	11.95
20.	उड़ीसा	939.61	1088.44	1050.41	73.05	279.81	382.94
21.	पंजाब	232.78	184.89	265.10	17.74	62.25	81.00
22.	राजस्थान	1253.37	1599.99	1798.04	174.11	275.62	483.31
23.	सिक्किम	24.39	23.03	23.02	4.64	7.89	4.19
24.	तमिलनाडु	723.18	702.71	782.30	136.47	144.84	180.31
25.	त्रिपुरा	90.85	48.32	74.69	16.88	27.62	24.49
26.	उत्तर प्रदेश	3678.51	3441.53	3746.27	512.78	826.64	946.90
27.	उत्तराखण्ड	248.21	252.84	272.96	29.62	49.48	45.45
28.	पश्चिम बंगाल	1464.87	1438.76	1737.79	454.65	396.44	415.45
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13.50	9.29	14.04	0.40	0.47	1.26

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	11.63	19.54	18.86	1.73	0.17	3.62
31.	दादरा और नगर हवेली	8.30	7.94	10.02	0.89	0.26	1.81
32.	दमन और दीव	2.61	2.58	2.93	0.51	0.25	0.54
33.	दिल्ली	84.44	52.34	61.25	30.94	9.44	29.14
34.	लक्षद्वीप	4.18	2.35	3.47	0.20	0.01	0.00
35.	पुडुचेरी	9.42	8.94	13.14	1.28	2.02	2.44
	भारत	20895.78	21359.56	24109.47	3185.13	5230.93	5833.55
	राष्ट्रीय घटक	11.79	18.00	14.61			
	कुल जोड़	20907.58	21377.56	24124.08			

सीमावर्ती राज्यों में उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना

562. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आईआईटी, दिल्ली तथा स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सहित पर्वतीय तथा सीमावर्ती राज्यों, जहां पर औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास का स्तर बहुत ही कम है, में उच्च तकनीकी संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हिमाचल प्रदेश सहित इस प्रयोजनार्थ चयनित स्थलों के राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(ग) इन संस्थानों को कब तक चालू कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) सरकार ने ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। यद्यपि पहले 6 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कक्षाएं वर्ष 2008-09 के वर्तमान शैक्षिक सत्र से शुरू हो चुकी हैं, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वर्ष 2009-10 के अगले सत्र से कार्य करना शुरू करेंगे।

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश आधिकारिक स्तरीय वार्ताएं

563. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह सचिवों, संयुक्त सचिवों तथा सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशकों और बांग्लादेश राइफल्स की बैठकें नियमित अन्तराल के बाद आयोजित की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत प्रत्येक तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आयोजित हुई ऐसी बैठकों तथा चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इनके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) हालांकि भारत और बांग्लादेश के गृह सचिवों तथा महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं बंगलादेश राइफल्स के बीच पिछले तीन वर्षों से लगातार वार्ताएं चल रही थीं, परन्तु भारत-बंगलादेश के बीच संयुक्त सचिव स्तर की वार्ता लगभग पांच वर्षों के अन्तराल के पश्चात् मई 2008 में आयोजित की गई थी।

भारत-बंगलादेश के बीच मई, 2008 में आयोजित संयुक्त सचिव स्तर की वार्ता में सुरक्षा, सीमा प्रबंधन तथा दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अन्य मुद्दों में पारस्परिक चिंता के मुद्दों पर सूचना भागीदारी करने के लिए दोनों देशों के बीच नोडीय बिन्दुओं

को सक्रिय करने का निश्चय किया गया। बंगलादेश पक्ष ने पुन: दोहराया कि बंगलादेश की सरकार आपराधिक एवं विप्लवकारी गतिविधियों के लिए भारत के विप्लवकारी गुटों के सदस्यों को अपने भू-भाग का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगी।

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल तथा बीडीआर की अगस्त 2008 में आयोजित बैठक में सीमा सुरक्षा बल ने बंगलादेश में भारतीय विद्रोही गुटों की मौजूदगी और उनके प्रशिक्षण शिविर/छिपने के स्थानों, सीमा पर बाड़ लगाने और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के अंदर की सीमा पर बसी आबादी के लिए विकास कार्य के मुद्दे उठाए। सीमा पार से होने वाले अपराधों, सीमा पार से अवैध आवागमन को रोकने तथा सीमा खम्भे बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा बंगलादेश राइफल्स के बीच सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा पर 12 विकास कार्यों का निपटान किया गया तथा कुछ वांछित अपराधी एक-दूसरे पक्ष को सौंपे गए। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल ने उन छियालीस (46) स्थलखण्डों की सूची भी प्रस्तुत की जहां सीमा से 150 गज के अंदर सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को प्राथमिकता पर किया जाना अपेक्षित है। साथ ही सीमा पार से अवैध गतिविधियों का प्रशमन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा बीडीआर की समन्वित गश्त पर सहमति हुई और इस संदर्भ में, दोनों पक्षों के बीच इस प्रकार की गश्त के लिए संवेदनशील भू-खण्डों को अभिज्ञात करने और सेक्टर/बटालियन स्तर पर रूपात्मकताओं को अंतिम रूप देने पर भी सहमति हुई।

भारत-बंगलादेश के बीच 29-31 अगस्त, 2008 को आयोजित गृह सचिव स्तर की वार्ताओं में दोनों पक्ष, इस बात पर सहमत हुए कि अन्य बातों के साथ-साथ, नामोद्दिष्ट नोडीय स्थल उग्रवादियों, विप्लवकारियों, आतंकवादियों, अतिवादियों, अपराधियों की गतिविधियों तथा शस्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटकों एवं जाली मुद्रा नोटों की तस्करी के संबंध में अभिज्ञात क्षेत्रों पर सूचना की नियमित एवं सतत भागीदारी करेंगे तथा उस पर ध्यान केन्द्रित कर कार्रवाई करेंगे। इस बात पर भी सहमति हुई कि ये नोडल प्वाइंट उग्रवादियों/विद्रोहियों/आतंकवादियों/अतिवादी गुटों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे, अपराधियों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान, रेड कार्नर नोटिसों, जाली मुद्रा नोट, शस्त्र एवं गोला बारूद आदि के डीलरों/निकास प्रणाली/स्मगलरों के बारे में चुनिन्दा अभिज्ञात विषयों के विवरण का आदान-प्रदान करेंगे।

मास्टर्स तथा डाक्टरल पाठ्यक्रम

564. श्री अबु अयीश मंडल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए अभियांत्रिकी तथा विज्ञान के छात्रों के लिए संयुक्त मास्टर्स तथा डाक्टरल पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में संयुक्त एम.एस.सी.-पी.एच.डी. तथा संयुक्त एम.टेक-पी.एच.डी. कार्यक्रम शुरू करने के एक प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया है जिससे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में रिसर्च बेस और साथ ही साथ अनुसंधान छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी।

भूकंप निगरानी प्रयोगशालाएं

565. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में विद्यालयों में भूकंप निगरानी प्रयोगशालाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल स्कूल ऑफ सीसमॉलॉजी प्रोजेक्ट्स ने मानव तथा बुनियादी संरचना पर भूकंप के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीतियों/प्रौद्योगिकियों का विकास कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) पूरे देश में विद्यालयों में भूकंप निगरानी प्रयोगशालाएं चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, विद्यालय स्तरीय भूकंप निगरानी प्रयोगशाला संबंधी प्रायोगिक परियोजना को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और इस समय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में यह परियोजना जारी है। इस परियोजना में भारत के सभी 7 उत्तर-पूर्वी राज्यों को कवर करते हुए उत्तर-पश्चिम हिमालय (उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश आदि) और उत्तर-पूर्वी भागों के भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में 100 निर्धारित विद्यालयों को शामिल किया गया है। इस परियोजना को 4.0 करोड़ रुपये की कुल लागत से वर्ष 2004 से कार्यान्वित किया जा रहा है। विधिवत रूप से निर्धारित विद्यालयों में उपकरण संस्थापित करने के अतिरिक्त, विद्यार्थियों एवं विज्ञान अध्यापकों के लिए विशेषज्ञों की मदद से कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं।

(ग) राष्ट्रीय भूकंप-विज्ञान विद्यालय पर कोई परियोजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातोन्मुखी मत्स्य परियोजना का बंद होना

566. श्री सुनील खां: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के घुटगोरिया में एक निर्यातोन्मुखी फिशिंग हुक परियोजना बंद कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के घुटगोरिया में कोई निर्यातोन्मुखी फिशिंग हुक परियोजना प्रारम्भ नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना में अध्यापकों की जिम्मेदारी

567. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विद्यालयों के अध्यापकों ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भोजन की व्यवस्था/भोजन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया है जैसाकि दिनांक 28 जनवरी, 2009 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने मामलों का पता चला है और उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ङ) इस संबंध में दोषी लोगों/अध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) मध्याह्न भोजन योजना संबंधी दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों को ऐसी कोई जिम्मेदारी न दी जाए जिससे स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो। इस कार्यक्रम के तहत उनकी जिम्मेदारी इतनी ही है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को गुणवत्तायुक्त, पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है और साफ-सुथरे माहौल में मिल-बांटकर खाने-खिलाने की भावना से 30-40 मिनट की अवधि में एक सुव्यवस्थित तरीके से यह योजना संचालित की जा रही है। यह भी व्यवस्था है कि भोजन तैयार करके इसे बच्चों को खिलाने से पहले 2-3 वयस्कों जिनमें कम से कम एक शिक्षक शामिल हो, द्वारा इस भोजन को चखकर इसकी जांच की जाए। दिल्ली तथा झारखण्ड सहित किसी भी राज्य/संघशासित प्रदेश से अभी तक किसी भी शिक्षक द्वारा इस जिम्मेदारी को लेने से मना करने की कोई घटना सामने नहीं आई है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता। तथापि, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 और चालू वर्ष 2008-09 (15.2.2009 तक) की अवधि के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मध्याह्न भोजन योजना के तहत वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम 15.2.2009 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	212.01	368.85	467.42	105.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.02	28.41	12.17	13.40

1	2	3	4	5	6
3.	असम	108.85	297.29	146.90	253.87
4.	बिहार	367.83	478.30	487.24	413.39
5.	छत्तीसगढ़	96.76	155.33	171.47	252.20
6.	गोवा	1.77	2.78	3.07	6.04
7.	गुजरात	105.27	176.41	143.05	226.74
8.	हरियाणा	40.50	59.27	63.69	74.41
9.	हिमाचल प्रदेश	21.97	44.00	31.08	112.39
10.	जम्मू और कश्मीर	15.43	58.77	37.41	57.40
11.	झारखण्ड	131.63	154.29	217.52	184.22
12.	कर्नाटक	147.26	247.46	338.51	285.91
13.	केरल	44.76	62.32	74.20	151.12
14.	मध्य प्रदेश	261.97	497.18	635.83	593.70
15.	महाराष्ट्र	135.64	453.28	337.03	729.55
16.	मणिपुर	9.15	14.15	9.87	15.29
17.	मेघालय	16.01	26.51	37.44	25.23
18.	मिजोरम	2.91	6.22	4.85	15.49
19.	नागालैण्ड	5.50	16.93	11.95	11.42
20.	उड़ीसा	73.05	279.81	382.94	304.46
21.	पंजाब	17.74	62.25	81.00	177.02
22.	राजस्थान	174.11	275.62	483.31	357.71
23.	सिक्किम	4.64	7.89	4.19	4.87
24.	तमिलनाडु	136.47	144.84	180.31	286.46
25.	त्रिपुरा	16.88	27.62	24.49	35.06
26.	उत्तर प्रदेश	512.78	826.64	946.90	782.93
27.	उत्तराखण्ड	29.62	49.48	45.45	70.18
28.	पश्चिम बंगाल	454.65	396.44	415.45	561.20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.40	0.47	1.26	3.94

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	1.73	0.17	3.62	3.69
31.	दादरा और नगर हवेली	0.89	0.26	1.81	1.81
32.	दमन और दीव	0.51	0.25	0.54	0.88
33.	दिल्ली	30.94	9.44	29.14	63.93
34.	लक्षद्वीप	0.20	0.01	0.00	0.20
35.	पुडुचेरी	1.28	2.02	2.44	5.18
	कुल	3185.13	5230.93	5833.55	6186.34

[अनुवाद]

अवैध खनन

569. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित देश में लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों का अवैध खनन जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से अवैध खनन को रोकने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार/राज्य सरकारों द्वारा लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों के उक्त अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त कारणों से राजकोष को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.7.2005 से 30.9.2008 तक की अवधि में राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख/गौण खनिजों के अवैध खनन के पता लगाए गए मामले नीचे दिये गये हैं:

क्र.सं.	राज्य	पता लगाए गए मामले
1.	आंध्र प्रदेश	20319
2.	छत्तीसगढ़	5833
3.	गोवा	251
4.	गुजरात	21752
5.	हरियाणा	2314
6.	हिमाचल प्रदेश	478
7.	झारखंड	1533
8.	कर्नाटक	10794
9.	केरल	5753
10.	मध्य प्रदेश	12669
11.	महाराष्ट्र	12550
12.	उड़ीसा	1405
13.	पंजाब	239
14.	राजस्थान	6818
15.	तमिलनाडु	3781
16.	उत्तराखंड	191
17.	पश्चिम बंगाल	593

(ग) से (ङ) अवैध खनन, परिवहन और भंडारण आदि को रोकने के लिए राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत् शक्तियां प्रदान की गई हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अवैध खनन की रोकथाम के लिए एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23ग के तहत् नियम बनाने, राज्य/जिला स्तर पर कार्यबल गठित करने और खान मंत्रालय द्वारा समीक्षा किये जाने के लिए अवैध खनन पर तिमाही रिपोर्टें भेजने का भी निदेश दिया है। केन्द्र सरकार अवैध खनन को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के सचिवों के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में अवैध खनन के मामलों, अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की भी मॉनीटरिंग करती है।

(च) अवैध खनन की वजह से हुए सकल घाटे के आकलन के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लक्ष्य

570. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री सुनील खां:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बालिका शिक्षा सहित तय लक्ष्य के पूरा न हो पाने के मद्देनजर सर्व शिक्षा अभियान की लक्ष्य अवधि को बढ़ाकर 2015 तक करने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) 11वीं योजना अवधि में सर्व शिक्षा अभयान के लिए 71,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

काजू बोर्ड का गठन

571. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काजू बोर्ड का गठन करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बोर्ड का गठन किस स्थान पर किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या काजू बोर्ड के गठन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या भारत में काजू की मांग की तुलना में इसका आधा उत्पादन ही हो पाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या काजू बोर्ड के गठन से काजू के उत्पादन और विपणन में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। प्राप्त की गई आपत्तियों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) जी, हां। भारत अपरिष्कृत काजू की अपनी आवश्यकता के लगभग आधे का ही उत्पादन करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान लगभग 12,70,000 मी. टन की हमारी कुल आवश्यकता की तुलना में घरेलू उत्पादन केवल 6,66,000 मी. टन का था।

(छ) और (ज) जी, हां। काजू बोर्ड की स्थापना से काजू के उत्पादन तथा विपणन को बढ़ावा मिलने की संभावना है, इस बोर्ड के जरिये सरकार इस क्षेत्र पर अपना पूर्ण ध्यान केन्द्रित कर सकेगी।

पुस्तक प्रकाशन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

572. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू प्रकाशन उद्योग में पुस्तक प्रकाशन में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश के प्रभाव का अध्ययन कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अध्ययन कब तक कराए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) पुस्तक प्रकाशन उद्योग द्वारा उठाये गये मुद्दों की गहराई से अध्ययन करने के लिए सरकार ने अध्ययन का कार्य भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को सौंपा है। अध्ययन में शामिल किये जाने वाले मुख्य मुद्दे निम्नवत् हैं:

(1) आकार, पूंजी पर्याप्तता, सामग्री विनियमन एवं उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता सहित भारत के पुस्तक प्रकाशन उद्योग का अध्ययन।

(2) पुस्तक प्रकाशन में भारतीय पुस्तक प्रकाशकों द्वारा अपनाई जा रही वैश्विक कार्य पद्धति का मूल्यांकन।

(3) उपर्युक्त अध्ययन एवं मूल्यांकन के आधार पर भारतीय पुस्तक प्रकाशन उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।

(4) भारतीय पुस्तक प्रकाशन उद्योग पर एफडीआई नीति सहित आर्थिक नीतियों के प्रभाव का अध्ययन एवं मूल्यांकन।

(5) भारतीय पुस्तक प्रकाशन उद्योग पर शाखा कार्यालयों/सहायक कार्यालयों के जरिये विदेशी पुस्तक प्रकाशन कंपनियों के कार्यों के प्रभाव का अध्ययन।

(6) पुस्तकों के मूल्य पर विदेशी कंपनियों के प्रभाव का अध्ययन।

(7) पाठ्य पुस्तकों के पुन: मुद्रण संबंधी मामलों का अध्ययन।

(8) ईपीजेड एवं एसईजेड में विदेशी पुस्तक प्रकाशन कंपनियों के कार्यों का भारतीय पुस्तक प्रकाशन उद्योग पर प्रभाव का अध्ययन।

(ग) विचारार्थ विषय के अनुरूप आईआईपीए अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2009 तक प्रस्तुत करेगा।

आई.आई.टी. में अध्यापकों की भर्ती

573. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय पेशेवरों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अध्यापकों के रूप में भर्ती करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विदेशी संस्थानों में अध्यापकों के रूप में कार्य कर रहे भारतीय पेशेवरों को शामिल कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विभिन्न संकाय पदों हेतु भारतीय मूल के लोगों तथा विदेशों में बस रहे भारतीयों को भी भर्ती कर रहे हैं। विज्ञापन की प्रतियां विदेशों में भारतीय दूतावासों/उच्चायुक्तों अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, इटली, आस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि देशों में व्यापक प्रचार हेतु भेजी जाती हैं जिसके लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग/टेली कांफ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षात्कार का प्रबंध किया जाता है। इसके अलावा, जब कभी निदेशक, उप-निदेशक, डीन तथा वरिष्ठ संकाय सदस्य अन्य कार्यों हेतु विदेशों की यात्रा करते हैं तो वे असाधारण प्रतिभा वाले अभ्यर्थियों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं।

[हिन्दी]

विशिष्ट व्यक्तियों को एन.एस.जी. की सुरक्षा

574. श्री मोहन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशिष्ट व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.) की सुरक्षा मुहैया कराई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उक्त प्रयोजनार्थ कुल कितने एन.एस.जी. गार्ड तैनात किये गये हैं तथा कितने लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई है;

(ग) विशिष्ट व्यक्तियों को एन.एस.जी. की सुरक्षा देने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी व्यवस्थाओं पर कुल कितना व्यय हुआ है और उक्त लोगों/राज्य सरकारों द्वारा किये गये सुरक्षा खर्चों की प्रतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पृथक् सुरक्षा अभिकरण की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किये गये एनएसजी कार्मिकों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) एनएसजी सुरक्षा संरक्षण केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श पर उन उच्च धमकी प्राप्त संरक्षितियों को दिलाया जाता है जो उग्रवादियों/आतंकवादियों/अतिवादी गुटों से गंभीर चुनौतियों का सामना करते हैं और जिन्हें इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित मानव शक्ति की जरूरत है।

(घ) एनएसजी केवल मोबाइल सुरक्षा कवच उपलब्ध कराती है इन पर खर्च की गई राशि का आकलन करना मुश्किल है क्योंकि संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित वाहन, रिहायश, ईंधन, संभार तंत्र आदि दिलाते हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त व्यक्तियों से इस खर्च की भरपाई करने की अपेक्षा नहीं की जाती है क्योंकि यह सुरक्षा उच्च चुनौती वाले व्यक्तियों को सरकारी खर्च पर मुहैया कराई जाती है।

(ङ) और (च) वीआईपी तथा अन्य सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा दिलाने के लिए पृथक् सुरक्षा एजेन्सी बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष	सुरक्षा में तैनात कार्मिकों की संख्या	सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
2005-06	538	17
2006-07	556	18
2007-08	638	20
2008-09	638	20

केन्द्रीय संस्थाओं में भ्रष्टाचार

575. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीकृत कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार के मामलों को पंजीकृत करने की कोई व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें सम्मिलित संस्थाओं के क्या नाम हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई केन्द्रीकृत प्रणाली नहीं है। तथापि, केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं से संबधित भ्रष्टाचार की शिकायतों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सतर्कता स्कंध तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास पंजीकृत कराया जा सकता है।

[अनुवाद]

बोडो राजनीतिक समझौता

576. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुखियारी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बोडो राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित खंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते को लागू किये जाने का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) 10.2.2003 को बोडो लिबरेशन टाईगर (बीएलटी), असम सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच हस्ताक्षरित किये गये समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:

(1) बोडोलैण्ड टेरिटोरियल कौंसिल (बीटीसी) के सृजन के लिए भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन किया गया था।

(2) कौंसिल का आम चुनाव 13.5.2005 को हुआ और बोडोलैण्ड टेरिटोरियल कौंसिल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया।

(3) बोडो जनजाति के हित को सुरक्षित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन कर असम की अनुसूचित जनजाति (सूची) को संशोधित कर दिया गया है।

(4) भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो भाषा को शामिल कर लिया गया है।

(5) बोडोलैण्ड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) से असम राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों एवं गैर-अनुसूचित जनजातियों के वर्तमान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविधान (नब्बेवां) संशोधन अधिनियम, 2003 को लागू करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332(6) में संशोधन किया गया है।

(6) बीटीएडी में प्रशासनिक ढांचे को विकसित करने के लिए वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान 47.92 करोड़ रुपये निर्गत किये गये हैं।

(7) पूर्वोत्तर प्रदेश विकास मंत्रालय (डोनर) ने वर्ष 2004-05 से लेकर सामाजिक-आर्थिक ढांचे के निर्माण के लिए 439.02 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और अब तक असम राज्य सरकार को 381.64 करोड़ रुपये निर्गत किये जा चुके हैं।

(8) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी) ने 2006 से कोकड़ाझार में कार्य आरंभ कर दिया है।

(9) 835 पूर्व-बीएलटी काडरों की केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती की गई है और विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में 400 पूर्व-बीएलटी काडरों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति राज्य सरकार को दे दी गई है।

मसाला उद्योग

577. **श्री ई. दयाकर राव:**
श्री टेकलाल महतो:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश-वार तथा मद-वार विभिन्न मसालों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया एवं इसका मूल्य कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न मसालों के उत्पादन और निर्यात के लिए सरकार द्वारा जिन स्थानों को बढ़ावा दिया गया उनका मद-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काली मिर्च बाजार कम भंडार की समस्या का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विभिन्न मसालों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान प्रमुख देशों को किये गये प्रमुख मसालों के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2008-09 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान मदवार निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) इलायची (छोटी) के लिए उत्पादन विकास कार्यक्रम मुख्यत: केरल (इडुक्की, वायनाडु एवं पालघाट जिले), कर्नाटक (कुर्ग, हासन, चिकमगलूर, शिमोगा तथा उत्तरी कनारा जिले) तथा तमिलनाडु (नीलगिरि, मदुरै, तिरुनेलावेली, कामराजर एवं कोयम्बटूर जिले) राज्यों में चलाए जाते हैं। बड़ी इलायची के लिए ये कार्यक्रम सिक्किम राज्य तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। फसलोत्तर कार्यक्रम पूरे भारत के प्रमुख मसाला उत्पादक केन्द्रों में कार्यान्वित किये जाते हैं। विभिन्न राज्यों के मसाला निर्यातकों के लाभार्थ निर्यात विकास एवं संवर्धन कार्यक्रम अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित किये जाते हैं। अन्य मसालों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा राज्य सरकारों एवं राज्य बागवानी मिशनों को सहायता प्रदान की जा रही है। मसालों के उत्पादन के लिए "पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमालयी राज्यों में प्रौद्योगिकी मिशन एवं बागवानी का समेकित विकास" नामक स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मसाला बोर्ड ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान छोटी व बड़ी इलायची के लिए उत्पादन विकास कार्यक्रम तथा अन्य मसालों के लिए फसलोत्तर सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। देश में मसाला उत्पादक विभिन्न राज्यों में छोटी व बड़ी इलायची के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने तथा मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए "इलायची बागानों के पुन:रोपण एवं नवीकरण हेतु विशेष प्रयोजन निधि" तथा "मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन एवं फसलोत्तर सुधार" नामक दो स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

बोर्ड द्वारा ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित प्रमुख निर्यात विकास/संवर्धन कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- मसाला प्रसंस्करण में उच्च प्रौद्योगिकी अपनाना
- प्रसंस्करण इकाइयों में प्रौद्योगिकी प्रक्रिया का उन्नयन
- निर्यातकों द्वारा गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन
- पैकेजिंग विकास एवं बार कोडिंग

- उच्च अंतिम मूल्यवर्धन हेतु उत्पाद विकास एवं अनुसंधान
- व्यावसायिक नमूने बाहर भेजना और विवरणिका मुद्रण (ब्रोशर प्रिंटिंग)
- सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग आदि के लिए सामान्य सुविधाओं की स्थापना (मसाला पार्क)
- अंतर्राष्ट्रीय मेलों/बैठकों/संगोष्ठियों में सहभागिता।

विवरण I

(मात्रा मी. टन में)
(मूल्य लाख रुपये में)

वस्तु	देश	2005-06		2006-07		2007-08	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
काली मिर्च	यूएसए	6596.3	5368.5	13886.0	14408.1	14496.4	21149.9
	जर्मनी	1346.4	1649.3	1406.0	1633.1	1690.7	2741.2
	यूके	1977.5	1769.1	2002.6	2048.2	1817.8	2583.5
	कनाडा	1064.4	801.7	1106.7	1261.8	1397.0	2119.3
मिर्च	मलेशिया	26804.4	8955.9	43625.4	25133.2	51782.4	30520.7
	बंगलादेश	670.7	166.0	28424.6	15507.7	34678.9	16120.3
	श्रीलंका	27582.2	7482.2	21822.4	11228.6	29504.8	13501.1
	यूएसए	16579.7	8592.0	13058.2	8382.22	19712.6	12956.9
हल्दी	यूएई	7361.0	1963.5	7823.8	2042.4	5150.6	1442.7
	जापान	2608.3	1126.5	2631.9	1189.1	2797.1	1237.2
	यूएसए	2634.5	1425.1	2460.6	1378.8	2648.6	1206.2
	मलेशिया	2940.0	1028.5	2263.5	761.4	2895.4	910.5
धनिया	मलेशिया	7529.6	2366.5	5898.7	2188.0	5072.4	2111.5
	यूएई	328.4	712.3	3635.8	1091.1	4825.9	1849.1
	यूके	1691.1	598.5	1818.4	781.7	2245.9	1003.4
जीरा	यूएसए	1875.3	1582.4	3948.4	3182.5	3013.8	3202.8
	नेपाल	3065.6	2062.8	3055.5	2377.7	2919.1	3116.9
	यूएई	561.4	347.5	17675	1186.4	2840.7	2708.8
	यूके	1604.5	1324.2	1833.9	1568.8	1860.5	2115.1

विवरण II

मद	2008-09 (अप्रैल-दिसम्बर)	
	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपये)
काली मिर्च	19,100	31777.00
इलायची (छोटी)	375	2469.75
इलायची (बड़ी)	1,200	1486.25
मिर्च	1,41,000	79317.50
अदरक	3,250	2400.00
हल्दी	40,000	18836.50
धनिया	19,600	13722.50
जीरा	28,500	29612.98
सेलेरी	2,225	1466.50
सौंफ	4,350	2378.25
मेथी	11,500	4120.50
अन्य बीज (1)	13,100	5099.00
लहसुन	545	217.75
जायफल एवं जावित्री	1,375	3921.40
वनिला	230	2095.80
अन्य मसाले (2)	17,000	8,361.00
करी पाउडर	10,500	12444.50
पुदीना उत्पाद (3)	14,750	103945.08
तेल एवं ओलियोरेजिन्स	5,550	57422.75
कुल	3,34,150	381095.00

मदरसे

578. **डा. टोकचोम मैन्या:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री अब्दुल्लाकुट्टी:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी मदरसों को सरकारी संस्थाओं में परिवर्तित करने तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर अखिल भारतीय मदरसा बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें मदरसों को चलाने तथा वित्तीय सहायता मुहैया करने के संदर्भ में भूमिका निभाती रहेंगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने केन्द्रीय मदरसा बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(च) उक्त बोर्ड के उद्देश्य, कार्य तथा जिम्मेदारियां क्या हैं;

(छ) क्या सरकार ने मदरसों की शिक्षा को बराबर का दर्जा देने की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) तथा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिषद् (सीओबीएसई) की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) जी नहीं, मदरसा में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित योजना एक स्वैच्छिक योजना है। परम्परागत धार्मिक शिक्षा देने के अलावा आधुनिक विषय शुरू करने वाले मदरसों को संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वैच्छिक आधार पर मदरसों द्वारा प्रदत्त आधुनिक विषयों में शिक्षा को समन्वित करने और राज्य मदरसा बोर्डों के कार्यकलापों को समन्वित करने, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, के लिए एक केन्द्रीय मदरसा बोर्ड स्थापित करने की वांछनीयता से संबंधित एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(छ) और (ज) भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्रों को ऐसे मामलों में माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की समकक्षता प्रदान करने जहां अलग-अलग राज्यों में ऐसी व्यवस्था पहले से मौजूद है, के बावत 30 जनवरी, 2009 को एक अधिसूचना जारी की गई है।

एन.एस.जी. में रिक्त पद

579. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.) में विभिन्न पद रिक्त पड़े हैं जैसाकि दिनांक 14 जनवरी, 2009 के 'एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कुल रिक्त पदों का रैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) में दिनांक 1 फरवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार रिक्त पड़े पदों का विवरण निम्नलिखित है:

रैंक	रिक्त पड़े पदों की संख्या
अधिकारी	123
सहायक कमाण्डेंट	438
रेन्जर/कम्बैटाइन्ड ट्रेंड्समैन	547
कुल	1108

इसमें 22 जनवरी, 2009 को सृजित किये गये 1081 पद भी शामिल हैं।

(ग) एनएसजी एक 100% प्रतिनियुक्ति वाला बल है और सेना, केन्द्रीय पुलिस बल तथा अन्य संगठनों पर निर्भर है जिनसे कहा गया है कि वे एनएसजी के रिक्त पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों और कार्मिकों को प्रायोजित करें।

सुनामी पीड़ितों हेतु धनराशि का दुरुपयोग

580. डा. के. धनराजू: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सुनामी पीड़ितों हेतु धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कुछ राज्य सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न पैदा नहीं होता।

आनुवंशिक रूप से संवर्धित खाद्य उत्पाद

581. श्री निखिल कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय सुपर मार्केट्स और फूड चेन्स में आनुवंशिक रूप से संवर्धित आयातित खाद्य उत्पाद बेरोक-टोक आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आनुवंशिक रूप से संवर्धित खाद्य उत्पादों के अवैध प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) विदेश व्यापार नीति के अनुसार (1) अनुसंधान एवं विकास, (2) खाद्य वस्तुओं, (3) चारा, (4) थोक में प्रसंस्करण और (5) पर्यावरण में निर्मोचन करने के प्रयोजनार्थ आनुवंशिक रूप से संवर्धित जीवों (जीएमओ) तथा सजीव संवर्धित जीवों (एलएमओ) का आयात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा नियम, 1989 के उपबंधों द्वारा शासित होगा। किसी अपरिष्कृत या परिष्कृत खाद्य, चारे अथवा खाद्य वस्तुओं के किसी संघटक, खाद्य अभिवर्धक या किसी ऐसे खाद्य उत्पाद जिसमें जीएम सामग्री शामिल हो अथवा जिसका प्रयोग औद्योगिक उत्पादन, पर्यावरण निर्मोचन अथवा खेतों के लिए किया जा रहा हो, के आयातों की अनुमति केवल आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जीईएसी) के अनुमोदन से ही दी जाएगी। अनुसंधान एवं विकास प्रयोजनों के लिए जीएम सामग्री का आयात करने के इच्छुक संस्थान/कंपनियां अपने प्रस्ताव जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आनुवंशिक संवर्धन समीक्षा समिति (आरसीजीएम) को प्रस्तुत करेंगी। कंपनियों/संस्थानों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आनुवंशिक रूप से संवर्धित इस सामग्री का प्रयोग किये जाने की स्थिति में जीईएसी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। आयात के समय आनुवंशिक रूप से संवर्धित उत्पादों वाली सभी खेपों के साथ इस आशय का घोषणा पत्र संलग्न किया जाएगा कि इस उत्पाद का आनुवंशिक रूप से संवर्धन किया गया है। यदि किसी खेप के साथ ऐसा घोषणा पत्र नहीं होता है और बाद में उसमें जीएम सामग्री पाई जाती है तो आयातक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन के संबंध में जागरूकता

582. श्री सुभाष महरिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय व्यापारियों के हित के मद्देनजर विश्व व्यापार संगठन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना केन्द्रों/परामर्श केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय उद्योग विशेषकर भेषज उद्योग विश्व व्यापार संगठन समझौते से प्रभावित हुआ है; और

(घ) भारतीय उद्योगों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सरकार द्वारा राज्य सरकारों, प्रशासनिक मंत्रालयों, शीर्षस्थ वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श के जरिये विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के संबंध में सूचना व जागरूकता का प्रसार किया जाता है। डब्ल्यूटीओ वार्ताओं से संबंधित सूचना वाणिज्य विभाग की वेबसाइट www.commerce.nic.in पर उपलब्ध कराई जाती है और उसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है। डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र, जो वाणिज्य विभाग द्वारा गठित एक व्यावसायिक निकाय है, डब्ल्यूटीओ वार्ताओं के संबंध में एक संस्थागत सूचना केन्द्र का कार्य करता है। यह केन्द्र सेमिनारों एवं सम्मेलनों के आयोजन, प्रशिक्षण कार्यशालाओं के जरिये क्षमता निर्माण, अपनी वेबसाइट पर सूचना को अद्यतन बनाने और एक डब्ल्यूटीओ समाचार पत्रिका के प्रकाशन जैसे डब्ल्यूटीओ मुद्दों पर जागरूकता संबंधी विविध कार्यकलाप करता है।

(ग) और (घ) विश्व व्यापार संगठन में गैर-कृषि बाजार पहुंच (एनएएमए) वार्ताओं में भारत भेषज सहित औद्योगिक क्षेत्रों के हितों की रक्षा हेतु बातचीत कर रहा है। व्यापार वार्ताओं के चल रहे दोहा दौर में भारत अपने गठबंधन भागीदारों के साथ उन लोचशीलताओं हेतु बातचीत कर रहा है जो भारतीय उद्योगों के हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त एवं समुचित हैं।

[अनुवाद]

खनन गतिविधियों में विकास

583. श्री के.एस. राव: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में धातुओं और खनिजों के वाणिज्यिक खनन की संभाव्यता के पूर्ण दोहन के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी तथा निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों में खनन तथा खनिजों के अन्वेषण के लिए कितनी घरेलू तथा विदेशी कंपनियों को अनुमति दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश की समुद्री सीमा के भीतर खनिज संसाधनों के विकास एवं विनियमन हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किया है तथा इसमें निजी निवेश आमंत्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ङ) खनन में घरेलू तथा विदेशी निवेश के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) खनिजों का खनन मोटे तौर पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता और बाजार मांग आदि पर निर्भर करता है। गवेषण और खनन के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और निवेश भिन्न-भिन्न खनिजों और क्षेत्रों के हिसाब से बदलते रहते हैं। उदारीकृत आर्थिक परिवेश में उद्यमियों द्वारा स्थान के चयन सहित निवेश संबंधी निर्णय अपने प्रौद्यो-आर्थिक मूल्यांकन और वाणिज्यिक विचारों के आधार पर लिये जाते हैं। इसके ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सूचित किये गये पूर्व-अनुमोदनों का ब्यौरा खान मंत्रालय की वेबसाइट http://mines.gov.in पर दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 तथा अपतटीय क्षेत्र खनिज संरक्षण नियम, 2006 अधिसूचित किये हैं जिनमें अपतटीय क्षेत्रों में गवेषण और खनन में निवेश करने की अनुमति दी गई है।

(ङ) भारत में खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सहित निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने हाल ही में नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की है।

ध्रुव हेलिकॉप्टरों का शामिल किया जाना

584. श्री नन्द कुमार साय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आपात स्थितियों से निपटने के लिए बलों को त्वरित रूप से एकत्र करने हेतु उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर "ध्रुव" को बलों में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी हां। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित संचलन सहित बलों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आठ उन्नत हल्के हेलिकॉप्टरों का प्रापण करने के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को दिनांक 8.12.2008 को एक आशय पत्र (एलओआई) भेजा गया है।

लघु उद्योग क्षेत्र हेतु गणना

585. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के लघु उद्योगों की तीसरी गणना का ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या सरकार ने देश के लघु उद्योग क्षेत्र के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार ने 31.3.2001 तक पंजीकृत 22,62,401 सूक्ष्म और लघु उद्यमों की तीसरी अखिल भारतीय गणना और संदर्भ वर्ष 2001-02 के साथ अपंजीकृत एमएसई का नमूना सर्वेक्षण करवाया। देश के एमएसई क्षेत्र की तीसरी अखिल भारतीय गणना के कुछ मुख्य परिणाम संलग्न विवरण में संक्षेप में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) सरकार लगातार सकल घरेलू उत्पाद, विनिर्माण उत्पादन, निर्यातों में योगदान के संदर्भ में, साथ ही उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में एमएसई के निष्पादन की निगरानी करती है। एमएसई क्षेत्र में उत्पादन की अनुमानित वृद्धि दर देश में संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के मुकाबले लगातार उच्च रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष 2001-02 के संदर्भ में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के परिणाम

	विशेषताएं	एमएसई क्षेत्र का ब्यौरा		
		पंजीकृत	गैर-पंजीकृत	कुल
1	2	3	4	5
1.	क्षेत्र का परिमाप	1374974	9146216	10521190
2.	ग्रामीण इकाइयों की संख्या	609537 (44.33%)	5198822 (56.80%)	5808359 (55.00%)
3.	शहरी इकाइयों की संख्या	765437 (55.67%)	3947394 (42.30%)	4712831 (45.00%)
4.	लघु उद्योगों की संख्या	901291 (65.55%)	3544577 (38.75%)	4445868 (42.26%)
5.	एसएसएसबीई की संख्या	473683 (34.45%)	5601639 (61.25%)	6075322 (57.74%)
6.	अनुषंगी इकाइयों की संख्या (लघु उद्योगों की संख्या की प्रतिशतता)	45797 (5.08%)	86516 (2.44%)	132313 (2.98%)
7.	लघु उद्योगों के बीच अति लघु इकाइयों की संख्या	882496 (97.9%)	3543091 (99.9%)	4425587 (99.5%)

1	2	3	4	5
8.	महिला उद्यमियों की संख्या	137534 (10%)	926187 (10.13%)	1063721 (10.11%)
9.	कार्यकलाप का स्वरूप	872449 (63.45%)	3303366 (36.12%)	4175815 (39.69%)
	निर्माण/सम्मिश्रण/कार्यवाही	28843 (2.10%)	1692663 (18.50%)	1721506 (16.39%)
	मरम्मत एवं रख-रखाव सेवायें	473682 (34.45%)	4150187 (45.38%)	4623869 (43.95%)
10.	संगठन की किस्म			
	स्वामित्व	1221702 (88.85%)	8862548 (96.9%)	10084250 (95.8%)
	भागीदारी	99190 (7.21%)	103662 (1.13%)	202852 (1.9%)
	निजी कम्पनी	33284 (2.42%)	38153 (0.42%)	71437 (0.68%)
	सहकारी	4715 (0.34%)	9854 (0.11%)	14569 (0.14%)
	अन्य	16083 (1.17%)	131999 (1.44%)	148082 (1.41%)
11.	पावर का मुख्य स्रोत:			
	पावर आवश्यक नहीं	360611 (26.23%)	3855035 (42.15%)	4215646 (40.00%)
	कोयला	28841 (2.10%)	295165 (3.23%)	324006 (3.10%)
	तेल/पीएलजी	47623 (3.47%)	610653 (6.67%)	658276 (6.25%)
	विद्युत	899657 (65.43%)	4025262 (44.01%)	4924919 (46.80%)
	अन्य	38242 (2.78%)	360101 (3.94%)	398343 (3.78%)
12.	निम्नलिखित द्वारा प्रबंधित इकाइयों की सं.:			
	अनुसूचित जाति	107934 (7.85%)	943969 (10.32%)	1051903 (10.00%)

1	2	3	4	5
	अनुसूचित जनजाति	48560 (3.53%)	474271 (5.19%)	522831 (4.97%)
	अन्य पिछड़ा वर्ग	529406 (38.50%)	3811372 (41.67%)	4340778 (41.26%)
	अन्य	689074 (50.12%)	3916604 (42.82%)	4605678 (43.80%)
13.	31.3.2002 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण रखने वाली इकाइयों की सं.	276333 (20.10%)	501306 (5.48%)	777639 (7.39%)
14.	कुल रोजगार	6163479	18769284	24932763
15.	प्रति इकाई रोजगार	4.48	2.05	2.37
16.	संयंत्र एवं मशीनरी का कुल मूल मूल्य (लाख रुपये)	3032868	2456492	5489360
17.	संयंत्र एवं मशीनरी का प्रति इकाई मूल मूल्य (लाख रुपये)	2.21	0.27	0.52
18.	कुल निर्धारित निवेश (लाख रुपये)	9179207	6255660	15434867
19.	प्रति इकाई निर्धारित निवेश (लाख रुपये)	6.68	0.68	1.47
20.	कुल सकल परिणाम (लाख रुपये)	20325462	7901536	28226998
21.	प्रति इकाई सकल परिणाम (लाख रुपये)	14.78	0.86	2.68
22.	प्रत्यक्ष निर्यात करने वाली इकाइयों की संख्या	7344	43262	50606
23.	निर्यात का मूल्य (लाख रुपये)	1230826	189130	1419956
24.	प्रति एक लाख रुपये के निवेश का रोजगार	0.67	3.00	1.62
25.	लघु उद्योग क्षेत्र में एएसआईसीसी उत्पादित उत्पादों/की गई सेवाओं की संख्या	5983	2680	6003
26.	लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादित आरक्षित उत्पादों की संख्या (31.3.2001 को प्रभावी आरक्षण सूची के अनुसार)	877	382	878

मेग्नेसाइट के भंडार

586. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सहित देश में मेग्नेसाइट का विशाल भंडार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन भंडारों के विकास/दोहन हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी, हां। तमिलनाडु सहित देश में मेग्नेसाइट के विशाल भंडार मौजूद हैं। तमिलनाडु का सबसे प्रमुख मेग्नेसाइट भंडार सेलम जिले की चाक पहाड़ियों में अवस्थित है। राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

राज्य	भंडार (मिलियन टन में)	कुल संसाधन (मिलियन टन में)
अखिल भारत	76.133	337.88
उत्तराखंड	40.58	231.27
राजस्थान	3.28	53.80
तमिलनाडु	28.42	45.51
कर्नाटक	1.02	3.85
जम्मू व कश्मीर	2.81	3.00

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका, 2007 के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान मेग्नेसाइट का कुल उत्पादन निम्नवत है:

राज्य	खानों की संख्या	मात्रा (टन में)	मूल्य (हजार रु. में)
अखिल भारत	11	241920	330928
कर्नाटक	2	8552	10684
राजस्थान	1	352	411
तमिलनाडु	6	176135	273219
उत्तराखंड	2	56881	46614

बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र का जारी किया जाना

587. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (एम.एन.आई.सी.) को जारी करने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सरकार के समक्ष आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) नागरिकता अधिनियम, 1955 के संशोधन के बाद पहचान (स्मार्ट) कार्ड की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी दोनों में शामिल जटिलताओं को समझने के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र संबंधी प्रायोगिक परियोजना को बारह (12) राज्यों तथा एक (1) संघ राज्य क्षेत्र के चयनित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया। इस प्रायोगिक परियोजना को 31 मार्च, 2008 को पूरा कर लिया गया है। प्रायोगिक क्षेत्रों में नागरिकों को करीब 13 लाख पहचान पत्र जारी किये गये हैं।

प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन से क्षेत्रीय भाषाओं में डाटा एन्ट्री आपरेटरों की अनुपलब्धता, फोटो तथा अंगुलियों की छाप को प्राप्त करने में कठिनाइयां, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता का सत्यापन, इत्यादि जैसी समस्याएं उजागर हुई हैं। इन जानकारियों के आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है कि 2011 में आगामी दशकीय जनगणना के समय एक संदर्भ तिथि के साथ सभी निवासियों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में प्रत्येक व्यक्ति की विनिर्दिष्ट विशेषताओं के बारे में जानकारी होगी तथा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों की फोटो तथा अंगुलियों की छाप को शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

खनिज भंडारों का आवंटन

588. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क तथा अन्य खनिज भंडारों को रक्षित ब्लॉक के रूप में निजी क्षेत्र को आवंटित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र को लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों के रक्षित ब्लॉकों के आवंटन हेतु निर्धारित नीति/नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र नीलामी के माध्यम से लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों के रक्षित ब्लॉकों के आवंटन की मांग कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) राज्य सरकारें खनिजों की मालिक हैं और ये खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनिज रियायतें प्रदान करती हैं।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने के संबंध में केवल केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा के बाद, खनन क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकार तरजीही अधिकारों के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी निजी उद्योग की अर्हताओं के आधार पर खनिज रियायत प्रदान करने में प्राथमिकता दे सकती है। राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 के अनुसार, मूल्य वर्धन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। तथापि, निजी क्षेत्र द्वारा किसी खनिज का ऐसा मूल्य वर्धन स्टैंड अलोन औद्योगिक क्रियाकलाप के रूप में खनिज क्षेत्र के विकास के साथ-साथ चलेगा।

(ग) और (घ) सरकारी एजेंसियों द्वारा गवेषित क्षेत्र पर खनिज रियायत प्रदान करने में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे क्षेत्र पर नीलामी के माध्यम से खनिज रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कैपिटेशन फीस/डोनेशन

589. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री नन्द कुमार साय:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने कुछ संस्थानों द्वारा डोनेशन/कैपिटेशन फीस लेने के आरोपों की जांच के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा इन संस्थाओं के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) संस्थाओं को इस प्रकार की फीस लेने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पीपल्स शिक्षा सोसायटी (आईटी), बंगलौर (पीईएसआईटी) तथा बाबरिया प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), वड़ोदरा द्वारा कैपिटेशन फीस लेने की शिकायतों के आरोपों की जांच करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। जांच के दौरान दोनों ही संस्थाओं ने दाखिले के लिए एक मामले में स्वैच्छिक योगदान/डोनेशन लेने की बात को स्वीकार किया है। पीईएसआईटी, बंगलौर ने शिकायतकर्ता को डोनेशन के रूप में ली गई राशि को वापिस लौटा दिया है। संस्थान के खिलाफ और आगे की कार्रवाई के लिए एक कानूनी सलाह ली गई है। बीआईटी, वड़ोदरा ने डोनेशन की राशि को यह कहकर वापिस लौटाने से मना कर दिया है कि यह स्वैच्छा से दी गई थी तथा न्यास के खातों में एक बार राशि चढ़ाने के बाद इसे वापिस नहीं लौटाया जा सकता। इसके दृष्टिगत यह एक संस्थान द्वारा दाखिले के लिए डोनेशन लेने का स्पष्ट मामला बनता है, इससे तकनीकी शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिलता है, संस्थान को यह निर्देश देते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उसके खिलाफ अनुमोदन को वापिस लेने सहित कार्रवाई की जाए।

(घ) तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किये गये पत्र में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

> "कि ट्यूशन फीस तथा अन्य शुल्क के रूप में परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित सम्पूर्ण दायरे के अंदर सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क वसूल किए जाएंगे। विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के संरक्षकों से किसी भी रूप में कैपिटेशन फीस वसूल नहीं की जाएगी।"

जब कभी भी कैपिटेशन फीस वसूल करने के संबंध में कोई शिकायत मिलती है, तब इसकी जांच की जाती है तथा जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान

590. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान (एम.एस.एम.ई.डी.आई.) विभिन्न देशों से भाग लेने आए प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कितने प्रशिक्षुओं ने संस्थान-वार इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया;

(ग) इन संस्थानों द्वारा उम्मीदवारों के चयन का क्या मानदंड है;

(घ) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने 23 देशों के साथ 20 समझौता ज्ञापनों/सहयोग के करारों पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न देशों में संगठनों के साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमि. (एनएमआईसी) द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/सहयोग के करार

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	देश
1.	मिनिस्ट्री ऑफ स्माल एंड मीडियम एन्टरप्राइजेज	कान्गो गणराज्य
2.	स्मॉल बिजनेस बीसी, वैनकूवर	कनाडा
3.	बल्गारियन स्माल एंड मीडियम इन्टरप्राइजेज प्रमोशन एजेन्सी गणराज्य	रिपब्लिक ऑफ बल्गारिया
4.	डायरेक्टोरेट जेनेरल फार डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इन्टरप्राइजेज	सल्तनत ऑफ ओमान
5.	सर्विसो ब्रासिलिएरो डे अ़पोलो एस माइक्रोई पेग्युएनास एम्प्रीस	ब्राजील
6.	स्माल एन्टरप्राइस डेवलपमेंट एजेंससी	दक्षिण अफ्रीका
7.	स्माल बिजनेस कारपोरेशन	दक्षिण कोरिया
8.	तेपेई वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (टीडब्ल्यूटीसी)	ताईवान
9.	पैसिफिक आइलैन्डस फोरम सेक्रेटेरिएट (पीआईएफएस)	फिजी
10.	कैरिबियन एसोसिएशन ऑफ इन्डस्ट्री एंड कामर्स	ट्रिनिडाड एंड टोबेगो
11.	युगांडा स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन	युगांडा
12.	फेडरेल माइक्रो एंड स्माल एन्टरप्राइसेस डेवलपमेन्ट	इथिओपिया
13.	एजेन्सी फार प्रोमोशन ऑफ स्माल एंड मीडियम एन्टरप्राइसेस	सेनेगल
14.	बसोथो एन्टरप्राइस डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	लेसोथो
15.	स्माल इन्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट आरगेनाइजेशन	तन्जानिया
16.	मिनिस्ट्री ऑफ इन्डस्ट्री ऑफ सीरियन अरब रिपब्लिक	सीरिया
17.	नेशनल विमेन एन्टरप्रिन्योर कांउसिल	मारीशस
18.	मोहम्मद बिन रशीद एस्टेब्लिशमेंट फार यंग बिजनेस लीडर्स, दुबई	यूएई
19.	जेहाद चैम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री	सउदी अरब
20.	सोशल फंड फार डेवलपमेन्ट एन एजेन्सी आफ गवर्नमेन्ट आफ इजिप्ट	इजिप्ट
21.	कान्फडरेशन आफ स्माल इन्डस्ट्रीज (सीओएनएफएपीआई)	इटली
22.	बुन्देस्वरबन्द मिटेस्टेनडिशे वर्टशाफ्ट (बीवीएमडब्ल्यू)	जर्मनी
23.	इजरायल स्मेस अथॉरिटी	इजरायल

[हिन्दी]

अनुसंधान एवं विकास हेतु सी.एस.आई.आर. द्वारा आसान शर्तों पर ऋण

591. श्री रामदास आठवले: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) द्वारा विभिन्न कंपनियों को अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को चलाने के लिए स्वीकृत किये गये आसान शर्तों पर ऋणों का कंपनी-वार तथा परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सी.एस.आई.आर. द्वारा इन कंपनियों को ऋण स्वीकृत करने हेतु क्या मानदंड हैं;

(ग) इन कंपनियों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के संबध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) अनुसंधान एवं विकास करने हेतु विभिन्न कंपनियों को आसान शर्तों पर जारी ऋण तथा परियोजनाओं के नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस ऋण की चुकौती अधिक से अधिक दस बराबर वार्षिक किस्तों में की जानी है जो कि परियोजनाओं के बंद होने के छः माह बाद से प्रारंभ होगी।

(ख) एनएमटीएलआई के अंतर्गत 'पुश' और 'पुल' दोनों प्रकार की परियोजनाओं का विकास किया जाता है, जिन्हें (1) राष्ट्रीय स्तर पर विकसित परियोजनाएं (एनईपी) और (2) उद्योग जनित परियोजनाएं (आईओपी) के उपयुक्त नाम दिए गए हैं। इन दोनों श्रेणियों के लिए चरणवार प्रक्रियाएं संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) सिर्फ चार कंपनियां ही ऋण की देय राशि की चुकौती समय पर नहीं कर पाई हैं, इनके नाम इस प्रकार हैं:-एंकर सॉफ्टवेयर, बेंगलूर; लेन्सल ऑप्टिक्स प्रा.लि., पुणे; एफआईटीएल, हैदराबाद और डिवीनेट, पुणे। इन कंपनियों ने ऋण की चुकौती के विलंबन हेतु अनुरोध किया है। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) इन कंपनियों के अनुरोधों की जांच की जा रही है।

विवरण I

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पार्टी का नाम	जारी ऋण
1	2	3	4
1.	5 एवं 25 किलोवाट विकेन्द्रीकृत पावर पैक्स	सूद-कैमी इंडिया लि., नई दिल्ली	50.00
2.	लेटेंट एम. ट्यूबरक्यूलोसिस: नए लक्ष्य, औषध वितरण प्रणाली, जैव संवर्धक और चिकित्साशास्त्र	ल्यूपिन लि., मुम्बई	1016.00
3.	सुअभिनिर्धारित औद्योगिक रसायनों के एल्किलीकरण/ एसिलीकरण/नाइट्रीकरण हेतु नैनो-पदार्थ उत्प्रेरक और संबंधित प्रक्रम प्रौद्योगिकी, हाइड्रो-कार्बनों की प्रि-रिफार्मिंग और पेट्रोलियम ईंधनों से सल्फर समापन (<50 पीपीएम)	सूद-कैमी इंडिया लि., नई दिल्ली	95.00
4.	बायो इंफर्मेटिक्स के लिए सर्वतोमुखी, सुवाह्य सॉफ्टवेयर का विकास और बायो-स्यूट के लाइनक्स क्लस्टर वर्जन का विकास	टीसीएस, हैदराबाद टीसीएस, हैदराबाद जालाजा टेक्नो, बेंगलूर एफआईटीएल, हैदराबाद	780.00 174.00 24.00 40.00
5.	चिकित्सीय और वैज्ञानिक चुनौती सोरॉयसिस के उपचार के लिए मुख से सेवन किये जाने वाले हर्बल सूत्रण का विकास	ल्यूपिन लि., मुम्बई	1430.46

1	2	3	4
6.	नवीन बायोटेक चिकित्सीय अणु-लाइसोस्टैफिन का विकास चरण-2	बीबीआईएल, हैदराबाद बीबीआईएल, हैदराबाद	560.62 77.20
7.	एरिथ्रोमाइसिन का क्लेरिथ्रोमाइसिन और अन्य नवीन जैविकीय सक्रिय अणुओं में सूक्ष्मजीवी रूपांतरण	एलेम्बिक लि.,वड़ोदरा	28.50
8.	नेत्र रोगों के लिए नवीन आप्विक नैदानिकी और कमजोर नजर को बढ़ाने वाले उपकरण	लेंसल ऑप्टिक्स प्रा.लि., पुणे जाइटोन डाइग्नोस्टिक, बेंगलूर	14.75 69.56
9.	सूरजमुखी और खमीर में ए-लाइनोलेनिक अम्ल और डोकोसेहेक्सेओनिक अम्ल (डीएचए) का निर्माण करने के लिए पुनर्योगज अभिगम	अवेस्था गेंगरेन, बेंगलूर	303.50
10.	पीसी के स्थान पर किफायती सिम्पल ऑफिस कम्प्यूटिंग (सॉफकॉम) प्लेटफॉर्म	एंकर सॉफ्टवेअर, बेंगलूर	320.00
11.	कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए पीसी आधारित हाई-एंड 3डी विज्युलाइजेशन प्लेटफार्म-'दर्शी'	स्ट्रेंड जीनोमिक्स, बेंगलूर	186.40
12.	मशीन से सीखने और प्रयोगात्मक विधियों के संयोजन के माध्यम से उन्नत जीनोम एनोटेशन: प्लाजमोडियम फाल्सीपेरम	टीसीएस, हैदराबाद	291.00
13.	नवीन कवकनाशियों का विकास	रैलीस रिसर्च सेंटर, बेगंलूर	188.29
14.	नवीन निष्पीड़न प्रणाली	बायोकॉन, बेंगलूर शांता बायोटेक, हैदराबाद	33.12 56.07
15.	वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक 'ट्रिपल प्ले' ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी का विकास	डिवीनेट, पुणे	938.75
16.	व्यापक अनुप्रयोगों के विकास तथा संवर्धन हेतु सॉफकॉम और मोबिलिस का विपणन प्रारंभ करना	एंकर सॉफ्टवेअर, बेंगलूर	537.00
17.	स्वस्थाने अभिनिर्धारण सहित समेकित सूक्ष्म पीसीआर प्रणाली का विकास	बिगटेक, बेंगलूर	550.00
18.	फुप्फुस क्षय रोग के उपचार हेतु नवीन सूक्षण-चिकित्सीय अध्ययन	ल्यूपिन लि., मुम्बई	213.00
19.	कपास में सूखा सह्यता और फाइबर गुणवत्ता संबंधी लक्षणों में सुधार लाने के लिए चयन प्रणाली समर्थित हाई थ्रूपुट मार्कर का विकास करना	जेके एग्री, हैदराबाद	549.90
20.	रक्ताधिक्य हृद्पात के डायाग्रोसिस और उपचार के लिए बी-टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड (बीएनपी) के विकास हेतु नवीन विधि	विरचो बायोटेक, हैदराबाद	298.10
21.	नैक्स्ट जेनरेशन प्लाज्मा डिस्प्ले प्रौद्योगिकी और 50 इंची हाई डैफिनेशन (एचडी) टीवी प्रोटोटाइप का विकास	सैमटेल कलर, गाजियाबाद	1946.00

1	2	3	4
22.	वायरलैस सेंसर के लिए चिपसेट	वर्चुअल वायर टेक, नई दिल्ली	322.00
23.	लेक्टिक एसिड और लेक्टिक एसिड आधारित पॉलीमर	गोदावरी शुगर मिल्स लि., मुम्बई	210.00
24.	कुशन बॉडिड ऑर्गेनिक सिरेमिक क्लच डिस्क्स का डिजाइन एवं विकास	क्लच ऑटो लि., फरीदाबाद	1060.00
25.	सेप्सिज के प्रबंधन हेतु नवीन चिकित्सा शास्त्र	कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, अहमदाबाद	1465.00
26.	संक्रमणों की नैदानिकी हेतु सिंड्रोमिक एप्रोच: रोगजनक जिनके कारण एईएस (एक्यूट एंसिफैलिटिक सिंड्रोम) और सेप्टिसीमिया होता है, की समकालिक खोज हेतु डीएनए मैक्रोचिप्स का विकास	जाइटॉन डायाग्नोस्टिक, बेगंलूर	114.44
27.	डिस्ट्रीब्यूटिड वीडियो सर्वेलैंस सिस्टम	माइंडट्री लि., बेंगलूर	180.06
28.	जॉनीज रोग के लिए देसी टीके का विकास एवं अभिलक्षणन	बायोवेट, बेंगलूर	110.72
29.	फंगल ब्लास्ट रोग हेतु राइस रेसिस्टेंट का विकास	मैटाहेलिक्स लाइफ, बेंगलूर	31.79
	जोड़		14265.23

विवरण II

एनएमआईटीएलआई के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर विकसित परियोजनाओं (एनईपी) के विकासार्थ चरणवार प्रक्रिया

1. राष्ट्रीय परामर्श

(1) शक्य उपयुक्त विचारों को अभिनिर्धारित करने के लिए व्यापक एवं विविध परामर्श किये जाते हैं। प्राय: ये परामर्श महानिदेशक, सीएसआईआर की ओर से विविध क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तियों को पत्र भेजकर किये जाते हैं।

(2) इस प्रकार प्राप्त सुझावों के आंकड़े का आधार तैयार किया जाता है।

2. सुझावों/विचारों का चयन

द्विचरणीय तंत्र नीचे दिया गया है:

प्रथम स्तर

(1) विभिन्न विषयों की व्यापक जानकारी रखने वाले सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों वाली विशेषज्ञ छानबीन समिति इन सुझावों/विचारों को एनएमआईटीएलआई के उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए इनकी छंटनी करती है;

(2) इस छानबीन समिति की संस्तुतियों को महानिदेशक, सीएसआईआर के समक्ष उनके द्वारा विचार, समीक्षा एवं पुष्टि किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है; और

(3) तत्पश्चात् चयनित इन सुझावों/विचारों को कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, औषध एवं भेषज, ऊर्जा, पदार्थ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वगीकृत किया जाता है।

द्वितीय स्तर

(1) महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा अलग-अलग विशेषज्ञ समूहों का गठन किया जाता है ताकि छंटे गए इन सुझावों/विचारों में से भारत को लाभान्वित करने वाले कुछेक विचारों का चयन किया जा सके। प्रत्येक विशेषज्ञ समूह में संबंधित क्षेत्रों के 4-5 विशेषज्ञ होते हैं;

(2) इसके बाद चुने गए इन सुझावों/विचारों को महानिदेशक, सीएसआईआर के समक्ष उनके द्वारा विचार, समीक्षा एवं अनुमोदन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है; और

(3) तत्पश्चात्, सभी योगदानकर्ताओं को चयनित इन विचारों से अवगत कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सीएसआईआर उद्योग एवं अनुसंधानकर्ताओं के साथ संपर्क के माध्यम से परियोजना संबंधी विचारों हेतु पूर्व सक्रिय खोज करता है। यह कार्य विशिष्ट क्षेत्रों के अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ संपर्क बैठकें आयोजित करके किया जाता है ताकि शक्य परियोजना विचारों को उत्प्रेरित किया जा सके। तदुपरांत इन चुने हुए विचारों के संबध में विचारोत्तेजक बैठक की जाती है और इन संकल्पनाओं को महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा विचार किये जाने एवं अनुमोदन दिये जाने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् इन संकल्पनाओं को अनुवर्ती चरणों में से गुजरने के बाद परियोजना के रूप में विकसित किया जाता है।

3. परियोजना प्रस्ताव तैयार करना

(1) प्रत्येक चुने हुए विचार के लिए विशिष्ट विशेषज्ञ समूह (चैम्पियन समूह) का गठन किया जाता है ताकि चुने हुए विचार का विकास परियोजना के रूप में किया जा सके। इस समूह में संबंधित क्षेत्र के तीन से चार विशेषज्ञ होते हैं जिनमें कम से कम एक विशेषज्ञ उद्योग का होता है ताकि इस परियोजना को औद्योगिक स्वरूप दिया जा सके। चैम्पियन समूह चुनिंदा क्षेत्र के भीतर उपयुक्त खण्ड पर ध्यान केन्द्रित करने, इसे परियोजना के रूप में विकसित करने, (श्रेष्ठ) भागीदारों, परियोजना समय-सीमा और बजट प्राक्कलन आदि का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है।

(2) परियोजना को विकसित करने के लिए यह चैम्पियन समूह आपस में आंतरिक बैठकें करने के अतिरिक्त अकादमियों, संस्थानों एवं उद्योग के विषय विशेष के अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ कम से कम एक बैठक अवश्य करता है।

इस बात को मान्यता देना महत्वपूर्ण है कि एनएमआईटीएलआई परियोजनाओं की एनईपी श्रेणी में प्रतिभागिता आवेदन द्वारा न होकर आमंत्रण द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त, किसी क्षेत्र का सुझाव देने वाले व्यक्ति अनुसंधान परियोजना का हिस्सा भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी।

4. औद्योगिक भागीदारों को सम्मिलित करना

उद्योग भागीदारों को सूचीबद्ध करने के लिए अपनाए गए अन्य दृष्टिकोणों के साथ-साथ कुछ दृष्टिकोण निम्नवत हैं:

(1) परियोजनाओं को विकसित करते समय विचारोत्तेजक बैठकों में भाग लेने के लिए औद्योगिक भागीदारों को आमंत्रित करना;

(2) जब विचारोत्तेजक बैठक में उद्योग की भागीदारी न्यूनतम हो अथवा शून्य हो तो सीएसआईआर उस उद्योग क्षेत्र की फर्मों को उस क्षेत्र विशेष में रुचि दिखाने के लिए विशेष रूप से पत्र लिखता है;

(3) सीएसआईआर का टीएनबीडी प्रभाग संबंधित उद्योगों से स्वतंत्र रूप से संपर्क करता है और परियोजना में उनकी भागीदारी के लिए उनसे अनुरोध करता है; और

(4) इस कार्यक्रम में भागीदारी की इच्छा प्रकट करने वाली फर्मों को सूचीबद्ध किया जाता है।

5. अनुमोदन

(1) विकसित अंतिम परियोजना को महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। एचपीसी आसानी से निर्णय ले सके इसके लिए चैंपियंस को एचपीसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया जाता है; और

(2) निधियन पहलू सहित एचपीसी की टिप्पणियों/संस्तुतियों के साथ परियोजना प्रस्ताव को महानिदेशक, सीएसआईआर/जीबी (एसएफसी)/ईएफसी, जो भी उपयुक्त हो, के समक्ष अंतिम बार विचार किये जाने एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

6. निधियों का संवितरण

भागीदारों से समझौता ज्ञापन/कानूनी करार पर हस्ताक्षर के बाद परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

एनएमआईटीएलआई के अंतर्गत उद्योग जनित परियोजनाओं (आईओपी) के विकासार्थ चरणवार प्रक्रिया

1. संकल्पनात्मक विचार/प्रस्ताव मंगाना

(1) इस योजना के अंतर्गत भारतीय उद्योग से संकल्पनात्मक प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अग्रणी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापन के माध्यम से; और

(2) इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए संकल्पनात्मक विचारों/प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए अनेक भारतीय उद्योगों को सीएसआईआर की ओर से पत्र भेजे जाते हैं।

2. संकल्पनात्मक प्रस्तावों का चयन

प्रथम स्तर:

(1) निर्धारित समय के भीतर प्राप्त संकल्पनात्मक विचारों/प्रस्तावों का संकलन करना; और

(2) विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समिति (महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा गठित) द्वारा एनएमआईटीएलआई के उद्देश्यों के अनुरूप इन संकल्पनात्मक विचारों/प्रस्तावों का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करना।

द्वितीय स्तर:

(1) आगे विचार एवं जांच करने के लिए 1 से 10 तक के पैमाने पर तकनीकी क्षेत्र के उत्कृष्ट विशेषज्ञों (कम से कम 3 विशेषज्ञ) की समिति द्वारा छांटे गये संकल्पनात्मक विचारों/प्रस्तावों का मूल्यांकन करना; और

(2) प्रत्येक व्यापक क्षेत्र में कम से कम 5 की औसत दर आधारित चोटी के एक या दो विचारों का चयन करना।

3. संकल्पनात्मक विचारों को परियोजनाओं के रूप में विकसित करना

राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों और संबंधित उद्योग भागीदार के मार्गदर्शन से चुने हुए विचार/संकल्पनात्मक प्रस्ताव को परियोजना प्रस्ताव के रूप में विकसित करना। सीएसआईआर इस प्रस्ताव के निर्माण में उद्योग की सहायता करने हेतु इन विशेषज्ञों की पहचान करता है।

4. अनुमोदन

(1) विकसित अंतिम परियोजना प्रस्ताव को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ और संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया जाता है; और

(2) तत्पश्चात् इस परियोजना प्राप्त को उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) को संस्तुतियों सहित महानिदेशक, सीएसआईआर/एसएफसी (जीबी)/ईएफसी, जो भी उपयुक्त हो, द्वारा अंतिम विचार किये जाने और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

5. निधियों का संवितरण

भागीदारों के साथ करार पर हस्ताक्षर किये जाते हैं और तत्पश्चात् परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए भागीदारों को निधियां जारी की जाती हैं।

विवरण III

चूक कर्त्ताओं की सूची

(लाख रुपये)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पार्टी का नाम	वापस की जाने वाली ऋण की राशि
1.	बायो इंफर्मेटिक्स के लिए सर्वतोमुखी, सुवाह्य सॉफ्टवेयर का विकास	एफआईटीएल, हैदराबाद	40.00
2.	पीसी के स्थान पर किफायती सिम्पल ऑफिस कम्प्यूटिंग (सॉफकॉम) प्लेटफॉर्म: चरण 1	एंकर सॉफ्टवेयर बेंगलोर	320.00
	व्यापक अनुप्रयोगों के विकास तथा संवर्धन हेतु सॉफकॉम और मोबिलिस का विपणन प्रारंभ करना: चरण 2		537.00
3.	वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक 'ट्रिपल प्ले' ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी का विकास	डिवीनेट, पुणे	938.75
4.	नेत्र रोगों के लिए नवीन आप्विक नैदानिकी और कमजोर नजर को बढ़ाने वाले उपकरण	लैंसल ऑप्टिक्स प्रा.लि., पुणे	14.75

[अनुवाद]

चाय का निर्यात

592. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने चाय के निर्यात को तेजी से बढ़ावा देने तथा विश्व बाजार के बड़े भाग पर कब्जे के लिए देशों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने चाय के निर्यात के लिए पहचान किये गये किसी देश के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत से चाय का आयात करने वाले देश चाय की विभिन्न किस्मों हेतु मूल्य में कटौती पर जोर दे रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इससे चाय का निर्यात कहां तक प्रभावित हुआ है; और

(छ) चाय का उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां। निम्नलिखित 22 देशों को भारतीय चाय हेतु ग्रस्ट निर्यात बाजार के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

रूस, यू.के., पाकिस्तान, अमेरिका, मिस्र, जापान, मोरक्को, इराक, ईरान, पोलैण्ड, दुबई, सीरिया, जर्मनी, कनाडा, सउदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, सूडान, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, चिली, आयरलैंड तथा नीदरलैंड।

भारत से प्रमुख देशों को चाय के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत गणराज्य तथा ईरान इस्लामिक गणराज्य के बीच संयुक्त आयोग के 15वें सत्र के समझौता ज्ञापन पर दोनों सरकारों के बीच दिनांक 1-2 नवम्बर, 2008 को तेहरान में हस्ताक्षर किये गये थे। इस समझौता ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातों में ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चाय के आयातों पर लगाये गये प्रतिबंधों में ढील देना शामिल था। नई दिल्ली में दिनांक 31 जुलाई-1 अगस्त, 2007 को आयोजित संयुक्त वार्ता के कार्यढांचे के भीतर आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग के संबंध में भारत-पाकिस्तान वाणिज्य सचिव स्तरीय वार्ताओं के चौथे सत्र के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था जिसमें एक-दूसरे के देश में व्यापार प्रदर्शनियों का आयोजन, रेल द्वारा कार्गो की ढुलाई को सुकर बनाना और एक नया रेल मार्ग खोलकर उसे माल की आवाजाही हेतु शुरू करना शामिल हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) चाय के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्नानुसार हैं:

चाय का उत्पादन

(1) लघु उपजकर्ताओं द्वारा नवरोपण,

(2) मौजूदा चाय क्षेत्रों में पुनर्रोपण, नवीकरण, छंटाई, खाली स्थानों की भराई और चाय क्षेत्रों की चकबंदी,

(3) चाय बागानों में सिंचाई और जल निकासी सुविधा का सृजन,

(4) लघु उपजकर्ताओं के स्व-सहायता समूहों का गठन,

(5) नई फैक्टरियों की स्थापना, मौजूदा फैक्टरियों का आधुनिकीकरण, उत्पाद विविधीकरण हेतु नई सुविधाओं का सृजन, आईएसओ/एचएसीसीपी प्रमाणन तथा गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम,

(6) चाय बागानों हेतु अनुसंधान एवं विकास सहायता,

(7) चाय बागान श्रमिकों, प्रबंधकों को प्रशिक्षण,

(8) स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा आदि को शामिल करते हुए कल्याणकारी उपाय,

(9) गुणवत्ता मानकों के अनुरूप चाय परेषणों के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने हेतु तीन गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

चाय का निर्यात

बोर्ड द्वारा विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप किये जाते हैं और भारतीय चाय निर्यातकों को उनके विपणन प्रयासों में सहायता भी प्रदान की जाती है। बोर्ड द्वारा लंदन, मास्को और दुबई स्थित अपने कार्यालयों के जरिए ऐसे कार्यकलाप किये जाते हैं। विदेश स्थित इन कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किये जाते हैं:

(1) अंतर्राष्ट्रीय और/अथवा विशिष्टीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(2) विशिष्ट स्टोरों और/अथवा प्रमुख बाजारों में मौके पर नमूने बांटना।

(3) मीडिया प्रचार।

(4) क्रेता-विक्रेता बैठकें।

(5) आयातकों एवं निर्यातकों के बीच निकट संबंध स्थापित करने के लिए जन सम्पर्क कार्यकलाप।

(6) भारत तथा चाय आयातक देशों के बीच चाय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान।

भारत से चाय का समग्र निर्यात बढ़ाने के लिए असम स्थित आईसीडी, अमीनगांव के जरिये निर्यातित चाय पर व्यय किये गये परिवहन एवं प्रहस्तन प्रभारों को पूरा करने के लिए चाय निर्यातकों को परिवहन सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

विवरण I

भारत से चाय का प्रमुख देश-वार निर्यात

देश का नाम	अप्रैल से नवम्बर, 2008 (अनुमानित)			अप्रैल से नवम्बर 2007 (अंतिम)			वर्ष 2007 की तुलना में 2008 में वृद्धि (+)/गिरावट (-)	
	मात्रा (मि.किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए)	वृद्धि (रु./किग्रा.)	मात्रा (मि.किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए)	वृद्धि (रु./किग्रा.)	मात्रा (मि.किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
रूसी परिसंघ	22.09	219	99.14	27.12	227.03	83.71	-5.03	-8.03
कजाकिस्तान	6.64	85.81	129.23	6.06	61.14	100.89	0.58	24.67
यूक्रेन	0.93	9.13	98.17	1.00	7.28	72.80	-0.07	1.85
उज्बेकिस्तान	0.03	0.47	156.67	0.03	0.33	110.00	0.00	0.14
अन्य सीआईएस	0.35	5.04	144.00	0.19	4.45	234.21	0.16	0.59
कुल सीआईएस	**30.04**	**319.45**	**106.34**	**34.40**	**300.23**	**87.28**	**-4.36**	**19.22**
यूनाइटेड किंगडम	14.42	160.31	111.17	13.9	133.83	96.28	0.52	26.48
नीदरलैण्ड	1.80	43.27	240.39	2.08	38.38	184.52	-0.28	4.89
जर्मनी	3.07	68.55	223.29	4.51	79.92	177.21	-1.44	-11.37
आयरलैण्ड	1.19	26.12	219.50	1.75	28.88	165.03	-0.56	-2.76
पोलैण्ड	1.99	24.29	122.06	3.09	25.3	81.88	-1.10	-1.01
यूएसए	5.7	90.55	158.86	6.83	94.22	137.95	-1.13	-3.67
कनाडा	0.81	13.84	170.86	0.80	9.74	121.75	0.01	4.10
यूएई	12.04	140.97	117.08	13.97	139.22	99.66	-1.93	1.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईरान	10.52	148.78	141.43	8.66	98.46	113.70	1.86	50.32
इराक	5.08	64.68	127.32	0.04	0.40	88.43	5.04	64.28
सऊदी अरब	1.53	17.23	112.61	1.03	8.65	83.98	0.50	8.58
एआरई	9.86	73.77	74.82	3.26	20.37	62.48	6.60	53.40
तुर्की	0.07	0.90	128.57	0.03	0.45	150.00	0.04	0.45
अफगानिस्तान	8.18	58.58	71.61	4.65	23.84	51.27	3.53	34.74
सिंगापुर	0.14	3.43	245.00	0.23	3.86	167.83	-0.09	-0.43
श्रीलंका	3.22	32.83	101.96	2.34	19.01	81.24	0.88	13.82
केन्या	1.16	7.25	62.50	2.41	11.54	47.88	-1.25	-4.29
जापान	1.88	44.58	237.13	1.58	34.94	221.14	0.30	9.64
पाकिस्तान	4.69	37.14	79.19	2.91	14.47	49.73	1.78	22.67
ऑस्ट्रेलिया	3.27	73.11	223.58	3.55	68.96	194.25	-0.28	4.15
अन्य देश	3.92	35.47	90.48	3.98	59.23	148.82	-0.06	-23.76
कुल	**124.58**	**1485.10**	**119.21**	**116.00**	**1213.90**	**104.65**	**8.58**	**271.20**

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से चाय का प्रमुख देश-वार निर्यात

देश का नाम	2007-2008		2006-2007		2005-2006	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1. पश्चिमी यूरोप						
(क) ई.ई.सी.						
यूनाइटेड किंगडम	17937	1665053	22858	2140891	21588	1861670
आयरलैण्ड	2145	385637	2374	'467342	2078	284688
डेनमार्क	46	8258	57	12295	49	15271
नीदरलैण्ड	2686	460352	3125	480000	2782	362960
जर्मनी	5743	972672	4508	890247	4965	1008365
बेल्जियम	16	12673	16	13662	6	4903

1	2	3	4	5	6	7
इटली	169	51883	46	12206	60	16220
फ्रांस	281	116039	185	85352	221	76827
स्पेन	35	4288	1	316	25	3047
पुर्तगाल	–	–	4	640	2	209
रियूनियन	–	–	0	39	1	139
ग्रीस	3	2363	24	1365	–	–
उप जोड़ (क)	**29061**	**3679208**	**33198**	**4104355**	**31777**	**3634299**
(ख) अन्य पश्चिमी यूरोप						
आस्ट्रिया	1	444	1	190	1	1365
फिनलैण्ड	106	12638	32	5399	125	13897
नॉर्वे	7	1570	1	601	1	414
स्वीडन	89	27204	52	13085	27	9102
स्विटजरलैण्ड	33	8842	33	13216	17	7179
उप जोड़ (ख)	**236**	**50698**	**119**	**32491**	**171**	**31957**
उप जोड़ (1)	**29297**	**3729906**	**33317**	**4136846**	**31948**	**3666256**
2. पूर्वी यूरोप						
रूसी परिसंघ	44277	3775375	39362	3222080	36474	2682201
यूक्रेन	1460	110256	1150	87536	903	58680
लात्विया	10	820	0	22	10	901
कजाकिस्तान	10812	1110514	9686	1046694	10826	1142810
एस्टोनिया	44	35986	20	12305	15	7355
उजबेकिस्तान	71	8125	223	16470	239	17159
किर्गिस्तान	167	16400	25	2809	197	19609
अजरबेजान	15	2322	14	1740	29	5448
तजाकिस्तान	58	4853	66	5526	184	11880
बेलारूस	59	10963	80	8257	84	7014
अर्मेनिया	–	–	–	–	4	940
कुल सीआईएस	**56973**	**5075614**	**50626**	**4403439**	**48965**	**3953997**

1	2	3	4	5	6	7
चेकोस्लोवाकिया	246	22182	52	4810	178	10789
पोलैण्ड	4446	380934	3940	349967	4001	312977
हंगरी	–	–	–	–	3	924
बुलगारिया	18	1210	9	708	9	648
स्लोवाकिया	–	–	–	–	0	35
उप जोड़-2	**61683**	**5479940**	**54627**	**4758924**	**53156**	**4279370**
3. अमेरिका						
(क) उत्तरी अमेरिका और वेस्टइंडीज						
यू.एस.ए.	9896	1351851	8763	1389914	9297	1363039
कनाडा	1225	146101	924	125002	1614	196117
उप जोड़ (क)	**11121**	**1497952**	**9687**	**1514916**	**10911**	**1559156**
(ख) लैटिन अमेरिका						
अर्जेंटिना	3	417	–	–	3	373
मैक्सिको	4	2173	2	1109	–	–
पनामा	–	–	–	–	0	0
सूरीनाम	51	5304	–	–	8	1132
ब्राजील	–	–	–	–	2	640
चिली	0	344	–	–	11	1302
सूरीनाम	–	–	47	7506	–	–
उप जोड़ (ख)	**58**	**8238**	**49**	**8615**	**24**	**3447**
उप जोड़ (3)	**11179**	**1506190**	**9736**	**1523531**	**10935**	**1562603**
4. पश्चिम एशिया तथा उत्तर अफ्रीका						
(क) उत्तरी अफ्रीका						
ए.आर.ई.	7593	496596	3403	253191	742	50489
लीबिया	108	9332	55	3621	2158	145716
सूडान	34	4053	10	1199	–	–
मोरक्को	6	1314	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
ट्यूनीशिया	839	46105	294	13693	11	835
उप जोड़ (क)	**8580**	**557400**	**3762**	**271704**	**2911**	**197040**
(ख) पश्चिम एशिया						
ईरान	14045	1547045	9912	1057899	6493	650211
यू.ए.ई.	25911	2538929	22769	2312155	26783	2658721
कतर	295	36813	278	58750	209	27634
कुवैत	304	27271	391	52348	307	41406
इराक	46	4046	34915	1807556	30532	1580598
सऊदी अरब	1991	171310	1117	110449	1266	124872
बहरीन	166	23259	160	31882	207	32890
मस्कट	183	19476	148	22141	331	35192
जोर्डन	39	2743	–	–	217	24992
यमन	104	8134	723	47946	306	19546
तुर्की	63	7048	198	12742	115	10181
सीरिया	200	11412	45	3479	116	7918
लेबनान	–	–	7	533	18	1971
इजराइल	578	94879	239	61240	130	35056
उप जोड़ (ख)	**43925**	**4492365**	**70902**	**5579120**	**67030**	**5251188**
उप जोड़ 4	**52505**	**5049765**	**74664**	**5850824**	**69941**	**5448228**
5. पश्चिम एशिया को छोड़कर शेष एशिया						
अफगानिस्तान	6804	368196	9438	517552	3523	165345
बांग्लादेश	–	–	23	1074	1	167
हांगकांग	694	116394	715	130662	770	128969
जापान	2373	503396	2604	618252	2953	693751
मलेशिया	217	20182	532	37574	193	18659
सिंगापुर	384	69613	468	72223	489	69157
नेपाल	0	9	0	19	276	26239

1	2	3	4	5	6	7
फिलिपीन्स	143	39110	139	36277	152	40432
पाकिस्तान	5489	302118	14061	906652	10712	438684
ताइवान	361	43987	342	35601	475	37957
कोरिया	35	9017	31	10210	25	8391
श्रीलंका	4857	398168	3077	291446	2687	250308
चीन	96	12817	64	13210	278	57059
इंडोनेशिया	548	49781	877	65536	389	32405
थाइलैंड	140	31630	131	35063	125	29679
वियतनाम	24	7774	82	15652	48	14406
ब्रुनेई	0	65	–	–	0	27
मालदीव	0	77	–	–	0	1
मेडागास्कर	–	–	0	9	–	–
सेशल्स	0	2	1	155	1	159
उप जोड़ (5)	**22165**	**1972336**	**32585**	**2787167**	**23097**	**2011795**
6. उत्तरी अफ्रीका को छोड़कर शेष अफ्रीका						
जिबूती	–	–	–	–	7	1076
घाना	–	–	15	2074	0	2
नाइजीरिया	1	156	51	11298	0	96
नाइजर	1	163	0	13	0	13
दक्षिण अफ्रीका	33	9178	37	10835	80	18760
केन्या	3278	166107	8366	464482	2648	117712
तंजानिया	–	–	–	–	0	6
आइवरी कोस्ट	–	–	0	123	0	5
कान्गो	24	982	6	2248	25	3066
जाम्बिया	0	34	0	19	0	63
बेनिन	16	3032	–	–	0	25
अल्जीरिया	33	2337	246	16211	58	3707
अंगोला	–	–	–	–	0	2
उप जोड़ 6	**3386**	**181989**	**8721**	**507303**	**2818**	**144533**

1	2	3	4	5	6	7
7. ऑस्ट्रेलिया और ओशीनिया						
आस्ट्रेलिया	5080	962394	4491	890494	4760	819459
न्यूजीलैण्ड	27	4278	11	2102	16	3567
उप जोड़ 7	**5107**	**966672**	**4502**	**892596**	**4776**	**823026**
महा योग	**185322**	**18886798**	**218152**	**20457191**	**196671**	**17935811**

'0' 500 से कम है।

नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए विकास योजना

593. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री मणी कुमार सुब्बा:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सल प्रभावित 33 जिलों को 2012 तक राष्ट्रीय विकास सूचकांक द्वारा आदेशित विकास के स्तर तक लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है और उक्त योजना के लिए कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) नक्सली हिंसा के विस्तार और प्रवृत्ति विश्लेषण पर आधारित, 8 राज्यों के 33 प्रभावित जिलों में विकास की योजना कार्यान्वयन तथा निगरानी पर विशेष ध्यान दिया गया है। 20 विकास मंत्रालयों/विभागों की 69 स्कीमें चिन्हित की गई हैं। योजना आयोग ने जिला योजनाओं को लागू करने हेतु जिला प्रशासनों की सहायता और मार्गनिर्देश देने के लिए 8 अन्तर-मंत्रालयी ग्रुपों का गठन किया है।

वस्त्र निर्यात

594. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष देश-वार निर्यात होने वाले वस्त्रों की मात्रा और मूल्य क्या है और देश की कुल निर्यात आय में इसका हिस्सा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वस्त्र क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने की विदेश व्यापार नीति में ज्ञात गतिशील क्षेत्र को शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) निर्यात के आंकड़े वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://commerce.gov.in पर और वेबसाइट www.dgciskal.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(ख) और (ग) विदेश व्यापार नीति के तहत, किसी क्षेत्र को गतिशील क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने फोकस बाजार स्कीम, बाजार संबंधी फोकस उत्पाद स्कीम, तथा विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना के तहत वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान किया है।

लौह अयस्क की मांग

595. **श्री सुनील खां:**
श्री किरेन रिजीजू:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू मांग के मद्देनजर देश में गुणवत्ता वाला लौह अयस्क भंडार 50 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बढ़ती मांग के मद्देनजर देश में अच्छी गुणवत्ता वाले लौह अयस्क भण्डारों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाये जा रहे हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ङ) भारत में हेमाटाइट और मेग्नेटाइट-दोनों प्रकार के लौह अयस्क के पर्याप्त संसाधन हैं जो भारत में इस्पात उद्योग की मांग की उचित पूर्ति कर सकते हैं। 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार ये संसाधन 25.25 बिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। लौह अयस्क के संसाधन परिवर्तनात्मक स्वरूप के होते हैं तथा और ज्यादा गवेषण के साथ इनमें बढ़ोत्तरी होना अवश्यभावी है। संसाधनों का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ हिसाब में लिया गया इस्पात उत्पादन का स्तर और लौह अयस्क का ग्रेड इस बात का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण प्राचल (पैरामीटर) है कि लौह अयस्क का भण्डार कितने वर्षों में समाप्त हो जाएगा। पूर्वानुमानों के आधार पर अनुमानित आंकड़े 150 से 200 वर्षों से अधिक के बीच हो सकते हैं।

अल्पसंख्यकों का नामांकन

596. श्री ई. दयाकर राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर राज्य-वार, मुस्लिमों सहित समुदाय-वार अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के नामांकन और बीच में विद्यालय छोड़ने की दर क्या है;

(ख) मुस्लिमों सहित इस प्रकार के समुदायों के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय बीच में ही छोड़ देने की उच्च दर के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) यद्यपि विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर नामांकित छात्रों के संबंध में उनके धर्म के आधार पर सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार 6-14 वर्ष के आयु वर्ग में मुस्लिम बच्चों के नामांकन का प्रतिशत जनसंख्या में समुदाय की हिस्सेदारी की तुलना में वर्ष 2006-2007 के दौरान प्राथमिक स्तर पर 9.39% तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.62% की राष्ट्रीय कवरेज को दर्शाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के संबंध में यह आंकड़े 10.00% तथा 9.11%, उत्तर प्रदेश में 9.24% तथा 7.18%, बिहार में 8.95% तथा 6.60%, पश्चिम बंगाल में 27.9% तथा 19.63% और केरल में यह क्रमश: 10.13% और 9.59% है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा हेतु मुस्लिम बच्चों के संबंध में आंकड़े पहली बार सितम्बर, 2006 में एकत्र किये गये थे।

(ख) और (ग) माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्रों के कम नामांकन के लिए आकस्मिक कारकों की पहचान करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा एक अध्ययन किया जा रहा है। इस बीच स्कूलों में नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के कक्षा-1 से 10 के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है।

सुनामी और भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली

597. डा. के. धनराजू: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सुनामी और भूकंप हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली के क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसंधान पर कुल कितनी निधियों का आबंटन/व्यय किया गया;

(घ) क्या वैश्विक बाजार में इस प्रकार की कोई अन्य प्रणाली भी उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की प्रणाली को प्राप्त करने के लिए कोई वैश्विक निविदा आमंत्रित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। सरकार ने एक अत्याधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित की है।

(ख) भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली में सुनामी लहरों को मॉनीटर करने के लिए विभिन्न वास्तविक समय मॉनीटरन नेटवर्क, भूकंपीय मॉनीटरन नेटवर्क, तल दाब रिकॉर्डर, ज्वारभाटा-मापी आदि शामिल हैं। इन वास्तविक समय प्रेक्षण नेटवर्कों को सुनामी आने से पूर्व उसके आगे बढ़ने के श्रेणीबद्ध डाटाबेस और उत्प्लावन

दृश्यलेखों; संतुलित मानक प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.) और विभिन्न श्रेणियों की चेतावनियां तैयार करने और उनके प्रसारण को संचार सुविधाओं से ब्रेक-अप प्राप्त होता है। सुनामी चेतावनियां तैयार करने में तीन महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं: (1) भूकंप पैरामीटरों की संसूचना तथा अनुमान; (2) सुनामी आने के समय तथा इसके बढ़ने की ऊंचाई का आंकलन; (3) समुद्र स्तर को मॉनीटर कर सुनामी की पुष्टि।

(ग) आबंटित अनुदान का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. 2005-06	20.000 करोड़ रुपये
2. 2006-07	55.52 करोड़ रुपये
3. 2007-08	29.66 करोड़ रुपये
4. 2008-09	10.00 करोड़ रुपये

(घ) जी नहीं। वैश्विक बाजार में इस प्रकार की कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है। परन्तु, प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली, हवाई तथा जापान मौसम वैज्ञानिक एजेंसी प्रशांत महासागर के लिए चेतावनियां प्रदान करती है। इंडोनेशिया ने भी अपनी सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित कर ली है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रवेश परीक्षा केन्द्र

598. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आई.आई.टी., सी.पी.एम.टी., ए.आई.ई.ई.ई. और उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं के लिए राजस्थान में कौन-कौन से केन्द्रों का चयन किया गया है;

(ख) उक्त परीक्षा केन्द्रों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और किन नियमों के अंतर्गत ये केन्द्र समाप्त किये गये हैं;

(घ) इसके लिए कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं;

(ङ) क्या परीक्षा केन्द्र समाप्त करने के लिए इस समय कोई नीति/दिशा-निर्देश बने हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल (एआईपीएमटी) तथा अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा हेतु केन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार से है:

	2006	2007	2008	2009
एआईपीएमटी	जयपुर	जयपुर	जयपुर	जयपुर
एआईईईई	अजमेर	अजमेर	अजमेर	अजमेर
	जयपुर	जयपुर	जयपुर	जयपुर
	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर
	कोटा	कोटा		

एआईपीएमटी परीक्षा हेतु केन्द्रों का निर्धारण केवल बड़े शहरों में किया जाता है। तद्नुसार, राजस्थान में केन्द्रों का निर्धारण केवल जयपुर में ही किया गया है।

एआईईईई परीक्षा हेतु, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण उचित वातावरण, गोपनीय सामग्री के सुरक्षित भंडारण इत्यादि के संबंध में क्रियान्वयन समिति में व्यापक विचार-विमर्श के बाद इनका निर्धारण या इन्हें समाप्त किया जाता है।

आईआईटी प्रवेश परीक्षा के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

[अनुवाद]

बायोपायरेसी से निपटने का तंत्र

599. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बायोपायरेसी रोकने के लिए कोई तंत्र बनाने के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ट्रेडिशनल नोलेज डिजीटल लायब्रेरी (टीकेडीएल) डाटाबेस की स्थापना की है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह भारतीय पेटेंट और परंपरागत ज्ञान की रक्षा किस प्रकार से करेगा; और

(ङ) अब तक टीकेडीएल परियोजना पर कितना खर्च हो चुका है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी हां, (ईपीओ) के साथ फरवरी, 2009 में परंपरागत ज्ञान डिजिटल लायब्रेरी (टीकेडीएल) पर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय पहुंच संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। ईपीओ द्वारा पहुंच की शर्तें इस प्रकार हैं:

(1) यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के जांचकर्त्ताओं द्वारा टीकेडीएल पर पहुंच का उपयोग फाईलों के निरीक्षण सहित इसके सभी चरणों में केवल यूरोपीय पेटेंट अनुमोदन प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, और

(2) अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों और उनके जांचकर्त्ताओं द्वारा यूरोपीय पेटेंट अनुमोदन प्रक्रिया हेतु जो कुछ आवश्यक एवं अनिवार्य है, उन्हें छोड़कर किसी भी चीज का खुलासा तीसरे पक्ष को नहीं किया जाएगा। इसके लिए उपयोगकर्ता, जब भी अपेक्षित हो, टीकेडीएल सामग्री से उद्धरण के प्रयोजन से पेटेंट आवेदक को किसी भी स्वरूप में जानकारी उपलब्ध करा सकता है। उल्लेख किये गये को छोड़कर ईपीओ सूचना की गोपनीयता और/या गोपनशीलता को बचाए रखेगा। पहुंच समझौते के अंतर्गत; टीकेडीएल का उपयोग ईपीओ में दाखिल भारतीय औषधि प्रणालियों पर आधारित पूर्व-अभिज्ञान को जानने में सुविधा प्रदान करेगा। ईपीओ जांचकर्ता टीकेडीएल पर अंग्रेजी के अलावा जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश आदि भाषाओं में भी पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) और (घ) जी हां, टीकेडीएल पांच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एवं जापानी में आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध में से लिये गये 30 मिलियन एजी पृष्ठों में 2.02 लाख से ज्यादा चिकित्सीय प्रतिपादनों पर सृजित की गई हैं। टीकेडीएल अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में गलत पेटेंट प्रदान करने से रोकने के उद्देश्य से तैयार की गई है। चूंकि परंपरागत ज्ञान संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी, तमिल आदि जैसी स्थानीय भाषाओं में मौजूद है, में उपलब्ध नहीं है और यदि उपलब्ध भी है तो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों के जांच कर्ताओं द्वारा समझी नहीं जा सकती। पहुंच एवं समझ की इस कमी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत पेटेंट प्रदान कर दिये जाते हैं। इस प्रकार टीकेडीएल भाषाओं एवं स्वरूपों की बाधाओं को समाप्त करती है और देश में मौजूदा परंपरागत औषधीय ज्ञान के लिए पूर्व-अभिज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करती है।

(ङ) दिसम्बर, 2008 तक टीकेडीएल पर हुआ व्यय 721.23 लाख रुपये है।

लघु उद्योगों के अंतर्गत उत्पाद

600. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाने में लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र ने क्या भूमिका निभाई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में उद्योग-वार सूक्ष्म, लघु और मद्यम उद्योगों का हिस्सा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश के कुल निर्यात में उद्योग-वार इन उद्योगों का कितना योगदान रहा है;

(घ) क्या सरकार ने इन उद्योगों को कोई वित्तीय सहायता मुहैया करवायी है और इन उद्योगों के अंतर्गत कोई रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया है; और

(ङ) यदि हां, तो गुजरात सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र लगातार सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यातों में उल्लेखनीय योगदान किया है और देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है।

(ख) और (ग) 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान देश के कुल विनिर्माण उत्पादन और निर्यातों में सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र का अंश नीचे सारणी में दिया गया है। कुल विनिर्माण उत्पादन और निर्यातों में उद्योग-वार अंश केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

वर्ष	एमएसई का भाग (प्रतिशत)	
	विनिर्माण उत्पादन	निर्यात
2005-06	38.56	32.92
2006-07	38.56	33.00
2007-08*	45.00	40.00

*इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अधिनियमन के बाद क्षेत्र में मध्यम उद्यम शामिल है।

(घ) और (ङ) सरकार निम्नलिखित योजनाओं के तहत एमएसई क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसस);
2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसइर-सीडीपी);
3. परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (एमएसई-सीडीपी);
4. आईएसओ-9000/आईएसओ-4001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना;
5. निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग योजना; और
6. बार कोड प्रमाणन की प्रतिपूर्ति की योजना।

इन योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान, प्रदान की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से V में दिया गया है।

रोजगार सृजन के लिए, सरकार ने हाल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया है जो ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के द्वारा रोजगार अवसर प्रदान करता है।

विवरण I

प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम

* सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के आधुनिकीकरण के लिए इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से अधिकतम 1 करोड़ रुपये के ऋण के लिए 15 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

* पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत प्रदत्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सब्सिडी निम्न प्रकार है:

(रुपये लाख)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	योजना के तहत प्रदत्त सब्सिडी		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	123.81	978.12	1046.29
2.	असम	0.00	0.00	17.01
3.	चंडीगढ़	17.67	12.19	15.06
4.	छत्तीसगढ़	61.21	126.86	125.98
5.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	14.68	14.68
6.	दमन एवं दीव	0.00	15.00	15.00
7.	गोवा	5.97	16.01	19.02
8.	गुजरात	83.59	278.29	330.96
9.	हरियाणा	57.07	386.10	402.44
10.	हिमाचल प्रदेश	0.96	0.00	0.00
11.	झारखंड	16.78	39.19	46.61
12.	कर्नाटक	295.17	967.13	961.28

1	2	3	4	5
13.	केरल	11.24	20.22	20.22
14.	मध्य प्रदेश	31.27	56.94	61.60
15.	महाराष्ट्र	158.24	841.26	894.75
16.	नई दिल्ली	37.46	108.05	115.57
17.	उड़ीसा	14.40	157.97	157.57
18.	पुडुचेरी	0.00	8.10	8.10
19.	पंजाब	71.58	276.57	270.07
20.	राजस्थान	206.78	336.43	340.89
21.	तमिलनाडु	505.74	1990.30	2658.86
22.	उत्तर प्रदेश	79.82	53.67	87.27
23.	पश्चिम बंगाल	22.17	49.96	30.18
	कुल	1800.93	6733.04	7638.94

विवरण II

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)

* क्लस्टरों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास के लिए इस योजना के तहत कुल परियोजना लागत के अधिकतम 80 प्रतिशत (10 करोड़ रुपये प्रति परियोजना की अधिकतम सीमा के आधार पर) की सहायता प्रदान की जाती है।

* इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है:

(रुपये लाख)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	30.29	162.70	4.50
2.	असम	3.93	16.15	10.70
3.	बिहार	13.90	47.80	11.30
4.	छत्तीसगढ़	5.19	6.10	15.16
5.	दिल्ली	6.11	20.32	0.00
6.	गोवा	4.36	14.20	1.00

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	8.20	264.49	0.45
8.	हरियाणा	4.45	21.86	24.15
9.	हिमाचल प्रदेश	2.53	6.15	7.85
10.	जम्मू एवं कश्मीर	218.00	48.95	0.00
11.	झारखण्ड	3.43	8.41	0.00
12.	कर्नाटक	10.40	29.31	24.73
13.	केरल	6.21	757.74	196.80
14.	मध्य प्रदेश	5.27	19.85	18.99
15.	महाराष्ट्र	1.27	8.90	5.92
16.	मिजोरम	0.00	1.50	5.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	4.05
18.	मणिपुर	0.00	0.50	5.00
19.	नागालैण्ड	13.82	17.00	10.38
20.	उड़ीसा	15.97	26.52	67.57
21.	पंजाब	63.70	65.80	31.70
22.	राजस्थान	24.00	26.30	41.83
23.	तमिलनाडु	1.35	17.60	73.85
24.	त्रिपुरा	0.00	1.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	11.21	56.29	93.44
26.	उत्तराखण्ड	62.08	38.10	13.68
27.	पश्चिम बंगाल	7.81	256.85	96.56
28.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	5.00
	कुल	523.48	1940.39	769.61

विवरण III

परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन की योजना (स्फूर्ति)

* परम्परागत उद्योगों के क्लस्टरों के विकास के लिए इस योजना के अंतर्गत समान सुविधा केन्द्रों की स्थापना, बाजार संवर्धन कार्यकलापों, नवीन उत्पादों/संरचनाओं के विकास, आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

* इस योजना के तहत पिछले वर्ष 2006-07 के दौरान जारी की गई निधियों (अद्यतन उपलब्ध) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है। इसके अलावा

योजना तैयार की गई है/अक्तूबर, 2005 में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं अत: 2005-06 में नोडल एजेंसियों द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी।

(रुपये लाख)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07 के दौरान जारी की गई निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	89.50
2.	असम	13.80
3.	बिहार	47.65
4.	गोवा	10.00
5.	गुजरात	17.60
6.	हरियाणा	38.55
7.	जम्मू और कश्मीर	78.60
8.	कर्नाटक	105.70
9.	केरल	78.55
10.	मध्य प्रदेश	3.80
11.	महाराष्ट्र	7.60
12.	नागालैण्ड	30.95
13.	उड़ीसा	23.80
14.	राजस्थान	61.91
15.	तमिलनाडु	186.25
16.	उत्तर प्रदेश	12.25
17.	उत्तराखण्ड	34.75
18.	पश्चिम बंगाल	44.75
19.	चंडीगढ़	38.55
20.	मिजोरम	3.80
21.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	10.00
22.	लक्षद्वीप	10.00
23.	पुडुचेरी	10.00
	कुल	958.36

विवरण IV

आईएसओ-9000/आईएसओ-14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना

* सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा आईएसओ-9000/आईएसओ-14001 प्रमाणन हासिल करने के लिए किये गये व्यय के 75 प्रतिशत की सीमा तक (अधिकतम 75,000 रुपये के आधार पर) की प्रतिपूर्ति इस योजना के तहत की जाती है

* इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है:

(रुपये लाख)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई भारत सरकार की सहायता		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	65.81	35.93	35.43
2.	असम	1.97	0.38	0.00
3.	बिहार	5.62	4.63	2.93

1	2	3	4	5
4.	चंडीगढ़	14.24	7.33	3.64
5.	छत्तीसगढ़	8.01	5	3.64
6.	दादरा एवं नगर हवेली	7.64	2.81	0.69
7.	दमन एवं दीव	10.36	3.01	1.94
8.	दिल्ली	43.23	21.25	67.71
9.	गोवा	0.96	0.58	0
10.	गुजरात	42.69	22.86	31.00
11.	हरियाणा	186.28	91.09	43.79
12.	हिमाचल प्रदेश	11.54	7.54	3.83
13.	जम्मू एवं कश्मीर	7.26	3.49	2.52
14.	झारखण्ड	9.64	2.91	1.15
15.	कर्नाटक	125.07	75.77	40.19
16.	केरल	33.82	13.7	22.31
17.	मध्य प्रदेश	22.53	7.42	6.09
18.	महाराष्ट्र	447.08	397.53	279.76
19.	मेघालय	0	0.63	0
20.	उड़ीसा	8.21	5.64	9.25
21.	पुडुचेरी	5.2	7.07	3.38
22.	पंजाब	122.71	81.82	53.52
23.	राजस्थान	84.23	59.59	34.38
24.	तमिलनाडु	415.76	302.86	204.50
25.	त्रिपुरा	0	0.68	0
26.	उत्तर प्रदेश	180.9	78.78	32.43
27.	उत्तराखण्ड	10.1	9.02	13.19
28.	पश्चिम बंगाल	73.84	37.14	46.27
	कुल	1944.69	1286.45	943.54

विवरण V

कार्य-निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग योजना

* ख्याति प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग करवाने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु शुल्क के अधिकतम 75 प्रतिशत (अधिकतम 40,000 रुपये के आधार पर) की सहायता इस योजना के तहत प्रदान की जाती है।

* वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान इस योजना के तहत जारी की गई वर्ष-वार निधियां निम्न प्रकार हैं (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है):

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई निधियां (लाख रुपयों में)
1.	2005-2006	450.00
2.	2006-2007	831.00
3.	2007-2008	950.00

नोट: यह योजना अप्रैल, 2005 में शुरू की गई थी।

बार-कोड प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना

* सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा बार-कोडिंग अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए अगले तीन वर्षों के लिए वार्षिक आवर्ती शुल्क हेतु अधिकतम 18,750 रुपये तथा 3,750 रुपये की प्रतिपूर्ति इस योजना के तहत की जाती है।

* इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां वर्ष-वार निम्न प्रकार हैं (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है):

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई निधियां (लाख रुपयों)
1.	2005-2006	9.90
2.	2006-2007	12.90
3.	2007-2008	15.32

नालको का लक्ष्य और उपलब्धि

601. श्री सुभाष महरिया: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने एल्युमिनियम के उत्पादन और निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एल्युमिनियम के उत्पादन और निर्यात के संबंध में तय और प्राप्त किये गये लक्ष्यों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितना कारोबार किया गया और निर्यात से कितनी आय हुई?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के लिए नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि. (नालको) द्वारा एल्युमिनियम के उत्पादन और निर्यात के निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(मीट्रिक टन)

पैरामीटर	2005-2006		2006-07		2007-08	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
एल्युमिनियम ढलाई धातु	345,000	358,954	345,000	358,734	348,500	359,213
बिक्री						
एल्युमिनियम निर्यात	128,000	95,747	100,000	93,122	100,000	101,722

देश-वार निर्यात का कोई लक्ष्य तय नहीं है। देश-वार वास्तविक निर्यात संबंधी आंकड़े नीचे दिये गये हैं:

(मीट्रिक टन)

2005-06		2006-07		2007-08	
देश का नाम	निर्यात की गई मात्रा	देश का नाम	निर्यात की गई मात्रा	देश का नाम	निर्यात की गई मात्रा
बंगलादेश	7687.26	बहरीन	101.93	बहरीन	2547.56
ईरान	5091.17	बंगलादेश	3746.36	बंगलादेश	3467.91
मलेशिया	1747.72	कोरिया	764.07	कोरिया	1771.82
सिंगापुर	56142.20	मलेशिया	764.71	मलेशिया	41653.62
श्रीलंका	13695.48	सिंगापुर	68999.52	सिंगापुर	42884.03
ताइवान	407.40	श्रीलंका	4075.89	ताइवान	865.58
थाइलैंड	3841.50	ताइवान	115.93	वेनेजुएला	407.51
वियतनाम	7133.94	वियतनाम	14203.32	वियतनाम	7780.21
		यूएई	350.29	यूएई	315.47
				यूके	28.41
जोड़	95746.67	जोड़	93122.02	जोड़	101722.12

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किया गया कारोबार और निर्यात अर्जन नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

पैरामीटर	2005-06	2006-07	2007-08
बिक्री कारोबार	5,324	6,515	5,474
निर्यात अर्जन*	2,306	2,586	2,134

*एल्युमिना निर्यात में निर्यात अर्जन शामिल है।

चाय को बढ़ावा देना

602. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चाय को बढ़ावा देने के लिए टी पार्क, चाय के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र और एक चाय संग्रहालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना के लिए पहचान किये गये स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) चाय के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी हां।

(ख) उत्कृष्टता केन्द्र तथा चाय संग्रहालय की स्थापना क्रमश: कुर्सियांग और दार्जिलिंग में की जाएगी और चाय पार्क की स्थापना सिलिगुड़ी में की जा रही है।

स्कीम के अंतर्गत चाय विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना तथा वैज्ञानिक जनशक्ति के साथ चाय बोर्ड के मौजूदा अनुसंधान संस्थान "दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र" (डीटीआर एंड डीसी), कुर्सियांग

का उन्नयन किया जाएगा। उत्कृष्टता केन्द्र चाय उत्पादन, विपणन एवं आईपीआर मुद्दों आदि के सभी पहलुओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए एक सर्वसुलभ केन्द्र का कार्य करेगा।

पिछली दो शताब्दियों के दौरान भारत के चाय उद्योग के विकास को दर्शाने के लिए चाय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।

चायों के भंडारण, पैकेजिंग, मिश्रण आदि सहित चाय उद्योग की सेवा संबंधी समस्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चाय पार्क एक केन्द्रीय स्थल होगा।

(ग) चालू ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त तीनों इकाइयों की स्थापना की जाएगी।

(घ) चाय के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्नानुसार हैं:

चाय का उत्पादन

(1) लघु उत्पादकों द्वारा नवरोपण,

(2) मौजूदा चाय क्षेत्रों में पुनर्रोपण, नवीकरण, छंटाई, खाली स्थानों की भराई और चाय क्षेत्रों की चकबंदी,

(3) चाय बागानों में सिंचाई और जल निकासी सुविधा का सृजन,

(4) लघु उपजकर्ताओं के स्व-सहायता समूहों का गठन,

(5) नई फैक्टरियों की स्थापना, मौजूदा फैक्टरियों का आधुनिकीकरण, उत्पाद विविधीकरण हेतु नई सुविधाओं का सृजन, आईएसओ/एचएसीसीपी प्रमाणन तथा गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम,

(6) चाय बागानों हेतु अनुसंधान एवं विकास सहायता,

(7) चाय बागान श्रमिकों, प्रबंधकों को प्रशिक्षण,

(8) स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा आदि को शामिल करते हुए कल्याणकारी उपाय,

(9) गुणवत्ता मानकों के अनुरूप चाय परेषणों के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने हेतु तीन गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

चाय का निर्यात

बोर्ड द्वारा विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप किये जाते हैं और भारतीय चाय निर्यातकों को उनके विपणन प्रयासों में सहायता भी प्रदान की जाती है। बोर्ड द्वारा लंदन, मॉस्को और दुबई स्थित अपने कार्यालयों के जरिए ऐसे कार्यकलाप किये जाते हैं। विदेश स्थित इन कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किये जाते हैं:

(1) अंतर्राष्ट्रीय और/अथवा विशिष्टीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(2) विशिष्ट स्टोरों और/अथवा प्रमुख बाजारों में मौके पर नमूने बांटना।

(3) मीडिया प्रचार।

(4) क्रेता-विक्रेता बैठकें।

(5) आयातकों एवं निर्यातकों के बीच निकट संबंध स्थापित करने के लिए जन सम्पर्क कार्यकलाप।

(6) भारत तथा चाय आयातक देशों के बीच चाय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान।

भारत से चाय का समग्र निर्यात बढ़ाने के लिए असम स्थित आईसीडी, अमीनगांव के जरिये निर्यातित चाय पर व्यय किये गये परिवहन एवं प्रहस्तन प्रभारों को पूरा करने के लिए चाय निर्यातकों को परिवहन सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

योजना आयोग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान हेतु आवंटन

603. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) हेतु किये गये आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त आवंटन पर असंतोष व्यक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने वरीयता कार्य-सूची से इस कार्यक्रम को हटा दिया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) योजना आयोग से सर्व शिक्षा अभियान को वरीयता का दर्जा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना अवधि के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 71,000 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कोष

604. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री गणेश सिंह:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय कोष का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इसके लिए कितना आबंटन निर्धारित किया गया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र हेतु एक राष्ट्रीय निधि के सृजन की सिफारिश की है। यद्यपि इस निधि के सृजन पर अभी अंतिम विचार किया जाना है, बजट 2009-10 में अस्थायी व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में हथकरघा और विद्युतकरघा बुनकरों के लिए प्लाटों का आरक्षण

605. **श्री पुष्प जैन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने सरकार से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में हथकरघा और विद्युतकरघा बुनकरों के लिए प्लाटों के आरक्षण के संबंध में कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान के लिए प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) एसईजेड अधिनियम, 2005/एसईजेड अधिनियम, 2006 में एसईजेडों में हथकरघा एवं विद्युतकरघा बुनकरों हेतु प्लॉटों के आरक्षण का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य में 7 विशेष आर्थिक जोनों को अधिसूचित किया गया है, जिसके ब्यौरे संलग्न हैं।

राजस्थान में अधिसूचित एसईजेडों की सूची

क्र.सं.	विकास कर्ता का नाम	स्थान	क्षेत्र	क्षेत्रफल	अधिसूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि.	ग्राम कलवारा जयपुर, राजस्थान	सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र	76.1	10 अप्रैल, 2007
2.	सोमानी वर्स्टेड लि.	खुशकेरा औद्योगिक क्षेत्र जिला भिवाड़ी, राजस्थान	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अथवा आईटीईएस	19.9994	26 नवम्बर, 2007
3.	मानसरोवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन	जयपुर हाईवे ग्राम कापड़ों जोधपुर, राजस्थान	हस्तशिल्प	130.689	7 दिसम्बर, 2007
4.	वाटिका जयपुर एसईजेड डेवलपर्स लि.	जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस वे, जयपुर, राजस्थान	सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र	20.1366	12 दिसम्बर, 2007

1	2	3	4	5	6
5.	आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	एनएच-15 खारा औद्योगिक क्षेत्र के सामने, बीकानेर, राजस्थान	वस्त्र	103.39	9 जून, 2008
6.	महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर लि.)	ग्राम कलवारा एवं भंभोरिया तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर, राजस्थान	ऑटोमोटिव/ऑटोमोटिव संघटक सहित लाइट इंजीनियरी	103.1775	6 जनवरी, 2009
7.	महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि.	ग्राम कलवारा, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर, राजस्थान	हस्तशिल्प	102.7659	6 जनवरी, 2009

वाहनों का चालान

606. **श्री रामदास आठवले:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के लिए वाहन-वार कुल कितने वाहनों का चालान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दोषी चालकों और ड्यूटी के प्रति लापरवाही के लिए दिल्ली यातायात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अलग-अलग क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने के विरुद्ध कोई विशेष अभियान चलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान चालान से यातायात पुलिस द्वारा कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई; और

(ङ) दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियमों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:

वर्ष	2006	2007	2008	2009 (31 जनवरी तक)
कुल चालान	4325803	4048886	3566415	523296
गिरफ्तार चालक	39773	46415	94844	7457
जब्त वाहन	66656	64591	54596	4836

विभागीय जांच करना, निलम्बन, असन्तोष प्रकट करना, भविष्य की वेतन-वृद्धि को अस्थायी रूप से रोकना, अनुमोदित सेवा से वंचित किया जाना, निंदा, चेतावनी इत्यादि सहित दिल्ली यातायात पुलिस कर्मिकों के विरुद्ध कार्रवाइयों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	2006	2007	2008	2009 (18 फरवरी तक)
पुलिस कार्मिकों की संख्या	55	44	13	06

(ग) और (घ) दिल्ली यातायात पुलिस ने समय-समय पर यातायात नियमों और नियमनों को तोड़ने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया है। हाल ही में, सभी दृष्टिगोचर उल्लंघनों की जांच करने के लिए 1.2.2009 से एक यातायात अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा एकत्रित राशि के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2006	2007	2008	2009 (15 फरवरी तक)
एकत्रित राशि	53.65	111.65	86.52	6.99

(ङ) दिल्ली यातायात पुलिस सभी सड़कों और चौराहों पर यातायात को नियंत्रित और नियमित करने पर जोर देती है। इन प्रयासों के दौरान, यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है। प्राथमिकता गुणवत्ता प्रवर्त्तन के अनुरूप होती है जिसका सीधा संबंध सड़क अनुशासन और सुरक्षा से होता है। अनुशासन और सुरक्षा लागू करने की रणनीति बनाई गई है। सड़क पर चलने वालों पर अनुशासन लागू करने हेतु यातायात सिग्नलों के बीच से यातायात उल्लंघनों प्रतिबंधों का उल्लंघन, तीन सवारी बैठा कर चलाना, बिना हेलमेट, पीछे वाली सवारी बिना हेलमेट के, अनुपयुक्त पार्किंग, खतरनाक ड्राईविंग, बिना स्टाप के बस रोकना, गलत रास्ते से आगे निकलना इत्यादि मुख्य यातायात उल्लंघनों के विशेष अभियोजन पर केन्द्रित होने ही रणनीति बनाई गई है। अधिक गति, लापरवाही से गाड़ी चलाना, अवयस्क द्वारा गाड़ी चलाना, लाल बत्ती को पार करना, उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करना, प्रवेश नहीं वाले प्रतिबंधों को तोड़ना, अनुपयुक्त पार्किंग, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना इत्यादि के विरुद्ध अभियोजन पर भी जोर दिया जाता है।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम द्वारा गेहूं का निर्यात

607. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री गणेश सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम विभिन्न देशों को गेहूं और गेहूं उत्पादों का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को देश-वार और उत्पाद-वार गेहूं और गेहूं उत्पादों का कितनी मात्रा और मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान घटिया किस्म के गेहूं के निर्यात के कारण राज्य व्यापार निगम को कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या कोई जांच कराई गई है और दोषी अधिकारियों का पता लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) एसटीसी ने वर्ष 2005-06 के दौरान फिलीपीन्स को 2.65 करोड़ रुपये मूल्य के 4934 मी. टन गेहूं और बांग्लादेश को 0.62 करोड़ रुपये मूल्य के 886 मी. टन गेहूं का निर्यात किया था। वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान एसटीसी ने गेहूं का निर्यात नहीं किया। एसटीसी ने मालदीव को वर्ष 2007-08 में 3.52 करोड़ रुपये मूल्य के 2000 मी. टन और वर्ष 2008-09 (आज की तारीख तक) के दौरान 8.41 करोड़ रुपये मूल्य के 4500 मी. टन गेहूं के आटे का भी निर्यात किया था। एसटीसी से वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान गेहूं के आटे का निर्यात किये जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

यूएनसीटीएडी रिपोर्ट

608. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापार तथा विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने हाल ही में एक रिपोर्ट में नोट किया है कि 2012 तक फैले हुए 495 बिलियन अमेरिकी डालर के अवसंरचना विकास कार्यक्रम को वित्तपोषित करने में देश कठिनाई का अनुभव करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) यूएनसीटीएडी ने अपनी दिनांक 24 सितम्बर, 2008 को प्रकाशित

रिपोर्ट ''वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2008'' में बताया कि 2007-2012 की अवधि में भारत को 9 प्रतिशत की योजित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को संबल देने के लिए 10 प्रमुख बुनियादी सुविधा क्षेत्रों नामतः ऊर्जा, सड़क, दूरसंचार, रेलवे आदि में औसतन 99 बिलियन डालर प्रतिवर्ष का निवेश करने की आवश्यकता होगी। इस रिपोर्ट के एक स्रोत के रूप में योजना आयोग को बताया गया है। योजना आयोग ने अगस्त, 2008 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट ''ग्यारहवीं योजना के दौरान ढांचागत सुविधाओं में निवेश के अनुमान'' में बताया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में ढांचागत सुविधाओं के कुल निवेश को बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है जिसमें इसे 2006-07 के जीडीपी के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2011-12 तक 9 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जिसका परिणाम पांच वर्षों की अवधि के दौरान 10 ढांचागत सुविधा क्षेत्रों के लिए कुल 514 बिलियन डालर के निवेश के रूप में सामने आएगा। यह समझते हुए कि पिछली योजनावधियों की तुलना में यह ढांचागत सुविधाओं के निवेश में भारी वृद्धि है, सरकार ने ढांचागत सुविधाओं में निवेश करने हेतु निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार यह परिकल्पना की गई है कि जहां ढांचागत सुविधाओं की 30 प्रतिशत जरूरतें सीधे बजट से पूरी की जा सकती हैं और 40 प्रतिशत को आंतरिक तौर पर जुटाने और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों से उधार के तौर पर पूरा किया जाएगा, शेष 30 प्रतिशत को निजी क्षेत्र से निवेश के जरिये पूरा किया जाएगा। ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से, सरकार ने बड़ी ढांचागत सुविधा परियोजनाओं की पहल की है जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर, पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र, आदि।

निजी मानिद विश्वविद्यालयों में दाखिला और फीस का विनियमन

609. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी मानिद विश्वविद्यालयों के सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले और फीस के विनियमन का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाारधीन है, जैसाकि 9 फरवरी, 2009 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने स्वयं वित्तपोषित मानिद विश्वविद्यालयों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु दाखिले तथा फीस ढांचे के संबंध में प्रारूप विनियमन प्रस्तुत किया है। प्रारूप विनियमनों के संशोधन तथा जांच-पड़ताल हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक उप-समिति का गठन किया है।

तटीय कमान का गठन

610. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित कार्रवाई के लिए ''तटीय कमान'' के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) भारत के तटवर्ती जल की भारतीय तटरक्षक तथा भारतीय नौसेना द्वारा राज्य पुलिस तथा सीमा शुल्क जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय से रक्षा की जाती है। हाल ही में यह निश्चय किया गया है कि तटरेखा की रक्षा करने का कार्य तत्काल प्रभाव से अनन्य रूप से तटरक्षक को सौंपा जाएगा। भारतीय नौसेना इस उद्देश्य के लिए तटरक्षक को आवश्यक सहायता देगी। पोत परिवहन मंत्रालय तटरक्षक तथा नेवी द्वारा अपेक्षित सभी संभारतंत्रीय सहायता देगा। तटरक्षक तथा भारतीय नौसेना को मानव शक्ति परिसम्पत्तियों के रूप में सुदृढ़ करके सामुद्रिक सुरक्षा संवर्धन के लिए भी प्रयास कर रहा है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, महानिदेशक, तटरक्षक के पद को कमाण्डर, तट कमाण्ड के रूप पदनामित करके उन्हें केन्द्रीय तथा राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय दायित्व सौंपने की संकल्पना की गई है।

कॉफी की खपत

611. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी कॉफी की खपत हुई और उसका मूल्य क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कॉफी की घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) कॉफी की राज्य-वार खपत के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, समय-समय पर किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर पारंपरिक रूप से कॉफी की खपत वाले राज्यों और बाकी देश में हरे बीन्स के संबंध में खपत की अनुमानित मात्रा तथा तुल्य कॉफी पाउडर का अनुमानित मूल्य (हरे बीन्स का 80%) निम्नानुसार है:

(मात्रा मीट्रिक टन में तथा मूल्य करोड़ रुपये में)

राज्य	2005*		2006*		2007*		2008**	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
तमिलनाडु	21922	295	23640	348	25031	400	26705	487
कर्नाटक	19322	260	20593	303	21804	350	22996	419
केरल	10305	138	10470	154	11086	177	11127	203
आंध्र प्रदेश	12881	173	12837	189	13592	217	13352	244
शेष भारत	15770	212	17460	257	18487	296	20220	369
कुल	80200	1078	85000	1251	90000	1440	94400	1722

(*आंकड़े सर्वेक्षण पर आधारित हैं; **आंकड़े रूझान पर आधारित हैं)

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कॉफी की खपत को बढ़ाने के लिए व्यय की गई राशि तथा चालू वर्ष में व्यय हेतु प्रस्तावित राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अनुमान)
1.03	1.94	1.93	4.00

(ग) कॉफी की घरेलू खपत बढ़ाने के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किये जा रहे हैं:

* मीडिया विज्ञापनों, प्रचार साहित्य, भारतीय कॉफी पत्रिका आदि के माध्यम से कॉफी का संवर्धन।
* राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय स्तरों आदि पर प्रमुख आंतरिक मेलों में कॉफी के नमूनों के साथ भागीदारी।
* कॉफी बोर्ड द्वारा "काफी शास्त्र" पाठ्यक्रम चला कर कॉफी की रोस्टिंग तथा ब्रूइंग पर गहन प्रशिक्षण प्रदान करना।

नालको द्वारा आसपास के क्षेत्रों का विकास

612. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान नालको द्वारा अपने संयंत्रों के आसपास के क्षेत्रों के विकास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नालको संयंत्रों के आसपास विकसित विशिष्ट क्षेत्र कौन से हैं; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने सूचित किया है कि संयंत्र की 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित गांवों में तथा कोरापुट और अंगुल के जिला मुख्यालयों में परिधीय विकास कार्यकलाप किये जाते हैं। संबधित राजस्व मंडल आयुक्त की

अध्यक्षता वाली समिति की इच्छानुसार, नालको भुवनेश्वर तथा उड़ीसा के अन्य भागों में अपेक्षानुसार जनोपयोगी परियोजनाएं भी चलाता है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नालको द्वारा परिधीय विकास के कार्यकलापों हेतु प्रदान की गई राशि और वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नवत् है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	किया गया प्रावधान	व्यय
2005-06	1319.79	689
2006-07	1562.20	582
2007-08	2381.38	715
2008-09	1631.52	1311 (दिसम्बर, 2008 तक)

(ग) नालको द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यकलाप मोटे तौर पर दो श्रेणियों के तहत आते हैं-निर्माण संबंधी और गैर-निर्माण संबंधी। निर्माण संबंधी कार्यकलापों में गांव की सड़कों, पुलिया, पुलों, ग्रामीण स्कूलों का निर्माण एवं विकास करना, नलकूप तथा खुले कुएं खोदना, जल संरक्षण योजनाएं चलाना, पाइपों द्वारा पेयजल की आपूर्ति करना आदि शामिल है। गैर-निर्माण संबंधी कार्यकलापों में स्वास्थ्य कैम्पों, चल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन करना, ग्रामीण खेलों, कृषि मेलों, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यकलापों, आदि का आयोजन करना शामिल है। इन सभी कार्यकलापों से सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और स्थानीय लोगों की आजीविका में गुणात्मक सुधार हुआ है।

सी.आई.एस.एफ. की तैनाती

613. श्री अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों को सरकारी क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) में आम रक्षा और प्रेक्षा ड्यूटी लगाने के बजाय महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षेत्रों में उनकी तैनाती किये जाने हेतु मानदंडों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीआईएसएफ का विचार सरकारी क्षेत्र के यूनिटों से अतिरिक्त जवानों को हटाकर पेट्रोलियम रिफाइनरियों सहित ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर तैनात करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में स्थित भारतीय मिशनों में इनकी और इनके कर्मचारियों की सुरक्षा व संरक्षा हेतु सीआईएसएफ मुहैया कराने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) सरकार सीआईएसएफ का प्रयोग केवल अनिवार्य और बड़ी सुरक्षा ड्यूटियों तक सीमित करने और उपलब्ध मानव शक्ति का अधिकतम प्रयोग करने के लिए पहलकारी विचारों तथा प्रौद्योगिकी के समुचित प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के समावेषण का यौक्तिकीकरण कर रही है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारतीय दूतावास, काठमाण्डू और कान्सुलेट जनरल आफ इंडिया, बीरगंज, नेपाल को सुरक्षा मुहैया करा रही है।

[हिन्दी]

शिक्षा हेतु आवंटन

614. श्री रामदास आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य धनराशि के आवंटन को बढ़ाने का है।

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निजी संस्थाओं में समाज के वंचित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विधार्थियों को दाखिला दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय हेतु आबंटित निधियों (योजनागत तथा योजनेत्तर) का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

	2006-07 (बजट अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	18990.09	23142.22	27850.00
उच्चतर शिक्षा विभाग	5019.70	9212.00	10859.37
कुल मा.सं.वि. मंत्रालय	24009.79	32354.22	38709.37

(ख) से (घ) सरकार ने ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान शिक्षा क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया है और तद्नुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 58820 करोड़ रु. के कुल व्यय की तुलना में 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 269873 करोड़ रु. की राशि (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग हेतु 184930 करोड़ रु. तथा उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु 84943 करोड़ रु.) आबंटित की गई है जो दसवीं योजनावधि के दौरान व्यय की तुलना में लगभग पांच गुनी वृद्धि है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल क्षेत्रीय, सामाजिक तथा स्त्री-पुरुष असंतुलन में कमी तथा गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करते हुए अधिक सुलभता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उच्चतर शिक्षा में दाखिला क्षमता का विस्तार करने पर है।

मंत्रालय ने समावेशी स्वरूप सुनिश्चित करने हेतु समाज के लाभवंचित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और साथ ही उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में भी विभिन्न पहल की गई है। इस दिशा में किये गये उपायों में से एक प्रमुख उपाय और गैर क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़े वर्गों को केन्द्रीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले हेतु आरक्षण प्रदान करना है। अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों में मौजूद केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं का विस्तार तथा नई संस्थाएं स्थापित करना, शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 374 नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करना, सुविधाविहीन तथा कम सुविधा वाले जिलों में नए पॉलीटेक्निकों की स्थापना करना जिनमें समाज के लाभवंचित वर्गों की सुलभता में वृद्धि तथा क्षेत्रीय असंतुलन कम करने, महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने, विश्वविद्यालय तथा कॉलेज के विद्यार्थियों हेतु नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने के मद्देनजर ऐसे स्थानों को वरीयता दी जाएगी जहां अनु.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा। अनु.जा. तथा अ.ज.जा. जनसंख्या की बहुलता वाले जिलों में 20 नए नवोदय विद्यालय भी संस्वीकृत किये हैं। इनके अलावा, उच्चतर शिक्षा हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शैक्षिक ऋण भी दिये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

हवाई सर्वेक्षण

615. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने खनिज खोज हेतु हवाई सर्वेक्षण की अनुमति प्राप्त करने के लिए सरकार को अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे हवाई सर्वेक्षणों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां खनिजों के लिए हवाई सर्वेक्षण कराये जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सर्वेक्षणों पर खर्च की जाने वाली निर्धारित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) टोही परमिट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से खनिज का प्रारंभिक पूर्वेक्षण करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में टोही परमिट के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये पूर्व अनुमोदनों का ब्यौरा खान मंत्रालय की वेबसाइट (www.mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ङ) इन सर्वेक्षणों को करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई राशि निर्धारित नहीं की जाती है और परमिट धारक को परमिट प्राप्त करते समय व्यय संबंधी वचनबद्धता देना अपेक्षित है।

अनुसंधान संस्थान

616. श्री पी.सी. थामस: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अलापुज्जा जिले के कुट्टांड सहित जो कि समुद्र के स्तर के नीचे के स्थान के कारण हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है, केरल में कृषि भूमि के संरक्षण/विकास के लिए एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने तथा अनुसंधान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए जन शिक्षण संस्थान

617. श्री टेक लाल महतो: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नए जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड सरकार से जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और झारखंड में कितने जन शिक्षण संस्थानों को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) वर्ष 2008-09 का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, के अनुसार सरकार ने देश के विभिन्न जिलों में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के लिए 29 नए जन शिक्षण संस्थानों को संस्वीकृत किया है।

(ग) और (ङ) जन शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के लिए झारखंड से कुछ गैर-सरकारी संगठनों सहित देश के विभिन्न राज्यों में स्थित गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार इन प्रस्तावों की प्रारंभिक छानबीन का कार्य करती है तथा दिशानिर्देशों के अनुसार संभावनाओं का अध्ययन करती है, इसके बाद गैर-सरकारी संगठनों के लिए जन शिक्षण संस्थान को संस्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान झारखंड राज्य में किसी भी गैर-सरकारी संगठन के लिए किसी जन शिक्षण संस्थान को संस्वीकृत नहीं किया गया है।

विवरण

नए जन शिक्षण संस्थानों की संख्या-राज्य-वार

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2008-09 में संस्वीकृत नए जन शिक्षण संस्थानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	–
4.	बिहार	3
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	दिल्ली	1
7.	गुजरात	–
8.	गोवा	–
9.	हरियाणा	–
10.	जम्मू व कश्मीर	–
11.	झारखंड	–
12.	कर्नाटक	1
13.	केरल	2
14.	मध्य प्रदेश	4
15.	महाराष्ट्र	4
16.	मणिपुर	–
17.	मिजोरम	–
18.	नागालैंड	–
19.	उड़ीसा	2
20.	पंजाब	–
21.	राजस्थान	1
22.	तमिलनाडु	–
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तर प्रदेश	4
25.	उत्तराखंड	–
26.	पश्चिम बंगाल	1
27.	चंडीगढ़	–
28.	हिमाचल प्रदेश	1
29.	दादरा व नगर हवेली	1
	कुल	29 (नए जन शिक्षण संस्थान)

[अनुवाद]

सीएसआईआर प्रौद्योगिकियों का विपणन

618. **श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा:**
श्री अशोक अर्गल:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीएसआईआर की सहायक प्रयोगशालाओं ने प्राइवेट कंपनियां बनायी हैं और अपनी प्रौद्योगिकियों के विपणन एवं इन आईपीआर क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु विदेशी कंपनियों के साथ इक्विटी भागीदारी के कार्य में लगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त कंपनियों का वित्तीय कार्यनिष्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीएसआईआर की शासी परिषद् ने उक्त उद्देश्य हेतु यूके आधारित इम्पीरियल इनोवेशन ग्रुप के सहयोग से कोई होल्डिंग कम्पनी शुरू करने हेतु सरकार से प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सीएसआईआर द्वारा प्रस्तावित अभियान का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारतीय मोलिक्यूल्स का पेटेंट किया जाना

619. **श्री सुरेश अंगड़ि:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वित्त पोषित भेषज एवं अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत नए मोलिक्यूल स्टेम्स को कम मूल्य पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचा जा रहा है जो अंतत: अन्य देशों में इन्हें विकसित कर भारत में पेटेंट करा लेती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए मोलिक्यूल स्टेम्स को इस प्रकार बेचा जाना हमारे चिकित्सा संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अनुरूप है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं। यद्यपि भेषज और औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित मोलिक्यूलों पर विभिन्न संस्थानों/उद्योगों द्वारा 15 उत्पाद पेटेंट दर्ज किये गये हैं परन्तु इन मोलिक्यूलों में से किसी भी मोलिक्यूल को विदेश में और विकसित किये जाने हेतु किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को नहीं बेचा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भेषज और औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित संस्थानों के मध्य एक करार पर हस्ताक्षर किये जाते हैं। करार में अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट उल्लेख होता है कि अनुसंधान परियोजना में प्रदत्त बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) की भागीदारी करार के लिए पार्टियों के मध्य किस प्रकार की जायेगी। ये शर्तें आई.पी.आर. भागीदारी पर सरकार के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, पेटेंट सुविधा स्कीम के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इंडियन पब्लिक निधिकृत आर एण्ड डी संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानों से उद्भूत बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा हेतु पूर्ण वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार, प्रौद्योगिकी-उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम (टीईपीपी) के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) नये उत्पादों के प्रोटोटाइपों, प्रसंस्करणों और उपकरणों को विकसित कर नवोन्मेष की उपलब्धि हेतु भारतीय व्यक्तिगत नवोन्मेषकों को सहायता तथा पेटेंटों के माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान करता है।

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अपराह्न 12.01 बजे

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): श्री कपिल सिब्बल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10643/09]

(2) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10644/09]

(3) (एक) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10645/09]

(4) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10646/09]

(5) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10647/09]

(6) (एक) टेक्नालाजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नालाजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10648/09]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) उप-राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 की धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) उप-राष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं (संशोधन) नियम, 2008 जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 59(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उप-राष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं (संशोधन) नियम, 2009 जो 10 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 89(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10649/09]

(2) राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) नियम, 2009 जो 10 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 88(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10650/09]

(3) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2009 जो 10 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 87(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10651/09]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (चिकित्सा संवर्ग 'ग' पदों) भर्ती नियम, 2008 जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 503(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10652/09]

(3) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 137 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 289(अ) जो 23 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक को लोक सेवा के लिए लोक सुरक्षा के हित में भारत में पंजीकृत किसी भी प्रचालक से विमान की मांग करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10653/09]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): अध्यक्ष महोदय, मैं बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अधीन बाट और माप मानक (पैकेजयुक्त वस्तु) दूसरा संशोधन नियम, 2008 जो 19 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 865(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10654/09]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10655/09]

(3) (एक) उजाला सोसायटी, सर्व शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उजाला सोसायटी, सर्व शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10656/09]

(5) (एक) उजाला सोसायटी, सर्व शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उजाला सोसायटी, सर्व शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10657/09]

(7) (एक) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10658/09]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल) संशोधन नियम, 2008 जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 857(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10659/09]

(2) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 71 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2581(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पुलिस उपायुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत अपने प्रभाराधीन जिले के संबंध में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के लिए पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10660/09]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10661/09]

(3) कन्ट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एण्ड ट्रेडमार्क्स, मुम्बई के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10662/09]

(5) भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय बायलर बोर्ड (सदस्यों

का नामनिर्देशन) नियम, 2008 जो 13 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 213 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10663/09]

(6) भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बायलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 13 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10664/09]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10665/09]

(3) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10666/09]

(5) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक पतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10667/09]

(7) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10668/09]

(9) (एक) विश्व भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्व भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10669/09]

(11) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण-मंडल), आगरा के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी-शिक्षणमंडल), आगरा के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10670/09]

(13) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10671/09]

(15) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10672/09]

(17) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2005-06 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10673/09]

(19) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10674/09]

(21) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2005-06 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10675/09]

(23) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10676/09]

(25) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10677/09]

(27) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10678/09]

(29) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) यथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10679/09]

(31) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10680/09]

(33) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10681/09]

(35) (एक) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10682/09]

(37) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10683/09]

(39) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10684/09]

(41) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10685/09]

(43) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10686/09]

(44) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10687/09]

(46) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10688/09]

(48) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10689/09]

(50) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10690/09]

(52) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझीकोड के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझीकोड के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10691/09]

(54) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10692/09]

(56) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10693/09]

(58) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10694/09]

(60) ऑरोविले फाउंडेशन, ऑरोविले के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10695/09]

(61) केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 371(अ), जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का विशेष उपबंध किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10696/09]

(62) इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सी-187/ए-3/बीसी-08 जो 9 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिनियमों में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10697/09]

(63) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10698/09]

(64) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10699/09]

(65) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10700/09]

(67) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 17.2.2009 को सभा पटल पर रखे गए।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10701/09]

(69) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10702/09]

(71) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10703/09]

(73) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10704/09]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10705/09]

(3) (एक) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10706/09]

(5) (एक) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10707/09]

(7) (एक) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10708/09]

(9) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2009 जो 3 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 72(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 10709/09]

अपराह्न 12.01½ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित तीन संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2009 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 19 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा जो इस विधेयक के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण

में मुझे विनियोग (रेल) विधेयक, 2009 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 19 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस विधेयक के संबंध में इस सभा को लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।''

(तीन) ''राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) सं. 2 विधेयक, 2009 को, जिसे लोक सभा ने अपनी 19 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस विधेयक के संबंध में इस सभा को लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।''

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

21वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{4}$ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

24वां और 25वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 24वां और 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

रक्षा संबंधी समिति

34वां से 36वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) 'सशस्त्र बलों में मानव संसाधन आयोजना, जनशक्ति की कमी, हाई-टेक प्रशिक्षण और अवसंरचना शामिल किया जाना' के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

(2) 'रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(3) 'सशस्त्र बलों के लिए एकीकृत कमान के कार्यान्वयन की स्थिति' के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

25वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): अध्यक्ष महोदय, मैं ''केरोसीन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, आपूर्ति, वितरण, डीलरशिप और मूल्य निर्धारण'' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

149वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना): मैं ''राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा सुविधाओं का विकास'' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 149वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान किए गए कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आपकी जानकारी हेतु मैं पिछले सप्ताह में अपनी पांच बैठकों में सभा द्वारा किये गये कार्य की मुख्य मदों को संक्षेप में दोहरा रहा हूं।

प्रश्नकाल के दौरान, सूचीबद्ध किये गये 80 तारांकित प्रश्नों में से केवल 16 प्रश्नों का ही उत्तर दिया जा सका। उसी अवधि के लिए 449 अतारांकित प्रश्नों के साथ शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रख दिए गए।

वित्त मंत्री ने 16 फरवरी, 2009 को अंतरिम बजट (सामान्य)—2009-10 प्रस्तुत किया और वित्त विधेयक, 2009 पुर:स्थापित किया।

सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आठ घण्टे 36 मिनट तक चर्चा की। सभा के नेता के उत्तर के साथ चर्चा समाप्त हुई और तत्पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम बजट (रेल), लेखानुदान की मांगों—(रेल) 2009-10, अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) 2008-09; अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल)-2006-07 पर संयुक्त रूप से 5 घंटे तीस मिनट तक चर्चा हुई जो रेल मंत्री के उत्तर के साथ समाप्त हुई। लेखानुदान मांगें (रेल), अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) पूर्णत: स्वीकार की गईं और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किये गये हैं।

झारखण्ड का वर्ष 2009-10 का अंतरिम बजट अनुपूरक अनुदानों की मांगों (झारखण्ड) 2008-09 के साथ प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2009-10 के झारखण्ड के अंतरिम बजट झारखण्ड के लिए लेखानुदानों की मांगों—2009-10 और वर्ष 2008-09 के लिए झारखण्ड हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर संयुक्त रूप से 19 फरवरी, 2009 को चर्चा की गई। मांगें पूर्णत: स्वीकार की गईं और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किये गये।

झारखण्ड में 19 जनवरी, 2009 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा को स्वीकृति देने वाले सांविधिक संकल्प को भी स्वीकार किया गया। जहां तक विधायी कार्यों का संबंध है, दस विधेयक पुर:स्थापित किये गये और नौ विधेयक पारित किये गये। एक विधेयक वापस ले लिया गया। पारित किये गये महत्वपूर्ण विधेयकों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2008, उक्त विधेयक के संबंध में अध्यादेश को अस्वीकार करने वाला सांविधिक संकल्प भी अस्वीकृत हुआ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निधियां (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 भी पारित किया गया। सभा द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पारित किया गया और केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 संबंधी सांविधिक संकल्प वापस ले लिया गया। सभा द्वारा पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोग निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2008 भी पारित किया गया।

वर्ष 2009-10 के अंतरिम बजट (सामान्य); लेखानुदानों की मांगों (सामान्य)-2009-10; अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य)-2008-09 पर संयुक्त चर्चा चार घण्टे चौवालीस मिनट चली। अंतरिम बजट (सामान्य) पर आज और चर्चा की जाएगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा देश के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर श्रमिकों की छंटनी, अस्थायी छंटनी, वेतन में कटौती और सांविधिक लाभों को वापस लेने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया। श्रम और रोजगार मंत्री ने एक वक्तव्य दिया और उत्तर दिए।

सभा में मंत्रियों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर कुल मिलाकर 16 वक्तव्य दिए गए।

इस सप्ताह के दौरान, सदस्यों द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के 37 मामले उठाए गए। इसके अलावा, नियम 377 के अधीन 48 मामले उठाये जाए।

सप्ताह के दौरान विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 13 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

आपको यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय कार्यों के निपटान और अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने के लिए सभा की कार्यवाही निर्धारित समय से नौ घण्टे इक्कीस मिनट अधिक चली। इस लोक सभा के अंतरिम सप्ताह के दौरान सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में अध्यक्षपीठ को सहयोग देने के लिए मैं माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

काश, सभी सप्ताह ऐसे होते।

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) (मांग सं. 57) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 206वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) (मांग सं. 57) के संबंध में मानव संसाधन विकास संबधी स्थायी समिति के 206वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

महोदय, मैं इसे सभा पटल पर रखती हूं और इसे पढ़ लिया गया समझा जाए।

अपराह्न 12.08$^{1}/_{4}$ बजे

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित ग्रामीण आवास योजना के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): महोदय, मैं लोक सभा के 1 सितम्बर, 2004 के बुलेटिन भाग-2 द्वारा जारी माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73 के अनुपालन में ग्रामीण विकास विभाग की ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन (वर्ष 2006-07) (14वीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रख रही हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) 3 अगस्त, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण विकास योजना से संबंधित था। समिति के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों से संबंधित प्रथम की गई कार्यवाही प्रतिवेदन 25.7.2007 को ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था। इन सिफारिशों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लोक सभा में अगस्त, 2007 में तथा राज्य सभा में सितम्बर, 2007 में प्रस्तुत किया गया था। बाद में ग्रामीण विकास संबधी स्थायी समिति को संशोधित की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन 18.11.2008 को भेजा गया था तथा लोक सभा में 12.12.2008 को तथा राज्य सभा में 17.12.2008 को विवरण सभा पटल पर रखा गया था। सिफारिशों से संबंधित स्थिति को दर्शाने वाला संशोधित की गई कार्यवाही प्रतिवेदन लोक सभा सचिवालय में 13.1.2009, 17.2.2009 तथा 23.2.2009 को भेज दिया गया है।

उक्त प्रतिवेदन में समिति ने 56 सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार को कार्यवाही करने को कहा गया है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से ग्रामीण आवास की जरूरतों तथा उसका वित्तपोषण, ग्रामीण आवास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, डिजाइन और इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन इत्यादि के संबंध में हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई हैं, जो सभा पटल पर रख दिया गया है।

महोदय मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ लिया गया समझा जाए।

अपराह्न 12.08$^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

(तीन) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 85वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, मैं सभा पटल पर एक विवरण रख रहा हूं, जिसमें

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10710/09

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10711/09

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-10712/09

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 85वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: काश मेरी स्मरणशक्ति भी आप जैसी होती।

अपराह्न 12.09 बजे

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: सभी विधेयक बहुत महत्वपूर्ण हैं।

अपराह्न 12.09$^{1}/_{2}$ बजे

भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा। आज मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश नहीं होगा। माननीय वित्त मंत्री 2 बजे उत्तर देंगे।

(एक) गुजरात के मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा गैस और पेट्रोलियम के अन्वेषण की पद्धति, जिसके कारण इस क्षेत्र में जलस्तर संदूषित और कम हुआ है, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों का अपार भंडार है। इस इलाके में आज गैस एवं पेट्रोलियम का अन्वेषण कार्य ओ.एन.जी.सी. द्वारा किया जा रहा है। पूरे देश का 33 प्रतिशत गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थ मेहसाना से मिल रहा है। ओ.एन.जी.सी. के द्वारा ठीक ढंग से अन्वेषण कार्य न किये जाने के कारण भूमि जल स्तर 15 मीटर से 500 मीटर चला गया है एवं पानी में फ्लोराइड तत्व भी मिल गये हैं जिसके कारण लोगों को एक ओर खेतीबाड़ी के लिए पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ दूषित पानी पीने से लोगों के बीच अनेक बीमारियां हो रही हैं। इस संबंध में सरकार की एजेंसियों ने पानी की उपलब्धता एवं पानी की गुणवत्ता को बहुत गंभीर बताया है।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.2.2009 में प्रकाशित।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

सरकार से अनुरोध है कि ओ.एन.जी.सी. को अन्वेषण कार्य इस तरह से करने को कहा जाये जिससे भूमि का जल स्तर ऊपर हो एवं पानी में खतरनाक तत्वों का समावेश न हो और साथ ही ओ.एन.जी.सी. द्वारा मेहसाना में पानी की उपलब्धता एवं पानी की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु धनराशि की व्यवस्था के लिए भी कहा जाये।

(दो) तमिलनाडु में डिंडीगुल स्थित गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय, तमिलनाडु में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगुल के अत्यंत पिछड़े इलाके में स्थित है। इस संस्थान को इस क्षेत्र के ग्रामीण विकास हेतु वर्ष 1957 में आरंभ किया गया था। इस संस्थान का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को देखते हुए इसे ग्रामीण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय का वित्तपोषण पूर्णत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है।

इसकी शुरुआत से ही भारत के उपराष्ट्रपति इसके कुलाधिपति हैं। जुलाई, 2007 में विश्वविद्यालय में अंतिम कुलपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात् कोई नया कुलपति नियुक्त नहीं किया गया है हालांकि 'सर्च समिति' ने इस पद के लिए तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश की है। चूंकि यहां आज भी कोई कुलपति नहीं हैं अत: वहां कोई दीक्षान्त समारोह नहीं हुआ और उत्तीर्ण हुए छात्रों को कोई डिग्री नहीं दी जा सकी। जिसके परिणामस्वरूप उत्तीर्ण हुए छात्र आगे अध्ययन के लिए विदेश जाने और अन्य अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।

मेरा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से यह अनुरोध है कि वह इस ग्रामीण विश्वविद्यालय के कुलपति की शीघ्र नियुक्ति हेतु कदम उठाएं।

(तीन) गुजरात में बनासकांठा और पालनपुर के बीच स्थानीय रेल सेवा पुन: आरंभ किये जाने; गुजरात मेल का विस्तार पालनपुर तक किये जाने और माउंट आबू-अहमदाबाद-पालनपुर मार्ग पर अतिरिक्त डीईएमयू सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के पालनपुर से गांधीधाम के बीच मीटरगेज से ब्राडगेज लाइन बदलने से पहले कई लोकल रेल सेवाएं चलती थीं, परन्तु ब्रॉडगेज लाइन बनने के बाद इस रेलवे खंड पर कोई लोकल रेल सेवा वर्तमान समय में नहीं चल रही है जिसके कारण इस रेलवे प्रखंड के आस-पास के गांव के लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। वर्तमान समय में मुम्बई से अहमदाबाद के बीच गुजरात मेल चलती है, वह पंद्रह घंटे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहती है। अगर इस रेल सेवा को पालनपुर तक बढ़ा दिया जाये तो उत्तर गुजरात से मुम्बई जाने वाले रास्ते के यात्रियों को बहुत सुविधा होगी और रेलवे को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। साथ ही सदन के माध्यम से यह भी निवेदन है कि माऊंट आबू से अहमदाबाद के बीच एक डेमू रेल सेवा चलती है। लोगों की मांग के अनुसार दो डेमू रेल सेवा अहमदाबाद और पालनपुर तक चलाई जाए।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पालनपुर से गांधीधाम तक पूर्व की भांति लोकल रेल सेवा चलाई जाये। मुम्बई से अहमदाबाद चलने वाली रेल सेवा को पालनपुर तक बढ़ाया जाए एवं माऊंट आबू से अहमदाबाद के बीच एक और अतिरिक्त डेमू रेल सेवा चलाई जाये।

(चार) पश्चिमी पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले छम्ब जोरियान के लोगों को मूलभूत अधिकार दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में रह रहे पश्चिमी पाकिस्तानी/पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के छम्ब जोरियान के शरणार्थियों का मुद्दा नहीं सुलझाया है। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को नौकरी/रोजगार प्राप्त करने, विधान सभा चुनावों में मतदान करने और इंदिरा आवास योजना के तहत स्थान/मकान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कोई स्थायी आवास नहीं है क्योंकि वे जमीन नहीं खरीद सकते। उन्हें जम्मू कश्मीर राज्य में कोई मूल अधिकार प्राप्त नहीं हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों और छम्ब जोरियान के लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं।

(पांच) देश में नारियल और पंखिया खजूर के वृक्षों से नारियल-पाम मिल्क का हर्बल पेय बनाए जाने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, ताड़ी खजूर का दूध एक पारम्परिक, सामाजिक और स्थानीय हर्बल पेय है जिसे नारियल और पंखिया खजूर के वृक्षों से निकाला जाता है। यह मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, नाइजीरिया, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका

तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य भागों में लोकप्रिय है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि नारियल हर्बल पेय विटामिन-बी कॉम्पलेक्स का अच्छा स्रोत है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक केसी ब्राउनिंग और श्री वाई सायमन्स ने वर्ष 1916 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि ताड़ी में विटामिन बी-1 होता है। मलेशिया विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक श्री पी.सी. लियोंग ने नारियल के हर्बल पेय की पौष्टिकता के बारे में एक शोध किया है और अपनी रिपोर्ट दी है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार इस नारियल पेय पदार्थ में खमीर कोशिकाएं होती हैं जिनमें से अधिकांश सजीव रहती हैं इसमें यह भी कहा गया है कि थाईमाइन (बी-1) और टीबोफ्लेविन (बी6) के स्रोत के रूप में इसकी पौष्टिकता मुख्यत: इस तरल पदार्थ में पाई जाती है। इस हर्बल पेय में केवल 3.8 प्रतिशत अलकोहल होती है। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने विगत 20 वर्षों से इसे बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा है परंतु वह भारत में बनी विदेशी शराब बेच रहे हैं। चूंकि इस पेय पदार्थ का चिकित्सीय महत्व है और इससे टी.बी., अस्थमा और फेफड़े संबंधी बीमारियों का भी इलाज किया जाता है और यदि ताड़ी खजूर का दूध निकालने की अनुमति दी जाती है तो इससे निश्चित तौर पर नारियल की खेती करने वाले, वहां काम करने वाले मजदूरों और अन्य कार्यकर्त्ताओं की आय में वृद्धि होगी।

अत:, मैं माननीय कृषि मंत्री से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वह नारियल-खजूर के दूध को हर्बल पेय के रूप में शामिल करने और सभी राज्यों में नारियल और पंखिया खजूर के पेड़ों से दूध निकालने की अनुमति देने का निर्देश दें।

(छह) राजस्थान के बहरोड में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर छह लेन वाली सड़क और फ्लाईओवर के निर्माण के कारण जिन परिवारों की दुकानें तोड़ी जानी हैं उनकी आजीविका की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बहरोड कस्बे से गुजरने वाले मार्ग पर पुल निर्माण प्रस्तावित है तथा 6 लेन बनने का कार्य शुरू होने जा रहा है। हाईवे के दोनों ओर बहरोड क्षेत्र में लगभग 800 दुकानों को तोड़ा जाना प्रस्तावित है। इससे हजारों परिवारों की आजीविका एवं रोजी-रोटी प्रभावित होगी। मेरी प्रार्थना है कि इन दुकानों को अधिग्रहण/तोड़ने से बचाया जाये व यदि अवश्यंभावी हो तो उन्हें बाजार दर से मुआवजा दें तथा उन्हें आगे भूमि आवंटन कर पुनर्स्थापित किया जाये। प्रस्तावित बस स्टैंडों को मुख्य चौराहे से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाये ताकि महत्वपूर्ण व्यावसायिक परिसर अधिग्रहण से बच सके तथा मुख्य चौराहा भीड़भाड़ से बच सके। मैं उपरोक्त मांग सड़क परिवहन मंत्री जी से करता हूं।

(सात) मध्य प्रदेश के सागर और छत्तीसगढ़ जिलों में लौह अयस्क और अन्य खनिज आधारित फैक्टरियां स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जिसमें सागर जिले के शाहगढ़ से लेकर छत्तरपुर जिले के बड़ा मलहरा बिजावर आदि क्षेत्र खनिज संपदा से भरे पड़े हैं। यहां प्रचुर मात्रा में राकफास्फेट, डोलोमाइट एवं लोहा भरा पड़ा है। अभी छत्तरपुर जिले में हीरा भी निकलने लगा है। यहां से राकफास्फेट, डोलोमाइट बड़ी मात्रा में दूसरे राज्यों में औद्योगिक उपयोग हेतु भेजा जाता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन खनिजों पर आधारित उद्योगों को सागर एवं छतरपुर जिले में लगाया जाना चाहिए तथा विशेष रूप से लोहे का कारखाना लगाने की पहल होनी चाहिए, जिससे बुंदेलखंड का आर्थिक, औद्योगिक विकास होने के साथ ही यहां नौजवानों को भी बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

(आठ) सरदार सरोवर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत): गुजरात सरकार सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना लागू कर रही है जो देश में अपनी तरह की पहली बड़ी जल संसाधन विकास परियोजना है और विश्व की तीन बड़ी परियोजनाओं में से एक बताई गई है। सरदार सरोवर परियोजना एक बहु-आयामी परियोजना है और चार राज्यों अर्थात् गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्र को कवर करते हुए पश्चिमी क्षेत्र के बड़े इलाके को लाभ पहुंचाती है। इस परियोजना के पूरे होने पर लगभग 18 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी जिससे गुजरात में सूखा प्रभावित क्षेत्र में स्थित 12 जिलों के 4000 गांवों को लाभ होगा। इससे राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों के निर्जन क्षेत्रों में लगभग 2,25,000 हैक्टेयर भूमि को भी पानी मिलेगा। इस परियोजना से 1370 मेगावाट (1450 मेगावाट की अधिकतम क्षमता) जलविद्युत का उत्पादन होगा जो एक सस्ती और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है, इससे पश्चिमी ग्रिड को स्थिरता मिलेगी और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इससे पैदा हुई ऊर्जा का लाभ उठा सकेंगे। इससे गुजरात और राजस्थान के अनेक ग्रामीण और शहरी इलाकों में पेयजल की आपूर्ति होती है। इस परियोजना से कृषि उत्पादन बढ़ने लगेगा। पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी काफी उछाल आएगा। भारत सरकार ने 7.2.2008 को 14 नदी संबंधी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परिसम्पत्ति घोषित करके एक सकारात्मक कदम उठाया है जिसके लिए वह 90 प्रतिशत वित्तपोषण प्रदान करेगी। तथापि, सरदार सरोवर परियोजना इन 14 परियोजनाओं में शामिल नहीं है। यह गुजरात के साथ घोर अन्याय है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सरदार सरोवर परियोजना को तुरंत राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे।

(नौ) रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): रेलवे मंत्रालय को रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन बनाने का कार्य पूरा करने पर विचार करना चाहिए जो काफी समय से लम्बित पड़ा है। इस परियोजना की लागत 700 करोड़ है। भूमि का निर्धारण किया जा चुका है और रेल मंत्रालय को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह रेल मार्ग मुम्बई से दिल्ली को जोड़ता है तथा इससे भोपाल का आम आदमी भी यात्रा कर पाएगा तथा साथ ही इससे कृषि संबंधी माल भी लाया ले जाया जा सकेगा।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस परियोजना को शीघ्र आरंभ करें जिससे आम आदमी को इसका लाभ मिल सके।

(दस) गुजरात में घादुली-हाजपुर-खावड़ा-संतालपुर और खावड़ा-धौलावीरा सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन किये जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): राज्य सरकार ने कच्छ और बनासकांठा जिलों को जोड़ते हुए घादुली-हाजपुर-खावड़ा-संतालपुर (कुल 151.7 कि.मी. लम्बे 8 मार्ग) से सीमावर्ती सड़क मार्ग के निर्माण/सुधार हेतु प्रस्ताव तैयार किया है। कच्छ के रण के सामने के क्षेत्रों के छूटे सम्पर्कों को जोड़ने के लिए 151 कि.मी. लम्बे मार्ग की आवश्यकता है, ताकि हमारे सुरक्षा बलों की गतिशीलता और पहुंच में और सुधार हो सके तथा सीमा पर प्रभावी रूप से सतर्कता बनाए रखी जा सकें।

धौलावीरा के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल को हड़प्पा कालीन युग के विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खावडा-धौलावीरा मार्ग के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पर्यटक भुज, जो कच्छ जिले का जिला मुख्यालय है, से यहां आसानी से पहुंच सकेंगे। वर्तमान में, यहां पहुंचने के लिए भुज शहर से भचाऊ और रापड़ से होते हुए आना पड़ता है, जिसमें लगभग आधा दिन लग जाता है। उपर्युक्त उल्लिखित मार्ग (खावडा-धौलावीरा) के निर्माण के पश्चात् खावड़ा-कुनारिया-धौलावीरा मार्ग से होते हुए मात्र 2.5 घंटे में भुज से धौलावीरा पहुंचना संभव होगा। इससे पर्यटक एक दिन में ही धौलावीरा घूमकर वापस भुज जा सकेंगे। सड़क के निर्माण से आवागमन बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे सीमा सुरक्षा बल महीनों से एकत्र पेयजल के बजाय प्रतिदिन शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सकेंगे। सड़क निर्माण के पश्चात्, सड़क के किनारे पानी की पाइपलाइन भी बिछाई जा सकती है। इससे प्रतिदिन टैंकरों के माध्यम से जल उपलब्ध कराने में होने वाले व्यय को कम करने में मदद मिलेगी।

अत:, मैं, सरकार से गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को यथाशीघ्र अनुमोदित करने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) केरल में अलप्पुझा में तटरक्षक स्टेशन की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): केरल की तटरेखा 590 कि.मी. लम्बी है। इस तटरेखा का 1/6 से ज्यादा हिस्सा अलप्पुझा जिले में है। यहां दो फिशिंग हार्बर हैं और दो और हार्बर बनाए जा रहे हैं। अलप्पुझा, जहां पत्तन में मरीना-सह-कार्गो टर्मिनल बनाए जाने का प्रस्ताव है, यहां समुद्री मत्स्यन क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है। सबसे नजदीकी तटरक्षक स्टेशन कोच्चि और कोलम में हैं। ये दोनों स्टेशन लगभग 150 कि.मी. दूर हैं। समुद्र तट में अज्ञात समुद्री पोतों को देखा गया था। मछुआरों द्वारा इसकी सूचना दिये जाने के बाद उस स्थान तक पहुंचने में निगरानी टीम को घंटों लग जाते हैं। तूफान के कारण मछली पकड़ने वाली नावों के डूब जाने की स्थिति में तटरक्षकों की सेवाएं लेना बहुत कठिन होता है। बढ़ते समुद्री खतरे के मद्देनजर, अलप्पुझा में तटरक्षक स्टेशन स्थापित किया जाना वांछित है। अत:, मैं सरकार से अलप्पुझा में तटरक्षक स्टेशन स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) बांग्लादेश में चिलहाटी और पार्बतीपुर होते हुए हल्दीबाड़ी और सियालदह के बीच रेल सेवाएं पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): उत्तरी बंगाल और विशेषकर जलपाईगुड़ी जिले के करोड़ों नागरिकों की ओर से, मैं पुन: एक बार भारत सरकार का ध्यान बांग्लादेश में चिलहाटी और पार्बतीपुर होते हुए हल्दीबाड़ी और सियालदह के बीच रेल सेवा शुरू करने की ओर आकृष्ट कर रही हूं। रेल सेवा प्रारंभ करना भारत-बांग्लादेश व्यापार समझौता 1980 के अनुच्छेद 8 के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि "दोनों सरकारें दोनों देशों के बीच व्यापार और एक-दूसरे के क्षेत्र से होकर एक देश के दो स्थानों के बीच वस्तुओं की आवाजाही हेतु जलमार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के उपयोग के लिए आपसी समझौता करने पर सहमत हैं।" तथापि, अनेक वर्ष बीत गए हैं और इस दौरान बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। बांग्लादेश से रेल सेवा शुरू करने संबंधी मामले को उठाने का यह सही समय है, जिससे भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को लाभ होगा, क्योंकि इससे हल्दीबाड़ी से सियालदह पहुंचने में केवल कुछ घंटे लगेंगे और जिसके लिए केवल 5-6 किलोमीटर की पटरी बिछानी होगी।

(तेरह) इलैक्ट्रो-होम्योपैथी को चिकित्सा दर्जा देने वाला विधेयक संसद में लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, भारत के लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से संचालित इलैक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में तमाम चिकित्सक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इलैक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों को विषरहित पौधों से तैयार किया जाता है, जिनका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इलैक्ट्रो होम्योपैथी औषधियां तमाम असाध्य रोगों में कारगर सिद्ध हुई हैं तथा यह पूर्णत: हानि रहित हैं।

कानून न होने के कारण समस्त इलैक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक स्वतंत्र रूप से जनहित में कार्य नहीं कर पा रहे हैं व उनके परिवार के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो रही है।

अत: सरकार से आग्रह है कि इलैक्ट्रो होम्योपैथिक विधेयक को संसद में लाकर पारित करवाएं, जिससे इलैक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अपनी सेवा सुचारू रूप से दे सकें।

(चौदह) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों कानपुर-सागर और झांसी-मिर्जापुर खण्डों को विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार चौड़ा किये जाने और उनकी मरम्मत किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर-महोबा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर-सागर में हमीरपुर से कैमाहा जनपद महोबा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी-मिर्जापुर में देवरी बांध से लेकर मटौंध तक सड़क की हालत बहुत ही खराब है। पिछले कई वर्षों से लगातार मैं सदन के माध्यम से भारी यातायात को देखते हुए चार लाइनों में बदलने की मांग करता आ रहा हूं। अभी हाल में 16-17 फरवरी को हमीरपुर मुख्यालय में जमुना एवं बेतवा नदी पर बने पुल के संकरे होने के कारण वाहन सीधे नदी में जा गिरे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। अभी तक दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गये हैं। देवरी बांध से पनबाड़ी तक लगभग तीन महीनों से सड़क खुदी हुई पड़ी है, जिसका निर्माण कार्य शासन से स्वीकृत है। दोनों राजमार्गों पर उचित मानकों के अनुरूप सड़क न होने के कारण प्राय: भारी जाम की स्थिति चौबीसों घंटे बनी रहती है। उक्त दोनों मार्गों पर रोडवेज की बसें, निजी गाड़ियां एवं कवरई मे हजारों पत्थरों से लदे ट्रक तथा हमीरपुर से बालू से लदे हुए सैकड़ों ट्रक प्रतिदिन चलते हैं।

अत: सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर-सागर एवं झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अत्यधिक दबाव एवं बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का जो भी स्वीकृत निर्माण कार्य चल रहा है उसे मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप तुरंत पूरा कराया जाये तथा मृतकों को मुआवजा दिया जाये एवं उक्त दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(पन्द्रह) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिहार के गया में स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में एक कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार मांझी (गया): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गया (बिहार) में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अत्याधुनिक चिकित्सा के लिए आधुनिकीकरण एवं अत्याधुनिक कैंसर रिसर्च एवं इलाज सेंटर की स्थापना के संबंध में मेडिकल कॉलेज स्तर से एक प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया गया है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोग विभाग नहीं है और न इस रोग का कोई विशेषज्ञ इस मेडिकल कॉलेज में है। यहां पर पहले कैंसर रोग विभाग के विशेषज्ञ प्रोफेसर के पद को सृजन करना है तथा उस पर बहाली करवानी है तब जाकर कैंसर रिसर्च एवं इलाज सेंटर खोला जा सकता है।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि गया में मेडिकल कॉलेज में उक्त केन्द्र खोलने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई प्रारंभ की जाये क्योंकि गया, बिहार का एक प्रमुख प्रमंडलीय शहर है तथा अगल-बगल के नवादा, औरंगाबाद, कोडरमा, जहानाबाद, नालंदा, चतरा, सासाराम इत्यादि जिलों के लोगों को इलाज कराने के लिए यही एक मेडिकल कॉलेज है।

(सोलह) त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को प्रोत्साहन घटक अनुदान जारी किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) दिशानिर्देशों के प्रोत्साहन घटक के अनुसार उड़ीसा राज्य सरकार को अनुदान के रूप में वास्तविक घाटे में

कमी का 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाना था। उड़ीसा सरकार ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को वर्ष 2005 में निर्धारित प्रपत्र में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें वर्ष 2003-04 के लिए 264.94 करोड़ रु. की प्रोत्साहन राशि का दावा किया गया था। वर्ष 2000-01 को आधार वर्ष मानते हुए यह कम्पनियों द्वारा वास्तविक घाटे में कमी का 50 प्रतिशत है। आरंभ में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुदान को इस आधार पर स्वीकृति देने से मना कर दिया कि डिस्टकाम्स सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी नहीं अपितु प्राइवेट कम्पनियां हैं। तत्पश्चात्, भारत सरकार द्वारा गठित कार्य बल ने सुझाव दिया कि एपीडीआरपी सहायता, जिसमें सहायता और प्रोत्साहन घटक शामिल है, उसे प्राइवेट वितरण कम्पनी को भी दिया जाए। प्राइवेट कम्पनी द्वारा घाटे में कमी हेतु प्रोत्साहन कम्पनी की बजाय राज्य को दिया जाए।

मैं, सरकार से एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत, उड़ीसा सरकार को प्रोत्साहन राशि तत्काल जारी किये जाने हेतु इस संबंध में लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने का अनुरोध करता हूं। इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग न केवल इस सेक्टर के लाभ हेतु दिया जाएगा बल्कि इससे कम्पनियों को घाटे में कमी करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।

(सत्रह) पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने तथा इसे केन्द्रीय वित्त आयोग की परिधि में लाए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी, जो गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है, गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। अन्य बातों में, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के तहत वित्तीय प्रबंधन वर्तमान वित्तीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है। चूंकि संघ राज्य क्षेत्र वित्त आयोग की सिफारिशों में शामिल नहीं किये जाते हैं, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी को केन्द्रीय राजस्व कोष से राजस्व प्राप्त करने का हक नहीं है। इसके स्थान पर, संघ राज्य क्षेत्र केवल गैर योजना 'गैर ग्राण्ट' प्राप्त कर रहा है जो विगत चार वर्षों से 438 करोड़ रु. पर स्थिर रहा है। यद्यपि गैर योजना व्यय तेजी से बढ़ रहा है, तथापि कीमतों के स्तर में वृद्धि के अनुपात में भी 'गैप ग्राण्ट' नहीं बढ़ रहा है। पहले योजना आयोग 70% अनुदान और 30% ऋण के रूप में देता था। लेकिन अब अनुदान का अनुपात 30% तक कम हो गया है और संघ राज्य क्षेत्र को खुले बाजार से ऋण लेने को कहा गया है जिससे वह ऊंची ब्याज दर पर उधार लेने को बाध्य है। इससे संघ राज्य क्षेत्र का ऋण भार बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्र वित्त आयोग या गृह मंत्रालय द्वारा गठित वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकाय अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकाय जिन्हें 38 वर्ष बाद पुनर्जीवित किया गया है पर्याप्त धन के अभाव में स्थानीय समुदाय के प्रति अपने सामान्य और आधारभूत कार्य करने में भी असमर्थ हो रहे हैं। इन सबसे इस संघ राज्य क्षेत्र पर भारी दबाव पड़ रहा है। फलतः संघ राज्य क्षेत्र आधारभूत विकास परियोजना या योजना विकास कार्यक्रम शुरू करने में समर्थ नहीं है। विकास प्रक्रिया बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अतः, यह आग्रह किया जाता है कि चूंकि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की विधायिका है अतः इसे राज्य के रूप में मानना चाहिए और तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशें इस पर भी लागू होनी चाहिएं। विकास के प्रति सद्भावना दर्शाते हुए संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी का ऋण माफ कर दिया जाना चाहिए। भारत सरकार को संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के लिए 70% योजना अनुदान और 30% ऋण की पुरानी पद्धति स्थापित करनी चाहिए। गृह मंत्रालय को पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के स्थानीय निकायों के लिए अधिक राशि जारी करनी चाहिए। इससे संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की वित्तीय स्थिति सुधरेगी।

(अठारह) तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र का विस्तार करने वाले निर्णय को वापस लिये जाने की आवश्यकता

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): मेरे संसदीय क्षेत्र पोल्लाची, जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य है।

वहां बाघों के अतिरिक्त, हाथी सहित अन्य जानवर अभ्यारण्य में रह रहे हैं जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

सीमा क्षेत्र के साथ और नीचे मैदानी क्षेत्रों में पोल्लाची नारियल के वृक्षों, धान, मूंगफली और अन्य अनाजों के लिए जाना जाता है।

किसान भी यहां के चार जलाशयों अर्थात् सोलालर बांध, वायलार बांध, अमरावती बांध और तिरूमूर्ति बांध से संतुष्ट हैं।

हाल ही में, सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में 10 कि.मी. के विस्तार का आदेश दिया है जिससे वहां रहने वाले दो लाख लोग प्रभावित होंगे और लगभग 50 हजार एकड़ उर्वरक भूमि बेकार हो जाएगी।

मैं सरकार से अभ्यारण्य के निकट घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और आम लोगों की रक्षा की दृष्टि से वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र में विस्तार करने के प्रस्ताव को वापस लेने का निवेदन करता हूं।

इसके अतिरिक्त, वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा पर समुचित बाड़ लगाकर उस क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।

(उन्नीस) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के लेह जिले में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख): लद्दाख क्षेत्र के लेह जिले में चोगलमसार में अवस्थित केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान की स्थापना लगभग 50 वर्ष पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के सक्रिय समर्थन से लद्दाख के आध्यात्मिक और दुनियाबी नेता स्वर्गीय कुशोक बाकुला की पहल पर की गई थी। इस संस्थान ने महत्वपूर्ण सेवा दी है और लद्दाख के लोगों की अलग पहचान की रक्षा करने और उसे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा लद्दाख को राष्ट्रीय मुख्यधारा से अधिकाधिक जोड़ा है। यह संस्थान वर्तमान में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़ा है लेकिन अपने महत्व और गतिविधियों के कारण मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के योग्य हो गया है। यह संस्थान मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने हेतु सभी अर्हताओं को पूरा करता है। मैं भारत सरकार से इस महत्वपूर्ण संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का निवेदन करता हूं।

अपराह्न 12.11 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) उड़ीसा के मलकानगिरि जिले में प्रस्तावित पोलावरम परियोजना के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बृज किशोर त्रिपाठी, यह ध्यानाकर्षण नहीं है। कृपया अपनी बात संक्षिप्त में कहने का प्रयास करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है ...*(व्यवधान)* मैं इस सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण मद की ओर दिलाना चाहता हूं।

पिछले कुछ दिनों से प्रिंट मीडिया में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यदि यह परियोजना पूर्ण होती है तो इससे उड़ीसा के मलकानगिरि जिले की 10 ग्राम पंचायतों के गांवों के लगभग 814 परिवार विस्थापित होंगे। यह उन संवेदनशील आदिवासी क्षेत्रों जिसमें आदिम जनजातियां रहती हैं और जो पहले से ही नक्सल प्रभावित हैं, के लिए आपदापूर्ण होगा। यदि इस परियोजना को वर्तमान स्वरूप में क्रियान्वित किया जाता है तो इससे 1980 के गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय (डीडब्ल्यूडीटी) की भावना तथा राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण (एनईएए) के आदेश का उल्लंघन होगा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिम जनजातियों के निवास स्थल के जलमग्न होने के खतरे तथा उड़ीसा सरकार की राय लिए बिना परियोजना को स्वीकृति दे दी है।

1980 से उड़ीसा के मलकानगिरि जिले की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। वर्तमान स्थिति में आदिवासी जिले मलकानगिरि के जलमग्न होने संबंधी कोई खतरा उड़ीसा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले ही प्रस्तावित पोलावरम परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन तैयार कर लिया है परंतु इससे दो अन्य प्रभावित राज्य अर्थात् उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के गांवों और उनकी कृषि भूमि के जलमग्न होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपने अंतिम आदेश में बांध के लिए एमडब्ल्यूएल/एफआरएल की सीमा 150 फीट निर्धारित की है, और साथ ही केन्द्रीय जल आयोग को सलाह दी गई है कि वह सह-तटीय राज्यों-उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों की सहमति से परियोजना के अभिकल्प तथा संचालन का कार्य शुरू करे। यद्यपि, ये सभी मुद्दे समाधान हेतु लंबित हैं, तथापि, यह जानकारी मिली है कि आंध्र प्रदेश सरकार इस परियोजना का एकतरफा क्रियान्वयन कर रही है। अत: मैं भारत सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। अब उड़ीसा के संवेदनशील क्षेत्र में स्थिति बहुत गंभीर है। अब यह आवश्यक है कि भारत सरकार परियोजना को उससे न बढ़ाए और आंध्र प्रदेश सरकार को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से परामर्श किए बिना परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमति न दे। अत: मेरा माननीय राज्य मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं, से यह अनुरोध है कि वे इस ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बुलाया है। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें। उन्हें उत्तर देने दें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी इसकी जानकारी भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री को दी है। उड़ीसा के सभी सदस्यों ने बार-बार माननीय मंत्रियों-वर्तमान मंत्री और भूतपूर्व मंत्री से भी इस पर

विचार करने का अनुरोध किया है। हमने इसकी जानकारी उन्हें दी। हमने उनसे चर्चा भी की। हमें आश्वासन दिया गया है कि दोनों राज्यों से परामर्श किए बिना सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को परियोजना के आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देगी। ...*(व्यवधान)*

महोदय, हम देश की किसी भी सिंचाई परियोजना के विरुद्ध नहीं है। हम इसी तरह इसके पक्ष में हैं। किंतु अन्य प्रभावित राज्यों से भी परामर्श किया जाए। यही समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह परामर्श के बारे में है। अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, पोलावरम् परियोजना गोदावरी बेसिन में स्थित है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इस परियोजना में सम्मिलित हैं। उड़ीसा की आपत्ति थी कि यह जनजातीय क्षेत्र में है, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है। इस क्षेत्र में जहां गांवों के डूबने का खतरा है, इस बात को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में सभी गांववासी गये थे और स्टे लिया था। बाद में न्यायालय ने स्टे को मुक्त किया, खत्म किया और जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने परियोजना पर अपनी सहमति व्यक्त की। माननीय सदस्य प्रश्न उठा रहे हैं कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 440 गांवों की कृषि पर असर पड़ेगा, इसका ख्याल रखते हुए जल संसाधन मंत्रालय ने सबमर्जेंस, दबाव की स्थिति में, बचाव के लिए, परियोजना के तहत किये जाने वाले कार्यों के लिए 628 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है ताकि बांध का निर्माण कर, गांवों को डूबने से बचाया जा सके। साथ ही योजना आयोग को निवेश के लिए स्वीकृति लैटर भेजा गया है। योजना आयोग ने कुछ बिंदुओं पर कमैंट्स मांगे थे, जिन्हें भेजा जा चुका है। जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी आर्थिक सलाहकार समिति ने अपना अनुमोदन देने से पूर्व इस बात का विश्लेषण किया कि योजना के पूरा होने से किसी भी क्षेत्र में सबमर्जेंस की स्थिति न आये और जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने इसे डिस्कस किया और पाया कि यह परियोजना तकनीकी मानकों पर सही है। आंध्र प्रदेश के तटबंध का निर्माण करना सुनिश्चित किया गया है तथा माननीय सदस्य ने जो आशंका जाहिर की है, उन शंकाओं का पूर्ण रूप से ख्याल रखा गया है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के गांववासियों को किसी तरह का खतरा न हो, इसीलिए आंध्र प्रदेश ने तटबंध का निर्माण करना सुनिश्चित किया है ताकि गांव डूबने न पाएं व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो। जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति से भी परियोजना को अनुमति दी गयी है। माननीय सदस्य श्री त्रिपाठी जी ने जो शंका जाहिर की है, उस बात का ख्याल रखा गया है ताकि सबमर्जेंस की स्थिति पैदा न हो, दबाव की स्थिति पैदा न हो, गांव बच सकें, कृषि का बचाव हो सके। इन चीजों का ख्याल रखते हुए कार्य को प्रारम्भ किया गया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: इसे क्या आप नेशनल प्रोजैक्ट घोषित कर रहे हैं, बताइये।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव: जहां तक किसी परियोजना को नेशनल प्रोजैक्ट घोषित करने का सवाल है तो उसे कई प्रक्रियाओं, कई स्टेजेज से गुजरना पड़ता है, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और फिर मंत्रिमंडल से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद जब प्रोजैक्ट हमारे डिपार्टमेंट के पास आता है, तब उसका निर्णय किया जाता है।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कर्नाटक में नायक परिवरा समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का प्रणाम-पत्र जारी न किये जाने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

नायक समुदाय के विभिन्न सम्मत और उपजातियां हैं, ये हैं थोटी, तलवरा, नायक, परिवरा नायकर आदि। वर्ष 1983 में भारत सरकार ने परिवरा समूह को छोड़कर इन समूहों के अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया था। चूंकि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया इसलिए इस समुदाय के सदस्य शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों से वंचित हैं। अब विरोध स्वरूप नायक समुदाय के सदस्य पिछले एक सप्ताह से मैसूर और चामराजनगर जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। एक रैली के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने और आंसू गैस छोड़े जाने से अनेक लोग घायल हो गए।

अत: मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि इसके पहले कि कोई अप्रिय घटना घटित हो, वह मामले के समाधान हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाए।

अध्यक्ष महोदय: आपने इसे अच्छी तरह से उठाया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार के

*मूलत: कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री संतोष गंगवार]

पास बहुत-सी पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में परिवर्तित करने के लिए निवेदन आते रहते हैं। प्रजापति जाति, कुम्हार समाज के लोगों ने देश में एक सप्ताह पूर्व धरना और प्रदर्शन आयोजित किया था। उनका कहना था कि वर्ष 1931 में आजादी से पहले तत्कालीन शासकों ने देश की पांच जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्णय लिया था। आजादी के पहले और बाद में धीरे-धीरे उन पांच जातियों में से चार जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया है, लेकिन प्रजापति समाज, जिन्हें कुम्हार जाति के नाम से पूरे देश में लोग जानते हैं। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कला का काम करते हैं और ख्याति प्राप्त करते हैं। उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कश्यप जाति, कश्यप निषाद केवट जाति के लोगों के साथ तो और अधिक मजाक किया गया है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा कर दी कि इन लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, लेकिन जब दिल्ली में मैंने सवाल किया, तो पता चला कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस ओर ध्यान दे तथा गंभीरता के साथ विचार करते हुए प्रजापति, कुम्हार समाज और कश्यप निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रक्रिया अपना कर इस संदर्भ में जो कार्यवाही करनी है, उस कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर करवाने का निर्णय लें।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के 1950, 1964 और 1970 के आदेश तथा संविधान के अनुच्छेद 341 के मुताबिक अनुसूचित जाति की सूची में जो जातियां श्रेणीबद्ध हैं, उनमें 27वें स्थान पर धनगर जाति का नाम है। देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस जाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेटिशन संख्या 16458, महेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, 20 अक्तूबर, 2008 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इनके प्रमाण-पत्र बनाए जाएं। किस जाति का संशोधन करना, उसे जोड़ना या निकालना, यह राज्य सरकार का काम नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया तथा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरह का आदेश दिया कि धनगर जाति में जो लोग आते हैं, उनके प्रमाण-पत्र बनाए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लोग बहुत परेशान हैं तथा जगह-जगह आंदोलन हो रहे हैं। एक जनवरी को मथुरा में लाठीचार्ज हुआ है। मैं आपकी मार्फत भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इसका संज्ञान ले और धनगर जाति के लोगों के अनुसूचित जाति के प्रणाम-पत्र बनाए जाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक दल को एक अवसर दिया जाएगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में स्थिति खतरनाक मोड़ ले रही है और बद से बदतर होती जा रही है। मैं आग्रह करता हूं कि भारत सरकार तत्काल कार्यवाही करे।

तथाकथित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (आईएम) दशकों से निरंकुश हिंसा में शामिल रही है और एक लंबे समय के बाद भारत सरकार ने तथाकथित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड, के साथ युद्धविराम समझौता किया जो 1 जुलाई, 1997 से लागू हुआ, जब कामरेड इन्द्रजीत गुप्त गृह मंत्री थे। अब नागा विद्रोही ग्रुप द्वारा उस युद्धविराम समझौते का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, अब तो वे मणिपुर में भी प्रवेश कर चुके हैं, वहां सशस्त्र शिविर लगाए गए हैं और राज्य के बड़े क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, हाल में उन्होंने एक एसडीओ और उसके दो मातहतों को मार डाला।

इससे पहले वे जबरन वसूली कर रहे थे, माल कर, वाहन कर और अन्य प्रकार के कर वसूल कर रहे थे। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की लगभग 24 प्रतिशत परिलब्धियां नागा विद्रोहियों को दी जाती थी। अब, वे मणिपुर के केन्द्र में अपनी गतिविधियां फैला रहे हैं, एक बड़े भू-भाग पर कब्जा कर रखा है और तथाकथित ग्रेटर नागालैण्ड के लिए मणिपुर के एक हिस्से की मांग करके मणिपुर को तोड़ना चाहते हैं। इससे राज्य में इतनी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी कि हाल में पूरे मणिपुर में 48 घण्टे की हड़ताल हो गई।

मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। पहली भारत सरकार ने युद्धविराम समझौता किया था इसलिए राजनैतिक और सैन्य दृष्टि से इसको लागू करने की और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि युद्धविराम समझौते का उल्लंघन न हो और नागा उग्रवादियों को मणिपुर में हिंसा फैलाने से रोका जाये। दूसरी बात, यदि इसे मणिपुर सरकार पर छोड़ दिया जाए, तो वे हिंसा का सामना करने में समर्थ नहीं हैं। तीसरे, स्थिति की मांग है कि तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो राज्य की क्षेत्रीय अखण्डता के लिए गंभीर संकट होगा जिसके कारण भारत के दूरस्थ भाग में गंभीर राजनैतिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

महोदय, यह भी संभावना है कि इस छोटे से राज्य के लोगों के मानस पर इसका भयावह प्रभाव हो। मैं इस स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इससे पहले कि पूरे मणिपुर में स्थिति बुरी तरह खराब हो जाए सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, इन्होंने जो कहा मैं उससे स्वयं को संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इससे संबद्ध करते हैं तो आप अन्य कोई मामला नहीं उठा सकते।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, ठीक है। मैंने अपनी बात रख दी है।

अपराह्न 12.27 बजे

(दो) डनलप इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान न किये जाने और नियोक्ता द्वारा करार का तथाकथित उल्लंघन किये जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, पूर्व में केन्द्रीय श्रम मंत्री ने डनलप इंडिया लिमिटेड के मामले में हस्तक्षेप किया था और सरकार से डनलप इंडिया लिमिटेड में उत्पादन पुन: प्रारंभ करने के लिए सहायता का आग्रह किया था और उन्होंने उस समय केन्द्र सरकार का आभार प्रकट किया था।

अब, यह हो रहा है कि डनलप इंडिया लिमिटेड के नए प्रवर्तक उद्योग को चलाने और अपने कर्मचारियों के वाजिब देय का भुगतान करने जो कि समझौते का घोर उल्लंघन है की बजाय इस प्रतिष्ठित टायर से जुड़े रबड़ उद्योग की मूल्यवान संपत्ति को बेचने के लिए अधिक उत्सुक हैं।

महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। डनलप इंडिया लिमिटेड का कोलकाता स्थित मुख्य कार्यालय 11 करोड़ रुपये में बेचा गया था और अब पूर्ण राशि, जो 14 करोड़ रुपये है, एक सरकारी बैंक में पड़ी है। कर्मचारियों के पास रोटी नहीं है और वे यह मांग कर रहे हैं कि कम-से-कम उस धनराशि से कर्मचारियों का वाजिब देय भुगतान कर दिया जाए जिन्होंने यह विकल्प चुना है....

अध्यक्ष महोदय: क्या यह केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है?

श्री रूपचंद पाल: जी हां, केन्द्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया था और पूर्व केन्द्रीय श्रम मंत्री ने मामले में सहायता की थी और हस्तक्षेप किया था। इसलिए, मैं माननीय श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस स्थिति में भी हस्तक्षेप कर के कर्मचारियों की सहायता करें ताकि भुखमरी के शिकार कर्मचारी अपना वाजिब भुगतान प्राप्त कर सकें और प्रवर्तकों को उद्योग चलाने के लिए कहा जाये और उस धनराशि, जो भारतीय स्टेट बैंक में पड़ी है, में से कर्मचारियों को देय भुगतान दिया जाये।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: महोदय, माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने पहले ही इंतजाम कर लिया था?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नान्डीज): महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इसको नोट कर लेता हूं और हमसे जो हो सकेगा, हम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं यूपीए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सरकार द्वारा हमारे देश के निर्धन और कमजोर तबके की तरक्की के लिए कई कदम उठाये गये हैं।

महोदय, आम आदमी की उम्मीदें इस सरकार द्वारा घोषित उपायों के अनुपात में बढ़ रही हैं। हमने पहले ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम का एक उपबंध इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना से संबंधित है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने का प्रावधान है और इस संबंध में आयुसीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा अभिप्रेत था।

श्री अधीर चौधरी: मैं जानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री न तो मितव्ययिता में विश्वास करते हैं और न ही अपव्यय में। वे केवल तर्कसंगत व्यय में विश्वास करते हैं।

मेरा मत है कि जब हमारे देश में जीवन प्रत्याशा केवल 62 से 63 वर्ष है। मैं समझता हूं, जिन लोगों की आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की जाती है उन्हें पेंशन योजना देना विसंगति है। अत: मैं सरकार से यह आयु सीमा 60 वर्ष तक घटाने का निवेदन करता हूं और यदि कोष इसे वहन कर सके तो इसका सार्वभौमिकरण किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री के लिए यह मामूली बात है।

[श्री अधीर चौधरी]

अध्यक्ष महोदय: आप चाहते हैं कि 60 वर्ष के व्यक्ति को वृद्ध माना जाए।

श्री अधीर चौधरी: हां, महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अविलंबनीय लोक महत्व के सभी मुद्दे इसकी समाप्ति के बाद ही लिए जाएंगे।

...(व्यवधान)

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक मुद्दा महत्वपूर्ण है। अत: मैं उन्हें लेने से इंकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस चर्चा के बाद उन्हें लेने के लिए कह रहा हूं।

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): महोदय, मेरा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रत्येक दल के एक सदस्य को अवसर दिया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज आपको लगभग पांच बजे अथवा चार बजे भी अनुमति दी जा सकती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि अपनी समय सारणी भंग करता हूं तो प्रत्येक सदस्य को समय देना होगा। कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन चार या पांच बजे आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी जाएगी।

अपराह्न 12.31 बजे

अंतरिम बजट (सामान्य)—2009-10
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)—2009-10
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2008-09—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 23, 24 और 25 को साथ-साथ लेंगे।

श्री मोहन रावले। आपके पास आठ मिनट हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): महोदय, हिन्दुस्तान में अब तक जो घोटाला नहीं हुआ ...*, इसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यूपीए सरकार ने यूएस के साथ डील की और हिन्दुस्तान के कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल ने रिपोर्ट में लिखा है,

[अनुवाद]

सितम्बर 2007 तक, अनुमानित यूरेनियम भण्डार लगभग, 1,07,268 टन थे।

[हिन्दी]

40 साल तक पूरा हो सकता है। सरकार ने बताया कि हमारे पास सिर्फ छ: महीने के लिए यूरेनियम है। इनको डील करनी थी....*

अध्यक्ष महोदय: आप धीरे-धीरे बोलिए।

श्री मोहन रावले: महोदय, एक मेगावाट के लिए नौ करोड़ रुपये खर्च होने चाहिए जबकि 12 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2020 में एक करोड़ बीस हजार मेगावाट बिजली मिलने वाली है। अभी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 12 करोड़ रुपये है इस तरह से इसकी कॉस्ट दो लाख चालीस हजार करोड़ होगी। इसे इतने सस्ते में कैसे दे सकते हैं? सामान्य आदमी को सिर्फ साढ़े पांच रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है। ...* आपके पास यूरेनियम था। सीएजी ने रिपोर्ट दी है। ...*अभी तक कांग्रेस सरकार हिन्दुस्तान को लूटती थी अब यूपीए उसके पार्टनर्स को लेकर हिन्दुस्तान को लूट रही है। आपने ऐसा क्यों किया? प्रणव मुखर्जी आप बताएं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जवाब देने के समय बताएंगे। अभी कैसे बताएंगे?

श्री मोहन रावले: इससे पहले भी मैंने संसद में बताया था कि वर्ष 2013 में दो लाख मेगावाट बिजली की जरूरत है और वर्ष 2020 में यह जरूरत दुगुनी हो जाएगी, दो लाख की जगह चार लाख हो जाएगी। आप बताइए कि बीस हजार मेगावाट बिजली कहां से पूरी होगी? ....*

महोदय, इस्ताम्बुल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस हुई थी। वहां हिन्दुस्तान के साइंटिस्ट गए थे और उन्होंने इंटरनेशनल कांफ्रेंस में बताया था कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सहायता से न्यूक्लियर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

फ्यूल बना सकते हैं, थोरियम से न्यूक्लियर फ्यूल कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्हीं डील करने की क्या आवश्यकता थी? आपने विदेश को इतना पैसा क्यों दिया? दो लाख चालीस हजार करोड़ क्यों दिया? आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने किया है। सीएजी ने इस बारे में रिमार्क दिया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अमर्त्य सेन ने कहा है:

[अनुवाद]

लोकतंत्र स्वयं में पुरस्कार है।

[हिन्दी]

हिंदुस्तान में 25 करोड़ से ज्यादा लोग बीस रुपये प्रतिदिन भी नहीं कमा पाते हैं। हमारे देश में 94 परसेन्ट लोग अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं। आज उन लोगों की नौकरियां जा रही हैं और उन्हें सरकार अनइम्पलायमैन्ट एलाउंस भी नहीं दे रही है। मैं कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

संप्रग स्वयं पुरस्कृत है।

[हिन्दी]

इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने यह किया है, वह किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया है? देश में इतने किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गईं। महाराष्ट्र में हर दिन के बाद किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया। इस मामले में हमारे आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कई मोर्चे निकाले थे। उस समय वे किसानों से जाकर मिले, उनके लिए आवाज उठाई और बोले कि किसानों के कर्ज माफ करो। लेकिन इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और पैकेज डिक्लेयर होने के बाद भी बहुत सारे किसान मर गये।

सर, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि हमारे मुम्बई शहर के लिए 25 हजार करोड़ रुपये मिलने चाहिए। हमारे मुम्बई शहर से एक लाख करोड़ रुपये केन्द्र सरकार को मिल रहे हैं। मैं यह मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे मुम्बई शहर में प्रतिदिन पांच हजार लोग आते हैं और झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर रहते हैं, जिसके कारण हमारी बिजली, पानी, शिक्षा और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनका बोझ पड़ता है। इसलिए मुम्बई शहर को कम से कम 25 हजार करोड़ रुपया देना चाहिए। झुग्गी-झोंपड़ी और चाल में रहने वाले लोगों के लिए मुफ्त में घर देने चाहिए।

सर, अभी मुम्बई शहर पर हमला हुआ। उसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि स्नारकल में 32 परसेन्ट ड्यूटी लगाई जाती है।

अध्यक्ष महोदय: किसमें ड्यूटी लगाई जाती है?

श्री मोहन रावले: स्नॉरकल, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है। उसके लिए सरकार 32 परसेन्ट ड्यूटी लगाती है। अभी मुम्बई शहर के लिए हमें पांच स्नॉरकल की आवश्यकता है, जो 68 एम.एम. से 100 एम.एम तक जाने वाले हैं। यदि सरकार यह ड्यूटी कम करेगी तो हम ज्यादा मंगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि होटल ताज और ओबरॉय में जो हमला हुआ, उसके कारण इनकी कभी भी बहुत आवश्यकता हो सकती है।

इसके अलावा हम लोगों ने मुम्बई शहर के लिए रायफल्स मांगे हैं। लेकिन रायफल्स के मिलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये रायफल्स फॉरेन से आते हैं। वहां 9 एम.एम. रायफल्स की आवश्यकता है, स्पीड बोट्स की आवश्यकता है, माइन प्रोटैक्टेड व्हीकल्स की भी आवश्यकता है। लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार के द्वारा ये सब चीजें वहां नहीं दी गई हैं। इसलिए मेरी विनती है कि केन्द्र सरकार इन चीजों को वहां तुरंत देने का कष्ट करे।

सर, मैं मिल मजदूर का बेटा हूं और मेरे क्षेत्र में सारी एन.टी.सी. की मिले हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनका राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था, ताकि मिल मजदूरों को रोजगार मिले। लेकिन अभी मिलें बंद होने जा रही हैं और सरकार मिलों को बेचने भी जा रही है। किसी भी मिल पर पहला हक मिल मजदूर का होता है। यदि इन मिलों को सरकार बेच रही है तो वहां के मिल मजदूरों को मुफ्त घर मिलना चाहिए और प्राइवेट मिलों के लोगों को भी मुफ्त घर मिलना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा अभी एन.टी.सी. को ज्वाइंट वैन्चर करने जा रहे हैं। यदि इनका ज्वाइंट वैन्चर होता है तो जो वहां के वर्कर्स हैं, उनके बेटों को वहां प्रायोरिटी मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: सब हमारे से ले लोगे, आप हमारी मुम्बई, हमारी मुम्बई करते हो।

श्री मोहन रावले: सर, केन्द्र सरकार को मुम्बई से एक लाख करोड़ रुपये मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम भी मुम्बई के हैं।

श्री मोहन रावले: सर, आपका स्वागत है। आपने हमें बहुत मौके दिये हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, लेकिन प्रार्थना करता हूं कि जो न्यूक्लियर डील हुआ है।

[श्री मोहन रावले]

[अनुवाद]

मैं न तो विज्ञान स्नातक हूं न ही वैज्ञानिक हूं।

[हिन्दी]

लेकिन मैं साइंस स्टूडैंट रह चुका हूं, इसलिए मुझे पता है। लेकिन मैं इसकी टैक्निकेलिटी में नहीं जा रहा हूं। लेकिन यह रियलिटी है, हमारे साइंटिस्ट्स ने उसी वक्त बोला था। भाभा ने कहा था कि हमारे पास इतना थोरियम है कि दो हजार सालों तक इसकी कमी नहीं होगी और इससे हम लोग यूरेनियम बना सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक इतने सक्षम हैं। इस्तांबुल में स्टेटमेन्ट दी गई थी। सरकार ने कहा था कि हमारे पास छः महीने के लिए शॉर्टेज हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसा क्यों कहा? *...(व्यवधान)** इसलिए सरकार ने यह डील किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया इसे हटा दें।

[हिन्दी]

मुम्बई के लिए सभी कुछ ले लिया।

श्री मोहन रावलेः सर, दस हजार करोड़ रुपये सीक्रेट फंड के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। हमारा निवेदन है कि उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मुम्बई में जो हमला हुआ, सीक्रेट *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री येरननायडु, आप केवल पांच मिनट बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब कृपया समाप्त करें। आप अपने प्रति मेरे स्नेह का फायदा उठा रहे हैं।

श्री मोहन रावलेः नहीं महोदय।

[हिन्दी]

आपने मुझे बोलने के लिए जो मौका दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आप पर पूरा गर्व है क्योंकि आपने विपक्ष के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया है, ऐसा मुझे लगता है। चाहे क्वैश्चन पूछने में हो या डिबेट के लिए हो *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैंने कोशिश की है।

श्री मोहन रावलेः मुझे इस बात का दुख होगा क्योंकि पता नहीं आसन पर आगे कौन आयेगा? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अच्छा ही आयेगा।

श्री मोहन रावलेः लेकिन आप नहीं होंगे, इसका मुझे दुख होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

मैं जहां रहूंगा, आपसे जरूर मिलूंगा।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट से संबंधित वाद-विवाद में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह अन्तरिम बजट हमारे लिए घोर निराशाजनक है। यह बहुत घाटे का बजट है। अतीत में कभी भी बजट में 3,30,000 करोड़ रु. का घाटा नहीं रहा।

आज देश, कृषि संकट, आर्थिक संकट, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या और अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। इस अंतरिम बजट में इन सभी समस्याओं के बारे में किसी समाधान का उल्लेख नहीं किया गया है।

मूल्य वृद्धि के संबंध में, मैं इस गरिमामय सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2004 में लोग खुले बाजार में 12 रु. प्रति किलो पर चावल प्राप्त कर रहे थे जबकि वर्तमान में चावल की कीमत 30 रु. प्रति किलो है। यही स्थिति अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं के संबंध में है। मैं दो-तीन उदाहरण और दे रहा हूं। इमली के मामले को ही लें। वर्ष 2003 में इमली 22 रु. प्रति किलो पर बेची जा रही थी जबकि इमली की वर्तमान कीमत 60 रु. प्रति किलो है। इसी तरह, सीमेंट वर्ष 2003 में 100 रु. प्रति कट्टे की कीमत पर बेचा जा रहा था जबकि आज यह 225 रु. प्रति कट्टे कि हिसाब से बेचा जा रहा है। इसी तरह, सूरजमुखी तेल, मूंगफली तेल, वर्ष 2000 में, 45 रु. प्रति लीटर पर बेचा जा रहा था और अब इसकी कीमत लगभग 100 रु. प्रति लीटर है। देश में मूल्य वृद्धि की वर्तमान स्थिति यह है। लेकिन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारत सरकार ने इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें घटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। यद्यपि मुद्रास्फीति की दर लगभग 4.3 प्रतिशत तक कम हो गई है फिर भी आवश्यक वस्तुओ की कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं। अत:, यह आम आदमी का बजट नहीं है। इस देश में आम आदमी बुरी तरह प्रभावित है।

कृषि संकट के संबंध में, मैं इस गरिमामय सदन को बताना चाहता हूं कि विगत 12 वर्षों में, 1,90,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। केवल आंध्र प्रदेश में, विगत पांच वर्षों में, 4,805 किसानों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री के राहत पैकेज, लगभग 70,000 करोड़ रु. के ऋण राहत पैकेज के बावजूद किसान अभी भी आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? लाखों किसानों ने निजी साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लिए हैं। लेकिन ऋण से संबधित उनकी समस्याओं के बारे में इस अन्तरिम बजट में कोई समाधान नहीं दिया गया है। यह ऋण राहत पैकेज उन किसानों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने निजी साहूकारों से, और वह भी ऊंची ब्याज दर पर ऋण लिया है। अत:, भारत सरकार को निजी साहूकारों से ऋण लेने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बारे में भी विचार करना चाहिए। यह बहुत खतरनाक स्थिति है।

यही स्थिति बुनकरों की भी है। केवल आंध्र प्रदेश में 500 बुनकरों ने भोजन और काम के अभाव में आत्महत्या की है। पूरे देश में कई हजार बुनकर आत्महत्याएं कर चुके हैं। यहां तक कि वस्त्र मंत्री ने भी 2,200 करोड़ रु. माफ करने के बारे में भारत सरकार को बड़ा पैकेज प्रस्तुत किया है। *...(व्यवधान)*

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): आंध्र प्रदेश सरकार अनेक प्रयास कर रही है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं भारत सरकार से निवेदन कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

आंध्र प्रदेश सरकार ने सब कुछ माफ कर दिया है। कल, आप सत्ता में नहीं होंगे और इसीलिए आप छूट दे रहे हैं और ये सब कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

महोदय, देश में यह स्थिति है। इसलिए मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि देश में इतनी कर्जमाफ़ियों के लिए भी एक पैकेज की घोषणा की जाए।

यही स्थिति विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम पर, आंध्र प्रदेश सरकार किसानों से दो फसलों, तीन फसलों वाली जमीने भी जबरदस्ती ले रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक पारित करते समय, अध्यक्ष महोदय, आप पीठासीन थे और माननीय वाणिज्य मंत्री ने उत्तर देते हुए सदन को आश्वासन दिया था: "प्रथम चरण में हम 150 विशेष आर्थिक क्षेत्र लेंगे। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कार्यकरण की स्थिति देखने के बाद ही, हम विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संख्या बढ़ाएंगे।" लेकिन दिसम्बर तक, भारत सरकार 552 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को औपचारिक स्वीकृति दे चुकी है, इनमें से केवल आंध्र प्रदेश, में ही 100 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्वीकृत किये गये हैं।

भारत सरकार भी उस जमीन का बलात अधिग्रहण कर रही है जिसमें दो/तीन फसलें होती हैं और बलपूर्वक इसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों को दे रही है....*

विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम पर वे जमीन रियल स्टेट के लोगों को दे रहे हैं। इसके बदले में रियल स्टेट के लोग इन जमीनों को बेच रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। यह राज्य सरकार का मामला है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, 552 में से 52 अकेले आंध्र प्रदेश में हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप राज्य सरकार के मामले को नहीं उठा सकते। राज्य सरकार के संदर्भ को हटा दिया जाएगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: यहां दूसरा मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, आपने कल सत्यम घोटाले पर चर्चा करने की अनुमति देकर अनुग्रह किया है। अत: मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। सत्यम घोटाला एक बड़ा कारपोरेट घोटाला है।

अध्यक्ष महोदय: यह आने वाला है।

[हिन्दी]

आप छोड़िए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब प्रो. चन्द्र कुमार।

कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। नहीं, कुछ और नहीं है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः अब प्रो. चन्द्र कुमार अपनी बात करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपका समय एक मिनट का था। मैंने आपको पांच मिनट दिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः किसी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः नहीं, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। येरननायडु जी, मुझे खेद है।

प्रो. चन्द्र कुमार।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः इनके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः नहीं, यह आंध्र प्रदेश का बजट नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मुझे खेद है, श्री येरननायडु, आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको समय दिया। आपका समय एक मिनट का था किंतु मैंने आपको पांच मिनट दिये।

[हिन्दी]

****डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** (मंदसौर): महोदय, केन्द्र की कांग्रेस नीत गठबंधन सरकार द्वारा जिस प्रकार का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है। यह बजट चुनाव को दृष्टिकोण में रखकर कुछ ऐसी घोषणाओं के साथ आया है जिन्हें कैसे पूरा किया जायेगा इसके बारे में कोई दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह बजट आम आदमी का बजट नहीं है। आम आदमी की चिंता यथावत है, यथावत रहेगी। गरीबी और अमीरी की खाई और बढ़ेगी। वर्ष 2008-09 में बजट में राजकोषीय घाटा कम दिखाने की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं में आवंटन कम दिखाया गया है और जिसके बारे में कहा गया है कि आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त आवंटन के द्वारा पूरा किया जायेगा। किंतु, यदि अनुमान लगायें तो अतिरिक्त आवंटन करने से यह घाटा 15 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा। उदाहरणस्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए धनराशि में 126 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है जबकि कैग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इसका लाभ 40 प्रतिशत लोगों को ही मिल पाया है। कृषि क्षेत्र के संबंध में बढ़चढ़ कर बहुत बातें की गई हैं किंतु किसानों को सस्ते दाम पर रासायनिक उर्वरक नहीं मिल पा रहा है वह भी ऐसी दशा में जबकि खाद बनाने वाली कंपनियों को हजारों करोड़ रुपया सरकार की ओर से दिया जा रहा है। किसानों को उनकी उपज का वास्तविक दाम नहीं मिल रहा है, इस संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों की रिपोर्टें जिनमें स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट प्रमुख है, उसकी सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया। आर्थिक वार्षिक वृद्धि दर जो एनडीए के समय 8.5 प्रतिशत थी वह आज केवल 6 प्रतिशत के आसपास है। यही कारण है कि महंगाई को रोक पाना संभव नहीं हो रहा है। आर्थिक पिछड़ापन यथावत है। समृद्धि कुछ शहरों तक सीमित है। सामाजिक विषमताओं के कारण अपराधवृत्ति बढ़ी है, असुरक्षा बढ़ी है। दिल्ली राजधानी जैसे क्षेत्र में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा की सुविधा नहीं है जो निजी स्कूल हैं उनको मनमाने तौर पर शुल्क बढ़ाने की छूट दे दी गई है ताकि गरीबों के बच्चे उनमें भी शिक्षा प्राप्त न कर सकें। रोजगार की तलाश में गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं और सरकार का दावा गांवों में रोजगार की उपलब्धता का है। उसका खोखलापन सिद्ध कर रहा है। इस कारण की न सुस्पष्ट शिक्षा नीति है और न रोजगार नीति है। चिकित्सा नीति का भी अभाव है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात बड़े जोर से हुई है। लेकिन जब शहरों में ही सामान्यजन को चिकित्सा सुविधा नहीं है तो गांव तक जो पहुंचना बहुत मुश्किल है। गांव के लोगों के शहर की ओर बढ़ने से शहरों की समस्यायें और विकराल रूप धारण कर रही हैं। आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। रक्षा बजट में यद्यपि वृद्धि की बात कही गई है किंतु आज की सेना की आवश्यकता को देखते हुए उसमें और बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता है। सेना में असंतोष होना और इसी कारण उनके त्याग के कारण उनको प्राप्त शौर्य चक्र आदि लौटाने को वो बाध्य हो रहे हैं। सेना के आधुनिकीकरण की बहुत आवश्यकता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लगातार वर्षों से इस पर विचार चल रहा है किंतु क्रियान्वित नहीं हुई है। सीमायें असुरक्षित हुई हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ चिंता की बात है। एनडीए सरकार के समय चलाई गई कुछ योजनाएं जिनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वजलधारा योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आदि पर जिस प्रकार से ध्यान दिया जाना चाहिए और राशि आवंटित की जानी चाहिए उसमें सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया है और यही कारण है कि यह कार्य अत्यंत शिथिलता से चल रहे हैं। देश को आज बिजली की बहुत आवश्यकता है। विद्युत उत्पादन जिस तेजी से बढ़ाना चाहिए उसके लिए जो आवंटन आवश्यक था वह नहीं किया गया है। फलस्वरूप पूरा देश बिजली संकट से ग्रस्त है। परम्परागत बिजली उत्पादन तथा अपरम्परागत बिजली उत्पादन दोनों ही क्षेत्रों में काफी गुंजाइश है। सरकार को विशेष ध्यान देकर आवंटन बढ़ाते हुए बिजली की कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बजटीय आबंटन में कतिपय अन्य मांगों के बारे में भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों में पर्याप्त औद्योगिक संभावनाएं होते हुए भी इन पिछड़े राज्यों में औद्योगिकरण के लिए विशेष आवंटन की आवश्यकता थी। एक सुस्पष्ट उद्योग नीति की आवश्यकता है। चालू उद्योग बंद हो रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है।

कृषि के बारे में मैंने पहले कहा है किसानों को ऋण माफी का पूरा लाभ नहीं मिला है और ब्याज दर 3 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है। प्रदेशों के साथ मांग के अनुसार उनके विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों में जो राशि आवंटित की जानी चाहिए और विभिन्न प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए उसमें भी भेदभाव बरता जा रहा है।

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए आबंटन बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है और इसको ध्यान में रखते हुए एनडीए सरकार द्वारा नदी जोड़ो योजना आरंभ की गई थी उस हेतु आवश्यक धनराशि का इस बजट में अभाव देखा गया है। जैसाकि मैंने कहा कि सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में कोई नीतिगत ढांचा ही नहीं है। वैश्वीकरण के दौर में जब हम वैश्विक मंदी से प्रभावित हैं बेरोजगारी की समस्या विकट होती जा रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले युवा वर्ग हैं। गांव में रहने वाले हो या शहरों में महिलाएं तो पहले ही रोजगार से प्राय: वंचित ही हैं।

विधि मंत्रालय के लिए भी और आबंटन बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। आज विभिन्न न्यायालयों में हजारों की संख्या में वर्षों से प्रकरण लंबित हैं। अत: न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाते हुए न्यायालयों की संख्या का भी बढ़ाया जाना आवश्यक है ताकि शीघ्र और सुलभ न्याय मिल सके। ग्राम न्यायालयों की घोषणा को अमली स्वरूप दिया जाये। सरकार द्वारा इस बारे में बार-बार घोषणा की गई। किन्तु पूरी नहीं हुई।

नागरिकों की सुविधा हेतु नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की गई तथा बजट का आबंटन किया गया, किंतु इनका कार्य भी अत्यंत धीमा है। नागरिक पेयजल जैसी सुविधा से भी वंचित हैं, आवास की सुविधा तो पहले से ही नहीं है। सांस्कृतिक मंत्रालय में बजटीय आवंटन बढ़ाया जाये ताकि सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा हो।

आज कतिपय राज्य नक्सली और आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित हैं जिनमें बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र, महाराष्ट्र प्रमुख हैं, उन सरकारों द्वारा केन्द्र से सहायता बढ़ाने हेतु बार-बार कहा गया, किंतु उस ओर ध्यान न देने से उन राज्यों में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं और जनजीवन असुरक्षित है।

हमारी प्राप्तियां कम हो रही हैं और खर्च अधिक हैं। हमारे आयकर प्रणाली में और भी संशोधन आवश्यक हैं। हम देखते हैं कि काला धन जिस तेजी से छाया हुआ है, वह न केवल आम आदमी बल्कि सरकार तक को प्रभावित कर रहा है। ब्याज दरें, घटती ऋण उपलब्धता, शेयर बाजारों की उठापटक और रुपए में गिरावट इसका आर्थिक बढ़ोत्तरी दर पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जनता को एक ऐसे बजट की उम्मीद थी जो गतिशील हो, जो उनकी कठिनाइयां समझे और उनको राहत पहुंचाये। किंतु, इस सबका इस बजट में अभाव देखा गया है।

मैंने ऊपर चिकित्सा सुविधाओं की भी चर्चा की है। देश भर में दिल्ली की तर्ज पर 6 एम्स खोले जाने की घोषणा की गई थी, किंतु उसका प्रारंभ आज तक नहीं हुआ है।

हमारा सकल घरेलू उत्पाद घटा है। निर्यात दर विगत 9 महीनों में घटकर 17.1 तक आ गई है। किंतु, इस परिप्रेक्ष्य में आयात बढ़ा है। यदि संक्षेप में यह कहा जाये कि इस बजट से आम आदमी निराश हुआ है, युवा हो, महिला हो, किसान हो, संगठित तथा असंगठित मजदूर हो, कर्मचारी वर्ग हो उन सब में एक प्रकार से निराशा है। अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की आवश्यकता है। एक ऐसे आर्थिक माहौल की आवश्यकता है जो आत्मविश्वास से भरा हो, देश को आगे ले जाने वाला हो।

[अनुवाद]

***श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम): महोदय, सभा में आगामी वित्त वर्ष के अंतरिम बजट (सामान्य) को अभी विचारार्थ लिया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे द्रविड़ मुनेत्र कजगम के सदस्य के रूप में बोलने का अवसर दिया, मैं हमारे विदेश मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी जो वित्त मंत्रालय

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ए.के.एस. विजयन]

का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं, के द्वारा सभा में प्रस्तुत इस बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं। हमारे नेता कलैंग्नार करुणानिधि जो पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं और हमारे दल द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की ओर से मैं यूपीए सरकार के वित्तीय वक्तव्य का समर्थन करता हूं। हमारे प्रभारी वित्त मंत्री ने कहा है कि कर उपाय केन्द्र की नई सरकार द्वारा किया जाएगा जो अब से तीन महीने बाद आएगी। चुनाव पूर्व बजट हेतु संवैधानिक बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए तथा आर्थिक मंदी की चुनौतियों से निपटते हुए इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा संतुलित कार्य किया गया है। यूपीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हमारे प्रधानमंत्री ने बजट के बारे में यही कहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी के दौर में भारतीय जनसंख्या के सबसे गरीब तबके की रक्षा के लिए पर्याप्त ध्यान देना होगा।

हमारी जनसंख्या का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, को इस बजट बेहतर में हिस्सा मिला है। यूपीए सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों के लिए 1,37,317 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। यह धनराशि विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे नरेगा अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, भारत निर्माण के अंतर्गत योजनाओं, सर्वशिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास योजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजना, संपूर्ण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम व अन्य पर खर्च की जाएगी। जन सामान्य की सहायता के लिए सरकार की चिंताओं का मैं स्वागत करता हूं। इस समय भी जब हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती है, सामाजिक क्षेत्र में व्यय बढ़ाया गया है। ग्रामीण पुनर्निर्माण के कायाकल्प किये कुछ योजनाएं तथा 14,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किये गये हैं। लगभग 3.6 करोड़ भारतीय किसानों को ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाभ मिला है क्योंकि संघ सरकार ने अभी तक 65,300 करोड़ रुपये दिया है। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पिछले वर्ष 2,50,000 करोड़ रुपए की धनराशि कृषि ऋण के रूप में दी गई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3200 करोड़ अमरीकी डालर के लगभग हो गया। प्रभावी सुधार उपायों के माध्यम से शेयर बाजार में नियामक तंत्र को मजबूत किया गया है।

यद्यपि यह अंतरिम बजट है तथापि रक्षा व्यय के लिए अब तक की सर्वाधिक राशि 1,31,317 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इस अभूतपूर्व वृद्धि का स्वागत करने में हमें नहीं हिचकना चाहिए क्योंकि इससे सीमापार से आतंकवाद से हमारे लोगों की रक्षा के लिए सुरक्षा तंत्र के सुदृढ़ होने की आशा है। इस कदम की सराहना करने में कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही हम इस समाचार को सुनकर प्रसन्न नहीं हैं कि हमारी सेना श्रीलंका के सशस्त्र बलों को कुछ प्रशिक्षण सुविधाओं के अलावा हथियार और उपकरण दे रही है जिनका प्रयोग वे अपने लोगों के नरसंहार के लिए कर रहे हैं। हमारे सशस्त्र बलों को ऐसी सेना की मदद नहीं करनी चाहिए जो अपने निहत्थे नागरिकों पर हिंसक कार्यवाही कर रही है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में लोगों पर ऐसे नृशंस हमले में हम भागीदार नहीं हो सकते। जब श्रीलंका सरकार लंबे चौड़े दावे कर रही है कि उन्होंने सरकार के विद्रोहियों को छोटे से क्षेत्र में सीमित कर दिया है और उन्हें नष्ट कर दिया तब यह कैसे हुआ कि उस सरकार द्वारा युद्ध विराम की घोषणा नहीं की गई है। क्यों निर्दोष लोग श्रीलंका की सेना की गोलाबारी के शिकार हो रहे हैं और उन पर हवाई हमले द्वारा क्लस्टर बम सहित बम बरसाए जा रहे हैं। हमारी भारतीय सेना, जो बड़ी मात्रा में निधि के आवंटन से एक बड़ी ताकत बनी है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसकी उपस्थिति में इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम मानते हैं कि हमारा सुरक्षा तंत्र बिना हमला किये इस द्वीपीय राष्ट्र में अभी भी शांति स्थापित कर सकता है। हमारी जबर्दस्त उपस्थिति ही पर्याप्त है। लेकिन अभी भी भारत सरकार को श्रीलंका के निर्दोष तमिलों के दुख-दर्द पर ध्यान नहीं दे रही है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि श्रीलंकाई तमिलों के हितों और अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। भारत सरकार को इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

तमिल प्रजाति जिसने इस द्वीपीय देश पर शासन किया था, जब औपनिवेशिक सरकारों ने इसे अपने शासन में लिया था, को समाप्त किया जा रहा है। प्रतिदिन सैंकड़ों निर्दोष तमिल मारे जाते हैं। बुनियादी चिकित्सीय देखभाल और सुविधाओं से वंचित, पर्याप्त खाद्य आपूर्ति के बिना श्रीलंकाई तमिल अपने देश में ही विस्थापित और शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं। जैसाकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका समझौते में परिकल्पना की गई थी कि श्रीलंका में अपने संविधान के ढांचे के भीतर उत्तरी और पूर्वी प्रांतों का विलय करते हुए एक तमिल प्रदेश बनाया जाना चाहिए। श्रीलंकाई तमिलों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। वहां शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल की जानी चाहिए। पहले कदम के रूप में, श्रीलंकाई सेना को शत्रुता की समाप्ति की घोषणा करनी चाहिए। मैं संघ सरकार से श्रीलंका और इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

हमारी सशस्त्र सेनाएं, जो निस्सहाय श्रीलंकाई तमिलों की मदद कर सकती है, उन्हें कम से कम हमारे भारतीय लोगों विशेषकर तमिलनाडु के मछुआरों को बचाने हेतु आगे आना चाहिए। यह खेद की बात है कि बहुत बड़ी सेना, जिसे इस संसद के माध्यम से बहुत बड़ी राशि आवंटित की जाती है, हमारे गरीब मछुआरों, जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अपना परंपरागत जीवनयापन कर रहे हैं, की सुरक्षा और बचाव करने में समर्थ नहीं है। मैं भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय से अपना उदासीन रवैया छोड़ने का

आग्रह करता हूं। श्रीलंकाई नौसेना के बर्बर आक्रमणों से हमारे भारतीय मछुआरों की रक्षा करने के लिए उन्हें त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।

हमारी सशक्त उपस्थिति से निर्दोष श्रीलंकाई तमिलों की रक्षा की जानी चाहिए। केवल विगत तीन वर्षों में श्रीलंकाई सशस्त्र सेनाओं द्वारा लगभग 700 तमिल मछुआरे मारे गये हैं। मै हमारे मछुआरा समुदाय की सुरक्षा और बचाव हेतु प्रार्थना करता हूं और भारत सरकार से उनकी सम्पत्ति और जीविका की रक्षा करने का आग्रह करता हूं। हमारे रक्षा बलों और भारत सरकार द्वारा उपयुक्त प्रभावी उपाय किये जाने चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र नागापट्टनम के मछुआरे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वे अपना परम्परागत व्यवसाय जारी रखने हेतु समुद्र में जाने से डरे हुए हैं। तमिलनाडु के मछुआरों को इस भय की मनोदशा से उबरने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब श्रीलंका में शांति और सामान्य स्थिति बहाल की जाए। जब तक युद्ध विराम की घोषणा नहीं की जाएगी वहां शांति नहीं हो सकती। वार्ता द्वारा राजनीतिक समाधान के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। अत:, श्रीलंकाई सरकार को समझाया जाना चाहिए और उन पर जोर डाला जाना चाहिए कि वे सभ्य सरकार के रूप में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करें। अत: भारत सरकार को इस कठिन परिस्थिति में तत्काल जिम्मेदारीपूर्ण प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर): महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-10 के लिए जो अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है, उससे देश के लगभग सभी वर्गों को निराशा हाथ लगी है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के प्रारंभ में ही कहा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आम आदमी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। अंतरिम बजट प्रस्तुत होने के पूर्व आम आदमी और दूसरे क्षेत्रों को उम्मीद थी कि लोक सभा चुनाव को देखते हुए उन्हें राहत देने के लिए कोई उपाय किया जायेगा लेकिन बजट में उद्योग, व्यापार जगत और आम आदमी को राहत देने वाली किसी घोषणा के नहीं होने से चौतरफा निराशा की स्थिति है। पूर्व वित्त मंत्री जी ने जुलाई 2004 में प्रस्तुत किये गये अपने पहले बजट भाषण में जिन सात स्पष्ट आर्थिक उद्देश्यों को गिनाया था, मौजूदा बजट में भी उसे दोहराया गया है लेकिन इस सच्चाई को छुपा लिया गया है कि पिछले पांच बजटों के दौरान किस हद तक उन उद्देश्यों को पूरा किया गया है। बजट भाषण में पिछले चार वर्षों के आर्थिक विकास दर की बढ़ोत्तरी का गुणगान तो किया गया है लेकिन देश की मौजूदा विकास दर जिस झंझावत में फंसी है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी तरह कहा गया है कि इस अवधि में राजकोषीय घाटा कम हुआ है। यह वर्ष 2003-04 में 4.5 प्रतिशत था जो कम होकर 2007-08 में 2.7 प्रतिशत हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने के दावे तथा आंकड़ों के खेल से देश का भला होने वाला नहीं है। सच्चाई यह है कि राजकोषीय घाटा इस समय 10 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इसका सीधा असर आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और उसका सबसे अधिक खामियाजा निम्न एवं मध्यम वर्ग को भुगतना पड़ेगा।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की चर्चा करते हुए अपने सरकार की उपलब्धियों की दिल खोलकर प्रशंसा की है लेकिन देश की वर्तमान आर्थिक हालत को नजरअंदाज कर गये हैं। सरकार भले ही यह दावा करती हो कि भारत वैश्विक मंदी का शिकार नहीं है लेकिन जिस तरह विकास दर धीमी पड़ गयी है और अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। अभी तक कई लाख नौकरीपेशा लोगों को रोजगार से हटा दिया गया है उससे चिंतित होना स्वाभाविक है। लोगों को अंतरिम बजट में किसी आर्थिक पैकेज की घोषणा की उम्मीद थी लेकिन इसमें आर्थिक मंदी से निजात दिलाने का कोई उपाय नहीं किया गया है। यह सच है कि विगत चार वर्षों में कई क्षेत्रों में आशाजनक प्रगति हुई है लेकिन यह भी सही है कि इन क्षेत्रों में सुधार की मांग होते हुए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। जैसे सरकारी खर्चों में कमी करने, श्रम क्षेत्र में सुधार की, घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की अथवा आधारभूत ढांचे के निर्माण की। देश का निर्धन वर्ग पहले की तरह ही बदहाल है लेकिन इनकी भलाई के लिए अंतरिम बजट में कोई घोषणा नहीं की गयी है और इन्हें पिछले पांच बजटों के प्रावधान के सहारे ही छोड़ दिया गया है। गरीबों के उत्थान के बारे में सरकार की सोच पर मुझे कोई संदेह नहीं है लेकिन उसके क्रियान्वयन में व्याप्त अव्यवस्था पर शिकायत जरूर है। निर्धनों के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई हैं लेकिन उसका वास्तविक लाभ उन्हें नहीं मिलता। लाख प्रयासों के बावजूद गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। इतनी कोशिशों के बाद भी अभी तक गरीबों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सका जबकि इनके उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं में धन का आवंटन हर साल बढ़ाया जाता है। हकीकत यह है कि इन योजनाओं में इतना अधिक भ्रष्टाचार है कि गरीबों के लिए दिल्ली से भेजे जाने वाले पैसे का अधिकांश हिस्सा नौकरशाह और बिचौलिये खा जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए पिछले बजटों की तरह इस अंतरिम बजट में भी किसी ठोस

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

उपाय की घोषणा नहीं की गयी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे भ्रष्ट सरकारी योजनाओं में बदल चुकी है। सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों से पहले ही यह तथ्य उजागर हो चुका है। भ्रष्टाचार के कारण निर्धन वर्ग के अधिकांश लोग इस योजना से वंचित रह जाते हैं। निवर्तमान वित्त मंत्री ने तो गत वर्ष सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया था कि राशन का 58 फीसदी हिस्सा लुटेरे डकार जाते हैं और ग्रामीण विकास की योजनाओं में लोगों तक एक रुपया पहुंचाने में चार रुपये खर्च हो जाते हैं। इसी भ्रष्टाचार और अनियमितता के चलते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जैसी महत्वाकांक्षी एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ गांवों, ग्रामीणों और अन्य व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है, जिसे सुधारने के लिए कड़े प्रावधानों और नियमों की आवश्यकता है।

महोदय, अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र को पिछले चार बजटों में दिये गये विशेष प्रोत्साहन का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि गत चार वर्षों के दौरान कृषि की वार्षिक वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत बढ़ गई है और इसे चार प्रतिशत के लक्ष्य तक ले जाना है। वास्तविकता यह है कि कृषि की मौजूदा विकास दर केवल 2.6 प्रतिशत पर अटका हुआ है। हमें इस हकीकत को स्वीकार करना होगा कि भारत वैश्विक मंदी की मार से यदि कम प्रभावित हुआ है तो इसकी असल वजह कृषि प्रधान देश का होना है। इस मंदी से सबसे अधिक वे देश प्रभावित हैं जो केवल उद्योगों पर निर्भर थे। वित्त मंत्री जी ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा है कि पिछले बजट भाषण में घोषित कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना किसानों को संस्थागत ऋण बहाल करने में सफल हुई है जिसके तहत अब तक 3.6 करोड़ किसानों को 65 हजार तीन सौ करोड़ रुपये का कुल ऋण माफी/ऋण राहत मिली है। वित्त मंत्री जी को इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा कि कर्ज माफी की घोषणा के बाद भी किसानों के आत्महत्या की घटनायें हुई हैं। इसकी वजह यह है कि किसानों का एक सीमित वर्ग ही बैंकों से संस्थागत कर्ज ले पाता है क्योंकि बैंकों के नियम इतने जटिल होते हैं कि छोटे और साधारण किसान इनकी शर्तों को पूरा नहीं करते। गत वर्ष जारी की गई वित्तीय समावेश पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के केवल 27 प्रतिशत किसान ही संस्थागत वित्तीय संस्थानों तक पहुंच रखते हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि बाकी किसान 36 से 48 प्रतिशत की ब्याज दर पर साहुकारों से कर्ज लेते हैं। किसानों के कर्ज के बोझ तले दबकर विवशता में आत्महत्या करने का यह एक बड़ा कारण है जिसके निराकरण का कोई ठोस उपाय बजट प्रस्ताव में नहीं किया गया है। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार किये बगैर किसानों को लंबे समय तक कर्ज के फंदे से नहीं बचाया जा सकता। बजट प्रस्ताव में तीन लाख रुपये तक के फसल ऋणों पर 7 प्रतिशत ब्याज दर को बरकरार रखा गया है। सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष डा. एम.एस. स्वामीनाथन की उस सिफारिश की अनदेखी कर दी गई है जिसमें कृषि ऋणों पर 4 फीसदी की ब्याज दर लागू करने का सुझाव दिया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण सुझाव को लागू करने के बारे में गंभीरता से विचार करें। साथ ही फसल ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाये क्योंकि ट्रैक्टर जैसे बड़े कृषि यंत्रों की कीमत 3 लाख से अधिक है। इसके साथ ही बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि बढ़ाई जाये। किसानों और कृषि क्षेत्र को तभी प्रोत्साहन मिलेगा जब खेती की लागत खर्च कम होगी और किसानों को उनके उत्पादन का वाजिब दाम मिलेगा। बजट प्रस्ताव में धान और गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने का तो उल्लेख है लेकिन उसका वास्तविक लाभ किसानों को कैसे मिले इसकी किसी सुनिश्चित व्यवस्था की चर्चा नहीं की गई है। व्यवहार में यह देखने को मिला है कि समर्थन मूल्य का अधिकाधिक लाभ बिचौलिये और बड़े व्यवसायी खरीद एजेंसियों की मिलीभगत से उठा लेते हैं और किसानों तक वह नहीं पहुंच पाता। अंतरिम बजट में गन्ने के बारे में कोई चर्चा नहीं है जिसकी खेती संकट में पड़ी हुई है और उसका रकबा लगातार घटता जा रहा है। हालत यहां तक पहुंच गए हैं कि सरकार चीनी का आयात करने के बारे में विचार कर रही है। मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं कि वह बंद और बीमार पड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करें। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत गत वर्ष तक 60.12 लाख मकानों के निर्माण का उल्लेख है, परंतु चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी लक्ष्य का उल्लेख नहीं है। मेरी मांग है कि इंदिरा आवासों की संख्या में वृद्धि करके बाढ़ प्रभावित जिलों को प्राथमिकता दी जाये तथा इसके आवंटन में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): महोदय, अंतरिम बजट वर्ष 2009-10 जो इस माननीय सदन में आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी ने प्रस्तुत किया है पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, श्री प्रणब मुखर्जी जी ने जो बजट इस सदन में दिया है, वह अंतरिम बजट है और इस बजट में कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन रखे गये हैं। इस बजट में राष्ट्र के प्रति बहुत लंबे-चौड़े वायदे नहीं किये गये हैं। इस बजट में जो कुछ भी दर्शाया गया है वह हमारी यूपीए सरकार की पिछली शानदार उपलब्धियां रही हैं। इस राष्ट्र के प्रति हमारे जो अच्छे

कार्यक्रम रहे हैं, इसमें उनका बखान किया गया है। हमारे आने वाले अगले चुनाव के लिए जो अंतरिम बजट दिया गया है, वह हमारे देश के आगामी कार्यक्रमों और नीतियों को निर्धारित करता है। महोदय, इस बजट में आम आदमी की बात रखी गयी है। सरकार ने जो पिछले प्रोग्राम दिये हैं, जिनमें विशेषकर यूपीए सरकार का जो नरेगा यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम को सारे हिन्दुस्तान में लागू किया गया है। उसके लिए यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री आदरणीय डा. मनमोहन सिंह जी और श्री प्रणब मुखर्जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं ने इस बार फिर इस कार्यक्रम के लिए तीस हजार सौ करोड़ रुपया रखा है।''

महोदय, जब हम गांवों में जाते थे, हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और जो गरीब आदमी था उसका बैंक में कोई एकाउंट नहीं होता था, लेकिन आज वह डिस्बर्सन ऑफ मनी यानी की हर एक गांव में छोटे से छोटा काम करने वाला आदमी का आज बैंक में एकाउंट है। जो सौ दिन का रोजगार उस गांव में दिया गया है, उससे उस गांव की व्यवस्था बदली है। आज गरीब से गरीब आदमी अपने उस पैसे का इस्तेमाल अपनी दिनचर्या के लिए कर रहा है। बहुत सी स्टेटों के लोग खासकर जो बीमारू स्टेट थीं, रोटी रोजी के लिए पलायन करते थे। बहुत से लोग उड़ीसा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश से पलायन करते थे और रोजी, रोटी की तलाश में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जाते थे। वह पलायन आज इस नरेगा कार्यक्रम यानी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत बहुत बड़े स्तर पर रुका है। आज गरीब आदमी अपने ही घर में बैठकर अपनी रोजी-रोटी कमा रहा है। मैं यह चाहता था कि यह प्रोग्राम और मैं आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो 100 दिन गारंटी का रोजगार है इसको बढ़ाकर 200 दिन का करें ताकि हमारे गांवों की व्यवस्था बदले।

इसी के साथ-साथ हमारी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 13,100 करोड़ रुपये रखे हैं। इस योजना से आज एक-दो किलोमीटर पर ही प्राइमरी स्कूल गांवों में खुल गए हैं। इससे जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनके लिए भी सुविधा हो गई है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से इस योजना को आगे बढ़ाया गया है। शिक्षा को एक नई दिशा दी गई है। स्कूलों में दोपहर के खाने के लिए 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे हमारे बहुत से स्कूलों में ड्रापआउट ज्यादा होते थे, बहुत से बच्चे स्कूलों में जाते नहीं थे, गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी की तलाश में, खासकर बच्चियों को स्कूलों में नहीं भेजते थे, इस मिड-डे मिल कार्यक्रम के तहत गांवों के गरीब से गरीब बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि इस सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम को जो एक स्टेट सब्जैक्ट है, उसको फंडामैंटल राइट्स बनाने का एक बिल सदन में आने वाला है। इसमें शिक्षा को अनिवार्य किया जाए और पढ़ाई-लिखाई प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। अभी इसको डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत स्टेट्स में रखा गया है। इसकी समय-समय पर मॉनीटरिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही जो पेरेन्ट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, उन पर कुछ न कुछ पिनल क्लॉज लगानी चाहिए। बच्चों को स्कूल में भेजना कंपलसरी होना चाहिए, शिक्षा बच्चों का अधिकार होना चाहिए। इसलिए जो बिल संसद में आने वाला है, इससे हमारी शिक्षा प्रणाली में ज्यादा से ज्यादा सुधार आएगा। इसके साथ ही आज क्वालिटी एजुकेशन की भी जरूरत है।

हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने हरेक राज्य में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा की है। इससे एजुकेशन को अच्छा बनाया जाएगा, इस सोसाइटी को नॉलिजियेबल सोसाइटी बनाया जाएगा। हमारे इन इंस्टीट्यूशन्स ऑफ एक्सेलैन्स में हमारे नौजवान रिसर्च और शोध का काम करेंगे। इन इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारी गांवों की इकोनॉमी बढ़ेगी और जो हमारे अलाइड डिपार्टमैंट्स हैं, चाहे वह एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट है, चाहे रिसर्च के यूनिट्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। जो कुछ हम आज कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके गांवों तक ले जाना पडेगा। इससे हमारा आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा। इन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हमारी नॉलेज सोसाइटी में अच्छे पढ़े-लिखे नौजवान सामने आएंगे और इस देश को एक नया रूप देंगे। इसके साथ ही इनफॉर्मेशन टेक्नोलाजी हरेक स्टेट में सरकार खोलने जा रही है जिससे साइंटिफिक टैम्पर नौजवानों में आएगा और नए-नए शोध किए जाएंगे। आईटी में हमने अब तक कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं। हमें वह वक्त याद है जब राजीव गांधी इसी सदन में बोल रहे थे कि मैं हिन्दुस्तान को बीसवीं और इक्कीसवीं सदी में ले जाना चाहता हूं। हमारे विपक्ष में बैठे उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के लोग राजीव गांधी की खिल्ली उड़ाते थे कि एक कम्प्यूटर बॉय इस संसद में आया है। आज हमें फख्र है कि हिन्दुस्तान आईटी में विश्व के बड़े-बड़े देशों का मुकाबला करके दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इससे जिस प्रकार का साइंटिफिक टैम्पर हमारे गांवों में आया है, वह प्रशंसनीय है। आज हम स्पेस के साथ जुड़े हैं। उसके इंटरप्रटेशन के लिए हमें जो मैप्स आ रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर सैक्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग उसकी इंटरप्रटेशन करके आज गांव-गांव में परिवर्तन का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए भी वर्तमान यूपीए की सरकार धन्यवाद की पात्र है।

[प्रो. चन्द्र कुमार]

इसी के साथ हमारी सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भारत निर्माण कार्यक्रम को शुरू किया है। आज शहरों और गांवों में फर्क नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हमारी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अंतरिम बजट में 40 हजार 900 करोड़ रुपये रखे हैं। इसी तरह से आरआईडीएफ के लिए सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपया गांवों को जोड़ने के लिए रखा है। गांवों में साफ पीने का पानी पहुंचाया है। सौ फीसदी बिजलीकरण का नारा दिया गया है। गांवों में थ्री फेज बिजली पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, जिससे हमारे नौजवानों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैरियर बनाने में सुविधा हो सके। हमारे देश की इकोनॉमी कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए हमारी कृषि में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। भारत निर्माण के माध्यम से सिंचाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे हर खेत में बिजली और पानी पहुंचेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।

महोदय, हमारी सरकार ने बजट के माध्यम से बहुत सी सामाजिक सुविधाओं को बढ़ाया है। वृद्धावस्था पेंशन पहले दो सौ रुपये केन्द्र और दो सौ रुपये राज्य सरकार देती थी। इस राशि को बजट के माध्यम से सरकार ने बढ़ाया है। इसके अलावा विकलांगता पेंशन और विधवा पेंशन का प्रावधान किया गया है। सरकार अभी विधवा पेंशन 40 से 62 वर्ष की महिलाओं को देता है; इसके अलावा 14 से 40 साल के बीच की विधवाओं को सरकार आईआईटी के माध्यम से प्रशिक्षण देती है और पांच सौ रुपये खर्च के रूप में दिया जाता है। लेकिन बहुत सी महिलाएं 21-22 वर्ष की उम्र में अकस्मात विधवा हो जाती हैं। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें बदलाव किया जाए और उन्हें भी विधवा पेंशन दी जाए ताकि हमारे गांवों में रहने वाली गरीब विधवाओं को सुविधा प्राप्त हो सके।

महोदय, मैं श्रीमती सोनिया गांधी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने गांवों की व्यवस्था को देखते हुए यूपीए सरकार को सुझाव दिए, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने कल्याणकारी रूप में लागू किया है। आज गांवों का नक्शा बदल गया है। ...*(व्यवधान)* मेरा निवेदन है कि देश के लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाए ताकि हम लोगों की गरीबी दूर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

***डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर): अन्तरिम बजट दस्तावेज साबित करता है कि संप्रग सरकार उन वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है जो उसने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए थे; एक के बाद एक बजटों में इसके दावे, जैसा कि हम सावधान करते रहे हैं, पूरी तरह झूठे साबित हुए हैं, और यह अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त दोनों के पूर्ण कुप्रबंधन की दोषी है। श्री प्रणब मुखर्जी ने सात उद्देश्य गिनाए हैं, जो श्री पी. चिदम्बरम ने अपने पहले बजट में बताए थे और दावा किया है कि सरकार ने उन्हें पूरा किया है।

वास्तव में, अर्थव्यवस्था 7 से 8% की सतत वृद्धि दर बनाये रखने के स्थान पर उसने अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर में छोड़ दिया है जो राजग सरकार द्वारा बनाई गई गति के समाप्त होते ही शुरू हो गई थी, यह मंदी इसके कुप्रबंधन के कारण आई है जिसे यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट की आड़ में छिपाने का प्रयास कर रही है।

जहां तक 'शिक्षा और स्वास्थ्य' का संबंध है संप्रग सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर और 3% स्वास्थ्य पर खर्च करने का वादा किया था। इसने शिक्षा के लिए राजस्व संग्रहित करने के लिए सभी करों पर 2% उपकर भी लगाया है। वास्तव में, परिव्यय कहीं भी किये गये वादे के स्तर के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से यह धान खर्च किया गया है उसमें पारदर्शिता नहीं है और राजग सरकार द्वारा शुरू किये गये सर्व शिक्षा अभियान को जारी रखने के अलावा, इस सरकार ने इस क्षेत्र में और कुछ भी नहीं किया है।

लाभदायक रोजगार का सृजन करने और निवेश को बढ़ाने के स्थान पर यह अपने पीछे ऐसी अर्थव्यवस्था छोड़ रही है। जिसमें कम से कम एक करोड़ लोग जिनके पास हाल ही में रोजगार था अब बेरोजगार हो गए हैं, और पूरे देश में निवेश कम हो रहा है।

जबकि सरकार ने प्रत्येक परिवार में कमाने वाले को न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया था, इसका अपना प्रतिवेदन और नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दर्शाता है कि वास्तव में 14% मामले में वादे के मुताबिक रोजगार दिया गया है; इसके अतिरिक्त इसमें व्यापक भ्रष्टाचार और गबन हुआ है।

जहां तक "कृषि, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे" पर ध्यान देने की बात है। कृषि में वृद्धि दर केवल उन्हीं वर्षों में अच्छी रही है जब मानसून अच्छा रहा है-किसानों के हित सुनिश्चित करने के स्थान पर, इसकी नीतियों के कारण किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, 2009 के केवल 47 दिनों में केवल विदर्भ में 112 किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गई हैं ये वही किसान हैं जिन्हें वित्त मंत्री ने "भारत की सफलता की कहानी का वास्तविक नायक" बताया है। इसी तरह, आधारभूत ढांचे पर ध्यान केन्द्रित करने के स्थान पर आधारभूत ढांचे के विकास का कार्य बिल्कुल ठप्प पड़ गया है-यह एक तथ्य है जिसका उदाहरण है राष्ट्रीय राजमार्ग

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कार्यक्रम। शोचनीय स्थिति इस कार्यक्रम की परियोजना पूरी करने की दर 2004-05 में 81 प्रतिशत थी जो अब लगभग 50 प्रतिशत रह गई है।

''राजकोषीय समेकन में तेजी और सुधार'' का दावा अब सभी को हास्यास्पद लगता है; न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यूपीए सरकार ने वर्ष 2009 तक केन्द्र का राजस्व घाटा समाप्त करने का वायदा किया था, ताकि सामाजिक और भौतिक अवसंरचना में निवेशों के लिए अधिक संसाधन जारी किये जा सकें। वास्तव में, वित्त मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पादन का 4.4 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन का 6 प्रतिशत होगा। हालांकि, वित्त मंत्री अंतरिम बजट में भी सच नहीं बता रहे हैं। जनवरी 2009 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अनुमान है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 8 प्रतिशत होगा। हमारे हिसाब से यह भी अनुमान कम है। राजस्व में भारी कमी के चलते, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन के 10 प्रतिशत से अधिक होगा। राज्यों के घाटे जुड़ते ही, यूपीए सरकार की शासन अवधि में देश को अप्रत्याशित राजकोषीय संकट का सामना करना पड़ेगा।

जहां तक ''अधिक और कुशल राजकोषीय प्रावधान जारी करना सुनिश्चित करने की'' बात है, इसकी सीमा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। जहां तक इसे अधिक कुशल बनाने की बात है, यूपीए सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। यूपीए सरकार ने ''आम आदमी'' के नाम पर पिछले पांच साल देश पर शासन किया है और फिर भी यह आम आदमी ही है, जिसने इस शासन के दौरान केवल अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के कारण सबसे अधिक तकलीफें उठाई हैं। आम आदमी ने अनिवार्य वस्तुओं में अंधाधुंध मूल्य वृद्धि के कारण पहले कभी इतनी मुश्किलें नहीं उठाईं, जो आज भी निरंतर मूल्य वृद्धि, आजीविका का न रहना, आर्थिक असुरक्षा और जान-माल की असुरक्षा में वृद्धि के साथ जारी है।

अंतरिम बजट ने यह सिद्ध कर दिया है, जिसका हम लगातार दावा कहते रहे हैं, अर्थात् 28 फरवरी, 2008 को श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत बजट धोखा है। उस बजट की आज व्यय और राजस्व दोनों के मामले में धज्जियां उड़ गई हैं। उन्होंने व्यय की विभिन्न मदों का अल्प वित्तपोषण और अन्य विभिन्न मदों का वित्तपोषण न करके एफआरबीएम लक्ष्यों के अनुसार होने का दावा किया था। वह और उनकी सरकार के चेहरे से नकाब उतर चुकी है। आज देश पहले ही गहरे आर्थिक संकट में है, इसलिए सरकार का पहला कर्त्तव्य सुदृढ़ और प्रभावी प्रति-उपाय करना है। वित्त मंत्री का वक्तव्य दर्शाता है कि यूपीए सरकार ने अपने उत्तरदायित्वों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत): अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि इससे सारे देश में बहुत निराशा व्याप्त हुई है। खास कर इंडस्ट्री के लोगों को लगता है कि आज की जो स्थिति है, आगे आने वाले दिनों में इससे भी भयंकर स्थिति हो जाएगी। कहा गया है कि इंफ्लेशन रेट कम हो रहा है, लेकिन इसका कोई इंपेक्ट नहीं हुआ है। महंगाई ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस बारे में भी माननीय मंत्री जी ने कोई कदम नहीं उठाया है।

अपराह्न 1.00 बजे

मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा चांस गंवाया है।

[अनुवाद]

सरकार ने अवसर गंवा दिया है।

[हिन्दी]

क्योंकि आने वाले तीन-चार महीने के बाद, चुनाव के बाद जो बजट आएगा, उसमें कोई नयी स्कीम आएगी, लेकिन इन चार महीनों में इंडस्ट्री की हालत कितनी खराब हो जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं रखा, जिससे कि उसे प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले। आज सरकार कहती है कि एम्प्लायमेंट दिनोंदिन घट रहा है, छंटनी हो रही है। माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि छंटनी मत करो, चाहे पगार कम करो, लेकिन आप यूनिट चालू रखो। मेरा जो अनुभव है, टैक्सटाइल और डायमंड की जो स्थिति है, इसे देखते हुए मैं कहूंगा कि सरकार जानबूझ कर इंडस्ट्री में कैसे बेरोजगार ज्यादा बढ़े, यह काम सरकार कर रही है, इसका हमें बहुत दुख है।

अपराह्न 1.01 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

सभापति महोदय, डायमंड की स्थिति यह है कि आज 60 परसेंट डायमंड यूनिट्स बंद हैं। हमारे जो रत्न कलाकार हैं, वे माइग्रेट कर रहे हैं। उनके जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसी हालत में वे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं। सरकार ने सोशल स्कीम में बजट में जो बढ़ोत्तरी की, उसमें अरबों रुपया बढ़ाया, लेकिन जो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी ट्यूशन फीस, शिक्षा के लिए फीस कैसे दी जाए, उसकी व्यवस्था

[श्री काशीराम राणा]

के लिए सरकार ने इसमें कुछ नहीं दिया। आने वाले दिनों में डायमंड, जिसके एक्सपोर्ट से सरकार को करीब एक लाख करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन आज वहां हालत ऐसी है कि एक्सपोर्टर और कारखाने के मालिक रोड पर आ गए हैं। सरकार ने इस उद्योग के प्रति बिलकुल अनदेखी की है, जो हमें जबरदस्त एक्सपोर्ट रेवेन्यू दे रहे हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं दिया। हम मांग करते हैं कि डायमंड इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार को बहुत जल्द कदम उठाना चाहिए। हमारी जो हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी है, इससे जो रफ निकलती है, उसे पालिश करने के लिए कारखाने वालों को देनी चाहिए, जिससे कि वे अपना काम चालू रखें और जो पालिश डायमंड है, सरकार उसे अभी कुछ समय के लिए परचेज करके अपने पास रखे, तो मुझे लगता है कि उस कारखाने में आज जो करीब 7 लाख लोग बेकार हुए हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। हिन्दुस्तान डायमंड से रफ लेकर पालिश करने के लिए देना और बाद में सरकार उसे ले ले तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वे फैक्ट्रियां चल सकती हैं।

सभापति महोदय, आज जैसे हम गांवों में रोजगार गारंटी स्कीम चलाते हैं, उसे शहरों में चलाने के लिए भी सरकार सोच रही है। हमारे जो लाखों कारीगर डायमंड से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम बेकारी भत्ता दें ताकि उन्हें जीने का सहारा मिले। सरकार का डिसीजन है कि जो फैक्ट्री ले-ऑफ हो चुकी है, उसके जो वर्कर्स हैं, उन्हें 50 परसेंट भत्ता हर रोज की जरूरत के लिए देना चाहिए। उन्हें बेकारी भत्ता भी नहीं दिया। उनके लिए अंतरिम बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए था। माननीय वित्त मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले साल इंडस्ट्रियल ग्रोथ आठ, सवा आठ परसेंट था, वह आज चार परसेंट पर आ गया है। प्रोडक्शन ग्रोथ आधा हो चुका है, उसका इफेक्ट हमारे वर्कर्स पर क्या होगा। वे बेकार घूम रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अपने बच्चे को कुएं में डाल रहे हैं, उसकी बीवी का क्या हाल होता है। वे आज इतनी खराब स्थिति में जी रहे हैं। जहां तक टैक्सटाइल का सवाल है, मैंने जैसा कहा कि सरकार जानबूझ कर बेरोजगारी बढ़ाने के लिए काम कर रही है, इसका ताजा नमूना टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज है।

सभापति महोदय, टैक्सटाइल में जो प्रोसेसिंग हाउस हैं, उससे वीविंग और एंसिलियरी इंडस्ट्री चलती हैं। आज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो गैस मिलनी चाहिए, लेकिन गेल ने आज 70 परसेंट गैस की सप्लाई में कटौती कर दी।

मान्यवर, गैस की सप्लाई में जो 60 से 70 परसेंट की कटौती की गई है, उसकी मैं कुछ फिगर्स देना चाहता हूं। 1 अप्रैल, 2008 को जो गैस सप्लाई मिलती थी, वह 3.50 एम.एम.एस.सी.डी. थी, वह 1 अप्रैल, 2008 के बाद 2.70 एम.एम.एस.सी.डी. हमें मिली। उसमें भी और शॉर्टेज हो गई। अब 0.98 एम.एम.एस.सी.डी. गैस की कमी, यानी 30 परसेंट कटौती और कर दी। अब हमें जो गैस मिल रही है वह 1.4 एम.एम.एस.सी.डी. गैस मिल रही है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है 3.50 एम.एम.एस.सी.डी. गैस की है। इस प्रकार 65-70 परसेंट की शॉर्टफाल है।

हम पैट्रोलियम मंत्री से रिक्वैस्ट करते हैं, गेल के ऑफीसर्स से रिक्वैस्ट करते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। गेल के ऑफीसर्स कहते हैं कि आप गुजरात गैस कंपनी के पास जाइए, क्योंकि हम तो उसे गैस की सप्लाई करेंगे। हमारी कमनसीबी है कि हमारी बात न सरकार सुनती है और न ही अधिकारी। इससे हुआ यह है कि जो गैस हमें ताप्ती फील्ड से मिलती थी, वह भी ट्रिपिंग की वजह से नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति पूरी इंडस्ट्री की हो चुकी है। गैस सप्लाई में कटौती गेल के प्रोसेसिंग अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से आज पूरी प्रोसेसिंग और टैक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। जिस प्रकार से डायमंड इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है, उसी प्रकार से टैक्सटाइल इंडस्ट्री भी खत्म होती जा रही है। ऐसी स्थिति से उसे उबारने के लिए जो काम तीन-चार महीनों में करना था, वह भी नहीं किया गया ...*(व्यवधान)* मधुसूदन जी, आप जानते हैं, फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं। आप जानते हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो मरने जा रहे हैं, उन्हें आपकी सरकार क्यों सहायता नहीं देती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री, जब आपकी बारी आए आप तब ही बोलें। कृपया व्यवधान न डालें। वह अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा के संबंध में ही बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: मान्यवर, मैं कहूंगा कि डायमंड इंडस्ट्री को बचाने के लिए आर.बी.आई. ने अभी-अभी एक टास्कफोर्स बनाई है। अहमदाबाद में उसकी एक मीटिंग भी हुई। जब मैंने रेवेन्यू सेक्रेट्री, भिंडे जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी एक और मीटिंग मुम्बई में होगी। उसके बाद जो रिपोर्ट हमारे पास आएगी, उस पर हम डिसीजन लेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूरे सम्मान के साथ कहूंगा कि टास्कफोर्स की रिपोर्ट उन्हें आज या कल मिल जाएगी और मुम्बई मीटिंग की रिपोर्ट भी उन्हें मिल जाएगी, तो डायमंड इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो कदम हैं, वे तुरन्त उठाने चाहिए। जैसा मैंने कहा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज बिलकुल खराब स्थिति में है, जिसके कारण आने वाले दिनों में वह बैंक

नहीं हो सकेगी। इसे बचाने के लिए 1 अप्रैल, 2008 में जो गैस की सप्लाई थी, उतनी ही सप्लाई तुरन्त बहाल की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यह इंडस्ट्री बचने वाली नहीं है। हमारा जो टेक्नोलोजी मिशन फंड था, उसका जिस प्रकार से यूज होता है और जितनी उसमें सब्सिडी की रकम देनी चाहिए, उसे भी सरकार नहीं देती है। 2000 करोड़ रुपये की बजाय केवल 1400 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान अब किया गया है। इसके कारण कोई भी इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए बैंक को एप्लीकेशन नहीं देती है और बैंक किसी की एप्लीकेशन लेती नहीं हैं। इसलिए पूरा का पूरा मॉडर्नाइजेशन का काम ठप्प हो चुका है।

मान्यवर, ऐसी स्थिति में जब बजट आता है, तो उसे लोगों से कुछ आशा होती है, लेकिन इस बजट में कोई होप नजर नहीं आ रही है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि डायमंड और टैक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): सभापति महोदय, डायमंड इंडस्ट्री को बचाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से एक पैकेज जारी किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

***श्री फ्रांसिस फैन्थम** (नामनिर्दिष्ट): महोदय, संसद में 16 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2009-10 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अंतरिम बजट के प्रावधानों और अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए, मैं लेखानुदानों पर कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

अंतरिम बजट और लेखानुदान अगले चार महीनों के दौरान किये जाने वाले व्यय के लिए अस्थायी स्वीकृतियां हैं। चौदहवीं लोक सभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए वित्त मंत्री ने छुटपुट देने से परहेज किया है और 15वीं लोक सभा में राजकोषीय और आर्थिक कदम सरकार के लिए छोड़ दिए हैं।

सामान्यत: चुनाव की सन्ध्या के बजट प्रस्तावों से उत्साहित बाजार राजकोषीय बुद्धिमत्ता का प्रभावशाली प्रदर्शन थे। परिणामस्वरूप, बाजार ने लगभग 300 अंकों की गिरावट दर्शाई, लेकिन यूपीए सरकार का विश्वास आम जनता में बढ़ा, जो समझती है कि कठिन समय में व्यावहारिकता और लोगों की बुद्धिमानी में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है।

डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व और श्रीमती सोनिया गांधी के कार्याधीशत्व में यूपीए सरकार विश्व इतिहास में आर्थिक उलट फेर के उस सर्वाधिक कठिन चरण में अर्थव्यवस्था को उचित ढंग से संभालने का श्रेय ले सकते हैं, जिसमें अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी और आर्थिक गिरावट, तथा संपन्नता के अभाव का सामना कर रही हैं जिसके कारण बेरोजगारी और कटौतियां हो रही हैं, हम निरंतर उथल-पुथल का सामना करते हुए अपेक्षाकृत अधिक समुत्थानशील रहे हैं, जबकि हमारी आर्थिक विकास पिछले तीन वर्षों में 9 प्रतिशत से अधिक से गिरकर लगभग 7 प्रतिशत हो गया है।

कुछ लोगों के शब्दाम्बर के बावजूद, राष्ट्र की विकास की गति लगभग 3.6 प्रतिशत मुद्रास्फीति के समायोजन के बावजूद अब भी सकारात्मक है, जो देश को विश्व में सर्वाधिक तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करती है।

महोदय, वैश्विक मंदी के प्रभाव का सामना करने के लिए राजकोषीय उपायों के अभाव में जहां अंतरिम बजट में शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कुछ हद तक उपेक्षा हुई है। वहीं भारत निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शामिल हैं के लिए एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये के अधिक आवंटन के साथ आम आदमी के हितों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उपायों के अभाव के कारण जहां अंतरिम बजट में शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक उपेक्षा हुई है।

इसके अतिरिक्त रक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक लाख इकतालीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये आवंटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान देने और आर्थिक विकास का लाभ देश के निर्धनतम लोगों तक पहुंचाने की संप्रग सरकार की प्राथमिकता को दर्शाते हैं। संप्रग नेतृत्व की यही प्राथमिकता है। आगामी चुनावों और संसाधन जुटाने के लिए बरते जा रहे संयम के संदर्भ में यह एक प्रशंसनीय कार्य है।

सभा में इस बात का उल्लेख किया गया कि औद्योगिक उत्पादन में कमी के कारण रोजगार क्षेत्र पर पड़ रहे दबाव पर ध्यान देने में मौजूदा सरकार विफल रही है। महोदय, औद्योगिक विकास को उभरते हुए बाजारी रुझानों और नई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता है अत:, ऐसा कौशल पैदा करने की आवश्यकता है जो कि नए बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके न कि ऐसा कौशल जो कि आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध करता रहे। संप्रग सरकार ने कार्य योजना तैयार करके और ऐसी एजेंसियों का गठन करके जो कि भविष्य के लिए आवश्यक कौशल पर ध्यान देंगी, इन रुझानों की ओर ध्यान दिया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री फ्रांसिस फैन्थम]

कई सदस्यों ने देश की सुरक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की है। इस विषय पर अधिक पेशेवर रवैये के साथ और देश की सुरक्षा में लगे व्यक्तियों को उपलब्ध करवाये जाने वाले उपकरणों को आधुनिक बनाने की दिशा में ध्यान देते हुए विभिन्न स्तरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस, अर्ध सैनिक बलों और सशस्त्र बलों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता है:

- सूचना और दूरसंचार प्रौद्योगिकी में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं
- सतर्क निगरानी
- उत्कृष्ट गोला बारूद
- सुरक्षा उपकरण
- विश्वसनीय आसूचना जानकारी
- बुलेट प्रूफ वाहन
- और पेशेवर क्षेत्र में उभरते हुए रुझानों के साथ अद्यतन बने रहने की क्षमता का निर्माण।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक आम सुरक्षा कर्मी जिस सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देता है। उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। सेनाओं को सतर्क रखने की आवश्यकता है ताकि वे राष्ट्र के सम्मुख आ रही चुनौतियों के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी के महत्व को महसूस कर सकें।

महोदय, बालिकाओं की शिक्षा पर और उन्हें दिये जाने वाले सम्मान की ओर ध्यान दिये जाने पर भी उनके लिए समर्थकारी प्रावधानों में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों को विवशता, अभाव, भय, उत्पीड़न के बंधन से मुक्त करने और मुख्यधारा से अलग रहन की मनस्थिति से उबारने के लिए अधिक समर्थकारी प्रावधानों की आवश्यकता है। संप्रग सरकार द्वारा आरंभ की गई इस यात्रा को 15वीं लोक सभा के कार्यकाल में एक तर्कसंगत मंजिल की ओर बढ़ते हुए देखकर संतोष होता है।

सभापति महोदय: श्री कुप्पुसामी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय, मैं सभा के माननीय नेता और विदेश मंत्री और वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरिम आम बजट पर आम चर्चा में अपनी पार्टी डीएमके की ओर से भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री कुप्पुसामी आप अपना भाषण जारी रखें। वे शोरगुल करते रहेंगे।

...(व्यवधान)

श्री सी. कुप्पुसामी: जैसाकि नाम से ही पता चलता है, लेखा अनुदान, अगले वित्त वर्ष 2009-2010 के पहले तीन या चार माह के व्यय का प्रावधान करने हेतु एक अंतरिम बजट है, चूंकि मई में 14वीं लोक सभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और देश में नई लोक सभा के लिए आम चुनाव होने जा रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया शोर न करें। केवल श्री कुप्पुसामी को ही बोलने की अनुमति है। श्री कुप्पुसामी आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री सी. कुप्पुसामी: वैश्विक मंदी के इस दौर में डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व और श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने इस स्थिति का सामना करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं *...(व्यवधान)*

सरकार ने निर्धन लोगों तक और धनराशि पहुंचाने के साथ-साथ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को संकट से उबारने हेतु पैकेज प्रदान किये हैं जिससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। तथापि नियोक्ता इन प्रोत्साहन पैकेजों का लाभ कर्मचारियों को प्रदान नहीं कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री कुप्पुसामी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सी. कुप्पुसामी: सरकार सभी उद्योगों को स्पष्ट रूप से बता दे कि किसी प्रकार की छंटनी नहीं होनी चाहिए और सभी कामगारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। श्रम मंत्रालय के नवीनतम आकलनों के अनुसार अक्तूबर से दिसम्बर 2008 के बीच पांच लोगों की नौकरियां चली गई तथा यह संख्या वास्तविक संख्या से काफी कम है।

भारतीय श्रम सम्मेलन के 42वें सत्र को संबोधित करते हुए हमारे माननीय मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि नौकरियों की रक्षा की जाएगी चाहे इसके लिए विभिन्न स्तरों पर क्षतिपूर्ति में कुछ कमी करनी पड़े।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, कृपया मुझे अपने भाषण के शेष भाग को सभा पटल पर रखने की अनुमति दें।

*अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। अत: स्थिति बहुत गंभीर है तथा स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ठोस कार्यवाही करे।

भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाई जाए। मेरे विचार में न्यास ने भविष्य निधि पर ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों से मिलने वाली ब्याज दर अधिक है। इसी तरह ऐसे क्षेत्र के कामगार, जिन पर महंगाई की मार अधिक पड़ती है, को उच्च दर पर ब्याज दिया जाए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह मामूली वृद्धि है और रुपए की घटती कीमत को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर को कम से कम 11 प्रतिशत तक किया जाए। इसी तरह कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के अंतर्गत कामगारों को दी जा रही पेंशन को भी बढ़ाया जाए क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि है।

हथकरघा बुनकर योजना-किसानों के बाद सर्वाधिक प्रभावित बुनकर हैं। सरकार ने हाल ही में बुनकरों के लिए कुछ बीमा योजनाएं चलाई हैं। लेकिन हथकरघा बुनकरों की दशा को सुधारने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सरकार हथकरघा क्षेत्र के लिए विशेष नीति बनाए। सरकार को हथकरघा उत्पादों पर अधिक राजसहायता देनी चाहिए। आर्थिक बदहाली से ग्रस्त हथकरघा बुनकरों के लिए एक हथकरघा बुनकर कल्याण निधि बनाई जाए।

चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना-जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन को शहरी बुनियादी संरचना तथा सेवाओं के समेकित विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए शुरू किया गया था। वर्ष 2009-10 के लिए 11842 करोड़ रुपये के आवंटन का मैं स्वागत करता हूं। पहले चरण में चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के तहत वाशरमैनपेट से चेन्नई हवाई अड्डे तक की सेवा को स्वीकृति दी गई है। तमिलनाडु को माननीय मुख्यमंत्री अभ्यावेदन दिये जाने पर मेट्रो परियोजना को थिरुवोत्तीपुर से चेन्नई हवाई अड्डे तक विस्तार की संभावना पर विचार करने की सलाह दी जा रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह प्रस्ताव पर विचार करे तथा चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पहले गलियारे के लिए शीघ्र स्वीकृति दे जो थिरुवोत्तीपुर से चेन्नई हवाई अड्डे तक प्रस्तावित है।

आवास क्षेत्र में वृद्धि-आवास क्षेत्र में मंदी से लड़ने के लिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नए घरों की मांग में वृद्धि के लिए आवास ऋण के ब्याज दरों में और कटौती करें। आवास ऋण पर आयकर में छूट को 1.5 लाख से बढ़ा 3 लाख किया जाए। इसी तरह निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए जहां अधिकतर असंगठित क्षेत्र के कामगार काम करते हैं। इस्पात और सीमेंट पर उत्पाद शुल्क में कमी की जाए। मैं आगे अनुरोध करता हूं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए शहरी आवास योजना के लिए और अधिक धनराशि आवंटित की जाए। इसी शहरी क्षेत्रों में गरीब और कमजोर तबके के लिए विशेषकर चेन्नई महानगर के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए समुचित धनराशि आवंटित की जाए।

माननीय मंत्री स्मरण करें कि पिछले बजट में खारे जल (समुद्र जल) को पेयजल में बदलने के लिए एक योजना शुरू की गई थी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस योजना में तेजी लाए ताकि चेन्नई के लोग अविलंब इस योजना के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल पा सकें।

नदियों को परस्पर जोड़ना-हमारे मुख्यमंत्री डा. कलैंगनर ने हाल ही में राज्य स्तर पर नदियों जैसे तमीराबसनी और राज्य की अन्य नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य का उद्घाटन किया है। जिससे सिंचाई के लिए जल निकायों में जल की उपलब्धता बढ़ेगी। केन्द्र सरकार को नदियों को परस्पर जोड़ने के अंतर्गत इस परियोजना को वित्तीय सहायता देनी चाहिए जिससे पानी की कमी काफी समय के लिए दूर हो जाएगी।

पोंगल उपहार-डा. कलैंगनर ने तमिल उत्सव और तमिल नव वर्ष के अवसर पर लोगों को पोंगल का उपहार दिया है जोकि 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। पोंगल उपहार के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आम लोगों को चावल, दाल, गुड़, काजू, किशमिश का वितरण किया गया। मैं सुझाव देता हूं कि केन्द्र सरकार देश के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण त्योहारों जैसे-होली, ओणम, दुर्गा पूजा के लिए ऐसी योजना शुरू कर सकती है। तमिलनाडु में सभी लोगों ने इस योजना की सराहना की है और यह बहुत लोकप्रिय हुई।

एलपीजी की कीमत घटाई जाए-सरकार द्वारा एलपीजी सिलेण्डरों जिनका उपयोग घरेलू कार्यों के लिए होता है, की कीमतों की समीक्षा की जाए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कीमत में और कमी करे ताकि गरीब लोगों को कुछ राहत मिल सके और जैसा कि पेरारींगा अन्ना ने कहा था कि सरकार गरीबों की मुस्कुराहट में भगवान को देख सके।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना-हम अपने कर्मठ सड़क तथा पोत परिवहन मंत्री श्री बालू को बधाई देते हैं जिन्होंने हमारे नेता डा. कलैंगनर के आशीर्वाद से स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को अब तक 85 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कर उल्लेखनीय प्रगति की है।

*.....*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सी कुप्पुसामी]

सभी राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों की निर्माण मरम्मत की गई है तथा उन्हें चौड़ा किया गया है मजबूत भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।*

[हिन्दी]

***श्री किशन सिंह सांगवान** (सोनीपत): महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने दिनांक 16.2.09 को संसद में जो अंतरिम बजट पेश किया है वह बड़ा ही निराशाजनक है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अपने पिछले चार साल की उपलब्धियों का बखान किया है। इसमें नया कुछ नहीं है। बजट भाषण के 18 पृष्ठों में से लगभग 14 पृष्ठों में केवल मौजूदा यू.पी.ए. सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का एक विवरण दिया है। सिर्फ चार पन्नों में अगले वित्त वर्ष 2009-10 की बात की है। वित्त मंत्री जी ने सरकार को केवल सलाह दी है कि अगले चार साल में उसे क्या करना चाहिए, लेकिन कोई कदम उठाने का एलान नहीं किया। इन्होंने बदलती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर राजकोषीय घाटे की समीक्षा की सलाह भी दे डाली। अपने बजट भाषण के निष्कर्ष में इन्होंने फिर से सरकार के चार साल की उपलब्धियों का बखान कर डाला।

जहां तक किसान और कृषि का संबंध है, किसानों के लिए मात्र सब्सिडी जारी रखने की बात कही गई है। किसानों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई। आज किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। किसानों द्वारा आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। किसान लगातार कर्ज में डूब रहा है। न उसको बिजली मिलती है, न पानी मिलता है और न ही लाभकारी मूल्य मिलते हैं और न ही समय पर अच्छा खाद व बीज मिलता है। सरकार का लगभग 65000 करोड़ रु. कर्ज माफी की घोषणा से आम किसान जो व्यावहारिक आदमी है, उसको कोई लाभ नहीं हुआ है। इस कर्ज माफी से या तो बैंकों की डूबी हुई रकम वसूल हुई है या हैबिचुअल डिफाल्टरस को लाभ हुआ है। सरकार ने गेहूं का मूल्य 80 रु. प्रति क्विंटल बढ़ाकर किसानों का अपमान किया है। जबकि किसान खेती के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करता है उन सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार विदेशों से 1500 रु. प्रति क्विंटल गेहूं खरीद रही है। जिसको पशु भी नहीं खाते। लेकिन अपने किसान को पूरी कीमत नहीं दे रहे हैं। इस सरकार ने पूरे 5 वर्षों में किसानों के लिए कोई कृषि नीति नहीं बनाई, केवल किसानों का कर्जा उतारने के लिए और अधिक कर्जा देकर झूठी वाहवाही लूटी जा रही है। सरकार ने पूरे 5 वर्षों में यह स्पष्ट नहीं किया कि कृषि के बजट में कितने प्रतिशत रुपया आबंटित किया गया है और न ही कृषि में विकास दर कितनी बढ़ी है इसका उल्लेख किया है, केवल 4% विकास दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए कहा गया है। जो यह सरकार पूरा नहीं कर पाई है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, चुनाव की चुनौती और अंतरिम बजट की संवैधानिक मर्यादा के बीच संतुलन के प्रयास में उद्योग जगत को भूल ही गए। जहां तक मार्किट का, स्टाक मार्किट का सवाल है तो सरकार ने कोई एलान नहीं किया, जिससे सेंसेक्स फिर लुढ़कना शुरू हो गया। अर्थव्यवस्था एक असाधारण दौर से गुजर रही है। इसमें सरकार की ओर से असाधारण कदम उठाने की भरपूर गुंजाइश थी। मंदी के बावजूद सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान विकास दर 7.1 फीसदी रहने की उम्मीद जताई है। सरकार के आंकड़े सही तस्वीर पेश नहीं करते। अर्थव्यवस्था का हर सैक्टर धीमेपन का शिकार हो रहा है। हर कारोबारी यह उम्मीद लगाए बैठा था कि सरकार इस परेशानी से पार लगाएगी। वह निवेश बढ़ाने के कदम उठाएगी। परन्तु ऐसा कुछ न हुआ, वित्त मंत्री जी ने राजनैतिक रूप से सुरक्षित रास्ता पकड़ा और एक भी नई घोषणा नहीं की।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने नरेगा और भारत निर्माण जैसी फ्लैगशिप योजनाओं के लिए घोषणाएं तो की लेकिन इन्होंने इनका आबंटन नहीं बढ़ाया।

इस बजट में रक्षा बजट पर जरूर कुछ ध्यान दिया गया जिसमें पूंजीगत खर्च भी शामिल है, परन्तु इससे सेवानिवृत्त सैनिकों को शायद ही कोई लाभ मिलेगा। ये रिटायर्ड सैनिक एक पैंशन एक रैंक के लिए काफी लम्बे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने अपने मैडल जो उन्हें देश की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिये गये थे तथा जिन्हें वे अपनी छाती से लगाकर रखते थे, माननीय राष्ट्रपति [illegible]ग, को सामूहिक रूप से लौटा दिए थे। हमारे लिये इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है।

महोदय, इस बजट में डाक विभाग में आम आदमी की सेवा करने वाले कर्मचारी जो लगभग 3 लाख की संख्या में हैं, जिन्हें ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है, जो गांवों की जनता के लिए डाकघर बचत बैंक, डाकघर पत्रों, लघु बचत योजना, वृद्धावस्था पैंशन का भुगतान करना, रोजगार गारंटी के काम में मदद करना इत्यादि सेवाओं में लगे हुए हैं, उनके साथ भी बहुत अत्याचार हो रहा है। न उनका कोई वेतनमान है, न कोई अवकाश, न रिटायरमेंट के लाभ मिल रहे हैं और न ही छठे वेतन आयोग में भी इनकी सेवाओं को शामिल किया गया है। ये कर्मचारी आज संघर्ष पर उतारू हैं। इनके लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, मैं जाट समाज को हरियाणा राज्य व केन्द्र स्तर पर पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग निम्नलिखित सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक ठोस कारणों के आधार पर करता हूं।

देश स्वतंत्र होने के बाद सामाजिक तौर पर पीड़ित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों को लाभ देकर दस वर्ष बाद समीक्षा का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए संविधान की धारा 340 के तहत पहले 20 जनवरी, 1953 को केलकर कमीशन, जिसकी रिपोर्ट संसद में पेश नहीं हुई तथा बाद में 1 जनवरी, 1979 को बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग गठित किया, जिसने रिपोर्ट 30 दिसम्बर, 1980 को दी व जिसे 13 अगस्त 1990 को लागू किया गया। कमीशन ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार मानते हुए रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 40 पर अहीर, कुर्मी, कोहारी व जाट आदि जातियों को अन्य पिछड़ी जाति माना है तथा जाटों का सामाजिक स्तर भी अन्य पिछड़ी जातियों अहीर, गुर्जर, सैनी, लुहार, कुम्हार, सुनार, खाती व कम्बोज के समान माना है।

महोदय, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 44 पर ग्रामीण श्रमिक तथा किसान जातियों को शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा माना है। हरियाणा में 90% से अधिक जाट गांवों में रहकर खेती करते हैं। रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 28 पर 4 एकड़ जमीन के एक किसान को उदाहरण देकर पिछड़ा सिद्ध किया है। हरियाणा में 70% से अधिक ऐसे जाट किसान हैं, जिनके पास 4 या 4 एकड़ से कम जमीन है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि हरियाणा में अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए जस्टिस गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में गुरनाम सिंह आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसम्बर, 1990 में पेश की। इस आयोग ने मंडल कमीशन के आधार पर रिपोर्ट में एक सर्वे में एक जाति के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर कुल 60 अंक रखे थे, 1 से 29 अंक प्राप्त करने वाली जातियां अगड़ी जातियां तथा 30 या 30 से अधिक अंक वाली जातियां अन्य पिछड़ी जातियां मानी गई। रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 28 पर क्रमांक 7 पर जाट जाति को 36 क्रमांक 15 पर सैनी जाति को 33 तथा अहीर/यादव जाति को 31 अंक दिये गये हैं। जिससे रिपोर्ट में जाटों को अहीर, सैनी जातियों से अधिक पिछड़ा पाया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मास्टर हुक्म सिंह जी ने हरियाणा सरकार के आदेश पत्र क्रमांक 299 (1) 91 दिनांक 5 फरवरी, 1991 के तहत जाट जाति सहित अहीर, गुर्जर, मेव, सिख, जाट, बिस्नोई, सैनी, रोड, त्यागी व राजपूत कुल दस जातियों को पिछड़ा घोषित किया था, परन्तु अगली सरकार ने राजनैतिक द्वेष के चलते जाट व अन्य पांच जातियों को बिना कारण बताए हरियाणा सरकार के आदेश पत्र क्रमांक 1170 (1) दिनांक 7.6.1995 के तहत सूची से बाहर कर दिया व लोढ़ा जाति को ओ.बी.सी. में शामिल कर लिया।

महोदय, अहीर, सैनी, गुर्जर आदि पिछड़ी जातियों को राज्य सरकारों व केन्द्र स्तर पर पहले ही आरक्षण सूची में रखा गया है। जाट जाति को केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली व हिमाचल प्रदेश ने ही अन्य पिछड़ी जाति का दर्जा देकर आरक्षण सूची में रखा है। जबकि देश के सभी प्रदेशों में जाटों का सामाजिक और शैक्षणिक व आर्थिक स्तर अन्य पिछड़ी जातियों अहीर/यादव, सैनी, गुर्जर आदि के समान है। परन्तु हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर आदि अन्य राज्यों में जाटों को पिछड़ी जातियों की सूची में नहीं रखा गया है। अत: मैं आपसे जाट जाति को राज्यों व केन्द्र स्तर पर अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल करके **नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में दाखिलों में आरक्षण** दिया जाए तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल व हिमाचल प्रदेश के जाटों को राज्य स्तर के साथ-साथ केन्द्र स्तर पर भी अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल करके **नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में दाखिलों में आरक्षण** दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): सभापति महोदय, मैं 5-7 पाइंट्स बताना चाहूंगी। उससे पहले मैं जनरल बजट का समर्थन करती हूं। आज सरकारी राजस्व की बढ़ोत्तरी के लिए और अच्छा बजट बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं, साथ ही कुछ पाइंट्स पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

शिक्षा पर आपने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा को हम लोगों को बढ़ावा देना है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि बेसिक शिक्षा में, खासकर जो शिक्षा नियोजन वहां पर शुरू हुआ, डिग्री के आधार पर वहां पर टीचर्स की बहाली की गई। हम लोगों ने खुद जाकर देखा, जहां तक टीचर्स पढ़ा रहे हैं, छठी और सातवीं कक्षा का एग्जाम दिया जा रहा है, बच्चे क्वश्चन नहीं उतार पा रहे हैं, क्योंकि वहां जिन टीचर्स की बहाली हुई, वे टीचर्स अंगूठा छाप हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर एक तरफ सरकार कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो तो भारत सरकार की कड़ी निगरानी, कड़ी मोनीटरिंग स्टेटवाइज होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्टेट को दे देना, कोई भी प्रोजैक्ट को दे देना, फिर वे जिस तरह से भी चलायें, यह पूरे इंडिया के बच्चों की बेसिक एजुकेशन का मामला है तो मैं चाहूंगी कि बेसिक एजुकेशन कार्यक्रम की, खास तौर से मोनीटरिंग हो। इसके साथ ही मैंने पिछली बार भी

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

जब मैं वहां जाता हूं, तो लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ भी कीजिए लेकिन हमें एक किलोमीटर का रास्ता दे दीजिए, दो किलोमीटर का रास्ता दे दीजिए। आज भी कई गांवों और जिलों में पक्के रास्तों की कमी है। वहां कच्चे रास्ते बने हुए हैं। इसलिए गांवों में इन कामों को करवाना चाहिए ताकि जो लोग इस मंदी के दौर में गांवों से निकलकर शहरों की ओर जा रहे हैं, वे शहरों में न जाएं। इससे गांव में काम बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, जिससे उनको आमदनी होगी।

मैं इनकम्पलीट प्रोजैक्ट्स के बारे में कहना चाहूंगा, जैसे ऑन गोइंग इरीगेशन प्रोजैक्ट है, उनके लिए पूरी धनराशि दी जानी चाहिए। उन पर 19-20 परसेंट की कोई कंडीशन मत लगाइये। जहां इरीगेशन की स्थिति कमजोर है, नेशनल एवरेज से कम है, उसके लिए ज्यादा धनराशि दीजिए, क्योंकि जब दो-तीन साल बाद इरीगेशन के प्रोजैक्ट पूरे होंगे, तो उनके पीने के पानी की समस्या हल होगी।

खेती की उपज बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ उद्योगों को भी पानी मिलेगा। इससे उद्योग जगत भी ठीक चलेगा और गांव में रोजगार बढ़ेगा जैसा मैंने शुरू में कहा। इस कारण लोगों के पास पैसा आयेगा, तो वे मार्केट में जाकर कपड़ा खरीदेंगे, लाइफ स्टाइल की चीजें खरीदेंगे, बर्तन आदि खरीदेंगे। इससे उद्योग जगत को भी राहत मिलेगी। इसके लिए हमें डोमेस्टिक मार्केट बढ़ानी पड़ेगी। जब तक हम डोमेस्टिक मार्केट नहीं बढ़ायेंगे, तब तक हमारा रोजगार और उद्योग अच्छा नहीं चलेगा। डोमेस्टिक मार्केट बढ़ाने के लिए हमें यह करना होगा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी धनराशि हमें देनी है, वह दी जाये। लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सलैक्ट हो, जैसे रूरल हाउसिंग, रोड्स, पक्का रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ईरीगेशन प्रोजैक्ट, इनकम्पलीट और ऑन गोइंग प्रोजैक्ट हों।

सभापति महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन उद्योगों को हमें बढ़ावा देना चाहिए जैसे एसईजेड हैं। हमने एसईजेड को काफी सहूलियतें दी हैं, टैक्स कन्सेशन दिया और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के लिए कस्टम को कन्सेशन दिया। जो एक्सपोर्ट जोन उनके लिए बनाया, उसके लिए भी दिया। लेकिन वे मजदूर को निकाल देते हैं। जब वे सरकार के पैसे के इंटरेस्ट पर सहूलियत लेते हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो एसईजेड के उद्योग हैं, उनमें सरकार की परमीशन के बिना, सरकार की एप्रोच के बिना किसी मजदूर की छंटनी न की जाये, किसी को बेरोजगार न बनाया जाये। यदि कोई उद्योग बंद करना है, तो कम से कम सरकार की परमीशन लेनी चाहिए, कम से कम सरकार की नॉलेज में तो लाना चाहिए कि वे क्या करने जा रहे हैं? यदि बेरोजगारी बढ़ेगी, तो उससे वायलेंस बढ़ेगी।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण अमेरिका में 1930 में रिसेशन आया था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

देश की इन सभी आधारभूत परियोजनाओं को सार्वजनिक वित्तपोषण के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

यह मेरी सरकार से दरख्वास्त है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा): महोदय, समय की कमी के कारण, मैं केवल मुख्य मुद्दों को उठाना चाहूंगा।

महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि धान, नारियल, रबड़, सुपारी, वैनिला और सब्जियों, आदि के मूल्यों में कमी के कारण, जो कृषि उत्पादक और बागान उत्पादक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए तुरंत किसी पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन न होने के कारण, सरकारी अस्पतालों में काम कर रही नर्सों सहित विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, सरकार के अन्य विभिन्न वर्गों में काम कर रहे कर्मचारियों के पक्ष में की गई सिफारिशों का भी कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। अत: मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इन कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने हेतु तुरंत कार्यवाही की जाए। मैं इस संबंध में यह भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली में नर्सें 16 तारीख के बाद से हड़ताल पर जा रही हैं।

महोदय, भविष्य निधि लाभार्थियों सहित सेवानिवृत्त व्यक्ति विशेषकर विभिन्न वर्गों के वरिष्ठ नागरिक भी काफी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। परंतु, इसे भी अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। इसके कारण वे अन्य सुविधाओं से भी वंचित हो रहे हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इन समस्याओं के निदान हेतु तुरंत कार्यवाही की जाए।

महोदय, इ डी डॉक कर्मचारियों के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके पारिश्रमिक को बढ़ाने और उनकी कार्य दशाओं में सुधार के संबंध में सरकार द्वारा कई अवसरों पर दिये गये

आश्वासनों के बावजूद, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए और उनके मामले पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिये जाने वाले चावल में भी अत्यधिक कमी की गई है। विद्युत आपूर्ति में भी कटौती की गई है। इन वस्तुओं की आपूर्ति को अविलम्ब चालू किया जाना चाहिए। सरकार को बैंकों के कृषि ऋणों हेतु धनराशि आवंटित करनी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु निर्धारित राशि को बैंकों को दिया जाना चाहिए। जब बैंकों से संपर्क किया जाता है तो वह कहते हैं कि राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन्हें धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस पहलू पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। दलितों और जनजातीय लोगों के ऋणों को या तो माफ कर दिया जाना चाहिए अथवा उन्हें राहत दी जानी चाहिए। मैं दिल्ली में रह रहे ईसाई धर्म को मानने वाले दलितों की बात करना चाहूंगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि उनका किसी विशेष धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म, कोई भी धर्म हो, में कम विश्वास है उन्हें संविधान द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अत: आरक्षण के संबंध में, समय-समय पर किये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। देश के विभिन्न भागों से लगभग 2000 लोग दिल्ली आए हैं और वह आज संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।

मेरा उपान्तिम मुद्दा यह है कि सरकार को राष्ट्रपति के भाषण और बजट में घोषित निर्यातों की और मदद करनी चाहिए। जब मैंने संसद में आज यह प्रश्न उठाया तो प्राकृतिक रबड़ जो वास्तविक समस्या का सामना कर रहा है, के निर्यात के संबंध में सरकार ने यह बताया कि प्राकृतिक रबड़ का मूल्य 143 रु. प्रति किलोग्राम से 65 रु. प्रति किलोग्राम पर आ गया है। यह आधे से भी कम है। परंतु फिर भी सरकार इसके निर्यात को समर्थन नहीं दे रही है। इसके निर्यात में कमी आई है और सरकार का यह कहना है कि बाजार में इसकी भरमार नहीं है। यह कोई बात नहीं हुई। बाजार में इसकी भरमार है और इसका आयात किया जा रहा है। लगभग 50,000 टन प्राकृतिक रबड़ का पहले ही आयात किया जा चुका है और जिन लोगों को किसानों अथवा बड़े टायर विनिर्माताओं से प्राकृतिक रबड़ खरीदना होता है वह बाजार में नहीं आते और आयातित माल लेते हैं। अत: उन्हें निर्यात राजसहायता अथवा किसी भी प्रकार का समर्थन तुरंत दिया जाना चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि किसानों की स्थिति को देखते हुए प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से कम से कम 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। परंतु सरकार का यह कहना है कि विश्व व्यापार संगठन समझौते के कारण उस पर प्रतिबंध है। यदि ऐसा है तो सरकार का कहना है कि पांच प्रतिशत में कोई समस्या नहीं है। तो फिर सरकार उसमें पांच प्रतिशत वृद्धि करके उसे 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत क्यों नहीं करती? इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के संबंध में यहां एक विधेयक पारित किया गया था। यह एक अच्छा कदम है। चेन्नई में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी प्रारंभ करने की दिशा में यह एक अच्छा कदम है। हम इसकी सराहना करते हैं परंतु संसद की पोत परिवहन समिति ने कोचीन सहित अन्य स्थानों पर भी मैरीटाईम यूनिवर्सिटी खोलने की सिफारिश की है। उसमें सिफारिश किए गए कुछ स्थानों जैसे कोलकाता, मुम्बई आदि को विश्वविद्यालय केन्द्र के लिए कुछ धनराशि भी दी गई है। हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु कोचीन को यह सहायता क्यों नहीं दी गई? कोचीन के पास भी इससे संबंधित कई सुविधाएं मौजूद हैं। यह समुद्र तट के समीप है। यह अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते में पड़ता है और यहां पोत कारखाना भी है और बन्दरगाह इत्यादि भी बनाये जा रहे हैं। यदि वहां कोई विश्वविद्यालय नहीं खोला जाता तो कम से कम वहां मैरीटाईम यूनिवर्सिटी का एक केन्द्र खोला जा सकता है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): महोदय, यदि आप वित्त मंत्री का भाषण देखें, तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में कहा कि पर्याप्त आबंटन किया जा रहा है, लेकिन पिछले वर्ष 2008-09 के बजट में अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के लिए 1,000 करोड़ रु. आवंटित किये गये। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इसे घटाकर 650 करोड़ रु. कर दिया गया और हमने देखा कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन अभी भी वर्ष 2008-09 के 650 करोड़ रु. में से नहीं, अपितु 2005-06 के बजट में से संवितरण कर रहा है। इससे पता चलता है कि या तो मंत्रालय को सही समय पर आबंटन नहीं किया जा रहा अथवा मंत्रालय स्वयं उचित रीति से कार्य नहीं कर रहा।

अन्य मामला बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में है, 90 एमसीडी को जोर-शोर से शुरू किया गया था। लेकिन अभी तक, एक भी कार्य शुरू नहीं किया गया है। 90 जिलों की बात छोड़िए, लेकिन 20 अथवा 30 जिलों में अभी भी योजनाएं ही बनाई जा रही हैं।

हम देख रहे हैं कि उसके लिए किये गये 485 करोड़ रु. के आवंटन को घटाकर 251.89 करोड़ रु. कर दिया गया है। आप

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

इस कार्यक्रम को शुरू करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, जबकि सरकार राशि में लगातार कटौती कर रही है?

तीसरा मामला मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप के बारे में है। आपने पिछले वर्ष 1,000 करोड़ रु. दिये थे। मैं जानता हूं कि यह केवल लेखानुदान है और यह चार माह के लिए कामचलाऊ व्यवस्था है। लेकिन 1,000 करोड़ रु. के आधार पर आपको कम से कम 75 करोड़ रु. आवंटित करने चाहिए। यह भी नहीं किया गया।

हम नहीं जानते कि मुंगेरकर समिति की सिफारिशों का क्या होगा। मुंगेरकर समिति ने लगभग 251 शहरी कस्बों की बात की, जहां अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी निवास करती है और जहां बुनियादी सुविधाएं बहुत कम हैं और सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। हम नहीं जानते संबंधित मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय अथवा महिला और बाल कल्याण मंत्रालय मुंगेरकर समिति द्वारा पहचान किये गये कोई कदम उठा रहा है।

मैं सरकार द्वारा शुरू की गई दो नई योजनाओं का स्वागत करता हूं। एक योजना नेशनल फैलोशिप फॉर स्टूडेण्ट्स ऑफ माइनोरिटी कम्यूनिटीज है और अन्य योजना केन्द्रीय वक्फ परिषद से संबंधित है। मैं सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना करता हूं, विशेषकर शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय आदि में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में उठाये गये कदमों की सराहना करता हूं।

यहां मुद्दे का मुख्य बिन्दु यह है कि हमें विदेशी विनिमेय से 45 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। अब विदेश मंत्रालय और विश्व बैंक के अनुसार, हमें विदेशी विनिमय से लगभग 50 बिलियन डॉलर प्राप्त होने वाले हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण, मध्य-पूर्व से हजारों लोग वापस आ रहे हैं। भारत सरकार को विदेशी मुद्रा सबसे अधिक मध्य-पूर्व से प्राप्त होती है। मध्य-पूर्व से हजारों लोग वापस आ रहे हैं। वे वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की जा रही है। ये गरीब लोग हैं। वे किसी राजसहायता अथवा किसी अन्य अनुदान की मांग नहीं कर रहे हैं। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि मध्य-पूर्व में काम करने वाले लोगों को वहां सरकार से किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं मिलता। यदि मैं अमरीका अथवा ब्रिटेन में काम करूं, तो वहां मुझे किसी न किसी प्रकार का संरक्षण मिलेगा। अब, जबकि वे हजारों की संख्या में वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए सरकार की योजना क्या है?

मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से एक योजना तैयार करें और बैंकों को निर्देश दें ताकि ये लोग लघु उद्योग शुरू कर सकें। वैश्विक मंदी के कारण, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। बहुत से टैक्सी चालक अथवा ऑटोरिक्शा चालक बेरोजगार हो रहे हैं। अत: मैं आशा करूंगा कि इनकी मदद करने के लिए कोई व्यवस्था की जाए अथवा कम से कम मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया जाए।

जो कुछ सत्यम कम्प्यूटर्स में हुआ। उससे संबंधित अन्य मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूर्ण घटनाक्रम एक माह पहले हुआ। मैं आशा कर रहा था कि सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठाएगी। मेरा तात्पर्य है कि 26/11 की घटना ने आपको यूएपीए अधिनियम लाने पर बाध्य किया था। आपने उस पर तत्परता से कार्यवाही की। प्रस्तुत होने के पश्चात् यह शीघ्र पारित भी हो गया था। यह सरकार सारबेन्स ऑक्सले लॉ, जिसे अमरीका में प्रस्तुत किया गया था, के अनुरूप कोई विधेयक क्यों नहीं लाई? जब तक सरकार सारबेन्स ऑक्सले लॉ नहीं लाएगी, तब तक सत्यम जैसी घटनाएं और होंगी ...*(व्यवधान)*

सारबेन्स ऑक्सले लॉ में यह उपबंध है कि कोई 'इंडीपेन्डेंट डायरेक्टर' (स्वतंत्र निदेशक) भी लेखा परीक्षकों के साथ आपराधिक रूप से भागीदार होगा। यह इस सत्र में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। निवेशक 'इंडीपेन्डेंट डायरेक्टर' को देखकर निवेश करता है और वह लेखा परीक्षकों के रूप में प्रतिष्ठित फर्मों को देखता है। इन दोनों चीजों के आधार पर ही वह निवेश करता है। जब तक सरकार सारबेन्स ऑक्सले लॉ के समान कोई अधिनियम नहीं लायेगी, तब तक सत्यम जैसी घटनाएं होती रहेंगी।

अंत में, मैं मानता हूं कि महंगाई 13 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई है, लेकिन ब्याज दर का क्या होगा? जब तक आप ब्याज दर में कटौती कर उसे चार वर्ष पहले के स्तर तक नहीं लाते, तो आप आम आदमी को लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं? यह सरकार 'आम आदमी' के हित की बात करती है। लेकिन आपकी ब्याज दरें बहुत अधिक हैं। इसमें कटौती कर इसे कम से कम चार वर्ष पहले के स्तर तक लाना चाहिए।

अंत में, आपने पिछले वर्ष 1,000 करोड़ रु. का आवंटन किया था और इसे घटाकर 650 करोड़ रु. कर दिया है। मंत्रालय व्यय नहीं कर रहा है; मेरे विचार से वित्त मंत्रालय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय को धनराशि का आवंटन नहीं कर रही है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना था, वह अभी तक लंबित है। इस विधेयक को भी इस सत्र में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन, दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हुआ। अत: मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार को ये सभी कदम उठाने चाहिए, जिससे सभी को बहुत आशा है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि आर्थिक विकास दर में गिरावट आ रही है और आने वाले समय में इसमें लगभग 7 प्रतिशत की कमी हो जाएगी।

महोदय, मेरे विचार से चीन इस बात से चिंतित है कि जब भी उनकी विकास दर में एक प्रतिशत की गिरावट होती है, उन्हें लगता है कि लगभग दस मिलियन नौकरियां चली जाएंगी, जिसमें अन्यथा वृद्धि हो सकती थी। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे विकास की गिरती दर और उसके कारण कितनी नौकरियां जाएंगी, उनके बीच संतुलन स्थापित करें।

महोदय, माननीय मंत्री ने यह बजट माननीय वित्त मंत्री की हैसियत से प्रस्तुत किया और वह उन मंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने राजस्व में वृद्धि की थी। हम कुछ समय से राजस्व में गिरावट देख रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रयुक्त शब्दों से आश्चर्यचकित हुआ कि वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। यह पिछले कुछ वर्षों में हुई सर्वाधिक वित्तीय गिरावट है। वर्तमान में अधिकतम वित्तीय गिरावट लगभग 2.5 प्रतिशत तक पहुंच हो गई है। राजस्व घाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, व्यापार में भी घाटा हो रहा है, जिससे परेशानियां बढ़ रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विकासशील देशों में जीडीपी अनुपात का सर्वाधिक सार्वजनिक ऋण है। मैं इस परिस्थिति में यह जानना चाहता हूं कि जब विकास दर में गिरावट आ रही है और हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अधिकाधिक सार्वजनिक निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए धन कहां से आएगा? इससे हमारी वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी। अत: मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि उन्होंने नई सरकार के लिए जो नई कार्य नीति बनाई है, उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता था कि क्या वह यह कह सकते हैं कि हमारे पास पैसा है, जिससे हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं? यह पैसा कहां से आएगा?

दूसरा, मैं अवसंरचना की बात करूंगा, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वास्तव में हम चाहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का नौ प्रतिशत अवसंरचनात्मक कार्यों में निवेश किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में चार प्रतिशत है। यह भी इससे सम्बद्ध है। क्या अवसंरचना में निवेश अकेले निजी क्षेत्र से किया जा सकता है और यदि वह ऐसा करने जा रहे हैं, तो प्रयोक्ता शुल्क, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र परियोजना को लाभप्रद बनाने की अपेक्षा करेंगे, का भुगतान कौन करेगा। अत: यदि यह निजी निवेश से किया जाएगा, तो प्रयोक्ता शुल्क संबंधी मामलों को आने दीजिए, जिनका समाधान किया जाना है। यदि यह सार्वजनिक निवेश से प्राप्त होना है, तो मैंने केवल वित्तीय स्थिति की बात की है कि यह कैसे होगा। लेकिन किसी भी स्थिति में, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि अवसंरचना में ऋण की बात तो बाद में आएगी, सबसे पहले आपको वित्तीय अवसंरचना में समानता लानी होगी। आप अवसंरचना में समानता कैसे लाएंगे, जो पूरी दुनिया और भारत के लिए भी प्रमुख चुनौती है? मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले के बारे में और बताएं।

अब, मैं सेवा देने विशेषकर इसके गुणवत्ता पहलू की बात पर आता हूं। यह हमारे लिये लम्बे समय से मुख्य चुनौती रही है। वास्तव में, मैं माननीय मंत्री, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, से जानना चाहूंगा कि वह अब इस मामले का निपटान कैसे करेंगे। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हम शिक्षा का दायरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या गुणवत्ता संबंधी मामले का निपटान किया गया है? स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति भी समान है। अत: माननीय मंत्री को इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है।

अब मैं बाह्य स्थिति की बात करूंगा। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 65 मिलियन डॉलर निकल चुका है, क्योंकि एफआईबी ने धन वापस ले लिया है। इससे हमारी वर्तमान वित्तीय स्थिति पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। जब अनिवासी भारतीयों से प्राप्त धनराशि एक समय चीन, फिलीपीन्स, और यहां तक कि मेक्सिको से भी अधिक हो गई थी, तो इसका तात्पर्य है कि इन सबके बावजूद हमारी वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ रहा है। अब, आप बाह्य स्थिति से कैसे निपटेंगे, जिससे रुपये पर भी बहुत दबाव पड़ेगा और उससे आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह हमारी बाह्य स्थिति पर अत्यधिक दबाव के आलोक में अगले कुछ वर्षों में रुपये की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दें।

महोदय, जैसाकि मैंने कहा कि रोजगार एक महत्वपूर्ण मामला है। वास्तव में हम असंगठित क्षेत्र, विशेषकर, निर्माण क्षेत्र जहां आर्थिक मंदी के कारण डीएलएफ और यूनीटेक के शेयरों में कमी आ रही है, में रोजगार में आई कमी की गणना नहीं करते। लेकिन उसके कारण उस क्षेत्र में लाखों कामगार अपनी नौकरियां खो रहे हैं, जिनके पास किसी प्रकार का कोई सामाजिक संरक्षण नहीं है। वे अपने गांव लौट चुके हैं और उनके पास अपनी बात कहने के लिए कोई मंच नहीं है क्या वास्तव में हम इन कामगारों के लिए कोई योजना बना सकते हैं?

ये वे लोग हैं, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।

माननीय मंत्री जी आपने विधवा पेंशन योजना शुरू की है। मैं इस योजना का स्वागत करता हूं। लेकिन, महोदय विधवाओं की

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

स्थिति से अधिक चिन्तनीय बात उन्हें प्रतिमाह मिलने वाली 200 रुपये की राशि है। क्या माननीय मंत्री जी को लगता है कि एक विधवा 200 रुपये प्रतिमाह में गुजारा कर सकती है? यह भारतीय महिलाओं के विधवापन के साथ क्रूर मजाक है। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसे ज्यादा नहीं तो कम से कम दस गुणा बढ़ाया जाए। कम से कम यह राशि तर्कसंगत और उचित है। 2000 रुपये की राशि उचित होगी।

भारत के संविधान में यह उपबंध है कि भारत के पिछड़े क्षेत्रों में विकास बोर्ड के गठन के माध्यम से उनका विकास किया जाए। महाराष्ट्र में हमने शेष महाराष्ट्र के लिए ऐसे बोर्ड का गठन किया है। मैं माननीय मंत्री से इस मांग पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। यह मांग सरकार के पास लंबे समय से लंबित है। मैंने पहले भी यह मांग की थी। राज्य सरकार ने भी यह मांग की थी। मैं कोंकण क्षेत्र से संसद सदस्य हूं। मैं माननीय मंत्री से इस मांग पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। क्या वह एक नई योजना तैयार कर सकते हैं, जिससे कोंकण जैसा क्षेत्र—यह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है जहां विकास की संभावनाएं हैं—पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके?

सरकार ने इस प्रशंसनीय कार्यक्रम का श्रेय लिया है और संसद के लगभग सभी दलों ने इसका समर्थन किया है। सरकार ने कहा कि हमें किसानों का ऋण माफ कर देना चाहिए। परंतु अभी भी कई किसान वर्ग इस ऋण माफी योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं। उदाहरण के लिए मछुआरों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मछुआरे भी किसानों के समान हैं। वे समुद्र में मछली पकड़ते हैं। किसान भूमि पर खेती करते हैं। किसानों को ऋण माफी कार्यक्रम का लाभ मिलता है। क्या हम किसानों की तरह मछुआरों के लिए भी ऋण माफी कार्यक्रम बनाने के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं?

मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। अत: इस संबंध में कुछ करने की आवश्यकता है। मेरा माननीय मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी से यही अनुरोध है। वह अत्यंत सुविज्ञ व्यक्ति हैं। मेरे विचार में वह यहां सर्वाधिक सुविज्ञ और अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपनी भावी कार्यनीति का ब्यौरा दें। क्या वह वास्तव में अभी अपनी भावी कार्यनीति की जानकारी दे सकते हैं? वास्तव में यह केवल कार्यनीति नहीं है। हम जानते हैं कि क्या किये जाने की आवश्यकता है। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि यह कैसे किया जाना चाहिए। देश के विकास हेतु आप भारत की वित्तीय स्थिति को कैसे संभालेंगे? आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि आर्थिक विकास के साथ रोजगार के अवसर भी बने रहें।

दूसरे, मैं कृषि की बात करना चाहूंगा जो, उस समस्या का मूल कारण है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान केवल 18 प्रतिशत है। सरकार ने स्वयं यह माना है कि 62 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। अत: आप गरीबी के मूल कारक का समाधान कैसे करेंगे? अत: मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वह अपनी कार्यनीति के बारे में बताएं। यह अगली सरकार की कार्यनीति नहीं होगी क्योंकि शायद वह भी यह जानते हैं कि अगली सरकार दूसरे दल की होगी। अत: उन्हें कुछ करना होगा। मुझे विश्वास है कि कार्यसूची के बारे में बताते समय वह राजनैतिक समझदारी दिखाते हुए यह सुझाव देंगे कि महत्वपूर्ण मुद्दों से कैसे निपटा जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***डा. सुजान चक्रवर्ती** (जादवपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आपने मुझे अन्तरिम बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। महोदय, पिछले चार-पांच वर्षों में बजट पर विस्तारपूर्वक कोई चर्चा नहीं हुई जबकि मेरा यह मानना है कि विपक्ष को बजट आलोचनात्मक दृष्टि से अवलोकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए परंतु उसने ऐसा नहीं किया है। इससे देश के हित की हानि हुई है। यह लेखानुदान है। यह सत्य है कि इसकी कुछ सीमाएं हैं। फिर भी इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उसमें इसकी संभावना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 61 वर्ष बीत चुके हैं। आज हम यह महसूस करते हैं कि समाज के दो वर्गों के बीच दिन प्रतिदिन अंतर बढ़ता ही जा रहा है। यह सत्य है कि 'इंडिया इज शाइनिंग' परंतु यह भी सत्य है कि 'भारत' तकलीफों का सामना कर रहा है। हमारे देश में यह विभाजन हमें खतरनाक स्थिति की ओर से जा रहा है। यह सही है कि हमारे देश में 55 बिलियन नियर हैं। जिनकी तुलना अन्य देशों से की जा सकती है। पिछले केवल एक ही वर्ष में इस सूची में 23,000 मिलियनियरों को जोड़ा गया है। यह कहानी का एक पहलू है। दूसरी ओर, अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की 77 प्रतिशत आबादी 20 रु. से कम की दैनिक आय पर गुजारा करती है। उनका क्या होगा?

उनका भविष्य क्या होगा? महोदय, असंगठित क्षेत्र संबंधी विधेयक को स्वीकार कर लिया गया है। परंतु, हमें यह देखना है कि इसमें क्या प्रभावी उपाय किए जाएंगे। किसान अभी भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। कई ऋण राहत उपाय किये गये, विशेष पैकेज दिये गये परंतु उसका क्या हल है? देश के सकल घरेलू उत्पाद का 18 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है, 62 प्रतिशत आबादी कृषि पर जीवित है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है परंतु यह अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं और आश्चर्य की बात यह है कि इसके प्रति राजनैतिक इच्छाशक्ति की भी कमी है। महोदय, मूल्य

*मूलत: बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आसमान छू रहे हैं। हालांकि मुद्रास्फीति दर में कुछ कमी हुई है। परंतु मूल्य में वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की मुद्रास्फीति दर में वृद्धि हुई है। अत: आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रहे हैं। उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि हम बीपीएल मानदण्डों का पूरा पालन कर रहे हैं? कुछ मामलों में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवार गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं और अपने विशेषाधिकारों और अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक असन्तोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरे विचार में हमें वास्तविक मुद्दे का समाधान करना चाहिए। महोदय, स्विस बैंक एसोसिएशन की 2006 की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत उन पांच अधिकतम निवेश करने वाले देशों में से एक है जो बैंक में अपनी धनराशि जमा करते हैं।

इसने वास्तव में पांचवे देश से 15 गुणा से अधिक निवेश किया है। यह लगभग 1450 बिलियन डालर के बराबर है जो हमारे विदेशी ऋण से लगभग 12-13 गुना अधिक है। यह धनराशि कहां से आ रही है? ये खाते किसके हैं? इस धनराशि को देश के संसाधनों से सम्बद्ध क्यों किया जा रहा है। हम इस समस्या पर आंख नहीं मूंद सकते।

काले धन का मुद्दा भी ऐसा ही है। हम देश के काले धन और समानान्तर अर्थव्यवस्था के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं। हमें इसकी काफी चिंता है। सम्पूर्ण संसद इस समस्या पर दुख प्रकट करती है परंतु हमें इससे छुटकारा पाना होगा अन्यथा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विनाश हो जाएगा।

देश से आशय उसकी जनता से है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए।

आज हमारे यहां रोजगारहीन विकास हो रहा है। नि:सन्देह, विकास दर अधिक है पर रोजगार के अवसर नहीं हैं। विगत 3 माह में 5 लाख कर्मचारियों की नौकरियां गई हैं। नि:संदेह, यह सम्पूर्ण रिपोर्ट नहीं है। नि:सन्देह यह इससे काफी अधिक है। पूर्व वक्ताओं ने भी इसका उल्लेख किया है। परंतु इसे कैसे रोकें। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर इसमें हमारी कोई कमी है।

महोदय, कृषि, लघु उद्योग आदि मुख्य क्षेत्र हैं। लघु उद्योगों के प्राथमिक क्षेत्र होने के बावजूद इसके लिए बैंक ऋण आसानी से नहीं मिलते। यदि ऋण मिलता भी है तो ब्याज दर बहुत अधिक होती है।

बड़े उद्योगों को आसानी से ऋण मिल जाते हैं। लघु उद्यमों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाना चाहिए परंतु ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह, स्वामीनाथन समिति ने सिफारिश की है कि किसानों के लिए ब्याज दर कम करके 7% से 4% की जानी चाहिए। अत: समुचित योजना और बजटीय आवंटन के माध्यम से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? शायद नहीं।

महोदय, कम से कम चार या पांच महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे- अनुसंधान और विकास। इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। शिक्षा अपरिमित संभाव्यता के साथ ऐसा दूसरा क्षेत्र है। शिक्षा पर बजट व्यय कब 6% तक पहुंचेगा? हम अपने असंगठित क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं। हम कार्यवाही कब करेंगे? स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा व्यय 5% कब होगा?

हम ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। यहां निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं कह सकता हूं कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था-जय जवान, जय किसान। उस समय हम सब बहुत खुश थे। उसके बाद बहुत सारे वर्ष बीत गये, लेकिन किसानों, युवाओं को सफलता नहीं मिली है। बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। हम केवल भारत उदय को ही पाते हैं, लेकिन यह वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है।

मेरे अनुसार, बजट भाषण की मुख्य त्रुटियां हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इन सभी मुद्दों का समाधान करेंगे।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर): महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट के संबंध में बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह बजट बुनियादी ढांचागत योजनाओं के वित्त पोषण की दृष्टि से दिशाहीन है। उद्योग जगत के लिए इस मंदी के दौर में कर में छूट देने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, इससे निराशा जाहिर हुई है। मैं ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं कहता हूं। मैं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र से चुनकर आया हूं। राजस्थान में केन्द्र सरकार ने आईआईएम की घोषणा की थी और बाद में किसी जिम्मेदार मंत्री ने यह कहकर मुंह फेर लिया कि आईआईएम राजस्थान में नहीं बल्कि दूसरी स्टेट में बनना है, यह बजट में गलती से छपा है। सदन का मुख्य बिंदु, जिम्मेदार मंत्री इस तरह की स्टेटमेंट दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे और सदन

[श्री निहाल चन्द]

के लिए नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि राजस्थान में आईआईएम खोला जाए। ...*(व्यवधान)* जोधपुर राजस्थान में है, हरियाणा में तो नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप बोलना जारी रखें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द: महोदय, गुरुजल संयंत्र कोटा, राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र नेवेली लिग्नाइट जोधपुर सेज, भारतीय वाणिकी अनुसंधान संस्थान और राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स के लिए केन्द्र सरकार ने इस बजट में जो धनराशि दी है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धनराशि बढ़ानी चाहिए। इसी बजट के बाद सेंसेक्स गिरा है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि घरेलू उत्पादन का राजकोषीय घाटा छः प्रतिशत हुआ है, यह चिंता का विषय है। अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कोई कदम नहीं उठाया तो यह आम आदमी के लिए घातक सिद्ध होगा। वित्त मंत्री जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी के हाथ में इस बजट में पैसा छोड़कर जा सकते थे लेकिन उन्होंने निराशा व्यक्त की है। खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने, उद्योग और श्रम पर आधारित उद्योगों की मंदी को बचाने के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। इस देश के 80 प्रतिशत नागरिक खेती पर निर्भर हैं। किसान की फसल के जो भाव 1990 में थे, आज भी वही हैं। कपास और गेहूं की फसल का जो उचित भाव किसान को मिलना चाहिए था, वह आज तक नहीं मिला है। इस अंतरिम बजट में, पेट्रोल और डीजल में 1900 के बाद जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसके अनुसार किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिला है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए।

महोदय, राजस्थान सिंचाई पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। पंजाब से राजस्थान के लिए पानी आता है। बीबीएमबी बोर्ड में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीन सदस्य हैं। लेकिन आज से पहले राजस्थान का सदस्य नहीं बना, आज से पहले हरियाणा और पंजाब के सदस्य बने हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि बीबीएमबी में राजस्थान का सदस्य नियुक्त करें। राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। राजस्थान में जहां स्कूल हैं, वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां बिल्डिंग हैं, वहां अध्यापक नहीं हैं और जहां अध्यापक हैं वहां बच्चे नहीं हैं। मैं निवेदन करता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान को विशेष दर्जा दिया जाए ताकि राजस्थान में शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

मैं इस मौके पर इतना कहना चाहूंगा कि बजट में आम लोगों को बजट के प्रति निराशा हुई है। आप उसे आगे रखें। लोगों को कर में छूट दें ताकि आम आदमी आगे बढ़ सके। मैं इतना निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

*महोदय, वित्त मंत्री द्वारा पेश अंतरिम बजट से आम जनता को घोर निराशा हुई है। यह बजट उद्योग जगत के बुनियादी ढांचा योजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था की दृष्टि से दिशाविहीन है। इस मंदी के दौर में कर छूट में कोई राहत नहीं देने को लेकर निराशा जाहिर की है। होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट में बढ़ोत्तरी नहीं हुई, जिससे आम नागरिकों को घोर निराशा हुई है। मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर से लोक सभा के लिए प्रतिनिधित्व करता हूं। राजस्थान को अंतरिम बजट में घोर निराशा का मुंह देखना पड़ा। राजस्थान की जनता से सीधा छलावा हुआ। राजस्थान में आई.आई.एम. खोलने के लिए केन्द्र सरकार ने बयान दिया। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो सदन में एक जिम्मेवार मंत्री ने यह कहकर मुंह फेर लिया कि बजट में राजस्थान का नाम गलती से छप गया। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। जहां पर आई.आई.एम. आना बहुत जरूरी है। कृपया केन्द्र सरकार राजस्थान के लिए आई.आई.एम. की घोषणा करे। राजस्थान में जो पुराने विकास कार्यक्रम में जो धन दिया गया था, कोई भी योजना पूरी नहीं हुई और उन्हीं योजनाओं को बजट में दोबारा गिनाया गया, जो पर्याप्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने राजस्थान के साथ फिर सौतेला व्यवहार किया है।

इस अंतरिम बजट से निवेशकों की उम्मीद पर पानी फिर गया है। निवेशकों को भारी निराशा हुई। इस घोर निराशा से शेयर बाजार में जमकर बिकवाली हुई। तगड़ा झटका लगा। बी.एस.ई. का सेंसेक्स शुक्रवार को 963.74 की तुलना में 329 रह गया। मुम्बई शेयर बाजार पर सेंसेक्स 329 अंक ही रह गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*.....भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, वर्ष 2008-09 में सकल घरेलू उत्पादन का राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत हो जाना चिंता करने की बात है। बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे पर अगर केन्द्र सरकार ने सही कदम नहीं उठाए तो निश्चित रूप से इस देश के आम आदमी को घाटा होगा। माननीय वित्त मंत्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर में राहत देकर आम आदमी के हाथों में कुछ पैसा छोड़ सकते थे जिससे खुदरा कारोबार को बढ़ावा मिलता। इससे खुदरा कारोबारियों में निराशा हुई। इसी तरह कपड़ा उद्योग और श्रम आधारित उद्योगों को मंदी से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। यह केन्द्र सरकार की विफलता है।

महोदय, इस देश के 80 प्रतिशत नागरिक खेती पर निर्भर हैं। किसान की फसल का उचित मूल्य जब तक किसान को नहीं मिलेगा, तब तक किसान तरक्की नहीं कर पाएगा। आज डीजल, कैरोसिन, खाद, बीज एवं कीटनाशक पदार्थ इतने महंगे हो गए हैं जबकि किसान की फसल का उचित मूल्य आज भी 20 साल पुराना है। किसान की फसल का उचित मूल्य किसान को मिले ताकि किसान खुशहाल हो। यह बात भी अंतरिम बजट में आनी चाहिए थी, जो नहीं आई।

महोदय, मेरा क्षेत्र श्रीगंगानगर सिंचाई एवं कृषि पर निर्भर है। राजस्थान को अधिकांश पानी पंजाब से मिलता है, मेरा आग्रह है कि पंजाब सरकार राजस्थान के हिस्से का पर्याप्त पानी जारी रखे एवं बी.बी.एम.बी. का आज तक सदस्य पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा कर रहा है। राजस्थान का भी एक सदस्य मनोनीत करें। राजस्थान का अब तक एक भी व्यक्ति सदस्य नहीं रहा है।

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान को विशेष दर्जा घोषित किया जाये। राजस्थान के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं, विद्यालय भवन नहीं हैं। विशेष दर्जा घोषित कर अध्यापक एवं विद्यालय भवन की व्यवस्था कराई जाये।

केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस देश के आम नागरिकों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनको प्रत्येक वस्तु उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाये। पूर्ववर्ती योजनाएं चाहे नदियों से नदियां जोड़ने की बात हो या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की बात हो, अन्य विकास की योजना हो केन्द्र सरकार समय पर उसे पूरा करे, जिससे राष्ट्र का विकास एवं निर्माण सही तरीके से हो।*

अपराह्न 2.00 बजे

श्री विजय कृष्ण (बाढ़): सभापति महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है। इसके पहले भाजपा के हमारे साथी बड़े चिंतित थे कि लोक-लुभावना अंतरिम बजट आयेगा, चुनावी बजट आयेगा। लेकिन जब अंतरिम बजट आया तो सबके मुंह बंद हो गये। यह एक तथ्यपरक और जो पिछला बजट था, उसे सप्लीमैन्ट करते हुए बात को बहुत ही संतुलित ढंग से आगे बढ़ाने की बात की गई।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री जी को उत्तर देना है। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण: कई महत्वपूर्ण बातें इस अंतरिम बजट में हैं। भारत निर्माण के लिए 40,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि स्टेट और केन्द्र दोनों के बीच में बेहतर समन्वय और मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस पैसे का उन्होंने आवंटन किया है, वह गरीबों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि इसी सदन में डा. लोहिया ने कभी तीन आने की बात उठाई थी और दिवंगत नेता, श्री राजीव गांधी ने 15 पैसे की बात कहकर देश में चर्चा चलाई थी। जो आवंटन आप दे रहे हैं, उसकी बेहतर मॉनिटरिंग की व्यवस्था है या नहीं है, वह पैसा सही जगह पहुंच रहा है या नहीं, खर्च हो रहा है या नहीं, यह मैं जानना चाहूंगा। नरेगा जैसे काम में बेहतर ढंग से पंजीयन नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है। माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण: सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। आप कहते हैं तो हम बैठ जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में बड़ा ऐतिहासिक काम किया गया है। गांव-गांव में *...(व्यवधान)* लेकिन जो छात्रों का ड्रॉप आउट है, आप जो पैसा दे रहे हैं, क्या आपने उसका आकलन किया है कि कितने लोग जो स्कूलों में नहीं जा रहे थे, अब जाने लगे हैं। मैं समझता हूं कि इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं सिर्फ प्वाइंट्स बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा की बारी है।

...(व्यवधान)

[श्री विजय कृष्ण]

श्री विजय कृष्ण: एन.पी.ए. की चर्चा होती है। एक लाख हजार करोड़ रुपया अब तक एन.पी.ए. का हो गया होगा। बड़े-बड़े उद्योगपति पैसे लेकर भाग रहे हैं और उस पैसे को आप समाप्त करते हैं और छोटे-छोटे किसान या कोई दूसरा आदमी कर्जा लेता है तो उसकी कुर्की, जब्ती हो रही है। हम जानना चाहेंगे कि बैंक की देनदारी का जो पैसा बड़े-बड़े उद्योगपति लेकर भाग रहे हैं और भागे हुए हैं, उस पैसे की वसूली के लिए आप कौन सा प्रावधान कर रहे हैं, उसके लिए आपने कौन सा मैकेनिज्म अपनाया है, क्या-क्या व्यवस्था हुई है, यह हम जानना चाहेंगे?

सभापति महोदय, इस सरकार ने किसानों के धान का समर्थन मूल्य नौ सौ करोड़ रुपये तय किया है। यह एक अच्छा कदम है, हम इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यू.टी.ओ. एकदम निगाह लगाये हुए है। उसकी बैठक में आप जाते हैं, लेकिन उन बैठकों में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो दबाव बनाने का काम चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि यह सरकार उस दबाव में नहीं आयेगी और किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे और जो काम आपने किया है, उसे आप जारी रखेंगे। क्योंकि किसानों का जो सबसे बड़ा अचीवमैन्ट है, वह अन्न के मामले में हम लोग आगे बढ़े हैं, यह बहुत बड़ी बात हुई है। यदि हम किसान को ताकत नहीं दे सकेंगे और अन्य दूसरे काम नहीं करेंगे तो अनाज आयात करने की स्थिति पैदा होगी, जो बहुत ही भयावह स्थिति होगी। इसलिए डब्ल्यू.टी.ओ. की बैठक में यदि हम जाएं तो हमारा पक्ष मजबूत होना चाहिए। भोजन, पैट्रोलियम, उर्वरक सहित प्रमुख सब्सिडी का आकलन 95 हजार करोड़ रुपये का है। आपने जो यह सब्सिडी दी है, यह बहुत अच्छा कदम है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मंत्री जी उत्तर देंगे। कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण: सभापति महोदय, किसानों के कर्ज माफी का ऐतिहासिक काम हुआ है। लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं, जिसमें किसानों के कर्जे माफी जारी रहने चाहिए और बल्कि उन्हें आगे बढ़ाये जाने की जरूरत है। किसान देश की बैकबोन है, यदि आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, उसे संरक्षण नहीं देंगे, उसे आप ताकत नहीं देंगे तो भयावह स्थिति आ सकती है और अनाज आयात करने की स्थिति पैदा हो सकती है, यह मैंने कहा है। इस सरकार ने अपने चरित्र को उजागर किया है, दिखलाया है। यह श्री हरिन पाठक जी जैसे लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

हज यात्रियों के लिए पैसा बढ़ा दिया, इन लोगों को यह चिन्ता हो जाती है। लेकिन जो काम इस सरकार ने किया है, उसने अपना चरित्र दिखलाया है और श्रमिकों के लिए बड़ा काम किया है, उसके लिए कुछ नहीं बोलते। माननीय सदस्य श्री औवेसी साहब ने माइनौरिटीज के लिए जो सवाल उठाया है, वे बड़े गूढ़ सवाल हैं, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, बिहार में दियारा का एक बड़ा क्षेत्र है। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां जो टाल का क्षेत्र है, यह कई किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। टाल और दियारा क्षेत्र में बाढ़ से हर साल लाखों रुपये का नुकसान होता है, लोग प्रभावित रहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लिए बड़ी योजना होनी चाहिए। इस योजना पर कई बार चर्चा हुई है। सरकार को इस योजना के लिए अलग से पैसा आपदा प्रबंधन कोष से आवंटित करना चाहिए और जो पैसा पहले दिया है, उसे बढ़ाना चाहिए। आज दियारा और टाल क्षेत्र में बाढ़ से बहुत नुकसान होता है। कई माननीय सदस्यों ने इस पर कहा भी है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि आपदा प्रबंधन कोष के अंतर्गत पैसा आवंटित किया जाये क्योंकि वहां बाढ़ से भयावह स्थिति हो जाती है।...*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, माननीय मंत्री जी वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: हर चीज की सीमा होती है। कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: एक विशेष मामले के रूप में, मैं श्री हरिन पाठक को केवल एक मिनट बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): सभापति जी, मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि यह अंतरिम बजट है। देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और इस मंदी से कई उद्योग प्रभावित हैं। इसमें गुजरात का एक उद्योग कुप्रभावित है-हीरा उद्योग। पिछले साल इस उद्योग ने करीब एक लाख करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट किया है जिससे केन्द्र सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये सें ज्यादा का मुनाफा हुआ है। जितने भी कामगार वहां काम कर रहे हैं,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वे आत्महत्यायें कर रहे हैं। 1985 में टैक्सटाईल वर्कर्स की ऐसी स्थिति बनी थी और उन्हें बचाने के लिए केन्द्र ने रिहैबिलिटेशन फंड बनाया था। इसी तरह की एक योजना हीरा उद्योग के कामगारों को बचाने के लिए आर्थिक मंदी के दौर से उन्हें बचाने के लिए बनाई जाये। इसलिए उन्हें एक आर्थिक पैकेज दिया जाये। हिन्दुस्तान डायमंड्स को कहा जाये कि वह रफ डायमंड गुजरात के हीरा उद्योग को दे ताकि वह पालिश करके सरकार को वापस देगी और सरकार उसे एक्सपोर्ट करेगी। इससे हीरा उद्योग भी बचेगा और कामगारों के लिए एक आर्थिक पैकेज भी मिल जाये तो मैं सरकार का आभारी रहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं।

***श्री रायापति सांबासिवा राव** (गुंटूर): महोदय, मुझे सदन के नेता और विदेश मंत्री और वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्तरिम बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। संप्रग सरकार ने अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है।

भारत सफलतापूर्वक वैश्विक आर्थिक संकट से निकल रहा है। निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारी संप्रग अध्यक्ष, मैडम सोनिया गांधी और हमारे प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह को जाता है। संप्रग सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए बहुत प्रभावी कदम उठाये हैं।

प्रत्येक मोर्चे पर, संप्रग सरकार ने बहुत प्रगति की है। अत: प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है। सरकार बेल आउट पैकेज के साथ आई है और इसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश का कोई भी क्षेत्र प्रभावित न हो, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष, जो वस्त्र उद्योग हेतु बनाया गया है, पर जोर देना चाहता हूं। सरकार इस कोष का प्रयोग करने की अनुमति केवल लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को दे रही है। मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि बीमार इकाइयों को भी प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष से निधि प्राप्त करने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपनी इकाइयों को सुधार सकें और समृद्ध बना सकें। मुझे आशा है कि सरकार मेरे गृह राज्य आंध्र प्रदेश में वस्त्र उद्योग के लाभ हेतु मेरे निवेदन पर विचार करेगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्रीमती सी.एस. सुजाता** (मवेलीकारा): मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया अन्तरिम बजट आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जब दावे किये जा रहे हैं कि आम आदमी के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, तो यह याद करना प्रासंगिक होगा कि प्रमुख अर्थशास्त्री और कांग्रेस सांसद श्री अर्जुन सेन गुप्ता ने अपने प्रतिवेदन में क्या उल्लेख किया है। उन्होंने हमारी जनसंख्या के 77 प्रतिशत लोगों के बारे में उल्लेख किया है, जिनकी दैनिक मजदूरी 20 रुपये है। यह बजट ऐसे करोड़ों निर्धन परिवारों के लिए कोई प्रावधान नहीं करता। कुछ नीतियां क्रियान्वित की जा रही हैं लेकिन उनका लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है।

मंदी के कारण, परंपरागत उद्योग संकट का सामना कर रहे हैं। लाखों मजदूर अपना रोजगार खो रहे हैं। महोदय, केरल में परंपरागत उद्योग क्षेत्र जैसे नारियल, काजू, मत्स्यन, दस्तकारी और पौधरोपण सभी संकट का सामना कर रहे हैं। केरल सरकार ने इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु 10,000 करोड़ रु. के पैकेज की घोषणा की है।

केरल सरकार ने केन्द्र से ऋण सीमा बढ़ाने को कहा है। लेकिन हमारे निवेदन पर अनुकूल विचार नहीं किया गया है। मैं निवेदन करती हूं कि केन्द्र को केरल की मदद करनी चाहिए।

लाखों केरलवासी विदेशों में रोजगार में लगे हुए हैं। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में उनका करोड़ों रुपये का योगदान है। महोदय, केन्द्र सरकार को उन भारतीयों के पुनर्वास हेतु पैकेज देना चाहिए, जो विदेशों से अपना रोजगार गंवाकर लौटने के लिए बाध्य हैं।

केन्द्र ने कुट्टलानाड क्षेत्र के लिए पैकेज दिया है, लेकिन विस्तार से कुछ भी नहीं बताया गया है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण, कुट्टलानाड एक अद्वितीय क्षेत्र है। यह केन्द्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने योग्य है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कुट्टलानाड के कल्याण के लिए एक समृद्धि परिषद् गठित की है। केन्द्र सरकार को इस योजना की सफलता के लिए वित्तीय योगदान देना चाहिए।

महिला आरक्षण विधेयक पारित करने में असाधारण विलम्ब, इस सरकार पर किए गए विश्वास से धोखा है। महोदय, महिला आरक्षण विधेयक संप्रग के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का भाग था। कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रभावी ढंग से बल देती रही है। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक अभी तक पारित नहीं किया गया है। इस सरकार को अपनी इच्छाशक्ति के अभाव के लिए इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

***श्री के. फ्रांसिस जार्ज** (इदुक्की): माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट ने देश को निराश किया है क्योंकि लोगों को आशा थी कि वर्तमान में देश की वित्तीय तथा अन्य समस्याओं के निराकरण में बजट में कुछ कदम उठाए जाएंगे।

सरकार द्वारा लेखानुदान की जगह अंतरिम बजट प्रस्तुत किये जाने के कारण, वह भी इस सरकार के कार्यकाल के अंतिम समय में, यह आशा धूमिल हो गई।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने किसानों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी साध ली है, ऋण अब भी हैं, संभवत: पिछले बजट में घोषित कर्ज/ऋण माफी योजना में जितना कर्ज माफ किया गया है उससे भी ज्यादा है। सरकार का विचार है कि वह कृषि क्षेत्र में ऋण संकट को 65,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी के माध्यम से निपटा लेगी, यह स्वयं में भ्रामक है।

महोदय, अधिकतर छोटे और मध्यम किसान बैंकों की कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए ब्याज देकर अपने ऋणों का नवीनीकरण करने के बावजूद कर्ज में डूबे हुए हैं। माफी योजना पुनर्भुगतान योजना नहीं है, यह कहकर उनसे बचने का मतलब समस्या को छिपाना है।

महोदय, केरल में जिन्हें लाभ मिला वे उसके हकदार थे और जिन्हें इस योजना से बाहर रखा गया, वे उससे अधिक हकदार थे। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मानदण्डों के नाम पर ईमानदारी को दण्ड न दें, इस मामले के समाधान के लिए इसमें संशोधन किया जाए अन्यथा किसानों द्वारा आत्महत्या के और मामले आएंगे। जब हम संपूर्ण आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की आशा करते हैं तब हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषक समुदाय भविष्य में सुरक्षित और आश्वस्त हो।

महोदय, सरकार कृषि उत्पादों जैसे रबर, काली मिर्च, लौंग, चाय और काफी की कीमतों में अधिक गिरावट की समस्या का समाधान भी करे। माननीय वित्त मंत्री को किसानों को वित्तीय हानि जो उन्हें केन्द्र सरकार की अवास्तविक आयात-निर्यात नीति के कारण इन उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट और उतार चढ़ाव से हो रही है, के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि बनानी चाहिए। महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृषि उत्पादों पर आयात और निर्यात संबंधी समझौते करने तथा कुछ देशों को शुल्क रियायत देने और सर्वाधिक इण्ट राष्ट्र का दर्जा देने के लिए द्विपक्षीय करार करने से पूर्व राज्यों से सलाह ले जो कि एक राज्य विशेष के किसानों की जीविका और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, सरकार कृषि ऋण को 4 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए तत्काल निर्णय ले।

महोदय, केन्द्र राज्य आर्थिक संबंध के मामले पर पुनर्विचार हेतु यह उपयुक्त समय है राज्यों को अपनी वित्तीय कठिनाइयों से निपटने के लिए उन्हें अधिक केन्द्रीय निधि और अनुदान दिये जाए। इस मामले पर 13वें वित्त आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है और अगले पांच वर्ष के लिए इसकी सिफारिशें सामने आनी हैं। इसी बीच सरकार वित्तीय संकट की चुनौतियों, जिसने देश को भी प्रभावित किया है, से निपटने के लिए राज्यों से विचार-विमर्श करे। महोदय, राज्यों के लिए अधिक लोक व्यय की अनुमति के लिए संघ सरकार उनकी उधार लेने की सीमा को बढ़ाए। सरकार वित्तीय संकट के कारण विदेशों से खाड़ी देश अमरीका, यूरोपीय देशों से अपने रोजगार खोकर वापस आ रहे अनिवासी भारतीयों के लिए पुनर्वास पैकेज लाए। राज्य अपने भरोसे इस समस्या से नहीं निपट पाएंगे अत: केन्द्र सरकार उदार सहायता दे।

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर तकनीकी शिक्षा के लिए सरकार और अधिक उच्च अध्ययन केन्द्र खोले। केरल राज्य की लंबे समय की एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की मांग को इस बजट में भी पूरा नहीं किया गया है। राज्य के शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन तथा शिक्षित मानवशक्ति को पैदा करने तथा उसके निर्यात और देश की विकास देने को ध्यान में रखकर केरल के लिए एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की मांग उचित है इसके बड़े तकनीकी संस्थान की कमियों को सुधारने तथा उनके उन्नयन में मदद मिलेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो यह केरल के लोगों के लिए घोर निराशा की बात है।

महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा तथा स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में केरल की उपलब्धि को बरकरार रखने के लिए इसके जैसे राज्य की मदद की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री हरिसिंह चावड़ा** (बनासकांठा): महोदय, मैं अंतरिम बजट को स्पोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यूपीए सरकार ने देश के विकास, लोगों के विकास के लिए अच्छे कार्य किए हैं। जिसके लिए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी बधाई की पात्र हैं।

महोदय, देश के गरीब लोगों, किसानों और नौजवानों के लिए ज्यादा धन के प्रावधान की आवश्यकता थी। इतने साल की आजादी के बाद भी हमारे देश में गरीब लोग स्लम और झोंपड़पट्टी में रहते हैं। इन लोगों के रहने के लिए मकान नहीं हैं। पेट भरने के लिए रोजगार नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नहीं है। किसान दुखी है। युवक-युवतियां बेकार घूम रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए।

महोदय, मेरा जिला बनासकांठा बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। मैंने बार-बार स्पेशल पैकेज के द्वारा बनासकांठा जिले के विकास की मांग की है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। पूरे देश का विकास होना आवश्यक है। जब तक देश के हर हिस्से का विकास नहीं होगा, तब तक पूरे देश का विकास नहीं हो सकता है।

महोदय, मेरी प्रार्थना है कि बनासकांठा को स्पेशल पैकेज देकर विकास किया जाए। मैं इस बजट को स्पोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा** (बोब्बिली): महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत 2009-10 के अंतरिम बजट का समर्थनकारी हूं। यह बजट आम आदमी के हित में है। जैसाकि वित्त मंत्री ने कहा कि यह सब कुछ संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी तथा प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के प्रेरक नेतृत्व के कारण संभव हुआ है।

संप्रग सरकार अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित दायित्वों के निर्वहन में सफल रही है। पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार तीन वर्षों से 9 प्रतिशत से अधिक वृद्धि बनी रही है। इस अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा कम हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक वित्तीय संकट तथा महा मंदी की स्थिति में अपनी मजबूती दिखायी है।

समयाभाव के कारण मैं महिलाओं से जुड़े कुछ सामाजिक मुद्दों पर बात करना चाहती हूं।

मैं वित्त मंत्री को दो योजनाओं—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अशक्तता पेंशन योजना के लिए धन्यवाद देती हूं जिन्हें वर्तमान वर्ष में लागू किया जा रहा है। इससे 40-64 वर्ष के बीच की विधवाओं को 200 रुपए मिलेगा।

मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। कि उनके इस कार्य से 18-40 वर्ष की आयु समूह जवान विधवाओं को सशक्त बनकर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिलेगी। वे राष्ट्रीय/क्षेत्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश में प्राथमिकता पाएंगी। मैं सरकार को 500 रुपये उपलब्ध कराने तथा प्रशिक्षण का खर्च वहन करने के लिए बधाई देती हूं।

पिछले पांच वर्षों में, सरकार ने देश के प्रत्येक कोने में उच्च शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता दी है। उच्च शिक्षा के व्यय में 900 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मैं नए आईआईटी, आईआईएम तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के खोलने के सरकार के कदम का स्वागत करती हूं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह विजयनगरम में ए.आई.आई.एम.एम. की तरह का एक संस्थान तथा विशाखापत्तनम में आईआईएम खोले। इससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के पिछड़े तथा आदिवासी लोगों को लाभ होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंतरिम सामान्य बजट 2009-10 का समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय: अब, माननीय मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

मैं इसका सख्ती से पालन करूंगा। मित्रों, सभी को अपनी बात कहने का अवसर दिया गया है। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अब, माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): माननीय सभापति महोदय, मैं चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सभी को समय दिया गया है। श्री हरिन पाठक अंतिम वक्ता थे। सभी को पर्याप्त समय दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अब, माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, इस चर्चा की शुरुआत मुख्य विपक्षी दल के वक्ता श्री अनंत कुमार जी द्वारा की गई थी *...(व्यवधान)* जब चर्चा का उत्तर दिया जाता है, तो मुख्य विपक्षी दल के वक्ता को सभा में उपस्थित रहना चाहिए और वह किसी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

कारणवश यहां उपस्थित नहीं हैं लेकिन मैं मुद्दों का समाधान करने का प्रयास करूंगा, जो उन्होंने चर्चा के दौरान उठाए थे।

अपराह्न 2.09 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

महोदय, यह स्वाभाविक है कि विपक्षी दलों के सदस्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और बजट का विरोध करेंगे, चाहे वह नियमित बजट हो अथवा अंतरिम बजट हो, इसमें कोई अपवाद नहीं है।

चर्चा में शामिल अन्य दलों, जिसमें हमारे पूर्व सहयोगियों, जो अब विपक्ष में हैं, ने अंतरिम बजट के प्रस्तुतीकरण के बारे में कतिपय कमियों को इंगित किया है। वे कमियां क्या हैं? उन्होंने अनेक कमियों को इंगित किया है। उन्होंने समग्र आर्थिक कार्यनिष्पादन पर सरकार की विफलता, सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन, रोजगार सृजन संबंधी कार्यनिष्पादन, महंगाई पर रोक लगाने में सरकार के उपाय, वित्तीय घाटा, किसानों की दुर्दशा, एफडीआई और हमारे नियामक ढांचे की कमियों को इंगित किया। ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं, जिन्हें माननीय सदस्यों ने अंतरिम बजट पर अपनी टिप्पणियां करते समय उठाया।

महोदय, मैंने इनमें एक समानता पाई कि मैंने जो बजट भाषण में कहा, माननीय सदस्यों ने उसी बात को अलग भाषा में कहा। मैंने अपने बजट भाषण में क्या कहा। जी, हां मैंने पांच वर्षों की पूरी अवधि में सरकार के समग्र कार्यनिष्पादन पर संतोष व्यक्त किया, क्योंकि यह उस जनादेश की पूर्णता है जो हमें पांच वर्ष पहले दिया गया था और सरकार के लेखा जोखे का हिसाब देना संसदीय शिष्टाचार और उसके प्रति उत्तरदायित्व के अनुरूप है। जी, हां। मैंने सरकार के कार्यनिष्पादन पर संतोष व्यक्त किया है। यह संतोष व्यक्त करने के क्या कारण हैं? संतोष व्यक्त करने का कारण बहुत सरल है। इस देश के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार तीन वर्षों तक अर्थव्यवस्था की विकास दर नौ प्रतिशत रही हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे पिछले दो दशकों के दौरान कभी-कभी वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस विषय की जानकारी होने के कारण मैं यह कह सकता हूं कि इससे पहले कभी भी देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पांच वर्षों के दौरान 8.6 प्रतिशत रही हो। वर्ष 1951 से 1976 तक की लंबी अवधि, हमारी सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 3.5 प्रतिशत थी। अस्सी के दशक में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 5.6 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत रही थी। नब्बे के दशक में, पदस्थ प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा आर्थिक सुधार शुरू किये गये थे। हम सभी को उनकी अनुपस्थिति खल रही है, क्योंकि वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि सत्र समाप्त होने से पहले वह कम से कम एक बार इस सत्र में भाग लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: हम भी यही आशा करते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: नब्बे के दशक में हमने देखा कि 8वीं और 9वीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव आया था।

लेकिन यह पांच वर्षों की वह पूर्ण अवधि है, जिसमें हमने इस वित्तीय वर्ष की मंदी के साथ ही 8.6 प्रतिशत की औसत विकास दर बनाए रखी है। यदि मैं इस पर संतोष व्यक्त करता हूं, तो मेरे विचार से मेरे प्रतिष्ठित सहयोगियों को बुरा नहीं लगना चाहिए।

अनंत कुमार जी, ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें राजग से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली और हमने इसे कुप्रबंधन से चौपट कर दिया है। उनकी टिप्पणी का सार यह है कि अर्थव्यवस्था का पूरी तरह प्रबंधन हुआ है और यह सुदृढ़ अर्थव्यवस्था हमें राजग से विरासत में मिली थी। यह सही है कि राजग का कार्यकाल निर्बाध छह वर्षों का रहा था। नि:संदेह, इसमें लोक सभा चुनावों के दौरान अन्तराल भी आया था। लेकिन, कार्यपालिका निर्बाध रूप से 1998 से 2004 तक कार्य कर रही थी। इन छह वर्षों में, सकल घरेलू उत्पाद की औसत विकास दर क्या थी? सकल घरेलू उत्पाद की औसत विकास दर 5.8 प्रतिशत थी। औसत वार्षिक वित्तीय घाटा कितना था? यह 5.5 प्रतिशत था। राजस्व घाटा कितना था? यह 4.4 प्रतिशत था।

अब उस अवधि की तुलना करें, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि हमने संप्रग सरकार की पांच वर्षों की अवधि के दौरान इसे चौपट कर दिया, इसमें अप्रत्याशित वित्तीय संकट और मंदी का वर्ष भी शामिल है, जहां विकास दर में कमी आई जहां वित्तीय घाटा बढ़ा है, जहां राजस्व घाटा बढ़ा है। मैंने अपने बजट भाषण में स्वीकार किया कि पांच वर्षों का औसत कार्यनिष्पादन क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 5.8 प्रतिशत की तुलना में 8.6 प्रतिशत है। वित्तीय घाटा 5.5 प्रतिशत की तुलना में 4.1 प्रतिशत है। राजस्व घाटा 4.0 प्रतिशत की तुलना में 2.5 प्रतिशत है। हमें बताया गया कि हमने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। मैं यह प्रश्न माननीय सदस्यों पर ही छोड़ता हूं।

अब हम अन्य पहलुओं को देखते हैं। राजग के छह वर्षों के कार्यकाल के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का कर अनुपात 8.8 प्रतिशत था। संप्रग के पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान यह

11.1 प्रतिशत है। यह कार्यनिष्पादन खराब था। यहां, मैं उनको एक बात बता दूं कि यह पहली बार है कि इसमें थोड़ी कमी आई है लेकिन डा. मनमोहन सिंह, जो 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री थे और श्री चिदम्बरम, जिन्होंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला, के कारण ही यह संभव हुआ। प्रतिवर्ष बजट पेश होने के बाद, मैं सबसे पहले एक ही दस्तावेज को देखा करता था और वह है बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के बीच राजस्व प्राप्तियों के तुलनात्मक आंकड़े। हम यह देखने के आदी थे कि संशोधित अनुमान प्राय: बजट अनुमान से कम होता था। लेकिन इस अवधि के दौरान, हमने यह सुखद अपवाद पाया कि संशोधित अनुमान हमेशा बजट अनुमान से अधिक था। संशोधित अनुमान हमेशा बजट अनुमान से अधिक था। यह अर्थव्यवस्था, कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात, बचत दर और आपकी निवेश करने की क्षमता की मजबूती दर्शाता है। इसमें निवेश कितना था? राजग के कार्यकाल में सकल घरेलू उत्पाद में निवेश का प्रतिशत 25.2 था और संप्रग के कार्यकाल में यह 35.9 प्रतिशत है।

अब मैं बचत दर की बात करता हूं। राजग सरकार के दौरान यह 25.6 प्रतिशत थी। संप्रग सरकार के दौरान यह 34.8 प्रतिशत है। अब भी यह कहा जा रहा है कि हमने पूरी अर्थव्यवस्था संचालन ठीक से नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, और आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि राजग सरकार को कच्चे तेल के कम मूल्य के रूप में एक बहुत बड़ा लाभ मिला था। राजग सरकार के कार्यकाल में कच्चे तेल का औसत मूल्य 27 डालर प्रति बैरल था। मैं छ: वर्षों की अवधि के दौरान औसत मूल्य की बात कर रहा हूं। हमारी सरकार बनने के बाद कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि होने लगी। मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही थी और अगस्त 2008 में कच्चे तेल का मूल्य 147 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गया।

औद्योगिक वृद्धि और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ आपकी आयातित कच्चे तेल की खपत में भी वृद्धि होगी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे समग्र अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर कितना दबाव पड़ता है। परन्तु, अच्छे प्रबंधन के कारण हमारे सामने भुगतान-संतुलन का संकट नहीं आया। पहले, एक बार हमारे सामने यह समस्या आई थी जिसके लिए हमारी आलोचना की गई। 1980 के दशक के शुरुआत में मैं वित्त मंत्री था। भुगतान संतुलन के संकट का समाधान करने के लिए जब हमने आईएमएफ के साथ लगभग 5 बिलियन एसडीआर की वर्धित वित्तपोषण सुविधा हेतु समझौता किया तो यह कहा गया कि हमने देश की आर्थिक संप्रभुता को गिरवी रख दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम पूरे सम्मान के साथ आईएमएफ से वापस आए। हमने लगभग 1.2 बिलियन एसडीआर की अंतिम किस्त तक नहीं ली। अब ऐसे बहुत से स्वंभू भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति के संबंध में भविष्यवाणी कीं।

मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि हमें स्वयं पर थोड़ा विश्वास और आत्मविश्वास होना चाहिए। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रबंधन किया है। कृपया इस पर भी ध्यान दीजिए जो मैंने अपने बजट भाषण में कहा है। अपने बजट भाषण में मैंने स्वयं वित्तीय संकट और वैश्विक मंदी के प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। यह एक सामान्य बात है। ऐसे में कोई भी जिम्मेदार वित्त मंत्री अपनी चिंता व्यक्त करेगा साथ ही मैंने यह भी कहा था कि मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में विश्वास है और हम इस संकट से उबर जाएंगे। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि हमें इस बात का विश्वास है कि हम इस संकट से उबर जाएंगे। हम इस संकट का सामना कर लेंगे। हम देश को उसके महान उद्देश्य के मार्ग से हटने नहीं देंगे। जी हां इसमें कुछ और समय लग सकता है इसमें कुछ और नीतिगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी इस सभा में अथवा इसके बाहर यह नहीं कह सकता कि विकसित देशों, चाहें वह उत्तरी अमेरिका हो अथवा यूरोप, की सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है।

कृपया इस बात को याद रखें कि उत्तरी अमरीका, यूरोप और जापान की अर्थव्यवस्था में व्यापक औद्योगिकीकरण और उनके पास मौजूद संसाधनों के बावजूद मंदी आ रही है। परन्तु, हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर शून्य पर नहीं आई है। यह सही है कि हमारी विकास दर 9 प्रतिशत से कम होकर 7% प्रतिशत हो गई है। हमने कुछ सुधारात्मक कदम उठाए हैं। परन्तु, यह कहना सही नहीं है कि हमने सुधारात्मक कदम नहीं उठाए हैं।

इन चार महीनों के दौरान क्या होगा? सरकार की एक प्रमुख जिम्मेदारी है और यह सरकार अगली सरकार द्वारा यह जिम्मेदारी लिये जाने तक संवैधानिक जनादेश के अनुसार इस प्रमुख जिम्मेदारी को निभाती रहेगी। परन्तु, साथ ही यह स्मरण रखना चाहिए कि कुछ संवैधानिक नियम और संसदीय मर्यादाएं होती हैं। आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मैं या कोई भी वित्त मंत्री अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय बहुत सारे कराधान प्रस्तावों के माध्यम से राजकोष पर कोई भार डालेगा, जबकि, अगले राजकोषीय वर्ष में हमारे पास केवल दो 6 माह से भी कम समय का जनादेश है? यदि मैं संसाधनों का जिक्र किये बिना कई व्यय प्रस्तावों की घोषणा करता हूं तो हमारी क्या विश्वसनीयता रहेगी? मुझ पर कौन विश्वास करेगा? हम व्यवस्था में किस प्रकार का विश्वास पैदा कर पाएंगे? परन्तु, जो कुछ संभव था, हमने वह सब किया है और कुछ समय बाद मैं उनका उल्लेख करूंगा।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

हमने प्रतीक्षा नहीं की। प्रधानमंत्री ने दिसम्बर और जनवरी में दो प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने रेपो ब्याज दरों और रिवर्स रेपो ब्याज दरों में बदलाव किया। रेपो ब्याज दर को 9 प्रतिशत से कम करके 5.5 प्रतिशत किया गया। रिवर्स रेपो ब्याज दर को 6 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत किया गया और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 9 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया गया। बैंकों को पर्याप्त नकद धनराशि प्रदान की गई और बैंकों ने वस्तुत: कार्यवाही आरंभ कर दी है। बैंक अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए ब्याज दरों में समायोजन कर सकते हैं।

लोगों का कहना है कि हमने जो प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किये हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैंने स्वयं बजट भाषण में कहा है ''जी हां, इसमें कुछ समय लगता है।'' दिसम्बर और जनवरी में दो प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की गई। अभी तक तीन या चार माह का समय भी नहीं बीता है। इनका असर दिखने में कुछ समय लगता है परन्तु, इस्पात, सीमेंट आदि उद्योग क्षेत्र की स्थिति को देखिए। उनके उत्पादन में वृद्धि होने लगी है और मांग पैदा की जा रही है।

अपने बजट भाषण में मैंने स्वयं यह कहा है कि बढ़े हुए व्यय में 39000 करोड़ रुपये से अधिक का योजना व्यय शामिल है। मैंने योजना व्यय के घटकों की भी बात की है। इन सबका ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अवसंरचना, त्वरित सिंचाई सुविधाओं सहित कृषि के विकास से सीधा संबंध है। न केवल यह 39000 करोड़ रुपये की धनराशि, बल्कि, लगभग 24000 करोड़ रुपये की एक केन्द्रीय योजना और केन्द्र द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 15000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। राज्य सरकारों को भी आगे आना होगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं। हमने उनको पर्याप्त सहायता दी है।

यदि आज हम राज्यों की अर्थोपाय स्थिति को देखें, तो मेरे पास 20.2.2009 की स्थिति के आंकड़े हैं, 14 दिन की सरकारी हुंडियों के माध्यम से राज्यों के पास 78,360.28 करोड़ रुपये; नीलाम की गई सरकारी हुंडियों से 12,808.88 करोड़ रुपये की धनराशि है; सभी राज्यों का कुल नकद अधिशेष 91,169.16 करोड़ रुपये है। यह धनराशि भी व्यय की जानी है। कुछ राज्यों के पास पूरे पांच वर्ष का जनादेश है। कुछ राज्यों का जनादेश समाप्त होने वाला है। ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण विकास हेतु सभी महत्वपूर्ण कार्य राज्यों द्वारा आरंभ किए जाएंगे। राज्य केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं भी लागू कर रहे हैं। यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो हमें अलग-अलग करके नहीं बल्कि इस पूरे पैकेज को ध्यान में रखना होगा।

यदि आप अधिक अधिशेष वाले राज्यों की ओर देखें, तो महाराष्ट्र के पास 12,279 करोड़ रुपये की धनराशि है। महाराष्ट्र से कुछ माननीय संसद सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि हम महाराष्ट्र को पर्याप्त सहायता क्यों नहीं दे रहे हैं। तमिलनाडु के पास 12,135 करोड़ रु., बिहार के पास 6,903 करोड़ रु. और उड़ीसा के पास 7,705 करोड़ रु. हैं। वास्तव में, जम्मू और कश्मीर जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनका शेष ऋणात्मक है, जहां समस्या अलग है, और कुछ अन्य राज्य हैं, जिनके लिए हमें उचित कदम उठाने होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि हमने उल्लेख किया है, न केवल रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति घोषित की है, बल्कि हमने शृंखलाबद्ध राजकोषीय उपाय भी किये हैं। श्री चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने इन मुद्दों का समाधान करने के लिए अनेक कर संबंधी और अन्य राजकोषीय उपाय किये है। मैं सदस्यों पर अनेक आंकड़ों का भार नहीं डालना चाहता, लेकिन यहां मैं उनमें से कुछ के बारे में बताना चाहूंगा। ये हैं: सेनवेट में चार प्रतिशत बिन्दुओं की कटौती से सभी क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं, सूती वस्त्र और वस्त्र संबंधी मदों पर शुल्क दर चार प्रतिशत से घटाकर शून्य करना; टर्मिनल उत्पाद शुल्क और सीएसटी के सभी सुधार सुनिश्चित करने हेतु 1100 करोड़ रु. के अतिरिक्त कोष का प्रावधान; सुरक्षा स्तर स्थापित करके इस्पात और सीमेण्ट जैसे क्षेत्रों पर सीमा शुल्क संबंधी विशेष उपाय; सेवा कर रियायतें और निर्यात के लिए चुंगी वापसी की दर बढ़ाना, वस्त्र, चमड़ा, मोती और आभूषण, कारपेट, और दस्तकारी के लिए श्रमोन्मुखी निर्यात हेतु माल के लदान से पहले और बाद में निर्यात क्षेत्र को सहायता हेतु ब्याज सहायता; भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त करने के लिए रुपये या डालर में लदान-पूर्व और लदान-पश्चात् ऋण प्रदान करने हेतु आरबीआई से एक्जिम बैंक को 5,000 करोड़ रु. की ऋण सीमा में वृद्धि।

* आवास क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय आवासीय बैंक के लिए क्रमश: 4000 करोड़ रु. की पुनर्वित्तीयन सुविधा।

* सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 20 लाख रु. तक का आवास ऋण लेने वालों के लिए एक पैकेज की घोषणा। इस क्षेत्र पर सूक्ष्म निगरानी रखी जाएगी और अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे, जो तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक हों।

* वस्त्र क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन कोष योजना के संपूर्ण बैकलॉग को समाप्त करने हेतु 1400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का प्रावधान।

* 'विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना' के अंतर्गत दस्तकारी की सभी मदों को शामिल करना।

* मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, रिजर्व बैंक ने सिडबी के लिए 7000 करोड़ रु. की पुनर्वित्तीयन सुविधा की घोषणा की है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एनबीएफसी और एसएफसी के माध्यम से मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ता हुआ ऋण देने में सहायता करने के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कदम भी उठाये जा रहे हैं।

* जमानत राशि मुक्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारण्टी योजना के तहत ऋणों पर वर्तमान गारण्टी कवर 50 प्रतिशत से अधिक की गारण्टी के साथ 50 लाख से एक करोड़ रु. तक बढ़ाया जाएगा। गारण्टी योजना के तहत बैंकों को अधिक ऋणों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान ऋण गारण्टी योजना के तहत शामिल ऋणों की लॉक-इन अवधि को 24 माह से घटाकर 18 माह किया जाएगा।

* सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम क्षेत्रों के लिए वर्तमान और नए ऋणों पर ब्याज दरों में कमी की घोषणा की है।

* बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण संबंधी मुद्दों के समाधान का निरीक्षण करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष मासिक बैठक आयोजित की जाएगी, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम विभाग और वित्त सेवा विभाग इस क्षेत्र में हुई प्रगति की निगरानी हेतु एक संयुक्त प्रकोष्ठ गठित करेंगे।

मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों के मुद्दे बैंक की एसएमई हेल्पलाइन पर दो सप्ताह तक हल नहीं किये जाएं, तो इस प्रकोष्ठ के नोटिस में लाया जा सकता है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि हम असंगठित श्रमिकों को सुरक्षोपाय देने हेतु पहले ही विधायी उपाय कर चुके हैं। हमने असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 अधिनियमित किया है। असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग को इस संबंध में एक विस्तृत योजना बनाने को कहा गया है।

राज्यपालों के सम्मेलन में विशेषकर महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में कुछ सुझाव दिये गये थे। हमने विचार किया और भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों और विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया, ताकि सरकार शीघ्र कार्यवाही कर सके; भाग लेने वाले पणधारकों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग प्राप्त करने के लिए महिला केन्द्रित कार्यक्रम को मिशन मोड में क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन स्थापित करना; बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजिज सहित अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 'राष्ट्रीय महिला कोष' को पुनर्गठित और पुनर्जीवित करना; महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री सलीम ने अपनी आपत्तियां व्यक्त करते हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन और केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उदासीन रवैये के बारे में चर्चा की है।

अब हमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन का संकेत देने के लिए कुछ आंकड़े देखने चाहिए। वर्ष 2003-04 में सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कुल कारोबार 5,87,000 करोड़ रु. था। वर्ष 2007-08 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कुल कारोबार 5,87,000 करोड़ रु. से 84 प्रतिशत बढ़कर 10,81,000 करोड़ रु. हो गया। हमें लाभप्रदाता को देखना चाहिए। वर्ष 2003-04 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का लाभ 53,000 करोड़ रु. तक पहुंच गया। 2007-08 में यह 91,000 करोड़ रु. है। इसमें 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जहां तक घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का संबंध है, 2003-04 में इनकी संख्या 73 थी, हमने इसे 2007-08 में कम करके 58 कर दिया है। इसी तरह, लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उद्यमों की संख्या 143 से बढ़कर 158 हो गई है। लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उद्यमों की संख्या बढ़ रही है और घाटा उठाने वाले सार्वजनिक उद्यमों की संख्या घट रही है। कारोबार बढ़ रहा है, लाभ बढ़ रहा है और यदि कोई आकर कहता है कि आप सार्वजनिक उद्यमों की उपेक्षा कर रहे हैं, मुझे डर है, मैं नहीं कर सकता ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मोहम्मद सलीम ने चर्चा में भाग नहीं लिया था।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैंने माननीय सदस्यों को बहुत ध्यानपूर्वक और धैर्य से सुना है और मैं अपने साथियों से इतनी शिष्टता की तो अपेक्षा कर ही सकता हूं कि जब मैं सदन में बोलूं, तो वे व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। यदि आपको कुछ पूछना है तो हम बाद में उस पर विचार करेंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी: आपने सौ से अधिक बार बताया है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा वे नहीं बोल सकते, इसी तरह वे जैसा

[श्री प्रणब मुखर्जी]

चाहते हैं वैसा मैं नहीं बोल सकता। यह संसदीय लोकतंत्र है। यदि हमने तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा है और यदि मैं सही नहीं हूं तो आपको मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का पूरा हक है। लेकिन कृपया मेरी बात में व्यवधान उत्पन्न न करें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। इसका प्रतिस्थापन श्री रूपचंद द्वारा किया जाए।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, मैंने इसके बारे में बात नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय: तब किसने इसके बारे में बोला है? संभवत: वह पहले बोल चुके हैं। उन्होंने सोचा कि यह सामान्य व्यवधान है इसलिए उन्होंने इसका उल्लेख किया।

श्री प्रणब मुखर्जी: उन्होंने बताया है कि सरकार पिछले दरवाजे से विनिवेश ला रही है। मुझे आशंका है कि यह पूर्णत: निराधार बात है। हमने किया यह है कि सरकार की विनिवेश नीति में केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूर्ण या रणनीतिक बिक्री शामिल नहीं है। इस नीति का केन्द्र प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से पूंजी इकट्ठा करना है जिसमें सरकार अल्पसंख्या में अपनी हिस्सेदारी बेचकर लाभ में चल रहे केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सशक्त बनाएगी तथा उपयोग में नहीं आ रही इन संपत्तियों का उपयोग करेगी। इसका आशय यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की भागीदारी 51 प्रतिशत रहे और सरकार का प्रबंधन पर नियंत्रण रहे। तथापि, जहां तक वर्ष 2008-09 का संबंध है क्योंकि बाजार की हालत खराब है, इसलिए हमने एक भी आईपीओ लाने की अनुमति नहीं दी।

केवल इतना ही नहीं संप्रग सरकार घाटे में चल रहे केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे भारतीय टेलीफोन उद्योग में धन के निवेश तथा अधिक अच्छी प्रौद्योगिकी लाकर इन्हें उबारने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। ऐसा हमने रेलवे की कुछ परियोजनाओं और आईआईटी के एककों में किया है तथा यह सामान्य नीति होगी जिसका पालन हम गत पांच सालों से कर रहे हैं, और यदि हम भारी मतों से जीत कर सत्ता में वापस आते हैं, तो हम भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने कहा, दायरा बहुत सीमित है। कुछ माननीय सदस्यों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मेरा मानना है कि हमें मुख्य सिद्धांत, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सांविधानिक निकाय को कार्य करना चाहिए, का उल्लंघन नहीं करना चाहिए-चाहे कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी हो, चाहे यह संसद हो या न्यायपालिका-इन सभी को संपूर्ण सांविधानिक योजनाओं के अंतर्गत सांविधानिक अधिकार क्षेत्र के कार्य करना चाहिए जिसका पालन हम 1950 से कर रहे हैं। अत: यह मेरे लिए संभव नहीं था कि बिना समुचित वित्तीय संसाधनों के अनेक घोषणाएं कर, अनेक रियायतें देकर और बहुत सारे निर्णय लेकर मैं वित्तीय अनियमितता फैला दूं। संविधान की संरचना और दायरे के अंदर जो कुछ हम कर सकते थे उस पर विचार करने तथा माननीय सदस्यों के सुझावों को सुनने तथा विभिन्न पर्णधारकों की प्रतिक्रियाएं लेने के बाद अर्थव्यवस्था को अधिक गति देने के लिए मैंने कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया है। यद्यपि उत्साहजनक संकेत मिल रहे हैं तथापि मंदी का विश्व के दूसरे भागों विशेषकर एशिया और यूरोप में पूरा प्रभाव अभी सामने नहीं आया है। इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ निर्यात के मजबूत संबंध होने के कारण इसकी संभावना है कि आने वाले महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रभावित हो सकती है। ऐसे प्रभावों को रोकने के लिए संप्रग सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और मैं इन्हें सभा के समक्ष रखना चाहता हूं।

महोदय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में उत्पाद शुल्क की दर में 4 प्रतिशत प्वाइन्ट की सामान्य कटौती 7.12.2008 से की गई और अब इसे 31 मार्च, 2009 से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की सामान्य दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वर्तमान दर यथा मूल्य के अनुसार वर्तमान में क्रमश: 8 प्रतिशत और 4 प्रतिशत रखी गयी है, भारी मात्रा में सीमेंट पर उत्पाद शुल्क की दर को 10 प्रतिशत या 290 रुपये प्रति मीट्रिक टन, जो भी ज्यादा हो, से घटाकर 8 प्रतिशत या 230 रुपए प्रति मीट्रिक टन, जो ज्यादा हो, किया गया है। सरकार का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक विश्वास पुन: स्थापित हो। हमारा लक्ष्य है कि सेनवैट दर तथा सेवा कर दर के बीच के अंतर को कम किया जाए जिससे सामान और सेवा पर एक समान दर से कर लगाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करयोग्य सेवा पर कर को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ऊर्जा क्षेत्र को राहत देने के लिए नाप्था द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा को मूलभूत सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है। यह छूट जो 31 मार्च, 2009 तक उपबंध थी, को अब इस तिथि से आगे बढ़ाया जा रहा है। आयकर की धारा 10कक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित एक इकाई के निर्यात से प्राप्त लाभ को छूट प्रदान करती है। निर्यात से प्राप्त लाभ की गणना लघु उद्यमों के कुल कारोबार के संदर्भ में की जाती है। इसमें 'सेज' तथा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र दोनों में स्थित लघु उद्यमों तथा सेज के अन्दर स्थित लघु उद्यमों के बीच भेदभाव हो गया है। अब निर्णय किया गया है कि यह विसंगति नियमित बजट प्रस्तुत करते समय अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन कर दूर की जाएगी।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने बजट भाषण में इशारा किया है कि हमने ऋण समाशोधन तथा राहत सुविधा के संदर्भ में राज्यों को 2009-10 में होने वाले राजकोषीय घाटे की उच्चतम सीमा की समीक्षा की है। पहले प्रोत्साहन पैकेज के रूप में इसमें वर्ष 2008-09 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 3.5 प्रतिशत किया गया था। बुनियादी संरचना का विकास तथा रोजगार सृजन के लिए इस व्यवस्था को 2008-09 से इस संभावना के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है कि यदि आगे आने वाले महीनों में समीक्षा की आवश्यकता होगी तो की जाएगी। ऐसा इस तथ्य के बावजूद किया गया है कि जैसा मैंने पहले कहा कि राज्यों को उनके पास उपलब्ध 91 करोड़ रुपये के अधिशेष का उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

महोदय, हमारी नीतियां स्पष्ट हैं इसमें सबसे ऊपर ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में बुनियादी संरचना में तीव्र विकास तथा कृषि में वृद्धि से रोजगार का सृजन हो तथा लोगों को समान रूप से विकास का लाभ देना है। हमारे लिए आर्थिक वृद्धि विकास का एक उपकरण है और यह स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं है। आर्थिक वृद्धि समग्र और साम्ययुक्त दोनों होनी चाहिए। इससे सामाजिक न्याय मिलना चाहिए तथा आम आदमी का सशक्तिकरण भी होना चाहिए। गत पांच वर्षों में संप्रग सरकार ने लगातार इस दिशा में कार्य किया है परन्तु, इन कार्यप्रणालियों से पैदा होने वाली सामाजिक क्रांति के आने में लंबा समय लगता है। जिसे न केवल आर्थिक विकास और संसाधन जुटाकर अपितु, संस्थागत परिवर्तनों और जनसाधारण को संगठित करके सावधानीपूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया जाता है। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि इस साझे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, हीरा उद्योग में लगे श्रमिकों को राहत देने के विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है? *...(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: हीरा उद्योग के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि हीरा उद्योग सहित सारे निर्यात क्षेत्र को लाभ प्रदान किये जाते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन आज के वित्त मंत्री माननीय प्रणव मुखर्जी ने अपना अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था, उस दिन आईआईएम के बारे में चर्चा करते हुए आपने यह उल्लेख किया था कि ग्यारहवीं योजनावधि के लिए प्रस्तावित छः नये भारतीय प्रबंध संस्थानों में से चार में शैक्षिक वर्ष 2009-10 से शिक्षण कार्य शुरू होने की संभावना है।

यह हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु की स्थिति है, यह आपने फरमाया था। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि शुक्रवार दिनांक 20 फरवरी, 2009 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक की चर्चा का उत्तर देते समय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ने इस सदन के अंदर एक वक्तव्य देते हुए कहा था,

[अनुवाद]

मैं हवाला देना चाहूंगा। माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने कहा कि:

> "ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में अपने अस्थाई परिसर के माध्यम से एक आईआईटी पहले से ही कार्यरत है और आईआईटी, कानपुर द्वारा उसे परामर्श दिया जा रहा है। परन्तु, माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण हेतु हमारे मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में अनजाने में हुई टंकण संबंधी त्रुटि के कारण, उन राज्यों, जिनमें शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से नए आईआईएम आरंभ किये जाने हैं की सूची में छत्तीसगढ़ के स्थान पर राजस्थान राज्य का उल्लेख हो गया। अतः, मेरा सभा से यह नम्र निवेदन है कि इसे रिकार्ड में लिया जाए। हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से हुई इस टंकण सबंधी त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हैं।"

[हिन्दी]

सारे राजस्थान में इससे बहुत असंतोष व्याप्त हो गया है। यहां भी आपकी सरकार है और वहां भी आपकी सरकार है। राजस्थान में आईआईएम खोले जाने की जो घोषणा आपने की थी क्या राजस्थान में वह खोला जाएगा या नहीं, उसमें क्या सच्चाई और वास्तविकता है, यह बताने का कष्ट करें?

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल: हम श्री प्रणब मुखर्जी की स्मरण शक्ति का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने मेरे साथी श्री मो. सलीम द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उठाये गये एक प्रश्न का उत्तर दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बजट भाषण के दौरान इस प्रश्न को भुलाया नहीं गया है।

...(व्यवधान)

[श्री प्रणब मुखर्जी]

श्री रूपचंद पाल: पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य कम किये जाने की गुंजाइश है। एटीएफ में दस गुणा राहत दी गई है। परन्तु, आम आदमी को कोई राहत नहीं दी जा रही है। हमें आशा थी कि सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाएगी। इस प्रश्न का क्या उत्तर है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: परन्तु, यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक माननीय सदस्य का एक प्रश्न है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप टंकण संबंधी त्रुटि मामले पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें जो कहना था वह कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: चूंकि, आपके बजट भाषण में इसका उल्लेख था इसलिए वह इसका हवाला दे रहे हैं। सही स्थिति क्या है? माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने यह कहा है।

...(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी: जहां तक माननीय संसद सदस्य श्री रासा सिंह रावत द्वारा उठाये गये प्रश्न का संबंध है स्पष्टत:, मैंने अपने बजट भाषण में जो कहा उसमें कुछ त्रुटि दिखाई पड़ती है। निश्चित रूप से मुझे तथ्यों का पता लगाना होगा और हम उनमें सुधार करेंगे। स्वाभाविक है कि यदि संसद में पूछे गए किसी प्रश्न के उत्तर में कोई गलत जानकारी दी जाती है तो उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। सभा के अनुग्रह और अध्यक्षपीठ की अनुमति से मंत्री को त्रुटि में सुधार करने की स्वतंत्रता होती है और उसमें सुधार किया जाएगा *...(व्यवधान)*

माननीय संसद सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ अन्य प्रश्नों के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस संभावना से इंकार नहीं कर रहा हूं। जहां तक सरकार के कार्यकरण का संबंध है, यह एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ऐसा करती रहेगी। उभरती परिस्थितियों का सामना करने के लिए इस अवधि के दौरान आवश्यक समुचित कदम उठाने में सरकार के सामने कोई बाधा नहीं है। बजट दस्तावेज में सब कुछ दर्शाना आवश्यक नहीं है। बजट एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम कुछ विशेष मुद्दों पर ध्यान देते हैं। परन्तु, निर्यात सहित, ऐसे मुद्दों पर ध्यान देने के लिए सरकार के पास अन्य उपकरण भी हैं। उन्हें रियायतें किसी वित्तीय प्रस्ताव के माध्यम से नहीं मिली हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

वित्त मंत्री के पास इनको प्राप्ति के साधन हैं। उदाहरण के लिए मैंने जिन रियायतों की घोषणा की है उनके लिए मैं कोई संशोधन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह संसद द्वारा वित्त मंत्री को प्रदान की गई शक्तियों के अधीन है। अत:, कुछ आम मुद्दों के बारे में मैं यह उल्लेख करने का प्रयास कर रहा हूं कि जब कभी ऐसी स्थिति पैदा होगी हम इस मुद्दे पर ध्यान देंगे और इस संबंध में कार्यवाही करेंगे।

महोदय आईटीआई के संदर्भ में, कल ही मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। वे समर्थन प्रदान करने और देनदारियों को समाप्त करने हेतु सहमत हो गए ताकि पुनर्स्थापना हेतु उपयुक्त तंत्र बनाया जा सके। मुझे बताया गया है कि इसे शीघ्र ही पुनर्स्थापित करना संभव है और कुछ प्रस्ताव आ रहे हैं। अत:, इसमें कोई दो राय नहीं है। *...(व्यवधान)* यह हो रहा है और कृपया इसके बारे में चिन्ता न करें। मंत्रिमंडल का निर्णय है–जो कि मेरे साथी श्री पी. चिदम्बरम ने मीडिया के माध्यम से संप्रेषित किया है–कि सरकार ने 2,820 करोड़ रु. से अधिक की जिम्मेदारी का निर्वाह करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री जो कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, यद्यपि यह बजटीय प्रस्तावों से संबंधित नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य कुछ मुद्दों पर विशेषकर श्रीलंका में स्थिति पर आंदोलित हो रहे हैं। इसमें कुछ सुधार हुआ है। कल, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के माध्यम से, लिट्टे की ओर से नागरिकों को बाहर निकालने का प्रस्ताव आया है। पहले के अवसरों पर, मैंने सदन के मंच से वक्तव्य दिया था और मैंने पिछले महीने की 27 तारीख को मेरी श्रीलंका यात्रा के बाद रिपोर्ट भी दी थी, कि हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने अपनी इच्छा व्यक्त की है और श्रीलंका सरकार से लिट्टे द्वारा की गई घोषणा के संदर्भ में नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का निवेदन किया है ताकि नागरिकों को समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से सुरक्षित क्षेत्र में लाया जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति भी रहे ताकि वे गतिविधि पर नजर रख सकें और सुरक्षित क्षेत्र में कोई गोलीबारी नहीं होनी चाहिए। सुरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इतना हमने किया है और विदेश मंत्रालय ने प्रासंगिक वक्तव्य जारी किया है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 3.04 बजे

(इस समय, श्री रूपचन्द पाल, श्री मोहन रावले, श्री अनन्त कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2009-10 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें:

मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77 और 79 से 105"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2009-10 लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

संख्या और मांग का शीर्षक		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1		2	3
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	3965,97,00,000	28,17,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	1104,92,00,000	
3.	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	456,19,00,000	6,18,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
4.	परमाणु ऊर्जा	1307,25,00,000	698,90,00,000
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	787,97,00,000	425,04,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
6.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	36,63,00,000	18,42,00,000
7.	उर्वरक विभाग	24144,87,00,000	65,35,00,000
8.	भेषज विभाग	53,42,00,000	10,02,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
9.	नागर विमानन मंत्रालय	239,26,00,000	55,42,00,000

1		2	3
कोयला मंत्रालय			
10.	कोयला मंत्रालय	116,33,00,000	10,00,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
11.	वाणिज्य विभाग	999,61,00,000	220,41,00,000
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	374,68,00,000	18,33,00,000
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
13.	डाक विभाग	4018,53,00,000	302,77,00,000
14.	दूरसंचार विभाग	2041,33,00,000	18,00,00,000
15.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	792,00,00,000	18,67,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	150,25,00,000	10,05,00,000
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	28814,08,00,000	249,85,,00,000
कारपोरेट कार्य मंत्रालय			
18.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	61,00,00,000	13,33,00,000
संस्कृति मंत्रालय			
19.	संस्कृति मंत्रालय	396,63,00,000	12,03,00,000
रक्षा मंत्रालय			
20.	रक्षा मंत्रालय	3298,64,00,000	491,28,00,000
21.	रक्षा पेंशन	7263,25,00,000	–
22.	रक्षा सेवा-थल सेना	20084,18,00,000	–
23.	रक्षा सेवा-नौसेना	2800,79,00,000	–
24.	रक्षा सेवा-वायु सेना	4969,95,00,000	–
25.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	2495,45,00,000	–
26.	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	1595,68,00,000	–
27.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	–	18259,87,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय			
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	443,99,00,000	47,83,00,000

1		2	3
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
29.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	278,80,00,000	75,60,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	571,83,00,000	11,17,00,000
विदेश मंत्रालय			
31.	विदेश मंत्रालय	1834,53,00,000	182,46,00,000
वित्त मंत्रालय			
32.	आर्थिक कार्य विभाग	1833,85,00,000	358,04,00,000
33.	वित्तीय सेवाएं विभाग	11198,51,00,000	1089,01,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	22444,02,00,000	
36.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		120,00,00,000
38.	व्यय विभाग	19,87,00,000	2,13,00,000
39.	पेंशन	3744,14,00,000	
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	762,64,00,000	90,00,000
41.	राजस्व विभाग	3081,85,00,000	77,00,000
42.	प्रत्यक्ष कर	961,33,00,000	206,00,00,000
43.	अप्रत्यक्ष कर	1031,27,00,000	96,67,00,000
44.	विनिवेश विभाग	6,26,00,000	746,67,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	178,49,00,000	35,00,00,000
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	6030,29,00,000	331,75,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	239,92,00,000	75,00,000
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	202,00,00,000	
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
49.	भारी उद्योग विभाग	91,85,00,000	178,81,00,000
50.	सरकारी उद्यम विभाग	5,73,00,000	...

1	2	3
गृह मंत्रालय		
51. गृह मंत्रालय	518,18,00,000	37,34,00,000
52. मंत्रिमंडल	126,02,00,000	26,68,00,000
53. पुलिस	8792,47,00,000	2162,51,00,000
54. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	371,66,00,000	4,00,00,000
55. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	1108,85,00,000	24,00,00,000
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
56. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	285,99,00,000	
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
57. बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	13039,30,00,000	250,00,00,000
58. उच्च शिक्षा विभाग	4392,63,00,000	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		
59. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	706,51,00,000	116,17,00,000
श्रम और रोजगार मंत्रालय		
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	867,52,00,000	3,41,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय		
61. निर्वाचन आयोग	7,00,00,000	
62. विधि और न्याय	739,04,00,000	13,63,00,000
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	665,86,00,000	3,48,00,000
खान मंत्रालय		
65. खान मंत्रालय	183,82,00,000	12,80,00,000
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		
66. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	311,83,00,000	25,00,00,000
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		
67. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	202,73,00,000	6,60,00,000
अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		
68. अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	19,67,00,000	7,00,00,000

1		2	3
पंचायती राज मंत्रालय			
69.	पंचायती राज मंत्रालय	1593,57,00,000	
संसदीय कार्य मंत्रालय			
70.	संसदीय कार्य मंत्रालय	2,78,00,000	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
71.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	162,93,00,000	17,67,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
72.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1056,33,00,000	
योजना मंत्रालय			
73.	योजना मंत्रालय	132,48,00,000	4,00,00,000
विद्युत मंत्रालय			
74.	विद्युत मंत्रालय	2205,91,00,000	629,67,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
76.	लोक सभा	128,00,00,000	
77.	राज्य सभा	51,64,00,000	
79.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	79,00,000	
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
80.	ग्रामीण विकास विभाग	34363,62,00,000	62,00,000
81.	भूमि संसाधन विभाग	801,88,00,000	
82.	पेय जलापूर्ति विभाग	2867,61,00,000	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
83.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	609,41,00,000	22,47,00,000
84.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	845,50,00,000	1,50,00,000
85.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	304,70,00,000	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
86.	पोत परिवहन विभाग	374,00,00,000	167,70,00,000
87.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	5069,33,00,000	4829,02,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	780,33,00,000	46,33,00,000

1	2	3
अंतरिक्ष विभाग		
89. अंतरिक्ष विभाग	955,79,00,000	530,25,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
90. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	670,09,00,000	1,33,00,000
इस्पात मंत्रालय		
91. इस्पात मंत्रालय	38,34,00,000	2,67,00,000
कपड़ा मंत्रालय		
92. कपड़ा मंत्रालय	1068,33,00,000	61,33,00,000
पर्यटन मंत्रालय		
93. पर्यटन मंत्रालय	351,33,00,000	2,00,00,000
जनजाति कार्य मंत्रालय		
94. जनजाति कार्य मंत्रालय	91,71,00,000	16,67,00,000
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
95. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	598,91,00,000	366,50,00,000
96. चंडीगढ़	548,33,00,000	145,67,00,000
97. दादरा और नगर हवेली	659,97,00,000	18,91,00,000
98. दमन और दीव	260,60,00,000	27,49,00,000
99. लक्षद्वीप	181,41,00,000	64,46,00,000
शहरी विकास मंत्रालय		
100. शहरी विकास विभाग	362,60,00,000	901,44,00,000
101. लोक निर्माण कार्य	372,42,00,000	159,43,00,000
102. लेखन-सामग्री और मुद्रण	97,47,00,000	4,00,000
जल संसाधन मंत्रालय		
103. जल संसाधन मंत्रालय	313,84,00,000	28,00,00,000
महिला और बाल विकास मंत्रालय		
104. महिला और बाल विकास मंत्रालय	2426,00,00,000	
युवा मामले और खेल मंत्रालय		
105. युवा मामले और खेल मंत्रालय	1192,36,00,000	65,66,00,000
जोड़ राजस्व/पूंजी	261209,43,00,000	35219,21,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 2009, को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें: मांग सं. 1 से 3, 6, 8, 10 से 19, 21, 23 से 25, 27 से 33, 35, 38 से 43, 46 से 51, 53 से 55, 57 से 62, 64, 65, 67 से 69, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 83 से 88, 90 से 101 और 103 से 105"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-09 की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

	मांग की संख्या और शीर्षक	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	1	2	3
1	कृषि और सहकारिता विभाग	3,00,000	
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	89,21,00,000	
3	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	3,00,000	
6	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	1,00,000	
8	नागर विमानन मंत्रालय	206,99,00,000	
10	वाणिज्य विभाग	194,42,00,000	
11	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	2,00,000	
12	डाक विभाग	784,61,00,000	
13	दूरसंचार विभाग		507,92,00,000
14	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2,00,000	
15	उपभोक्ता मामले विभाग	148,43,00,000	
16	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	3,00,000	160,51,00,000
17.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	1,00,000	
18	संस्कृति मंत्रालय	11,94,00,000	1,00,000
19	रक्षा मंत्रालय	251,86,00,000	3,00,000
21	रक्षा सेवा-थल सेना	5895,75,00,000	
23	रक्षा सेवा-वायु सेना	224,60,00,000	
24	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	1615,76,00,000	

1	2	3
25	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	201,64,00,000	...
27	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1,00,000	60,00,00,000
28	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	26,75,00,000	...
29	पर्यावरण और वन मंत्रालय	6,00,000	
30	विदेश मंत्रालय	342,39,00,000	794,92,00,000
31	आर्थिक कार्य विभाग	149,62,00,000	376,61,00,000
32	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	3143,09,00,000	656,90,00,000
33.	वित्तीय सेवाएं विभाग	8,41,00,000	
35	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	2917,10,00,000	
38.	व्यय विभाग	9,92,00,000	
39	पेंशन	585,17,00,000	
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	265,28,00,000	29,00,000
41	राजस्व विभाग	438,48,00,000	
42	प्रत्यक्ष कर	251,58,00,000	
43	अप्रत्यक्ष कर	506,91,00,000	
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8,79,00,000	1,00,000
47	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	2,00,000	
48	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	35,19,00,000	...
49	भारी उद्योग विभाग	864,07,00,000	56,51,00,000
50	सरकारी उद्यम विभाग	1,21,00,000	...
51	गृह मंत्रालय	2,00,000	
53	पुलिस	74,10,00,000	
54	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	354,20,00,000	
55	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	1,00,000	
57	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	11,58,00,000	
58	उच्च शिक्षा विभाग	8,00,000	
59	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	3,00,000	...

1	2	3
60	श्रम और रोजगार मंत्रालय	148,62,00,000	2,50,00,000
61	निर्वाचन आयोग	1,96,00,000	
62	विधि और न्याय	2,00,000	
64	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2,00,000	
65	खान मंत्रालय	26,61,00,000	
67	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	3,00,000	
68	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	2,00,000	
69	पंचायती राज मंत्रालय	1,00,000	
71	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		1,00,000
72	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	10000,00,00,000	242,47,00,000
74	विद्युत मंत्रालय	2,05,00,000	1,00,000
77	राज्य सभा	7,58,00,000	
79	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	6,00,000	
80	ग्रामीण विकास विभाग	4,00,000	
83	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,00,000	1,00,000
84	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	114,91,00,000	
85	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	
86	नौवहन विभाग	4,00,000	2,00,000
87	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	454,28,00,000	49,50,00,000
88	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	3,30,00,000	9,00,00,000
90	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1,00,000	
91	इस्पात मंत्रालय	400,20,00,000	252,05,00,000
92	कपड़ा मंत्रालय	955,24,00,000	107,43,00,000
93	पर्यटन मंत्रालय	1,00,000	12,00,00,000
94	जनजाति कार्य मंत्रालय	1,00,000	
95	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	243,98,00,000	183,95,00,000
96	चंडीगढ़	130,42,00,000	165,51,00,000
97	दादरा और नगर हवेली	361,06,00,000	4,00,00,000

	1	2	3
98	दमन और दीव	141,72,00,000	8,20,00,000
99	लक्षद्वीप	103,01,00,000	57,00,000
100	शहरी विकास विभाग	1,00,000	49,12,00,000
101	लोक निर्माण कार्य	8,41,00,000	
103	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	
104	महिला और बाल विकास मंत्रालय	2,00,000	
105	युवा मामले और खेल मंत्रालय	3,00,000	36,50,00,000
	जोड़	32768,15,00,000	3736,56,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: वर्ष 2008-2009 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें पारित की जाती हैं।

अपराह्न 3.06 बजे

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

विदेश मंत्री और वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2009-2010 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संपत्ति निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी अब कृपया विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2009-2010 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2009-2010 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.2.2009 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.08 बजे

विनियोग विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक पर विचार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री पवन कुमार बंसल: "मैं प्रस्ताव करता हूं"।

"वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.2.2009 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.10 बजे

वित्त विधेयक, 2009

[अनुवाद]

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि आयकर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि आयकर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बोलेंगे। अवधि पांच मिनट है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक, 2009 पर बोलने के लिए खड़ा हूं। जैसा हम सभी जानते हैं कि अंतरिम बजट होने के कारण वित्त विधेयक पर अधिक चर्चा के लिए कुछ नहीं है। हमने सामान्य बजट से शुरुआत की, इसके बाद लेखा अनुदान मांगों, विनियोग विधेयक पर विचार किया गया और अब हम विनियोग विधेयक पर विचार करने के तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं।

बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि वास्तव में इसमें कुछ नया नहीं है। सामान्यत: देश आयकर के नए प्रस्तावों तथा अन्य कराधान उपायों के लिए वित्त विधेयक से आशा रखता है। किंतु अंतरिम बजट तथा चुनाव निकट होने के कारण चर्चा के लिए अधिक कुछ नहीं है। अत: वित्त मंत्री ने राहत पैकेज तथा वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जो अभी कहा है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। अन्यथा में सभा स्थगित कर दूंगा।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: वित्त मंत्री ने ठीक कहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में गुजर रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा!

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: विश्व के अधिकतर देश इस मंदी से चिंतित है। हमने 1930 के बाद इस प्रकार की मंदी नहीं देखी। लोग चिंतित हैं कि मुद्रास्फीति से हम कहीं मुद्रा अपस्फीति में न पहुंच जाएं जो और अधिक खतरनाक हो सकती है। जो कुछ हम नहीं सोच सकते, वह सब हो रहा है और अमरीका के नए राष्ट्रपति श्री ओबामा ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही इस पर ध्यान दिया और एक पैकेज दिया। किसी अमरीकी ने नहीं सोचा था कि ऐसा राहत पैकेज दिया जाएगा। लेकिन भारत में हम पांच वर्ष के अच्छे समय का बखान कर रहे हैं, हम सकल घरेलू उत्पाद की 8 प्रतिशत या 9 प्रतिशत दर पर खुश हैं और हम भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं।

महोदय, उद्योग किस दौर से गुजर रहा है? उद्योग के सभी क्षेत्र—कार उद्योग, सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, जिसके बारे में वित्त मंत्री ने अभी बात की, में मंदी छाई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अवसंरचना विकास के चल रहे कार्यों के कारण इस्पात तथा कुछ प्रोत्साहन दिये जाने की मांग है। लेकिन, अन्यथा यह दिखावा मात्र ही है। हर व्यक्ति इस संकट से गुजर रहा है और हम वास्तव में इसके बारे में चिंतित नहीं हैं। सरकार को उद्योगपतियों को बुलाना चाहिए था और उनसे एकजुट होकर कोई उपाय ढूंढ़ने के लिए कहना चाहिए था और उन्हें बताना चाहिए था कि चाहे यह अंतरिम बजट ही है पर इस संकट से निपटने के लिए हम आपको बेल आउट पैकेज या राहत पैकेज दे सकते हैं। लेकिन यह संप्रग सरकार इसके बारे में चिंतित नहीं प्रतीत होती। वे सिर्फ चुनाव के बारे में चिंतित जान पड़ते हैं जो शीघ्र आने वाले हैं और वे सिर्फ यह सोच रहे हैं कि किस तरह फिर से उनकी सरकार बने। इस तरह से वे सत्ता में कभी नहीं वापस आएंगे। उद्योग उनके साथ नहीं है और आम आदमी भी उनके साथ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी समय है, चुनाव होने में दो महीने हैं, वे उद्योग को एकजुट होकर एक आयोग का गठन कर सकते हैं तथा उनसे पूछ सकते हैं कि वे ऐसे समय में क्या कर सकते हैं। समय गलत हो सकता है।

चुनाव आ चुके हैं और यदि चुनाव एक वर्ष बाद होते, तो आप इन सब पर विचार कर सकते थे। चूंकि आपने इस पर विचार नहीं किया इसलिए कृपया राहत पैकेज दें। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए वास्तव में यही किए जाने की आवश्यकता है।

मेरा शहर वस्त्र उद्योग का शहर है और सभी कपड़ा मिलें बंद हो रही हैं। उनके ऊपर वित्तीय संकट है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि निर्यात 60 प्रतिशत तक कम हो चुका है। जो कुछ मिलें चल रही हैं, उसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों से मांग का होना है। इससे कैसे निपटा जाए? आज विश्व में भी, विश्व व्यापार संगठन के समक्ष यह समस्या आ रही है। उन्हें नहीं पता कि वे क्या करने जा रहे हैं। आज विक्रय, विपणन के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय ढंग के बारे में भी जानकारी नहीं है। संकट के इस दौर में हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और मैं केवल इस बेल आउट पैकेज की बात कर रहा हूं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। कुछ कीजिए ताकि ये उद्योग संकट से उबर सकें और बने रह सकें। कम-से-कम इस डेढ़ साल की अवधि में उठ सकें। अमरीका भी जानता है कि इस डेढ़ साल की अवधि को कैसे गुजारा जाए और हम अब भी सुप्तावस्था में हैं। ऐसा लगता है हम अब भी 8-9 प्रतिशत की चकाचौंध में खोए हैं, जिसके बारे में वित्त मंत्री बात कर रहे हैं। अत:, मैं कह रहा हूं कि बेल आउट पैकेज दिया जाए।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, श्रीलंका के बारे में वक्तव्य कहां हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने उनकी बात नहीं सुनी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने माननीय मंत्री की बात नहीं सुनी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए। केवल श्री अडसूल का भाषण रिकार्ड किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह पहले ही कहा था। आप सभा में इस तरह व्यवधान नहीं डाल सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि आपकी मांग सरकार ने नोट कर ली है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द रिकार्ड नहीं किया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सभा से बाहर जायेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि इस देश के लोग आपकी ओर देख रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सभा से बाहर जायेंगे? मैं आप दोनों से सभा से बाहर जाने के लिए कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे कड़ी कार्यवाही करने के लिए मजबूर न करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है। लोगों ने आपको पहले ही देख लिया है।

अपराह्न 3.19 बजे

(इस समय डा. सी. कृष्णन और श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल (बुलढाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस अंतरिम बजट को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया है कि यूपीए सरकार के सात-सूत्रीय कार्यक्रम का केन्द्र आम आदमी है। मैं एक-एक करके बात करूंगा। यह केवल मेरा सोचना नहीं है, अपितु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भी कहा गया है, यद्यपि माननीय वित्त मंत्री के शब्दों में बहुत सारी योजनाएं आम आदमी के इर्द-गिर्द बनाई गई हैं फिर भी निधियों का विपथन किया गया है। कोई छोटी धनराशि नहीं। अपितु लगभग 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विपथित की गई है, जो बजट में विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अन्य योजनाओं जैसी बहुत सी योजनाओं के लिए मुहैया कराई गई थी।

सर्वप्रथम, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले सत्र में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंध में प्रश्न उठाते हुए मैंने माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि मेरे चुनाव क्षेत्र बुलढाना, महाराष्ट्र में दो वर्षों में केवल 50 खाते खोले गए। इसका क्या कारण है? यदि लाभार्थियों के केवल 50 खाते खोले गए तो सरकार की निगरानी और लेखा प्रणाली क्या है? हम आम आदमी के बारे में बात कर रहे हैं; हम बजट में प्रावधान कर रहे हैं लेकिन, अंतत: इसका प्रभाव क्या है? इस देश के लगभग 36 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। क्या हमारे वित्त मंत्री बता सकते हैं कि यह प्रतिशत कैसे भी नीचे आ रहा है? मेरा उत्तर है: 'नहीं'। हो सकता है, मैं उत्तर में ऐसा सुनूं।

दूसरी बात, लगभग 26 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। क्या इस प्रतिशत में कमी आई है अवसंरचना और कृषि के लिए भी प्रावधान है। बजट में काफी धनराशि का प्रावधान किया गया था। अंतत: यदि सब कुछ आम आदमी के लिए किया गया है, तो वह आम आदमी कहां है? वह वहीं है। बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज भी, महाराष्ट्र के विभिन्न भागों, विशेष रूप से विदर्भ में आत्महत्याएं हो रही हैं। तो इन सब चीजों का क्या फायदा है? यदि मैं यह कहूं कि यह सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए है, तो यह गलत नहीं होगा। यह भ्रामक है। जो मैंने पहले कहा, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में कहा गया है कि बहुत सारी मदें हैं। यदि मैं एक-एक बताऊं, तो इसमें समय लगेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जो इम्पोर्टेंट प्वाइंट्स हैं, उन्हें जल्दी बोल दीजिए, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: ठीक है, महोदय।

अब मैं बैंकिंग उद्योग की बात करूंगा। पिछले तीन वर्षों से, मैं पूर्व वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा हूं और मुझे आशा है कि वर्तमान वित्त मंत्री भी इस ओर ध्यान देंगे कि बैंकाकारी विनियमन अधिनियम के अनुसार सहकारी बैंकों पर वाणिज्यिक बैंकों के ही समान विनियमन नियम लागू होते हैं। यदि सीएलआर, सीआरएआर अथवा अन्यथा एसएलआर को रियायत दी जाती है, तो फिर सहकारी बैंकिंग उद्योग को उसका लाभ क्यों नहीं दिया जाता?

पिछले दो वर्षों से मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि सहकारी बैंकिंग उद्योग पर आयकर न लगे। आयकर अधिनियम की धारा 80(पी) के तहत इसमें छूट दी गई है परन्तु गत दो वर्षों से सहकारी बैंकिंग उद्योग पर आयकर लगाया जा रहा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं कि सहकारी बैंकिंग उद्योग अलग है। यह आम आदमी के लिए है। सरकार के अनुसार यह आम आदमी के लिए है। सहकारी बैंकिंग उद्योग के शेयर विक्रय नहीं हैं। इसलिए कर्जदार बैंक का सदस्य है। यदि वह बैंक का सदस्य नहीं है तो वह उधार नहीं ले सकता। इसलिए यह लाभांश का हकदार होता है। यदि हम आयकर लगाते हैं तो प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में विकास हेतु तथा लाभांश हेतु किसी बात पर भी विचार नहीं किया जाता।

ऐसी बहुत-सी बाते हैं, परंतु समय की कमी के कारण, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे भी इसका ध्यान दे। हम पहले ही वित्तीय कार्य के लिए निर्धारित समय से तीन घंटे अधिक ले चुके हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: दो माननीय सदस्य वित्त विधेयक पर अपनी टिप्पणी कर चुके हैं। जैसाकि मैंने पहले बताया और यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी है कि इस अन्तरिम बजट में करों में भेद न होने के कारण इस वित्त विधेयक पर चर्चा का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो गया है।

परंतु, इसके साथ ही, यह एक संवैधानिक आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार, इस देश में करों को 365 दिनों के लिए लगाया जाता है। अत: करों की दरों में भी भेद नहीं है; इस विधेयक को प्रस्तुत करना, संसद में अनुमति प्राप्त करना एक प्रथा है और संसद की अनुमति के बिना कोई भी किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकता या उसकी उगाही नहीं कर सकता या उसे एकत्र नहीं कर सकता। अत: यह एक संवैधानिक आवश्यकता है।

परंतु, सभी बातों को दरकिनार करते हुए, माननीय सदस्य द्वारा उल्लेखित 'बेल आउट पैकेज' की आवश्यकता है। मैंने तीन बातों का उल्लेख किया है। पहला, मैंने अपने मूल बजट भाषण में और तत्पश्चात् अपने उत्तर में इस सरकार द्वारा घोषित 'बेल आउट पैकेज' का उल्लेख किया है। यह क्षण है कि इसके परिणाम मिलने लगे हैं। उदाहरण के लिए माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किये गये तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् इस्पात, सीमेंट और वाणिज्यिक वाहनों में कुछ सुधार हुआ है और हम इस स्थिति पर विचार कर रहे हैं क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है और धीरे-धीरे इसकी मांग में भी वृद्धि हो रही है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि निर्यात क्षेत्र में विशेषकर वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ है परन्तु इसके लिए भी हमने कुछ रियायत दी है, जिसकी घोषणा पहले की गई थी और आज के पैकेज में भी मैंने कुछ लाभ प्रदान किए हैं जो 31 मार्च, 2009 तक सीमित थे, उन्हें एक वर्ष से आगे बढ़ा दिया गया है। हम उचित समय पर इस पर विचार करेंगे, परंतु साथ ही मैंने यह भी उल्लेख किया है कि यदि कोई सामान्य घटना घटती है और कोई निश्चित कार्यवाही करने की मांग की जाएगी तो सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी।

उदाहरण के लिए बैंक दरों में कमी को ले लीजिए। कुछ दिन पहले मेरी रिजर्व बैंक के गवर्नर से चर्चा हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि उन्होंने बैंकों को जो अधिक सुविधाएं दी हैं और उन्हें जो तरलता उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल रहा है। अत: उद्योगों की आवश्यकता पर नजर रखते हुए, मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करेंगे कि यह वास्तविक ऋण देने की दर में पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित हो और आवश्यकता को पूरा करे।

कुछ क्षेत्रों में, हमने सात प्रतिशत ब्याज निर्धारित किया है और हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं और पुनर्वित्तपोषण सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि इन उपायों का प्रभाव जल्द ही दिखाई देगा। परंतु यह भी स्मरण रहे कि लोगों के दिमाग में मनोवैज्ञानिक डर है और यह कुछ हद तक अत्यंत गंभीर स्थिति है। माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि 1930 के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में इस प्रकार की मंदी कभी नहीं आई। 1930 की मंदी के बाद क्या हुआ

था? उसके क्या परिणाम निकले? इसके भी क्या परिणाम निकले और विश्व को यह सब सहना पड़ा। सभी को इसकी जानकारी है। हम निश्चित रूप से यह नहीं चाहते कि ऐसा दुबारा हो। परंतु, यह ध्यान में रखते हुए जो भी संभव प्रयास है, वह किये जा रहे हैं, हम ऐसा करते रहेंगे। जब भी कभी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता होगी सरकार पीछे नहीं हटेगी।

लोगों को इसका लाभ मिला या नहीं यह जनता निर्णय करेगी। हमने जनता को यह दे दिया है। अब उनके निर्णय का समय आ गया है। हमें इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए तथा इस पर वाद विवाद करके सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आयकर की वर्तमान दरों को वित्तीय वर्ष 2009-10 पर भी लागू करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.30 बजे

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा अनुपूरक कार्यसूची को विचारार्थ लेगी.... श्री ऑस्कर फर्नांडिस।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, श्री राधाकृष्णन, पुर:स्थापित किये जाने के चरण में आप इसका विरोध कर सकते हैं। परन्तु, विधेयक को वापस लेने के समय भी आप इसका विरोध कर रहे हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मुझे सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए बहुत खेद हो रहा है कि इस सरकार ने विधायिका की शक्तियों पर अतिक्रमण करने की आदत बना ली है उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन संबंधी एक विशेष मामला हमारे समक्ष है। इस अधिनियम में कुछ प्रावधान हैं।

संविधान के अनुच्छेद 123 में ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जिसमें अप्रत्याशित और आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश पारित किया जा सकता है। परन्तु, यहां एक ऐसा मामला सामने है जो मौजूदा अधिनियम में संशोधन से जुड़ा हुआ है। न केवल इतना ही, इस प्रयोजनार्थ दिसम्बर, 2007 में सभा में विधेयक पुर: स्थापित किया गया और तत्पश्चात्, इस विधेयक को श्रम संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया। श्रम संबंधी स्थायी समिति ने भी यथा समय अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया परन्तु, सरकार उसे दबाए बैठी रही। सरकार ने श्रम संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार नहीं किया। मामले को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा गया।

सही तरीका यह था कि अनुच्छेद 123 का प्रयोग किये बिना सरकार को सभा में एक विधेयक पेश करके उसे पारित कराना चाहिए था। परन्तु, सही तरीका न अपनाकर सरकार ने संविधान के आपातकालीन प्रावधान का सहारा लिया जो कि संविधान के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है।

महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से आपको याद होगा कि ऐसे मामले पहले भी हुए हैं। यह दूसरा अवसर है जबकि अध्यादेश प्रस्तुत किया गया है। पिछले मामले में, वह किसी अन्य मामले से संबंधित था। अब, यह एक दूसरा मामला है। श्रम संबंधी स्थायी समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और सभा को उसकी जानकारी है। जब सभा के विचाराधीन

कोई विधेयक हो तो कानून सरकार को अध्यादेश जारी करने की अनुमति नहीं देता। यह विधायिका की शक्तियों का अतिक्रमण है।

अध्यक्ष महोदय: अब वह विधेयक पुर:स्थापित कर रहे हैं। अगली मद विधेयक पुर:स्थापित करने के बारे में है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: सरकार के लिए यह रोजमर्रा का मामला बन गया है। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि संविधान का दुरुपयोग किया जाता है और इसका उपयोग विधेयक को कानून बनाने के लिए किया गया है। अध्यादेश सभा के स्थान पर मंत्रालय में तैयार किया जाता है। कार्यवाही सारांश इस सभा में तैयार होने चाहिए। परंतु यहां, संविधान में विहित की गई सामान्य प्रक्रिया की जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है। राजनैतिक लाभ की दृष्टि से सरकार ने संविधान के आपातकालीन प्रावधान का उपयोग किया है जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

माननीय अध्यक्ष को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया को कोई पूर्वोदाहरण कायम करने के लिए रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सभा के ध्यान में इस बात को विशेष रूप से लाया जाए कि इस प्रकार की प्रक्रिया का सहारा कभी नहीं लिया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, हम विधेयक पुर:स्थापित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अध्यादेश जारी करने जा रहे हैं?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय, विधेयक वापस ले सकते हैं।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मंत्री महोदय अब विधेयक पुर:स्थापित कर सकते हैं।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद संख्या 31 लेगी। श्री जयपाल रेड्डी ने सूचना दी है।

श्री अजय माकन–उपस्थित नहीं।

ठीक है, मुझे अपनी असहमति जतानी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। मैं आपसे सहमत हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

धनशोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं 32 पर विचार आरंभ करेगी–श्री पवन कुमार बंसल।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.2.2009 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ साथी, श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं:

> "कि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002, राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 को वर्ष 2005 में लागू किया गया था। अनुभवों से सीखते हुए तथा विभिन्न देशों में विद्यमान विधान के अनुरूप प्रावधान बनाने के लिए धनशोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008 राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया। इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा गया। स्थायी समिति ने इस विधेयक पर विस्तार से विचार-विमर्श करके अपनी टिप्पणियां दीं और उन टिप्पणियों के आधार पर हमने राज्य सभा में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए तथा राज्य सभा ने इस विधेयक को 19 फरवरी, 2009 को पारित किया।

मैं बहुत संक्षेप में, उन संशोधनों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन्हें हमने सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें शामिल हैं-(1) धनशोधन निवारण अधिनियम की अनुसूची में आतंकवादियों के लिए निधि जुटाना जैसे अन्य अपराधों को जोड़ना; (2) सीमा के आरपार विवक्षा वाले अपराध नामक अपराधों की नई श्रेणी का उपबंध करना-यह अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के मामलों में अनुसूची के भाग ख के अधीन अनुसूचित अपराधों के लिए 30 लाख रु. की सीमा को प्रभावी ढंग से हटा देगा; (3) धन परिवर्तक और धन अंतरण सेवा प्रदाता और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज को प्रस्तुत शासन पद्धति के भीतर लाना; और (4) कैसीनो जैसे निर्धारित गैर वित्तीय कारबार को प्रस्तुत शासन पद्धति के अधीन लाना।

इस अधिनियम को लागू करने में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया गया, जिन्हें अब यह प्रावधान करते हुए हटाने की आवश्यकता है कि अपराध से अर्जित संपत्ति और यह बहुत महत्वपूर्ण है-अनंतिम कुर्की की जा सकती है चाहे वह ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में ही क्यों न हो जिस पर अनुसूचित अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है; और दूसरा, यह प्रावधान करना कि अपराध से अर्जित संपत्ति की अनंतिम कुर्की के ऐसे आदेश की पुष्टि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है। अनंतिम कुर्की जो आरंभ में 30 दिन की अवधि के लिए स्वीकृत थी अब 150 दिन तक जारी रह सकती है।

अपराह्न 3.38 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

हमने यह भी उपबंधित किया है कि ऐसे मामलों में जहां पुलिस अनुसूचित अपराधों की जांच कर रही है पुलिस प्राधिकारियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अधीन परिवाद फाइल करने के स्तर पर तलाशी लेने और जब्त करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि तलाशी लेने या पकड़ने का अधिकार उन अधिकारियों को प्रत्यायोजित किया जा सकता है जो उपनिदेशक रैंक से नीचे न हो।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक को इस माननीय सभा को प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी धनशोधन निवारण विधेयक में जो संशोधन लाए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं परंतु यह कहना चाहता हूं कि यदि इन संशोधनों को जल्दी लाते तो और अच्छा होता। इन संशोधनों के बाद हमें यह अधिकार हो जाएगा कि हम फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य बनकर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सफल होंगे। इससे जो पैसा इन गतिविधियों में लगता है, उन पर हम नियंत्रण पा सकेंगे।

मध्य 80 के बाद और 90 के दशक में विश्व में और विशेषकर हमारे देश में आतंकवाद में बढ़ोत्तरी देखी गई। इन गतिविधियों को रोकने का सबसे पहला प्रयास वर्ष 1998 वियना में यूनाइटेड नेशन्स द्वारा किया गया। उसी के परिणामस्वरूप आज यह धनशोधन निवारण (संशोधन) विधेयक लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि हम सभी इसके लिए जवाबदेह हैं। हमारे देश की इकोनामी एक ट्रिलियन डॉलर की है और इसी के पेर्लल काले धन की इकोनामी भी एक ट्रिलियन डॉलर की चल रही है। इस पेर्लल इकोनामी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक हम आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सफल नहीं हो पाएंगे।

महोदय, एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में सबसे अधिक धनराशि हमारे देश के लोगों की जमा है। उस धन को निकालने के जो प्रयास किये जाने चाहिए थे, वह अभी तक नहीं किये गये

हैं। जर्मनी की सरकार ने इसके लिए प्रयास किये हैं। उन्होंने वहां से यह सूचना निकाली है कि किन कम्पनियों के खाते स्विस बैंक में हैं, जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया है। फिनलैंड की सरकार ने प्रयास किया और उन्हें भी सफलता मिली। हमें भी प्रयास करने चाहिए कि स्विस बैंक में किन लोगों का पैसा रखा है और इस धनराशि का उपयोग कहां और कैसे हो रहा है? कहीं इस धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए हमारे देश के खिलाफ तो नहीं हो रहा है? मैं समझता हूं कि यह प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है।

महोदय, हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में वक्तव्य देते हुए यह कहा है कि आज जितना स्लश मनी, ड्रग के मार्फत जो काला पैसा आता है अथवा वाइल्ड लाइफ ट्रेड के माध्यम से जो पैसा आता है, वह रियल एस्टेट में लगाया जा रहा है। इसे बहुत गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने की आवश्यकता है। ट्रांसपैरेंसी संस्था ने 146 देशों का सर्वे किया था, जिसमें हमारा देश भ्रष्टाचार में 91 स्थान पर है। इन पर रोक लगाने के लिए आप इस बिल में क्या प्रयास करने जा रहे हैं, कृपया इसे बताएं।

महोदय, आईएमएफ के सर्वे के अनुसार लगभग 40 लाख करोड़ रुपया ब्लैकमनी के रूप में हमारे देश में है। इस ब्लैकमनी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी बोला जाए कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

श्री लक्ष्मण सिंह: महोदय मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये सारा धन गंदा पैसा, काला धन या अवैध तस्करी, अवैध दवाओं का व्यापार, वन्यजीव व्यापार जैसे अवैध तरीकों से कमाया गया धन। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लक्ष्मण सिंह, किसी सदस्य को संबोधित न करें। कृपया पीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: महोदय, हम इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन इस बिल को और प्रभावी बनाने के लिए शासन को और अधिक कठोर प्रयास करने होंगे। आप क्या प्रयास करेंगे? क्या कदम उठाएंगे? राज्य सरकारों से क्या सहायता चाहते हैं? मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन सब बातों का उल्लेख अपने भाषण में करें।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, हमने इसे स्थायी समिति से जल्दी में पारित कराया है क्योंकि आप इसे अन्य आतंकवाद विरोधी विधानों, जो पारित किये जा रहे हैं, के साथ-साथ पारित किये जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। लेकिन इसने इतना अधिक समय लिया है–जो भी कठिनाइयां रही हो और अब यह आपके सामने है। मैं केवल दो बातें रखूंगा।

पहले, स्थायी समिति ने आतंकवादी ताकतों द्वारा प्रयोग किये जा रहे नए अवसरों सहित विभिन्न प्रावधानों पर विचार किया है; ताकि उन्हें अपराध न्याय प्रणाली के दायरे में लाया जा सके। लेकिन आज भी हम पाते हैं कि हवाला तंत्र बहुत प्रमुख है। यहां तक कि सत्यम मामले में भी हम पाते हैं कि एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी ने हवाला का मार्ग अपनाया था। एक ब्रिटिश अनुसंधान दल टिप्पणी कर रहा है कि भारत में ऐसी लगभग 500 कंपनियां हैं जो हवाला के मार्ग का प्रयोग कर रही हैं और वे उस धन का प्रयोग भी नहीं कर रही हैं जो उन्होंने उसी प्रयोजन हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में लिया है। पहले वे धन को शेयर बाजार में लगाते हैं और कभी वे इसका प्रयोग उस प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं जो वह ऋण लेने के लिए बताए गए प्रयोजनों से संगत नहीं है, यह बाह्य वाणिज्यिक ऋण या अन्य ऋण हो सकते हैं।

उन्होंने स्विस बैंक खातों के बारे में उल्लेख किया है। आज भी हम पाते हैं कि यूबीएस को अमरीकी ठगों के बैंक खातों के बारे में स्पष्ट जानकारी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए निवेदन किया है। अब खबरें हैं कि 1400 बिलियन डालर से अधिक भारतीय धन गुप्त खातों में जमा है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक 'टैक्स दैवन्स' हैं जहां धन जमा है। यह टिप्पणी की गई थी कि वह धन वापस आ रहा है, और पूंजी बाजार का प्रयोग स्वयं आतंकवादी समूहों द्वारा किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की टिप्पणी थी। यह मुद्दा तब आया है जब तक इसकी जांच कर रहे हैं। जाली नोटों का मुद्दा भी आया है। ये सभी मुद्दे यहां हैं।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं किंतु मेरे विचार से आतंकवाद के विरोध में उठाए जा रहे कदमों को ध्यान में रख कर यह विधेयक लाया गया है। ऐसे कई क्षेत्र और कमियां हैं जिन्हें समुचित रूप से दूर करना है। ऐसी पहली कमी है 'पार्टिसिपेटरी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नोट'। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस पर प्रतिबंध लगे किंतु कई कारणों से सरकार ने यह नहीं किया। ऐसे धन के स्रोत का कभी पता नहीं चलता। ऐसा धन कई स्रोतों से आ रहा है। अत: जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यह टिप्पणी कर रहे थे कि यह धन पूंजी बाजार में आ रहा है तब यह धन भी आतंकवादियों का था। मेरे विचार से ये सब एक दूसरे से संबंधित मुद्दे हैं।

विनियमन के कई रूप हैं। एक रूप आप अमरीका में देख सकते हैं जहां इसके गिरते ही लेहमैन ब्रदर्स वस्तुत: सड़क पर आ गए। वाल स्ट्रीट की अन्य कई हस्तियां जो न सिर्फ सड़कों पर लुढ़क रही हैं बल्कि गायब भी हो गई हैं। ये कंपनियां, जिनके अपने पैसे हैं, लुप्त होती जा रही हैं।

अब सत्यम के संबंध में हम यह भी पाते हैं कि वे भी हवाला मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। अत: मेरा सुझाव यह होगा कि इसे मजबूत करने या प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाने के लिए जो प्रावधान हमने बनाए हैं उसके अतिरिक्त उन्हें अपराधिक न्याय और अपराधिक कानून के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। अत: विधेयक में अनुसूची जोड़ी जा रही है। मैं सुझाव देता हूं कि 'पार्टिसिपेटरी नोट' जैसे प्रावधान या विदेशों को भेजे जा रहे धन की सूचनाओं पर पुनर्विचार किया जाए जिसका प्रयोग आतंकवादियों द्वारा विभिन्न नामों या विभिन्न गैर सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से किया जाता है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह कुछ और व्यापक उपायों को उसमें जोड़ने के लिए इस विधेयक पर विचार करे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रिवेंशन ऑफ मनी-लांड्रिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2009 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुम्बई पर आतंकवादियों के हमले के बाद मैं बहुत सारे इंटरव्यूज सुन चुका हूं, लेकिन हमले के पीछे कौन लोग हैं, यह पता ही नहीं लग रहा है। जो आतंकवादी हमला मुम्बई पर हुआ, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं तीन दिन तक वहां लगातार बना रहा। मुम्बई में जो आतंकवादी आए, वहां उन्होंने हमला किया, उन्हें वहां ले जाने वाला कौन था? मैं स्वयं मुम्बई शहर से हूं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मुझे हमले से पहले तक पता नहीं था कि नरीमन बिल्डिंग कहां है, लेकिन आतंकवादियों को बराबर पता था कि नरीमन बिल्डिंग कहां है या लेपर्ड होटल कहां है; इसलिए उन्होंने वहां फायरिंग शुरू की। उन्हें पता था कि वहां फॉरेनर्स आते हैं। यानी उन्हें मुम्बई की पूरी जानकारी देने वाला कोई न कोई था।

महोदय, उन्हें धन उपलब्ध कराने वाला भी कोई न कोई था। मैं मनी-लांड्रिंग बिल पर ही बोल रहा हूं कि आखिर यह पैसा हवाले के माध्यम से उन तक कैसे पहुंचता है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें डिस्टर्ब न कीजिए। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

श्री मोहन रावले: महोदय, उनके पास पैसा कहां से आता है, यह देखना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं सिक्योरिटी के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां की पुलिस को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने की जरूरत है। मैंने देखा था कि यदि पुलिस को अच्छी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई होती, तो जितने पुलिस वाले मारे गए हैं, वे नहीं मारे जाते। उन्हें टैररिस्ट्स के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग और नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग देने की जरूरत है। टैररिस्ट्स कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, उन्हें पैसा कहां से मिलता है, इस सबकी जानकारी होनी चाहिए। अगर वहां की पुलिस को टैररिस्ट के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी गई होती, तो जितनी ज्यादा संख्या में पुलिस वाले मुम्बई में टैररिस्ट्स के हाथों मारे गए, वे नहीं मारे जाते। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुम्बई के पुलिस वाले बहुत बहादुर थे, लेकिन उन्हें ऐसा पता नहीं था कि टैररिस्ट्स को किस प्रकार मौका देखकर मारना है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मुम्बई पुलिस वालों को इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए। शशांक शिंदे जो बहादुर आफिसर था उसे अशोक चक्र मिलना चाहिए।

मैं बिल से हटकर, एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूं। मुम्बई शहर में आतंकवादियों ने हमला किया, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर श्री शशांक शिंदे के साथ और कई लोग मारे गए। मेरा निवेदन है कि श्री शशांक शिंदे को आप अशोक चक्र से सम्मानित कीजिए। मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रिवेंशन ऑफ मनी-लांड्रिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2009 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस क्रम में कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक बहुत ही प्राचीन बुराई है, जिसमें आर्थिक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा शेयर है। काले धन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों को बढ़ावा मिलता है। यह देश को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक हर पहलू से प्रभावित करता है। यह कोई लोकल फिनोमिना नहीं है। आज के समय में जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का युग है, तो यह ग्लोबल फिनॉमिना है और किसी एक जगह से नियंत्रित करने से यह नियंत्रित होने वाला नहीं है।

महोदय, मैं यू.पी.ए. सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसके समय में आर्थिक क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है। कम्प्यूटराइजेशन और आटोमेशन के माध्यम से और कई ऐसे प्रभावी सॉफ्टवेयर विकसित किए गए, जिनके द्वारा इस प्रकार की मनी-लांड्रिंग को डिसकरेज करने का कार्य किया गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पिलफिरेज रह गए हैं। अब यह ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसे अधिक से अधिक कैसे प्रतिबंधित करें, ऐसे उपाय सरकार को करने चाहिए। हाल के दिनों में विदेशों से उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, मनी-लॉड्रिंग सिस्टम के माध्यम से अवैध धन आने की सूचना मिलती रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें हाई प्रिसीजन की जरूरत है और प्रिसाइज-वे में जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, वह टैस्टेड और फूलप्रूफ होना चाहिए। हमेशा उसे बेहतर बनाने और उसकी मैंटिनेंस के उपाय किये जाने चाहिए।

उद्योग धन्धों और व्यापार के नाम पर बहुत तरह के पिलफरेज पाये जा रहे हैं और कालेधन का फ्लो हो रहा है। मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि यू.पी.ए. सरकार की जो पिछले वर्षों की बजटरी एप्रोच रही है, जिसमें टैक्सेशन के माध्यम से वैसी चीजों को भी बांधने की कोशिश की गई है, जहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती थी या जिस माध्यम से एक पैरलल पैसेज हुआ करता था, वैसी मनी के फ्लो को और जो आज पैकेज सिस्टम ग्लोबली हर जगह चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है, ऐसे पैकेज का एक बहुत बड़ा पार्ट अनटैक्स्ड रह जाता है, चाहे विभिन्न तरह के मैंटीनेंस कॉस्ट के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो, उसके हैड्स ऐसे होते हैं, जो टैक्स की पैरीफरी में नहीं आते हैं। सरकार की एप्रोच है कि धीरे-धीरे वैसे हैड्स को भी टैक्स की पैरीफरी में लाकर वैसे अवैध फ्लो को रोकने का प्रयास किया जाये।

हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में खास तौर से नेशनल इंटेग्रिटी पर जो क्वश्चन इसके माध्यम से हो रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइम, जो ब्लैकमनी फ्लो या फिर विदेशी विध्वंसक शक्तियों के द्वारा ऐसा मनी का फ्लो हो रहा है, सरकार की प्रायरटी में उसको रोकना होना चाहिए।

इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं धनशोधन निवारण अधिनियम जो धनशोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009 के नाम से जाना जाता है, में संशोधन के लिए प्रस्तुत किये गये विधेयक पर चर्चा में भाग लेने हेतु खड़ा हुआ हूं।

मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि यह विधेयक राज्य सभा में था और इसे वित्त मामलों की स्थायी समिति को भेज दिया गया था। जैसाकि श्री रूपचन्द पाल ने कहा है कि वित्त मामलों की स्थायी समिति ने राष्ट्रहित में जल्दबाजी की और कुछ सुझाव भी दिये। यद्यपि संसद ने इस अधिनियम को 2002 में पारित किया था तथापि यह 2005 में प्रभावी हुआ। लेकिन इसके बाद देश में कई घटनाएं घटीं। महोदय, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के प्रति हमारी बाध्यता के कारण यह संशोधन आवश्यक हो गया है। यूएनजीए ने धन शोधन को रोकने के लिए राजनीतिक घोषणा को अंगीकार किया तथा कार्यवाही के लिए वैश्विक कार्यक्रम बनाया। 2002 का यह अधिनियम 2005 से प्रभावी हुआ, इसका उद्देश्य धन शोधन को रोकना तथा इससे खरीदी गई संपत्ति जब्त करने तथा इससे संबंधित मामले पर कार्यवाही करना है।

मुझे वह दिन याद है जब दिल्ली के रेलवे प्लेटफार्म से कालाधन, हवाला के धन से भरा एक बैग पकड़ा गया। इस तरह की कई घटनाएं हुईं और नब्बे के आरंभिक दशक में बहुत से मामले दर्ज हुए थे। उस समय मीडिया में यह समाचार था कि यह हवाला का धन था जिसे जम्मू और कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिए भेजे जाने की संभावना थी। पूरा देश यह जनता है कि धन की आतंकवादी गतिविधियों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। सिर्फ गरीबी ही ने विश्व के कई भागों में आतंकवादी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है बल्कि धन ने भी पूरे विश्व में आतंकवादी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक समय ड्रग माफियाओं के पनपने में धन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे इसका प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में होने लगा। अब जो आतंकवादी गतिविधियां हमारे यहां हो रही है, जैसाकि हम कह सकते हैं कि उन्हें व्यक्त या अव्यक्त धार्मिक समर्थन भी है।

अपराह्न 4.00 बजे

अत: परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की आवश्यकता होती है और विशेषकर वह संशोधन जिसे यहां जोड़ा गया है, यद्यपि राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये मूल संशोधन में यह शामिल नहीं था तथापि यह नकली, जाली नोटों, बैंक नोटों या वचन पत्रों जैसा कि वास्तविक, जाली, नकली, मुद्रा नोटों या बैंक नोटों के प्रयोग के लिए कहा गया है, से संबंधित था। सरकार को यह पता है कि न सिर्फ नेपाल या बांग्लादेश बल्कि थाईलैण्ड से भी कितनी मात्रा में काला धन या नकली नोट देश में विभिन्न माध्यमों से आ रहे हैं। अफ्रीकी देशों के बहुत से लोग हमारे देश में जाली मुद्रा लाने में शामिल हो रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रस्तावित संशोधन में भी यह कहा गया है कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम,

1985 के अंतर्गत अपराध तथा भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध वास्तविक हैं। मैं कहता हूं कि इस विधेयक में पर्याप्त सुरक्षोपाय किये गये हैं।

हाल में मेरे विचार में दो तीन महीने पहले मीडिया में रिपोर्ट थी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक वक्तव्य दिया तथा मुझे नहीं लगता अभी तक इसका विरोध किया गया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया है कि हवाला का धन या आतंकवादियों का धन शेयर बाजार में लगाया गया है। हमारे शेयर बाजार में धन का निवेश किया जा रहा है। यह बहुत गंभीर बात है किंतु फिर भी मुझे शक है। मेरे विचार में मंत्री जी इसका उत्तर देते हुए स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि यह कहां तक सही है, यदि ऐसा है तो क्या यह विधेयक इस तथ्य का संज्ञान लेने और इसके विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम है क्योंकि धन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं उस संशोधन की सराहना करता हूं विशेषकर जो संशोधन हुआ है या कुछ प्रकल्पनाएं हैं कि छापा मारा जा सकता है और कार्यवाही के समय संपत्ति जब्त की जा सकती है। ये दो महत्वपूर्ण संशोधन हैं जो इस विधेयक में हैं और मैं उसकी सराहना करता है। मैं यह भी आशा करता हूं कि जो धन शेयर बाजार में निवेश किया जा रहा है-हवाला का धन या आतंकवादी का धन, जिस किसी माध्यम से आए, यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो मेरे विचार में हमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में धन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): महोदय, मैं धनशोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009 का समर्थन करता हूं। इसमें अधिकांश मुद्दों को शामिल किया गया है और इसे जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी की सराहना करता हूं। मैं दो-तीन अत्यंत विशिष्ट मुद्दे उठाना चाहता हूं।

9/11 की घटना के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने ठीक ही कहा था कि हमें आतंकवादी हमलों और आतंकवादी गतिविधियों में लग रहे धन को रोकना चाहिए। कई विकल्प आ गए हैं। आज कोई भी अपने पास नकद धन नहीं रखता। वे इलेक्ट्रानिक अंतरण, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि का प्रयोग करते हैं। लोगों का कहना है कि अमरीका में मंदी सहित सभी बड़े घोटालों का एक कारण क्रेडिट कार्ड और डेबिट प्रणाली भी है।

वे नहीं जानते कि कैसे अरबों रुपये जालसाजी और धोखेबाजी को भेंट चढ़ गए। उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें उस राह पर नहीं चलना चाहिए। इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। सब कुछ व्यवस्थित है। परंतु हम यह नहीं जानते कि उन्हें कैसे लागू किया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड जालसाजी के संबंध में कुछ किया जाना चाहिए ताकि आज हमारी जो वित्तीय प्रणाली है और आर्थिक स्थिति है उस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे पास विभिन्न मूल्यवर्गों के मुद्रा नोट हैं जैसे एक हजार रुपये का नोट और पांच सौ रुपये का नोट। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या उनके पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं? क्या उनके पास कोई विशिष्ट सुरक्षा उपाय हैं। मेरी हाल ही में एक विशेषज्ञ, जो भारतीय हैं, से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि वह इस पहलू पर सरकार को परामर्श देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि स्विस फ्रैंक करेन्सी में 20 ऐसी विशिष्टताएं हैं जिनके कारण जालसाजी नहीं की जा सकती। जबकि हमारे मुद्रा नोटों में केवल दो से तीन सुरक्षा विशिष्टताएं और सुरक्षा उपाय हैं। हम इस प्रणाली में सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? आस्ट्रेलिया में प्लास्टिक कार्ड हैं जो प्लास्टिक नोट नहीं हैं। उनमें विशिष्टताएं नहीं हो सकतीं। अत: वे भी इसका विकल्प ढूंढ़ रहे हैं। मेरा यह कहना है कि हमें मुद्रा नोटों की सुरक्षा विशिष्टताओं का उन्नयन करना चाहिए ताकि जालसाजी न की जा सके। इसकी विशिष्टताओं में करेंसी नोटों का रंग है जो इसमें 'आरबीआई', लिखा होता है जिनमें सुधार किया जा सकता है। हम सुरक्षा विशिष्टताओं में वृद्धि कर सकते हैं ताकि भारत में जाने वाले जाली नोटों को रोका जा सके।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, मैं इस विधेयक पर संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): आपकी पार्टी से श्री मेहताब पहले ही बोल चुके हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: जल्दी क्या है? मैं माननीय सभापति जी से केवल दो मिनट बोलने की अनुमति मांग रहा हूं। आप बाधा क्यों डाल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। अत: आप केवल दो मिनट के लिए बोल सकते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, यह विधेयक धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करने हेतु लाया गया है। इस समय मोटे तौर पर यह गणना की गई है कि लगभग एक ट्रिलियन डॉलर धनराशि का शोधन किया जाता है और प्रत्येक वर्ष यह राशि भारत आती है। भारत की समानान्तर अर्थव्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस पर विचार ही नहीं किया जाता कि किसी के पास काला धन है और इसकी जानकारी सभी को है और किस प्रकार काले धन का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के

लिए किया जाता है। आतंकवाद का मुकाबला करने में यह सबसे बड़ी समस्या है और हम इस धन का पता लगाने में असमर्थ हैं। यह विधान वर्ष 2002 में बताया गया था और इस अधिनियम के प्रावधानों को वर्ष 2005 में लागू किया गया था। सरकार पिछले दो तीन वर्षों से इसको लेकर शांत बैठी रही पर अब वह इसे अधिक प्रभावी बनाने जा रही है। इस अधिनियम को अधिक कारगर बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान अधिनियम के जो भी प्रावधान हैं वे धनशोधन में नियंत्रित करने और आतंकवाद पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

इस विधेयक पर पहले ही कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। धनशोधन निवारण कानून अपराध पर नियंत्रण न करके केवल काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने से रोकेगा। परंतु इसे तभी जब्त किया जा सकता है जब वह किसी अनुसूचित अपराध में अंतर्ग्रस्त हो। इससे कानून निष्प्रभावी हो जाता है। जो भी प्रावधान बनाए गए हैं वे केवल अपराध को ही बढ़ावा देते हैं। इसके लिए किसी को भी दंडित नहीं किया जाएगा। अत: इससे निपटने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अन्यथा, यह कानून अप्रभावी हो जाएगा। वास्तव में काला धन समानान्तर अर्थव्यवस्था के रूप में चल रहा है अत: आतंकवादी गतिविधियां भी चलती रहेंगी।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान हाल ही में मीडिया में छपी एक रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। इससे पता चलता है कि धनशोधन रैकेट में लाखों करोड़ रुपये लगे हुए हैं। घुड़ फार्म मालिक श्री हसन अली खान तथाकथित रूप से 35,000 करोड़ रु. की अंतर्ग्रस्त धनराशि का अवशोधन रैकेट चला रहा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि यह 35,000 करोड़ रु. गैर-कानूनी ढंग से विदेशों में हस्तान्तरित कर दिए गए हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी मामले की जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय को भी आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। इस मामले में और कौन शामिल हैं। इस जांच का क्या परिणाम निकला? मैं इस मामले का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मीडिया में छपा है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इसकी जांच की गई है। यह सभा और मैं इस जांच का परिणाम जानना चाहते हैं। यह मामला आपके हाथ में है और यह मामला जांचाधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस धनराशि के असली मालिक का पता लगा पाएंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, इस विधेयक को व्यापक समर्थन देने के लिए मैं श्री लक्ष्मण सिंह, श्री रूपचंद पाल, श्री मोहन रावले, श्री आलोक मेहता, श्री भर्तृहरि महताब, श्री वी.पी. सिंह और श्री बृज किशोर त्रिपाठी का आभारी हूं। अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए भी मैं उनका आभारी हूं।

सर्वप्रथम मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उनके सुझावों को सम्मान देंगे और समय-समय पर निश्चित रूप से उनकी सहायता लेंगे। कानून बनाना सदैव एक सतत प्रक्रिया है और हम अनुभव से सीखते हैं। जब कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि कानून में आगे और संशोधन करने की आवश्यकता है तो हम सदा वे संशोधन करना चाहते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी खास स्थिति में प्रतिक्रिया करने में सरकार की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ है और सरकार ने उस अधिनियम को लागू किया। मुख्य अधिनियम 2005 में आया और तत्पश्चात् हमने इस सभा में ये संशोधन किये हैं।

मैं माननीय संसद सदस्यों द्वारा गलत तरीके से कमाए गए धन अथवा अपराध से जुड़ी हुई धनराशि की घातक भूमिका और देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने में उस धनराशि द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका के बारे में व्यक्त किये गये विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि जहां तक इस बात का संबंध है आर्थिक लाभ इसका कारण और प्रभाव अथवा अपराध का उद्देश्य हो सकता है। उदाहरण के लिए आतंकवाद के मामले को लीजिए। आतंकवादी संगठनों को अपनी गतिविधियां चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन के आधार पर ही वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल होते हैं। अत:, इस संबंध को तोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि इससे राष्ट्र की स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे भी कुछ स्थान हैं जिन्हें अपराधियों की शरणस्थली कहा जाता है और यदि अर्थव्यवस्था के आर्थिक मानदंडों को देखें तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। अत:, हमारी सरकार इस विषय पर सदैव चिन्तित रही है और इस विधेयक का उद्देश्य है कि ऐसा माहौल न तैयार हो जिनमें अपराधी बिना किसी भय अपनी आपराधिक या अवैध गतिविधियां चला सकें। इस प्रकार के माहौल से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा होगी।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा परन्तु, इस संक्षिप्त वाद-विवाद के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ बहुत संगत मुद्दों का मैं निश्चित तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा।

दो माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा 'रियल एस्टेट' और शेयर बाजार में हवाला धनराशि की भूमिका के बारे में दिये गये वक्तव्य का प्रश्न उठाया है। अत:, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे यह याद है और माननीय सदस्यों को भी यह बात याद होगी कि मीडिया में यह बयान आने के बाद, इस बात का सरकारी तौर पर खंडन कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको इस बात का अनुभव है कि किसी विशेष अवसर पर वस्तुत: हम जो भी कहते हैं उसे गलत रूप में ले लिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप उसकी गलत व्याख्या हो जाती है

और गलत जानकारी दे दी जाती है। विशेषरूप से यह कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऐसा नहीं कहा था। श्री महताब ने इन शब्दों को इस्तेमाल किया "शेयर बाजार में उपयोग किया जा रहा है।" उन्होंने ऐसा नहीं कहा था।

यही विशेष कारण है जिसके लिए हम धनशोधन प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाना चाहते हैं। यही विशेष कारण है कि ऐसा धन हमारी वित्तीय प्रणाली और समाज के महत्वपूर्ण स्थानों तक न पहुंच सके। यह बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि, जैसाकि मैंने कुछ समय पहले कहा है, कि हमने सदैव यह पाया है कि इससे प्रेरणा मिलती है और यह आतंकवादी या अन्य गतिविधियों का परिणाम है कि ऐसे धन की कभी-कभी ऐसी भूमिका होती है।

अत:, यह अनिवार्य है कि गलत तरीकों से कमाई गई धनराशि को कभी भी वैध तरीके से अर्जित धनराशि के रूप में न दर्शाया जाए क्योंकि उस धनराशि का कहीं और इस्तेमाल किया जाएगा। विशेषरूप से हमें इसी पर रोक लगानी है। इसी प्रयोजनार्थ ये संशोधन किये गये हैं।

जैसाकि माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि इस अनुसूची में बहुत से अपराध शामिल किए गए हैं जिन्हें हम "अनुसूचित" अपराध कहते हैं। जैसा कहा गया है कि इस कानून का विशेष प्रयोजन आपराधिक गतिविधियों से होने वाली आय के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। हमारे देश में विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए बहुत से कानून हैं। भारतीय दंड संहिता, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम जैसे बहुत से कानूनों के प्रावधानों का ब्यौरा भी इस अनुसूची में दिया गया है।

अब, प्रश्न यह है कि उन बहुत से मामलों में वह धनराशि "केस प्रोपर्टी" नहीं भी हो सकती है। अत:, उस अपराध का संज्ञान लेने वाले न्यायालय उस अपराध से प्राप्त आय के संबंध में कार्यवाही करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि निदेशक अथवा किसी प्राधिकारी को इस बात का पर्याप्त विश्वास है कि ऐसा कोई मामला है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास ऐसी धनराशि है जो कि अपराध या आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई है या ऐसी धनराशि जिसका वस्तुत: अपराध से संबंध है कहीं गुप्त रूप से जमा की गई है, तो इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। संपत्ति का पता लगाया जा सकता है, संबंधित व्यक्ति की जांच की जा सकती है और संपत्ति को अनंतिम आधार पर कुर्क किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण संशोधन जो हमने इसमें किया है वह यह है कि यदि यह भी पाया जाता है कि कोई व्यक्ति संभवत: अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है, परन्तु, यदि संबंधित प्राधिकारी को यह विश्वास है कि उसके पास जो धनराशि है वह अपराध से जुड़ी हुई धनराशि है, तो इसके अंतर्गत कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की समस्या के लिए इससे कड़ा रवैया क्या हो सकता है। कानून लागू किये जाने के समय से विभिन्न प्राधिकरण मौजूद हैं और समय-समय पर वे कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रूपचंद पाल और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने वचनपत्रों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनकी आशंका सहभागिता नोट के बारे में है-इस संबंध में मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि किसी सुस्थापित मानदंड, सुस्थापित वित्तीय साधन के सर्वथा प्रतिकूल निर्णय देने से वस्तुत: हमें कोई लाभ नहीं होगा। सहभागिता नोटों का भारत से कोई विशेष संबंध नहीं है। श्री सुरेश प्रभु मुझसे सहमत होंगे।

महोदय, लगभग सभी देश सहभागिता नोट या अपतटीय वित्तीय साधनों को स्वीकार करते हैं। परन्तु, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहभागिता नोटों के माध्यम से निवेश से हमारी वित्तीय प्रणाली अस्थिर न हो, सेबी विनियमों में यह विहित किया गया है कि इन सहभागिता नोट जारी करने वाले व्यक्तियों विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्रत्येक माह के अंत में एक विहित प्रपत्र में इस संबंध में जानकारी देनी होगी। उक्त "पार्टिसिपेटरी नोट" के धारकों के नाम सहित उनके द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट से संबंधित सभी जानकारी जारी की गई है। अब, एक देश के रूप में, हमें यह निर्णय लेना है कि क्या हम विदेशी निवेश चाहते हैं या नहीं, क्या हम एक साथ भिन्न प्रणाली चाहते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और क्या हम विश्व के साथ चलना चाहते हैं। श्री बृज किशोर त्रिपाठी ने भारत में आ रहे विदेशी धन की मात्रा के बारे में एक बात उठाई थी, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। हम इसका स्वागत करते हैं। हमने इसके लिए कहा था-क्या यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है या क्या यह विदेशी संस्थागत निवेश है, हम इसके लिए कह रहे हैं। यह आपको देश की वृद्धि के लिए आगे बढ़ने के लिए आवश्यक लागत प्रदान करता है। आपको निवेश की आवश्यकता है, लेकिन आपको केवल यह बात देखनी है कि जो ताकतें आपकी शत्रु हैं, वे आपके देश को अस्थिर करने या संप्रभुता को अस्थिर करने या आपकी संप्रभुता को प्रभावित करने के लिए इस मार्ग का प्रयोग बनने में समर्थ न हों। यह हमारी चिंता का कारण है। संक्षेप में यह कारण जिस पर अतिरिक्त जोर देने के लिए मैं इसे दोहरा रहा हूं-कि बड़ी संख्या में अपराधों को सूची में शामिल किया गया है। यह सही है कि वे कानून महत्वपूर्ण अपराधों को शामिल करते हैं। यह कानून अपराध से अर्जित संपत्ति को भी शामिल करता है। अत:, हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि यह कानून स्वयं पहल

करेगा। चूंकि यह कहा गया था यह मुख्य अपराधों पर प्रहार क्यों नहीं करता? इसका उद्देश्य यह करना नहीं है। लेकिन हम ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं, जिसमें ऐसे स्रोत या बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां से कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित होता है। अत: अवैध या अनुचित साधनों से कमाया हुआ धन इस कानून की विषय वस्तु है। यहां इसका ध्यान रखा गया है।

महोदय, एक प्रश्न जाली भारतीय मुद्रा के बारे में उठाया गया है। हम सभी इस बारे में चिन्तित हैं। लेकिन इस पर आगे बढ़ने से पहले, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं, यद्यपि समय-समय पर ऐसे उदाहरण आए हैं जहां जाली नोट पकड़े गए हैं और एक मामले में बैंक शाखा में यह पता लगाया गया कि कुछ लोगों के साथ बैंक का एक अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार था। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस स्थिति से हमारे देश में किसी खतरनाक स्थिति की संभावना नहीं है। हमें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है और मैं श्री विजेन्द्र पाल सिंह को आश्वस्त करना चाहता हूं-जो सुरक्षा बंदोबस्त हमारे पास हैं। हमारे लिये पर्याप्त हैं। वैश्विक निविदाओं के माध्यम से हम सुरक्षोपाय करते हैं और उन सुरक्षोपायों को समय-समय पर बदलते रहते हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है कि हमारे सुरक्षा बंदोबस्त कहीं भी किसी के द्वारा भंग किये गये हैं।

जिस मशीन से नोट निकलते हैं, वे किसी भी जाली नोट को पहचान सकते हैं और शीघ्र ही इसका पता लगा सकती है। जब आप नोट को एक ओर झुकाकर देखें तो आपको विभिन्न रंग दिखेंगे। ऐसी अनेक योजनाएं हैं। एक रंग से दूसरे रंग तक यह भिन्न होता है। जब नोट बदलते हैं और धागे पर देखते हैं तो आपको इस पर विभिन्न रंग मिलेंगे। प्रत्येक नोट के लिए यह अलग है, जिसके लिए हमने विशिष्ट सुरक्षोपाय किये हैं। अत:, सरकार का मत है कि हमारे नोटों में किये गये सुरक्षा उपाय विस्तृत निविदा प्रक्रिया, विशेषज्ञ समिति द्वारा मामले पर चर्चा करने और विश्वस्तरीय विक्रेता, जो साधारण लोग नहीं हैं बल्कि उन्हें उस क्षेत्र का वास्तविक अनुभव है, के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद चुने गए हैं। इन लोगों ने इसकी आपूर्ति की है। वास्तव में इस ओर से चिंतित होने का कोई कारण नहीं है।

स्विस बैंक के बारे में नवीनतम रिपोर्ट का मुद्दा बनाया गया था। महोदय, यह रिपोर्ट पिछले दिनों समाचार पत्रों में थी। इस सबके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में व्यापक तंत्र है, एक प्रणाली बनाई गई, जो कहीं भी संदेहास्पद अंतरण को देख सकते हैं, जहां आवश्यक हो कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं और वे त्वरित कार्यवाही करते हैं।

कुछ समय पहले, जर्मन बैंक के बारे में एक रिपोर्ट थी, जहां केन्द्रीय उत्पाद और शुल्क बोर्ड ने जानकारी मांगने हेतु उस बैंक से संपर्क करने में शीघ्रता दिखाई थी। हम भी संपर्क में हैं। हमारे राजदूत भी जानकारी मांगने हेतु उनके संपर्क में हैं कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पुन: यहां, मैं माननीय सदस्यों को केवल आश्वस्त करता हूं कि जहां भी सरकार आवश्यक समझती है उपर्युक्त कार्यवाही करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती। हमें जानकारी है कि दु:खद घटनाओं, गतिविधियों की तीव्रता के कारण, चाहे वे आतंकवादी गतिविधियां हों या हमारी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के उद्देश्य से अन्य गतिविधियां, जिससे बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। अत:, हमेशा उस अपराध के स्रोत को ढूंढ़ने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है-चाहे यह मौद्रिक हो या उस मामले के लिए कोई अन्य उपाय।

अंतिम प्रश्न, वास्तव में, क्रेडिट कार्ड के बारे में किया गया था। यह मुद्दा उठाया गया था कि क्योंकि अब (कैशलेस ट्रांजेक्शन) नकदी रहित लेन-देन किया जाता है, अत: क्रेडिट कार्ड वित्तीय प्रणाली के लिए संभावित खतरा उत्पन्न करता है। संक्षेप में इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए, धन परिवर्तक और भुगतान प्रणालियां आदि को प्रस्तुत शासन के अधीन लाया गया है। यह अधिनियम पहले से ही इसका उपबंध करता है। चाहे यह बैंकिंग क्षेत्र हो, चाहे ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हो या अन्य मध्यवर्ती इकाई हो, जो प्राधिकारियों को, उनकी जानकारी में आए संदिग्ध अंतरण के बारे में सूचना देती है, उनकी सूची विस्तृत कर दी गई है। मैंने कैसीनो का उल्लेख किया है, जिसे इसमें शामिल किया गया है। इसी तरह, ये सभी भुगतान और निस्तारण प्रणालियां इसमें जोड़ी गई हैं। वे प्रस्तुत शासन के भाग बन गए हैं। जब कभी वे महसूस करते हैं कि उन्हें आवधिक रूप से सूचना देते रहना है, उसके अनुसार, जब कभी वे महसूस करते हैं कि उन्हें संदिग्ध अंतरण की जानकारी है, उनसे इसकी सूचना देने की अपेक्षा की जाती है। हम महसूस करते हैं कि जबकि आपको दुनिया के साथ चलना है आपको आगे बढ़ना होगा ...*(व्यवधान)* लेकिन, इसी के साथ ही जहां हम महसूस करते हैं कि कुछ एहतियाती उपाय या सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिए, हम ऐसा करेंगे।

एक मुद्दा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में उठाया गया था। इस संदर्भ में भी, मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें मानव संसाधन विकास का दृष्टिकोण है और इसका ध्यान रखा गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शातिर लोग किसी भी स्थिति का लाभ उठा सकते हैं, समय-समय पर सभी प्रत्युपाय किये जाते हैं। ये कुछ मुद्दे थे, जिनका उल्लेख यहां किया गया था।

श्री त्रिपाठी ने घुड़ फार्म मालिकों के संबंध में प्रश्न उठाया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस दिशा में किये गये विशिष्ट उपायों संबंधी जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को दे दूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और पुनः आश्वासन देता हूं कि जब भी देश में धनशोधन रोधी उपायों को सुदृढ़ करने के लिए माननीय सदस्यों अथवा सभ्य समाज से किसी प्रकार की जानकारी मिलेगी तो सरकार ऐसा अवश्य करेगी।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): अभी-अभी माननीय मंत्री जी कुछ माननीय सदस्यों द्वारा भारतीय नागरिकों द्वारा स्विस बैंक में गुप्त रूप से जमा की जा रही भारी धनराशि की संभावना के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार एक अनुमान यह है कि यह धनराशि 1.5 ट्रिलियन डालर तक हो सकती है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से अधिक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है अथवा क्या यह संभव है कि वहां गुप्त रूप से जमा धनराशि भारत की कुल अर्थव्यवस्था से अधिक हो।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, श्री प्रभु सरकार में रह चुके हैं और मेरा मानना है कि वह स्वयं इस मत का समर्थन नहीं करेंगे। हमारी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है परंतु प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी लाने के लिए हम कानून नहीं बना सकते। इससे समय-समय पर विपथन हो सकता है और हमारे पास ऐसी विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए कई कानून हैं। परंतु मैं अकेला ऐसे कानून का यह कहकर कभी भी समर्थ नहीं करूंगा कि इससे यह प्रभाव पड़ेगा परन्तु मैं फिर भी यह कहना चाहूंगा कि जब भी हमें यह किसी माननीय सदस्य को ऐसी जानकारी मिलेगी कि चाहे वह संदेह के आधार पर ही हो मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार संबंधित अधिकरण से संपर्क करके उनके खिलाफ तुरंत आवश्यक कार्यवाही करेगी और ऐसा करते समय वह इस बात का भी ध्यान रखेगी कि कोई भी हमारी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करें, जैसा कि लोगों में डर है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आजकल दुनिया में ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो मनी लांड्रिंग को रोक सकते हैं और उनकी जानकारी दे सकते हैं। क्या आपने ऐसे सॉफ्टवेयर इन्स्टाल किए हैं या करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, अभी कुछ देर पहले ही माननीय मंत्री जी स्विस बैंक खातों के संबंध में लगाए गए आरोपों का स्पष्टीकरण दे रहे थे। हम सभी संसद सदस्यों को एक पत्र मिला था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि स्विस बैंक में भारी मात्रा में भारतीय धनराशि जमा की गई है। यदि माननीय मंत्री को यह पत्र नहीं मिला है तो हम उन्हें यह पत्र दे सकते हैं। यह गंभीर आरोप है। सरकार का कहना है कि ऐसे किसी भी मामले की जांच की जाएगी। परंतु चूंकि इस मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं अतः यह जानने के लिए कि क्या सरकार इसकी जांच का आश्वासन देगी यह मामला संसद में उठाया गया है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह जानकारी देना चाहता हूं, जो मेरे पास एकदम उपलब्ध नहीं थी। हसन अली केस का यहां जिक्र किया गया, जिसमें स्टड फॉर्म का जिक्र था। मैं उसके बारे में माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उस केस में फेमा के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसे नोटिस इशू हो चुका है और आगे की कार्रवाई होती रहेगी। श्री लक्ष्मण सिंह जी ने एक सवाल उठाया है। ज्यों-ज्यों साइंस एंड टैक्नॉलोजी की तरक्की होती है ये सवाल उठते रहने चाहिए। लोगों का अगर दिमाग चलता है और वे बहुत कुछ करते हैं तो क्या हम आगे उनका मुकाबला करने के लिए कुछ कर पाते हैं या नहीं? इन्होंने जिक्र किया है कि क्या मनी-लांड्रिंग का एकदम नोटिस आने का कोई सॉफ्टवेयर है? मुझे यह बात थोड़ी फार-फैच्ड लगती है। मनी-लांड्रिंग क्या है? मैंने इन चीजों के विस्तार में जाना नहीं चाहा। मनी-लांड्रिंग वह है जैसे लांड्रिंग शब्द से आता है पैसे को साफ कर लेना, जो पैसा टेनटिड है, जो किसी रंग से रंगा है।

मैं इसके साथ कालेधन का जिक्र बाद में करना चाहूंगा। जिसका किसी क्राइम, जुल्म के साथ ताल्लुक है, वह पैसे को मार्किट में लाकर किसी ढंग से बदलकर, अच्छे काम के लिए दिखाना चाहता है कि यह उसका अपना बनाया हुआ है, उसके लिए इन्कम टैक्स के कानून हैं जिनमें ध्यान रखा जाता है कि किसकी कितनी इन्कम है। फिर रिपोर्ट देते हैं और इसके आधार पर रिटर्न तय करते हैं कि आपके पास जितने साधन कमाई के हैं, क्या उससे ज्यादा धन आपके पास है? इसके लिए उनके पास एक्शन लेने का अधिकार है। अगर हम यह कहें कि कहीं भी कोई मनी लांड्रिंग कर रहा है, वह रिपोर्ट में आ जाएगा, मुझे बहुत ज्यादा इन्फार्मेशन और टेक्नोलॉजी का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से कह सकता हूं और मेरी समझ में नहीं आता कि इसी से ही सब कुछ होगा। बैंकों में बहुत से सिस्टम हैं और यह दिया हुआ है कि अगर एक करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन होगी तो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इस तरह से बहुत प्रकार के सिस्टम अलग-अलग जगह हैं कि आप कितना कैश ट्रांजेक्ट करते हैं, इसकी रिपोर्ट आगे देनी होती है। किसी के एकाउंट्स कहां और किस प्रकार के हैं, इसकी रिपोर्ट देनी होती है। पैसा कहां से आकर एकाउंट में जमा होता है, इसकी रिपोर्ट देनी होती है।

केसिनो में कैश किसी ने कितना दिया, इसकी रिपोर्ट देनी होती है। इसे इस ढंग से कहते हैं कि हो सकता है कि वह पैसा वहां कहीं लगा हो। मैं एक बात बताना चाहता हूं और इसका आज जिक्र नहीं हुआ है। जैम्स एंड ज्वैलरी का जिक्र पहले हुआ था कि इसमें ऐसा पैसा लग सकता है। इस बात पर बाद में विचार होता रहा है लेकिन उस ढंग से रैगुलेटिड नहीं हुआ, इसलिए इसे मुश्किल समझा गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज की एक्सरसाइज के बाद काम खत्म नहीं हो गया, यह आगे होता रहेगा। हम इस बात को महसूस करते रहेंगे और अगर इसके साथ एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है, वह उठाते रहेंगे। यह सरकार का कर्त्तव्य है और सरकार इसका पालन करती रहेगी।

महोदय, चन्द्रप्पन जी ने स्विस बैंक के बारे में कहा है। ये शायद उस वक्त नहीं थे जब मैंने इस मसले के बारे में पहले कहा था और मुझसे सवाल पूछा गया था कि वह पैसा 1.3 ट्रिलियन हो सकता है, मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता। कई बार यही होता है कि कहीं से एक बात निकलती है और उसकी पूरी जानकारी न होते हुए भी उसके बारे में कल्पना ज्यादा कर लेते हैं, उसे बढ़ा लेते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

सरकार इस स्थिति पर टिप्पणी नहीं करेगी। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और सभी संभव प्रयास किये जाएंगे जो कुछ भी आवश्यक होगा सरकार निश्चित तौर पर वह करेगी।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के माननीय सदस्य पहले ही स्पष्टीकरण मांग चुके हैं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

स्विस बैंकों में गुप्त रूप से धन जमा करने के मुद्दे को बार-बार उठाया गया है और अब यह प्रेस में भी प्रकाशित हो चुका है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है। माननीय मंत्री जी ने इसका अत्यंत सामान्य उत्तर दिया है। यह आरोप लगाया गया है कि भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में 1456 बिलियन अमरीकी डालर जमा किये गए हैं। ज्ञात नियमों के अनुसार यदि सरकार जानकारी मांगे तो वे वहां गुप्त रूप से धनराशि जमा करने वाले व्यक्तियों की जानकारी दे सकते हैं। यह अत्यंत गंभीर मामला है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मेरे पास जर्मन बैंक का उदाहरण है जहां सरकार ने कार्यवाही की है। यह रिपोर्ट दो दिन पहले ही प्रकाशित हुई है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस मामले में कार्यवाही करने हेतु सरकार को निश्चित तौर पर समय देंगे। केवल एक रिपोर्ट के आधार पर आप तुरंत इस मामले को कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से नहीं उठा सकते। परंतु सरकार प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है।

सरकार इस मामले पर आगे कार्यवाही करने में पीछे नहीं रहेगी और इस संबंध में जो भी उचित कार्यवाही होगी सरकार वह करेगी।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 13 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.41 बजे

मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 31 लेंगे। पुन: उसे दोहराया गया है; श्री अजय माकन को प्राधिकृत किया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं थे।

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, उनके पास एक विधेयक है, जिस पर उन्हें अन्य सभा में चर्चा करनी है। कृपया उसके लिए हमें क्षमा कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। माननीय मंत्री।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 और भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 और भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। ऐसे तो इसकी चर्चा पर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जगह इसे राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का अमेन्डमेन्ट जरूरी था, इसलिए सरकार इसे लेकर आई है। लेकिन इसके माध्यम से, मेट्रो में जो अच्छी चीजें हो रही हैं, उसके लिए मैं खासकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने यह कल्पना की और इसकी शुरुआत की।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर): मैं आपको इस बात की चुनौती देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री टाइटलर, इस विधेयक पर बोलने के लिए आपको समय दिया जाएगा। आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: जब टाइटलर साहब इस पर बोलने के लिए खड़े होंगे तो मैं जो कह रहा हूं, उसमें जो भी चैलेंज वह करेंगे, वह मेरे मित्र हैं, मैं कम से कम उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तभी यह ख्वाब हम लोगों ने देखा था और जब ख्वाबों की ताबीर होती है तो अच्छा लगता है। मैंने रेलवे के एक भाषण में बोलते हुए कहा था, वह पंक्ति में उनके लिए दोहराता हूं कि कई बार जो काम आप करते हैं, जो बड़ी प्रोजेक्ट आप देश के लिए लेते हैं, वह जरूरी नहीं है कि आपके कार्यकाल में पूरा ही हो जाए। जैसे आज बंगलौर का एयरपोर्ट बना, रेड्डी साहब के यहां हैदराबाद का एयरपोर्ट बना, लेकिन उसका उद्घाटन यहां यूपीए की चेयरपर्सन ने किया। यह उनका अधिकार भी है और मंत्री जी उन्हें लेकर भी गये, लेकिन बंगलौर और हैदराबाद में जो एयरपोर्ट्स बने हैं, जब मैं भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्री था तो मैंने इसकी शुरुआत की थी। श्री कृष्णा साहब वहां कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर थे और श्री चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर थे। जब उद्घाटन हुआ तो उस दिन ये मुझे नहीं बुलाते, परम्परा भी नहीं है, लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वहां उद्घाटन के दिन ही किसी पार्टी के कार्यक्रम से हैदराबाद गया था तो मुझे उस एयरपोर्ट पर जाने का अवसर मिला। मेरे मन में बड़ी खुशी हुई, जब किसी ख्वाब की ताबीर हो जाती है और उसे देखते हैं तो अच्छा लगता है। इसीलिए जब मेट्रो की शुरुआत हुई, उस पर नाराज होने की बात नहीं है, इसके लिए जो पहली टीम सर्वे के लिए जापान गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, तब वह टीम गई थी। खुराना जी ने तब एक टीम भेजी थी, वह देखकर आई थी और मेट्रो की प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था। बाद में यह सरकार आई और इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मेट्रो का काम बहुत अच्छा हो रहा है। मेट्रो के विस्तार में यह विधेयक अड़ंगा था और मुझे लगता है कि इससे वह अड़ंगा हट जाएगा। इसके लिए मैं मंत्री जी को शुभकामना देता हूं कि आप एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आये हैं। जब यह मेट्रो बन रही है, इसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, उन अधिकरों को देखकर लगता है कि देश में जितने भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, मेट्रो जिनती तेजी से बन रही है, उसके लिए उसके चेयरमैन, श्रीधरन साहब को एक चैनल के जरिये पिछली बार इंडियन ऑफ दि ईयर का अवार्ड मिला और वह इसके पात्र भी हैं।

उनको मिलना चाहिए था, वह अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार ने पूरे अधिकार मेट्रो कारपोरेशन को दे दिये हैं और वह इस तरह से काम कर रही है। काश, ऐसे अधिकार रेल मंत्रालय के पास होते तो जितनी घोषणाएं रेलवे की होती हैं, और जिस प्रकार मेट्रो रेल का कार्य जल्दी से पूरा होता है तो राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं के मन में यह बात आती है कि जब मेट्रो का काम वक्त से पहले पूरा हो सकता है तो अगर देश के अन्य प्रोजेक्ट्स वक्त से पहले पूरे हों तो देश में एक अच्छा संदेश जायेगा। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है। जब हम मेट्रो में चलते हैं तो लगता है कि इसका हदूद बढ़ा है। यह नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव तक गई है और अब गाजियाबाद तक ले जा रहे हैं और उसके बाद उसे और आगे ले जाने वाले हैं। जब हम इसमें बैठते हैं तो हमें लगता है कि जो हमने "शाइनिंग इंडिया" की कल्पना की थी, वह पूरी हो रही है। भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर देखते हैं ...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): आपने जो कल्पना की थी, उसे हम पूरा कर रहे हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: इसलिए हमने कहा कि हमने जो कल्पना की थी, उसे आप पूरा कर रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पद-चिन्हों पर चल रहे हैं। हमारे बताये हुए रास्ते पर और जो हमने ट्रेक दिया, आप उस पर चल नहीं रहे हैं बल्कि उस पर दौड़ रहे हैं। मैं, इसलिए आपको बधाई देता हूं। यही सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप जो काम अभी छोड़कर जायेंगे, हम उसे पूरा करेंगे, तब याद करेंगे। यह भी कहेंगे कि जो गाजियाबाद के लिए अमेंडमेंट लेकर आये हैं, उसे पूरा कर रहे हैं, इसलिए भी मंत्री जी को और सरकार को याद करेंगे। लोकतंत्र में यही परम्परा है। आप कई बार आते-जाते रहते हैं लेकिन ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): आपको विश्वास है कि आप सत्ता में वापस आयेंगे? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: इंशा अल्लाह, हमें विश्वास है। उपाध्यक्ष जी, दिक्कत यह है कि जब जायसवाल जी इधर थे, तब इधर से जो बोलते थे, वह भूल गये हैं। उधर के लोग इधर और इधर के लोग उधर जाते हैं। इसलिए मन बनाकर रहना चाहिए, बाकी जनता के हाथ में है। वह सर्वमान्य है। हमारे कहने पर करने वाली नहीं है। उसके मन में जो होगा, वह करेगी, उसमें घबराहट की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य: आप उधर फिर आयेंगे।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आपने शुभकामना दी कि फिर से इलैक्ट हो जायें। आपने इधर रहने के लिए कहा है लेकिन इधर से उधर आने के लिए नहीं दी। यह जनता तय करेगी।

उपाध्यक्ष जी, मेट्रो को देखकर एक विश्वास जगता है। फील गुड होता है। यह लगता है कि हमने मेट्रो के जरिये कितना काम किया है। इस कार्य में देश के लोग सक्षम हैं कि हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए, हमने मंत्री जी से कहा कि जब मेट्रो में इतना तेजी से काम हो सकता है तो क्यों नहीं रेल मंत्रालय को सलाह देते ताकि जितने रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, वे वक्त से पहले पूरे हो जायें तो हम सरकार को धन्यवाद करेंगे। जो लोग दिल्ली में हैं, उन्हें तो मेट्रो में बैठने की सुविधा मिल गई, जो कंट्रीसाइड में बसे हुए हैं यानी गाजियाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वालों को मिल गई लेकिन जिन प्रदेशों में मेट्रो का काम शुरू हो गया है, बाकी राज्य भी चाहते हैं कि वहां भी मेट्रो रेल होनी चाहिए। आपकी सरकार हमेशा आम आदमी की चर्चा करती है, चाहे वह आदमी के लिए कुछ भी न करे लेकिन यह शुक्र की बात है कि वह आम आदमी की चर्चा जरूर करती है–आपका हाथ, आम आदमी के साथ। आज मेट्रो में किराया इतना ज्यादा है कि ब्लू लाईन या डीटीसी बस में जो आदमी 5 रुपये में जा सकता है, मेट्रो में उसे 4-5 गुना ज्यादा किराया देना पड़ता है। जो गरीब आदमी है, मजदूर है, उसे भी मेट्रो में सफर करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह भी कोशिश होनी चाहिए कि प्रॉफिट मेकिंग के नाम पर ऐसा न हो कि आम आदमी उसमें बैठ ही न सके।

उपाध्यक्ष जी, मैं दिल्ली में छात्र रहा हूं और 12 रुपये का पास लेकर बस में दिल्ली में कहीं से कहीं तक जा सकता था और वह पास डीटीसी में चलता था।

उस तरह का पास दिल्ली के छात्रों को मेट्रो में नहीं मिल रहा है। महोदय, मेरा आपके जरिये यह अनुरोध है कि दिल्ली के छात्रों को वह सुविधा मिलनी चाहिए और मेट्रो के किराये पर सरकार की कुछ मॉनीटरिंग होनी चाहिए। आप सारे अधिकार उन्हें दें, लेकिन किराये का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए। ऐसा कोई न कोई फोरम सरकार के पास भी होना चाहिए। हवाई जहाज में जैसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने तो एक बार दे दिया और पैट्रोलियम मंत्री ने कह दिया कि हम इतना करोड़ रुपया बाद में देंगे क्योंकि बड़ा रिसेशन है। एटीएफ का रेट बहुत बढ़ गया है। एयर टरबाइन फ्यूल का रेट बढ़ गया तो जहाज ने उस समय किराया बढ़ा दिया। अब एयर टरबाइन फ्यूल का रेट बहुत घट गया है, 70 फीसदी तक घट गया है, लेकिन एयरलाइनों ने

कार्टेल बना लिया और कहा कि हम किराया नहीं घटाएंगे। यानी जब गवर्नमेंट से फायदा लेना हो तो वे गवर्नमेंट पर डिपेंड हो जाते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारी हिफाजत नहीं करेगी तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? जब गवर्नमेंट फायदा दे देती है और तेल का रेट घट जाता है तो आज देश की एयरलाइनों ने कार्टेल बना लिया कि कुछ भी हो, उनके सीएमडी और उनके मालिक बयान दे रहे हैं, वे तीन-चार हैं और उनमें एयर इंडिया भी शामिल हो जाती है, कि हम किराया नहीं घटाएंगे। इस अधिकार को सरकार को चैक करना चाहिए। आज जिस तरह रेलवे में कहते हैं कि हमने दो प्रतिशत कम दिया है, आप एअरलाइन में यह बात नहीं कहते हैं, मेट्रो में भी यह बात नहीं कहते हैं। महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि मेट्रो के अंदर भी किराये पर लगाम लगनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आठ, दस माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और हमने इसके लिए एक घंटा निर्धारित किया है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। महोदय, बोलने का क्या मजा जब उसमें पूरा तथ्य न आए। मैं कोई फॉरमेल्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं। संसद में जब खड़े होकर बात रखते हैं तो वह बात पूरी तरह से मंत्री जी के ध्यान में आनी चाहिए। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष को जगाते रहना है, ताकि उनके ध्यान में बातें आयें। मैं जानता हूं कि मंत्री जी बहुत काबिल हैं और हमें इनकी काबलियत पर पूरा भरोसा है। हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। हम वि ा के नाते जो हमले कर रहे हैं, वे लड़ाई-झगड़े के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सिर्फ सुझाव के लिए कर रहे हैं। जब श्री जयपाल जी इधर से कुछ बोलते थे और हम मंत्री थे तो हम बहुत ध्यान से नोट करते थे।

महोदय, जहां मैंने किराये की बात की है वहीं मैं सुरक्षा पर भी बात करना चाहता हूं और इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज मेट्रो बनाने के नाम पर कितनी जिन्दगियां खत्म हो रही हैं। आज पूरी दिल्ली के अंदर काम हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार पिलर गिर जाते हैं, कई लोगों की जान चली जा रही है। एक केस में तो एक आदमी की पीठ में पूरा रॉड चला गया और एम्स के डॉक्टरों ने बड़ा कमाल किया। उसके होश में रहते हुए उसका ऑपरेशन किया। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि मेट्रो बनाने में जो हादसे हो रहे हैं, अगर यह इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी सूचना यह है कि मेट्रो के जरिये हुए हादसों में जो लोग मरे हैं, उनको उतना मुआवजा भी नहीं मिलता है, जितना रेलवे देता है। इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम से पहले मेट्रो पूरी तरह बन रही है और पूरे देश-विदेश के लोग यहां आयेंगे। इनकी जो मेट्रो बनी है उसे लोग देखेंगे और भारत की छवि अच्छी होगी। मेरा आपके जरिये यह अनुरोध है कि आपने जिन रूटों पर मेट्रो बनाया है उसमें एक टाइम लिमिट है कि इतने बजे के बाद इसमें सफर नहीं कर सकते हैं। यह जागता हुआ शहर है, इसकी फेरी को और बढ़ाना चाहिए। आपने पचास हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करके रूट तो बना लिया। आप इतना पैसा खर्च करके नया शहर भी बसा सकते थे। आपने मेट्रो बनाया है, यह अच्छी चीज है और अच्छी चीज जब बनी है तो उसका फायदा चौबीस घंटे लोगों को मिलना चाहिए। इसमें डिब्बे बढ़ने चाहिए, इसकी फेरी बढ़नी चाहिए और इसके किराये को ठीक करना चाहिए। इसकी सेफ्टी और सिक्यूरिटी पर ध्यान देना चाहिए और इसमें आम आदमी को चलने का मौका मिलना चाहिए। आपने इसकी एअरकंडीशन बॉडी बनायी, यह अच्छी चीज है। अगर आप इस देश के आम आदमी को भी इसमें चलने का अधिकार दिलाएंगे तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि एक अच्छा काम आप कर रहे हैं। जो रास्ता हम लोगों ने दिखाया है आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई।

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): धन्यवाद।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर): महोदय, पहले तो मैं अमेंडमेंट देहली मेट्रो रेलवे एक्ट, 2002 एंड मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन एक्ट, 1978 का सपोर्ट करता हूं। अपनी बात कहने से पहले मैं रेड्डी साहब का धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली से एमपी होने के नाते इन्होंने दिल्ली का बहुत साथ दिया है।

पहले अनॉथराइज्ड कॉलोनीज और फिर जो नाश मास्टर प्लान के कारण हुआ, उसमें जो जो राहत इन्होंने दी, उसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शाहनवाज जी, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं इसके बारे में। यह प्रोजेक्ट इंदिरा जी के वक्त शुरू हुआ था। रशियन एक्सपर्ट्स इसके लिए आए थे जिन्होंने नौ महीने दिल्ली के वाटर लेवल डिगिंग करके देखे और तब दिल्ली में अंडरग्राउंड रेलवे लाने की बात की गई थी। मगर क्योंकि रशिया टूट गया, उस वक्त एस्क्रो अकाउंट से जो मेट्रो रेलवे बननी थी वह नहीं बन सकी और कई सालों तक वह प्रोजेक्ट बंद रहा। जब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बना, उस वक्त दिल्ली सरकार नहीं थी, न मैट्रोपोलिटन काउंसिल थी। उस उक्त यह नियम है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को देखता है। उस वक्त यह प्लान मैंने सोचा था कि दिल्ली में अंडरग्राउंड रेल और मेट्रो आनी चाहिए। मैं थोड़ा याद कराना चाहता हूं आपको कि मेरे घर में आज भी पहला मॉडल पड़ा हुआ है और एडीबी के पहले लोन के लिए मैं साउथ कोरिया गया था और वह पहला लोन मैं नैगोशियेट

करके आया था। जो पहला डिजाइन अप्रूव किया था, उसके लिए मैं रेलवे डॉक्स पर गया था और मैं खुद अप्रूव करके आया था। मुझे बड़ा शौक था इसका और वह मॉडल उन्होंने मुझे प्रैजेन्ट किया जो मेरे पास पड़ा है। मदन लाल खुराना जी की बात भी मैं बताना चाहता हूं। जब यह काम शुरू हो गया तो दिल्ली में मदन लाल खुराना जी की सरकार आई। मैं मदनलाल खुराना जी के पास गया और मैंने कहा कि मैं दिल्ली से केन्द्र में मंत्री हूं और आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो। हमारी आपस की लड़ाई के कारण कभी दिल्ली के लोगों को तकलीफ न हो, मैं चाहता हूं कि जितना भी आपको मेरा सहयोग चाहिए, मैं अपने मंत्रालय से आपको देना चाहता हूं। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर मैं सारे अधिकारियों को लेकर गया। उसमें गवर्नर साहब भी थे। मैंने कहा था कि मेरे मंत्रालय से आपको बिल्कुल ब्लैंक चैक है क्योंकि मैं चाहता हूं कि दिल्ली में मेट्रो आनी चाहिए। मदन लाल खुराना जी ने इसको एकनॉलेज किया। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं बाहर इसको देखने जाना चाहता हूं। मैंने सेन्ट्रल गवर्नमैंट से परमीशन दिलाकर उनको पेरिस और सिंगापुर भेजा था। हां, यह बात सच है कि हिन्दुस्तान के सभी प्रोजेक्ट्स कोई न कोई सरकार शुरू करती है और कोई न कोई सरकार उनको पूरा करती है। वाजपेयी जी की सरकार ने आगे जाकर इसकी कंटीन्यूटी बनाई, उसके लिए हम मना नहीं करते। हालांकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे क्षेत्र में जब शुरुआत की जमुनापार से, जिस आदमी ने मेट्रो शुरू की, उसको तो बुलाया भी नहीं आडवाणी जी ने। मैंने पत्र भी लिखा था उनको। खैर, कोई बात नहीं। मगर मैं रेड्डी साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि उस वक्त हमने हिन्दुस्तान के 23 राज्यों के लिए मेट्रो को अप्रूवल दिया था। जब दिल्ली को देने की बात आई, तो मैंने जो बात कही थी, लोगों ने बिल्कुल सोचा ही नहीं, मैंने कहा था कि कम से कम 238 स्टेशन दिल्ली के बनेंगे। आप मेहरबानी करके उन स्टेशंस को कॉमर्शियल सैन्टर्स बनाइए। तीन मंजिल पार्किंग लॉट्स नीचे बनाइए। यह टोक्यो में है और शिकागो में है। मैंने कहा था कि आप मेहरबानी करके उसके ऊपर सेल्स टैक्स के ऑफिस, एक्साइज के ऑफिस, बिजली पानी जमा करने के ऑफिस बनाइए, होटल्स बनाइए, कॉमर्शियल सैन्टर्स बनाइए। आपने फेयर की बात कही, उसमें मैंने कहा कि एडवर्टाइजमैंट्स से, डिसपैंसरीज से, रेस्ट हाउसेज से, इन्कम होगी। गवर्नमैंट की जितनी भी अकोमोडेशंस हैं, वहां शिफ्ट करिये। कोई हाउसवाइफ भी है तो घर से निकलकर मेट्रो में बैठे और बिल जमा कराकर वापस आ जाए। अभी क्या होता है कि 30 किलोमीटर डीसी के ऑफिस जाना पड़ता है और सारे दिन लाइन लगती है। दिल्ली के सारे ऑफिसेज वहां शिफ्ट किये जा सकते हैं। सारे कार्पोरेशन के आफिसेज अलग-अलग मेट्रो स्टेशंस पर शिफ्ट किये जा सकते हैं। इससे लोगों को कितनी बड़ी सुविधा हो जाएगी। मैं आपकी बात मानता हूं कि स्टूडैंट्स के लिए स्पेशल फेयर होना चाहिए। यह उस वक्त भी मैंने कहा था। आपने कॉमर्शियल सैन्टर्स बनाए हैं मगर बड़े अनप्लांड बनाए हैं। आपके कॉमर्शियल सैन्टर्स आठ-नौ मंजिल के बनने चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

आपने थोड़े से मॉल बनाने के लिए और उनसे प्राप्त होने वाली इन्कम के बारे में ही सोचा है। एडवरटाइजमेंट, माल्स, होटल्स और रेस्टोरेन्टस से इतनी इन्कम आनी चाहिए कि अगले बीस साल तक आपको किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के किराए से आप दिल्ली के लोगों को सुविधा दे सकते हैं। आपकी यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से आपने दिल्ली के कार्यों के लिए जिम्मेदारी निभाई है। आपके कार्यों के कारण ही हमने बीजेपी को दिल्ली में बुरी तरीके से हराया है। आप आज के दिन मुझे विश्वास दीजिए कि आप इन्हें कमर्शियल सेन्टर बनाएंगे और उनसे प्राप्त होने वाले रेन्ट से किराया पूरा करेंगे, दिल्ली के लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। आप छात्रों, खिलाड़ियों और पद्म विभूषण इत्यादि अवार्डों से नवाजे गए सभी लोगों को कन्सैशन्स दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार फन्कशन करके हार पहनाकर जिम्मेदारी पूरी हो गई। किसी को प्लॉट दिया गया तो वह उसे प्राप्त करने के लिए दस-दस साल तक रोता रहता है। आप उन्हें कन्सैशन्स दीजिए, जिससे उन्हें फायदा हो सके।

महोदय, मुझे खुशी है कि जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था, वह हिन्दुस्तान में चारों तरफ जा रहा है। मैं वाजपेयी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उसे रोका नहीं, उसे चलाया।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली के पास कम से कम 25-30 हजार करोड़ रुपये की प्रापर्टी डीटीसी डिपोज के रूप में पड़ी है। आपको इसे एक्सप्लोइट करना चाहिए। इसको एक्सप्लोइट करने से दिल्ली के लोगों पर डीटीसी बसों के किराये का बोझ आने वाले 25 सालों तक नहीं पड़ेगा। आपको तीन गुना इन्कम इन्हीं प्रोजेक्ट से प्राप्त हो सकती है।

महोदय, मेट्रो के सभी प्रोजेक्ट्स के माडल्स हमने तैयार करवाए थे। इसके अलावा डिपोज के माडल्स भी तैयार करवाए थे। मैंने नरसिम्हा राव जी को वे प्रोजेक्ट्स दिखाए भी थे, लेकिन पता नहीं उन्हें क्यों रोक दिया गया। यह ब्यूरोक्रेट्स ने रोका अथवा किसी और ने, पता नहीं। मैं आपको इसे लीगैलटी देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। यह प्रोजेक्ट कॉमनवैल्थ गेम्स के कारण भी बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया भर से बहुत से लोग दिल्ली को देखने आएंगे। दिल्ली को सुंदर, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोगों और आपने बनाया है। इसके लिए दिल्ली के लोग आपको बार-बार याद करेंगे।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। अक्तूबर 2010 में

होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह संशोधन लाया गया है। मूलतः, मेट्रो का अधिकार क्षेत्र केवल राष्ट्रीय राजधानी था। अब इसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक बढ़ाया जा रहा है। यह विस्तार काफी नहीं है। अब, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसका विस्तार कोच्चि तक किया जाए ताकि कोच्चि में भी मेट्रो चल सके। जैसे भारतीय रेल पूरे भारत में फैली है वैसे ही मेट्रो निगम भी चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई और कोच्चि सहित पूरे भारत में हो।

यहां तक कि इस अधिनियम के अंतर्गत, रेल सुरक्षा आयुक्त इस मेट्रो का भी पर्यवेक्षण कर रहे हैं। इस प्रकार यह परस्पर संबद्ध है। अतः, यह उचित होगा कि मेट्रो निगम का क्षेत्राधिकार भारत के सभी मेट्रो शहरों में हो-यह एक संभावना है-जैसे भारतीय रेल पूरे भारत में है। तो, हमारे सभी मेट्रो शहरों के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है और वहां मेट्रो रेल हो सकती है यही उचित है।

इसके अतिरिक्त, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि केरल सरकार ने कोच्चि में मेट्रो रेल बनाने की पहल की थी और इस प्रयोजनार्थ धनराशि के निवेश का निर्णय भी किया है। केन्द्र सरकार को इस तस्वीर में आने की जरूरत नहीं है। यद्यपि केन्द्र सरकार से बार-बार कोच्चि रेल मेट्रो निगम बनाने में राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया गया था, तथापि केन्द्र सरकार ने उसे अनसुना कर दिया। केन्द्र सरकार ने कमोवेश इस अनुरोध को न तो सुना और न ही इस विषय में कुछ कहा।

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): यह सच नहीं है। कार्यवाही चल रही है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, केन्द्र सरकार ने कोच्चि मेट्रो का समर्थन नहीं किया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: नहीं, हमने समर्थन किया।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यदि आपने किया है, तो ठीक है, लेकिन केवल मौखिक सहयोग ही न करें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: नहीं, धनराशि देकर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: लेकिन मुझे केरल के वित्त मंत्री ने बताया है कि उन्हें पर्याप्त धनराशि मुहैया नहीं कराई गई, जिसकी उन्हें केन्द्र सरकार से अपेक्षा थी। अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोच्चि मेट्रो प्रणाली में उसी प्रकार सहयोग करे जिस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो प्रणाली को दो अन्य राज्यों में भी आरंभ करने में किया था।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि कोच्चि में मेट्रो रेल प्रणाली की वाजिब वजह के चलते उसे आरंभ करें। मैं अपने काबिल दोस्त श्री जयपाल रेड्डी के दृष्टिकोण को देखकर भी बहुत प्रसन्न हूं, जो बहुत अनुकूल और उचित है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन शब्द ही काफी नहीं हैं। उन्हें यह देखने की पहल करनी होगी कि निकट भविष्य में कोच्चि रेल प्रणाली एक वास्तविकता बन जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, हमें इस विधेयक के लिए केवल एक घंटा दिया गया है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक सदस्य इस विषय पर केवल दो मिनट ही बोलें।

अब, मैं श्री आलोक कुमार मेहता से अनुरोध करता हूं कि वह अपना भाषण आरंभ करें श्री मेहता, कृपया अपना भाषण तीन मिनट के अंदर समाप्त करने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेट्रो अमेंडमेंट बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मेट्रो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आवाम के लिए, दिल्ली में बसने वाले कामगारों के लिए और आम जनता के लिए सबसे सुलभ साधन और समय की बचत करने वाला माध्यम बन गया है। इसकी सफलता के पीछे जिन लोगों का भी हाथ है, विशेष तौर से यूपीए सरकार, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार, सभी बधाई के पात्र हैं। दिल्ली मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है, यह खुशी की बात है और कुछ दिनों में आसपास रहने वाले, आसपास के शहरों में किसी भी राज्य में रहने वाले लोगों का एक्सेस अच्छा हो जाएगा। आए-दिन सड़कों पर जो प्रेशर बढ़ता रहा है, विभिन्न तरह की बस लाईनों के माध्यम से लोग आते-जाते रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाएं बढ़ती रहीं, क्योंकि प्रेशर ज्यादा रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, हाल के दिनों में मेट्रो रेल के शुरू होने से प्रेशर सड़क पर घटा है और पर्यावरण से संबंधित मामलों में भी सुधार हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मेट्रो का विस्तार पटना शहर में भी होना चाहिए। पटना बहुत प्राचीन राजधानी है। वहां जनसंख्या बहुत अधिक है और किसी मेट्रोपोलिटन शहर से कम उसकी स्थिति नहीं है। यातायात

के साधन सीमित होते जा रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से, बढ़ती गाड़ियों की संख्या के आधार पर सड़कें छोटी होती जा रही हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि पटना शहर को भी मेट्रो रेल की परिधि के अंदर लाया जाए। रेल विभाग के जो कार्य हैं, वे पिछले दिनों एप्रीशिएबल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों जो इकाइयां हैं, इनका आपस में कोआर्डीनेशन होना चाहिए।

महोदय, लाइन ऑफ क्लैरिटी, अथॉरिटी एवं रेस्पांसिबिलिटी के मामले में होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आपसी सहयोग से यह सिस्टम बहुत आगे बढ़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, निःसंदेह यह विधेयक एक स्वागत योग्य कदम है। इस विधेयक का उद्देश्य मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार नोएडा तक करने के लिए विधायी प्रावधान करना है।

अपराह्न 5.11 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

महोदय, राष्ट्रमंडल खेल अक्तूबर, 2010 में होने वाले हैं। मुझे आशा है कि मेट्रो रेल का कार्य उससे पहले पूरा हो जाएगा। यह विधेयक संसद में फरवरी, 2009 में लाया गया है। यह विधेयक संसद में पहले लाया जा सकता था जब इस रूट पर कार्य शुरू किया गया था। सरकार ऐसे संशोधनों के बारे में केवल तभी क्यों सोचती है जब मेट्रो रेल नेटवर्क का कार्य शहरी की सीमाओं से आगे शुरू किया जाना होता है? एक ही व्यापक कानून लाया जा सकता है जो देश भर में मेट्रो रेल नेटवर्क पर लागू किया जा सके। जब भी नेटवर्क का विस्तार किया जाए, तो इसे केवल अधिसूचना जारी किये जाने के द्वारा किया जा सकता है।

सरकार अब यह विधेयक लाई है क्योंकि नेटवर्क का विस्तार दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों में किया जाना है। यह एक व्यापक विधान के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। यदि आप अन्य राज्यों में नेटवर्क को स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पृथक् सहायक कम्पनियां बना सकते हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे एक व्यापक विधान बनाने पर विचार करें जिससे इसमें बार-बार संशोधन करने के लिए इसे संसद में प्रस्तुत करने की आवश्यकता न रहे।

मेट्रो नेटवर्क की आवश्यकता पर जितना बल दिया जाये कम है। मेट्रो जलवायु परिवर्तन और भूमण्डलीय तापन की वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक है। निजी परिवहन की तुलना में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, लंबे समय से सरकार की यह नीति रही है कि अधिकाधिक निजी कारों को सड़कों पर उतरने की अनुमति दी गई। मेट्रो इस समस्या का सही समाधान है।

मेट्रो नेटवर्क में अधिकतम भूमि का उपयोग हो रहा है। मेट्रो रेल निर्माण कार्य भूमिगत हो रहा है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास विश्व 17 प्रतिशत आबादी के साथ मात्र 2.2 प्रतिशत भूमि है। इसके अतिरिक्त, शहरी भूमि पर निर्भर लोगों की तुलना में यह भी बहुत कम है।

अत: इससे भूमि पर बहुत दबाव है। जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं करेंगे कि मेट्रो का प्रचालन भूमिगत हो, यह लाभदायी नहीं होगा। दिल्ली में अनेक स्थानों पर मेट्रो रेल एलीवेटेड है। इससे भूमि का इष्टतम उपयोग नहीं होगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस बिन्दु पर विचार अवश्य करेंगे।

हमें टोक्यो का अनुसरण करना चाहिए, जहां मेट्रो रेल कारपोरेशन शहर में होने वाले अन्य विकासात्मक कार्य से अलग रह कर कार्य नहीं करता। टोक्यो में एक एक इंच भूमि का उपयोग इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया गया है कि विस्तारित टोक्यो की कुल जनसंख्या 45 मिलियन से अधिक है। अत: भूमि का इष्टतम उपयोग करना लाभदायक साबित हो सकता है। मेट्रो कारपोरेशन को शहर में अन्य सिविक एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करना है और यह सुनिश्चित करना है कि भूमि का उचित उपयोग हो।

हमारे लिए शहरी परिवहन एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। मैं अपने मित्र द्वारा उठाये गये बिन्दु का समर्थन करना चाहता हूं कि जैसाकि मैंने पहले कहा कि दुर्भाग्यवश हम सार्वजनिक परिवहन की तुलना में निजी परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम परिवहन के रूप में साईकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत में साइकिलों के लिए कहीं भी कोई पृथक् लेन नहीं हैं। हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या हम यह संदेश देना चाहते हैं, "साईकिल का इस्तेमाल मत कीजिए; कार का इस्तेमाल कीजिए"? क्या हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं? अथवा क्या हम चाहते हैं कि साईकिल का इस्तेमाल किया जाए? मेरे विचार से शहरी आयोजना में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साईकिल चलाने वालों और पैदल चलने वालों के लिए अधिकाधिक लेन बनाए जायें। यदि आपके पास सार्वजनिक परिवहन है, तो भी कम से कम 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो यात्रा करने के बजाय पैदल चलेंगे। अत: आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह संतुलन बना रहे।

महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं डा. जयपाल रेड्डी जो भी काम करते हैं अच्छा ही करते हैं। अत: मुझे आशा है कि वह यह काम भी बेहतर ढंग से करेंगे। मैं आशा करता हूं कि यह कार्य राष्ट्रमंडल खेलों से पहले पूरा हो जाएगा। अन्यथा, राष्ट्रमंडल खेल समय पर शुरू हो जाएंगे और हम अवसंरचना की बात ही करते रह जाएंगे। मुझे आशा है ऐसा नहीं होगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, हम यहां मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 और भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 में संशोधन किया जाना है।

मैं दिल्ली से संसद सदस्य श्री जगदीश टाइटलर का भाषण सुन रहा था, जो मेरे मित्र श्री हुसैन की बात का विरोध यह कहकर कर रहे थे कि यह परियोजना राजग के शासन में शुरू नहीं हुई थी। महोदय, हम दो कानूनों, नामत: दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 और भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 में संशोधन कर रहे हैं। कांग्रेस 1978 और 2002 में सत्ता में नहीं थी। अत: यह राजग सरकार की परिकल्पना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने इस कार्य को शुरू किया और आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री और सरकार का धन्यवाद करता हूं।

महोदय, इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि कानूनी ढांचे के बिना गुड़गांव और नोएडा तक मेट्रो के विस्तार कार्य को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती थी और उसे किसी भी समय रोका जा सकता था। चूंकि दिल्ली मे मेट्रो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए कोई विधान नहीं था, अत: संसद ने दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया। अत: इस अधिनियम की आवश्यकता थी। माननीय मंत्री अपने कार्य में दक्ष हैं और मेट्रो का कार्य तेजी से हो रहा है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि मेट्रो का कार्य समय पर हो रहा है और कभी-कभी समय से पहले भी हो रहा है। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के कारण चिंतित है। स्वाभाविक रूप से मेट्रो परियोजना इस दिशा में सहायक होगी। हमें खुशी है कि इस परियोजना का कार्य समय पर हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि डीएमआरसी ने कार्य की गति बढ़ाई है लेकिन विभिन्न निर्माण स्थलों में अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों की निगरानी पर्याप्त नहीं है। बीआरटी कॉरीडोर की जल्दबाजी में की गई आयोजना के बारे में शंका तब सच साबित हुई जब एक सप्ताह बाद एक चार्टर्ड बस की चपेट में आकर ट्रैफिक मार्शल की मौत हो गई। महोदय, हाल ही में लक्ष्मी नगर में फ्लाई ओवर के गिरने से डीएमआरसी द्वारा अपनाए जा रहे सुरक्षा मानकों के बारे में प्रश्नचिन्ह लग गया है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिल्ली मेट्रो के कारण हुई दुर्घटनाओं की ओर आकृष्ट कर रहा हूं। ये दुर्घटनाएं 28 अगस्त, 2007, नवम्बर, 2007, 21 जनवरी, 2008, 15 फरवरी, 2008, 19 मई 2008, 23 मई, 2008, 18 जुलाई, 2008, अगस्त, 2008, 4 सितम्बर, 2008, 30 सितम्बर, 2008, 8 अक्तूबर, 2008 और 19 अक्तूबर, 2008 को हुईं। इन तिथियों पर बड़ी दुर्घटनाएं घटीं। अत:, इन सब दुर्घटनाओं को देखते हुए, हम यह कह सकते हैं कि डीएमआरसी द्वारा सुरक्षा पहलुओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। मंत्री महोदय को डीएमआरसी को इस संबंध में अधिक सतर्क रहने के निदेश देने चाहिएं।

हाल ही में, योजना आयोग ने कहा है कि मेट्रो की परियोजना केन्द्रीय परियोजना नहीं है। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। यह एक केन्द्रीय परियोजना है और हम इस सबमें कानून के माध्यम से संशोधन कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत परिवहन राज्य का विषय है।

जहां तक मेट्रो रेल का संबंध है यह पूरी तरह से एक केन्द्रीय परियोजना है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं परन्तु, उन्हें यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि योजना आयोग यह कैसे कह रहा है कि यह केन्द्रीय परियोजना नहीं है।

मैं, माननीय मंत्री का ध्यान दो-तीन और महत्वपूर्ण मामलों, जिनमें से एक आतंकवाद की चुनौती है, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। लंबे समय से चली आ रही इस घटना के पश्चात् लंदन मेट्रो के लिए बहुत सी आतंकी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। अत:, हमें भी अपने देश में बहुत सतर्क रहना चाहिए। मेट्रो की सुरक्षा के लिए डीएमआरसी क्या सुरक्षा उपाय कर रहा है? यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि इससे लोगों की जान और माल का संबंध है।

जहां तक टिकट मूल्यों का संबंध है, तो ये बहुत अधिक हैं क्योंकि मेट्रो आम, निर्धन लोगों, श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए है। यदि मेट्रो का किराया रेलवे की तुलना में अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि एक दिहाड़ी मजदूर के लिए उसका टिकट खरीदना बहुत मुश्किल होगा। अत:, उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।

अंत में, मैं यह जानना चाहता हूं कि शहरी विकास मंत्रालय, मेट्रो रेल परियोजना को क्यों चला रहा है। हमारे पास एक अलग

रेल मंत्रालय है। सभा यह जानना चाहती है कि जब हमारे पास रेलवे जैसा इतना बड़ा संगठन है तो यह मेट्रो रेल की भी देख-रेख क्यों नहीं कर रहा हूं? रेलवे के पास तकनीकी जानकारी है और शहरी विकास मंत्रालय के लिए वह जानकारी प्राप्त करना मुश्किल कार्य है। अत:, निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् बेहतर रखरखाव और संचालन हेतु मेट्रो रेल को रेलवे को सौंप देना चाहिए। माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं मेट्रो रेल से संबंधित संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरा यह मानना है कि 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' शब्द को बदलकर 'दिल्ली' कर दिया जाना चाहिए, जो कि अधिक सार्थक है और इसके लिये आवश्यक कानूनी कवर भी प्रदान किया जायेगा।

मैं, यहां माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। बेहतर परिवहन सुविधाएं और जहां तक संभव हो शहरों में प्रदूषण रहित परिवहन सुविधाएं प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। एक आकलन के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारत में शहरों की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होगी। अगले 40 से 50 वर्षों के दौरान आवश्यक परिवहन सुविधाएं प्रदान करने हेतु हमारे लिए योजना बनाना आवश्यक है।

दिल्ली मेट्रो अनुकरणीय सेवा प्रदान कर रही है। हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि यदि इस समय मेट्रो रेल न होती तो स्थिति कितनी अस्त-व्यस्त होती। मेट्रो रेल की सुविधा के बावजूद हमें दिल्ली में अधिकांश स्थानों पर बहुत भीड़-भाड़ दिखाई देती है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री सुरेश प्रभु ने सुझाव दिया है शहरी विकास मंत्रालय के प्रत्येक शहरी क्षेत्र में कम से कम कुछ स्थानों पर साइकिल के उपयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए और साइकिल सवारों के लिए विशेष साइकिल सड़कें बनाई जानी चाहिए। इससे वातावरण को प्रदूषण रहित बनाने में बहुत सहायता मिलेगी।

दूसरी बात यह है कि इसके साथ-साथ विभिन्न अन्य शहरों में भी मेट्रो सेवाओं का प्रबंध करने की आवश्यकता है। बंगलुरू के लिए मेट्रो रेल की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि माननीय मंत्री ने यह कहा था कि वह कोचीन के संबंध में भी सकारात्मक विचार कर रहे हैं। प्रेस के अनुसार, सरकार ने आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की है। केरल ऐसा स्थान है जहां भूमि उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल है। यदि किसी सड़क का विस्तार करना है, तो संभवत: हजारों मकानों को बीच से हटाना होगा। अत:, कोचीन जैसा शहर जो कि बहुत बड़ा नहीं है परन्तु, जिसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, वहां मेट्रो सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक धनराशि भी प्रदान की जानी चाहिए।

इस अवसर पर, मैं हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना का उल्लेख करना चाहूंगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के बारे में व्यापक चर्चा हुई। भारत सरकार ने आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी है।

मेट्रो कार्पोरेशन का गठन हैदराबाद में किया गया। इसमें कुछ विवाद हो गया था जब श्री श्रीधरन, जो हैदराबाद मेट्रो के सलाहकार थे और उसी समय दिल्ली मेट्रो निर्माण के पीछे भी थे, ने निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) प्रणाली और इस सबके संबंध में कुछ टिप्पणियां की थीं। लेकिन आज दुर्भाग्य से उन्होंने जो भी टिप्पणी की थी वे सही साबित हो रही है। मैसर्स मेटास इंफ्रास्ट्रक्चर आरगेनाइजेशन जो सत्यम कंप्यूटर से ही जन्मी है और आजकल बहुत चर्चा में है, को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें वैश्विक निविदा आमंत्रित करने को कहा गया। लेकिन यहां मैं माननीय मंत्री को स्मरण कराना चाहता हूं कि विश्व में कहीं भी निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) प्रणाली मेट्रो रेल के संबंध में सफल नहीं रही है। इसे अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? संघ सरकार को अनेक लाभ हैं। केवल यहीं से अनुमति दी जानी है। सरकार बीओटी प्रणाली को स्वीकृति क्यों देती है? सड़क और रेल परिवहन प्रणालियां सभी सार्वजनिक परिवहन के लिए हैं। हमें इसे वाणिज्यिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम परिणाम देख चुके हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मंदी के कारण हैदराबाद मेट्रो नहीं बन रही है। इन परिस्थितियों में मैं पुन:, संघ सरकार से पहल करने और इस पर ध्यान देने का निवेदन करता हूं कि वर्तमान प्रबन्ध स्थगित या रद्द हो गए है। सरकार को हैदराबाद मेट्रो निर्माण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

महोदय, मैं यहां अन्य मुद्दा भी उठाना चाहता हूं यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से मेट्रो रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी यह मामला शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। दो दिन पहले ही मैंने समाचार पत्र में एक समाचार पढ़ा कि 16 कार्पोरेट शहरों में बसें प्रदान करने के लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन से 1400 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान की गई है। बाहर से देखने से यह ऐसा लगता है यह बहुत अच्छी चीज है लेकिन मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है। इसे मंदी से उबरने का कदम माना गया है। लेकिन यह सीधे कार्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचा रहा है। पेयजल, जल निकास प्रणाली जैसी अनेक प्राथमिकताएं हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सभापति महोदय, हम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेट्रो रेल रेल के नाम से चलने के बाद भी उनकी प्रशंसा है, लेकिन हम चाहते हैं कि माननीय रेल

मंत्री जी से भी कुछ प्राप्त करें कि वे उस ढंग की प्रशंसा और अर्जित करने का काम करें। हम मंत्री जी की क्षमता से परिचित हैं। हमारा कहना है कि अब मेट्रो रेल देश के अंदर एक पर्याय है और हम दूसरे देशों के लोगों को भी मेट्रो रेल की जानकारी देते हैं कि हिन्दुस्तान में आकर देखें कि हम 21वीं सदी में किस ढंग से कार्य कर रहे हैं। मैं कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं भगवान से श्री श्रीधरन के लिए कामना करूंगा कि उन्हें सौ साल से भी आगे की आयु प्रदान की जाए। लेकिन क्या मेट्रो रेल, जो पूरे देश के अंदर चल रही हैं, उसमें लोग इतनी स्वायतता से काम करेंगे? अगर कल श्री श्रीधरन के साथ कुछ अदरवाइज हो जाए, तो जो ढांचा हम चालू कर रहे हैं, क्या उसमें कहीं कोई रुकावट तो नहीं आ जाएगी। लगता है कि श्रीधरन जी मेट्रो रेल के पर्याय हैं और लोगों का मानना है कि जिस दिन वे हटेंगे उस दिन दिल्ली मेट्रो को कुछ न कुछ तकलीफ होगी। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को अलग करें और कार्य इस ढंग से हो, लोकतंत्र में देश चलते हैं, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, काम होता रहता है, लेकिन इस काम में उनके साथ ऐसे हाथ लगाए जाएं जो इस काम को सुचारू रूप से चला सकें।

मैं एक बात और संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ज्यादा आमदनी रियल एस्टेट से है, यात्री किराए से 40 प्रतिशत का आय है। उसके बाद भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि किराया ज्यादा है। इस किराए को आम आदमी की ऐप्रोच के अंदर लाया जाए और यदि आप उसके हिसाब से काम करेंगे, अभी श्री त्रिपाठी ऐक्सीडैंट्स की जानकारी दे रहे थे।

जब दायरा बढ़ेगा, तो ये संभावनाएं भी रहेंगी। यदि हमने सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा और कभी गंभीर घटना घट गयी, तो फिर उसकी जवाबदेही की कोई स्थिति नहीं होगी। ये सारी बातें मैंने बैठे-बैठे ही सोच कर बोली हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की व्याख्या की है और कुछ शहरों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत काउंटर मेगनेट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें काफी लम्बा समय हो गया है। यह आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है। मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप भविष्य की योजना बनायेंगे, तो क्या आप 25 साल की एक महत्वाकांक्षी योजना के साथ जो काउंटर मेगनेट सिटीज हैं, उनको मेट्रो रेल से जोड़ने की बात करेंगे? मेरा इसमें स्वार्थ है क्योंकि मेरा क्षेत्र बरेली काउंटर मेगनेट सिटी के रूप में माना जाता है और उसके हिसाब से इसमें विकसित करने की बात हो रही है।

मैं चाहूंगा कि आप इस बात का जवाब अवश्य दें कि काउंटर मेगनेट सिटी विकसित करने की सरकार ने जो योजना बनायी थी, उसका क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है? इस काउंटर मेगनेट सिटी के रूप में जो जनपद विकसित किये जाने की बात है, महानगर विकसित किये जाने की बात है, उनको भी आप इस प्रकार की सुविधाओं से जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि 200-250 किलोमीटर के बीच में बरेली होने के बाद भी उसमें बाय रोड आठ घंटे लगते हैं इसलिए दिक्कत रहती है। हमारा इरादा यह है कि जल्दी यात्रा हो, अच्छी यात्रा हो, ठीक ढंग से यात्रा हो और दुर्घटनाएं न्यूनतम हो।

मैं चाहूंगा कि यहां पर कामनवेल्थ गेम्स होने की वजह से सारे काम जल्दी से जल्दी समय के अंदर पूरे हो जायें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी यह योजना खाली कामनवेल्थ गेम्स तक ही सीमित न रहे, इस महत्वाकांक्षी योजना को आप आगे तक बढ़ाने का काम करें। अगर आप अगले 25 साल का विजन देंगे, जैसा एनडीए सरकार में, माननीय अटल जी की सरकार में विजन दिया गया था, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाये गये मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जब से यह मंत्रालय संभाला है, एक नयी क्रांति लाने का काम किया है। जो अभिभाग हमारे गंगवार साहब और त्रिपाठी जी कह रहे थे कि वर्ष 2002 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन वह बिल इंट्रोड्यूस होकर ही रह गया। वर्ष 2004 में उस बिल को कार्य रूप देने का काम हुआ। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं और साथ ही यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्ष 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जमाने में एनसीआर की सोच पैदा हुई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई अर्थ हमें नजर नहीं आ रहा है। एनसीआर का कान्सैप्ट यह था कि दिल्ली में प्रैशर कम हो और विद इन 100 किलोमीटर पेरीफेरी में क्षेत्रों का विकास हो, ताकि दिल्ली की आबादी कम हो। यह तभी संभव है जब दिल्ली के समकक्ष वहां का विकास हो।

मान्यवर, मैं गाजियाबाद से आता हूं। गाजियाबाद और दिल्ली में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कामनवेल्थ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। जहां कामनवेल्थ गेम्स के स्टेडियम बन रहे हैं, उससे मात्र पांच-छः किलोमीटर दूर गाजियाबाद का क्षेत्र लगता है। हमारे यहां वैशाली में मेट्रो रेल का काम शुरू हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से वह काम डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि वैशाली-दिल्ली बार्डर जहां आनन्द विहार बस स्टैंड है, वहां मेट्रो रेल के पिल्लर खड़े करने आदि का काम भी शुरू हुआ था, लेकिन वह काम अभी रुका हुआ है। मैं इस संबंध में दिल्ली की मुख्य मंत्री जी से भी मिला था कि वे इसमें शीघ्र-अतिशीघ्र निर्णय लेकर वैशाली का काम

चालू करायें। इसकी एमओयू भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और यहां की सरकार द्वारा साइन हो चुकी है, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार की कोई अड़चन आ गयी है। हमारा कहना है कि उस अड़चन को दूर कराने की कृपा करें। इसी के साथ-साथ कामनवेल्थ गेम्स वाले उसे आगे वसुंधरा तक बढ़ाने की कृपा करें, ताकि साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, पारसनाथ व आस-पास के क्षेत्र, अजंतापुर, महाराजपुर आदि क्षेत्रों को लाभ मिल सके। दिल्ली यूपी बार्डर, गाजियाबाद तक जो मेट्रो जा चुकी है, उसे आप नए गाजियाबाद बस स्टैंड तक एक्सटैंड कराने का काम करायें, ताकि लोगों को सुगम और सरल उपाय मिल सके और गाड़ियों का रश कम हो हम सके। मंडल डेवलपमेंट कमेटी में अर्बन ट्रैफिक की भी चर्चा होती है।

यह तभी संभव होगा जब दिल्ली बार्डर से गाजियाबाद नए बस स्टैण्ड तक मेट्रो ले जाई जाए जिससे राजेन्द्र नगर, लाजपत नगर, मोहन नगर, अर्थला, संजय नगर, पटेल नगर और मेरठ रोड के आस-पास की सभी आवासीय कालोनियों के तमाम लोगों को लाभ होगा। दूसरी तरफ नोएडा के सेक्टर 62 तक आपकी मेट्रो जा रही है। मैं यह चाहूंगा कि नोएडा से हमारे मेहरोली तक मेट्रो को बढ़ाया जाए जिससे काजीपुरा, प्रताप विहार, विजय नगर, लाल क्वार्टर, लाल कुआं, बम्हेटा आदि क्षेत्रों को फायदा हो सकेगा। इन सभी स्थानों पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है और वहां पर तमाम शैक्षणिक संस्थाएं खुल चुकी हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर कार्यवाही करें। इसी के साथ हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एम. जयपाल रेड्डी): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया और बिना शर्त, पूरा समर्थन प्रदान किया। यह एक ऐसा अवसर है जिस पर संसद वास्तव में गर्व कर सकती है कि सिद्धान्त के मुद्दे, विचारधारा के मुद्दे पर न केवल हम जबर्दस्त बहस कर सकते हैं बल्कि कई अवसरों पर एक साथ भी खड़े हो सकते हैं जैसा कि हमने आज किया है।

जैसाकि सभी माननीय सदस्यों ने बिल्कुल सही बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना ने भारी सफलता प्राप्त की है। वास्तव में यह हमारे देश का गौरव है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि श्री शाहनवाज हुसैन जिन्होंने वाद-विवाद आरंभ किया था, ने बहुत प्रशंसनीय ढंग से इस बात का उल्लेख किया है। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए इस सदन में लगभग सभी दलों ने, सभी सरकारों ने दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग किया है।

श्री शाहनवाज हुसैन ने पक्षपातपूर्ण तरीके से यह उल्लेख करने का प्रयास किया कि यह परियोजना राजग सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। स्वाभाविक रूप से श्री जगदीश टाइटलर ने इसका प्रतिवाद किया था जिन्होंने सारे मुद्दे को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा है। लेकिन मैं ऐसे महत्वहीन मुद्दों पर वाद-विवाद नहीं करना चाहता।

यह हम सबकी परियोजना है और वास्तव में हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए, भारत सरकार ने, चाहे जो भी शासक हो, प्रत्येक संभव प्रयास किया है, फिर वह चाहे धन देना या अपने प्रभाव और सरकार के पास उपलब्ध भूमि को प्रदान करना आदि ही क्यों न हो। हमने दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन को इतनी अधिक भूमि प्रदान की है कि दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन इसका प्रयोग न केवल परियोजना निर्माण के लिए कर सकता है बल्कि राजस्व के स्रोत के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकता है। हम से कम 20 प्रतिशत राजस्व भारत सरकार द्वारा दी गई भूमि के वाणिज्यिक प्रयोग से आता है। हमने उचित दर पर भूमि देना जारी रखा है ताकि दिल्ली मेट्रो इसका तर्कसंगत प्रयोग कर सके और अपना भार कम कर सके।

महोदय, जबकि भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने धन उपलब्ध कराया है और भारत सरकार को जापान से भी सामान्य सहायता मिली है, हमने इस बात को भी ध्यान में रखने का प्रयास किया कि किराया भी एक सीमा से अधिक न बढ़े।

महोदय, यहां तक कि शहरी स्थानीय निकायों में हम पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते, तो हम शहरी निकायों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि वे कम से कम संचालन लागत को पूरा करने हेतु तो वसूली करें। आज किराए असंगत रूप से ज्यादा नहीं हैं और इसके विपरीत वे इतने अधिक भी नहीं हैं कि हमें आय प्रदान कर सकें। वे संचालन लागत को पर्याप्त रूप से पूरा करने लायक भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि हमें इस गरिमामय मंच का प्रयोग लोगों की पूरी न हो सकने वाली अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए करना चाहिए।

महोदय, अपर्याप्त मुआवजे का उल्लेख किया गया है। मैं समझता हूं कि यह संकल्पना, यदि मैं ऐसा कह सकता, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जो मुआवजा हम दे रहे हैं वह उतना ही है जितना रेलवे देता है। *...(व्यवधान)*

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: उन्हें बाजार मूल्य नहीं मिल रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: स्वाभाविक रूप से हम यह देखेंगे कि जो लोग इस वजह से प्रभावित हों उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिले। लेकिन रेलवे की परंपरा की तुलना के संदर्भ में उल्लेख किया गया था। मैं केवल एक वक्तव्य दे रहा हूं कि जो मुआवजा हम देते हैं वह रेलवे से कम नहीं है।

श्री जगदीश टाइटलर, जो वास्तव में एक वरिष्ठ सदस्य हैं, ने कहा है कि डीटीसी बस डिपो के आस-पास की भूमि का भी वाणिज्यिक प्रयोग किया जाना चाहिए। वह बहुत वरिष्ठ और विद्वान सदस्य हैं और मुझे उन्हें यह नहीं बताना है। ये हमने हाल ही में दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन किया है ताकि दिल्ली परिवहन निगम राजस्व के स्रोत के रूप में इस जमीन का प्रयोग कर सके। तथापि दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम को इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करनी है। हम केवल सहायक कानून बना सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन ने कोचीन मेट्रो का संदर्भ दिया है। उनका यह सोचना कि भारत सरकार इसकी पक्षधर नहीं है, सही नहीं है। श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने भी इसका संदर्भ दिया है। यह मामला योजना आयोग के विचाराधीन है। परियोजना की व्यवहारिकता से अवगत होने के बाद, हम निश्चित रूप से सहयोग के उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने बंगलुरू, मुंबई या चेन्नई के मामले में किया है। *...(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: योजना आयोग ने आपत्ति की है कि कोचीन बड़ा शहर नहीं है। अत: यह संभव नहीं हो सकता। किंतु आप एक मंत्री के तौर पर केरल की स्थलाकृति से अवगत हैं। कोचीन एयरपोर्ट त्रिचुर और कोचीन के ठीक बीच में है। अत: यदि आप उन दोनों बड़े शहरों को जोड़ते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय: प्रश्न बाद में उठाये जा सकते हैं। मंत्री महोदय चूंकि हमारे पास समय नहीं है इसलिए आप उत्तर बाद में दें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं केरल के माननीय सदस्यों की चिंता कम करना चाहता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): हमारे सभापति सहित।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं जानता हूं।

सभापति महोदय: कोच्चि के बारे मैंने आपको बताया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं सिर्फ आपका उल्लेख कर रहा हूं। जबकि योजना आयोग ने इसके पक्षपात का रुख नहीं अपनाया है, विचार करने की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। यदि आवश्यक हुआ तो भारत सरकार पुनर्विचार के लिए तैयार है। हम इसे संभव बनाएंगे। तथापि, आप सभी इस बात की सराहना करेंगे कि आर्थिक व्यवहार्यता उन मूलभूत मानदण्डों में से एक है, जिनके द्वारा हमारे आर्थिक निर्णय को दिशा दी जानी चाहिए।

भारत में रेलवे सुरक्षा आयुक्त हैं। यह संस्थान उड्डयन मंत्रालय में स्थित है। *...(व्यवधान)* इसका रेलवे से कोई संबंध नहीं है क्योंकि सुरक्षा आयुक्त का संस्थान रेलवे का स्वतंत्र संस्थान है। अत: मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है कि जहां कहीं नए मेट्रो स्थित हैं, वहां स्थित रेलवे सुरक्षा आयुक्त उन मेट्रो की देखभाल करेंगे; उस संस्थान को चुस्त और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हम इस दिशा में सभी कदम उठा रहे हैं।

श्री आलोक मेहता ने पटना से प्रस्ताव भेजा है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सभी कदम राज्य सरकार द्वारा उठाये जाते हैं। यदि राज्य सरकार प्रस्ताव करती है, जैसा कि केरल सरकार ने प्रस्ताव किया है, तो हम पटना के बारे में भी निश्चित रूप से सकारात्मक विचार करेंगे। तथापि, हम पटना के लिए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (त्वरित परिवहन प्रणाली) की परियोजना की मंजूरी के लिए तैयार थे। यह अभी भी विचाराधीन है।

श्री सुरेश प्रभु सकारात्मक दृष्टिकोण वाले बहुत अनुभवी सदस्य हैं। उन्होंने व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया था। इस पर विचार चल रहा है। इस समस्या के संवैधानिक पहलू हैं। अत: हम इस पर किस्तों में विचार कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि सभी मेट्रो जमीन के नीचे बनाए जाएं। यद्यपि ऐसे प्रस्ताव का स्वागत है, तथापि हमें इस पर आर्थिक व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। उदाहरणार्थ भूमिगत मेट्रो पर तीन गुणा लागत आती है। जब तक कि हमें भूवैज्ञानिक या स्थानीय स्थितियां बाध्य न करें तब तक हम भूमिगत मेट्रो का व्यय वहन नहीं कर पाएंगे। अत: दिल्ली में भी हमने देखा है कि जहां कहीं संभव हुआ हमने भूमिगत मेट्रो से परहेज किया है। अत: इससे परहेज का मुख्य कारण आर्थिक है। प्रतिष्ठित लेखाकार होने के कारण वह मुझसे निश्चित रूप से सहमत होंगे कि यह उचित मानदण्ड है, जिसका हम पालन कर रहे हैं।

सभापति महोदय: क्या आपने अपनी बात समाप्त कर ली?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: नहीं महोदय, मैं बात कर रहा हूं।

महोदय, वह चाहते थे कि मेट्रो का प्रचालन अन्य नगर अभिकरणों के सहयोग से हो। ऐसा वास्तव में हो रहा है। कोई मेट्रो पुलिस सहित सभी नगर अभिकरणों के सक्रिय और सकारात्मक सहयोग के बिना नहीं चल सकती।

आपने साइकिल सवारों तथा पैदल चलने वालों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए ठीक दलील दी है। 2006 में हमने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति अपनाई, जिसमें हमने साइकिल सवारों तथा पैदल चलने वाले के लिए अलग से जगह उपलब्ध कराने पर बल दिया। हमने बहुत प्रगति नहीं की है। किंतु इसके

पहले की हम प्रगति करें, हमें लोगों के दृष्टिकोण राज्यों में शासन करने वालों के दृष्टिकोण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हमने कुछ प्रगति की है। तथापि, हमें बुनियादी तौर पर बहुत प्रगति करनी है।

महोदय, अक्तूबर 2010 में होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों को ध्यान में रखकर उन्होंने मेट्रो के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। वही मुख्य बात है। यही कारण है कि मैंने तत्काल विधेयक प्रस्तुत किया, क्योंकि इसके नोएडा तक विस्तार के प्रचालन का परीक्षण जून 2009 में होना है। यद्यपि यह सत्र छोटा था और समय का अभाव था, तथापि मैं प्रत्येक संबंधित व्यक्ति से संपर्क नहीं कर पाया, ताकि इस विधेयक को उच्च प्राथमिकता दी जाए। महोदय, मैं सभा और आपके माध्यम से इतना बता सकता हूं। कि 2010 के राष्ट्रमण्डल खेलों के लिये, गुड़गांव तथा नोएडा तक इसके विस्तार का कार्य समय पर पूरा हो जाएगा।

त्रिपाठी जी ने घटनाओं की संख्या के बारे में बताया है। लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसका ब्यौरा रखा है। मैं उनके द्वारा दिए गए तथ्यों से इंकार नहीं करता। जब ऐसी विशाल परियोजना चल रही है तब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं और ये अपरिहार्य है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जब आप दिल्ली मेट्रो की तुलना विश्व के अन्य मेट्रो से करते हैं तो हमारा रिकार्ड किसी से कम नहीं है। चूंकि देश में तुलना करने के लिए कोई मेट्रो नहीं है इसलिए मैं अपने मेट्रो के रिकार्ड की तुलना पश्चिमी देशों के मेट्रो से कर रहा हूं। हमारा रिकार्ड किसी भी तरह उनसे कम नहीं है।

त्रिपाठी जी ने एक प्रश्न उठाया कि क्यों न मेट्रो को राज्य का विषय माना जाए। वर्तमान में परिभाषा-3 के अंतर्गत, मेट्रो को ट्रामवे माना जाता है और इसे बदलने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। अत: हम कानून में समय-समय पर संशोधन कर रहे हैं। मुझे इस आवश्यकता की जानकारी है, क्योंकि हम कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरू, मुंबई और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर मेट्रो चलाने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ शहर जैसे अहमदाबाद बीआरटीएस से एमआरटीएस को वैध आधार पर प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि यह कई गुणा सस्ता है। उदाहरणार्थ बस त्वरित परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) एमआरटीएस से 20 गुणा सस्ता है। इसमें समय भी कम लगता है। लेकिन यह चाहे जैसा हो, हम यह निर्णय लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सरकारें भी उसी हिस्से का अंग है और मंत्रिगण कहीं ज्यादा। मैं यह सब इसलिए कह रहा है क्योंकि यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा किए जाने हैं। जब वह हमारे समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं हम उसका उचित उत्तर देते हैं और उनके सभी प्रस्तावों का योजना आयोग के स्तर पर तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन किया जाता है।

श्री त्रिपाठी ने सुरक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें यह बताना चाहता हूं कि सुरक्षा उपायों की अनदेखी नहीं की गई थी। सुरक्षा कार्य केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया था और सीसीटीवी लगाया गया था। हमारी यह खुशकिस्मती है कि अब तक सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली मेट्रो का रिकार्ड अद्वितीय रहा है।

महोदय, श्री सुधाकर रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो की समस्या उठाई है। मैं इस संबंध में कोई निर्णय नहीं देना चाहता कि हैदराबाद मेट्रो में क्या हुआ। परंतु मैं पहले भी यह स्पष्ट कर चुका हूं और इसे पुन: स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह पहल राज्य सरकार द्वारा की गई थी। यदि हमें इस मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ती तो भारत सरकार इस संबंध में कुछ हस्तक्षेप कर सकती थी।

चूंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी अत: इस मामले में हमारा कोई दखल नहीं था। जहां तक हैदराबाद में दिल्ली के समान प्रणाली लागू करने संबंधी उनकी मांग का संबंध है मैं केवल इतना कह सकता हूं कि राज्य सरकार का यह कार्य है कि वह प्रस्ताव तैयार करे। केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं स्वयं कुछ नहीं कह पाऊंगा।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: राज्य सरकार ने यह परियोजना मैटास कम्पनी को दी है और यह कम्पनी बंद हो गई अत: सम्पूर्ण परियोजना बंद हो गई है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इसे पुन: प्रारंभ करने हेतु कदम उठाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया इसे अब मत उठाइए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं इससे सहमत हूं परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि कोई प्रश्न अनुत्तरित रह जाए। ऐसे मामलों पर मूलत: राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। मैं यह केवल आंध्र प्रदेश के संबंध में नहीं बल्कि सभी राज्य सरकारों के संबंध में कह रहा हूं।

अब, उन्होंने पूछा कि "हम बसें क्यों खरीद रहे हैं? हम इन बसों को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत दी गई निधियों से इतर धनराशि से खरीद रहे हैं। यह वर्तमान मंदी के दौर में भारत सरकार द्वारा दिए गए बड़े प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। देश के अनेक शहरों में अनेक बसें उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ ही समय में हम 65 शहरों को लो फ्लोर लक्जरी बसें उपलब्ध करा पाएंगे। परन्तु वह सभी वातानुकूलित नहीं होंगी।

आज सुबह भी मैंने हैदराबाद में एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसके तहत 700 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। यह बसें

इसलिए उपलब्ध कराई जा रही हैं क्योंकि हम निजी परिवहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहते हैं।

श्री संतोष गंगवार ने श्रीधरन जी द्वारा प्रदान की गई बेहतरीन सेवा का उल्लेख किया। वास्तव में, श्रीधरन जी एक महान हस्ती हैं जिन्होंने दिल्ली मेट्रो को बनाने में अपना महान योगदान दिया और वह सभी मेट्रो को परामर्श भी दे रहे हैं। परंतु हम सभी व्यक्तियों की नश्वरता से परिचित हैं इसलिए हम एक विश्वसनीय और टिकाऊ ढांचा खड़ा कर रहे हैं। श्रीधरन जी जिस प्रकार इसका कार्य कर रहे हैं अन्य लोगों को भी उनका अनुकरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए बैंगलुरू और चेन्नई में राज्य सरकारें अपने स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त कर रही हैं और इस मामले में हम अपनी विशेषज्ञता और अनुभव बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरेली पर 'काउन्टर-मैग्नेट सिटी' के रूप में विचार किया जाए। उनका सुझाव है कि इस पर विचार किया जाए।

श्री सुरेन्द्र गोयल चाहते हैं कि इस सुविधा को गाजियाबाद और अन्य शहरों तक बढ़ाया जाए। मैं उनके सुझाव की सराहना करता हूं। इस संशोधन से इसे गाजियाबाद तक बढ़ाया जा सकेगा क्योंकि गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। अत: मुझे विश्वास है कि उनके अनुरोध को यथासमय स्वीकार कर लिया जाएगा। इस समय हम नोएडा और गुड़गांव पर ध्यान दे रहे हैं और अभी इस संबंध में काफी कार्य शेष है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में संसद दिल्ली मेट्रो का समर्थन करेगी।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): हमारे यहां जहां-जहां इसका काम रुका है, उसे चालू कराने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को पहल करनी होगी क्योंकि हमें राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता है। मैं प्रस्ताव को तैयार करूंगा। नि:संदेह इस पर चर्चा चल रही है। परन्तु अभी यह आरम्भिक चरण में है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 और भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 17 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: अब मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण छ: बज चुके हैं। हमें तीन और विधेयकों पर विचार करना है और उन्हें पारित करना है। यदि सभा सहमत हो तो सभा का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: नहीं। *...(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, आज कम से कम उनमें से एक विधेयक पर विचार करके उसे पारित कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है हम आज एक विधेयक पर विचार करेंगे। अब सभा का समय एक घंटा अर्थात् सात बजे तक बढ़ाया जाता है।

...(व्यवधान)

सायं 6.03 बजे

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 33 पर विचार आरंभ करेंगे। मंत्री जी विधेयक प्रस्तुत करें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): श्री अर्जुन सिंह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह बहुत साधारण और संक्षिप्त विधेयक है जिसमें 2004 के मूल अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की स्थापना दिनांक 11 नवम्बर, 2004 के अध्यादेश की घोषणा के माध्यम से की गई थी। अध्यादेश को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम (2005 का 2) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसे 6 जनवरी, 2005 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रदान किए गए शैक्षणिक अधिकार को वास्तव में उपलब्ध कराया जाए। यह अन्य बातों के साथ-साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र और विश्वविद्यालयों से संबद्धता, जहां कहीं भी लागू हो प्रदान करने से संबंधित सभी मुद्दों सहित अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने के अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की अस्वीकृति, वंचन या उल्लंघन से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करता है।

आयोग, जो विगत तीन वर्षों से विद्यमान है, को अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी अधिनियम (2005 की संख्या 2) के संबंध में अल्पसंख्यकों के विभिन्न भागों से समय-समय पर अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन्हें आयोग को भेज दिया गया। आयोग ने इससे प्रभावित होने वाले सभी वर्गों द्वारा व्यक्त विचारों और सुझावों पर विचार किया है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम में कतिपय संशोधनों की सिफारिश की है। तद्नुसार प्रस्तुत विधान के माध्यम से कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

विधेयक की धारा 2 में, खंड (छ) में दो संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। पहला "अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था" की परिभाषा में विश्वविद्यालयों को शामिल न करने को समाप्त करना। दूसरा प्रस्ताव है "या द्वारा संरक्षित" शब्दों को "और द्वारा प्रशासित" शब्दों से प्रतिस्थापित करना। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था की परिभाषा से वर्तमान में विश्वविद्यालयों को शामिल न करना भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अजीज बाशा बनाम भारत संघ (एआईआर 1968) मामले में निर्धारित कानून के विरुद्ध है। अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि गैर-अल्पसंख्यक भी संस्थाओं को अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थाओं के रूप में प्रचारित कर रहे थे। इस संशोधन के माध्यम में इस त्रुटि को दूर करने के लिये यह प्रावधान करके किया जा रहा है कि संस्थाएं उन्हीं अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्ति या समूह द्वारा स्थापित और प्रशासित होनी चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 30 में प्रयुक्त भाषा के अनुरूप होगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम ने आयोग के कार्यों को मूल अधिनियम की तुलना में कई गुणा बढ़ा दिया है जिसके अंतर्गत आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त दो सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग में दर्ज शिकायतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मामलों की बढ़ती संख्या के अतिरिक्त, जटिल प्रकृति के मुद्दे भी इसके समक्ष लाए गए हैं, इसलिए भी आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक समुदायों, जो आयोग को अपनी शिकायतों के निवारण हेतु एक मंच के रूप में देखते हैं, की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि अध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग के सदस्यों की वर्तमान संख्या दो से बढ़ाकर तीन करने के लिए अधिनियम की धारा 3(2) को संशोधित किया जाए।

संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी मर्जी की शैक्षणिक संस्था स्थापित और प्रशासित करने की शर्तरहित शक्ति प्रदान करता है। टीएमए पाई फाउण्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) (8 एमसीसी 481) में उच्चतम न्यायालय का मत था कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रदान किया गया अधिकार एक नियामक अधिकार है और नियमन को दो कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए पहला उपयुक्तता की कसौटी और दूसरा यह संस्था की शैक्षणिक प्रकृति का नियामक हो और संस्था को अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा हेतु प्रभावी साधन बनाने में सहायक हो। ऐसा करने के लिए हम अधिनियम की धारा 10(1) को संशोधित कर रहे हैं ताकि यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के विस्तार और दायरे को सीमित न करे। प्रस्तावित संशोधन यह

सुनिश्चित करेगा कि जहां कहीं आवश्यक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र विद्यमान कानून के अधीन जारी किये जायेंगे न कि प्रत्येक राज्य की सरकार के कार्यपालिका के विवेक पर नहीं छोड़ा जाएगा।

अन्ततः उपर्युक्त अधिनियम का खंड 12(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग को शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे के संबंध में निर्णय करने की शक्ति प्रदान करता है। उपर्युक्त खण्ड 12(ख) का उपखण्ड (4), जैसाकि वर्तमान में यह है, प्रावधान करता है कि आयोग, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और राज्य सरकार से परामर्श के बाद शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे पर निर्णय कर सकता है और ऐसे निर्देश देगा जिन्हें यह उपयुक्त समझता हो, और ऐसे सभी निर्देश पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। ऐसा प्रस्ताव है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के दर्जे पर निर्णय करने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श करने की आवश्यकता को समाप्त किया जाए क्योंकि अधिकांश मामलों में आयोग के पास आई याचिकाओं में राज्य सरकारें पहले से ही एक पक्ष होती हैं और इसलिए, यह महसूस किया गया है कि राज्य सरकारों को दूसरा अवसर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा द्वारा विचार किये जाने और स्वीकार किये जाने हेतु यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत करने का कारण गिनाया है। यह विधेयक 2004 में बना था जिसमें संशोधन करने जा रहे हैं। यह देखने में मामूली संशोधन लग रहा है लेकिन कवि बिहारी के दोहे को देखकर लगता है- "दीखन में छोटे लगे, घाव करें गम्भीर" यह देखने में मामूली संशोधन है लेकिन इसके दुष्परिणाम आगे जाकर देखने को मिलेंगे। इसका कारण यह है कि राज्यों के अधिकारों में कटौती कर दी गई है। सरकार जिस प्रकार से संशोधन करने जा रही है कि संस्था अल्पसंख्यक स्टेटस की है या नहीं, इसके लिये एनओसी लेना पड़ता है। इसके लिये सक्षम अधिकारी की बात कही गई है लेकिन राज्य सरकार से परामर्श करने के शब्द का लोप किया जा रहा है यानी राज्य सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, राज्य सरकार किसी प्रकार से बीच में नहीं आयेगी। शिक्षा राज्यों का विषय है। अगर इस प्रकार राज्यों से बिना पूछे राज्य में सीधे ही आयोग द्वारा अल्पसंख्यक स्टेटस प्रदान कर दिया जायेगा तो राज्य सरकार को अनुदान देना होगा या उन्हें ही विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां देनी होंगी। अगर राज्य सरकार पर उसका अतिक्रमण होगा तो कैसे हस्तक्षेप करेंगे? इसलिये मुझे इस बात पर आपत्ति है। राज्य सरकार के अधिकारों पर कुठाराघात न किया जाये। अब तक विधेयक में इस बात का प्रावधान था कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से आयोग अल्पसंख्यक संस्था का स्टेटस प्रदान करेगी लेकिन इस बार इस बात का दुरुपयोग हो सकता है। जो राज्य आतंकवाद से ग्रस्त है। जैसे कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह खतरनाक क्षेत्र है। अगर वहां राज्य सरकार की आज्ञा के बिना अल्पसंख्यक संस्था का स्टेटस प्रदान कर दिया गया या वह सीमावर्ती राज्य है, वहां मदरसा या संस्था खुली है, वहां कैसे होगा? जैसा हमें समाचार पत्रों में समाचार पढ़ने को मिलता है तो उस आधार पर राज्य सरकार की देखरेख में, राज्य सरकार की पूछताछ और उससे परामर्श अवश्य किया जाना चाहिये। इस बिल में जो धारा है कि राज्य सरकार से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, शिक्षा राज्य का विषय है। इसलिये राज्य से सलाह-मशविरा अवश्य किया जाना चाहिये। राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाणपत्र दे, तभी उस संस्था को प्रारम्भ किया जाना चाहिये अन्यथा देश की सुरक्षा के लिये कौन जिम्मेदार होगा? इस प्रकार पंजाब और नागालैंड हैं। कश्मीर में एक धर्म विशेष के लोगों का बाहुल्य है, दूसरे धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, क्या वहां अल्पसंख्यक हिन्दुओं को इस प्रकार का अधिकार होगा? पंजाब में सिख डौमिनेटेड लोग हैं, हिन्दू कम हैं जबकि देश में बाहुल्य है तो पंजाब के अंदर क्या स्थिति होगी? नागालैंड में ईसाई समुदाय का बाहुल्य है। अगर वहां हिन्दू राम कृष्ण की संस्था खोलना चाहें तो क्या उन्हें यह अधिकार प्राप्त होगा? इसलिये इन सारी बातों का स्पष्टीकरण अत्यंत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार से परामर्श अनिवार्य रूप से होना चाहिये और जो राज्य सरकार से परामर्श करने का शब्द लोप किया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिये।

महोदय, हम और हमारी पार्टी भी यही चाहते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन और नियुक्ति को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत सांविधानिक अधिकार प्राप्त है। सरकार को यह कांप्रिहैंसिव बिल लाना चाहिए था। पहले आप इसे वर्ष 2004 में लाये फिर वर्ष 2006 में लाये। वर्ष 2006 में आपने इसमें 90 दिन

वाली बात कही कि अगर 90 दिन के अंदर कोई आपत्ति या एनओसी वगैहरा नहीं आती है तो ऐसा मान लिया जाए। अब वर्ष 2009 वाले बिल में वह 90 दिन वाली बात भी हटाकर राज्य सरकारों को ही एक्सक्लूड किया जा रहा है। एक ही बिल के अंदर तीन-तीन बार संशोधन हो रहे हैं। अगर सरकार एक बार ही सोचकर कांप्रिहेंसिव बिल लाती, हम अल्पसंख्यकों के विरोध में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि देश का अल्पसंख्यक राष्ट्र की मुख्यधारा के अंदर आये। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैंड तक और सारा देश, हम सब भारतीय हैं और सब भारतीय एक हैं, हम इस प्रकार की भावना विकसित करना चाहते हैं। यह यूपीए सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सच्चर रिपोर्ट आयी और उसमें इस्लाम की सही स्थिति ...*(व्यवधान)* इस देश के अंदर यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध और कई जगह हिन्दू भी अल्पसंख्यक हैं तो उनकी स्थिति क्यों रह गयी? सिक्ख भी अल्पसंख्यक हैं। क्या उनके बारे में कोई सोचने-विचारने की बात नहीं है? जब कभी भी अल्पसंख्यक शब्द आता है तो केवल मुस्लिम समुदाय के बारे में ही सोचा जाता है।

महोदय, हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, हम सब हैं भाई-भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरक्षण के प्रावधान से बचने के लिए, ओबीसी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है माइनोरिटी स्टेटस लेकर आरक्षण की बला, तू जल और उस बला को टाल दो। यह इससे बचने का उपाय तो नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि कहीं माइनोरिटी स्टेटस में बिना स्टेट को पूछे हुए, सीधा आयोग दे दे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरक्षण से बचने के लिए आप इस प्रकार का प्रावधान लाये हैं। विशेषकर ओबीसी के आरक्षण से बचने के लिए। मैंने जैसा कहा कि हम भी यह चाहते हैं कि अल्पसंख्यक राष्ट्र की मुख्यधारा में आयें और उनका शैक्षिक और सामाजिक उत्थान हो और वे इस देश के अंदर बराबर हों। हम यह चाहते हैं कि जैसे आज समाचार पत्रों में रहमान जी को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर "जय हो..." गाने के लिए मिला। जब एनडीए की सरकार थी तब माननीय अटल जी ने रहमान जी के द्वारा "वंदे मातरम..." गीत गवाया था। यह गीत सारे देश के अंदर बहुत लोकप्रिय हुआ था। हम तो एक रस, एक मति, एक गति, एक नीति और रीति करना चाहते हैं, लेकिन यूपीए की सरकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद डालकर और शिक्षण संस्थाओं में भी अल्पसंख्यकों के नाम पर अधिक छात्रवृत्तियां देकर, कई जगह नौकरियों में रिजर्वेशन देकर, यूनिवर्सिटी आदि में योग्यता के आधार पर प्रवेश को रोकने का, यह सारा जो षड्यंत्र चल रहा है हम इसके खिलाफ हैं। हम आपसे यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि राज्य सरकारों से परामर्श करना अनिवार्य माना जाए। इसका दुरुपयोग न हो, नहीं तो आतंकवादी तत्व पनपेंगे और देश विरोधी ताकतें पनपेंगी और कहीं न कहीं वह तालिबान वाला मामला हो जाएगा। तालिबान आज सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। ये हमारे हिन्दुस्तान की सीमाओं तक आ गये हैं। तालिबानियों से पाकिस्तान भी खबरा रहा है और अमेरिका को भी संकट दिखाई दे रहा है। महोदय, हमें इन शिक्षण संस्थाओं से सावधानी रखनी होगी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को बराबर ध्यान रखना चाहिए। इनके परामर्श के बिना किसी भी संस्था को माइनोरिटी का स्टेटस देना ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: समय नहीं है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: यह बहुत अच्छी बात है कि आपने दो सेमिस्टर की जगह तीन सेमिस्टर किये हैं। आपने इसकी परिभाषा में जो स्पष्टीकरण दिया है कि अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रायोजित के पीछे क्या राज है? अगर कोई दूसरा समुदाय या सम्प्रदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संस्था स्थापित करता है तो क्या उसे माइनोरिटी का स्टेटस नहीं मिलेगा? आपकी इस परिभाषा के अंदर भी कहीं न कहीं अलगाववादी की बू आती है। महोदय, मैंने कतिपय बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। हम इसका विरोध करते हैं। आयोग बना, यह अच्छी बात है। आयोग जांच करे और उनको सहयोग प्रदान करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप इस सभा पटल पर रखें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, मैं अंतिम बात कह रहा हूं और मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: 2005 में आयोग के सामने 40 एप्लीकेशंस आईं, 2006 में 1744 एप्लीकेशंस आईं, 2007 में 818 एप्लीकेशंस आईं। कुल 2622 एप्लीकेशंस आईं और इनमें से 825 का निस्तारण किया गया। मैं समझता हूं कि छानबीन तो होनी

चाहिए। बिना छानबीन किए अगर अल्पसंख्यक संस्थाओं के नाम पर हर किसी संस्था को स्थापित कर दिया गया तो राष्ट्र के लिए संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री जे.एम. आरुन रशीद** (पेरियाकुलम): महोदय, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 पर चर्चा में भाग लेने के लिए तमिल में बोलना चाहता हूं। भारतीय शासन व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को समुचित स्थान मिलना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लेख है। संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। संप्रग सरकार के चार से पांच वर्षों के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में बदलाव के लिए बहुत कुछ किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कुछ राज्यों विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान चलाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना स्वयं में एक समस्या है और अनुमति नहीं दी जाती है। विपक्ष द्वारा शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है इसलिए धारा 10(1) में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन का आशय उनके अधिकारों का संरक्षण करना है। मेरा एक विनम्र निवेदन है। अल्पसंख्यक आयोग में अभी तीन सदस्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि आयोग के प्रत्येक सदस्य पर लगभग 13 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य अल्पसंख्यकों विशेषरूप से इस्लामिक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना है। क्योंकि यह समुदाय सामाजिक रूप से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। इसमें मुसलमान समुदाय से तीन सदस्यों का प्रावधान होना चाहिए। एक सिख सदस्य और एक ईसाई सदस्य को लेकर इस आयोग में पांच और सदस्य हो सकते हैं। उन पर व्यय होने वाला धन 65 लाख रुपए होगा। यह धनराशि हमारे इतने बड़े बजट का एक बहुत छोटा हिस्सा है क्योंकि केन्द्र की बजट राशि 6,00,000 करोड़ रुपए या इसके अधिक होती है। इन चार वर्षों में 4279 शिकायतें मिली हैं और पूरी तरह विचार करने के बाद 3932 शिकायतों को निपटाया गया है। इस आयोग को सिविल न्यायालय की न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। अभी कुछ और शक्तियां दी जानी हैं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था चलाने वालों को राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय श्री अर्जुन सिंह ने इस विधेयक में कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। राज्य सरकार की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के 60 दिन के भीतर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो अल्पसंख्यक संस्था चलाई जा सकती है। मैं बताना चाहता हूं कि डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता तथा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में संप्रग सरकार अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती राजग के शासन काल में अल्पसंख्यकों पर हुए अन्याय को वे भूले नहीं हैं। अल्पसंख्यकों पर विभिन्न दंगों में बहुत अत्याचार हुए हैं। सिविल सेवाओं जैसे भा.प्र.से. और भा.पु.से. में हजारों लोग हैं। उनमें से अल्पसंख्यक समुदाय से कितने लोग हैं? भा.पु.से. के कितने अधिकारी इस्लामिक समुदाय से हैं? उनकी संख्या बहुत कम है और उन्हें आसानी से गिना जा सकता है। इस विधेयक में सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ध्यान रखा है। न केवल इस सरकार ने अल्पसंख्यकों की और वंचित तबकों के हितों का ध्यान रखा है बल्कि हमारे अन्य नेताओं ने भी उनका ध्यान रखा है। मुख्यरूप से हमारे युवा नेता राहुल गांधी अनुसूचित जनजाति के लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं जानने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पिछली सरकारों ने ऐसा कुछ किया है। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग को और अधिक अधिकार दे और उसका दर्जा बढ़ाए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद: धारा 12 में भी संशोधन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद: सरकार को इसकी निश्चित रूप से जांच करनी चाहिए कि क्या अल्पसंख्यकों के नाम पर चलने वाली संस्थाएं अल्पसंख्यकों द्वारा ही चलाई जा रही है या नहीं। आपको देश के अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखकर इसकी जांच करनी चाहिए।

हम वंचित हैं, और अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दिया गया है। संप्रग सरकार इस पर सर्वाधिक ध्यान दे रही है क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है।

देश में 545 जिले हैं मैं सरकार से अनुरोध और आग्रह करता हूं कि केन्द्र की संप्रग सरकार देश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय विद्यालय या कस्तूरबा गांधी विद्यालय की तरह अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं चलाए। आपको प्रत्येक जिले में एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था चलानी चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री करुणाकरन, आप बोलना शुरू करें। वह बोलना बंद नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री जे.एम. आरुन रशीद: इसके अलावा, आपको अल्पसंख्यकों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को भाप्रसे और भापुसे के लिए प्रशिक्षण दिलाए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद: इस अधिनियम की धारा 12(ख) में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार आप धारा 10क(1) में संशोधन करना चाहते हैं उसी प्रकार आप धारा 12(ख) में भी संशोधन करें। यह जानकारी जुटाने के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का लाभ प्राप्त करने वाले कितने लोग वास्तव में अल्पसंख्यक हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यक के नाम पर ऐसी संस्थाएं चलाते हैं। कितने छात्रों को इससे लाभ हुआ है? अल्पसंख्यक समुदाय के कितने लोगों को रोजगार के अवसर मिले है, इसका भी अध्ययन होना चाहिए।

जहां तक सीटों के आरक्षण का संबंध है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा में आरक्षण दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों को इस सरकार द्वारा सभी राज्यों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने आरक्षण प्रदान किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने भी दिया है। यहां तक कि कर्नाटक की भा.ज.पा. सरकार ने भी आरक्षण दिया है। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? केन्द्र सरकार को भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान करना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल यही सरकार ऐसा कर सकती है और उनकी देखभाल कर सकती है।

हमें वंचित और नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों को किसी भी हालत में नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 30(1) को संरक्षित किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पी. करुणाकरन जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं कैसे बोलूं? सभा में बहुत शोर हो रहा है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: वे चुप नहीं होंगे।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. आरुन रशीद: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अल्पसंख्यकों के नाम पर चलाए जा रहे कालेजों में उनकी सीटों की प्रतिशतता बढ़ाई जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: हमारे पास सीमित समय है आप सत्ता पक्ष में हैं यदि आप सभा का इतना अधिक समय लेंगे तो सभा का कार्य कैसे चलेगा?

श्री करुणाकरन जी, आपको थोड़ा उदार बनना चाहिए।

श्री पी. करुणाकरन: हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 पर चर्चा कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह ऐसा विषय है जिस पर कोई भी लम्बे समय तक बोल सकता है। अल्पसंख्यकों का मुद्दा एक मूल मुद्दा है और इस पर कोई भी किसी भी समय बोल सकता है।

...(व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन: माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आयोग के कार्यकरण संबंधी कुछ मुद्दे हैं। मुझे स्मरण है कि वर्ष 2004 में जब यह विधेयक पहली बार चर्चा के लिए सभा में आया था तब इस पर काफी गरमागरम चर्चा हुई थी। उस चर्चा के बाद हमने विधेयक को तैयार किया था। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे विश्वास है कि मंत्री जी यहां उपस्थित होंगे। अगर अन्य लोग चले भी जाएं तो भी वह यहां रहेंगे।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, हम यहां पर उपस्थित हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, हम सभी यहां पर उपस्थित रहेंगे।

सभापति महोदय: हमें केवल यही तसल्ली है।

श्री पी. करुणाकरन: यह सत्य है कि आज भी अल्पसंख्यक समुदायों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संविधान के अनुच्छेद 30(1क) के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। आज भी हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 61 वर्ष बाद भी इस सभा में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा हमें अल्पसंख्यकों को समुचित महत्व देना चाहिए। यही कारण है कि सच्चर आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा गया था। सच्चर आयोग की

रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया कि देश के अनेक जिलों और शहरों में रहने वाले अल्पसंख्यकों का दर्जा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी नीचे है। कुछ सरकारों ने अपनी गलती में सुधार हेतु कदम उठाए हैं। मुझे यह बताने में गर्व महसूस हो रहा है कि सच्चर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केरल सरकार ने इस मुद्दे की जांच हेतु पल्लोली मोहम्मद कुट्टी नामक एक समिति गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने और उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु इसकी सिफारिशों को पहले ही लागू किया जा चुका है।

मैं यह मानता हूं कि अपने गठन के बाद से पिछले चार वर्षों में आयोग को काफी व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी और कुछ अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए कुछ सुझावों से पूर्णत: सहमत हूं। इसके साथ ही यह समझना भी आवश्यक है कि देश के अलग-अलग राज्यों में शिक्षा की स्थिति अलग-अलग है। केरल में शत प्रतिशत साक्षरता है परंतु अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों की अधिकांश शैक्षणिक संस्थाएं सरकारी संस्थाएं हैं जबकि अन्य राज्यों में निजी संस्थाएं हैं। हमारे देश में संघीय ढांचा है। हमारे देश में शिक्षा सहित प्रत्येक मुद्दा जटिल है। हमें राज्यों को प्रत्येक क्षेत्र में समुचित महत्व देना होगा फिर चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र।

मंत्री जी ने बताया है कि अल्पसंख्यकों का दर्जा देने के मामले में राज्य सरकारों में समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उनका कहना था कि इस मामले में कुछ राज्यों के मत दूसरे राज्यों से भिन्न थे। परंतु मेरा मानना है कि राज्य सरकारें इस संबंध में बेहतर निर्णय ले सकती हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि कुछ समस्याएं हो सकती हैं। परंतु अल्पसंख्यकों के दर्जे और राज्य के अन्य मुद्दों के संबंध में निर्णय लेते समय राज्य सरकारों को बाहर कैसे रखा जा सकता है? यदि दो राज्य सरकारों के मत एक दूसरे के विपरीत हैं। तो केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करके उन्हें निदेश दे सकती है।

मुझे याद है कि वर्ष 2004 में सभा में पुर:स्थापित प्रारूप विधेयक में राज्य सरकारों की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं था। सभी राजनैतिक दलों के मतों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् इसमें यह बात शामिल की थी कि इस मामले में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद भी अल्पसंख्यक आयोग अपने निर्णय ले सकता है। इस विधेयक में राज्यों को दी गई परामर्शदात्री भूमिका को हटा दिया गया है। मेरे विचार में उसे पुन: शामिल किया जाना चाहिए। अन्यथा राज्यों और केन्द्रों के बीच संबंधों को लेकर एक खराब मिशाल कायम होगी।

केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों में ही अल्पसंख्यकों को समुचित महत्व देना होगा। हम यह नहीं कह सकते कि केवल केन्द्र सरकार ही अल्पसंख्यकों को समुचित महत्व देती है और राज्य सरकारें उनके खिलाफ हैं। अपने संघीय ढांचे में हम इस मत को लेकर नहीं चल सकते। केन्द्र तभी सुदृढ़ हो सकता है जब राज्य सुदृढ़ हो। अन्यथा, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संघ सरकार को इस पहलू पर विचार करना होगा और राज्यों से परामर्श के पहलू को पुन: शामिल करना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। सदन में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 पर चर्चा चल रही है। मैं इसका समर्थन करता हूं। यह विधेयक संविधान की धाराओं के बिल्कुल अनुरूप और उसकी भावनाओं के अनुकूल है। संविधान की धारा 30(1)(ए) में साफ कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक धर्म या भाषा के आधार पर, जिन्हें अल्पसंख्यक माना गया है, उन्हें निश्चित रूप से यह अधिकार है कि वे शैक्षणिक संस्था स्थापित करें और उसका प्रशासनिक अधिकार भी अल्पसंख्यक के हाथ में रहे।

महोदय, कुछ समय पहले सच्चर कमीशन की अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में रिपोर्ट आई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनकी स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी खराब है। यही नहीं, उनकी वित्तीय तथा प्रशासनिक स्थिति भी बहुत खराब है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की लगभग 60 वर्षों की आजादी के बाद भी, यदि इस देश का कोई बड़ा समुदाय उपेक्षित रहा हो, उसकी आर्थिक विपन्नता रही हो। इसके साथ ही साथ शैक्षणिक विपन्नता भी रही हो, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए यह शोचनीय स्थिति है और विचार करने का विषय है। इसके लिए हमें राष्ट्रीय कानून बनाने का अधिकार भी है। हमको संविधान ने इस प्रकार की शक्तियां प्रदत्त की हैं कि हम राष्ट्रीय कानून बनाएं और बनाते भी हैं। हमें संसद ने यह अधिकार दिया है और हमने उसी अधिकार के तहत इस विधेयक को संसद में लाने का काम किया है। इसमें कहीं भी किसी राज्य सरकार के अधिकार का अतिक्रमण करने की बात नहीं है। पहले से, एक नहीं, अनेक ऐसे कानून बने हैं, जिनमें राष्ट्रीय कानून के तहत, जनहित के लिए, अवाम के लिए, बहुत सारे कानून बनाकर, उन्हें सुरक्षा देने का काम किया गया है।

महोदय, मैं नहीं समझ पाया हूं कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र प्रो. रासा सिंह रावत जी, बड़ी वेदना प्रकट कर रहे थे। सर, यह देश की एक खूबसूरती है कि इसमें हर धर्म और हर भाषा के लोग रहते हैं। हमारे देश की यह स्थिति, अनेकता में एकता की पहचान है। इसी वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की खूबसूरती की महक और सुगन्ध है, मगर इस सुगन्ध में ये लोग गन्ध डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता ठीक नहीं हैं और ये कट्टरवादी लोग हैं। देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का अधिकार है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मैंने तो राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए कहा था। हम सब एक हैं।

[अनुवाद]

हम सब एक हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं उसके बाद कुछ और हैं।

[हिन्दी]

सर, मैंने तो राज्य सरकारों से परामर्श नहीं करने वाली बात का विरोध किया था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सर, मैं कह रहा हूं कि देश की 60 वर्ष की आजादी के बाद भी देश का एक बड़ा वर्ग बहुत पीछे है, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए और उनकी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने के लिए यह विधेयक लाया गया। इस देश में यह स्थिति इसलिए आई क्योंकि राज्य सरकारों ने इतने वर्षों में अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक स्थिति को सुधारने में सहयोग नहीं किया। यदि राज्य सरकारों ने आजादी के इतने वर्षों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अतिक्रमित करने का काम नहीं किया होता, तो इस विधेयक को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछेक राज्य हैं, जो खासतौर पर, इस मानसिकता के हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, वे आगे नहीं बढ़ें और उनकी तरक्की न हो।

महोदय, मैं मानता हूं कि इस देश में बहुत से पिछड़े प्रदेश और बहुत से पिछड़े समाज भी हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम बहुत बड़ी संख्या में अशिक्षित हैं। जब तक शिक्षा नहीं आएगी, तब तक किसी भी राज्य का या किसी भी वर्ग का विकास नहीं हो सकता। हम आज विकासशील देश हैं। देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अल्पसंख्यकों को निश्चित तौर पर शिक्षित करना पड़ेगा। इसका उन्हें बेसिक अधिकार प्राप्त है। हमने इतने वर्षों तक उन्हें उस अधिकार से वंचित रखने का काम किया। यह बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाएं खुलती रहीं, उन्हें "नो आब्जैक्शन" देने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती रहीं। इसलिए यू.पी.ए. सरकार ने अहसास किया कि हम उन्हें उनके अधिकार से वंचित करने का काम नहीं करेंगे। अत: हम यू.पी.ए. सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसने अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। उनके उत्थान और उनकी शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यह एक बहुत बड़ा स्टैप उठाया गया है और इसी के साथ-साथ इस बिल को लाकर उनके लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया गया है।

कहीं भी किसी राज्य के अधिकार में कटौती करने की मंशा कभी भी केन्द्र सरकार की नहीं है, मगर केन्द्र सरकार यह जरूर समझती है कि यदि राज्य सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है तो इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो किसी न किसी कारण से बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए निश्चित तौर पर ऐसे कदमों को उठाने का काम किया है, उसी के तहत यह कदम है। मैं निश्चित तौर पर 2004, 2006 में जो बिल आया है, उसमें मामूली सा संशोधन है। ...*(व्यवधान)* टाइम हो गया? मैं पहली बार ही बोल रहा हूं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत प्रगतिशील है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश के सामने लाया गया है। आप क्या समझते हैं, हमारा देश गति में है, विकासशील देश है, अगर हम अपने आपको विकसित देश साबित करना चाहते हैं तो दुनिया के सामने हमको भी अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। देश का इतना बड़ा समुदाय और वर्ग अगर पिछड़ा रहेगा, अशिक्षित रहेगा, गरीबी और फटेहाली में रहेगा तो निश्चित तौर पर हम विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकते। अगर हमें दुनिया में अमेरिका के सामने आना होगा, और विकसित देशों के सामने आना होगा तो निश्चित तौर पर हर वर्ग, हर तबके के अधिकारों को संरक्षित करना पड़ेगा और उनको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। उसी मुख्य धारा में लाने के लिए आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जो बहुत पिछड़े स्थान पर हैं, जिनकी आर्थिक अवस्था जानने के लिए आप गांवों में चले जाइये, आप तो केरल प्रदेश से आते हैं, वहां बहुत बड़े पैमाने पर माइनोरिटीज की जो स्थिति है, अन्य भी ऐसे कई प्रदेश हैं, आप बिहार में चले जाइये, उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति के साथ शैक्षणिक स्थिति इतनी खराब है कि उसकी तुलना किसी गरीब से गरीब आदमी से की जाये तो भी वह कम होगा। उनकी

यह स्थिति है, इसलिए मैं समझता हूं कि ...*(व्यवधान)* मैं समाप्त करने जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात खत्म करूंगा, तब आप दूसरे माननीय सदस्य को बुलाएंगे, अभी तो मैंने खत्म ही नहीं किया है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय मित्र रासा सिंह रावत जी बोल रहे थे कि उनको यह छूट दी जायेगी तो बहुत सारी एजुकेशनल संस्थाएं खुल जाएंगी और वहां कोई गड़बड़ होगी और क्या होगा, अदर एक्टिविटीज क्या होंगी। यह आपकी मानसिकता बोल रही है। आपकी जो संकीर्ण भावना है, उसके आधार पर आप बोलने का काम कर रहे हैं और आपके रहते देश का हित भी नहीं हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा, इसको आपने ऑफ करा दिया, मुझे एक मिनट की परमीशन दीजिए, ताकि मैं पुन: इस बिल पर समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त कर सकूं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा और मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करूंगा। सच्चर कमेटी के बाद एक फातमी कमेटी भी आई है, उसी कमेटी की रिपोर्ट है, इन्होंने उसे स्टडी किया है, इसलिए उस कमेटी को भी इम्प्लीमेंट करें और निश्चित तौर पर शैक्षणिक पिछड़े हुए जो मुसलमान लोग हैं, खास तौर पर उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आप और आगे बढ़िये।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सायं 6.44 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वामदलों ने अल्पसंख्यकों के हितों का समर्थन करते हुए इसका पक्ष लिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उन्हें वोट बैंक या कुछ अन्य मान रहे हैं। एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में अल्पसंख्यक समुदायों को संविधान द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, यह इस परम्परा के प्रतिकूल है।

जबकि हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे है, मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि सरकार सच्चर समिति नियुक्त करने पर सहमत थी और समिति ने बहुत अच्छा प्रतिवेदन दिया है, लेकिन इस प्रतिवेदन पर संसद में कभी चर्चा नहीं की गई। अब, यदि प्रतिवेदन की सिफारिशें ठीक तरह से क्रियान्वित की जाती हैं और प्रतिवेदन की भावना के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार मार्गदर्शन लेती, तो अनिवार्यत: सरकार को यह देखने में रुचि लेनी चाहिए थी। मैं इस पर संसद में चर्चा की जाती। चर्चा हेतु इसे सूची में रखा गया था, लेकिन सभा इस पर चर्चा नहीं कर सकी। चूंकि कल या परसों, यह चौदहवीं लोक सभा समाप्त हो जाएगी, हमें विश्वास है कि हमें इस प्रतिवेदन पर चर्चा का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): हम सब 15वीं लोक सभा में आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं इसे सही अर्थ में ले रहा हूं। लेकिन यह सरकार की असफलता थी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: 7.00 बजे तक हाउस बढ़ाया हुआ है, मैं चाहता हूं कि 7.00 बजे तक इसे खत्म कर लें।

[अनुवाद]

यह अच्छा रहेगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल सुझाव दें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यह सरकार की गंभीर गलती थी कि प्रतिवेदन पर संसद में चर्चा नहीं की गई। इससे कुछ अच्छा हो सकता था।

महोदय, अब विधेयक के प्रावधानों पर आते हुए, मैं निवेदन करता हूं कि बिना परामर्श के किए गए संशोधनों के पहलू को

छोड़कर सभी संशोधन अच्छे हैं। मैं सरकार की कठिनाई समझ सकता हूं। संभवतया, अनेक राज्य बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और सरकार इस स्थिति से निकलना चाहती है। यह एक दूसरा पहलू है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों द्वारा शिक्षा को सफलतापूर्वक एक बड़े उद्योग में बदला जा रहा है। चूंकि हम अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, सरकार इस मुद्दे की उपेक्षा कैसे कर सकती है? इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि मेरी स्मृति सही है तो मूल विधेयक में न तो परामर्श न ही कोई सहमति हो पाई थी। लम्बी चर्चा के बाद सरकार इस विचार पर सहमत हुई कि परामर्श लेना आरम्भ किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें कोई परामर्श या सहमति ली गई थी, यह अलग बात है। हम सहमति को शामिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन परामर्श एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हालांकि हम एक लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं, फिर भी कुछ दल जो सत्ता में हैं जो व्यवधानकारी रवैया अपना सकते हैं। उनसे हमारे गंभीर मतभेद हैं। परामर्श किया जाना चाहिए और अन्ततः निर्णय आयोग पर छोड़ देना चाहिए। मैं सरकार से मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। आइये परामर्श किया जाए। यह संघीय भावना के अनुरूप है। मैं राज्य की संघीय विशेषताओं और इसके मापदण्डों के बारे में नहीं बोल रहा हूं लेकिन यह समझा जाएगा कि एक संघीय राज्य में अधिनियम ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह परामर्श को समाप्त करे।

महोदय, चूंकि आप पीठासीन हैं, मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अपनी योग्यतानुसार प्रत्येक व्यक्ति से सामंजस्य बिठाने की श्रेष्ठ कोशिश करता हूं। लेकिन कभी-कभी मेरी भी अपनी सीमाएं होती हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, यह सामंजस्य का प्रश्न नहीं है। यह पहले से ही समवर्ती सूची में है। माननीय मंत्री द्वारा इस विधेयक को पारित करने हेतु अन्तिम रूप से सभा की सहमति प्राप्त करने के लिए कहने से पहले इस पहलू पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): आप विधेयक का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: हम इसका विरोध नहीं करेंगे। हम सरकार से इस विशेष पहलू पर पुनर्विचार का निवेदन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिवसेना की ओर से राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...*(व्यवधान)* मैं सबसे पहले इस पर एक ऑब्जैक्शन रेज करता हूं कि माइनोरिटी काउंसिल की एक कान्फ्रेंस में माननीय मंत्री श्री ए.आर. अंतुले उपस्थित थे, जिसमें हम भी वहां गए थे। हमने उन्हें बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में क्या-क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कल आ जाइए, मैं आपको बता दूंगा। अगले दिन हम उनके पास गए। क्योंकि महाराष्ट्र में मेरा सम्भाजीनगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनोरिटी जिले के रूप में आता है, इसलिए हमने उन्हें कहा कि हमें वहां की बस्ती में डेवलपमैंट करने के लिए मदद चाहिए। उनकी एजूकेशनल सोसाइटी के लिए भी मदद चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने फिर वह डिपार्टमैंट क्यों बनाया। जब हम एजूकेशन सोसाइटी के बारे में कहते हैं तो यह एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री श्री तस्लीमुद्दीन हैं। सरकार माइनोरिटी के वेल्फेयर की जो बात कर रही है, यह ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास भी कई मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, शिव सेना में कई अल्पसंख्यक कार्यकर्ता हैं। हमारे यहां जो मौलाना आजाद विकास मंडल है, उनके पास कई ऐप्लीकेशन देने के बाद भी कार्य नहीं होता। एक बार मैंने वहां के एक अधिकारी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, तो वे कहने लगे कि पैसा नहीं है, न ही केन्द्र सरकार पैसा भेजती है और न ही राज्य सरकार भेजती है। अल्पसंख्यक समुदाय की मदद करने का वायदा करने और वोटिंग का लालच देने का कार्य करना ठीक नहीं है। सच्चर कमेटी आयोग, रिपोर्ट के बारे में शिव सेना का कड़ा विरोध है। आप सैकुलर के नाते भेदभाव करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है क्योंकि यहां हिन्दू भी उतने ही गरीब हैं, मुस्लिम भाई भी गरीब हैं, सिख समाज में भी गरीब लोग हैं। अब जैन समाज को भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि वह सीमांत समाज होगा, लेकिन अल्पसंख्यक है। उनकी एजूकेशन सोसाइटी बहुत हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एचआरडी डिपार्टमैंट के पास जाते-जाते पांच साल निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समाज की लिस्ट में जैन समाज को भी जोड़ा गया है, सिख समाज पहले से ही था। आप बताइए कि कितनी समस्याओं पर उन्हें मदद मिलती है। मैं कहना चाहूंगा कि ये बाकी के अल्पसंख्यक समाज की मदद नहीं करेंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के बाद यह सब वोटिंग के लिए करते हैं, मतदाता को खुश करने

के लिए करते हैं, लेकिन वहां भी बहुत राजनीति होती है। मदरसों में क्या-क्या चलता है, वहां एजूकेशन नहीं सिखाई जाती, उसकी इंस्पैक्शन होनी चाहिए। वहां बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी हैं, अंदर क्या चलता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। इससे वातावरण खराब हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी आयोग और उसकी रिपोर्ट हिन्दू-मुस्लिम में दरार निर्माण करने वाली है। ऐसी रिपोर्ट बनाने से अन्य लोगों की भावनाएं भी भड़क जाती हैं और दुख जाती है। सरकार ने सिर्फ मतदाता को खुश करने के लिए, लालच देने के लिए यह सब किया है और शिव सेना इसका विरोध करती है। शिव सेना प्रमुख माननीय श्री बाला साहब ठाकरे ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा ज्ञापन दिया था। उस दिन श्री उद्धव ठाकरे और हम सब एमपीज थे। हमने कहा कि अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी गई तो निश्चित रूप से देश में बहुत बड़ी दरार निर्मित हो जाएगी। जैसे अभी हर छोटा समाज भी कहता है कि हमारे लिए आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण कितना और कैसे बढ़ेगा। हमारा यहां मराठा समाज बड़ा है, उन्होंने भी कहा और उनका आंदोलन भी चालू है। परसों जो सरकारी शिव जयंती थी, उसमें भी मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री आये थे, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गयी कि हमें आरक्षण दिया जाये।

मैं कहूंगा कि ऐसी वारदात लालच के कारण शुरू होती है। ...*(व्यवधान)* राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के तहत अगर सही भला करना है, ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि आपको इनका भला करना है, तो प्रामाणिक तौर पर भला करिये। आप कुछ ऐसी अमाउंट आवंटित कर दीजिए कि इस स्टेट को इतना पैसा मिलेगा और उस स्टेट को इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि आपके डिपार्टमैंट तक आने में उनको चार-पांच साल लग जाते हैं। उससे उनको कोई फायदा नहीं होता। आज कई मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चे हमारे पास आते हैं। हम उन्हें यही कहते हैं कि सिर्फ लालच की खातिर ही ऐसा किया है, इसलिए आप इसे भूल जाओ। मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने दरार निर्माण करने की बहुत बड़ी साजिश की है। यूपीए सरकार ने वोटिंग के लालच के कारण ऐसा किया है। यहां एक जगह ये सेक्युलर बोलते हैं और दूसरी जगह ऐसी वारदात निर्माण करते हैं इसलिए मैं इस बिल का बहुत-बहुत विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल धारा 2 को संशोधित करना है। विधेयक में यह कहा गया है:

> ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा।''

अत: केवल (छ) को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसमें कहा जाता है:

> '(छ) ''अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था'' से ऐसा कोई महाविद्यालय या शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है जो किसी अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित हो।'

धारा 12ख का संशोधन यह है:

> ''मूल अधिनियम की धारा 12ख की उपधारा (4) में, ''और राज्य सरकार से परामर्श करके'' शब्दों का लोप किया जाएगा।''

महोदय, यह अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। यह सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुरूप भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि विधेयक का समर्थन करने वाले माननीय सदस्य इसे पढ़ रहे हैं या नहीं। इसका अर्थ है कि यह अल्पसंख्यकों के नाम पर व्यवसाय है। यह महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए है। ...*(व्यवधान)* यह केवल अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोलने की अनुमति देता है। यह और कुछ भी नहीं है। यह अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन दे सकते हैं कि इन संस्थाओं में या तो 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत या 70 प्रतिशत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा? क्या इसमें ऐसा कोई प्रावधान है? इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह संशोधन केवल उन्हें कुछ व्यवसाय करने की अनुमति देने के लिए है। इसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है।

यह सर्वविदित है कि किसी भी समूह, चाहे यह कोई जाति, समुदाय या लिंग हो, की प्रगति की कुंजी शिक्षा है। शिक्षा अल्पसंख्यकों और अन्य समूहों के लिए अनिवार्य है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 30 के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के उद्देश्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 3 और धारा 11 में अन्तर्विष्ट है। प्रत्येक बात का उल्लेख किया गया है। अत: हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

जहां तक मुस्लिमों की शिक्षा का संबंध है, जो सच्चर समिति के अनुसार देश के प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय हैं, की बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर 25 प्रतिशत है; सत्रह प्रतिशत मैट्रिक पास हैं और केवल छह प्रतिशत स्नातक हैं। अत: आईआईएम और अन्य उच्चतर तकनीकी शिक्षा की बात ही क्या करें? उदाहरण के लिए 4,4743 छात्रों में से केवल 63 मुस्लिम छात्रों ने आईआईएम में

प्रवेश लिया था। अल्पसंख्यकों की प्रवेश दर भी केवल 8.65 प्रतिशत है। हम इन सभी बातों से चिंतित हैं। सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए।

सायं 7.00 बजे

सरकार को अल्पसंख्यकों के उत्थान और उनकी बेहतर शिक्षा पर विचार करना चाहिए। लेकिन आप जो संशोधन लाए हैं, वह केवल इसके लिए नहीं है। आपके संशोधन का तात्पर्य अल्पसंख्यकों के केवल धनी लोगों को व्यापार करने में सहायता करना भर है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: हाउस का समय सात बजे तक बढ़ाया गया था। सात बज चुके हैं।

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): इस विधेयक पर चर्चा आज पूरी की जा सकती है और मंत्री कल उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे पास सिर्फ दो मेंबर्स बोलने के लिए बाकी हैं। उनको दो-दो मिनट सुन लेते हैं। रिप्लाई कल होगी।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे। सभा की अवधि दो और सदस्यों की बात समाप्त होने तक बढ़ाई जाती है।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मदरसों को समाज सेवा और लोकोपकारी संस्था कहना उचित नहीं है। अत: सरकार को मदरसों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अन्य आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाने चाहिए; अन्यथा वे वर्तमान आधुनिक शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएंगे?

महोदय, उन्हें 2004 के अधिनियम के लागू होने के बाद प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा वर्ष 2005-07 के दौरान अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने संबंधी कुल 825 प्रमाणपत्र जारी किए गए। माननीय मंत्री जी वर्ष 2008 के दौरान इस आयोग द्वारा जारी किए गए अन्य प्रमाणपत्रों की संख्या बता सकते हैं। उन्होंने लगभग 825 संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए हैं। इन संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है? मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं ताकि हम यह जान सकें कि क्या वहां आरक्षण *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप केवल अपनी बात को दोहरा रहे हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

नि:संदेह इस संशोधन से कुछ परिणाम प्राप्त हुए हैं, लेकिन क्या तेजी से बढ़ती वैश्वीकरण की दुनिया में गणित, विज्ञान और यहां तक कि अंग्रेजी के कार्यसाधक ज्ञान के बिना शिक्षा को पूर्ण कहा जा सकता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन संस्थाओं में छात्रों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय पढ़ाए जाएंगे? क्या माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दे सकते हैं?

महोदय, शिक्षा के स्तर को कम करने से छात्र पिछड़ जाएंगे और निश्चित रूप से यह इन छात्रों के लिए सहायक नहीं होगा, जिनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समानता और सामाजिक न्याय की बात कही गई है। अत: यह छात्रों के लिए भी सहायक नहीं होगी।

महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। यहां तक कि वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार-वाम दलों के मेरे सहयोगी तर्क दे रहे हैं-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षकों को नियुक्त करने के अधिकारों को कम करने के लिए राज्य शिक्षा अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव ला रही है। आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव है। अत: इस संशोधन द्वारा राज्यों के अधिकारों को कम किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह सकता कि पश्चिम बंगाल सरकार अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर रही है। लेकिन मैं नहीं जानता कि वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे राज्यों के अधिकारों को कम किया जा रहा है। शिक्षा राज्य का विषय है। इस संशोधन से केवल अव्यवस्था फैलेगी और सभी राज्य इन बातों का विरोध करेंगे और इसका अभीष्ट लाभ नहीं मिल पाएगा। अत: मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यक छात्रों को इस संस्था में बेहतर शिक्षा मिले, जिन्हें आप अनापत्ति प्रमाणपत्र दे रहे हैं, और इस रीति से उनके शैक्षणिक स्तर में भी सुधार होगा। मदरसा शैक्षणिक संस्थाओं का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें समाज के अन्य वर्गों के समान सुविधाएं दी जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री असादूद्दीन ओवेसी आप अपनी बात दो-तीन मिनट में समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): पांच मिनट समय दे दीजिए बड़ी मेहरबानी होगी।

[अनुवाद]

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्वतंत्रा प्राप्ति के पिछले 60 वर्षों के दौरान केवल यही ऐसा विधान है जिसे अनुच्छेद 30 के अनुसरण में बनाया गया था जो कि एक मौलिक अधिकार है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपनी आरंभिक टिप्पणियों में अनुच्छेद 30 की बात की। उन्होंने टी.एम.ए. पाई के निर्णय का भी उल्लेख किया।

मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में चाहे वह टीएमए पाई निर्णय हो अथवा नामदार निर्णय- अनुच्छेद 30 जो कि एक मौलिक अधिकार है को कम आंका है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग ने कभी भी उच्चतम न्यायालय में जाने की परेशानी नहीं उठाई अथवा इस सरकार ने भी कभी यह सुनिश्चित करने की परवाह नहीं की कि अनुच्छेद 30 एक मौलिक अधिकार बना रहे। यह केवल कागजो पर ही मौलिक अधिकार बना रहा। परंतु यदि आप गत छः वर्षों में उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णयों को पढ़े तो आप यह देखेंगे कि उन्होंने मौलिक अधिकारों का महत्व कम किया है। वास्तव में, उन्होंने रिकार्ड में भी यह कहा है कि अनुच्छेद 30 एक मौलिक अधिकार नहीं है। वास्तव में यह आयोग का कार्य था क्योंकि यदि आप उद्देश्य और कारण के विवरण को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्टतया यह कहा गया है;

> ''कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उचित सरकार के समक्ष सिफारिशें करना।''

इसका एक अन्य कृत्य अल्पसंख्यक दर्जे को बढ़ावा देने और उसके संरक्षण हेतु किए जाने वाले उपायों को विनिर्दिष्ट करना। ऐसा नहीं किया गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा। इस आयोग द्वारा केवल दो वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। अन्य दो वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन क्यों नहीं प्रस्तुत किए गए। इन प्रतिवेदनों को कभी भी इस सम्माननीय सभा के पटल पर नहीं रखा गया। मैं इस मत से सहमत नहीं हूं कि राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि इस समस्या के विद्यमान रहने का कारण राज्य सरकारों का अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के प्रति उदासीन रवैया अपनाना है। इसी वजह मे मुसलमानों में उच्च शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। सच्चर समिति की रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इस विधेयक को संपूर्णतः पारित किया जाए क्योंकि अब वह समय आ गया है जब हमें इस संबंध में एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं खोलने के अवसर प्रदान करे।

मैं आपके समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा जो गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए आंकड़ों के संबंध में है। केवल 825 संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। इनकी संख्या इतनी कम क्यों है। आयोग अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। जब आपको लगभग 2622 या इससे अधिक आवेदन प्राप्त किए हैं तो आपने केवल 825 को ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्यों दिया? उनमें से 2000 को अनापत्ति प्रमाणपत्र क्यों नहीं दिया गया। आपको ऐसा करने से किसने रोका?

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मूल कमी यह है कि यह केवल मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। स्वास्थ्य, चिकित्सा और दन्त कालेजों के संबंध में क्या होगा? जब लगभग चार वर्ष पहले यह विधेयक लाया गया था तो मैंने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया था पर मैंने केवल एक अनुरोध किया था। आप केवल एआईसीटीई के तहत कार्य करने वाले कालेजों को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के संबंध में क्या होगा? वह उसे भी इसमें शामिल क्यों नहीं करते? आप इस आयोग का कार्य केवल अपने विभाग तक ही क्यों सीमित रखना चाहते हैं? इसे सामने लाया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा, मैं माननीय मंत्री जी से एक और बात जानना चाहूंगा। सभी संशोधनों की सहायता और समर्थन करते हुए मैं चाहूंगा कि वह हमें मूल अधिनियम की धारा 10 की जानकारी दें। मैं मूल अधिनियम की धारा 2 अथवा 3 को समझ सकता हूं। परंतु वह धारा 10 को क्यों जाना चाहते थे? मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं। मैं यह समझ पाने में पूर्णतः असमर्थ हूं कि वह यह धारा क्यों लाना चाहते थे।

अन्त में यदि हम अल्पसंख्यकों का मुद्दा लें तो 'अल्पसंख्यक' की क्या परिभाषा है। यूपीए सरकार एक ऐसा विधेयक क्यों नहीं लाती जिसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा दी गई है। सरकार होने के नाते आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर क्यों निर्भर हैं? आप क्यों चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय आपका मार्गदर्शन करे। आप सरकार हैं। आपको राष्ट्र का मार्गदर्शन करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय जो भी कर रहा है यह सरकार उसका आंख मूंद कर अनुसरण कर रही है। कार्यपालिका का कार्य दूसरों पर आरोप लगाना नहीं है। जब आप कोई गलती करते हैं तो आपको उसे सही करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक की परिभाषा

दी गई है। पंजाब सरकार इससे सहमत नहीं है। यह एक उचित समय है कि अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया जाए ताकि हमारे सामने ये सभी खामियां और समस्याएं न आएं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा और पंजाब सरकार ने उससे असहमति जताई है। हम अल्पसंख्यकों की परिभाषा निर्धारित कर सकते थे। आपके समक्ष ये सभी मुद्दे रखते हुए मुझे आशा है कि कल माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े होंगे तो मैं आपके माध्यम से पुन: उनसे अनुरोध करूंगा कि भगवान के लिए उस मुद्दे को न छोड़े। विधेयक को पूरी तरह से पारित होने दें क्योंकि यह उचित समय है जबकि अल्पसंख्यकों को यह सुविधा प्रदान की जाए।

इसके अतिरिक्त, आयोग सुस्त है। आयोग अपना कार्य उचित तरीके से नहीं कर रहा है। इसका कार्य बहुत धीमा है। अत: आयोग के समक्ष बहुत से आवेदन लंबित पड़े हैं। उनके निपटान कार्य को तेज करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री आयोग पर उच्चतम न्यायालय जाने का दबाव डालेंगे। यदि उच्चतम न्यायालय नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक विधान लागू कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय टीएमए पाई मामले या नामदार मामले में अनुच्छेद 30 के प्रभाव को कम कैसे कर सकता है? उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 30 के प्रभाव को कम किया है। यह मेरा कालेज है। मैं अपने विद्यार्थियों के लिए कालेज खोल रहा हूं। मैं उन्हें प्रवेश नहीं दे सकता। मुझे राज्य सरकार पर निर्भर रहना होगा। राज्य सरकार क्या है? राज्य सरकार ने कोई धनराशि नहीं दी है। मैंने अपनी खून-पसीने की कमाई से इन कालेजों की स्थापना की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा: "आप ऐसा नहीं कर सकते।" मेरा काम क्या है? क्या मैं वहां पर कोई दरबान हूं?

यह एक वास्तविक मुद्दा है। इसलिए मैं इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाया हूं। मुझे आशा है कि सरकार इसे सही परिप्रेक्ष्य में लेगी और सुधारात्मक उपाय करेगी। अभी भी उनके पास ये उपाय करने के लिए कुछ समय है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक वर्ष 2004 में पारित किए गए विधेयक में संशोधन करने के लिए लाया गया है और उस विधेयक पर इस सभा में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी।

महोदय, सभा में हुई चर्चा से यह पूर्णत: स्पष्ट है कि इस अंतिम संशोधन की राज्य सरकारों से परामर्श किया जाए अथवा नहीं के अतिरिक्त सभी लोग बाकी संशोधनों पर सहमत थे।

इस विषय पर चर्चा करने से पहले मुझे अपने मित्र श्री त्रिपाठी की बात सुनकर कुछ दुख हुआ जिन्होंने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने के लिए है। मैं इस बात को नहीं समझ सका। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक सुस्थापित तथ्य है कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय ने अवसर पड़ने पर बहुत सहायता की है। वस्तुत: यदि हम इस देश के शैक्षणिक संस्थाओं की सूची का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि वे संस्थान जिन्हें उत्कृष्टता के केन्द्र माना जाता है उन्हें अधिकांशत: इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि सरकारी संस्थानों का स्तर उतना अच्छा नहीं है। अत:, ऐसे वक्तव्य कि यह केवल अल्पसंख्यक समुदाय के व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने के लिए है, सही नहीं है।

सायं 7.12 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए]

मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। त्रिपाठी जी जैसे लोग जो इनकी आलोचना करते हैं, उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वे जिन संस्थानों को व्यावसायिक संस्थान कहते हैं उन्हीं संस्थानों में अपने बच्चों और अपने पोतो-पोतियों को दाखिला दिलाने के लिए कतारों में जाकर क्यों खड़े होते हैं। इस तरह की अतिवादी टिप्पणियां करना बहुत दुर्भाग्य की बात है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों समुदायों में ऐसे दुष्चरित्र लोग हो सकते हैं जो ऐसे शैक्षणिक या स्वास्थ्य परिचर्या संस्थान चलाते हैं, परन्तु यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं।

जहां तक परामर्श प्रक्रिया का संबंध है हमारे देश में संघीय लोकतंत्र है। संघीय ढांचे में, राज्यों से परामर्श करना ही उचित है। परन्तु इसके साथ ही जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है प्रत्येक लोकतंत्र में संविधान ने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए हैं। अल्पसंख्यकों के संरक्षण और कल्याण के लिए और वह भी इस देश में, अल्पसंख्यकों के विशेष स्वरूप का संरक्षण करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के संबंध में हमारे संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उक्त संवैधानिक प्रावधान के दायरे में राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। राज्यों की राय प्राप्त करने के लिए एक समय-सीमा होनी चाहिए और तत्पश्चात् आयोग को किसी विशेष संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में कोई निर्णय लेना होता है। इस तरह की प्रणाली बनाए रखनी चाहिए ताकि इस देश के अल्पसंख्यकों के हितों को पूर्णत: सुरक्षित रखा जा सके।

मुझे केवल यही कहना है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सभापति महोदय, इस बिल को देखने से लग रहा है कि केवल दो-तीन शब्दों को परिवर्तित किया जा रहा है लेकिन माननीय मंत्री जो और यूपीए के सहयोगी दल बहुत जोर-शोर से कह रहे हैं कि वास्तव में अल्पसंख्यकों के लिए बहुत हितकारी होगा। अब यूएन चार्टर में अल्पसंख्यकों की क्या व्याख्या है, यह तो हम बहस करने के लिए यहां नहीं आये हैं। हमारा कहना है कि जो भी काम आप वोटों के लिए करेंगे, तुष्टीकरण के लिए करेंगे, उसके क्या परिणाम होंगे, यह बात समझ में आती है। यह खाली दो लाइन का सब्सिट्यूशन नहीं है। इसकी व्याख्या में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि यह हमारे संविधान के चरित्र को बदलने वाला काम है। एक तो आप राज्यों से परामर्श बिल्कुल बंद कर देना चाहते हैं, जो मन में आए वह करें। अभी हमारे माननीय त्रिपाठी जी कह रहे थे कि यह धन कमाने का साधन बनाने की बात चल रही है। मैं यहां पर आपके संज्ञान में केवल एक ही बात लाना चाहता हूं कि नम्बर 4 में जो अमेंडमेंट है-

[अनुवाद]

"संशोधन 'विश्वविद्यालयों के अलावा' शब्द को हटाने का प्रस्ताव करता है।"

[हिन्दी]

इसकी जगह आप माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जोड़ना चाहते हैं। हमारा आग्रह है कि यह वास्तव में बहुत फार रीचिंग कांसिक्वेंसेज का विषय है। दो बार सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों द्वारा निर्णय दिया जा चुका है। एक बार मिस्टर बाशा बनाम यूनियन आफ इंडिया, एआईआर, 1968 सुप्रीम कोर्ट 662, पैरा 21 और अभी जल्दी में प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2005, 5 एससी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि:

[अनुवाद]

"विश्वविद्यालय केवल संसद या राज्य विधायिका द्वारा बनाई गई विधि द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है और यह निजी विश्वविद्यालय नहीं हो सकता।"

[हिन्दी]

यहां प्राइवेट यूनीविर्सिटी की बात कही जा रही है। यहां हमारे संविधान और चरित्र को बदलने की बात कही जा रही है। मेरा आग्रह है कि जबकि चौदहवीं लोक सभा के अंतिम समय पर हम यहां हैं, ऐसा कोई फैसला यह लोक सभा न करे, जिसका परिणाम भविष्य में बहुत घातक हो और देश के लिए हितकारी न हो। आजादी के साठ सालों में से केवल छह साल ही एनडीए की सरकार सत्ता में आई है, बाकी 54 साल ये लोग सत्ता में रहे, तब भी इस समाज की ये लोग सेवा नहीं कर पाए। गरीबी बढ़ी, तो इस समाज में बढ़ी। शिक्षा कम हुई, तो इस समाज की शिक्षा कम हुई। आज इस लोक सभा के आखिरी सत्र के अंतिम समय में आप यह काम करने जा रहे हैं। मैं माननीय राम कृपाल यादव से भी कहूंगा कि वे इसे देखें। यह अल्पसंख्यकों के लिए बड़ाई की बात नहीं है। यह ऐसी बात है कि इस देश को कैसे बांटा जाए। यह संविधान के चरित्र के विपरीत बात है। मेरा निवेदन है कि ऐसा करने से इन्हें वोट नहीं प्राप्त होंगे। इसे स्थगित किया जाए और इस बारे में लम्बी बहस करने की आवश्यकता है। वर्ष 2004 में जब आप इसे लाए थे, तब इस पर पूरी बहस हुई थी। बहस के बाद जो आपने किया, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कई माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस देखें हैं और उन्हें देखने के बाद लगता है कि सरकार का उन पर कोई अंकुश नहीं रहता है। जितना चाहे पैसा लो और जिसे चाहो, उसे प्रवेश दे दो, इस प्रक्रिया को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तब तो हमें इस विषय में कुछ नहीं कहना है। आप जानते हैं कि जब मुस्लिम समाज पढ़-लिख कर आगे आ जाएगा, तो वह आपको वोट नहीं देगा। उसकी समझ में आ जाएगा कि पूरे पचास साल तक आपने उन्हें बेवकूफ बनाया है। मेरा निवेदन है कि आप चाहे जो फैसला लें, लेकिन वह इस समाज के हित में कोई फैसला नहीं होगा। आप इस बारे में पुनर्विचार करें और फैसला लें। सभी राज्य इससे असहमत होंगे। आपके सहयोगी दल, जिनकी राज्यों में सरकारें हैं, उन्हें समझ में आता होगा कि इससे उनका अंकुश तो बिलकुल खत्म हो गया है। सबको समझ आएगा कि कैसे काम चल रहा है। आप लोग मेरी बात को अन्यथा न लें। आप लिस्ट उठा कर देखें कि इस प्रकार के माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस जो चलाते हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वे चाहे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों, जिस समाज के भी हों। कश्मीर के अंदर ये विद्यालय कैसे चलेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों में ये विद्यालय कैसे चलेंगे? ये केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के मामले हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार करें, ताकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे। राज्य और केंद्र के संबंध सही रहें। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम यहां कुछ भी कह दें, लेकिन हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम मिल कर काम करेंगे, तो उचित रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस बारे में पुनर्विचार करें और ऐसा करें, जिससे कि वास्तव में उस अल्पसंख्यक समाज का विकास हो, उस समाज को फायदा हो, जिसके लिए आप सबसे दिल में दर्द है, उसे कुछ मिल सके। मुझे नहीं लगता कि यह बिल इस काम में सहयोगी या सार्थक सिद्ध होगा, सिवाय इसके कि उन्हें धोखा दिया जाए।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी कल सदन में उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देश में लगभग तीन लाख ग्राम डाक सेवकों को सिविल सेवक घोषित करके समुचित वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएं।

महोदय, जैसा आप भी जानते हैं और हमारे सभी साथी भी जानते हैं कि देश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में सभी प्रकार के मनीआर्डर, डाक सामग्री, पत्रों, डाक बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, अल्प बचत और नरेगा इत्यादि के अंतर्गत भुगतान के कार्य को अंजाम देने वाले डाक सेवक ही होते हैं। इन्हें पहले एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्पलाई कहा जाता था, लेकिन वे अपनी निरंतर उपेक्षा और सरकार की उदासीनता से आंदोलित और उद्वेलित हैं।

पूर्व में तलवार समिति की अनुशंसाओं को अभी तक लागू नहीं किया गया। सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी उनकी मांगें मानना तो दूर, डाक विभाग उनकी सेवाओं को ही समाप्त करने पर उतारू है। उनका भयंकर शोषण हो रहा है। न वेतनमान हैं, न अवकाश है, न सेवा निवृत्ति का लाभ है और न ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के एक केस में इन ईडी कर्मचारियों को सरकारी पद धारक तथा अन्य केस में सिविल सेवक घोषित किया है। अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इन तीन लाख ग्रामीण डाक सेवकों को सिविल सेवक मान कर वेतनमान, सुविधाएं, परिलाभ तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे तथा उनकी सेवा में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद।

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र चुरू के महत्वपूर्ण क्षेत्र रत्नगढ़ से सरदार शहर के आमान परिवर्तन की मांग वर्षों से की जा रही है। मेरे चुरू जिले में लगभग 400 किलोमीटर का आमान परिवतन का कार्य हो चुका है या चालू है। केवल एक क्षेत्र 45 किलोमीटर का रत्नगढ़ से सरदार शहर का बचा है जिसकी मांग वर्षों से की जा रही है। सरदार शहर एक महत्वपूर्ण कस्बा व्यापारिक, शिक्षा की दृष्टि से है। काफी देशी और विदेशी लोग वहां आते हैं। आपकी कृपा से तारानगर से नोहर और चुरू आमान परिवर्तन की मांग वर्षों से की जा रही थी। आपकी मेहरबानी से पिछलने बजट में इसे शामिल भी किया गया था। मेरा निवेदन है कि यह जनता की महत्वपूर्ण मांग है। सरदार शहर के लोगों में इसे लेकर आक्रोश है। वे लोग रोजाना धरना देते हैं और रोजाना अखबारों में भी यह खबर आती है। मेरा निवेदन है कि रत्नगढ़ से सरदार शहर होते हुए आमान परिवर्तन का काम शीघ्र चालू किया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं सरकार का ध्यान निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

प्रसार भारती ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया ने समय-समय पर लिए गए नैमित्तिक समाचार संपादकों, नैमित्तिक समाचार प्रस्तुतकर्ता, संवाददाताओं और स्टेनों के वेतन में वृद्धि की है, देखिए दिनांक 25.8.2006 का आदेश। तथापि, यह आश्चर्यजक है कि दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर ने उक्त आदेश को क्रियान्वित नहीं किया है, परिणामस्वरूप नैमित्तिक कामगारों को अभी भी पुरानी दरों पर भुगतान किया जा रहा है। अत:, मैं केन्द्र सरकार से संबंधित अधिकारियों को उक्त आदेश को तुरन्त क्रियान्वित करने और शीघ्र ही बकाया राशि का भुगतान करने हेतु निर्देश देने का निवेदन करती हूं।

इसी तरह, क्षेत्रीय समाचार इकाई, आकाशवाणी, कटक में एक विसंगति विद्यमान है। नैमित्तिक समाचार वाचक के लिए, संशोधन पूर्व शुल्क की सीमा 30,000 रु. वार्षिक थी। बाद में, जब 2006 में भुगतान दरें संशोधित की गई, तो 30,000 रु. वार्षिक की सीमा संशोधित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप नैमित्तिक समाचार वाचकों के मासिक बुकिंग ठेकों को काट दिया गया। क्षेत्रीय समाचार इकाई, आकाशवाणी, कटक को भी उनकी सेवाएं लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तथापि इकाई को उनकी अत्यधिक आवश्यकता है।

अत:, मैं सरकार से नैमित्तिक समाचार वाचकों की वार्षिक सीमा संशोधित करने उनको भुगतान की वर्तमान दर में वृद्धि करने और शीघ्र ही बकाया का भुगतान करने का निवेदन करती हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने जीएसएम दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करने हेतु वैश्विक निविदा आमंत्रित की है, जिसके लिए न्यूनतम अर्हता 10 करोड़ रु. वार्षिक कारोबार निर्धारित की गई है। इस अर्हता के आधार पर किसी कंपनी को 15,000 करोड़ रु. की संविदा अगले दो वर्षों में पूरी करने के लिए दी जा सकती है। यह असंभव है कि 10 करोड़ रु. मूल्य की कोई कंपनी 15,000 करोड़ रु. की संविदा आगामी दो वर्षों में पूरा कर सकती है। यह स्पष्ट संकेत है कि ऐसा प्रस्ताव सरकारी अधिकरणों को असफल करने और निजी क्षेत्र की सहायता करने के लिए जानबूझकर किया गया है। पूर्व में दूरसंचार विभाग में टू जी और थ्री जी आवंटन के बड़े घोटाले के आरोप की पृष्ठभूमि में, यह गंभीर चिंता का प्रश्न है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि मामले की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाये, ताकि निविदा पत्र इस प्रकार बनाया जा सके कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा दूरसंचार नेटवर्क स्थापित किया जा सके और इसके पीछे किये षड्यंत्र का पता लगाया जा सके। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि पहले टू जी और थ्री जी आवंटन की जांच की जाए, इससे दूरसंचार विभाग की गतिविधियों में पारदर्शिता रहेगी।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान केरल राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, केरल के उत्तरी भाग में मराठी समुदाय को आरंभिक वर्षों में ही अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल किया गया था। 2003 में, राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान, बिना किसी उचित सत्यापन के इस गरीब समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची से बाहर कर दिया गया।

इसके बाद यूडीएफ सरकार, एलडीएफ सरकार और सभी राजनीतिक दलों ने केन्द्र सरकार से उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का आग्रह किया। महोदय, उन्हें बाहर निकाले जाने का कोई कारण नहीं था। जनजाति के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए मानदण्ड ये है कि विशेषकर जनजाति को आदिम अवस्था; आदिवासी विशेषता; भौगोलिक यार्थक्य; और शैक्षणिक और वित्तीय पिछड़ापन होना चाहिए। ये सभी बातें अभी भी कर्नाटक के मराठी समुदाय में विद्यमान हैं।

महोदय, मराठी समुदाय के लोग, जो केरल की सीमा से 10 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, अभी भी अनुसूचित जनजाति की सूची में हैं। अत: उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकाले जाने का कोई औचित्य नहीं है। अत:, सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): मैं आपके माध्यम से सामाजिक एवं अधिकारिता व जनजाति कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के छात्र, जिन्हें मैट्रिक छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा दी जाती है, उनकी राशि समय पर स्वीकृत नहीं होने से, पर्याप्त प्रावधान नहीं होने से और राशि दिल्ली से जिला स्तर तक जाने में पूरा वर्ष निकल जाता है। इस वजह से छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है जिससे छात्र आर्थिक रूप से परेशान होते हैं। राजस्थान राज्य में करीब 46 करोड़ 21 लाख रु. गत वर्ष योजना का बाकी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसे जारी किया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): माननीय सभापति महोदय, मैं देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 70,000 अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहती हूं। वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बराबर सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन तथा भविष्य निधि की मांग करते हुए नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

वर्ष 1990 में, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण एवार्ड ने उन्हें प्रायोजित करने वाले बैंकों के बराबर वेतनमान, भत्ते और सभी लाभ दिये थे। उच्चतम न्यायालय ने 31 जनवरी 2001 तथा 7 मार्च 2002 के न्यायाधिकरण एवार्ड के निर्णय पर बल दिया। लेकिन सरकार ने अभी तक अधिवर्षिता लाभों में समानता नहीं दी है। जैसा कि कई समितियों ने सिफारिश की है, सरकार की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 से छूट प्रदान करना है। ये बैंक पिछले सात वर्षों से लाभ अर्जन कर रहे हैं और दस करोड़ गरीब ग्राहकों को ग्रामीण क्षेत्र में भी सेवाएं दे रहे हैं। समानता की उनकी मांग हर तरह से जायज है और महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अपील करती हूं कि वे इस भेदभाव को तुरंत समाप्त करें।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी इकनामिक रिसेशन के कारण न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया व अन्य कई विदेशी मुल्क बड़ी मात्रा में डेयरी उत्पाद सस्ती दरों पर भारत में डंप कर रहे हैं। ड्राई मिल्क, मिल्क पाउडर व डेयरी प्रोडक्ट के बटर आयल आयात से स्वदेशी उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका सीधा प्रभाव गांवों के गरीब दूध उत्पादकों पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन व दुग्ध उत्पादन का धंधा करते हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि देश के डेयरी उत्पादकों के संगठन ने कल से दूध खरीद को बंद करने का ऐलान किया हुआ है। देश भर में दूध उत्पादक लगभग 60 लाख लीटर दूध रोजाना खरीदते हैं। पशुपालकों से दूध की खरीद बंद होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर इस आयात से भारतीय कंपनियों का टिकना मुश्किल होगा। मेरी सरकार से मांग है कि देशी उद्योगों और डेयरी किसानों को पनपाने के लिए आयात बंद करें अथवा आयात शुल्क में बढ़ोत्तरी करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. सी. कृष्णन, आपका मामला पहले ही नियम 377 के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। अत: आपको दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): जी महोदय, मैं आपसे सहमत हूं।

सभापति महोदय: यह पहले ही शामिल किया जा चुका है।

डा. सी. कृष्णन: ठीक है महोदय, धन्यवाद। मैं इसे दोबारा नहीं उठा रहा हूं।

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, कृपया मुझे मेरा मामला उठाने दें।

सभापति महोदय: महोदया, आपका मामला पूर्णत: राज्य का मामला है।

श्रीमती पी. सतीदेवी: जी, नहीं। महोदय। यह राज्य का मामला नहीं है। यह अति आवश्यक मामला है। यह लिंग संबंधी अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। युवतियों और लड़कियों पर हमला किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, चाहे यह राज्य का मामला न हो, इसे यहां उठाने की अनुमति दी जाए। कई सदस्य राज्य के मामले सभा में उठा रहे हैं।

सभापति महोदय: नहीं, आप इस तरह की स्थिति नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: महोदया, आप केवल एक मिनट के लिए बोलें।

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, यह अति लोक महत्व का मामला है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान बर्बरतापूर्ण बढ़ती हिंसक घटनाओं तथा लिंग संबंधी अधिकारों के उल्लंघन की ओर आकर्षित करती हूं, जिसमें मंगलोर शहर सहित देश के विभिन्न भागों में नवयुवतियों तथा लड़कियों पर संस्कृति और सभ्यता के नाम पर हमला किया जा रहा है।

मंगलौर शहर में शराबखाने में लड़कियों पर हमला करना नवयुवतियों के सतीत्व पर हमला तथा उनके विरुद्ध हिंसा करने का एक स्पष्ट उदाहरण है। श्री राम सेना द्वारा फांसीवादी धमकियां दी जा रही हैं कि अगर जोड़े एकसाथ बाहर घूमते पाए जाएंगे, तो उन्हें श्री राम सेना के पुजारी द्वारा जबर्दस्ती मंगल सूत्र पहना दिया जाएगा। यह वास्तव में मानवीय मूल अधिकारों पर हमला है। कुछ और भी धमकियां दी गई हैं, जैसे विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने वाली महिलाओं पर हमला किया जाएगा, आदि-इत्यादि।

इन कृत्यों से मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन होता है और यह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है।

सभापति महोदय: महोदया, धन्यवाद। लेकिन राज्य का मामला सभा में उठाकर आप एक नई परंपरा की शुरुआत करने का प्रयास न करें।

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय इन शहरों में हमारी लड़कियों और युवतियों का जीवन और उनके अधिकार अत्यधिक खतरे में हैं। तथापि, श्री राम सेना के संस्थापक मुथालिक ने यह कहते हुए कार्यवाही को न्यायोचित करार दिया है कि यह उन लड़कियों के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जिन्होंने लोकतंत्र के मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया ...*(व्यवधान)* केन्द्रीय मंत्री ने भी मंगलौर में हुई घटना के संबंध में एक प्रेस वक्तव्य जारी किया है।

सभापति महोदय: महोदया, कृपया अपनी जगह बैठ जाएं। मैं आपको और बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह महिलाओं पर होने वाले इन अत्याचारों को रोकने तथा नव-युवतियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल एवं अति आवश्यक कार्यवाही करें।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, मैं श्रीमती पी. सतीदेवी द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री पी. करुणाकरन: मैं भी इस मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदय: सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 25 फरवरी, 2009/6 फाल्गुन, 1930 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	101
2.	श्री तथागत सत्पथी श्री रवि प्रकाश वर्मा	102
3.	श्री निखिल कुमार	103
4.	श्री सुग्रीव सिंह श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	104
5.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्रीमती निवेदिता माने	105
6.	श्री रामदास आठवले	106
7.	श्री पी.सी. थामस	107
8.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	108
9.	श्री राम सिंह कस्वां	109
10.	श्री कीरेन रिजीजू डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	110
11.	श्री किसनभाई वी. पटेल	111
12.	श्री अबु अयीश मंडल श्री जुसभाई धानाभाई बारड़	112
13.	श्री के.एस. राव	113
14.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री वी.के. दुम्मर	114
15.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	115
16.	डा. टोकचोम मैन्या	116
17.	श्री नन्द कुमार साय	117
18.	श्री एल. राजगोपाल श्री एस.के. खारवेनथन	118
19.	श्री सुभाष महरिया	119
20.	श्री हंसराज गं. अहीर	120

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	503, 578, 613
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	538
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	572, 592, 599, 609
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	539, 575
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	536, 557, 588
6.	अजय कुमार, श्री एस.	532, 536
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	517, 560, 619
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	512
9.	अर्गल, श्री अशोक	618
10.	आठवले, श्री रामदास	561, 591, 606, 614
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	545, 565, 600
12.	बर्मन, श्री हितेन	507, 558
13.	भडाना, श्री अवतार सिंह	514
14.	बोस, श्री सुब्रत	529
15.	बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	540, 576
16.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	550
17.	चिन्ता मोहन, डा.	526, 531, 535
18.	चौधरी, श्री अधीर	515, 570
19.	देवरा, श्री मिलिन्द	511, 559, 578, 587
20.	धनराजू, डा. के.	528, 580, 597
21.	गढ़वी, श्री पी.एस.	545
22.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	544
23.	गमांग, श्री गिरिधर	516
24.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	514
25.	जैन, श्री पुष्प	510, 554, 605
26.	जिन्दल, श्री नवीन	593

1	2	3
27.	खैरे, श्री चंद्रकांत	549
28.	खां, श्री सुनील	523, 566, 570, 595
29.	खंडेलवाल, श्री हेमंत	533
30.	खन्ना, श्री अविनाश राय	506
31.	खारवेनथन, श्री एस.के.	551, 586, 602, 610
32.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	509, 541, 553, 598
33.	महरिया, श्री सुभाष	556, 582, 601
34.	महतो, श्री टेक लाल	577, 617
35.	मंडल, श्री सनत कुमार	518
36.	माने, श्रीमती निवेदिता	544
37.	मसूद, श्री रशीद	543
38.	मैन्या, डा. टोकचोम	578
39.	मिश्रा, डा. राजेश	514
40.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	527
41.	मंडल, श्री अबु अयीश	564
42.	मुर्मू, श्री हेमलाल	525, 567, 606
43.	निखिल कुमार, श्री	581
44.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	595
45.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	504
46.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	530
47.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	563, 594, 607, 615
48.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	522
49.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	534
50.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	539
51.	राजगोपाल, श्री एल.	555
52.	राजेन्द्रन, श्री पी.	508, 571
53.	राणा, श्री राजू	524
54.	राव, श्री ई. दयाकर	577, 596
55.	राव, श्री के.एस.	583
56.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	542, 578, 579
57.	रावले, श्री मोहन	522
58.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	520, 608
59.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	593
60.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	547
61.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	550
62.	रिजीजू, श्री कीरेन	595
63.	साय, श्री नन्द कुमार	569, 584, 589, 590
64.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	572, 592, 609
65.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	534
66.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	502, 552, 585, 603, 611
67.	सिंह, श्री गणेश	519, 604, 607
68.	सिंह, श्री मोहन	537, 574
69.	सिंह, श्री राकेश	514
70.	सिंह, श्री सुग्रीव	569, 589, 590
71.	सिंह, श्री उदय	505
72.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	513, 593
73.	सुमन, श्री रामजीलाल	526, 535
74.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	548
75.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	520
76.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	521, 562
77.	थामस, श्री पी.सी.	571, 616
78.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	589, 599, 604, 612
79.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	536, 573, 593
80.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	543, 618
81.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	572, 592, 609
82.	विरूपाक्षप्पा, श्री के.	546
83.	यास्खी, श्री मधु गौड	544

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	101, 103, 104, 107, 111, 114, 116, 117, 118, 120
पृथ्वी विज्ञान	:	
गृह	:	105, 110, 113
मानव संसाधन विकास	:	102, 108, 109
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	112, 115
खान	:	106
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	119

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	515, 526, 527, 529, 535, 536, 538, 539, 553, 554, 560, 571, 572, 577, 581, 582, 592, 594, 599, 602, 605, 607, 608, 611
पृथ्वी विज्ञान	:	516, 518, 565, 597
गृह	:	504, 506, 509, 513, 514, 517, 521, 522, 525, 532, 537, 541, 543, 544, 545, 547, 548, 555, 556, 557, 563, 574, 576, 579, 580, 584, 587, 593, 606, 610, 613
मानव संसाधन विकास	:	502, 503, 508, 511, 512, 519, 520, 523, 531, 533, 534, 540, 542, 546, 550, 552, 558, 559, 561, 562, 564, 567, 568, 570, 573, 575, 578, 589, 596, 598, 603, 609, 614, 617
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	510, 551, 585, 590, 600, 604
खान	:	507, 530, 549, 569, 583, 586, 588, 595, 601, 612, 615
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	505, 524, 528, 566, 591, 616, 618, 619

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/36/13/2008 (एन०)
230

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एशोसिएट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।